प्रेरणा

श्री आर. आर. प्रसाद
मुख्य कार्मिक अधिकारी

मार्गदर्शन

श्री अशोक कुमार शर्मा
वरिष्ठ मण्डल कार्मिक अधिकारी

संकलनकर्त्ता एवं प्राचार्य

बसंत सिंह
प्रवर कार्मिक अधिकारी

❀ अनुदेशक एवं कार्यालय कर्मी ❀

दिनेश चन्द्र बिस्सा, वरिष्ठ अनुदेशक
गोविन्द लाल व्यास, वरिष्ठ अनुदेशक
शिव कुमार हिंगोरानी, वरिष्ठ अनुदेशक
राजेन्द्र गहलोत, मुख्य कार्यालय अधीक्षक
कुलदीपसिंह, लिपिक

यह सामग्री रेलवे का कोई प्रमाणिक ग्रन्थ, नियमावली अथवा मैनुअल नहीं है।
यह सामग्री केवल प्रशिक्षण के दौरान अतिरिक्त अध्ययन हेतु तैयार की गई है।।
अतः इस पाठ्य सामग्री को किसी भी रूप में मानक सन्दर्भ पुस्तक न माना जायें।।।

❀ कार्मिक प्रशिक्षण केन्द्र, उत्तर पश्चिम रेलवे, जोधपुर ❀

संस्करण – 2017

PERSONNELTRAINING CENTRE

NORTH WESTERN RAILWAY

JODHPUR

COMPEDIUM

OF

ESTABLISHMENT

RULES

IN HINDI

कार्मिक प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर ।

प्रस्तुति

कार्मिक प्रशिक्षण केन्द्र उतर पश्चिम रेलवे जोधपुर में अपने स्थापना वर्ष 1997 से निरन्तर स्थापना विषयो पर भारतीय रेलवे के मन्त्रालयिक सवंर्ग के कर्मचारियो को निरन्तर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है । प्रस्तुत पाठय सामग्री कार्मिक विभाग के अब तक पदस्थ किये अनुदेशको द्वारा विशेष परिश्रम से तैयार किये है जिन्है सलंग्न कर सर्व सम्बन्धित के ज्ञारवर्धन हेतु प्रस्तुत है। यघपि स्थापना विषयो में निरन्तर बदलाव होता रहता है एवं समय अनुरूप उपलब्ध स्त्रोतो से विषयावार सामग्री का समावेश कर प्रशिक्षुओ के पाठयक्रम में नविनतम जानकारी उपलब्ध करवायी जाती है तथापि यह सम्भावना बनी रहती है कि विभिन्न विषयो में निति आदेश परिवर्तित हो चुके है । इस सन्दर्भ में सभी को यह अवगत है कि 01.01. 2016 से भारत सरकार ने सांतवे वेतन आयोग की सिफारिशे स्वीकार कर ली है एवं भारत सरकार द्वारा प्रतिदिन वेतन, भत्ते अथवा अन्य परिलाभो में निरन्तर बदलाव किया जा रहा है । अतः स्थापना विषयो के सलंग्न सारांशो को अध्ययन करने वाले प्रशिक्षुओ से यह अनुरोध किया जाता है कि अब तक विभिन्न स्त्रोतो से उपलब्ध सामग्री से यह पाठयक्रम तैयार है एवं इनके अध्ययन के साथ साथ यदि उनके दृष्टि में विषय विशेष में परिवर्तन आ गया है एवं परिवर्तित परिपत्र इस पाठय्क्रम का हिस्सा होना चाहिये तो उससे कार्मिक प्रशिक्षण केन्द्र को सूचित करे अथवा अपनी और से भिजवाकर इस पाठयक्रम से जुड़वा सकते है । यह भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाये कि किसी विषय विशेष पर कार्यवाही किये जाते समय रेलवे बोर्ड से जारी स्थापना विषयक किताबो एवं रेलवे बोर्ड तथा मुख्यालय से जारी किसी भी मूल परिपत्र का ही अवलोकन कर उसी अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जाये ।

कार्मिक प्रशिक्षण कैन्द्र, जोधपुर ।

कार्मिक प्रशिक्षण केन्द्र
उत्तर पश्चिम रेलवे,
जोधपुर

स्थापना
नियमों
का
सार संग्रह

अनुक्रमणिका – INDEX

क्रस	विषय	पृष्ठ
1	रेलवे और इसकी कार्य प्रणाली का परिचय	1
2	कार्यालय पद्धति	13
3	मानव शक्ति योजना	23
4	भर्ती और प्रशिक्षण	41
5	चयन /पदोन्नति	64
6	अराजपत्रित रेल सेवकों की वरिष्ठता सम्बन्धी नियम	86
7	अवकाश नियम	94
8	रेल सेवक (पास) नियम 1986	113
9	अग्रिम	133
10	भत्ते	153
11	नैमितिक श्रमिक, एवजी एवं बंगला चपरासी	182
12	रेल सेवक कार्य घण्टे एवं विश्राम अवधि नियम 2005	197
13	रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम 1968	208
14	रेल सेवा (आचरण) नियम 1966	234
15	वेतन नियतिकरण	244
16	अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति	258
17	औद्योगिक सम्बन्ध	270
18	रेलवे कर्मचारी हित निधि	278
19	संविधान और राजभाषा नीति	291
20	विधिक मामलें	302
21	रेल सेवा (पेंशन) नियम	311
22	न्यूनतम मजदूरी कानून 1948	340
23	मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936	343
24	कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923	346
25	औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947	355
26	कारखाना अधिनियम 1948	361
27	ट्रेड यूनियन कानून 1926	368
28	लेखा विभाग की संरचना	372

रेलवे और इसकी कार्य प्रणाली का परिचय

(Railway & Introduction of Railway Working)

1. भारत में पहली रेल मुम्बई (सीएसटी) से ठाणे के बीच 16 अप्रेल, 1853 को चलाई गई। 03 इंजन, 14 डिब्बों और करीब 400 मेहमानों को लेकर इस रेल ने 34 किलोमीटर (21 मील) की यात्रा की।
2. पहली पैसेन्जर गाड़ी हावड़ा से हुबली के बीच 15 अगस्त, 1854 को चली तथा इसने 24 किलोमीटर की दूरी तय की।
3. 34 किलोमीटर का आरम्भिक रेल मार्ग, वर्ष 1951 तक बढ़कर लगभग 53596 किलोमीटर हो गया था।
4. प्रथम डबल डेकर यात्री गाड़ी फ्लाईंग क्वीन (Flying Queen) वर्ष 2005 में शुरू की गई एवं प्रथम ए.सी. डबल डैकर यात्री गाड़ी नवम्बर 2010 में जो कि धनबाद व हावड़ा के मध्य शुरू की गई इसमें 10 कोच व 02 पॉवर कार लगाये गये है।
5. कश्मीर घाटी में पहली रेलगाड़ी का उद्घाटन दि0 11.10.2008 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहनसिंह द्वारा किया गया, जो अनंतनाग से राजवाशेर के बीच 09 स्टेशनों से गुजरते हुए 68 किलोमीटर चली।
6. इसी तरह सिक्किम को भी रेल परिवहन से जोड़ने हेतु दिनांक 20.02.2010 को प्रथम चरण में रंगजो से सिवाक तक 44.4 कि0मी0 का निर्माण कार्य चालू कर दिया गया है।

(संदर्भ : 'Indian Railway Wikipedia the free encyclopedias' के अनुसार)

7. इसी तरह ऋषिकेश – कर्णप्रयाग के बीच 176 कि0मी रेल लाइन का शिलान्यास दिनांक 09.11.2011 को रेल मंत्री व रंक्षा मंत्री द्वारा किया गया।

भारतीय रेलवे ने पड़ौसी देशों से यातााात हेतु निम्न तीन गाड़ियाँ संचालित कि है :–

8. समझौता एक्सप्रेस – भारत–पाक के बीच दिल्ली से लाहौर तक बाघा–अटारी होते हुए पाकिस्तान हेतु दिनांक 22.07.1976 को समझौता एक्सप्रेस साप्ताहिक ट्रेन प्रारम्भ की गयी।
9. थार एक्सप्रेस – भारत–पाक के बीच जोधपुर से खोखरापार तक मुनाबाव होते हुए पाकिस्तान हेतु दिनांक 18.02.2006 को थार एक्सप्रेस साप्ताहिक ट्रेन प्रारम्भ की गयी ।
10. मैत्री एक्सप्रेस – भारत–बांग्लादेश के बीच कोलकाता के सियालदाह से ढाका कैरोनमेन्ट तक सप्ताह में दो दिन मैत्री एक्सप्रेस दिनांक 14.04.2008 को प्रारम्भ की गई।
11. पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ रेलवे लाइन को नैरो गेज से ब्राड गेज मे बदलना कठिन है, उन निम्नलिखित खण्ड़ों पर अभी भी नैरो गेज विद्यमान है :–

(1) कालका – शिमला
(2) नीलगिरी – माउण्टेन
(3) दार्जिलिंग – हिमालयन

भारतीय रेल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य :–

कुल रूट किलोमीटर		66030	किलोमीटर
	बी0जी0	58825	किलोमीटर
	एम0जी0	4908	किलोमीटर
	एन0जी0	2297	किलोमीटर
	विद्युतीकृत	22224	किलोमीटर
कुल रनिंग ट्रेक कि0मी0		90803	किलोमीटर
	बी0जी0	.	किलोमीटर
	एम0जी0	.	किलोमीटर
	एन0जी0	.	किलोमीटर
	विद्युतीकृत	41038	किलोमीटर
कुल ट्रेक कि0मी0	.	117996	किलोमीटर

	बी0जी0	107627	किलोमीटर
	एम0जी0	7801	किलोमीटर
	एन0जी0	2568	किलोमीटर
	विद्युतीकृत	51293	किलोमीटर
क्षेत्रीय रेलवे मण्डल	17+1(RDSO)		
मण्डल	68		
रेलवे स्टेशन		7137	
कुल नियमित रेल कर्मचारी		13,26,400	
	ग्रुप ''ए'' व ''बी''	17100	
	ग्रुप सी	1229900	
	ग्रुप डी	79400	
कार्यशालाएं		45	
कुल लोकोमोटिव (रेल इंजन)		10773	
	विद्युत	5016	
	डीजल	5714	
	भाप	43	
कुल यात्री डिब्बो की संख्या	लगभग	68558	
	EMU/DEMU/DHMD	8475	
(''इसमें लगेज वान, मेल वान, पार्सल वान इत्यादि सम्मिलित है।)	Conventional	53048	
	अन्य यात्री डिब्बे	7000	
	रेल कार	35	
कुल माल डिब्बो की संख्या	लगभग	254006	
कुल लोको शेड	लगभग	82	
कुल केरेज व वेगन सिक लाइन	लगभग	239	
ब्रिज की संख्या	लगभग	138912	

उपरोक्त आंकड़े 31.03.2015 की स्थिति को दर्शाते हैं । (वार्षिक पुस्तक 2015–16 के अनुसार)

रेलवे क्या हैः–रेल से आशय रेल के उस भाग से है जो यात्रियों, पशुओं और माल का परिवहन करती है। रेलवे के सहज संचालन हेतु नियम बनाने की शक्ति रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) में निहित है। यह मंत्रालय रेल मंत्री के अधीन कार्य करता है जो कि केबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं और यदि आवश्यकता हो तो रेल मंत्री के अधीन एक या अधिक मंत्री हो सकते है, जो राज्य या उपमंत्री स्तर के होते हैं तथा सौंपा गया कार्य करते है।

रेलवे प्रबन्धक का उद्देश्य :–

1. यात्रियों, माल और पशुओं का परिवहन, कम कीमत पर यातायात उपलब्ध कराना।
2. उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना तथा जब आवश्यकता हो तब सड़क और जल को परिवहन
   के साधनों के रूप में इस्तेमाल करना ।
3. जनता और राष्ट्र के हित में एक अच्छे और प्रभावी संगठन का विकास करना ।
4. रेलवे का एक प्रभावशाली प्रबन्धक और संगठन के रूप में विकास करना ।

रेलवे का कार्य निम्न विवरणानुसार तीन स्तरीय प्रणाली द्वारा संचालित किया जाता है :–

अ रेलवे बोर्ड स्तर पर (रेल मंत्रालय स्तर पर)

ब क्षेत्रीय रेलवे स्तर पर (महाप्रबन्धक स्तर पर)

स मण्डल स्तर पर (मण्डल रेल प्रबन्धक स्तर पर)

रेलवे के सुचारू संचालन हेतु रेलवे बोर्ड का गठन 18 फरवरी, 1905 को हुआ/तथा प्रबन्धक का महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रीय रेलवे के देख–रेख में रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अधीन संचालित होता है।

OGRANISATIONS STRUCTURE

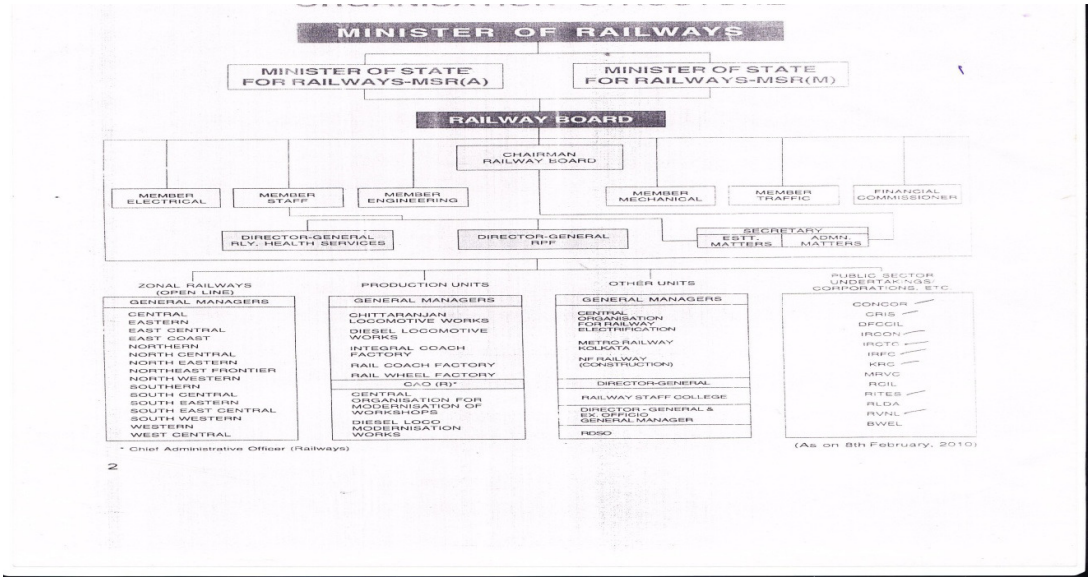

रेलवे बोर्ड के सदस्यों के कर्त्तव्य :

1. चेयरमेन रेलवे बोर्ड :
   भारत सरकार के पदेन मुख्य सचिव भी होते हैं और भारत सरकार द्वारा नीति संबंधी विषयों पर लिए गये निर्णयों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होते हैं।
2. वित्त आयुक्त रेलवे :
   यह रेलवे में वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि होते हैं एवं भारत सरकार के पदेन मुख्य सचिव के रूप में रेलवे बोर्ड में वित्त सम्बन्धी कार्य को देखते हैं। यदि वित्त के सम्बन्ध में रेलमंत्री और चेयरमेन रेलवे बोर्ड के मध्य कोई मतभेद हो तो इनके पास शक्ति है कि वह मामले को मार्गदर्शन हेतु वित्त मंत्री के पास भेज सकते हैं।
3. रेलवे बोर्ड सदस्य :
   (i) सदस्य यातायात :–

यह यातायात विभाग (परिचालन और वाणिज्य) से जुड़े कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं।

(ii) सदस्य कार्मिक : यह कार्मिक तथा प्रशिक्षण और प्रशासन विभाग एवं इसकी नीतियों स्वास्थ्य सेवाएं तथा रेलवे सुरक्षा बल से जुड़े कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं।

(iii) सदस्य यांत्रिक :

यह यांत्रिक विभाग (डीजल, सवारी व माल) से जुड़े कार्यों के लिए जिम्मेदार होते है।

(iv) सदस्य सिविल : यह सिविल इंजीनियरिंग विभाग (रेल ट्रेक और निर्माण कार्य) से जुड़े कार्यो के लिए जिम्मेदार होते है। यह बजट का नियमन भी करते है।

(v) सदस्य बिजली : यह बिजली और सिग्नल व दूरसंचार इंजी. विभाग से जुड़े कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं।

उपरोक्त सदस्यों के अलावा अतिरिक्त सदस्य, निदेशक, अतिरिक्त निदेशक और सहायक निदेशक सदस्यों की सहायता के लिए होते हैं।

रेलवे भर्ती बोर्ड : रेलवे भर्ती बोर्ड निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं, जो रेलवे के समूह ''सी'' की विभिन्न श्रेणियों की भर्ती करते है :–

क्र. सं0	आर आर बी	Number of RRCB	रेलवे	क्षेत्राधिकार
1	अहमदाबाद	RRCB o.08/03	पश्चिम रेलवे	बड़ोदरा, राजकोट, भावनगर व अहमदाबाद मंडल
2	अजमेर	RRCB No.08/03	उत्तर पश्चिम रेलवे	प्रधान कार्यालय जयपुर, अजमेर,जोधपुर, बीकानेर मंडल
3	इलाहाबाद	RRCB o.08/03	उत्तर मध्य रेलवे	प्रधान कार्यालय इलाहाबाद, झाँसी, आगरा, कोटा मंडल डीजल रेल कारखाना
4	बैंगलोर	RRCB No.08/03	दक्षिण पश्चिम रेलवे	प्र0का0 हुबली, बैंगलोर, मैसूर मंडल रेल व्हील कारखाना
5	भोपाल	RRCB No.08/03	पश्चिम रेलवे	रतलाम मंडल
			पश्चिम मध्य रेलवे	प्रधान कार्यालय, भोपाल, जबलपुर मंडल
6	भुवनेश्वर	RRCB No.08/03	पूर्वी तटीय रेलवे	प्रधान कार्यालय,खुर्दारोड़, सम्बलपुर मंडल
			दक्षिण पूर्व रेलवे	चक्रधरपुर (अज्जा कोटे के अलावा)
7	बिलासपुर	RCB No.77/07	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	प्रधान कार्यालय, रायपुर बिलासपुर, नागपुर मंडल
8	चण्डीगढ	RRCB No.08/03	उत्तर रेलवे	प्रधान कार्यालय,दिल्ली, अम्बाला मंडल
9	चेन्नई	RB L.No.E (RRB) /2006/ 25/ 14 dt. 27.01.2010	दक्षिण रेलवे	प्रधान कार्यालय चेन्नई, तिरूचिरापल्ली, सेलम मंडल
			आई.सी.एफ	इंट्रीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई
10	कोलकाता	RRCB No.08/03	पूर्व रेलवे	प्रधान कार्यालय, हावडा व सियालदाह मंडल
			दक्षिण पूर्व रेलवे	प्रधान कार्यालय,खडगपुर मंडल एवं मेट्रो रेलवे कोलकत्ता
11	गोरखपुर	RRCB No.08/03	उत्तर पूर्व रेलवे	प्रधान कार्यालय, लखनऊ, वाराणसी, इज्जतनगर मंडल व आरडीएसओ–लखनऊ
12	गुवाहाटी	RRCB No.08/03	पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे	प्रधान कार्यालय, मालीगांव, गोवाहाटी, लाम्बडिंग, तिनसुख्या, रंगिया मंडल

13	जम्मू	RRCB No.08/03	उत्तर रेलवे	फिरोजपुर मंडल, डीएमडब्ल्यू पटियाला,आरसीएफ कपूरथला
14	मालदा	RRCB No.08/03	पूर्व रेलवे	मालदा,आसनसोल मंडल
			दक्षिण पूर्व रेलवे	आद्रा मंडल
15	मुज्जफपुर	RRCB No.08/03	पूर्वी मध्य रेलवे	समस्तीपुर व सोनपुर मंडल
16	मुम्बई	RRCB No.08/03	पश्चिम रेलवे	प्रधान कार्यालय, मुम्बई सेन्ट्रल मंडल
			मध्य रेलवे	प्रधान कार्यालय,भुसावल, सोलापुर व पुणे मंडल
			दक्षिण मध्य रेलवे	नांदेड मंडल
17	पटना	RRCB No.08/03	पूर्वी मध्य रेलवे	प्रधान कार्यालय, मुगलसराय व दानापुर मंडल
			व्हील प्रो0 ऑरगेना0	व्हील प्रोजेक्ट ऑरगेनाईजेशन पटना
18	रांची	RRCB No.08/03	दक्षिण पूर्व रेलवे	रांची,आद्रा(सभी जातियों के लिए)व चक्रप्रधरपुर मंडल (केवल अजजा के लिए)
			पूर्व मध्य रेलवे	दानापुरा, मुगलसराय, धनबाद (केवल अजजा के लिए)
			पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे	कटिहार (केवल अजजा के लिए)
19	सिकन्दराबाद	RRCB No.08/03	दक्षिण मध्य रेलवे	प्रधान कार्यालय, हैदराबाद,सिकन्दराबाद,गुन्टकल, विजयवाडा, गुन्टूर व नांदेड मंडल
			पूर्वी तटीय रेलवे	वाल्टेयर
20	त्रिवेद्रम	RRCB No.08/03	दक्षिण रेलवे	पालघाट,तिरूवनन्तपुरम,मदुरै मंडल
21	सिलीगुडी	RRCB No.08/03	उत्तर सीमान्त रेलवे	कटिहार व अलीपुरद्वार मंडल

केन्द्रीयकृत प्रशिक्षण संस्थान :

विभिन्न विभागों के अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु निम्नलिखित प्रशिक्षण संस्थान हैं :–

(i) भारतीय रेल राष्ट्रीय एकादमी (पूर्ववर्ती रेलवे स्टाफ कॉलेज) बडोदरा :– भारतीय रेल राष्ट्रीय एकादमी बड़ोदरा सामान्यतः सभी विभागों के अधिकारियों और विशेषतः लेखा, कार्मिक, भण्डार और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों हेतु मुख्य प्रशिक्षण संस्थान के रूप में कार्य करता है।

(ii) भारतीय रेलवे सिविल सिगनल इंजीनियरिंग संस्थान (आई.आर.आई.सी.ई.) पुणे :– सिविल इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु ।

(iii) भारतीय रेलवे सिगनल इंजी. और दूरसंचार संस्थान (आई.आर.आई.एस.एण्ड.टी) सिकन्दराबाद :– सिगनल और दूरसंचार विभाग के अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु ।

(iv) भारतीय रेलवे बिजली इंजीनियरिंग संस्थान (आई.आर.आई.ई.ई.) नासिक :– बिजली विभाग के अधिकारियों हेतु मुख्य प्रशिक्षण हेतु।

(v) भारतीय रेलवे यांत्रिक व विद्युत इंजीनियरिंग संस्थान (आई.आर.आई.एम.ई.ई.) जमालपुर :– यांत्रिक इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु ।

(अप) भारतीय रेलवे यातायात प्रबन्धक संस्थान (आई.आर.आई.टी.एम.) लखनऊ :– यातायात विभाग के अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु ।

(vii) जगजीवनराम सुरक्षा बल अकादमी, लखनऊ :– रेलवे सुरक्षा बल (आर.पी.एफ) विभाग के अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु ।

उपरोक्त के अतिरिक्त समूह ''ग'' व ''घ'' के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने हेतु भारतीय रेलवे पर लगभग 293 प्रशिक्षण केन्द्र हैं। (RBE 73/06 & 72/10)

क्षेत्रीय रेलवे एवं उनका प्रबन्धन :–

रेलवे और इसके प्रबन्धन के प्रभावी उचित संचालन हेतु रेलवे को महाप्रबन्धकों की अध्यक्षता में 17+01=18 क्षैत्रीय रेलवे व 68 मण्डलों में निम्नानुसार विभाजित किया गया है :–

प्र0 सं0	क्षेत्रीय रेलवे	प्रधान कार्यालय	स्थापना तिथि	अधीनस्थ मंडल	कुल रूट कि0मी0
1	दक्षिण रेलवे (SR)	चेन्नई	14.04.1951	चेन्नई,मदुरै,पालक्काड ऋ, त्रिवेन्द्रम, त्रिचुर,सेलम	5102
2	मध्य रेलवे (CR)	मुम्बई (सीएसटी)	05.11.1951	भुसावल,मुम्बई,नागपुर, पुणे, व सोलापुर	3905
3	पश्चिम रेलवे(WR)	चर्चगेट मुम्बई	05.11.1951	अहमदाबाद, बड़ोदरा, भावनगर, मुम्बई, राजकोट व रतलाम	6440
4	पूर्व रेलवे(ER)	कोलकाता	14.04.1952	आसनसोल,हावडा,माल दा टाउन व सियालदाह	2435
5	उत्तर रेलवे(NR)	नई दिल्ली	14.04.1952	दिल्ली,फिरोजपुर,लखन ऊ,मुरादाबाद व अम्बाला	6968
6	पूर्वोत्तर रेलवे (NER)	गोरखपुर	14.04.1952	इज्जतनगर,लखनऊ व वाराणसी	3721
7	दक्षिण पूर्वी रेलवे (SER)	कोलकाता	01.08.1955	आद्रा, चक्रप्रधरपुर, खडगपुर व रांची	2632
8	पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे (NFR)	गोवाहाटी	15.01.1958	अलीपुरद्वार, कटिहार, लाम्बडिंग, रंगिया, तिनसुखिया	3908
9	दक्षिण मध्य रेलवे (SCR)	सिकन्दराबाद	02.10.1966	गुन्टूर,गुन्टकल,हैदराबाद,नान्देड़ सिकन्दराबाद व विजयवाड़ा	5810
10	उत्तर पश्चिम रेलवे (NWR)	जयपुर	01.10.2002	अजमेर, जयपुर, जोधपुर व बीकानेर	5464
11	पूर्वी मध्य रेलवे (ECR)	हाजीपुर	01.10.2002	दानापुर, धनबाद,मुगलसराय,समस्तीपुर व सोनपुर	3656
12	दक्षिण पश्चिम रेलवे (SWR)	हुबली	01.04.2003	बैंगलोर, हुबली व मैसूर	3177
13	पश्चिम मध्य	जबलपुर	01.04.2003	जबलपुर, कोटा व	2965

	रेलवे (WCR)			भोपाल	
14	उत्तर मध्य रेलवे (NCR)	इलाहाबाद	01.04.2003	इलाहाबाद, झाँसी, आगरा	3151
15	दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे (SECR)	बिलासपुर	01.04.2003	नागपुर, बिलासपुर, रायपुर	2455
16	पूर्व तटीय रेलवे (ECoR)	भुवनेश्वर	01.04.2003	खुर्दारोड, वाल्टेयर, सम्बलपुर	2455
17	कोलकाता मेट्रो	कोलकाता	29.12.2010	कोलकाता मेट्रो	25
18	आरडीएसओ RDSO	लखनऊ	सन् 1930 मे स्थापित लेकिन,1957 में आरडीएसओ के रूप में तथा वर्तमान में 01.01. 2003से क्षेत्रीय रेलवे के बराबर मान्यता प्राप्त है।		

प्रशासनिक कार्यों में महाप्रबन्धक की सहायता के लिए अतिरिक्त महाप्रबन्धक, वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक,मुख्य जन सम्पर्क अधिकारी, मुख्य योजना अधिकारी और प्रत्येक विभाग के विभागाध्यक्ष होते हैं। विभागाध्यक्षों का विवरण निम्नानुसार हैं :–

प्र0सं0	विभाग	विभागाध्यक्ष	
1	परिचालन	मुख्य परिचालन प्रबन्धक	(COM)
2	इंजीनियरिंग	मुख्य इंजीनियर	(CE)
3	यांत्रिक	मुख्य यांत्रिक इंजीनियर	(CME)
4	बिजली	मुख्य बिजली इंजीनियर	(CEE)
5	संकेत एवं दूरसंचार	मुख्य संकेत एवं दूरसंचार इंजीनियर	(CSTE)
6	लेखा	वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी	(FA & CAO)
7	वाणिज्य	मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक	(CCM)
8	कार्मिक	मुख्य कार्मिक अधिकारी	(CPO)
9	भण्डार	मुख्य सामग्री प्रबन्धक	(CMM)
10	चिकित्सा	मुख्य चिकित्सा निदेशक	(CMD)
11	सुरक्षा	मुख्य सुरक्षा आयुक्त	(CSC)

प्रशासनिक कार्यों के सहज संचालन में विभागाध्यक्षों की सहायता हेतु उप वरिष्ठ और कनिष्ठ स्तर के अधिकारी होते हैं। क्षेत्रीय रेलों के अलावा उत्पादन इकाईयां भी हैं जो निम्न हैं :–

1. चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स (CLW) चितरंजन : सन् 1950 में इसकी स्थापना हुई। यहाँ बिजली के इंजनों का निर्माण होता है।
2. डीजल लोकोमोटिव वर्क्स (DLW) वाराणसी : यहाँ डीजल इंजनों का निर्माण किया जाता है।
3. इंटीग्रल कोच फेक्ट्री (ICF) चेन्नई : यहाँ पैसेन्जर कोचों का निर्माण किया जाता है।
4. रेल पहिया कारखाना(RWF) बैंगलोर : सन् 1984 में इसकी स्थापना हुई। यहाँ पहिये एवं एक्सल का निर्माण किया जाता है।
5. रेल कोच फेक्ट्री (RCF) कपूरथला (हुसैनपुर) : दि0 31.03.1988 को इसकी स्थापना हुई। यहाँ पैसेन्जर कोचों का निर्माण किया जाता है।
6. डीजल लोको आधुनिकीकरण कार्यशाला (DMW) पटियाला : यहाँ डीजल लोको के पुर्जों/हिस्सों का निर्माण किया जाता है।

उपरोक्त इकाईयों के अलावा निम्नलिखित मुख्यतः सार्वजनिक निजी भागीदारी की रेल परियोजनाएं भी रेलवे के लिए कार्य कर रही है :–

(i)	मेट्रो रेल परियोजना
(ii)	महानगरीय परिवहन परियोजना
(iii)	भारतीय रेलवे निर्माण कंपनी (IRCON) दिनांक 28.04.1976 को स्थापित

(iv)	भारतीय रेलवे तकनीकी और आर्थिक सेवायें (RITES) 1974 में स्थापित
(v)	भारतीय रेलवे वित्त निगम (IRFC) दिसम्बर 1986 में स्थापित
(vi)	रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र (CRIS) सन् 1986 में स्थापित
(vii)	कोंकण रेलवे निगम (KRCL) 1990 में स्थापित
(viii)	भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (CONCOR) नवम्बर 1988 में स्थापित
(ix)	दिल्ली मेट्रो निगम (DMRC) दिनांक 05.03.1995 को स्थापित
(x)	रेल विकास निगम (RVNL) सन् 2003 में स्थापित
(xi)	भारतीय रेल केटरिंग व टुरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) सन् 2001 में स्थापित
(xii)	रेलवे लेण्ड डवलपमेन्ट ऑथेरिटी (RLDA) 2005 में स्थापित
(xiii)	रेल टेल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया (RCIL)

भारतीय रेल सम्बन्धी कुछ रोचक तथ्य :–

1. विश्व का सबसे व्यस्तम उपनगरीय रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है।
2. भारत का सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशन हावड़ा, दूसरा नई दिल्ली व तीसरा सियालदाह है।
3. भारतीय रेल का दूसरा सबसे पुराना रेलवे स्टेशन तथा सबसे बड़ा रेलवे काम्प्लेक्स हावड़ा है।
4. विश्व की सबसे बड़ी इन्टर लाकिंग प्रणाली नई दिल्ली में है।
5. भारतीय रेल पर उत्तर भारत का अन्तिम स्टेशन बारामूला है। इस स्टेशन से पहली रेल गाडी़ 14.02.2009 को शुरू की गई। इसकी समुद्र तल से ऊँचाई 1583 मीटर है।
6. पश्चिम भारत का अन्तिम स्टेशन राजकोट मण्डल का ओखा है। इस स्टेशन की शुरूआत 15.11.1922 को हुई ।
7. पूर्वी भारत का अन्तिम स्टेशन तिनसुखिया के आगे लिडो है। इसकी शुरूआत 18.02.1884 को हुई ।
8. दक्षिण भारत का अन्तिम स्टेशन कन्याकुमारी है। इसकी शुरूआत 16.04.1979 को हुई ।
9. सबसे बड़ा रेलवे जक्शन मथुरा है।
10. विश्व का सबसे बडा प्लेटफार्म गोरखपुर (1,355 मीटर) (दिनांक 07.10.2013 से) दूसरा खड़गपुर (1,072 मीटर) तथा तीसरा अमरीकी शहर शिकागो का स्ट्रीट सेंटर सबसे (1,067 मीटर) है।
11. भारत मे सबसे अधिक ऊँचाई पर स्टेशन घूम है जो कि दार्जिलिंग–हिमालयन रेलवे पर स्थित है।
12. बड़ी लाइन का विश्व का सबसे ऊँचा स्टेशन सिल्लीगुड़ी है। यह पूर्वतट रेलवे को कोटटावलास किरेडूल लाइन पर स्थित है।
13. भारतीय रेलवे पर सभी यात्री गाड़ियों में पांच अंकों की प्रणाली दिनांक 20.12.2010 से प्रभावी हुई है।
14. वर्तमान में विश्व का सबसे ऊँचा रेल पुल फ्रांस की टैम नदी पर है। इसका सबसे ऊँचा पिलर 340 मीटर का है। जबकि जहां रेल गाड़ी चलती हैं उसकी ऊँचाई 300 मीटर है।
15. जम्मू कश्मीर के रियासी जिले मे चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊँचा रेल पूल का निर्माण किया जा रहा है। इसका निर्माण कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। यह पुल उधमपुर–श्रीनगर–बारामूला रेल संपप्र परियोजना पर होगा। इस रेल पुल का निर्माण 359 मीटर की ऊँचाई तक होना है। (कुतुबमीनार की ऊँचाई 72 मीटर है और एफिल टावर की ऊँचाई 324 मीटर है) चिनाब पुल का मध्यवर्ती विस्तार 457 मीटर है। निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद यह पुल नदी तल से सबसे ऊँचा पुल हो जायेगा। पुल का डिजाईन इस प्रकार से किया जा रहा है कि 266 किलोमीटर प्रति घण्टा की रफ्तार से चलने वाली हवा को झेल सके। बहरहाल रेल गाड़ी को पुल पर जाने से रोक दिया जायेगा जब हवा 90 किलोमीटर प्रति घण्टा से अधिक होगी। इस पुल की

पेण्टिग/रंगाई 35 वर्ष के लिए विशेष पेंट द्वारा की जायेगी और 120 वर्ष के इसके जीवन काल में केवल तीन बार पेंटिग करने की जरूरत होगी। यह पुल वर्ष 2015 तक पूरा होना सम्भावित हैं।

16. कटरा से धरम तक के क्षेत्र का निर्माण कोंकण रेलवे कर रही हैं। इस स्थल पर पहुँचने हेतु 166 किलोमीटर लम्बी परियोजना सड़क बनाई जायेगी । इसमें सुरंगो और अस्थायी पुलों का निर्माण भी होना हैं। यह परियोजना दिसम्बर 2017 तक पूर्ण होना सम्भावित है।
17. उधमपुर– बारामूला–श्रीनगर रेल लिंक परियोजना के बनिहाल–काजीगुंड खंड का निर्माण पूर्ण हो गया है तथा दिनांक 26.03.2013 को प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन पश्चात इस खण्ड पर यातायात शुरू हो गया। यह खंड 17.729 किलोमीटर लम्बा है तथा इसमें पुलों, कटिंग एवं पुश्तों के अलावा 11.215 किलोमीटर लम्बी पीर पंजाल सुरंग है। यह सुरंग भारत में सबसे लम्बी परिवहन सुरंग है जबकि एशिया की यह दूसरी बड़ी सुरंग है। इस सुरंग निर्माण में करीब सात वर्ष का समय लगा तथा इसमें रेलवे ट्रेक के साथ–साथ 3.0 मीटर चौड़ी सड़क भी बनाई गई है। सुरंग के भीतर गिट्टी रहित पटरी है तथा यह वाटर प्रूफ है तथा सर्दी के मौसम में हिमपात के कारण जवाहर सुरंग के बंद हो जाने पर यह अति उपयोगी होगी ।
18. भारतीय रेलवे पर समान नाम के निम्नलिखित रेलवे स्टेशन हैं:–

(i)	भावनगर मण्डल,पश्चिम रेलवे	– सिहोर
(ii)	रतलाम मण्डल, पश्चिम रेलवे	– सिहोर
(iii)	जयपुर मण्डल, उत्तर पश्चिम	– गांधीनगर
(iv)	अहमदाबाद मण्डल, प0रे0	– गांधीनगर
(v)	सोलापुर मण्डल, म0रे0	– बेलापुर
(vi)	नवी मुम्बई, म0रे0	– बेलापुर
(vii)	हिमाचल प्रदेश, उ0रे0	– उना
(viii)	भावनगर मण्डल, प0रे0	– उना
(ix)	भावनगर, प0रे0	– मडुआ
(x)	अलवर, उ0प0रे0	– मडुआ

DETAILS OF SOME ALPHA BATIC ABBREVIATIOS USED IN THE GENERL WORKING OF INDIAN RAILWAY

ART	ACCIDENT RELIEF TRAIN
AS	AUTHORISED SCALE (IIIrd PC)
APAR	ANNUAL PERFORMANCE APPRAISEL REPORT
ACR	ANNUAL CONFIDENTIAL REPORT
ACME	ALL CONCERNED MATTER OF ESTABLISHMENT
AIRF	ALL INDIA RAILWAYMEN'S FEDERATION
AVC	ANNUAL VERABLE COMPONENT
BOR	BREACH OF REST ALLOWANCE
BOS	BOOK OF SANCTION
CORE	CENTRAL ORGANIGATION FOR RAILWAY ELECTRIFICATION
CONCOR	CONTAINER CORPORATION OF INDIA LIMITED
CRIS	CENTRE FOR RAILWAY INFORMATION SYSTEMs
CLW	CHITRANJAN LOCOMOTIVE WORKSHOP
COIS	COACHING OPERATION INFORMATION SYSTEM
CGEGIS	CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES GROUP INSURANCE SCHEME
COFMOW	CENTRAL ORGANÇATION FOR MODERNIATION OF WORKSHOPS
CAT	CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
CVC	CENTRAL VIGILANCE COMMMISSION
CTG	COMPOSITE TRANSFER GRANT

CIC	CENTRAL INFORMATION COMMISSION
CRS	COMMISSIONER OF RAILWAY SAFTEY / CHIEF RESERVASION SUPERVISOR
C& IS	COMPUTERIZATION AND INFORMATION SYSTEM
CAMTECH	CENTRE FOR ADVANCE MAINTANANCE TECHNOLOGY
CUG	CLOSE USERS GROUP
DLW	DIESEL LOCOMOTIVE WORKS SHOP
DB	DIVISIONAL BENCH
DO	DEMI OFFICIAL
DLI	DEPOSIT LINKED INSURANCE
DMRC	DELHI METRO RAIL CORPORATION
DMW	DIESEL LOCO MODERNIZATION WORKSHOP
DFCCIL	DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED
EDP	ELECTRONICS DATA PROSSESING
FROA	FEDERATION OF RAILWAY OFFICERS ASSOCIATIONS
FAX	FECIMILE AUTOEXCHANGE XEROX / FIXATIONAL AUTO ZEROX
FOB	FOOT OVER BRIDGE
FSC	FOREIGN SERVICE CONTRIBUTION
FOIS	FREIGHT OPERATIONS INFORMATION SYSTEM
GDCE	GENERAL DEPARTMENTAL COMPETITIVE EXAMINATION
GRRS	GENERAL RULES REVIEW COMMITTEE
HRD	HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
HLCDM	HIGH LEVEL COMMITTEE ON DISASTER MANAGEMENT
HMS	HIND MAZDOOR SABHA
HOER	HOURS OF EMPLOYMENT REGULATION
ILO	INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION
INTUC	INDIAN NATIONAL TRADE UNION CONGRESS
IRDA	INSURANCE REGULATORY AND DEVLOPMENT AUTHORITY
IRISET	INDIAN RAILWAY INSTITUTE OF SIGNAL ENGINEERING & TELECOMMUNICATION
IRICEN	INDIAN RAILWAY INSTITUTE OF CIVIL ENGEENIERS
IRIMEEN	INDIAN RAILWAY INSTITUTE OF MECHANICAL AND ELECTRICAL ENGINEERING
IRIEEN	INDIAN RAILWAY INSTITUTE OF ELECTRICAL ENGINEERINGS
IRITM	INDIAN RAILWAY INSTITUTE OF TRANSPORT MANAGEMENT
IRCTC	INDIAN RAILWAY CATERING AND TOURISM CORPORATION
IREC	INDIAN RAILWAY ESTABLISHMENT CODE
IREM	INDIAN RAILWAY ESTABLISHMENT MANNUAL
IRCON	INDIAN RAILWAY CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
IRPOF	INDIAN RAILWAY PROMOTEE OFFICERS FEDERATION
IRWO	INDIAN RAILWAY WELFARE ORGANIZATION
IROAF	INDIAN RAILWAY ORGANÇATION FOR ALTERNATE FUELS
IRCA	INDIAN RAILWAY CONFERENCE ASSOCIATION
IRILMM	INDIAN RAILWAY INSTITUTE OF LOGISTICS AND METERIALS MANAGMENT
ICF	INTEGRAL COACH FACTORY
IOD	INJURED ON DUTY
ICT	INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY
IRT	INSTITUTE OF RAIL TRANSPORT
IRC	INDIAN RAILWAY CORPORATION
IRFC	INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION
IRASS	INDIAN RAILWAY ANNUAL STATISTICAL STATEMENT
IRCOT	INDIAN RAILWAY CENTRAL ORGANIZATION FOR TELECOM
ISW	INDIAN STANDARD WAGON WORKS
JCM	JOINT CONSULTATIVE MACHINARY
JC	JUDICIAL CUSTUDY
KRC	KONKAN RAILWAY CORPORATION

LDCE	LIMITED DEPARTMENTAL COMPETITIVE EXAMINATION
LAW	LIST OF APPROVED WORKS
LRDSS	LONG RANGE DECISION SUPPORT SYSTEM
LARSGESS	LIBRALIZED ACTIVE RETIREMENT SCHEME FOR GUARANTEED EMPLOYMENT FOR SAFETY STAFF
MMIS	MATERIAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
MPP	MAN POWER PLANNING
MOSR	MINISTER OF STATE FOR RAILWAY
MOD	MEDICINE ON DUTY
MRVC	MUMBAI RAIL VIKAS CORPORATION
MODVAT	MODIFIED VALUE ADDED TAX
MRPR	MANNUAL OF RAILWAY PENSION RULE
MRV	MEDICAL RELEIF VAN
MACP S	MODIFIED ASSURED CAREER PROGRESSION SCHEME
MCDO	MONTHLY COMPRETIVE DEMI OFFICIAL
NAIR	NATIONAL ACADEMY OF INDIAN RAILWAYS
NIP	NOTICE OF IMPOSITION OF PENALTY
NBR	NEXT BELOW RULE
NTPC	NON TECHNICAL POPULAR CATEGORY
NFIR	NATIONAL FEDERATION OF INDIAN RAILWAYMEN
NPS	NEW PENSION SCHEME / NEW PENSION SYSTEM
NPA	NON PRACTICE ALLOWANCE
NTES	NATIONAL TRAIN ENQUIRY SYSTEM
NIT	NOTIFICATION OF TENDER
NRMS	NATIONAL RAIL MUSEUM SITE
OMR	OPTICAL MARK READER
OFC	OPTICAL FIBRE CABEL
OCL	OPENLINE CASUAL LABOUR UNSKILED
OCL(S)	OPENLINE CASUAL LABOUR (SKILED)
PCDO	PERIODCAL CONFIDENTIAL DEMI OFFICIAL
PNR	PASSENGER NAME RECORD
PS	PRESCRIBED SCALE (IInd PC)
PSU	PUBLIC SECTOR UNDERTAKING
PMIS	PERSONNEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
PSE	PUBLIC SECTOR ENTERPRISES
PREM	PARTICIPIATION OF RAILWAY EMPLOYEES IN MANAGEMENT
PLB	PRODUCTIVITY LINKED BONUS
POET	PASSENGERS OPERATED ENQUIERY TERMINALS
PPM	PASSSENGER PROFILE MANAGEMENT
PAE	PROJECT ABSTRACT ESTIMATE
PAC	PROPREITY ARTICALE CERTIFICATE
PWP	PRELIMANRY WORKS PROGRAMME
PET	PHYSICAL EFFIECENCY TEST
PTT	PUBLIC TIME TABLE
PTO	PRIVILEGE TICKET ORDER
PME	PERIODICAL MEDICAL EXAMINATION
PMS	PERFORMANCE MEASUREMENT SYSTEM
PRP	PERFORMANCE RELATED PAY
PUS	PUBLIC UTILITY SERVICE
PRIS	PERFORMANCE RELATED INCENTIVE SCHEME
PRS	PASSENGER RESERVATION SYSTEM
PCL	PROJECT CASUAL LABOUR UNSKILED
PCL(S)	PROJECT CASUAL LABOUR (SKILED)
PPP	PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP
PRIME	PAY ROLL INDEPENDENT MOUDLE OF EMPLOYEE
RBCC	RAILWAY BOARD COMPUTER CENTER

RS	REVISED SCALE (IVth PC)
RSRP	RAILWAY SERVICE REVISED PAY (Vth PC)
RCT	RAILWAY CLAIMS TRIBUNAL
RRT	RAILWAY RATES TRIBUNAL
RITES	RAIL INDIA TECHNICAL AND ECONOMIC SERVICES
RSK	RAIL SPRING KARKHANA
RSP	ROLLING STOCK PROGRAMME
RELHS	RETIRED EMPLOYEES LIBERALISED HEALTH SCHEME
RRC	RAILWAY RECRUITMENT CELL
RRB	RAILWAY RECRUITMENT BOARD
RCF	RAIL COACH FACTORY
RVNL	RAIL VIKAS NIGAM LIMITED
RDSO	RESERCH DESIGN STANDARD ORGANIZATION
RWF	RAIL WHEEL FACTORY
RBSS	RAILWAY BOARD SECRETARIAT SERVICES
RBSSS	RAILWAY BOARD SECRETARIAT STENOGRAPHERS' SERVICES
RSRC	RAILWAY SAFTEY REVIEW COMMITTEE
RAEC	RAILWAY ACCIDENT ENQUIRY COMMITTEE
RSPB	RAILWAY SPORTS PROMOTIONAL BOARD
RSC	RAILWAY STAFF COLLEGE
RLT	RAILWAY LABOUR TRIBUNAL
RLDA	RAIL LAND DOVELPMENT AUTHORITY
SRPF	STATE RAILWAY PROVIDENT FUND
SLP	SPECIAL LEAVE PETITION
SOP	STOPAGES OF PASS / SCHEDULE OF POWER
SPE	SPECIAL POLICE ESTABLISHEMENT
SF	STANDARD FORM
SBF	STAFF BENEFIT FUND
SAFA	SENIOR ACCOUNT AND FINANCE ADVISOR
SRSF	SPECIAL RAILWAY SAFTEY FUND
SRRS	SAFETY REALATED RETIREMENT SCHEME
SVRS	SPECIAL VOLUNTARY RETIREMENT SCHEME
TAA	TRIBAL AREA ALLOWANCE
TLA	TEMPORARY LABOUR ADJUSTMENT
USFD	ULTRASONIC FLAW DETECTION
UTS	UNRESERVED TICKETING SYSTEM
UPS	UNINTRUPTED POWER SUPPLY
WTT	WORKING TIME TABLE
WLL	WIRELESS LOCAL LOOP
ZRUCC	ZONAL RAILWAY USERS CONSUMER COMMITTEE

कार्यालय पद्धति

(Office Proceedure)

कार्यालय पद्धति के सम्बन्ध में

सामान्य सिद्धान्त–मिसलों का खोलना, रख–रखाव, पत्र व्यवहार इत्यादि के सम्बन्ध में।

रेल प्रशासन की कार्मिक शाखा में मुख्यतः स्थापना सम्बन्धी कार्य होता हैं। साथ ही अन्य शाखाओं में भी स्थापना सम्बन्धी मामलों पर कुछ न कुछ कार्य किया जाता है। मूलतः सिद्धान्त एक विषय पर एक मिसल का है। अतः हर शाखा में कार्य को उपुयक्त विषयों में बांटकर उपयुक्त मेजर हैड दिये जाने चाहिये। जिसमें अधिक से अधिक विषयों का संकलन हो। उदाहरणार्थः हर मेजर हैड का स्व अस्तित्व है व इसके निम्नलिखित दो भाग हैः–

1 हर शाखा के लिये संक्षिप्त में एक वर्ण अक्षर पहचान हेतु दिया जाता है व स्थापना सम्बन्धी मामलों में इसका प्रयोग किया जाता है। जहाँ गोपनीय मिसलें है वहाँ ई मेजर हैड के पहले आयेगा व सामान्य मिसलों में बाद में जैसेः– गोपनीय मिसल ई.752 व सामान्य मिसल 752ई.

2. विषय के अनुसार हर विषय को एक संख्या दी जाती है जिसे मेजर हैड कहा जाता है। जैसे वेतन अग्रिम हेतु संख्या 5, सामान्यतः फाईल तीन प्रकार की होती है प्रथम मेजर फाईल जो नीति सम्बन्धी मामलों पर होती है व मेजर हैड के पश्चात 0/जीरो का प्रयोग होता है। दूसरी सब फाईल जो मेजर फाईल से सम्बन्धित विषय पर होती है इस हेतु संख्या 1, 2, 3 आदि मेजर हैड के पश्चात प्रयोग में आती है। तीसरी माईनर फाईल जो विशेष विषय के लिए खोली जाती है व अधिक प्रयोग न नहीं आती है। इन्हें मेजर हैड के पश्चात 1/1, 1/2, 1/3 लगातार मिसल खोली जाती है।

मेजर फाईल	सब फाईल
601–ई/0/पदो/उपरे/भाग–1	601–ई/1/पदो/ग्रुप–सी/उपरे/भाग–1
	601–ई/2/पदो/ग्रुप–डी/उपरे/भाग–1

नोट :– संख्या देने के पश्चात अंत में भाग–1, 2 आदि लिखा जाता है।

सामान्य सिद्धान्त :

1. प्रधान कार्यालय व मण्डल कार्यालय में किसी विभाग को शाखा कहा जायेगा व यहॉ से बाहर विभाग कहलायेगा।
2. प्रत्येक रेलवे के मेजर हैड अलग–अलग हैं। ये हैड मिसल के ऊपरी भाग पर पुरानी मिसल संख्या के साथ लिखा जायेगा ताकि पुराना सन्दर्भ पता करने में आसानी रहे।

मिसल के ऊपरी हिस्से पर रेलवे का नाम, स्थाई रिकार्ड सरकूलेशन पर्ची, पुरानी फाईल संख्या, विषय वर्तमान फाईल संख्या, सम्बन्धित लिपिक व अधीक्षक का नाम व पदनाम आदि लिखे जाते हैं। इस पर छपी सरकूलेशन स्लीप यह बताती है कि मिसल किस तारीख को किसके पास गयी व विलम्ब कहॉ हुआ। उदाहरणार्थः सहायक कार्मिक अधिकारी 14.10.2002 प्रवर कार्मिक अधिकारी 15.10.2002 मुख्य कार्मिक अधिकारी / मुख्य अभियन्ता 16.10.2002 महाप्रबन्धक 19.10.2002 विविध मामलों को अलग मिसल में चलाया जाना चाहिये। सम्बन्धित लिपिक के पास कितनी मिसले हैं उसका रिकार्ड अधीक्षक/पर्यवेक्षक के पास भी रहना चाहिये। किसी भी मिसल को चलाने हेतु सामान्य, आवश्यक व अति–आवश्यक रूप से कार्यवाही की जाती है। अति–आवश्यक

हेतु तुरन्त ध्यानाकर्षण का लिखा जाना चाहिये या आवश्यक में प्राथमिकता देने हेतु लिखा जाना चाहिये।

सामान्यतः सम्बन्धित लिपिक को दो दिन से ज्यादा किसी मामलें को प्रस्तुत करने में नहीं लेना चाहिये। अधिक से अधिक जटिल मामलों में चार दिन, इसके पश्चात सुपरवाईजर को एक/दो दिन से ज्यादा समय नहीं लेना चाहिये साथ ही एक/दो दिन में सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिये अर्थात् अपवाद स्वरूप कुछ विशेष मामलों को छोड़कर किसी विषय पर सात दिन से अधिक का समय निष्पादन में नहीं लगना चाहिये।

एक फाईल को दूसरी फाईल के साथ लगाते समय नीचे की मिसल के पुठ्ठे दिये जाते हैं ताकि दोनों मिसल सुरक्षित व व्यवस्थित रहें।

<u>मिसल के हिस्से</u> :

1. मिसल के मुख्यतः दो भाग होते हैं प्रथम टिप्पणी दूसरा पत्र–व्यवहार। दोनों को अलग–अलग आवरण में रखा जाता है। टिप्पणी बांयी तरफ व पत्र–व्यवहार दांयी तरफ रहते हैं।

टिप्पणी : टिप्पणी के अन्तर्गत वे बातें/तथ्य लिखे जाते हैं जो विचाराधीन कागज के निपटान से सम्बन्धित हैं। इसमें पिछला सार, विवरण, पूछे गये प्रश्न का उत्तर, नियमों का हवाला, सुझाव आदि होते हैं। टिप्पणी के मुख्यतः चार भाग होते हैं।

1.विषय, 2.संक्षिप्त विषय वस्तु, 3.पूर्ण विवरण–वॉच्छित आवश्यकता, पुराना सन्दर्भ, नियमों सहित वस्तुस्थिति, 4.सुझाव यदि कोई है व वॉच्छित निर्णय।

नोट शीट को टिप्पणी /सारांश कहते हैं व हर पृष्ठ के ऊपर बीच में पृष्ठ संख्या दी जाती है। खाली पृष्ठ रहने पर उसे एक कोने से दूसरे कोने तक काट दिया जाता है। टिप्पणी पृष्ठ के साथ सूचना शामिल करने हेतु कई ब्यौरे होते हैं जो अनावश्यक रूप से लम्बे हो जाते हैं। जिससे मृख्य बात छुपने की सम्भावना रहती है अतः ऐसे ब्यौरों को टिप्पणी का परिशिष्ट बनाकर अलग से बात छुपने की सम्भावना रहती है अतः ऐसे ब्योरों को टिप्पणी का परिशिष्ठ बनाकर अलग से रखा जाना चाहिये। इन्हें टिप्पणी का परिशिष्ठ कहा जाता है।

टिप्पणी पृष्ठ के बीच कोने में क्रम संख्या जिस पर विचार किया जाना है, अगर हो तो, लिखा जाना चाहिये। इसके पश्चात विषय व विषयवस्तु दी जानी चाहिये। कोई पुराना सन्दर्भ हो तो लिखा जाना चाहिये। वॉच्छित आवश्यकता क्या है किन नियमों का हवाला दिया है, वस्तुस्थिति क्या है, क्या नियम है, क्या अपेक्षित है, सुझाव क्या है व क्या निर्णय चाहिये आदि दिया जाना चाहिये। नमूने के तौर पर एक टिप्पणी पृष्ठ प्रारूप अनुबन्ध (VIII) संलग्न है। सम्बन्धित लिपिक पूर्ण विवरण लिखेगें, अधीक्षक /पर्यवेक्षक व अधिकारी वास्तविक बिन्दु पर जोर देगें व निर्णय /निर्देश प्राधिकारी देगें।

टिप्पणी पृष्ठ के सम्बन्ध में इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि सम्बन्धित पर्यवेक्षक /अधिकारी द्वारा उसपर कोई आदेश पारित किये हैं या हस्ताक्षर किये तो उसे फाईल से हटाया या बदला नहीं जाना चाहिये और ना ही टिप्पणी में कोई गलती होने पर उसपर कोई अन्य पेपर चिपकाना चाहिए बल्कि गलती को पेन से काट दिया जाना चाहिये।

<u>पत्र व्यवहार</u> : इसमें आवतिया व निर्गमों की कार्यालय प्रतियॉ तथा स्वतः पूर्ण अन्तरविभागीय टिप्पणियॉ और उनके अनुबन्ध होते हैं। इनके साथ लम्बे संलग्न पत्रों को अलग से रखा जा सकता है। जिसे पत्र व्यवहार का परिशिष्ठ कहा जा सकता है। इनको मिसल में रखने से मिसल के अत्यधिक बोझिल होने की सम्भावना रहती है। इसमें लगी आवतियॉ व निर्गमों की प्रतियों के

लिये क्रम संख्या दॉयी ओर कोने में लिखी जानी चाहिये। पत्र के संलग्नक चूंकि उसी पत्र के भाग माने जाते हैं अतः उन्हें संख्या 1/1, 1/2, 1/3 आदि दी जाती है।

(1) पत्र–व्यवहार के प्रकार एवं कार्य विधि :

पत्रादि का मसौदा तैयार करना :

1 पत्र टिप्पणी पृष्ठ पर दिये गये निर्णय /आदेश अनुसार बनाया जायेगा। मिसल की संख्या ही पत्र की संख्या होगी पत्र संख्या के अंत में क्रमांक जिसके द्वारा पत्र जारी किया जा रहा है, अंकित होगा। जैसे 601–ई/पदोन्नति/आर्टिजन/ग्रेंड तृतीय/भाग प्रथम/18 (18 क्रमांक इसलिए डाला गया हैं क्योंकि क्रम संख्या 18 से पत्र जारी किया जा रहा है।)

2 एक विषय पर एक पत्र का मूल सिद्धान्त है परन्तु अगर एक पत्र में दो से अधिक विषय है तो मूल विषय वाली पत्रावली में पत्र लगेगा व अन्य सम्बन्धितों को प्रतिलिपि देकर टिप्पणी ली जायेगी तत्पश्चात मूल पत्रावली से उत्तर जारी होगा।

3 रेलवे बोर्ड को भेजे जाने वाले पत्र सचिव, रेलवे बोर्ड के नाम से भेजा जायेगा। निर्देशक का उल्लेख कोष्ठक में होगा।

4 सामान्य पत्र एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय से सामान्य पत्राचार के लिये लिखा जाता है।

5 अर्द्ध शासकीय पत्र बिना औपचारिकता के एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत तौर पर विशेष विषय पर ध्यानाकर्षण हेतु लिखा जाता है।

6 अन्तरविभागीय टिप्पणी सामान्यतः सलाह, विचार जानने, सत्यापन इत्यादि हेतु एक विभाग से दूसरे विभाग के मध्य होती हैं। इसके द्वारा नियमों का स्पष्टीकरण भी लियाजाता है। इसी प्रकार प्रशासनिक निर्देश कार्यालय आदेश द्वारा जारी किये जाते हैं व प्रशासनिक स्वीकृति सामान्य आदेश द्वारा दी जाती है।

7 पत्र स्पष्ट भाषा के साथ संक्षिप्त में स्पष्ट संदेश के साथ बनना चाहिये। किसी प्रकार की भ्रांति उत्पन्न न हो इसका ध्यान रखा जाना चाहिये। लम्बे पत्र होने पर अंत में संक्षिप्त सार दिया जाना चाहिये एवं साथ में पिछला कोई पत्र या संदर्भ हो तो अवश्य बताया जाना चाहिये।

8 पत्र /टिप्पणी पृष्ठ प्रारूप के साथ क्या–क्या अनुलग्नक लगेगें, स्पष्ट होने चाहिये। जिनका हवाला पत्र के अंत में दिया जाना चाहिये।

9 पत्र के दोनों तरफ हाशिया (मार्जिन) छोड़ा जाना चाहिये।

10 मसौदे के साथ अनुमोदनार्थ मसौदा की पर्ची लगा देनी चाहिये।

11 शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय पत्र मिसल के पत्र व्यवहार भाग में शामिल किये जायेगें।

12 अर्द्ध शासकीय पत्र जिनका वापस जवाब भेजना हो, उनके उत्तर पत्र व्यवहार भाग में रखे जायेगें।

13 नेमि टिप्पणियों का कागज – गौण महत्व की बातों से सम्बन्धित प्रासंगिक विचार–विमर्श या टिप्पणियॉ नेमी पत्र व्यवहार कहलाती है। इन्हें मिसल के नीचे अलग आवरण में रखा जाना चाहिये व कार्य हो जाने पर नष्ट कर देना चाहिये।

14 लिखे गये नोट अथवा उसके किसी अंश को छुपाने के लिये उस पर कागज चिपकाना वॉछनीय नहीं है। ऐसी स्थिति में पूर्व टिप्पणी को यथावत रखते हुए उसे क्रास कर दे व आगे टिप्पणी की जानी चाहिये।

15 प्रत्येक लिपिक को अपनी डीलिंग सीट सम्बन्धी एक मास्टर फाईल रखनी चाहिये जिसमें हर जारी पत्र की एक प्रति तिथिवार लगी हो।

16 जहॉ तक हो सके आपसी विचार–विमर्श से अन्तरविभागीय मसले हल किये जाने चाहिये तथा फाईलों पर अवांछनीय टिप्पणियों से बचना चाहिये।

17 किसी पूर्व पत्र या टिप्पणी का हवाला देना हो तो हाशियें में अक्षर द्वारा इंगित किया जाना चाहिये न कि सम्बन्धित भाग में हर लाईन के नीचे अण्डर लाईन की जाये।

18 टिप्पणियॉ संक्षिप्त व सारगर्भित होनी चाहिये।

19 यदि त्रुटिवश किसी मामले में गलत विवरण दे दिया गया हो तो उसे सम्बन्धित अधिकारी की जानकारी में शीध्र लाया जाना चाहिये।

20 सामान्यतः टिप्पणी व आदेश, टिप्पणी पृष्ठ पर ही लिखे जाये।

21 मामला प्रस्तुत करने वाले सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा अपनी टिप्पणी के नीचे बायी ओर अपने हस्ताक्षर करने चाहिये तथा किये गये हस्ताक्षर के निचे तिथि अंकित होनी चाहिये।

22 किसी मामले में निर्णय से सम्बन्धित को सूचित करने के पश्चात किन्हीं कारणों से अगर उसे वापस लिया जाना हैं तो ऐसा पूर्व में मसला अनुमोदित करने वाले अधिकारी से उच्च अधिकारी से आदेश प्राप्त कर ही किया जा सकता हैं तथा ऐसा करने हेतु कारण सहित पूर्ण तथ्य सम्बन्धित अधिकारी को सम्बन्धित मिसल पर प्रस्तुत किये जाने चाहिये।

23 टिप्पणी पृष्ठ में पत्राचार भाग के किन्हीं पत्रों का सन्दर्भ दिया गया हो तो उन पत्रों पर फ्लेग लगा दिये जाये तथा मामला अन्तिम होने के बाद फ्लेग हटा लिये जाने चाहिये।

सामान्य प्रयोग में आने वाली महत्वपूर्ण व्याख्यायें

मिसल : एक विषय वस्तु से सम्बन्धित कागजात का एक ऐसा संग्रह है जिसे एक संख्या दी गयी हो व जिसके निम्न भाग हो –बाहर का भाग टोप शीट एवं अन्दर का भाग 1.पत्र व्यवहार, 2. टिप्पण, 3.पत्र व्यवहार परिशिष्ठ, 4.टिप्पण परिशिष्ठ।

विचारणीय पृष्ठ : ऐसी आवती जिस पर की वस्तुतः विचार किया जाता हैं।

नई आवती : ऐसी आवती जो विचाराधीन कागज के निपटाने में सहायतार्थ हो।

नेमि टिप्पणी :ऐसी टिप्पणी जो मिसल के बाहर अभिलेखबद्ध की जाती है। यह उच्च अधिकारियों क लिये किसी मामलें पर विचार विनिमय के काम को सुविधाजनक बनाने हेतु की जाती है।

तथ्यों के कार्मिक सार : किसी मामले में तथ्यों के ऐसे सार जिनमें समय–समय पर महत्वपूर्ण घटित बातों का उल्लेख हो व जिसे नई घटना के साथ अद्यतन (अप डेट) किया जाता हो।

अनुभाग : किसी विभाग के भीतर ऐसे मूल कार्य एकक है जो सौंपे गये कार्य को ध्यान देने के लिये उत्तरदायी हैं।

पुनःप्राप्पय मामले : ऐसे मामले जिनमें आगे कार्यवाही अपेक्षित हो।

सम्बन्धित कर्मचारी : लिपिक /वरिष्ठ लिपिक, प्रधान लिपिक, अधीक्षक /पर्यवेक्षक या ऐसा कर्मचारी जिसे मामले की प्रारम्भिक जाँच व टिप्पणी लिखने हेतु कार्य सौंपा गया हो।

मामले : का आशय किसी चालू मिसल अथवा सम्बन्धित कागज, यदि कोई हो, जो आवती से है।

चालू मिसल : ऐसी मिसल जिस पर की जाने वाली कार्यवाही पूरी नहीं हुई हो।

अन्तिम निपटान : किसी मामले में कार्यवाही पूरी हो गयी हो, अन्तिम आदेश जारी हो गये हो व सम्बन्धित को मूल पत्र प्राप्त हो गया हो व अन्तिम उत्तर दे दिया गया हो ऐसे मामलों को अन्तिम निपटान की श्रेणी में लिया जाता है।

सूचक पर्ची : ऐसी पर्ची जिस पर सूचक शब्द के अधीन मिसल का शीर्षक व संख्या दर्शायी गयी हो। सूचक बनाने का आशय वर्ग क्रम से व्यवस्थित सूचक शब्दों के अधीन शीर्षक प्रदान करना है।

मानक प्रक्रिया शीट : मानक नोट /टिप्पणी जिसका प्रयोग बार–बार होता हो इसके लिये एक मानक नोट /टिप्पणी विकसित की जाये जिससे कार्य सुविधाजनक व शीध्र हो सकें।

डाकेट करना : टिप्पणी भाग में किसी मद पर टिप्पणी करने से पूर्व सन्दर्भित क्रमांक व साराशं लिखा जाना है उसे डोकेट करना करते हैं।

पृष्ठों पर संख्या डालना : हर टिप्पणी पृष्ठ के मध्यम में संख्या लिखी जानी चाहिये व खाली पृष्ठ को एक कोने से दूसरे कोने तक काट देना चाहिये। हर पत्र व्यवहार भाग में लगे पत्र /पृष्ठ पर संख्या दाहिनी ओर कोने पर दी जानी चाहिये। किसी भी मिसल में 75 से 100 के बीच टिप्पणी पृष्ठ व 150 से 250 के बीच पत्र व्यवहार भाग में पृष्ठ हो जाने पर मिसल बन्द कर नया भाग खोलना चाहिये।

कागजों में छेद करना : पत्र व्यवहार या टिप्पणी के साथ नत्थी करने से पहले प्रत्येक कागज के बॉयी और 3/4 इंच की जगह छोड़ कर छेद किया जायेगा।

स्याही का रंग : कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान तक के अधिकारी रेलवे बोर्ड कार्यालय व दूसरे कार्यालय से सभी प्रकार के सम्प्रेषण अर्थात् टिप्पणी, पत्र (लेखन इत्यादि) हेतु केवल नीली एवं काली स्याही का ही प्रयोग करेगें जबकि वरिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान व उससे उच्च स्तर के अधिकारी कभी कभार हरी एवं लाल स्याही का प्रयोग कर सकते हैं।

(रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या 2006/ओ एण्ड एस/212, दिनांक 07.09.1996)

Annexure-II

Constituents of letter – (Specimen Forms of Communication)

Address From :

Letter No. with date

Addres To …….

Subject :

……

Reference : From - If any

To - If any

* * *

Text : 1. Introduction

2. Body

3. Requirement

Signature with

Seal

(Name /Desig. /Office)

Enclosure :

Copy :

पत्र प्रारूप

प्रेषक का पता :

पत्र संख्या मय दिनांक

पत्र प्राप्तकर्त्ता का पदनाम /पता .....

विषय : .....

सन्दर्भ : यदि कोई हो तो

* * *

पत्र का मसौदा1. परिचय

2. विवरण

3. आवश्यकता

हस्ताक्षर मय मोहर

नाम /पद /कार्यालय

अनुलग्नक : यदि कोई हो

प्रति :

Demi Official Letter (Specimen) Annexure-III

XYZ

(with design) Address of

Office From :

D.O.No. : ……. Date :

……

My Dear /Dear Sir ……...

Subject : …….

Reference : …….

***

Text……

……

……

With best wishes /Kind regards,

Yours Sincerely,

Sd/-

(Name)

Enclosure : If any

Address To : Shri …… Desig.

अर्द्ध शासकीय पत्र प्रारूप

क, ख, ग /नाम

पदनाम सहित (प्रेषक)

प्रेषक का पता :

अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या : ..... दिनांक : .....

.....

प्रिय /प्रिय श्री .....

विषय : .....

सन्दर्भ : .....

***

पत्र का मसौदा .....

.....

.....

शुभकामनाओं सहित /आदर सहित,

आपका,क, ख, ग(नाम)अनुलग्नक : यदि कोई हो,

श्री ..... पद एवं पता .....

(प्रेषित)

Annexure – IV

Inter Departmental Note (Specimen)

Address From :

Sub. : ……
Ref. : ……

***

Text……
……
……

XYZ
(Name /Desig /Office)
Date

Address To : ……

अन्तरविभागीय टिप्पणी (प्रारूप)

प्रेषक का पता :

विषय : .....
सन्दर्भ : .....

* * *

पत्र का मसौदा.....
.....
.....

क, ख, ग
(नाम /पद /कार्यालय)
दिनांक

पत्र प्राप्तकर्त्ता का पता

Annexure – VI

Office Order (Specimen)

Issuing certain typing of financial and administrative sanction and for communicating government order on disciplinary matter.

Address From :

No. with date

Order No. : ……..…… of (Year) …..……...

* * *

Text……
……...……
…….

XYZ
(Name /Desig /Office)

To, ……..……
Copy to : …….

कार्यालय आदेश (प्रारूप)
वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृतियाँ अनुशासनिक मामलें

प्रेषक का पता :

आदेश संख्या : .....
दिनांक : .....

* * *

पत्र का मसौदा .....
.....
.....

क, ख, ग

(नाम /पद /पता)
प्रपत्र संख्या मय दिनांक

प्राप्तकर्त्ता का पता : .....

प्रतिलिपि : .....

Annexure – VII

Notification (Specimen)

Notifying the promulgation of statutory rules and orders, appointment and promotion of Gaz. Officers etc. through publication in Gazette of India.

Address From :

No. : ……. Shri ABC /Desig is appointed to Officiate as …….. Vice Shri …… transfer to …….

XYZ
(Name /Desig
/Office)

Receiver Address with Desig. :

No. with date

Copy :

अधिसूचना (प्रारूप)

प्रेषक का पता :

संख्या ..... श्री ..... पदनाम को स्थानापन्न
रूप से ..... पद पर नियुक्ति कर श्री .... की एवज में जिनका स्थानान्तरण ..... हो गया है।

अ, ब, स
(नाम /पदनाम
/कार्यालय)

प्राप्तकर्त्ता का नाम पता :

प्रपत्र संख्या एवं दिनांक

प्रतिलिपि :

"मानव शक्ति योजना"

(Manpower Planning)

संगठनो का संचालन आज मानव शक्ति पर अत्यधिक निर्भर रहने लगा है जो कि संगठन को संस्थापित करती है। तकनिकी में हुए बदलाव ने उपार्जित मानव शक्ति की समस्या को और अधिक जटिल बना दिया है। रोजगार के अवसरों में अपेक्षाकत कम योग्यता के मापदण्ड को बदल कर कर्मचारियों को गहन प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है। प्रशासको को अपनी मॉग के बारे में पूर्वानुमान करना चाहिये जिससे अपेक्षित संख्या में समयानुसार योग्य कर्मचारी उपलब्ध हो सके। अतः ''मानव शक्ति योजना'' इस तरह की प्रकिया के लिए एक महत्वपूर्ण औजार है। भिन्न–भिन्न तरीकों का आलोचनात्मक पुनरावलोकन करने के पश्चात भारतीय रेलवे में ''मानव शक्ति योजना'' को कार्यान्वित करने के लिए चुना गया।

परिभाषा

किसी संगठन के लिए मानव शक्ति योजना उसके मानव संसाधनों के संग्रहण , उपयोगिता, सुधार और अवधारणा के लिए एक योजना है।

मानव शक्ति योजना का मुख्य ध्येय –

- सही योग्यता वाले कर्मचारी को सही समय पर व सही स्थान पर लगाना।
- मानव शक्ति जितनी आवश्यकता है उतनी मात्रा को प्राप्त करना और बनाए रखना।
- वर्तमान मानव शक्ति संसाधनों का समुचित उपयोग करना।
- उन समस्याओं का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम होना जो कि मानव शक्ति से सम्बन्धित अधिशेष और कमी की वजह उत्पन्न करते हो।

सामान्य धारणा–

मानव शक्ति योजना में छः संबंधित कार्य क्षैत्र है।

1- मांग पूर्वानुमान :– सामूहिक योजना के संदर्भ में भविष्य में मानव शक्ति की आवश्यकताओं के बारे में पूर्वानुमान लगाना और मौजूदा मानव शक्ति संसाधनों की सूची बनाकर भविष्य में होने वाली कार्य योजना का पूर्वानुमान लगाना एवं वर्तमान में उपलब्ध मानव शक्ति का समुचित उपयोग करना।

2- आपूर्ति पूर्वानुमान – (मृत्यु और स्वैच्छिक सेवानिवृति के मामलों को छोड़कर) मौजूद संसाधनों और भविष्य में उपलब्धता के विश्लेषण के संदर्भ को ध्यान में रखकर मानव शक्ति की आपूर्ति के बारे में पूर्वानुमान लगाना।

3- मानव शक्ति की आवश्यकताओं का पता लगाना – भविष्य में होने वाले अधिशेष और कमी को ध्यान में रखते हुए मांग और आपूर्ति के बारे में पूर्वानुमान का विश्लेषण करना।

4- उत्पादकता और लागत का विश्लेषण – उत्पादन लागत और कमी में सुधार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मानव शक्ति की उत्पादकता योग्यता और उपयोगिता में सुधार किया जा सके।

5- कार्य योजना– मानव शक्ति में अधिशेष और कमी को ध्यान में रखते हुए कार्य योजना तैयार करना जिनसे मानव शक्ति की लागत में कमी की जा सके तथा उसकी उपयोगिता और उत्पादकता में सुधार किया जाना।

6- मानव शक्ति बजटिंग और नियंत्रण – मानव शक्ति योजना और उसके मानकों का निर्धारण करना तथा यह देखना की मानव शक्ति योजना के लिए उन्हें लागू किया जाना है, जिससे की बजट का पूर्वानुमान लगाया जा सके व उस पद नियंत्रण रखा जा सके।

मानव शक्ति योजना– रेलवे पर दृश्य लेख

किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान में सबसे महत्वपूर्ण सम्मिलित उद्देश्य वित्तीय व्यवस्था का सुचारू रूप से रखरखाव होता है। भारतीय रेलों में मानव शक्ति पर व्यय एक मात्र ऐसी सबसे बडी खर्चीली इकाई है इस बढे हुए खर्चे की पूर्ति के लिए एक समय रेलवे ने यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया से अपने दायित्वों के भुगतान करने के लिए 19.75 प्रतिशत ब्याज की दर पर राशि उधार ली। हमारी जागरूकता के लिए यही काफी होना चाहिए और ठोस कदम उठाने पर विचार –विमर्श करना चाहिए। भारतीय रेलों में अतिरिक्त कर्मचारी की संख्या अत्यधिक है और जिसने रेलवे की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ के रख दिया है। इस बात की कोई जानकारी नही थी कि कितने लोग संगठन व पे–रोल में सरप्लस है। यह बाह्य व्यक्ति को सदमा पहुॅचाने जैसी बात होगी लेकिन रेलवे मे हम इन परिस्थितियों को स्वीकार कर चुके है कि विशेष चेतावनियों के बावजूद भी इसका कोई हल नही कर पाये है इस हेतु आगे समुचित प्रयास की आवश्यकता है ताकि मानव शक्ति का बेहतर उपयोग हो सके।

रेलवे में विलक्षणता – रेलवे में सामन्तवादी संस्कृति का अनुसरण किया जा रहा है जहॉ कही अपरिवर्तनीय दक्ष/कुशल दस्तकार है उसकी अकुशल हेल्पर ही सहायता करते है और कार्यालयों को चपरासी और संदेशवाहक उदार रूप में उपलब्ध कराए गए है। जटिल नियमों और प्रावधानों के अस्तित्व से लिपिक कर्मचारी की संख्या व उपस्थिति बहुत अधिक है। यॉत्रिकी का स्तर तुलनात्मक दृष्टि से निम्न है और मजदूर इन्टेन्सिव प्रणाली अभी तक चल रही है। अन्ततः वृहद्ध संदर्भ में अतिरिक्त कर्मचारी की पहचान सामाजिक ढाचे के विरूद्ध है एवं बेरोजगारी अनियंत्रित है। यह समझाा जा सकता है कि भारतीय रेल पर औपचारिक मानव शक्ति योजना को क्यो नही अपनाया गया था। अतः अब इसे अपनाने की आवश्ययकता है और इस दिशा में हर सम्भव कोशिश के लिए कदम उठाये जा रहे है।

प्रशासनिक ढांचा – इस प्रक्रिया के लिए प्रत्येक जोनल रेलवे में अपर महाप्रबन्धक व प्रत्येक मंडल पर अपर मंडल रेल प्रबन्धक की अध्यक्षता में प्रशासनिक कमेटी का गठन किया गया। अपर महाप्रबन्धक को सहायता करने के लिये सभी मुख्य विभागाध्यक्ष व मंडल स्तर पर अपर मंडल रेल प्रबन्धक महोदय को सहायता हेतु प्रत्येक विभाग के शाखा अधिकारी को नामित किया गया। इस कमेटी के अधिकारियों से निम्नलिखित कार्यो की अपेक्षा की जाती है –

1- फालतू/अतिरिक्त कर्मचारी को प्रशिक्षण और उनका पुनर्नियोजन तथा अनावश्यक क्रियाकलापों की पहचान करके बंद करने के लिए समय सारणी बनाना व समय सारणी अनुसार कार्य करना।
2- फालतू/अतिरिक्त कर्मचारी को अनुकूलतम पद पर पुनर्नियोजन करना तथा गुणवता व संख्या को सुनिश्चित करने के लिए नियत समय पर प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ स्थापना प्रशिक्षण हेतु सम्पर्क करना।
3- अपने विभाग के कर्मचारी के हितकर नियोजन हेतु अन्य विभागों में मानव शक्ति योजना के अधिकारियों को सहयोग करना तथा अपने विभाग के कर्मचारी के पुनर्नियोजन में अन्य की सहायता करना।
4- मानव शक्ति के कार्य का उपयोग करना जिससे कि मानव शक्ति प्रभावी रूप से नियंत्रित की जा सके।
5- नई मशीनरी/प्लांट/टेक्नोलोजी एंव कार्य पद्धति के आगमन से कर्मचारी को उचित प्रशिक्षण का प्रावधान करना तथा प्रशिक्षण केन्द्र से सम्पर्क कर प्रशिक्षण दिलाना।

6- एक इकाई में नये प्रयोग से उत्पादकता में आने वाले सुधार को दूसरी ऐसी ही समान इकाईयों में जहॉ इसकी आवश्यकता है, लागू करना तथा कार्यकुशलता के माध्यम से शून्य आधारित बजट द्वारा परिवर्तन करना।

7- जीरो बेस बजटिंग से अपने विभाग के कर्मचारियों की वार्षिक पुनरीक्षण किया जाना।

8- मानव शक्ति की संख्या और विस्तारित योजनाओं का आवधिक पुनरीक्षण कराना।

9- इसके साथ ही प्रतिमाह मानव शक्ति योजना की बैठक का आयोजन।

कार्यान्वयन हेतु उठाए जाने वाले कदम – मानव शक्ति योजना की कार्यान्वयन हेतु निम्न कदम उठाये जाने चाहिए :– मानव शक्ति सूचना पद्धति की स्थापना करके किसी भी योजना को चलाने के लिए एक विश्वसनीय डाटाबेस बनाना जरूरी है। कम्प्युटर प्रणाली पर प्रत्येक कर्मचारी से संबंधी सभी सूचनाऐं उपलब्ध कराने के प्रयास होने चाहिऐ तथा कर्मचारी से संबंधित वांछित सभी सूचनाऐं एवम् विशेषताओं के विवरणों की सूची तैयार हो ताकि आवश्यकतानुसार उसका उपयोग किया जा सके।

रेलवे ने इस कार्य को बहुत गंभीरता से लिया गया है व पी.एम.आई.एस. के तहत प्रत्येक कर्मचारी के आंकड़ों का संग्रहण किया जा रहा है।

अतिरिक्त कर्मचारी का प्रशिक्षण व पुनर्नियोजन – अधिसंख्य कर्मचारियों के संबंध में यूनियनों के साथ कर्मचारियों के पुनर्नियोजन पर वार्ता, वरिष्ठता सम्बन्धी पहलुओं, प्रशिक्षण एवं विशेष अधिसंख्य पद के सृजन इत्यादि पर विचार विमर्श कर अतिरिक्त कर्मचारियों का पुनः नियोजन शीघ्र किया जाना चाहिए। जहॉ तक सिस्टम से सम्बन्ध है इसे किसी सुधार की आवश्यकता नही है। कार्यपालन की ओर से अग्रिम योजना पर प्रतिबद्धता की कमी ही इसकी कमी है। यूनियन से परामर्श से और अतिरिक्त कर्मचारियों की पुनः तैनाती के लिए व्यवहारिक तथा स्वीकार्य रणनीति बनाई जाए लेकिन अकसर यह गतिविधि मंद हो जाती है और कर्मचारी अधिसंख्य पद पर ही रह जाते है। तब कार्यपालक को अचानक संकट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कर्मचारियों को कोई प्रशिक्षण नही दिया गया व ऐसे बहुत कम क्षैत्र है जहॉ इनका समयोजन किया जा सकता है और अक्सर फालतू लोगों को काम देने के लिए उसी जगह पर अनुशांगिक गतिविधियों शुरू करनी पड़ती है। उदाहरण के लिए स्टीम लोको शेड को बंद कर दिया गया लेकिन कर्मचारी अब भी तैनात है और वे बिना कार्य के वेतन प्राप्त कर रहे है। इसके विपरीत अगर अग्रिम योजना बनाकर स्टीमशेड बंद किया जाता व अन्य उपलब्ध संसाधनों/कार्यो में वृद्धि की जाती व न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं का सृजन करके तथा यूनियनों को विश्वास में लेकर अधिसंख्य कर्मचारियों को पुनर्नियोजित किया जाता तो अधिसंख्य कर्मचारियों को दिये जाने वाला अतिरिक्त भुगतान रोका जा सकता था। एक नई गतिविधि जो कि वर्कशाप व अन्य डिपो आदि में शुरू की गई पुराने लादने योग्य बॉक्स माल डिब्बों की मरम्मत करके उसमें कुल व्यय में बचत करना और कर्मचारियों की उत्पादकता को भी बढ़ाना भी मुख्य कार्य है।

रेलवे भर्ती बोर्ड से भर्ती – रेलवे भर्ती बोर्ड के पास पड़े सभी लम्बित मॉग पत्रों की महाप्रबन्धक द्वारा व्यक्तिगत तौर पर समीक्षा की गई और यह निर्देश भी दिया गया था कि स्टीम ट्रेक्शन और अनावश्यक गतिविधियों से अधिसंख्य कर्मचारियों की पुनः तैनाती पर जोर दिया जाये। नई भर्ती केवल अपवाद के रूप में होगी, कर्मचारियों की तैनाती एक विभाग से दूसरे विभाग/मंडल से बाहर/मंडलोत्तर सीमाओं से बाहर की जाए। समीक्षा की गई और जो मांग पत्र अपरिहार्य थे, उनके अलावा शेष मांग पत्रों को रद्द कर दिया। फलस्वरूप अनावश्यक कोटियों के पद नही भरे जा सके। इस प्रकार अनावश्यक पदों की भर्ती पर पाबंदी लगा दी गई ताकि व्यय भार में कमी की जा सके एवं इन अनावश्यक पदों का अभ्यार्पण करने की योजना बनाई गई। भर्ती पर रोक

लगाना, कर्मचारियों की संख्या कम करना पर्याप्त नहीं है। ऐसे कुछ क्षैत्र है जहॉ कर्मचारी की संख्या में कटौती आवश्यक है। लेकिन कोई तदर्थ कटौती नही की जाए। इसमें विभिन्न विभागों में मानव शक्ति में गंभीर विकृति नहीं है। जहॉ अधिसंख्य कर्मचारी मौजूद है वहॉ अपने कार्य का बचाव नहीं करना चाहिये और प्रबन्धकों को इस कमी का सामना करना चाहिये।

बहुआयामी कुशलता :– मल्टी स्किल्ड (कुशल) कार्मिकों को बढ़ाने के निर्देश दिये जायें। स्टाफ को बढ़ा दिया गया कुछ विभागों में ऐसा किया गया कि उन्हें कई प्रकार की परेशानियों जैसे पदोन्नति आपसी वरिष्ठता आदि का सामना करना पड़ा। बोर्ड से इस सम्बन्ध में नीति निर्देश जारी करने के लिए निवेदन किया जाए। लेकिन अभी भी कोई निश्चित गति प्राप्त नहीं हो सकी है। सिगनल एंव दूरसंचार विभाग एम.एस.एम. एवं ई.एस.एम. को प्रशिक्षण देकर कुछ शुरूआत कर दी है। वाणिज्य विभाग के पार्सल एंव माल लिपिकों की कोटियों को विलय कर वाणिज्य लिपिक बना दिया गया। बिजली विभाग में फिटर एक मात्र श्रेणी, वातानुकूलन, सामान्य सेवा, ट्रेन लाइटिंग इत्यादि के लिए प्रस्तावित है। इसी प्रकार इंजी.विभाग में आर्टिजन कर्मचारियों का एक ही पद रखते हुए विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण देकर उनसे काम लिया जा सकता है यह योजना बहुत पहले चालू कर दी गई थी, जिसके अन्तर्गत सर्वप्रथम टाईपिस्टों की भर्ती को बंद कर दिया गया व नये आने वाले लिपिकों के लिए टाईप टेस्ट पास होना अनिवार्य कर दिया गया।

ऑफ लाइन क्रियाकलापों की संविदा – इस दिशा में संविदा के आधार पर मामूली शुरूआत की गई। अभी इसमें कुछ गति आई है। विभागीय व्यवस्था को समाप्त कर कार्यो को ठेके पर दिया गया जिसमें रेलवे कॉलोनी की सफाई कार्य ठेके पर दे दिया गया, परन्तु कर्मचारी संगठनों ने इसका बड़ा विरोध किया । अतः इसको बंद करना पड़ा। इस प्रकार के कार्यो में यूनियनों को विश्वास में लिया जाना चाहिए था। कुछ क्रियाकलाप जैसे बागवानी, सफाई आदि का कार्य ठेके पर सफलतापूर्वक चल रहे है और माली की नियुक्ति लिंकिंग श्रेणी में की जाए। यह आशा की जाती है कि इस दिशा में और अधिक प्रगति होगी। हाल ही में कई कारखानों में मैनपावर (मानव शक्ति) का पुनरीक्षण किया गया। अनुषांगिक (सहायता) क्रियाकलापों पर तैनात स्टाफ जैसे सुरक्षा,बिजली/बिल्डिंग रखरखाव, चिकित्सा,कार्मिक इत्यादि को निर्धारित किया गया और कुछ चौकाने वाले परिणाम सामने आये। पाया गया कि पूर्णकालिक कर्मकारों व अनुषांगिक कर्मकारों के बीच कोई सहयोग नही था। ऐसी पुनरीक्षण सेवाऐं ऑखें खोलने वाली एक विवेकी कर्मचारियों को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करती है।

निष्कर्ष

पिछले विचार–विमर्श से यह स्पष्ट है कि भारतीय रेलों में मानव शक्ति पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। संगठन में वाणिज्य व्यवहारिकता का आरक्षण नही किया जा सकता है। प्रभावी मानव शक्ति नियंत्रण के लिए निम्नलिखित संस्थागत परिवर्तन किए जा सकते है :–

1- मानव शक्ति की सूची के संबंध में विश्वसनीय डाटाबेस स्थापित कराना।

2- सेवा कोटियों में कमी करने के लिए नीति निर्धारण तथा बहु कौशल की शुरूआत करना।

3- रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा की जाने वाली भर्ती पर नियंत्रण।

4- व्यक्तियों के लिए नवीन योजना हेतु प्रणाली की स्थापना।

5- मानव शक्ति बजट प्रणाली विकसित करना लेकिन केवल उपस्थिति से ही नही बल्कि प्रति कर्मचारी के कार्य निष्पादन को भी देखा जा सके।

6- कार्य विधि, नियमों और विनियमों की समीक्षा कर और सुचारू बनाने के लिए सिस्टम विकसित करना।

7- कर्मचारियों की विभिन्न कोटियों के लिए प्रशिक्षण उद्देश्यों, प्रशिक्षण आवश्ययकताओं की पहचान और प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने का निर्धारण करना।

वास्तव में उपर्युक्त विषय विशाल है और अनेक क्षैत्र जैसे कार्यपालक संवर्ग में मानव शक्ति नियोजन पर प्रकाश नही डाला गया है। मानव शक्ति नियोजन का प्रयोग अनवरत पूर्ण होना चाहिये। निम्न,मध्य और उच्च स्तरीय मानव शक्ति के प्रति पूरी प्रतिबद्धता होनी चाहिये। विभागीय पक्षपात को रोका जाए और न्यायाचार को बढ़ावा दिया जायें ताकि न्यायालयों में जाने वाले मामलों को रोका जा सके। इससे संगठन को सामूहिक लक्ष्योंको प्राप्त करने में लम्बा रास्ता तय नही करना पड़ेगा और उपलब्ध मानव शक्ति का समुचित उपयोग कार्य उत्पादन के अनुरूप कार्य लिया जा सकेगा। इस हेतु शाखा अधिकारियों दोनो मान्यता प्राप्त संगठनों को साथ लेकर मानव शक्ति योजना को लागू करने हेतु कार्यवाही करना।

(अ) प्रथम योजना के रूप में स्वीकृत पद व कार्यरत पदों को कम करना।

(i) स्वीकृत पदों को 3% की वार्षिक दर से कम करना।

(ii) कार्यरत कर्मचारियों की संख्या में 2% की वार्षिक दर से कम करना।

उपरोक्त योजना 5 साल के लिए लागू की गई थी व इन 5 साल में 15% केडर में कमी करनी थी व कार्यरत कर्मचारियों में 10% की कमी करनी थी ताकि बढ़ते हुए व्ययभार को कम किया जा सके व रेलों का सुचारू विकास हो सके। लेकिन स्वीकृत पदों में केवल 02%ही कम हो सके, जबकि कार्यरत कर्मचारियों में योजना अनुसार कमी हो गई।

(ब) रेलों को सही आकार देना –

भर्ती को नियंत्रित करते हुए कुछ विभागों 1% व कुछ विभागों को 0.5% निर्धारित कर दी गई जो कि विभागावार की जायेगी यानि की प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को कार्यरत कर्मचारियों का 1% व 0.5% की गणना कर अगले भर्ती वर्ष जो कि 1 अप्रैल से अगले साल 31 मार्च तक होने वाले इंटेक को निर्धारित किया गया।

1% Intake वाले विभाग – Civil Engg., Mech,. Elect., S&T., Optg., Comm., &
0.5% Intake वाले विभाग –Genl. Admn.,Pers.,Medical.,Account, Store, RPF,

इसके अतिरिक्त नई परिसम्पतियों/रेलों हेतु अधिकतम 75 की छूट दी गई इस हेतु इंटेक में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति को छोड़कर सभी तरह की भर्ती/री–डिप्लोयमेंट ऑफ सरप्लस स्टाफ/अन्तर रेलवे मंडल स्थानान्तरण इसमें शामिल होगा। Para-5

1. रेल सेवानिवृति व स्वैच्छिक सेवा के फलस्वरूप होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए 1/3rd ही रखा गया है। अन्य किसी भी प्रकार की रिक्तियॉ उपरोक्त अनुसार ही भरी जानी है।

(RBE 16/03)

2. संरक्षा कोटि को त्पहीज ैप्रपदह व ित्सल योजना से अलग रखा गया है। (RBE 160/03)

उच्च वेतनमान व संरक्षा कोटि के पद जहॉ तक हो सके अभ्यार्पण नही किये जाये। संरक्षा कोटि के पद रिव्यू के तहत अभ्यार्पण किये जा सकते है। (RBE 32/07) इसके पश्चात भर्ती का विभागावार निर्धारित प्रतिशत 1 प्रतिशत या 0.5 प्रतिशत को दो समुहो में कर दिया गया 1 प्रतिशत का एक समुह व 0ण्5 प्रतिशत का दूसरा समुह । इसके अन्तर्गत सभी विभागों में 31 मार्च को कार्यरत कर्मचारियों का 1 प्रतिशत या 0.5 प्रतिशत निकाल कर उसे आवश्यकतानुसार बंटवारा

करने का अधिकार मंडल रेल प्रबन्धक/महाप्रबन्धक महोदय को दिया गया लेकिन इंटेक निर्धारित प्रतिशत से अधिक किसी परिस्थिति में नही होना चाहिये।

(RBE 98/2000,140/01, 16/03, 184/04 & PS No 12091)

(स) अन्य वार्षिक योजनाऐ :– उपरोक्त योजनायें पूर्णरूप से लागू नही किये जाने के कारण निम्न योजनायें और दी गयी जिससे कि अनउपयुक्त पदों को समाप्त किया जा सके।

वर्ष 2009-10	पिछले दो वर्षो से रिक्त पड़े पदों को तत्काल प्रभाव से अभ्यर्पित करना।
वर्ष 2008-09	10% रिक्तियों को अभ्यार्पण करना।
वर्ष 2007-08	20% रिक्तियों को अभ्यार्पण करना।
लेकिन जहॉ तक हो सके उच्च वेतनमानों के पद व संरक्षा सवर्ग में कोई अभ्यार्पण नही किया जाना चाहिए। (RBE No 32/07)	

(द) बेंच मार्किंग :– रेलवे ने अपनी मानव शक्ति योजना को लागू करने में निर्धारित सफलता नही मिलने पर RITES को रेलवे की मानव शक्ति योजना बनाने को कहा RITES ने अभी तक तीन रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को दी है इनमें मंत्रालय कर्मचारियों से संबंधित रिपोर्ट जिसमें मुख्य रूप से लेखा व कार्मिक शाखा है जिसका विवरण निम्नानुसार है।

	Banchmarking	All India Average
ACCOUNT		
More then 18000	6.06 BPL/CR Per thousand	7.55 Per thousand
Less then 18000	7.06 LMG/NFR Per thousand	10.19 Per thousand
PERSONNEL		
More then 18000	8.80 DHN/ER Per thousand	13.07 Per thousand
Less then 18000	10.12 SBC/SR Per thousand	15.63 Per thousand

RITES द्वारा प्रथम रिपोर्ट में कार्मिक,लेखा,बिजली,इंजीनियरिंग विभाग है जबकि द्वितीय रिपोर्ट में मंडल कार्यालय स्टोर व मेडिकल विभाग जबकि तृतीय रिपोर्ट केवल रनिंग कर्मचारियों के संबंध मे है।

रेल मंत्रालय के पत्र संख्या 2001/विधुत (G)/138/3 Dt 16/3/06 & 24/3/2006

(क) पद का लागत मूल्य : हर पद का लागत मूल्य होता है जिसकी गणना निम्नानुसार की जाती है :– (पे बैण्ड का अधिकतम+पे बैण्ड का न्यूनतम) 2 ग्रेड पे इस प्रकार जो योग आयेगा उस योग पर देय मंहगाई भत्ता जोड़ा जायेगा यह मासिक मूल्य होगा इसे वार्षिक करने हेतु बारह से गुणा किया जायेगा इस प्रकार जो राशि आएगी वह उस पद का लागत मूल्य होगा। (RBE 61/09)

(ख) वैकेंसी बैंक :– उपरोक्तानुसार पदों के अर्भ्यापण करने पर पद के लागत मूल्य से जो रकम आएगी उसे निम्नानुसार वैकेंसी बैंक में बांटा जाएगा।

मण्डल वैकेंसी बैंक	मुख्यालय वैकेंसी बैंक	रेलवे बोर्ड वैकेंसी बैंक
50	25	25

कार्यशाला व द्वारा पदों का सरेण्डर करने पर निम्न प्रकार से रिक्ति बैंक में रकम बाँटी जायेगी।

मुख्यालय वैकेन्सी बैंक	रेलवे बोर्ड वैकेन्सी बैंक
75	25

जो पद रिक्त होगा उसी का पैसा वैकेंसी बैंक में आयेगा। अगर पद रिक्त नहीं होगा तो अभ्यार्पण होने वाले पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए अधिसंख्य पद का सृजन किया जायेगा और जब भी अधिसंख्य पद रिक्त होगा तो उसका पैसा वैकेंसी बैंक में जायेगा। वैकेंसी बैंक के पैसे का उपयोग केवल पदों का सृजन के लिये ही किया जायेगा अन्य मद में इस पैसा का उपयोग में नही लिया जायेगा। रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या E(G)98/EC-2-8/98 Dt. 3/8/1998 (RBE 172/98)

(ग) पदों का सृजन :– सर्वप्रथम शाखा अधकारी जिन्हें नये पदों की आवश्यकता है औचित्य बनायेगें, इस औचित्य में पदों के सृजन की आवश्यकता का पूर्ण विवरण होगा। इस औचित्य पर सर्वप्रथम प्रशासनिक स्वीकृति कार्यालय प्रधान या विभागाध्यक्ष से ली जायेगी।

प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात निर्धारित प्रपत्र के साथ यह औचित्य लगाया जायेगा। निर्धारित प्रपत्र में पदों का विवरण, वेतनमान, पदों की संख्या व किस कारण से चाहिये आदि विवरण होगा। तत्पश्चात पूर्ण मामला लेखा विभाग को सत्यापनहेतु भेजा जायेगा। सत्यापित होने केपश्चात मामला वैकेंसी बैंक में आवश्यक रकम आवंटन हेतु आयेगी। वहॉ से निर्धारित रकम का आवंटन होगा अगर सृजन नयी परिसम्पतियों हेतु किया जा रहा है तो रकम का आवंटन 1 : 1 किया जायेगा। यानि एक पद के सृजन हेतु एक पद की राशि ही वैकेंसी बैंक मे से आवंटित की जायेगी। अगर पुराने कार्य में वृद्धि होने के कारण पद सृजित किये जाते है तो वैकेंसी बैक मे से 1 : 2 यानि एक पद के लिये दो पदों का पैसा आवंटित किया जायेगा। इसके पश्चात पदों की स्वीकृति हेतु मामला सक्षमअधिकारी को भेजा जायेयगा जो कि वर्तमानमें समुह ग व घ के लिये महाप्रबन्धक है।सक्षम अधिकारी की स्वीकृति पद पदों का सृजन एक वर्ष के लिये अस्थायी आधार पर किया जायेगा व दो साल तक एक–एक वर्ष करके इन पदों की अवधि बढ़ायी जायेगी यानि कि अस्थायी पद तीन साल तक रहेगें इसके पश्चात कुल अस्थाई पदों का 80 प्रतिशत पद ही स्थायी किये जायेगें। पदों को स्थाई करने हेतु तीन अधिकारियों की कमेटी बनेगी जिसमें शाखा अधिकारी (जिन्हें पदों की आवश्यकता है) व कार्मिक अधिकारी व लेखा अधिकारी सदस्य होगें । शेष रहे 20 प्रतिशत पदों की अवधि एक साल और बढायी जायेगी व अगले वर्ष बकाया रहे 20 प्रतिशत का 80 प्रतिशत पदों को फिर स्थायीकिया जायेगा। इस प्रक्रिया के अनुसार ही सभी पदों को स्थायी किया जा सकेगा।

(घ) अधिसंख्य पद :– जब भी पदों का अभ्यर्पण किया जात है और वह अभ्यार्पित होने वाला पद भरा हुआ होता है तो उस पद पर कार्यरत कर्मचारी के वेतन भुगतान हेतु अधिसंख्य पद का सृजन किया जाता है। यह अधिसंख्य पद तब तक बना रहेगा जब तक कि इस पद पर कार्यरत कर्मचारी का समायोजन नही हो जाता कर्मचारी का समायोजन सेवानिवृति मृत्यु होने पर ही अधिसंख्य पद को अभ्यर्पित किया जायेगा व उस पद का लागत मूल्य वैकेंसी बैंकमे जायेगा। अधिसंख्य पद अधिशेष कर्मचारी के लिये ही होगा व उसी वेतनमान में सृजित किया जायेगा जिसमें की कर्मचारी कार्यरत है। (RBE 102/01)

इसी प्रकार कर्मचारी के मेडिकल विकोटिकृत होनेपर कर्मचारी के वेतन भुगतान हेतु विशेष अधिसंख्य पद सृजित किया जाता है व कर्मचारी के समायोजन पर स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसका वैकेंसी बैंक से कोई सम्बन्ध नही है।

(ड़) BOS (Book of Sanction)

(RBE 102/01) सर्वप्रथम BOS Oct 95 में बनायी गई थी व यह साल में दो बार 31/3 व 30/9 को बनायी जाती थी, लेकिन इसके पश्चात यह प्रतिवर्ष एक बार 31/3 का ही विवरण बनाया जाता है। इसमें चार प्रपत्र होते है :–

1	MPP-I	Bill Unit wise/Deptt.wise
2	MPP-II	Category wise/ Deptt.wise
3	MPP-III	Total's of Bill Units/ Deptt.wise
4	MPP-IV	Deptt.wise

इसमें स्वीकृत पद व कार्यरत कर्मचारी व विशेष अधिसंख्य पदों पर कार्यरत कर्मचारियों का विवरण होगा। स्वीकृत पद में स्थायी,अस्थाई,कार्यप्रभारी पदों का विवरण अलग–अलग दर्शाया जायेगा। इन प्रपत्रों के साथ पिछले वर्ष व वर्तमान में स्वीकृत पदों में आये अंतर का विवरण मय बताया प्राधिकार के बताया जायेगा। उपरोक्त प्रपत्रों में रेलवे, विभाग, स्टेशन, संवर्ग, स्वीकृत पद, पद कोड, वेतनमान, ग्रेड पे, कार्यरत कर्मचारी, अधिशेष कर्मचारियों की संख्या होगी। स्वीकृत पदों के विवरण में स्थाई, अस्थाई व कार्यप्रभारी पद अलग–अलग दर्शाये जायेगें। रेलवे मंत्रालय के के पत्र संख्या E(MPP)96/1/27 Dt. 14/1/97 (RBE 98/00, 102/01)

(प) अधिशेष कर्मचारियों का पुर्नभरण :– जब भी पदों का अभ्यपर्ण किया जाता है व अभ्यर्पित होने वाला पद भरा हुआ होता है तो उस पद पर कार्यरत कर्मचारी को अन्य रिक्त पदों पर तत्काल समायोजित किया जाना चाहिये। अधिशेष कर्मचारियों का एक रजिस्टर बनाया जायेगा उसमें उसका पूरा विवरण होगा। अधिशेष कर्मचारियों को समायोजित करने हेतु तीन अधिकारियों की कमेटी बनाई जायेगी व इस कमेटी की अनुशंसा अनुसार ही कर्मचारी को जहॉ तक संभव हो सके उसी कार्यरत वेतनमान में ही उपलब्ध रिक्ति में समायोजित किया जायेगा। जहॉ आवश्यक हो वहॉ उसे प्रशिक्षण भी दिया जायेगा अगर समान वेतनमान में रिक्ति उपलब्ध नही है तो अधिशेष कर्मचारी को निम्न वेतनमान की उपलब्ध रिक्ति में समायोजित करने का प्रस्ताव दिया जायेगा व स्वीकार करने पर समायोजित कर दिया जायेगा अगर कर्मचारी निम्न पद पर समायोजित होने से मना कर देता है तो कार्यरत वेतनमान में विशेष अधिसंख्य पद पर रखते हुए उसी संवर्ग में निम्नतम वेतनमान में सीधी भर्ती के कोटे के पद को फ्रिज कर लिया जायेगा।

सरप्लस स्टाफ का समायोजलन करने पर आवश्यकतानुसार स्थानान्तरण किया जाता है व इसे पुराने स्टेशन पर रेलवे आवास आवंटित है तो कर्मचारी को अधिकतम 2 वर्ष तक या नये स्टेशन पर रेलवे आवास का आवंटन होने तक जो भी पहले हो तक पुराने स्टेशन पर आवास रोकने की अनुमति सामान्य किराया दर पर दी जा सकती है। (RBE 206/2K)

कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923

(कर्मकार प्रतिकर अधिनियम(संशोधन)एक्ट 2009 (RBE 61/11) द्वारा यथा संशोधित)

1- यह अधिनियम कर्मकार प्रतिकर अधिनियम (अब कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम), 1923 कहलाता है तथा सम्पूर्ण भारत में 01 जुलाई 1924 से लागू हुआ।

2- परिभाषाऐं :–

(i) आयुक्त (Commissioner) : आयुक्त शब्द से अभिप्राय कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त से होगा जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

(ii) नियोजक (Employer) : के अन्तर्गत कोई व्यक्ति या निकाय, चाहे वह निगमित हो या नही और नियोजक का कोई प्रबन्ध अभिकर्त्ता (Manager) और मृत नियोजक का विधिक प्रतिनिधि आता है और जबकि कर्मचारी की सेवाऐ उस व्यक्ति द्वारा जिसके साथ कर्मचारी ने सेवा या शिक्षुता (Apprenticeship) की कोई संविदा (Contract) की है, अन्य व्यक्ति का अस्थायी तौर पर उधार दे दी गई है या भाड़े पर दी गई है वहॉ नियोजक से (जब तक वह कर्मचारी उसके लिए काम करता रहता है) तात्पर्य वह अन्य व्यक्ति है।

(iii) अप्राप्तवय अवयस्क (Minor) : अवयस्क से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अट्ठारह वर्ष की आयु प्राप्त नही की है।

(iv) आंशिक निःशक्तता (Partial Disablement) : जहॉ निःशक्तता अस्थायी प्रकार की है वहॉ ऐसी निःशक्तता से तात्पर्य है, जिससे कर्मचारी उस नियोजन में उपार्जन सामार्थ्य (Earning Capacity) कम हो जाती है, जिसमे वह उस दुर्घटना के समय (जिसके परिणामस्वरूप निःशक्तता हुई) लगा हुआ था और जहॉ कि निःशक्तता स्थायी प्रकार की है वहॉ ऐसी निःशक्तता से तात्पर्य है, जिससे हर ऐसे नियोजन में उसकी उपार्जन सामार्थ्य कम हो जाती है, जिसे ग्रहण करने के लिए वह उस समय समर्थ था।

(v) पूर्ण निःशक्तता (Total Disablement) : से ऐसी निःशक्तता से तात्पर्य है, चाहे वह अस्थायी प्रकारकी हो या स्थायी प्रकार की, जो किसी कर्मचारी को ऐसे सब काम के लिए असमर्थ कर देती है, जिसे वह उस दुर्घटना के समय (जिसके परिणामस्वरूप ऐसी निःशक्तता हुई थी) करने में समर्थ था।

(vi) मजदूरी (Wages) : के अन्तर्गत किसी याा भत्ते से या किसी यात्रा संबंधी रियायत के मूल्य से या कर्मचारी के नियोजन द्वारा किसी पेंशन या भविष्य निधि में दिये गये अंशदान से या कर्मचारी के नियोजन की प्रकृति के कारण उस पर हुए किन्हीं विशेष व्ययों को पूरा करने के लिए उसे दी गई किसी राशि से भिन्न ऐसा विशेषधिकार या फायदा आता है, जो धन के रूप में प्रॉकलित (Estimated) किया जा सकता है।

(vii) कर्मचारी (Employee) : से (रेलवे के संदर्भ में) कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो–

(i) भारतीय रेल अधिनियम 1989 की धारा 2 की उपधारा (34) में यथा परिभाषित ऐसा रेल सेवक है, जो किसी रेल के किसी प्रशासनिक जिला या उपखण्ड कार्यालय में स्थायी रूप से नियोजित नही है और किसी ऐसी हैसियत में नियोजित नहीं है, जो अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट है। भारतीय रेल अधिनियम 1989 की धारा 2 की उपधारा (34) रेल सेवक से रेल सेवा के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी रेल प्रशासन द्वारा नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत

है, (इसमें रेल सुरक्षा बल अधिनियम 1957 (1957 का 23) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (स) के अन्तर्गत नियुक्त रेल सुरक्षा बल के सदस्य सम्मिलित है।)

(ii) किसी संविदा के तहत यदि कार्य करते समय दुर्घटनाग्रस्त होने पर मजदूर को प्रतिकर देने की जिम्मेदारी उस नियोक्ता की होगी जिसके नियोजन में वह कार्य कर रहा था । (रेलवे में ठेकेदार द्वारा प्रतिकर दिया जाना चाहिये, परन्तु यदि वह ऐसा नही करता है तो , रेलवे द्वारा प्रतिकर राशि का भुगतान किया जायेगा व वह राशि ठेकेदार से वसूल कर ली जायेगी।)

3- प्रतिकर के लिए नियोजन का दायित्व (Employer's liability for compensation)

1- यदि कर्मचारी को अपने नियोजन से और उनके अनुक्रम में (Arising out of and in the course of his employment) दुर्घटना द्वारा वैयक्तिक क्षति कारित होती है तो उसका नियोजक इस अधिनियम के अनुसार प्रतिकर का देनदार होगा।

परन्तु निम्न अवस्थाओं में नियोजक का कोई दायित्व नही होगा–

(क) किसी ऐसी क्षति के बारे में जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी को तीन दिन से अधिक की कालावधि के लिए पूर्ण या आंशिक निःशक्तता नही रहती।

(ख) दुर्घटना द्वारा हुई किसी क्षति के बारे में, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु या स्थायी रूप से पूर्णरूपेण अशक्तता नहीं हुइ है और जो प्रत्यक्षतः इस कारण से हुई मानी जा सकती हो–

(i) उसके होने के समय कर्मकार पर मदिरा या औषधियों का असर था अथवा

(ii) कर्मकार की संरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त रूप से दिए गए किसी नियम की अवज्ञा कर्मचारी द्वारा जानबूझकर की गई थी अथवा

(iii) कोई ऐसा रक्षा संबंधी उपाय या अन्य युक्ति जिसके बारे मे वह जानता था कि वह कर्मचारी की संरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयोजन से उपबन्धित की गई है, कर्मचारी द्वारा जानबूझकर हटाई गई थी या उसकी अवहेलना की गई थी।

2- यदि अनुसूची 3 के भाग क में विनिर्दिष्ट किसी नियोजन में नियोजित कर्मचारी को कोई ऐसा रोग लग जाता है कि उस नियोजन में विशिष्टतः होने वाले उपजीविकाजन्य रोग (Occupatinal disease peculiar to that employment) के रूप में उस भाग में विनिर्दिष्ट है या जिस नियोजक की सेवा में कर्मचारी अनुसूची 3 के भाग ख में विनिर्दिष्ट किसी नियोजन में छह मास की निरन्तर कालावधि के लिए (जिस कालावधि में) किसी अन्य नियोजिक के अधीन उसी ढंग के नियोजन मे सेवा की कालावधि सम्मिलित नहीं होगी, नियोजित रहा है और उस नियोजक की सेवा में रहने के समय यदि उसे कोई ऐसा रोग लग जाता है जो उस नियोजन में विशिष्टतः होने वाले उपजहीविकाजन्य रोग के रूप मे उस भाग में विनिर्दिष्ट है। या अनुसूची 3 के भाग ग में विनिर्दिष्ट किसी नियोजन में कर्मचारी को एक या अधिक नियोजनों की सेवा में ऐसी निरन्तर कालावधि के

लिए जैसे ऐसे हर एक नियोजन के बारे में केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करें, रहने के समय यद कोई ऐसा रोग लग जाता है जो उस नियोजन में विशिष्टतः होने वाले उपजीविकाजन्य रोग मे उस भाग में विनिर्दिष्ट है तो उस रोग के लगने के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस धारा के अर्थ के अंदर दुर्घटना द्वारा हुई क्षति है और जअ तक कि तत्प्रतिकूल साबित नही (Unless the contrary is proved) कर दिया जाता तब तक दुर्घटना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उस नियोजन से और उसके अनुक्रम में उद्भूत/घटित हुई है।

परन्तु यदि यह साबित हो जाता है कि –

(क) किसी कर्मचारी को अनुसूची 3 के भाग ग में विनिर्दिष्ट किसी नियोजन में एक या अधिक नियोजनकों की सेवा में रहने के समय कोई ऐसा रोग, जो उस नियोजन में विशिष्टतः होने वाले उपजीविकाजन्य रोग के रूप में उस भाग में विनिर्दिष्ट है, ऐसी निरन्तर कालावधि के दौरान लग गया है जो उस नियोजन के लिए इस उपधारा के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि से कम है तथा

(ख) वह रोग उस नियोजन से और उसके अनुक्रम में उद्भूत हुआ है, तो ऐसे रोग के लगने के बारे मे यह समझा जाएगा कि वह इस धारा के अर्थ के अंदर दुर्घटना द्वारा हुई क्षति है।

परन्तु यह भी साबित हो जाता है कि कोई कर्मचारी जिसने अनुसूची 3 के भाग ख में विनिर्दिष्ट किसी नियोजन में किसी नियोजक के अधीन या उस अनुसूची के भाग ग में विनिर्दिष्ट किसी नियोजन में एक या अधिक नियोजकों के अधीन उस नियोजन के लिए इस उपधारा के अधीन विनिर्दिष्ट निरन्तर कालावधि के लिए सेवा की है और उस ऐसी सेवा की समाप्ति के पश्चात कोई ऐसा रोग लग गया है जो उस नियोजन में विशिष्टतः होने वाले उपजीविकाजन्य रोग के रूप में ,यथास्थिति (As the case may be) उक्त भाग ख या उक्त भाग ग में विनिर्दिष्ट है और यह कि ऐसा रोग उस नियोजन से उद्भूत हुआ था तो उस रोग के लगने के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस धारा के अर्थ के अंदर दुघर्टना द्वारा हुई क्षति है।

(2क) यदि अनुसूची 3 के भाग ग में विनिर्दिष्ट किसी नियोजन में नियोजित किसी कर्मचारी को उस नियोजन में विशिष्टतः होने वाला कोई ऐसा उपजीविकाजन्य रोग लग जाता है जिसके लगने के बारे में यह समझा जाता है कि वह इस धारा के अर्थ के अंदर दुर्घटना द्वारा हुई क्षति है और ऐसा नियोजन एक से अधिक नियोजकों के अधीन था तो ऐसे सब नियोजक प्रतिकर का ऐसे अनुपात में संदाय करने के दायी होंगे जैसा आयुक्त उन परिस्थितियों में न्यायसंगत समझे।

4- प्रतिकर की रकमः– (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन प्रतिकर की रकम निम्नलिखित होगी अर्थात –

(क) मृत्यु के मामले में – यदि किसी कर्मचारी की कार्य के दौरान घ्ज्ञटित दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु हो जाती है तो कर्मकार के मासिक वेतन का 50 प्रतिशत गुणा आयु गुणाक अथवा 120,000 जो भी अधिक हो भुगतान किया जायेगा।

सूत्र = मासिक वेतन x $\frac{50}{100}$ x आयु गुणक = न्यूनतम 120,000/– रू या जो भी अधिक हो

(ख) स्थायी पूर्ण अशक्तता (Permanent total disablement): यदि किसी कर्मचारी की काम के दौरान घटित दुघर्टना के फलस्वरूप स्थायी पूर्ण अशक्तता (अर्थात उपार्जन क्षमता में 100% कमी) हो जाती है तो मुआवजे की राशि निम्न प्रकार दी जायेगी –

मासिक वेतन x $\frac{60}{100}$ x आयु गुणक = न्यूनतम 140,000/– रू या जो भी अधिक हो

(RBE No E(LL)2001/ATWC/2 Dt. 6/2/01) (NRPS-12182)

(ग) स्थायी आंशिक अशक्तता (Permanent Partial Disablement): किसी कर्मचारी की काम के दौरान घटित दुर्घटना के फलस्वरूप स्थायी आंशिक अशक्तता होने पर अनुसूची–1 के भाग–II में दर्शायी उपार्जन क्षमता में कमी के प्रतिशत के अनुसार मुआवजा दिया जायेगा। यदि किसी दुर्घटना के दौरान कई चोट आती है तो गणना हेतु सभी मिलकर 100% से अधिक नही मानी जायेगी। मुआवजे हेतु चोट की क्षति से उपार्जन की क्षमता में कमी का आंकलन चिकित्सा अधिकारी द्वारा निश्चित किया जायेगा।

सूत्र = कर्मचारी का मासिक औसत वेतन x $\frac{60}{100}$ x आयु गुणक x क्षति का प्रतिशत

जहॉ किसी कर्मचारी की मासिक मजदूरी आठ हजार रूपये से अधिक है, वहॉ खण्ड (क)(ख) और खण्ड (ग) के प्रयोजनों के लिए उसकी मासिक मजदूरी केवल आठ हजार रूपये समझी जाएगी।

(भारत सरकार असाधारण राजपत्र दिनांक 31/5/2010)

अस्थायी अशक्तता (Temporary Disablement): यदि किसी कर्मचारी की कार्य के दौरान घटित दुर्घटना के फलस्वरूप पूर्ण अथवा आंशिक अस्थायी अशक्तता हो जाती है तो मुआवजे का भुगतान निम्न प्रकार से किया जायेगा –

(1) यदि क्षति तीन दिन से कम रहे तो कोई मुआवजा देय होगा।

(2) यदि क्षति 28 दिन से कम रहे तो तीन दिन की प्रतीक्षा कालावधि को छोड़कर 16वें दिन से भुगतान किया जायेगा।

(3) यदि क्षति 28 दिन से अधिक रहती है तो चोट लगने की तिथि से पॉच वर्ष तक देय है।

(RBE E(LL)98/AT/WC/ATWC/1-2 Dt. 28/1/97 (NR PS 11357)

(घ) जहॉ कि क्षति के परिणामस्वरूप ,चाहे पूर्ण चाहे आंशिक अस्थायी निःशक्तता हो जाती है– कर्मकार की मासिक मजदूरी के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य रकम का अर्द्ध मासिक भुगतान जाएगा।

किन्तु अस्थायी अशक्तता के मामले में रेल प्रशासन अपने कर्मचारी को उदारीकृत छुट्टी नियमों के अन्तर्गत पूर्ण दर पर अस्पताली अवकाश प्रदान कर भुगतान करता है, ऐसी स्थिति में कर्मचारी के अस्पताली अवकाश पंजिका में दो लेखा शीर्ष दर्शाये जाने चाहिये।

(i) अर्द्ध मासिक मुआवजा प्रतिकर (ii) अस्पताली अवकाश की छुट्टी वेतन शीर्ष

(RBE No (F&A)1-88/JCM/DC Dt. 14/1/93 (NR PS 10792)

(1क) भारतवर्ष के बाहर हुई दुर्घटना के संदर्भ में एक कर्मचारी को देय प्रतिकर की धनराशि को नियत करते समय इस नियम उपधारा 1 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी आयुक्त ,प्रतिकर की उस धनराशि को भी हिसाब में लेगा जो किसी अन्य देश के कानून के अनुसार ऐसे कर्मचारी को प्रदान की गयी हो तथा ह राशि नियत की गयी प्रतिकर धनराशि में सेकम करेगें।

4(अ) यदि क्षति से कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो नियोजक देय प्रतिकर के अतिरिक्त कर्मकार अत्येष्ठि के खर्च के लिए कर्मकार के जीवित सबसे बड़े आश्रित को देने हेतु पॉच हजार 5000/- आयुक्त के पास जमा करवायेगा।

4(ब) देय होने पर प्रतिकर का दिया जाना और विलम्ब /त्रुटि के लिए शास्ति –

(1) इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन प्रतिकर देय होते ही दे दिया जाना चाहिये।

(2) क्षतिपूर्ति हेतु जितना दावा किया गया है वह स्वीकार न करने की अवस्था में नियोक्ता का यह दायित्व होगा कि जितनी क्षतिपूर्ति राशि वह स्वीकार करता है वह आयुक्त के पास जमा करावे। यह कर्मचारी के दावे पर प्रतिकूल असर डाले बिना होगी जो कि बाद में अन्तिम तौर पर नियमानुसार निर्धारित किया जाना है।

(3) जहॉ कोई भी नियोजक ,क्षतिपूर्ति देय होने की तिथि से एक महिन के अंदर इसका भुगतान नही करता है तो आयुक्त –

(क) निर्देश देगा कि नियोजक बकाया धनराशि के साथ–साथ बारह प्रतिशत की दर से उसपर या केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी भी अनुसूचित बैंक की उधार देने वाली दरों के अधिकतम से अधिक न होने वाली ऐसी उच्चतर दर से साधारण ब्याज का भुगतान भी करेगा, और

(ख) यदि उसकी राय में विलम्ब का कोई न्यायोचित कारण नही है तो यह निर्देशित करेगा कि नियोजक बकाया धनराशि के साथ–साथ उस पर जुर्माने भी अदा करे जो कि ऐसी धनराशि के पचास प्रतिशत अधिक नही होगा।

परन्तु शास्ति संबंधी आदेश, आरण बताने के लिए नियोजक को युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये बिना पारित नही किया जायेगा।

5- मजदूरी का हिसाब करने की पद्धति :– मासिक मजदूरी से तात्पर्य एक मास की सेवा के लिए संदेय (Deemed) समझी जाने वाली मजदूरी की रकम से अभिप्रेत है (चाहे वह मजदूरी मास के हिसाब से या किसी भी अन्य कालावधिके हिसाब से संदेय हो) और जिसका हिसाब निम्नलिखित रूप से किया जाएगा, अर्थात

(क) जहॉ कि कर्मचारी उस नियोजक की, जो प्रतिकर का देनदार है, सेवा में दुर्घटना से ठीक पहले के बारह मास के अन्यून की निरन्तर कालावधि के दौरान रहा है, वहॉ कर्मकार की मासिक मजदूरी उस कुल मजदूरी का बारहवा भाग होगी, जो उस कालावधि के अन्तिम बारह मासों में नियोजक द्वारा उसे संदाय के लिए शोध्य (Deemed to be Payable) हो गई है।

(ख) जहॉ कि दुर्घटना सग ठीक पहले की उस सेवा का सम्पूर्ण निरन्तर कालावधि (Whole Continuos Period of Service) उस नियोजक की सेवा में था जो प्रतिकर का देनदार है, एक मास से कम थी, वहॉ कर्मचारी की मासिक मजदूरी वह औसत मासिक रकम होगी जिसे उसी नियोजक द्वारा उसी काम में नियोजित कोई अन्य कर्मचारी , या यदि कोई कर्मचारी इस प्रकार नियोजित नही था, तो उसी परिक्षैत्र (Same Locality) में किसी वैसे ही काम में नियोजित कोई अन्य कर्मचारी दुर्घटना से ठीक पहले के बारह मास के दौरान उपार्जित कर रहा था।

(ग) अन्य दशाओं में जिनके अन्तर्गत वे दशाऐं आती है, जिनमें कि आवश्यक जानकारी के अभाव में ऊपर खण्ड (ख) के अधीन दर्शायी मासिक मजदूरी का हिसाब करना सम्भव नही है। ऐसी अवस्था में मासिक मजदूरी उस नियोजक से, जो प्रतिकर का देनदार है, दुर्घटना से ठीक पहले की सेवा की अन्तिम निरन्तर कालावधि के लिए उपार्जित (Earned) कुल मजदूरी को ऐसी कालावधि में समाविष्ट दिनों की संख्या में विभाजित करने पर प्राप्त भजनफल की तीस गुनी होगी।

(The monthly wages shall be thirty times the total wages earned in respect of the last continuous period of service devided by the number of days comprising such period)

स्पष्टीकरण – सेवा की ऐसी अवधि जिसमें काम पर से चौदह दिन से अधिक की अनुपस्थिति कालावधि के लिए विच्छेद (Interruption) नही हुआ है, इस धारा के प्रयोजनों के लिए निरन्तर कालावधि समझी जाएगी।

8- प्रतिकर का वितरण – (1) किसी ऐसे कर्मचारी के बारे मे, जिनकी मृत्यु क्षति के परिणामस्वरूप हो गई है, प्रतिकर का कोई भी भुगतान और किसी स्त्री को या विधिक निर्योग्यता के अधीन व्यक्ति को प्रतिकर के रूप में एक मुश्त राशि का कोई भी भुगतान आयुक्त के पास जमा करने से अन्यथा नही किया जाएगा और सीधे नियोजक द्वारा कर दिये गए किसी ऐसे भुगतान के बारे में यह न समझा जाएगा कि वह प्रतिकर का भुगतान है।

9- प्रतिकर का समनुदिष्ट,कुर्क या भारित न किया जाना (Compensation not to be assigned attached or charged)

इस अधिनियम के अधीन देय कोई भी एकमुश्त राशि या अर्द्धमासिक देय राशि इस अधिनियम द्वारा यथ उपबंधित के सिवाय किसी भी प्रकार समनुदिष्ट (Assigned) या भारित (Charged) किए जाने के योग्य या कुर्की के दायित्व के अधीन नही होगा और न कर्मकार के भिन्न किसी व्यक्ति को विधि की क्रिया द्वारा संक्रांत (Pass) होगा और न कोई दावा उसके विरूद्ध मुजरा (Set off) किया जाएगा।

10- प्राणांतक दुर्घटनाओं और गम्भीर शारीरिक क्षतियों की रिपोर्ट :–

जहॉ कि किसी तत्समय प्रचलित विधि द्वारा यह अपेक्षित है कि नियोजक के परिसर में घटित किसी ऐसी दुर्घटना की, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु या गम्भीर क्षति हो गई है, सूचना किसी प्राधिकारी को नियोजक द्वारा या उसकी ओर से दी जाए वहॉ वह व्यक्ति जो सूचना देने के लिए अपेक्षितहै, मृत्यु या गम्भीर शारीरिक क्षति के सात दिन भीतर आयुक्त को एक रिपोर्ट भेजेगा जिसमें वे परिस्थितियॉ बताई जाएगी जिनमें मृत्यु या गम्भीर शारीरिक क्षति हुई है।

18 क शास्तियॉ

(1) जो कोई –

(क) वह सूचना– पुस्तक रखने में असफल रहेगा जिसे रखने के लिए वह धारा10 की उपधारा (3) के अधीन अपेक्षित है अथवा

(ख) आयुक्त को वह विवरण भेजने में असफल रहेगा जिसे रखने के लिए वह धारा10क की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित है अथवा

(ग) वह रिपोर्ट भेजने में असफल रहेगा जिसे रखने के लिए वह धारा10ख के अधीन अपेक्षित है अथवा

(घ) वह विवरणी देने में असफल रहेगा जिसे देने के लिए वह धारा 16 के अधीन अपेक्षित है तो वह जुर्माने से, जो पॉच हजार रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2) इस धारा के अधीन कोई भी नियोजन (Prosecution) आयुक्त के द्वारा या उसकी पूर्व मंजूरी से स्थित किए जाने के सिवाय, संस्थित (Instituted) नही किया जाएगा, और कोई भी न्यायालय इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान (Cognizance) तब तक नही करेगा जब तक कि अपराध के लिए परिवाद उस तारीख से छह मास के भीतर नही किया जाता जिस तारीख को अभिकथित अपराध का किया जाना आयुक्त को ज्ञात हुआ था।

आयुक्त : आयुक्तों को निर्देश –

1. यदि प्रतिकर देने के किसी व्यक्ति के दायित्व के विषय में कोई प्रश्न (जिसके अन्तर्गत यह प्रश्न आता है कि क्षत व्यक्ति कर्मचारीहै या नही) या प्रतिकर की रकम या अवधि के विषय में कोई प्रश्न (जिसके अन्तर्गत निःशक्तता के प्रकार या विस्तार विषयक प्रश्न आता है) इस अधिनियम के अधीन की किन्हीं कार्यवाहियों में उठता है तो वह प्रश्न करार के अभाव में आयुक्त द्वारा तय किया जाएगा।
2. किसी भी सिविल न्यायालय को किसी ऐसे प्रश्न को जिसके लिए इस अधिनियम के द्वारा या अधीन यह अपेक्षित है कि वह आयुक्त द्वारा तय किया जाए या विनिश्चिय किया जाए या उसके बारे में कार्यवाही आयुक्त द्वारा की जाए तय करने, विनिश्चिय करने या उसके बारे में कार्रवाई करने की या इस अधिनियम के अधीन उपगत किसी दायित्व को प्रवर्तित कराने की अधिकारिता न होगी।

कार्यवाहियों का स्थान और अंतरण (Venue of Proceedings and Transfer) :

1. जहॉ इस अधिनियम के अधीन किसी भी मुद्दे का निस्तारण एक आयुक्त के समक्ष या द्वारा किया जाना होता है, वहॉ इस अधिनियम के उपबन्धों एवं इसके अधीन निर्मित किसी भी नियमों के विषय का निस्तारण उस क्षैत्र के लिए आयुक्त के समक्ष या द्वारा किया जायेगा जिसमें :–

(क) दुर्घटना हुई जिससे क्षति हुई या

(ख) कर्मचारी या उसके मृत्यु के मामलें में साधारण तौर पर प्रतिकर का दावा करने वाला आश्रित निवास करता है या

(ग) नियोजक का अपना रजिस्टर्ड कार्यालय होता है।

अपीले : (1) आयुक्त के आदेशों विरूद्ध अपील उच्च न्यायालय में होगी।

अनुसूची–इस अधिनियम के अन्तर्गत अशक्तता के फलस्वरूप उपार्जन क्षमता में कमी, कर्मचारी की परिभाषा, उपजीविकाजन्य रोग व मुआवजें की राशि हेतु आयु गुणक निर्धारण हेतु निम्न अनुसूचियॉ बनायी गयी है।

अनुसूची–I	पार्ट–I	स्थायी पूर्ण अशक्तता (PTD)
	पार्ट–II	स्थायी आंशिक अशक्तता (PPD)
अनुसूची–II	–	कर्मचारी की परिभाषा
अनुसूची–III	–	उपजीविकाजन्य रोगों की सूची (List of Occupational Diseases)
अनुसूची–IV	–	आयु गुणक (Age Factor) जिससे मुआवजे की राशि की गणना की जाए

दुर्घटना के समय पर्यवेक्षक का कर्त्तव्य (Duty of Superviser in Case of Injury):

कार्य के दौरान अथवा रोजगार के सिलसिले में कर्मचारी की दुर्घटना के फलस्वरूप व्यक्तिगत क्षति होती है तो एक पर्यवेक्षक के निमन कर्तव्य होगें –

1- कर्मचारी की प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराते हुए चिकित्सक को बुलायेगें।
2- 48 घंटों के भीतर सभी संबंधितों को सूचना देगें।
3- दो चश्मदीद गवाहों के बयान/विवरण लेगें, जहॉ तक सम्भव है।
4- दुर्घटना का रेखाचित्र व सम्पूर्ण रिपोर्ट तैयार करेंगे।
5- पिछले बारह माह के दौरान उस कर्मकार के आय के विवरण, अवकाश सहित तैयार करवायेगें।
6- क्षतिग्रस्त कर्मचारी की चिकित्सा रिपोर्ट प्राप्त करेगें।
7- दुर्घटना की पूर्ण जॉच करवायेंगें।

नोट –

RBE No B(LL)99/AT/WC Dt. 12/3/99 के तहत Notional Extension of Duty के मामलों का स्पष्टीकरण व विवरण दिया गया है। रेल कार्य के दौरान किसी

रेल कर्मचारी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर उसकी विधवा/परिवार के योग्य सदस्य को अनुग्रह राशि का (Ex-Gratia) का भुगतान निम्न प्रकार किया जायेगा :–

(RBE 285/99, 136/08,4/11 , 139/2016 wef. 01.01.2016)

1. रेल कार्य करते समय दुर्घटना में मृत्यु के मामले में — रू. 25 लाख
2. रेल कार्य करते समय आंतकी हिंसा या असामाजिक तत्वों द्वारा हिंसा के कारण मृत्यु होने पर, — रू. 25 लाख
3. यदि मृत्यु का कारण
   a पड़ौसी देश से लड़ाई (War) या देश की सीमा पर मुठभेड़ — रू. 35 लाख
   b युद्ध के दौरान आंतकी हमला, उग्रवादी हमला
4. मृत्यु कार्य के दौरान– सीमा पर दुश्मन चौकी द्वारा हमला, प्राकृतिक आपदा अत्यन्त खराब मौसम के कारण होने पर — रू. 35 लाख
5. शत्रु राष्ट्र के साथ युद्व अथवा युद्व जैसी परिस्थिति जिसे रक्षा मन्त्रालय ने अधिसूचित किया है एवं यदि विदेश में युद्व परिस्थिति में सेवारत कर्मचारी जो विदेश से भारत के नागरिको को युद्व क्षैत्र से निकालने के कार्य में लगे हो — रू. 45 लाख
6. एक मुश्त (Lump-Sum) अनुग्रह की कोई अधिकतम सीमा (Ceilling Limit) नहीं होगी।

   (RBE 04/11 & 146/11, 139/2016)

   यह आदेश 1/1/2006 के बाद उपरोक्त कारणों से मृत्यु के मामलों में ही लागू होगें।
7. प्रतिकर के रूप में अनुग्रह राशि की स्वीकृत हेतु महाप्रबन्धक सक्षम है।

   (RBE 285/99 & 31/09)
8. प्रतिकर के रूप में अनुग्रह राशि के मामलों का निष्पादन 03 माह में किया जाना चाहिये।

   (RB's Letter No E(W)2008/CP-1/1 Dt. 10/6/2008) P.No 313 of RBO-99)
9. प्रतिकर के रूप में अनुग्रह राशि का प्रस्ताव वि.सं. व मु.ले.अ. (FA&CAO) को निम्न दस्तावेजों के साथ भेजना चाहिये –
   (क) प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति
   (ख) कर्मचारी की मृत्यु सूचना
   (ग) पोस्टमार्टम रिपा (RB's Letter No W/2000/CP/1/4 Dt. 6/12/2000)
10. अनुग्रह राशि के तत्काल भुगतान हेतु यह ECS के माध्यम से किया जायेगा तथा कुछ विशेष मामलों में जहॉ यह सम्भव नही हो वहॉ चैक के माध्यम से यह भुगतान होगा।

    (RBA 33/10)
11. अनुग्रह राशि पर आयकर नही ल (RBE 152/10)

कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति भुगतान प्रक्रिया

1- दुर्घटना की अवस्था में संबंधित कर्मचारी को तुरन्त मेडिकल सहायता उपलब्ध करवायी जानी चाहिये तथा अधिकृत चिकित्सा अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिये साथ ही दुर्घटना कारित होते ही निर्धारित प्रफोर्मा WCA-4 फार्म नम्बर 20 में वांछित सूचना भरी जानी चाहिये।

2- निर्धारित फार्म में सही व पूर्ण सूचना भरी जानी चाहिये साथ ही जहॉ तक सम्भव हो दुर्घटना स्थल पर ही गवाहों के बयान भी जिये जाने चाहिये।

3- शाखा अधिकारी द्वारा घायल कर्मचारी को शीघ्र मेडिकल सहायता उपलब्धता संबंधी व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिये तथा WCA-4 फार्म नम्बर 20 नही भरा गया है तो भरवाना चाहिये। गम्भीर दुर्घटना के मामले में संबंधित स्थानीय पुलिस मं एफआईआर दर्ज की जानी चाहिये और अगर 24 घण्टे के भीतर ऐसी एफआईआर दर्ज नही होती है तो इसकी सूचना अधिकारी स्तर पर दी जानी चाहिये साथ ही इस घटना संबंधी सूचना संबंधितों को भिजवाई जानी चाहिये जिसमें दुर्घटना स्थल का नक्शा, दुर्घटना संबंधी संक्षिप्त जानकारी सम्मिलित हो तथा समुचित संख्या में गवाहों आदि के बयान 24 घंटे के भीतर ले लिये जाने चाहिये। दुर्घटना में मृत्यु के मामले में पोस्टमार्टम करवाकर उसकी रिपोर्ट प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाना चाहिये। इस संबंध में खण्ड कल्याण निरीक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। दुर्घटना कारित होने के 15 दिन के भीतर इस संबंधी जॉच पूर्ण हो जानी चाहिये।

4- घायल कर्मचारी संबंधी जानकारी जैसे समय,स्थान तथा ड्यूटी घण्टे/रोस्टर इत्यादि के साथ ही दुर्घटना के कारणों का संक्षिप्त विवरण स्पष्ट रूप से रिकार्ड कर लिया जाना चाहिये साथ ही इस संबंधी पूर्ण सूचना निर्धारित प्रफोर्मा में दुर्घटना के दिन ही भर ली जानी चाहिये।

5- संबंधित विभाग तथा कार्मिक विभाग में इस संबंधी रजिस्टर खोला जाना चाहिये, जिसमें ऐसे मामलों संबंधी पूर्ण जानकारी रहेगी तथा संबंधित सभी मामले इसमें दर्ज किए जायेगें। कार्मिक शाखा का रजिस्टर कल्याण संबंधी मामले देखने वाले सहायक कार्मिक अधिकारी के पास रहेगा जिसमें संबंधित सभी प्रविष्टियॉ दुर्घटना के तीन दिन के भीतर–भीतर कर दी जानी चाहिये।

6- हित निरीक्षक द्वारा वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी को मासिक तौर पर दिये जाने वाले पीसीडीओ में ऐसी सभी दुर्घटनाओं संबंधी सूचना दी जायेगी जिसमं अस्पताली छुट्टी स्वीकृति की जानी है या क्षतिपूर्ति भुगतान किया जाना है, विशेष रूप से मृत्यु के मामले में आईओडी के ऐसे मामले जिनके निष्पादन में अत्यधिक विलम्ब हो रहा है, वहॉ कार्मिक अधिकारी/कार्यरत इंचार्ज द्वारा मंडल रेल प्रबन्धक/यूनिट प्रधान के संज्ञान में लाया जाना चाहिये। ऐसे मामलों मे क्षतिपूर्ति भुगतान हेतु कार्मिक शाखा की सामंजस्य संबंधी मुख्य भूमिका रहेगी। (Kay Roll of Co-Ordination)

7- संबंधित हित /कार्मिक निरीक्षक मामलों को अन्तिम भुगतान (Ex Gratia भुगतान सहित) होने तक निगरानी में रखेंगे व चेज करेगें तथा मामले की प्रगति से संबंधित अधिकारी को नियमित रूप से अवगत करवाएगें।

8- संबंधित कर्मचारी को वांछित मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवायी जानी चाहिये तथा किसी भी कठिनाई की अवस्था में हित निरीक्षक द्वारा मंडल रेल प्रबन्धक/यूनिट प्रधान की जानकारी में मामला लाया जाना चाहिये।

9- क्षतिपूर्ति भुगतान की गणना निर्धारित प्रकिया अनुसार कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप कर्मचारी के वेतन की सीलिंग लिमिट तथा न्यूनतम क्षतिपूर्ति भुगतान को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिये, साथ ही कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 2009 के पैरा 4 (4) के तहत भुगतान तथा दाहसंस्कार संबंधी भुगतान भीसुनिश्चित किया जाना चाहिये।

10- जहॉ वांछित हो वहॉ अस्पतालीय छुट्टी स्वीकृत कराने संबंधी कार्यवाही दुर्घटना के एक सप्ताह के भीतर–भीतर सुनिश्चित की जानी चाहिये तथा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि भुगतान निर्धारित शैडयूल के अनुसार हो।

11- एक्स ग्रेसिया भुगतान– संबंधित कर्मचारी के योग्य उत्तराधिकारी (Next of Kin) को एक्स ग्रेसिया भुगतान की मंडल रेल प्रबन्धक/मुख्य कारखाना प्रबन्धक से स्वीकृति संबंधी कार्यवाही मृत्यु तिथि से 30 दिन के भीतर–भीतर पूर्ण ली जानी चाहिये तद्पश्चात मामला कार्मिक अधिकारी द्वारा महाप्रबन्धक की स्वीकृति हेतु मुख्यालय भेजा जायेगा।

12- इस संबंधी सभी मामलों की सूचना संबंधितकार्मिक अधिकारी को प्रत्येक 15 दिन में प्रस्तुत की जानी चाहिये। (संदर्भ GM(P)NWR L.No 999-E/o/W.C.Act/33Dt. 21/7/2015)

13- एक मुश्त एक्स ग्रेसिया भुगतान के संबंध में अवधि निर्धारण इत्यादि हेतु संयुक्त प्रक्रिया आदेश उत्तर पश्चिम रेलवे हेतु जारी किया गया। (GM(P)NWR L.450E/Ex-Gratia/Position Dt. 20/10/2015)

.....

भर्ती और प्रशिक्षण (Recruitement & Training)

ग्रुप ''ए'' रेलवे सेवा में भर्ती

(IREM-I Para 101 to 110)

समस्त ग्रुप 'ए' की रेल सेवाओं की भर्ती राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऐसे भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित इंजीनियरिंग, चिकित्सा और सिविल सेवा की राजकीय प्रतियोगी परीक्षा में उपयुक्त पाये गये उम्मीदवारों की होती है। संघ लोक सेवा आयोग विशेष श्रेणी रेलवे प्रशिक्षु हेतु भी प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करता है।

निम्न 09 संगठित सेवाओं में प्रोबेशनर्स की भर्ती की जाती है :–

1.	भारतीय रेलवे इंजीनियर सेवा	IRSE
2.	भारतीय रेलवे यॉंत्रिक इंजीनियर सेवा	IRSME
3.	भारतीय रेलवे बिजली इंजीनियर सेवा	IRSEE
4.	भारतीय रेलवे सिगनल इंजीनियर सेवा	IRSSE
5.	भारतीय रेलवे भण्डार सेवा	IRSS
6.	भारतीय रेलवे यातायात सेवा	IRTS
7.	भारतीय रेलवे कर्मिक सेवा	IRPS
8.	भारतीय रेलवे लेखा सेवा	IRAS
9.	भारतीय रेलवे चिकित्सा सेवा	IRMS

प्रशिक्षण कार्यक्रम :

चिकित्सा सेवा के अतिरिक्त सभी सेवाओं के प्रोबेशनर्स को 02 वर्ष का प्रोबेशनरी प्रशिक्षण ग्रहण करना होता हे जो कि रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा समय–समय पर बनाये गये प्रशिक्षण कार्यक्रमानुसार होता है। प्रथम दो वर्ष के दौरान लाईन पर व विभिन्न रेल संस्थानों तथा प्रतिष्ठित बाहरी संस्थानों में सेंडविच टाईप का प्रशिक्षण दिया जाता है। रेलवे में नियुक्ति पश्चात प्रथम उपलब्ध अवसर पर प्रोबेशनर्स के रेलवे स्टॉफ कॉलेज, बड़ोदरा में 08 सप्ताह के आधारभूत (Foundation) कोर्स हेतु नामित किया जाता है जिसमें उन्हें रेलवे की कार्यप्रणाली के विभिन्न तथ्यों से परिचित कराया जाता है। फाउण्डेशनल कोर्स सभी सेवाओं के प्रोबेशनर्स के लिये समान होता है। फाउण्डेशनल कोर्स पूर्ण करने के पश्चात प्रोबेशनर्स शेड, डिपो, यार्ड, कार्यशाला, मण्डल कार्यालय, मुख्यालय, निर्माण ईकाइयों इत्यादि में फील्ड ट्रेनिंग और अन्य रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों और रेलवे के बाहर प्रतिष्ठित संस्थानों में विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। पर्याप्त फील्ड ट्रेनिंग के पश्चात चिकित्सा सेवा के अलावा सभी सेवाओं के प्रोबेशनर्स 06 सप्ताह का इण्डक्शन कोर्स करते हैं जो विभिन्न सेवाओं के प्रोबेशनर्स के लिये अलग–अलग होता है। इस कोर्स में उनको अपने विभाग की कार्यप्रणाली, सम्बन्धित विभागों के साथ परस्पर व्यवहार और वित्तीय भूमिका, कार्य प्रणाली इत्यादि से सम्बन्धित विस्तृत ज्ञान दिया जाता है। IRSE, IRTS, IRPS, IRSS, IRAS के प्रोबेशनर्स 02 वर्ष प्रशिक्षण के दौरान इण्डक्शन कोर्स पूरा करते हैं जबकि IRSME, IRSSE & IRSEE के प्रोबेशनर्स प्रोबेशन के तीसरे वर्ष के दौरान Working Post (चालू पद) पर इण्डक्शन कोर्स पूरा करते हैं। भारतीय रेल चिकित्सा सेवाओं के प्रशिक्षुओं के लिये प्रशिक्षण की अवधि केवल 03 माह होगी। 03 दिन केन्द्रीय चिकित्सालय में, 45 दिन मण्डल मुख्यालय चिकित्सालय में, 10 दिन हैल्थ यूनिट में, 02 दिन क्षेत्रीय रेलवे के CMD /CMO'S के पास अन्तिम आंकलन हेतु तथा 01 माह रेलवे स्टॉफ कॉलेज बड़ोदरा में अभिविन्यास (Qrientation) पाठ्यक्रम हेतु। (जब कभी भी आयोजित किया जाये)।

प्रोबेशनरी ट्रेनिंग का पर्यवेक्षण /समन्वय :

निम्नलिखित सेवाओं की दो वर्षीय प्रोबेशनरी ट्रेनिंग का प्रत्येक के सामने दिये अनुसार संस्थान /रेलवे द्वारा केन्द्रीयकृत रूप से समन्यवन /पर्यवेक्षण किया जायेगाः–

S. No.	Service	Institute /Railway for centrally co-ordination /monitoring of probationary training
1.	IRSE	Indian Railway Institute of Civil Engineering, Pune.
2.	IRTS	Indian Railway Institute of Transportation Management, Lucknow.
3.	IRAS	Natioal Academy of Indian Railways, Vododara.
4.	IRPS	National Academy of Indian Railways, Vododara.
5.	IRSS	National Academy of Indian Railways, Vododara.
6.	IRSME*	Indian Railway Institute of Mechanical Engineering, Eastern Railway, Jamalpur.
7.	IRSSE	Indian Railway Institute of Signal Engineering & Telecommunication, Secundrabad.
8.	IRSEE	Indian Railway Institute of Electrical Engineering, Nasik.

(*इंजीनियरिंग स्नातक जिन्हें की प्रशिक्षु के रूप में तथा विशेष श्रेणी रेलवे शिक्षुओं दोनों के लिये)

प्रोबेशनरी ट्रेनिंग पश्चात पृष्टिकण :

प्रोबेशनर्स का कनिष्ठ वेतनमान में पुष्टिकरण उनके द्वारा संस्थानीय प्रशिक्षण पश्चात् निर्धारित परीक्षाओं तथा विभागीय परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने पर किया जाता है।

विभागीय परीक्षायें :

तीनों विभागीय परीक्षाायें उस केन्द्र द्वारा आयोजित करवाई जायेगी जो प्रोबेशनरी प्रशिक्षण का केन्द्र है।

नोटः– विभागीय परीक्षायें लिखित और मौखिक परख होगी।

संस्थानीय या विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु अवसरों की संख्या :

किसी भी प्रोबेशनर को निम्न के अतिरिक्त किसी भी कारण से संस्थानिक या विभागीय परीक्षा में पुनः बैठने की अनुमति नहीं होगीः–

अ. बीमारी या अन्य कोई कारण जो उसके नियंत्रण में न हो तो 03 माह की अवधि में विशेष परीक्षा हेतु अनुमति प्रदान की जा सकती है।

ब. यदि कोई प्रोबेशनर प्रथम प्रयास में संस्थानिक या विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाता हे तो उसे उन प्रश्न पत्रों में पुनः बैठने की इजाजत दी जा सकती है जिसमें वह असफल हो गया है लेकिन ऐसी स्थिति में वरिष्ठता निर्धारण हेतु पुनः परीक्षा में प्राप्त अंकों की गणना नहीं की जायेगी (मूल परीक्षा में प्राप्त अंकों की ही गणना की जायेगी)।

यदि प्रोबेशनर उपर्युक्त (ब) में प्रदान दूसरे प्रयास में भी सफल नहीं होता /होती हे तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

प्रोबेशनरी अवधि को बढ़ाना :

रेल मंत्रालय, यदि वह ऐसा उचित मानता हे तो, किसी भी स्थिति में प्रोबेशन की अवधि को अधिकतम एक वर्ष के लिये बढ़ा सकता है। हालांकि, यदि प्रोबेशन अवधि के दौरान उसके विरूद्ध किसी प्रकार की जाँच या फौजदारी अभियोग लम्बित है या उसके विरूद्ध अनुशासनिक प्रक्रिया विचारार्थ या शुरू की गई है, तो प्रोबेशन की अवधि उस अवधि तक बढ़ाई जा सकती है जिसे रेल मंत्रालय मामले की परिस्थितियों को देखते हुये उचित मानता है।

उत्तीर्ण अंकों का न्यूनतम प्रतिशत :

संस्थानिक प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात संस्थानित (आधारभूत पाठ्यक्रम, इण्डक्शन कोर्स, चरण–I और चरण–II इत्यादि) और विभागीय परीक्षाओं में प्रत्येक प्रश्न–पत्र तथा संकलित रूप से न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 60% होगें।

समूह ''ब'' के लिये प्रशिक्षण :

समूह ''ख'' अधिकारियों के लिये आरम्भिक प्रशिक्षण का प्रावधान नहीं है क्योंकि समूह ''ख'' के विभिन्न पद समूह ''ग'' स्टॉफ के उचित चयन पश्चात पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं जिसके लिये विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में चयन समिति गठित की जाती है जहाँ लिखित और मौखिक परीक्षा का प्रावधान है। फिर भी उन्हें रेलवे स्टॉफ कॉलेज, वड़ोदरा में एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से गुजरना पड़ता है और परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है।

समूह ग समूह घ और कार्यशाला कर्मचारियों हेतु भर्ती और प्रशिक्षण नियमः

(Para 102 to 120 IREM-I)

भर्तीः– रेलवे में भर्ती सम्बन्धित श्रेणी के निम्नतम वेतनमान में होगी। बीच के वेतनमानों में जहाँ विशेष प्रावधान हैं और दूसरे मामलों में जब रेल प्रशासन आवश्यक समझता हे तो रेलवे बोर्ड की स्वीकृति से इनमें सीधी भर्ती कर सकता है। निम्नतम से ऊपर के वेतनमान में भर्ती हेतु योग्यतायें वे होगी जिन्हें रेलवे बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त होगा।

परिभाषायें :–

i. ''समूह'' (Group) का आशय श्रेणियों की उस श्रृंखला से होगा जो पदोन्नति का एक सामान्य चेनल (कड़ी) बनायें।
ii. ''श्रेणी'' (Class) में वे सभी नियुक्तियाँ समाहित होगी जो एक शाखा या विभाग में एक जैसे पद पर की जायें।
   उदाहरण : सभी स्टेशन मास्टर एक श्रेणी के हैं। इसी प्रकार सभी सहायक स्टेशन मास्टर एक श्रेणी में है। गार्ड, पायलट भी श्रेणी के अन्य उदाहरण है।
iii. ''वेतनमान'' श्रेणी की उप शाखा है, प्रत्येक श्रेणी में विभिन्न वेतनमान होते है।
iv. ''बीच के ग्रेड'' (Intermediate grade) से आशय न्यूनतम से ऊपर के किसी भी ग्रेड से है।
v. ''सीधी भर्ती'' से आशय समूह ''ग'' सेवा में किसी भी व्यक्ति की भर्ती से है जो पहले से रेल सेवा में नहीं है या रेल सेवक जिसे नियुक्ति हेतु आवेदन करने की छूट इस शर्त पर हे कि सके पास बाहरी लोगों की तरह भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक योग्यता है।

प्रोबेशन की अवधि :

सभी नियुक्तियाँ 02 वर्षीय प्रोबेशन के आधार पर की जायेगी।

स्वस्थता प्रमाण–पत्र :

किसी भी व्यक्ति को रेलवे में नियुक्ति या प्रशिक्षण पर भेजना, बिना स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये नहीं होगा। नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी के चिकित्सकीय परीक्षण और समय–समय पर रेल सेवक के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु अलग–अलग नियम निर्धारित है।

जन्मतिथि :

प्रत्येक व्यक्ति को रेल सेवा में प्रवेश करते समय अपनी जन्मतिथि की घोषणा करनी होगी जो रेल सेवा में प्रवेश करने से पूर्व किसी सार्वजनिक कारण से घोषित की गई तिथि से भिन्न नहीं होगी।

कुछ समुदायों का विशेष प्रतिनिधित्व :

सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा रिक्तियाँ भरते समय कुछ समुदायों के विशेष प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग /अल्पसंख्यक हेतु आरक्षण :

सरकार द्वारा विनिश्चय किया गया है कि सीधी भर्ती में पिछड़ा वर्ग हेतु निर्धारित 27% आरक्षण में से 4.5% आरक्षण अल्पसंख्यकों को दिया जाये। (RBE 02/12)

राष्ट्रीयता : (Rule 218 IREM-I)

रेल सेवा में नियुक्ति हेतु यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :–

i. भारत का नागरिक हो, या
ii. नेपाल या भूटान का नागरिक हो, या
iii. तिब्बती शरणार्थी जो 01.01.1962 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के लिये आया हो, या
iv. भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, युगाण्डा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया या जाम्बिया, मलाबी, इथोपिया और वियतनाम से स्थायी रूप से भारत में बसने के लिये आया हो।

एक से अधिक पति या पत्नि :

i. कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके एक से अधिक पत्नियाँ जीवित है या जिसके एक पति या पत्नी जीवित है, विवाह करता /करती है तो ऐसा विवाह अर्थहीन होगा क्योंकि यह विवाह पति /पत्नि के जीवनकाल में किया गया, अतः वह सेवा में नियुक्ति हेतु योग्य नहीं होगा।
ii. कोई भी महिला जो ऐसे पुरूष से विवाह करें जिसकी विवाह के समय एक जीवित पत्नि है, तो वह विवाह अर्थहीन होगा और वह सेवा में नियुक्ति की पात्र नहीं होगी। यदि महाप्रबन्धक संतुष्ठ हो कि ऐसा करने के पीछे विशेष कारण हे, तो वह उक्त नियमों से किसी भी व्यक्ति को छूट प्रदान कर सकता है।

हिन्दी का ज्ञान :

सभी प्रशिक्षुओं के लिये हिन्दी का आरम्भिक ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है। ऐसे प्रशिक्षु जो ट्रेनिंग स्कूल में 06 माह से अधिक बिताते है उन्हें सभी रेलवे ट्रेनिंग स्कूलों में अपना प्रशिक्षण पूर्ण होने से पूर्व प्रबोध स्तर की हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। ऐसे प्रशिक्षु जो हिन्दी के अलावा सभी विषयों में उत्तीर्ण होते है उन्हें रेल सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाना चाहिये। ऐसे स्टॉफ को प्रशिक्षण स्कूल छोड़ने के पश्चात एक वर्ष की अवधि में हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। यदि वे परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल हो जाते हैं तो अगले वर्ष में उन्हें दूसरा मौका दिया जायेगा, इस प्रयास में भी असफल होने पर उन्हें रेल सेवा में नहीं रखा जायेगा।

नियुक्ति का तरीका :

भारतीय रेलवे में समूह ''ग'' की सीधी भर्ती देश में विभिन्न स्थानों पर रेलवे बोर्ड के आदेशानुसार स्थापित रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा की जायेगी। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा भर्ती हेतु रेलों या क्षेत्र का निर्धारण भी रेलवे बोर्ड के आदेशों के अनुरूप किया जाता है।

विज्ञापन :

सभी पदों व सेवाओं में रिक्तियाँ जिनका वेतनमान रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुरूप होता है, उनकी भर्ती रेलवे भर्ती बोर्ड या रेलवे प्रशासन द्वारा की जाती है और खुली प्रतियोगिता द्वारा अखिल भारतीय आधार पर की जाती है, उनका विज्ञापन कार्मिक विभाग द्वारा अनुमोदित समाचार पत्रों में किया जायेगा। सभी निम्न ग्रेडों का विज्ञापन रेलवे भर्ती बोर्ड या रेल प्रशासन के निर्देशानुसार, जिन क्षेत्रों में रिक्तियाँ है, वहाँ सामान्यतः पढ़े जाने वाले अंग्रेजी, हिन्दी और क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्रों में किया जायेगा।

रोजगार सूचनायें नजदीकी रोजगार कार्यालयों को भी प्रदर्शन हेतु भेजी जायेगी। ऐसे विज्ञापन में पदों की श्रेणी और रेलवे का मण्डल /ईकाई /क्षेत्र जहाँ रिक्तियाँ है, और पद पर नियुक्ति हेतु अन्य सामान्य शर्तों का भी उल्लेख किया जायेगा। कुछ श्रेणियाँ जैसे आशुलिपिक, टंकक,

ड्राफ्ट्मेन इत्यादि जिनमें बाहरी कार्य, रात में कार्य का असुविधाजनक समय शामिल नहीं है, उनके विज्ञापन में यह भी स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिये कि इस हेतु महिलायें भी समान रूप से पात्र हैं।

नर्सेज की भर्ती को अधिक प्रचारित करने के उद्धेश्य से सम्बन्धित क्षेत्र के नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूलों को भी रोजगार सूचनाओं की प्रतियाँ भेजी जायेगी।

कारीगर श्रेणी के सम्बन्ध में, रोजगार सूचना की एक प्रति रक्षा मंत्रालय के पुनर्वास निर्देशालय और राज्य तथा जिला सैनिक बोर्ड के भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती के उद्धेश्य से भेजी जायेगी। पुनर्वास निदेशालय द्वारा नामित भूतपूर्व सैनिकों पर अन्य अभ्यर्थियों के साथ रेलवे में नियुक्ति हेतु विचार किया जायेगा। (RBE 121/97, 215/98, 07/07)

बुलावा पत्र भेजने का तरीका : चूँकि डाक विभाग ने UPC से डाक भेजने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया हैं, अतः रेलवे बोर्ड द्वारा यह निर्धारित किया गया हे कि अभ्यार्थियों को लिखित परीक्षा सम्बन्धी बुलावा पत्र तथा उनकी पात्रता निरस्ती सम्बन्धी पत्र सामान्य डाक [Business Post (Ordinary)] से भेजे जाये तथा अभ्यार्थियों Second Stage Examiation /Aptitude Test /Skill Test /Typing Test /Interview /Documents Verfication /Information for Employment etc. को रजिस्टर्ड पोस्ट /स्पीड पोस्ट से भेजे जाये। (RBE 06/12)

शुल्क :

1. सभी ग्रुप ''सी'' पदों हेतु परीक्षा शुल्क 100 रूपये (मद संख्या 02 में दर्शाये के अतिरिक्त) (परीक्षा शुल्क डाक प्रभार सहित है)
2. अनु.जाति /अनु.जन जाति /भूतपूर्व सैनिक /विकलांग, महिला, अल्पसंख्यक व आर्थिक पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के अभ्यार्थी परीक्षा शुल्क से मुक्त है।
   i. अल्पसंख्यक से तात्पर्य मुस्लिम, इसाई, सिख, बौद्ध व पारसी से है।
   ii. आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत अभ्यार्थी आयेगें जिनके परिवार की वार्षिक आय पचास हजार से कम है।

(RRCB No. : 02/99, 11/02, 05/09, 02/14 Page 126 of RBO 09, RBE 67/99, 175/10)

आयु निर्धारण :

रेल सेवा में नियुक्ति हेतु अभ्यार्थियों की आयु निर्धारण हेतु तिथियाँ निम्नानुसार होगीः–

i. जनवरी से जून के मध्य जारी होने वाले रोजगार नोटिस –01 जुलाई की।
ii. जुलाई से दिसम्बर के मध्य जारी होने वाले रोजगार नोटिस –01 जनवरी अगले वर्ष की।

(RBE 224/99)

ऊपरी आयु सीमा में छूट : (Para 115)

1. अनु.जाति /अनु. जन जाति के मामलों में 05 वर्ष
2. सेवारत रेलवे कर्मचारियों द्वारा (प्रशिक्षु श्रेणी सहित) आरम्भिक श्रेणी में सीधी भर्ती हेतु आवेदन करने पर 03 वर्ष तक और बीच की श्रेणियों हेतु 05 वर्ष तक की छूट देय होगी।
3. समूह ''घ'' के कर्मचारी जो समूह ''ग'' अथवा प्रशिक्षु श्रेणी हेतु आवेदन करते हैं उन्हें समूह ''घ'' के रूप में दी गई सेवाओं के बराबर छूट देय होगी जो किसी भी स्थिति में 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ऐसी प्रशिक्षु श्रेणियों हेतु 30 वर्ष की अधिकतम सीमा की शर्त भी रहेगी।
4. समूह ''ग'' और समूह ''घ'' में सीधी भर्ती हेतुः जिन सेवारत कर्मचारियों ने 03 वर्ष की लगातार सेवा पूर्ण कर ली है उन्हें, सामान्य अभ्यर्थियों के मामलें में 40 वर्ष तथा अनु.जाति /अनु. जन जाति के अभ्यर्थियों के मामलें में अधिकतम 45 वर्ष तक ऊपरी आयु में छूट देय होगी। (RBE 05/99)
5. समूह 'ग' और समूह 'घ' पदों पर सीधी भर्ती हेतु विधवा, तलाकशुदा महिला और ऐसी

महिला जो न्यायिक रूप से अपने पति से अलग कर दी गई हो, जिन्होंने दुबारा विवाह नहीं किया हे उन्हें ऊपरी आयु सीमा में 35 वर्ष तक की छूट दी जायेगी। ऐसे मामलों में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 38 वर्ष और अनु.जाति /अनु.जन जाति के अभ्यर्थियों को 40 वर्ष तक ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जायेगी। (RBE 154/01)

6. रेलवे भर्ती बोर्ड के विशेष निर्देशों द्वारा विशेष श्रेणी /श्रेणियों के पदों को दी जाने वाली वर्तमान छूट जारी रहेगी।
7. अन्य पिछड़ा वर्ग के मामलें में 03 वर्ष की छूट।
8. सब्स्टीट्यूट सहित ग्रुप ''सी'' व ग्रुप ''डी'' की भर्ती में दिनांक 03.02.2015 तक तीन वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में छूट देय होगी। (RBE 57/12)
   इस सम्बन्ध में मामले का पुनरिक्षण करने पश्चात रेलवे बोर्ड द्वारा यह विनिश्चय किया गया हे कि एवजी सहित सभी अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति हेतु ऊपरी आयु सीमा में छूट निम्नानुसार रहेगीः– (RBE 45/15)
   (i)04.02.15 से 03.02.2017=02वर्ष, (ii)04.02.17 से 03.02.2019=01वर्ष, (iii)03.03.19 के पश्चात=कोई नहीं
9. ऐसा अभ्यर्थी जो रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जारी नोटिस में दर्शायी गई तिथि को न्यूनतम व अधिकतम आयु सीमाओं में है उसे सम्बन्धित रेलवे में चाहे वह वास्तविक कार्यग्रहण तिथि को अधिकतम आयु सीमा पार कर चुका है, नियुक्ति हेतु योग्य माना जायेगा।
10. रेलवे भर्ती बोर्ड के विज्ञापन के सन्दर्भ में आवेदित रेल कर्मियों को अनापति (NOC) प्रमाण–पत्र देने बाबत (RBE 66/13)

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति :

(मास्टर सरकुलर–13)

समूह ''ग'' और समूह ''घ'' श्रेणी में सम्बन्धित पदों पर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की भर्ती रेलवे भर्ती बोर्ड और रेलवे भर्ती अनुभाग द्वारा रेलवे बोर्ड द्वारा समय–समय पर अलग से जारी निर्देशों के अनुरूप की जायेगी।

समूह ''ग'' और समूह ''घ'' में रिक्तियों के 3% की दर से आरक्षण रहेगा, जिसमें सेः–

1% मूक व बघिर हेतु आरक्षित,

1% नेत्रहीन हेतु आरक्षित, तथा

1% शारीरिक रूप से विकलांग हेतु आरक्षित रहेगा।

ऊपरी आयु सीमा में छूट :

सामान्य जाति के उम्मीदवारों हेतु	: 10 वर्ष
अनु.जाति /अनु.जन जाति के उम्मीदवारों हेतु	: 10 + 5 वर्ष
अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों हेतु	: 10 + 3 वर्ष

भुतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति :

समूह ''घ'' में आरक्षित कोटा	: 20%
समूह ''ग'' में आरक्षित कोटा	: 10%

समूह ''ग'' और समूह ''घ'' श्रेणी पर भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती रेलवे भर्ती बोर्ड और रेलवे भर्ती अनुभाग द्वारा अन्य अभ्यार्थियों के साथ रेलवे बोर्ड द्वारा समय–समय पर अलग से जारी निर्देशों के अनुरूप की जायेगी।

ऊपर आयु सीमा में छूट	: रक्षा सेवा अवधि और 03 वर्ष
प्रशिक्षु श्रेणियों हेतु	: 40 वर्ष तक की आयु

भूतपूर्व सैनिकों हेतु ऊपरी आयु सीमा में छूट के लाभ को उस समय बढ़ाया जा सकता है जब वे अनारक्षित पद के विरूद्ध आवेदन करें। (RBE 236/89)

(भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति व आरक्षण नियमों सम्बन्धी निर्देशों का संग्रह जारी हुआ RBE 83/15 के अन्तर्गत)

नोटः–

पूर्ववृति ग्रुप''डी'' की 20% भूतपूर्व सैनिक कोटे की रिक्तियों जोनल रेलवे द्वारा पे बैण्ड–I 5200–20200 में ग्रेड पे 1800 में खुले विज्ञापन द्वारा भरी जायेगी तथा उनकी सैनिक अवधि के आधार पर पैनल निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुये बनाया जायेगाः–

i. इस हेतु PET व लिखित परीक्षा आयोजित नहीं होगी।
ii. नियुक्ति आवेदनों की स्क्रूटनी के आधार पर होगी।
iii. ऐसे पूर्व सैनिक जो 15 वर्ष की सेवा पश्चात, सेवानिवृत्त हुये हैं तथा जो Army Class-I Certificate या समकक्ष पास है उनके मामलों पर विचार किया जायेगा। [RBE 130/10 & RB L.No.: 2009/E (NG) 11/RR-1/10 dt. 08.02.2011 (NWRPS 23/11)]

एक ही दिन परीक्षा :

रेलवे बोर्ड द्वारा यह निश्चय किया गया हे कि एक पद विशेष हेतु परीक्षा सभी रेलवे भर्ती बोर्ड पर एक साथ एक ही तिथि को आयोजित की जायेगी। सभी रेलवे भर्ती बोर्ड नोडल भर्ती बोर्ड को भरे जाने वाले पदों की संख्या, श्रेणी के आधार पर समुदाय विवरण सहित के सम्बन्ध में सलाह /सूचना देगें। नोडल रेलवे भर्ती बोर्ड भाग लेने वाले सभी भर्ती बोर्ड की और से केन्द्रीयकृत रोजगार सूचना जारी करेगा जिसमें प्रत्येक भाग लेने वाले भर्ती बोर्ड द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का अन्य विवरण सहित स्पष्ट उल्लेख करेगा। सभी भर्ती बोर्ड स्थानीय समाचार पत्रों में सांकेतिक रोजगार सूचना प्रकाशित करेगें। सामूहिक परीक्षा वर्ष में एक बार होगी, नोडल भर्ती बोर्ड द्वारा केन्द्रीयकृत रोजगार सूचना और प्रत्येक भर्ती बोर्ड द्वारा सांकेतिक रोजगार सूचना भाग लेने वाले रेलवे भर्ती बोर्ड के चेयरमेन के परामर्श पश्चात जारी की जायेगी। प्रशासन की सुविधा के आधार पर एक से अधिक श्रेणियों की परीक्षा एक साथ आयोजित की जा सकती है।

(RRCB 04/09)

स्थानीय भाषाओं में प्रश्न पत्र :

प्रश्न पत्र हिन्दी, उर्दु और अंग्रेजी के अलावा रेलवे भर्ती बोर्ड के कार्यक्षेत्र में पड़ने वाली भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं में भी तैयार किया जायेगा। इस उद्देश्य हेतु वह राज्य जिसके अन्तर्गत भर्ती बोर्ड के सभी मण्डल /ईकाईयाँ स्थित है, उसकी पहली राजभाषा को स्थानीय भाषा माना जायेगा। चूँकि राजकार्य हिन्दी /अंग्रेजी में किया जाता है, अभ्यर्थियों के कार्यसाधक ज्ञान की परख हेतु रेलवे बोर्ड पत्र संख्या E/RRB/2001/25/14 dt. 04.03.2008 में दिये गये विवरणानुसार हिन्दी /अंग्रेजी की परख हेतु कुल अंक भार का 10% दिया जायेगा।

(RRCB 04/ 09, RBE 138/14)

रेलवे भर्ती बोर्ड भर्तियों में मौखिक परीक्षा बन्द /खत्म करना :

रेलवे भर्ती बोर्ड भर्तियों में मौखिक परीक्षा (साक्षात्कार) बन्द करने का निश्चय किया गया है। यह आदेश 18.03.1999 से प्रभावी रहेगा। इसके अनुरूप निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

NTPC स्नातक से नीचे और स्नातक श्रेणियों	–	द्वि–स्तरीय परीक्षा (कोई साक्षात्कार नहीं)
संरक्षा श्रेणी पद	–	एक लिखित परीक्षा के पश्चात मनौवेज्ञानिक स्टेस्ट (कोई साक्षात्कार नहीं)
हिन्दी सहायक	–	एक लिखित परीक्षा और न्यूनतम 90% अंकों के साथ अनुवाद पात्रता परीक्षा (कोई साक्षात्कार नहीं)
विधि सहायक, शिक्षक, टेलीफोन ऑपरेटर, फिजियोथैरेपिस्ट	–	एक लिखित परीक्षा पश्चात साक्षात्कार

शेष श्रेणियाँ	–	एक लिखित परीक्षा (कोई साक्षात्कार नहीं)

जहाँ साक्षात्कार चयन का एक भाग है वहाँ अंकों का नियतन /बटवारा वर्तमान प्रक्रियानुसार होगा अर्थात् 85% अंक लिखित परीक्षा हेतु 15% अंक साक्षात्कार हेतु। मनौवेज्ञानिक परख /कौशल परख /टंकण परख जिस प्रकार लागू हैं, उसी अनुरूप जारी रहेगें। NTPC श्रेणियों हेतु वे सभी अभ्यार्थी जिनके आवेदनों को वैद्य माना जाता है, उन्हें प्रारम्भिक परीक्षा हेतु बुलावा जायेगा। आरम्भिक परीक्षा की मेरिट के आधार पर रिक्तियों की संख्या से 10 गुना अभ्यार्थियों की अन्तिम परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा। (RBE 56/99)

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) द्वारा किये जाने वाले चयन में जितनी रिक्तियाँ हैं उसके 30% अधिक अभ्यार्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया जायेगा। (RRCB 89/08, RBE 138/14)

ओपन मार्केट से ग्रुप ''ग'' पदों पर भर्ती करते समय (इसमें एवजी व पे बेण्ड 1800 में नियुक्ति भी सम्मिलित हैं) और विभिन्न साक्षात्कारों /मौखिक परीक्षा की समितियों में पर्याप्त महिला सदस्यों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये तथा दस या अधिक रिक्तियों की नियुक्ति, जिसमें महिला अभ्यार्थी भी सम्मिलित होना सम्भावित हो, हेतु गठित चयन समीति में महिला सदस्य का होना आवश्यक हैं। (RBE 29/12)

खेलकूद कोटे के विरूद्ध भर्ती : (RBE 189 (B) /10, 52/12 & 95/12)

खेलकूद कोटे के अन्तर्गत प्रतिभावान खिलाड़ी व खुले विज्ञापन के माध्यम से समूह ''ग'' व ''घ'' के पदों पर भर्ती की जाती है। निर्धारित कोटे का 60%, जिसमें रेलवे खेलकूद पदोन्नति बोर्ड का हिस्सा भी शामिल है, प्रतिभावान खिलाड़ियों द्वारा तथा शेष 40% को खुले विज्ञापन के माध्यम से भरा जाता है। इस नीति में संशोधन करते हुये रेलवे बोर्ड द्वारा यह निर्धारित किया गया हैं कि वित्त वर्ष 2013–14 अर्थात् 01.04.2013 पश्चात खेलकूद कोटे का 30% (RSPB के हिस्से सहित) प्रतिभावान खिलाड़ी से तथा 70% खुले विज्ञापन से भरा जायेगा तथा वित्त वर्ष 2012–13 से खेलकूद कोटे की 1800/– ग्रेड पे में की जाने वाली नियुक्तियाँ सिर्फ खुले विज्ञापन के माध्यम से होगी। (RBE 52/12)

क्षेत्रीय रेलवे, उत्पादन इकाईयाँ, रेलवे स्पोर्टस् कन्ट्रोल बोर्ड एवं जहाँ कार्यशालाओं के कर्मचारियों की संख्या 4000 व उससे अधिक है, उनका वित्तीय वर्ष 2013–14 से कोटा निम्न हैः–

S. No	Zonal Railway /Producatio n Unit	Name of Pay Band /Scale	Pay Bands /Scales	Corresp onding Grade Pay	Quota Alloted for a Financial Year			Total Quota
			In Rupees		Open Advt.	Talent Scouting		
					ZR /PU Qta.	ZR /PU Qta.	RSPB Qts.	
2.1.1	CR, ER, ECR, ECOR, NR, NCR, NER, NFR, NWR, SR, SCR, SER, SECR, SWR, WR, WCR	PB-2	9300-34800	4200	-	-	1	1
		PB-1	5200-20200	2800	5	1	1	7
		PB-1	5200-20200	2400				
		PB-1	5200-20200	2000	16	4	2	22
		PB-1	5200-20200	1900				
		Total Quota Per Railway			21	5	4	30
					ZR /PU Qta.	ZR /PU Qta.	RSPB Qta.	
2.1.2	CLW,	PB-2	9300-34800	4200	-	-	1	1

	DLW, DMW, ICF, RCF, RWF, RDSO, Metro Rly Kolkata	PB-1	5200-20200	2800	2	1	-	3
		PB-1	5200-20200	2400				
		PB-1	5200-20200	2000	8	2	1	11
		PB-1	5200-20200	1900				
		Total Quota Per Unit			10	3	2	15
2.1.3	Headquarter of each Zonal Railway	PB-1	5200-20200	1800	10	-	-	10
2.1.4	Each Division of Zonal Railway	PB-1	5200-20200	1800	5	-	-	5
2.1.5	DLW, ICF, RCF, CLW	PB-1	5200-20200	1800	15	-	-	15
2.1.6	DMW, RWF, Metro Raiway Kolkta	PB-1	5200-20200	1800	5	-	-	5
2.1.7	RDSO	PB-1	5200-20200	1800	3	-	-	3
2.1.8	Workshops (having the staff strength of 4000 or more)	PB-1	5200-20200	1800	3	-	-	3

2.2 CLW, DLW, DMW, ICF, RCF, RWF & Metro Railway Kolkata आर्टीजन कोटि में खिलाड़ियों की नियुक्ति कर सकते हैं तथा उनके द्वारा कुशल कारीगरों के रूप में की गई ऐसी भर्ती कुशल कारीगरों के लिये आरक्षित 25% पदों के विरूद्ध रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई (एनजी)iii /78 /आरसीआई /9 दिनांक 24.02.79 (आरबीई 07/12) के निर्देशानुसार गणना में ली जायेगी।

2.3 उपरोक्तानुसार आबंटित कोटा वित्तीय वर्ष के लिये है और इस वित्तीय वर्ष के गुजरने पर यह समाप्त हो जायेगा।

2.4 खेलकूद कोटे के अन्तर्गत नियुक्ति के प्रत्येक मामले में सक्षम अधिकारी का अन्तिम अनुमोदन सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक ले लिया जाना चाहिये।

2.5 खेलकूद कोटे के अन्तर्गत भर्ती करने हेतु सक्षम प्राधिकारी वही है जो कि भारतीय रेल स्थापना संहिता भाग–I के सम्बन्धित मदों में दर्शाया गया है।

2.6 सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिये जाने की दिनांक से एक महीने में नियुक्ति आदेश जारी हो जाने चाहिये।

2.7 रेलवे बोर्ड पत्र दिनांक 31.12.2010 व 07.01.2011 [189 (B) /10, 08/11, 43/13, 04/14, 11/14, 23/14, 77/14, 04/15] में बताये गये 31 खेलों या वह खेल जिन्हें इस प्रयोजनार्थ रेलवे स्पोर्टस् प्रमोशन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है, में ही खेलकूद कोटे के अन्तर्गत नियुक्ति की जायेगी। (इस सूची में से जूड़ों व कराटे को हटा गया हैं (RBE 42/12) (लेकिन अब इसे पुनः शामिल कर लिया गया है। (RBE 25/15)

2.8 प्रतिभावान खिलाड़ी एवं खुले विज्ञापन द्वारा खिलाड़ियों की भर्ती उस ग्रेड में की जायेगी जहाँ सीधी भर्ती का अंश हो तथा ऐसी नियुक्तियों को सीधी भर्ती कोटे के विरूद्ध गणना में लिया जायेगा।

2.9 अपवादिक मामलों में जहाँ सभी योग्यता पूर्ण करने वाले प्रतिभावान खिलाड़ी को मध्यवर्ती ग्रेड में भर्ती की जानी हो तो क्षेत्रीय रेलवे /इकाई द्वारा ऐसा प्रस्ताव महाप्रबन्धक की सिफारिश से रेलवे बोर्ड के पूर्व अनुमोदन हेतु भेजा जायेगा।

2.10 रेलवे स्पोर्टस् प्रमोशन बोर्ड का प्रतिभावान खिलाड़ियों का कोटा, रेलवे प्रमोशन बोर्ड द्वारा ही संचालित होगा। यद्यपि क्षेत्रीय रेलवे /उत्पादन इकाईयों की इस कोटे के विरूद्ध नियुक्ति की सिफारिश प्रार्थना, जो कि उस स्पोर्टस् एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा सिफारिश की गई हो, को रेलवे स्पोर्टस् प्रमोशन बोर्ड मेरिट आधार पर अपने पूल के पद रिलीज करने पर विचार करेगा।

रेलवे /इकाईयों द्वारा ऐसी प्रार्थना 15 फरवरी अर्थात् वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 1 1/2 माह पूर्व सभी दस्तावेज व सूचनाओं के साथ तभी प्रेषित की जायेगी तथा जबकि वे प्रतिभावान खिलाड़ियों एवं खुले विज्ञापन के माध्यम से अपना कोटा पूर्ण कर चुके हों।

2.11 जब कभी भी आवश्यकता हो, रेलवे बोर्ड प्रतिभावान खिलाड़ियों का कोटा एक रेलवे /इकाई से अन्य रेलवे /इकाई और एक ग्रेड पे व पे बैण्ड से अन्य ग्रेड पे और पे बैण्ड में पुनः समायोजित कर सकता है।

2.12 जब कभी भी आवश्यकता हो महाप्रबन्धक प्रतिभावान खिलाड़ियों का कोटा जो कि उस रेलवे द्वारा पे बैण्ड रूपये 5200–20200 +1800 ग्रेड पे के पदो के लिये है, उसे एक मण्डल /कार्यशाला /मुख्यालय से अन्य मण्डल /कार्यशाला /मुख्यालय में पुनः समायोजित कर सकता है। लेकिन अन्य कोटा अर्थात् खुले विज्ञापन का कोटा स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता है।

2.14 उपयुक्त खिलाड़ी न मिलने पर अपनी रेलवे में 1900 से 2400 ग्रेड पे खेलकूद के प्रतिभावान खिलाड़ी कोटे को खुले विज्ञापन कोटे में बदलने में क्षेत्रिय महाप्रबन्धक सक्षम होगें। (RBE 52/12)

अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप का वर्गीकरणः

भर्ती के प्रयोजन से निम्नलिखित इवेण्ट /अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया हैः–

Category -A	Senior Categories of Olympic Games
Category –B	Junior /Senior Categories of World Cup /World Championships Senior Categories of Asian Games & Common Wealth Games
Category -C	Junior /Senior Categories of Common Wealth & Asian World Championships /Asia Cup Senior Categories of South Asian federation (SAF) Games & USIC (World Railways) Championship.

3. विभिन्न पे बैण्ड एवं ग्रेड पे में खिलाड़ियों की भर्ती हेतु खेलकूद मापदण्ड

3.1 विभिन्न ग्रेड पे, पे बैण्ड में प्रतिभावान एवं खुल विज्ञापन के माध्यम से खेलकूद कोटे के विरूद्ध की जाने वाली भर्ती हेतु खिलाड़ी के लिये खेलकूद सम्बन्धी मानदण्डों का विवरण व अन्य खेलों सम्बन्धी जानकारी RBE 189 (B) /2010 में दी गई है।

अगर कोई खिलाड़ी उच्च ग्रेड पे सम्बन्धी मानदण्ड रखता हैं और वह निम्न ग्रेड पे में नियुक्ति हेतु आवेदन देता है तो उसकी खेलकूद कोटे (प्रतिभावन व खुले विज्ञापन) के विरूद्ध नियुक्ति हेतु विचार किया जा सकता है। (RBE 09/12)

4.2 खेलकूद उपलब्धियों हेतु मान्य अवधि :

4.2.1 खेलकूद कोटे के विरूद्ध भरे जाने वाले प्रतिभावान खिलाड़ी पदों हेतु उस खिलाड़ी के पिछले एक वर्ष तथा खुले विज्ञापन के खिलाड़ी हेतु वर्तमान वर्ष तथा / या तुरन्त पिछले दो वित्तीय वर्ष की खेलकूद उपलब्धियों को देखा जायेगा तथा यह भी आवश्यक है कि वर्तमान में वह सक्रिय खिलाड़ी हो। इस प्रयोजनार्थ प्रतिभावन खिलाड़ी के मामले

में प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने तथा खुले विज्ञापन के खिलाड़ी के मामले में विज्ञाप्ति होने की तिथि से पिछले एक /दो वित्तीय वर्ष, जैसा भी मामला हो, गणना में लिया जायेगा। (RBE 52/12, 75/12, 36/13, 135/13 & 11/14)

4.2.2 खेल में सक्रियता का निर्णय ट्रायल के दौरान उसकी परफोरमेन्स के आधार पर किया जायेगा।

नोटः– टीम खेलों के मामले में खेलकूद कोटे में नियुक्ति हेतु वही खिलाड़ी योग्य माना जायेगा जो मैदान पर वास्तव में खेला हैं। ऐसा खिलाड़ी जो टीम का हिस्सा तो था लेकिन वास्तव में मैदान पर नहीं खेला वह खेलकूद कोटे में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। (RBE 52/12, 71/12, 75/12 & 10/14)

5 आयु सीमाः

5.2 प्रतिभावान एवं खुले विज्ञापन द्वारा

5.1.1 प्रतिभावान एवं खुले विज्ञापन कोटे द्वारा की जाने वाली भर्ती हेतु आयु सीमा 18 वर्ष से 25 वर्ष है।

5.1.2 उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु अपवादिक मामलों में, जहाँ भर्ती प्रतिभावान कोटे के अन्तर्गत की जा रही है वहाँ उच्च व निम्न आयु सीमा में छूट केवल रेलवे बोर्ड द्वारा ही दी जा सकती है, लेकिन खुले विज्ञापन के मार्फत् भर्ती के मामले में आयु सम्बन्धी छूट का प्रावधान नहीं है।

5.1.3 जहाँ खिलाड़ियों की भर्ती प्रतिभावान कोटे के अन्तर्गत की जा रही हो तो उसकी आयु का आंकलन ट्रायल कमेटी द्वारा लिये जाने वाले ट्रायल की दिनांक को होगा तथा जहाँ भर्ती विज्ञापन कोटे के अन्तर्गत है तो आयु का आंकलन एक जुलाई, यदि विज्ञप्ति जनवरी से जून में हो तथा अगले वर्ष की एक जनवरी, यदि विज्ञप्ति जुलाई से दिसम्बर के मध्य हो तो।

नोटः– वर्ष 2015–16 व उससे आगे खुले विज्ञापन द्वारा खेलकूद कोटा में ग्रेड पे 1900 /2000 में भर्ती हेतु राष्ट्रीय अन्तरविश्वविद्यालय चेम्पियनशिप प्रतियोगिता में कम से कम तृतीय स्थान प्राप्त पदक विजेता ही विचारणीय क्षेत्र में रहेगें। (RBE 81/15)

6. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताः–

6.1 प्रतिभावान कोटे और खुले विज्ञापन के द्वारा जिस पद पर नियुक्ति प्रदान की जानी है, उस पद हेतु जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित है वही लागू होगी।

6.2 खुले विज्ञापन कोटे के द्वारा भर्ती किये जाने वाले मामलों में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में कोई छूट अनुमेय नहीं है।

6.3 जहाँ भर्ती प्रतिभावान कोटे के अन्तर्गत हो तथा यदि खिलाड़ी की उत्कृष्ट खेलकूद उपलब्धियाँ है, परन्तु यह न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता हो तो उन्हें रेलवे बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में छूट इस शर्त के साथ प्रदान की जा सकती है कि वह नियुक्ति की तिथि से चार वर्ष की अवधि में उसे प्राप्त कर लेगें।

6.4 शैक्षणिक योग्यता में छूट के मामलों पर जहाँ विचार किया जाता है वहाँ यह आवश्यक है कि उस खिलाड़ी के पास रेलवे में भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हो।

6.5 शैक्षणिक योग्यता में छूट के साथ भर्ती खिलाड़ी जब तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक वह पदोन्नति हेतु हकदार नहीं होगा।

6.6 यदि किसी खिलाड़ी की नियुक्ति उक्त पैरा 6.3 अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में छूट पश्चात की गई है तथा 04 वर्षों में वह न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हासिल करने में असफल रहता है तो चार वर्ष की अवधि पश्चात उसकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

6.7 विशेष मामले में उत्कृष्ट खिलाड़ी (Outstanding sportsperson) जो कि VIII वीं पास हैं, की 1S पे बैण्ड में नियुक्ति पर विचार किया जा सकता हैं। ऐसे खिलाड़ी को नियमित पे बैण्ड–I रूपये 5200–20200 व ग्रेड पे 1800 नियुक्ति नियमों के अन्तर्गत न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने या निर्धारित प्रशिक्षण पास करने पर ही देय होगा। यह

जोनल रेलवे व उत्पादन इकाईयों द्वारा खिलाड़ियों की नियुक्ति के सभी मामलों में लागू होगा। (RBE 181/10 & 51/11)

इस सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 02.12.2011 (RBE 162/11) द्वारा स्पष्ट किया गया है किः–

क. रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 21.12.2010 (RBE 181/10) के अनुसार सिर्फ वही खिलाड़ी जिसके पास उत्कृष्ट खेल उपलब्धियाँ हो तथा VIII वीं पास हो उसे ही (–) 1S पे बैण्ड में नियुक्त हेतु विचार किया जा सकता है तथा ऐसा खिलाड़ी जिसके पास ग्रेड पे 1900 /2000 या उपर नियुक्ति हेतु रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 31.12.2010 [RBE 189 (B)/10] की योग्यता हो व अन्य मानदण्ड पूर्ण करता हो उसे ही उत्कृष्ट (Outstanding) माना जायेगा।

ख. ऐसा खिलाड़ी जिसे (–) 1S पे बैण्ड में नियुक्त किया गया हैं उसे ग्रेड पे देय नहीं होगी।

ग. रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 11.07.2001 व 10.07.2009 (RBE 125/09) द्वारा खेलकूद कोटे में नियुक्ति हेतु दसवीं में 50% अंकों की बाध्यता में दी गई छूट जारी रहेगी।

घ. तृतीय श्रेणी की विभिन्न कोटियों में नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता में संशोधन किया गया हे तथा अब Office Clerk, Accounts Clerk, TC, Commercial Clerk & Trains Clerk (NTPC) कोटियों में नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12th (+2 stage) with not less than 50% marks in aggregate रहेगी। लेकिन खेलकूद कोटे (प्रतिभावान व खुले विज्ञापन द्वारा) में इन पदों पर नियुक्ति हेतु 50% marks की बाध्यता नहीं होगी। (RBE 145/14 & 17/15)

7. टंकण में प्रवीणता

7.1 लिपिक या वरिष्ठ लिपिक के रूप में खेलकूद कोटा के अन्तर्गत भर्ती किये गये खिलाड़ी को रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या E (NG)-II/2004/RR-I/48 dt. 09.02.2005 में दिये गये निर्देशानुसार नियुक्ति की तिथि से चार वर्ष की अवधि में निर्धारित टंकण–लिखित परीक्षा पास करनी होगी। (RBE 25/05)

7.2 यदि कोई खिलाड़ी चार वर्ष की अवधि में टाईप–लिखित परीक्षा पास करने में अयोग्य रहता है तो उसकी नियुक्ति को उस समय तक प्रोविजनल माना जायेगा जब तक वह परीक्षा पास नहीं कर लेता हैं तथा इस दौरान उसे नियमित वार्षिक वेतन वृद्धि /पदोन्नति जारी नहीं की जायेगी। हालाकि उत्कृष्ट खिलाड़ी के मामले में इस सम्बन्ध में छूट रेलवे बोर्ड द्वारा दी जा सकती हैं। (RBE 143/11)

8. भर्ती की प्रक्रिया

8.1 प्रतिभावान खिलाड़ी

खेलकूद कोटे के अन्तर्गत प्रतिभावान खिलाड़ी के रूप में नियुक्ति ट्रायल के बाद ही होगी सिवायः– जब कोई खिलाड़ी कोटि च्एछ या च्बीछ में दर्शाई गई अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप की व्यक्तिगत स्पर्धा में पिछले छः माह में देश का प्रतिनिधित करें या जब कोई खिलाड़ी पिछले छः माह की अवधि में वरिष्ठ राष्ट्रीय चैम्पियनशिप की व्यक्तिगत स्पर्धा में तीसरे स्थान तक प्राप्त करें। यद्यति टीम स्पर्धा व अन्य मामलों में ट्रायल आवश्यक है। (RBE 89/14, 117/14)

प्रतिभावान एवं खुले विज्ञापन के लिये ट्रायल कमेटीः

8.1.2 प्रतिभावान खिलाड़ियों की भर्ती की ट्रायल हेतु ट्रायल कमेटी का मनोनयन प्रधान कार्यालय स्तर पर सम्बन्धित खेलकूद एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा तथा मण्डल स्तर पर मण्डल रेल प्रबन्धक द्वारा किया जायेगा।

8.1.3 ट्रायल कमेटी 4/5 और ऐसे अधिकारियों से मिलकर बनेगी जो कि खेलकूद में अनुभव रखते हो। ट्रायल कमेटी के सदस्य रेलवे से होगें। रेलवे /इकाईयाँ इनके साथ 4/5

सदस्य के रूप में एक बाहरी व्यक्ति, जो कि उस खेल का विशेषज्ञ हो, को सम्मिलित कर सकते हैं। रेलवे के नामित सदस्य निम्नानुसार होगें:–

i प्रतिभावान खिलाड़ी हेतु कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान अधिकारी एवं खुले विज्ञापन के माध्यम से भर्ती के मामले में कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान अधिकारी के अलावा,

ii सम्बन्धित खेल के प्रशिक्षक (राष्ट्रीय/रेलवे/राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान से प्रशिक्षित)

iii सम्बन्धित खेल का वरिष्ठ राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं

iv सहायक खेलकूद अधिकारी/खेलकूद अधिकारी (RBE 11/11)

v वर्गीकृत खेलों में नियुक्ति हेतु सभी योग्य खिलाड़ियों के आवेदन कार्मिक शाखा द्वारा संग्रहित किये जायेगें। [RB L.No.: 2010/E(Sports)4(1)/1/Policy dt. 11.03.2011 (NWR PS 19A/2011)]

8.1.4 प्रतिभावान एवं खुले विज्ञापन हेतु ट्रायल कमेटी में सहायक खेलकूद अधिकारी/खेलकूद अधिकारी, रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदित पेनल से होगा।

8.1.5 ट्रायल में प्रदर्शन के आधार पर ट्रायल कमेटी उम्मीदवार के सम्बन्धी सिफारिश अंकों में (अधिकतम 40 अंक) निम्नलिखित मापदण्डों के आधार पर देगी:–

i खेलकूद में निपूर्णता, शारीरिक स्वास्थ्य व ट्रायल के दौरान प्रशिक्षक का ऑब्जरवेशन 40 अंक

ii उपयुक्त उम्मीदवार –उक्त में से 25 या अधिक अंक प्राप्त करने वाले

iii अनुपयुक्त उम्मीदवार –उक्त में से 25 से कम अंक प्राप्त करने वाले

8.1.6 ट्रायल कमेटी द्वारा मान्यता प्राप्त खेलकूद उपलब्धियाँ, शैक्षणिक योग्यता व सामान्य विद्यवता इत्यादि के भी अंक दिये जायेगें। अंकों का बटवारा निम्नानुसार है:–

ब्यौरा खेलकूद

i	मान्यता प्राप्त खेलकूद अंकलन	50 अंक
ii	खेल में निपूर्णता, शारीरिक स्वास्थ्य व ट्रायल में प्रशिक्षक का ऑब्जरवेशन	40 अंक
iii	शैक्षणिक योग्यता	05 अंक
iv	सामान्य विद्यवता, व्यक्तित्व ट्रायल व शारीरिक गठन	05 अंक
	कुल अंक	100 अंक

टिप्पणी : उम्मीदवार को जिस पद हेतु विचार किया जाना हे उस हेतु जो निम्नतम शैक्षणिक योग्यता रखते हों उनको तीन अंक देय होगें तथा उच्च योग्यता रखने वाले उम्मीदवार को उच्च अंक दिये जायेगें। यह केवल प्रतिभावान खिलाड़ियों के मामलों में ही लागू है।

8.1.7 खुले विज्ञापन व प्रतिभावान खिलाड़ियों की शर्तों के मामले में विभिन्न ग्रेड पे व पे बैण्ड हेतु न्यूनतम अर्हता अंक हेतु मापदण्ड नीचे दिये गये है:–

S. No.	Name of Pay Band /Scale	Grade Pay	Pay Band	Min.Qualifying Marks	
				Talent Scouting	Open Advertisement
i	PB-2	4200	9300-34800	75 Marks	-
ii	PB-1	2800	5200-20200	70 Marks	70 Marks
iii	PB-1	2400	5200-20200		
iv	PB-I	2000	5200-20200	65 Marks	65 Marks
v	PB-I	1900	5200-20200		
vi	PB-I	1800	5200-20200	60 Marks	60 Marks

नोटः 01.04.2.12 से ग्रेड पे 1800 में खेलकूद कोटे में नियुक्तियाँ सिर्फ विज्ञापन के मार्फत् ही होगी। (RBE 52/12)

8.1.8 ट्रायल कमेटी द्वारा सभी सफल उम्मीदवारों की मेरिट सूची तैयार की जायेगी। उपलब्ध रिक्तियों व मेरिट के आधार पर भर्ती की जायेगी। ऐसे मामलों में जहाँ एक से अधिक खिलाड़ी बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो मेरिट के निर्धारण में युवा उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जायेगी।

8.1.9 ट्रायल की वैद्यता एक माह तक ही होगी, इसलिये यदि कोई उम्मीदवार ट्रायल में उपयुक्त पाया जाता है तथा मेरिट के अनुसार भर्ती हेतु योग्य है तो ऐसी भर्ती हेतु ट्रायल होने की तिथि से एक माह में सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन ले लिया जाना चाहिये। एक माह की ट्रायल की वैद्यता की गणना प्रस्ताव रेलवे बोर्ड भेजे जाने पूर्व, ट्रायल तिथि से उस रेलवे के सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने से हैं।

(RBE 12/12)

8.1.10 प्रतिभावान खिलाड़ी या रेलवे बोर्ड/RSPB से प्रतिभावान खिलाड़ी कोटे में नियुक्ति हेतु आवेदन प्राप्त होने के तीन माह के भीतर–भीतर नियुक्ति सम्बन्धी सभी औपचारिकतायें पूर्ण हो जानी चाहिये। (RBE 121/11)

8.1.11 प्रतिभावान खिलाड़ी भर्ती के क्रम में ली गई ट्रायल की रिपार्ट ट्रायल कमेटी द्वारा ट्रायल की तिथि के पश्चात तीन कार्य दिवसों के भीतर मण्डल /मुख्यालय स्पोर्टस् एसोसिएशन के अध्यक्ष को प्रस्तुत हो जानी चाहिये।

निर्धारित अवधि में अगर यह रिपार्ट प्रस्तुत नहीं की जाती हैं तो इसकी जिम्मेदारी निर्धारित करते हुये उसके विरूद्ध की गई कार्यवाही रिपोर्ट के साथ बोर्ड को निर्धारित समयावधि में छूट हेतु मामला अग्रेषित होना चाहिये। (RBE 38/12)

8.2 खुला विज्ञापन

8.2.1 खुल विज्ञापन के मार्फत् खिलाड़ियों की भर्ती सम्बन्धित रेल प्रशासन द्वारा की जायेगी।

8.2.3 इस सम्बन्ध में विज्ञापन 30 जून तक जारी कर दिया जाना चाहिये व भर्ती की प्रक्रिया वर्ष के 31 अक्टूबर तक पूर्ण कर ली जानी चाहिये। हालांकि इस सम्बन्ध में श्रेत्रिय महाप्रबन्धकों को यह शक्तियाँ प्रदान की गई हैं कि अधिकतम तीन माह तक इस अवधि को बढ़ाया जा सकता हैं अर्थात् 30 सितम्बर तक विज्ञापन व 31 जनवरी तक प्रक्रिया पूर्ण होनी चाहिये। (RBE 116/11)

8.2.4 एक भर्ती समिति गठित की जायेगी जो कि भर्ती प्रक्रिया को देखेंगी। (RBE 126/13)

टिप्पणी : खुले विज्ञापन भर्ती कोटे को प्रतिभावान खिलाड़ी कोटे में तब्दील नहीं किया जायेगा।

[RB L.No.: 2010/E(Sports)/4/(1)/1Policy dt. 11.03.2011 (NWR PS 19A/2011)]

8.3 भर्ती समिति :

8.3.1 तीन सदस्यीय भर्ती समिति का गठन मण्डल स्तर पर मण्डल रेल प्रबन्धक व मुख्यालय पर महाप्रबन्धक द्वारा किया जायेगा।

8.3.2 मुख्यालय स्तर पर भर्ती समिति सभी तीनों सदस्य वरिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान स्तर के अधिकारी होगें ये सदस्य होगेंः–

i कार्मिक अधिकारी (SAG)

ii खेलकूद एसोसिएशन का अध्यक्ष /सचिव (SAG) तथा

iii आहरित सदस्य (Co-opted member) (SAG)

8.3.3 मण्डल स्तर पर :

भर्ती समिति के सदस्य कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान /वरिष्ठ वेतनमान स्तर के अधिकारी होगें, ये सदस्य होगेंः–

i. कार्मिक अधिकारी (कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान /वरिष्ठ वेतनमान)
ii. मण्डल खेलकूद एसोसिएशन का अध्यक्ष /सचिव (कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान /वरिष्ठ वेतनमान)
iii. मण्डल से आहरित अधिकारी (Co-opted) (कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान /वरिष्ठ वेतनमान)

8.3.4 भर्ती समिति द्वारा ट्रायल के आयोजन हेतु एक ट्रायल कमेटी का गठन किया जाता है।

8.3.5 भर्ती समिति द्वारा उपयुक्त पाये गये उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया जाता है और 60 अंकों में से खेलकूद उपलब्धियों, शैक्षणिक योग्यता व सामान्य विद्यवता हेतु अंक दिये जाते हैं।

8.3.6 उम्मीदवारों का साक्षात्कार ट्रायल के तुरन्त बाद उसी दिन अन्यथा अधिकतम अगले दिन तक अवश्य हो जाना चाहिये।

8.3.7 भर्ती समिति द्वारा ट्रायल कमेटी द्वारा उपयुक्त पाये गये उम्मीदवार को 40 अंकों में से दिये गये अंकों को जोड़ते हुये 100 में से प्राप्त कुल अंकों के आधार पर अंतिम मेरिट सूची बनाई जायेगी।

भर्ती समिति के तीनों सदस्यों द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित सिफारिश मुख्यालय में महाप्रबन्धक व मण्डल में मण्डल रेल प्रबन्धक को अन्तिम अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जायेगी।

टिप्पणीः नियुक्ति प्रस्ताव मेरिट के आधार पर ही दिये जायेगें।

8.4 फीस : खुले विज्ञापन के माध्यम से खिलाड़ियों की भर्ती के मामलों में प्रोसेसिंग फीस, रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा समय–समय पर ली जाने वाली निर्धारित फीस के बराबर ही होगी।

8.5 खेलकूद कोटे में भर्ती व्यक्ति की परिविक्षा अवधिः

8.5.1 खेलकूद कोटे के अन्तर्गत नियुक्त अभ्यार्थी का प्रोबेशन पीरियड 02 वर्ष होगा।

8.5.2 जहाँ उक्त पैरा 6.3 के अन्तर्गत न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में छूट प्रदान करते हुये नियुक्ति प्रदान की गई है वहाँ उस खिलाड़ी का प्रोबेशन तब तक पूरा नहीं होगा जब तक वह न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त नहीं कर लेता है।

8.5.3 प्रोबेशन पीरियड़ के समाप्ति से पूर्व उस खिलाड़ी के प्रदर्शन का रेलवे /इकाई स्तर पर गठित तीन सदस्यी कमेटी द्वारा विश्लेषण किया जायेगा। इस कमेटी में निम्न सदस्य होगें:–

i क्षेत्रीय रेलवे /इकाई के खेलकूद एसोसिएशन का अध्यक्ष /अवैतनिक महा सचिव,
ii कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान /वरिष्ठ वेतनमान का कार्मिक अधिकारी, और
iii सम्बन्धित खेल का कप्तान /प्रशिक्षक

8.5.4 यदि खेलकूद लेखे में भर्ती किये गये व्यक्ति का प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता हे तो प्रोबेशन पीरियड़ को अधिकतम दो वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है जिस दौरान उस खिलाड़ी को अपने प्रदर्शन में सुधार लाना होगा ताकि उसकी नियुक्ति को स्थाई किया जा सकें। बढ़ाई गई अवधि में भी यदि उसका प्रदर्शन असंतोाषजनक पाया जाता है तो सामान्य प्रक्रिया अपनाते हुये उसको पदच्युत करने की कार्यवाही, बढ़ाये गये प्रोबेशन अवधि के पूर्ण होने से पूर्व की जायेगी।

8.6 सर्विस बाॅण्ड :

खेलकूद कोटे में भर्ती किये गये खिलाड़ी को नियुक्ति प्रदान करते समय पाँच वर्ष का सर्विस बॉण्ड भरना होगा जिसे वह भरेगा तथा अपने हस्ताक्षर करेगा।

8.7 चिकित्सा परीक्षा :

प्रतिभावान एवं खुल विज्ञापन के माध्यम से भर्ती किये जाने वाले खिलाड़ियों के जिस पद पर नियुक्ति प्रदान की जा रही है उस पद की न्यूनतम चिकित्सा शर्तें पूर्ण करनी होगी।

8.8 यदि खेलकूद कोटे के अन्तर्गत भर्ती खिलाड़ी द्वारा दी गई सूचना व प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों में से कोई गलत या किसी भी स्तर पर झूठा पाया जाता है तो उसकी सेवायें निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये समाप्त कर दी जायेगी।

9. स्थानान्तरण : खेलकूद कोटे में भर्ती किये गये खिलाड़ियों के एक रेलवे /इकाई /मण्डल से अन्य रेलवे /इकाई /मण्डल पर स्थानान्तरण के मामलों में तभी विचार किया जायेगा जबः–

i. प्रोबेशन अवधि सहित रेलवे में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण हो गई हो। इस सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड द्वारा (RBE 75/2011) के अन्तर्गत स्पष्ट किया है कि खेलकूद कोटे के अन्तर्गत नियुक्त खिलाड़ियों का उसी रेलवे में एक मण्डल /इकाई से अन्य मण्डल /इकाई में स्थानान्तरण सम्बन्धी मामलें महाप्रबन्धक द्वारा निर्णित किये जायेगें।

ii. वह नियमित कर्मचारी हो।

iii. उपरोक्त निर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुये रेलवे बोर्ड द्वारा यह विनिश्यत किया गया है कि स्पोर्टस् कोटा के अन्तर्गत नियुक्त खिलाड़ियों की अन्तर रेलवे स्थानान्तरण सम्बन्धी निर्णय महाप्रबन्धक द्वारा लिया जायेगा। (RBE 30/12)

विशेष मामलों में सक्षम प्राधिकारी [रेलवे बोर्ड (सदस्य कार्मिक)] के अनुमोदन से उपर्युक्त स्थितियों में छूट प्रदान की जा सकती है। (RBE 23/2011 & 75/2011)

9.1 रेल प्रशासन द्वारा विशेष वेतन वृद्धि केवल उन्हीं खेलकूद उपलब्धियों हेतु दी जायेगी जो पॉलिसी पत्र दिनांक 31.12.2010 [RBE 189 (B)/10] के पश्चात आयोजित प्रतियोगिताओं में प्राप्त की गई हैं।

(RBE 26/12, 50/13, 114/13, 53/14, 117/14)

वित्तीय वर्ष 2014–15 से तीन वर्ष प्रायोगिक तौर पर खेलकूद कोटे के अन्तर्गत होने वाली फिल्ड ट्रायल की विडियोग्राफी की जायेगी। (RBE 19/14)

– परिविक्षा अवधि में खेलकूद आधार पर बिना बारी के पदोन्नति। (RBE 27/15)

स्काउट और गाईड कोटे के विरूद्ध भर्ती : (RBE 110/15)

पूर्व के निर्देशों के अतिक्रमण में रेलवे बोर्ड द्वारा स्काउट और गाईड कोटे के विरूद्ध भर्ती के सम्बन्ध में निम्न प्रक्रिया निर्धारित की गईः–

1. भर्ती जोनल प्रशासनिक स्तर पर की जायेगी। इस हेतु प्रत्येक जोन, उसके अन्तर्गत आने वाले मण्डलों /उत्पादन इकाईयों हेतु निर्धारित कोटे के पदों को सम्मिलित कर भर्ती करेगा।

2. भर्ती सिर्फ तृतीय श्रेणी (PB-1 Rs. 5200-20200 having GP 1900 & 1800) में ही की जायेगी। इस हेतु शैक्षणिक योग्यता व आयु सीमा वहीं होगी जो क्रमशः तृतीय श्रेणी व पूर्ववृति चतुर्थ श्रेणी हेतु निर्धारित हैं। परीक्षा शुल्क सौ रूपये होगा लेकिन यह अ.जा. /अ.ज.जा. तथा आर.बी.ई. 175/10 में उल्लेखित अभ्यार्थियों से नहीं लिया जायेगा।

3. वार्षिक भर्ती कोटा निम्नानुसार होगाः–

ग्रेड पे 1900	02 प्रत्येक रेलवे प्रतिवर्ष
	01 प्रत्येक उत्पादन इकाई प्रति वर्ष
ग्रेड पे 1800	02 प्रत्येक मण्डल /उत्पादन इकाई प्रतिवर्ष

(नोटः– उत्तर रेलवे ग्रेड पे 1900 में 01 प्रति वर्ष तथा ग्रेड पे 1800 में 02 प्रति वर्ष अतिरिक्त भर्ती करेगा जिन्हें की RDSO में नियुक्त किया जायेगा।)

4. स्काउट /गाईड कोटे के अन्तर्गत भर्ती सम्बन्धी शक्तियाँ महाप्रबन्धक में निहित होगी। वेतन बैण्ड 5200–20200 में ग्रेड पे 1900 व 1800 हेतु आवेदन अलग–अलग माँगे जायेगें तथा चयन भी अलग–अलग होगा।

5. ग्रेड पे 1900 के चयन हेतु समिति में तीन SAG अधिकारी होगें तथा ग्रेड पे 1800 के चयन हेतु समिति में तीन JAG अधिकारी होगें जिनका नामांकन महाप्रबन्धक द्वारा किया जायेगा। तीन सदस्यों में से एक अधिकारी कार्मिक विभाग से होगा।

6. स्काउटिंग दक्षता निर्धारण कमेटी भी महाप्रबन्धक द्वारा नामित होगी। जिसमें एक Advance Leader Trainer /Leader Trainer तथा एक HWB होगा।

7. स्काउट /गाईड कोटे के अन्तर्गत चयनीत व लिपिक संवर्ग में नियुक्त अभ्यार्थी को नियुक्ति के दो वर्ष की भीतर–भीतर टाईपिंग दक्षता (Proficiency in Typing) प्राप्त करनी होगी। निर्धारित अवधि पश्चात इस हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा तथा सम्बन्धित अभ्यार्थी की सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।

सांस्कृति कोटे के विरूद्ध भती : (RBE 201/03)

सांस्कृति कोटे के विरूद्ध वार्षिक भर्ती 02 प्रति वर्ष प्रति रेलवे तथा 02 प्रति वर्ष प्रति उत्पादन इकाई के अनुसार की जायेगी।

नोट : वे व्यक्ति जिन्हें इस कोटे के अन्तर्गत लिपिक /वरिष्ठ लिपिक के रूप में नियुक्त किया गया है उन्हें दो वर्ष की अविध में टंकण में प्रवीणता प्राप्त करना आवश्यक है। (RBE 37/99)

सांस्कृतिक कोटे से भर्ती के सम्बन्ध में निर्देश :

1 रेल प्रशासन द्वारा इस कोटे के अन्तर्गत भर्ती खुले विज्ञापन के माध्यम से की जानी चाहिये।
2 इस कोटे के अन्तर्गत नियुक्ति हेतु आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता वही होगी जो क्रमशः समूह ''ग'' और पूर्ववृति समूह ''घ'' श्रेणियों की भर्ती हेतु लागू होती है।
3 भर्ती समूह ''ग'' के आरम्भिक ग्रेडों में की जायेगी। उच्च वेतन निर्धारण नहीं किया जायेगा।
4 आबंटित कोटा वित्तीय वर्ष के लिये होगा और काम में नहीं लिया गया कोटा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर खत्म /बीत जायेगा।
5 भर्ती की अन्य शर्तें वही होगी जो अन्य समतुल्य श्रेणियों की भर्ती पर लागू हैं।
6 सांस्कृतिक कोटे में नियुक्ति विज्ञापन के सन्दर्भ में आवेदन करने वाले SC /ST /OBC कोटि के अभ्यार्थियों को यह छूट देय होगी जो सामान्य खुले बाजार भर्ती के अन्तर्गत देय हैं तथा ऐसी छूट के साथ चयनित अभ्यार्थी को आरक्षित रोस्टर पोइण्ट /पद के विरूद्ध रखा जायेगा। (RBE 127/11))
7 सांस्कृतिक कोटा हेतु चयन समितिः
समूह ''ग'' हेतु : 3 JAG अधिकारी जिनमें से एक कार्मिक विभाग से, दूसरा किसी अन्य विभाग से तथा तीसरा सम्बन्धित क्षेत्र में अच्छी प्रतिष्ठा वाला बाहरी सदस्य या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /सांस्कृतिक संस्थान का आचार्य या दूरदर्शन /आकाशवाणी इत्यादि का प्रतिनिधि।
8 सांस्कृतिक कोटे के तहत ओपन मार्केट से भर्ती करने के लिये व्यावहारिक प्रदर्शन के आधार पर सम्बन्धित क्षेत्र में प्रतिभा के आंकलन के लिये प्रयोगात्मक आधार पर तीन वित्त वर्ष यथा 2013–14, 2014–15, 2015–16 वीडियोग्राफी की प्रणाली शुरू की गई। (RBE 124/13)

अन्य योग्यतायें :

आवश्यक : सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री/डिप्लोमा/नाटक/नृत्य/संगीत में प्रमाण–पत्र प्राप्त हो।

वाच्छनीय :

1. क्षेत्र में अनुभव और आकाशवाणी /दूरदर्शन इत्यादि पर दी गई प्रस्तुति।
2. राष्ट्रीय स्तर पर जीते गये पुरस्कार।

समूह ''घ'' पदों पर नियुक्ति : (RBE 121/05, 164/06, 37/07)

समूह ''घ'' के सभी पदों पर नियुक्ति सीधी क्षेत्रीय रेलों द्वारा की जायेगी। इस कार्य के संचालन हेतु मुख्यालय में एक भर्ती सेल स्थापित की जानी चाहिये। इस सेल का चेयरमेन कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान या चयनित वेतनमान का उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (भर्ती) होना चाहिये। बेहतर संचालन सुनिश्चित करने के लिये महाप्रबन्धक उप मुख्य कार्मिक अधिकारी /मु.का.अ. (भर्ती) को शक्तियाँ प्रदान कर सकता है।

भर्ती इकाई :

भर्ती की इकाई क्षेत्रीय रेलवे होगा। क्षेत्रीय रेलवे के कार्यक्षेत्र में पड़ने वाले मण्डलों /कार्यशालाओं /उत्पादन इकाई और अन्य संगठनों की आवश्यकता को भर्ती के उद्देश्य हेतु एक /संगठित कर दिया जायेगा।

भर्ती करने का समय :

पूर्व ग्रुप ''डी'' व अब ग्रेड पे 1800/– के पदों के भर्ती समय (Periodicity of rectt.) में संशोधन किया गया हैं तथा अब यह वार्षिक आधार (अब द्विवार्षिक आधार पर RBE 103/14, 138/14) पर निम्न समय कार्यक्रम के अनुसार होगीः–

S.No.	Item	Month
1	Issue of Notification	July
2	Last date of receipt of appliction	30th September
3	Secutiny of appliction	January / Februaryb.
4	Issue of call letter for Written Test	March / April
5	Written Test	May /June
6	(PET) Physical Efficiency Test	September / October
7	Medical Test /Document Verification	November / December
8	Declaration of Final Panel	December

यह कार्यक्रम जुलाई 2012 से प्रभावी होगा तथा वर्ष के दौरान हुई रिक्तियों को इसमें लिया जायेगा। (RBE 164/11, 76/12 & 06/14)

रेलवे बोर्ड द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि जुलाई 2015 से आर.आर.सी. द्वारा खुले बाजार से ग्रेड पे 1800 में भर्ती नोटिफिकेशन दो वर्ष में एक बार जारी किया जायेगा हालांकि आर.बी.ई. 164 /11 में दिये गये शिड्यूल की पालना की जायेगी। (RBE 103/14)

शुल्क : आर.आर.सी. द्वारा खुले बाजार से ग्रेड पे 1800 में भर्ती हेतु शुल्क 100/– प्रति अभ्यार्थी रहेगा। [RB L.No.: E (NG) II/2009/RR-1/10/Pt dt. 20.07.2013 (P.No. 232 of RBO 2013)]

पात्रता हेतु मानदण्ड :

रेलवे में समूह ''घ'' के सभी पदों पर भर्ती हेतु शैक्षणिक योग्यता 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण होगी। भर्ती हेतु आयु सीमा रेल मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी विशेष आदेशों के अन्तर्गत विशेष श्रेणियों को देय छूट के साथ लागू निर्देशों के अनुरूप रहेगी।

रोजगार सूचना :

मुख्य स्थानीय समाचार पत्रों में एक विस्तृत रोजगार सूचना प्रकाशित की जायेगी और रोजगार समाचार और राष्ट्रीय समाचार पत्रों में एक सांकेतिक सूचना प्रकाशित की जायेगी जिसे स्थानीय समाचार पत्रों में दिये गये विज्ञापन पर वरीयता दी जायेगी। एक विस्तृत रिक्ति सूचना नजदीकी रोजगार केन्द्र, अ.जा. /अ.ज.जा. के मान्यता प्राप्त संगठन, उस क्षेत्र के MLA's /MP's, रक्षा

मंत्रालय के पुनर्वास निर्देशालय, भूतपूर्व सैनिकों हेतु राज्य और जिला सैनिक बोर्डों को भेजी जायेगी तथा सूचना की प्रति भर्ती क्षेत्र में स्थित रेलवे कार्यालयों के बाहर नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जायेगी। स्थानीय दैनिक समाचारपत्रों में क विस्तृत सूचना विज्ञापित की जायेगी जिसमें निम्न विवरण दिया जायेगा।:–

भर्ती इकाई, आरक्षण विवरण सहित पद का नाम और संख्या, योग्यतायें, आयु सीमा, छूट प्रावधानों सहित, वेतनमान, मण्डल /कार्यशाला /उत्पादन इकाई अन्य संगठन जिसके लिये भर्ती की जा रही है, परीक्षा शुल्क, आवेदन करने की प्रक्रिया, आवेदन सौपने की अन्तिम तिथि, प्रश्न पत्र हेतु भाषा का चयन (हिन्दी, अंग्रेजी या क्षेत्रीय भाषा) राजभाषा जैसा कि भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लेखित है। प्रश्न–पत्र उसके अनुसार तैयार किया जायेगा। (खुले बाजार से पे बेण्ड–1 ग्रेड 5200–20200 (ग्रेड पे 1800) में नियुक्ति सम्बन्धी प्रश्न–पत्र हेतु उर्दू को भी अतिरिक्त भाषा के रूप में जोड़ा गया हैं। (RBE 37/11), शारीरिक सक्षमता परीक्षा मानक, अन्य कोई सम्बन्धित सूचना।

आवेदन का तरीका :

अभ्यार्थी सादे कागज पर रोजगार सूचना में बताये गये फार्मेट अनुसार सीधे उप मुख्य कार्मिक अधिकारी /मुख्य कार्मिक अधिकारी (भर्ती) को आवेदन करेगें। प्रति अभ्यार्थी 40 रू फीस ली जा सकती है हालांकि, अ.जा. /अ.ज.जा./भूतपूर्व सैनिक /विकलांग /महिला श्रेणियों से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।

रेलवे में समूह ''घ'' पदों हेतु भर्ती प्रक्रिया में अब एक शारीरिक सक्षमता परीक्षा (PET) के बाद उसमें सफल पाये गये अभ्यर्थियों की एक लिखित परीक्षा होगी, लेकिन इसमें आंशिक संशोधन कर यह निर्धारित किया गया है कि लिखित परीक्षा पश्चात केवल उन अभ्यार्थी की होगी जो लिखित परीक्षा में योग्य पाये गये हैं। (RBE 16/11)

i. शारीरिक सक्षमता परीक्षा की प्रकृति पात्रता प्राप्त करने की होगी और इसके लिये मानदण्ड निम्नानुसार होगें:– (RBE 37/07, 126/12 & 06/14)

   पुरूष अभ्यार्थी: 1000 मीटर की दूरी 4 मीनट व 15 सैकण्ड में एक ही अवसर में दौड़ने में सक्षम हो चाहिये।

   महिला अभ्यर्थी: 400 मीटर की दूरी 3 मीनट व 10 सैकण्ड में एक ही अवसर में दौड़ने में सक्षम हो चाहिये।

ii. विकलांगों हेतु चिन्हित पदो ंके विरूद्ध सम्मिलित होने वाले विकलांग अभ्यार्थियों को ग्रुप डी में भर्ती हेतु छूट होगी तथा वे सीधे ही लिखित परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगें [RB L.E(NG)11/06/RC-2/11dt. 20.07.10]

iii. भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित पदो ंके विरूद्ध सम्मिलित होने वाले योग्य अभ्यार्थियों हेतु ग्रुप ''डी'' में भर्ती हेतु P.E.T. व लिखित परीक्षा से छूट होगी। (RBE 130/10)

iv. P.E.T. की पूरी प्रक्रिया का फिल्मांकन किया जाना चाहिये ताकि में भाग लेने वाले मूल अभ्यर्थियों की पहचान और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकें।

v. P.E.T. सम्बन्धित रेलवे के मण्डलों पर आयोजित की आयेगी और इस आयोजन का समग्र प्रभारी मण्डल रेल प्रबन्धक होगा।

vi. लिखित परीक्षा पश्चात दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाये जाने वाले सफल अभ्यार्थी कुल रिक्तियों की संख्या से 20% अधिक होगें। (RBE 73/08)

vii. पैनल लिखित परीक्षा में प्राप्त मैरिट स्थिति पर आधारित होगें। प्रकाशन की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक पैनल वैद्य (Valid) रहेगा। प्रशासकीय आवश्यकताओं की स्थिति में महाप्रबन्धक पैनल को एक वर्ष तक बढ़ा सकता है।

viii वेतन बैंड 5200–20200 के ग्रेड पे 1800 (पूर्ववृति ग्रुप डी) में नियुक्ति हेतु न्युनतम शैक्षिणिक योग्यता X या ITI या समकक्षा होगी तथा इस हेतु लिखित परीक्षा सभी जोनल

रेलवे पर एक ही दिन होगी तथा P.E.T. भी सभी रेलवे पर एक ही अवधि में होगें।
[RB LNo. E(NG)11/2009/RR-1/10/Pt. 09.12.10]

यह निर्देश 01.04.11 से लागू होगें तथा 03.03.11 तक (जिसे बढ़ाकर 31.07.2001 कर दिया गया है) तक के ऐसे विचाराधीन मामले जहाँ अभ्यार्थी 10वीं से कम शैक्षणिक योग्यता का है, वह रेलवे बोर्ड के पूर्व में पत्र दिनांक 09.12.10 द्वाराजारी निर्देशों के अनुरूप ही निर्धारित होगें। [RB LNo. E(NG)11/2009/RR-1/10/Pt. 05.01.2011 & 27.04.20110]

ix. रिक्तियों की संख्या से दो गुणा अभ्यार्थियों को PET हेतु बुलाया जायेगा। (RBE 138/14)

अ. दिनांक 25.05.2009 से प्रभावी आदेश के अन्तर्गत रेलवे बोर्ड ने समूह ''ग'' और समूह ''घ'' पदों हेतु RRB/RRC द्वारा चयनित पैनल पर रखे अभ्यर्थियों के चिकित्सकीय परीक्षण में असफल होने पर वैकल्पिक नियुक्ति प्रदान करने की नीति को समाप्त करने का निश्चय किया है। (RBE 90/2009)

ब. चूँकि पोस्ट विभाग द्वारा UPC सेवा को बन्द कर दिया गया हैं, अतः नियुक्ति प्रक्रिया के अन्तर्गत भेजे जाने वाले लिखित परीक्षा बुलावा पत्र, शारीरिक दक्षता परीक्षा पत्र आदि परीक्षा तिथि से कम से कम तीन हफ्ते पूर्व Business Post के अन्तर्गत प्रेषित किये जायेगें। (RBE 53/13, 85/13 & 06/14)

कार्यशाला /यातायात और वाणिज्य विभाग में आरम्भिक ग्रेड में समूह ''घ'' की रिक्तियों को निम्नानुसार भरा जाता है:–

i. 10% पद ट्रेकमेन /स्टोर खलासी और सभी विभागों के सफाईवालों में से 50% वरिष्ठता के साथ। स्टोर खलासी, सफाईवाला हेतु ऊपरी आयु सीमा 38 वर्ष तथा ट्रेकमेन हेतु 38 वर्ष। (RBE 136/07, 86/12 & 121/13)

ii. 40% पद अन्य विभागों में से तलीय वरीयता /वरिष्ठता पर, 40% रिक्तियों के विरूद्ध आरक्षण नियम लागू नहीं होगें। सभी श्रेणियों के लिये आयु सीमा 33 वर्ष होगी, गैंगमेन हेतु आयु सीमा 33 वर्ष है। (RBE 42/02, 86/12 & 121/13)

सफाईवाला की भर्ती किसी विशेष समुदाय तक सीमित रखने का कोई प्रावधान नहीं है समूह घ पदों पर भर्ती IREM के प्रावधानों के अनुसार की जा सकती है अनुकम्पा के आधार पर, खेलकूद कोटा और सांस्कृतिक कोटा में भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान नियमानुसार जारी रहेगी। [RB LNo.99E(RRB)25/11dt.27.11.01]

प्रशिक्षण कुछ आधार भूत तथ्य : एक कार्य संगठन में प्रशिक्षण सीखने की प्रक्रिया है जिसमें एक योजनाबद्ध तरीके से सीखने के अवसर पैदा किये जाते हैं ताकि कर्मचारी का अपने कार्य के प्रभावी निष्पादन हेतु आवश्यक ज्ञान, कौशन और दृष्टिकोण का विकास किया जा सके और इस प्रकार संगठन के उद्देयों को उपलब्ध Most cost effective measnes द्वारा प्राप्त कर सकें। एक व्यक्ति के लिये कर्त्तव्यों के उचित निर्वाहन हेतु ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण तथा व्यवहार के तरीकों का योजनाबद्ध विकास आवश्यक है। प्रशिक्षण एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा कार्य को अलग तरह से करना या अलग–अलग कार्यों को अपने वर्तमान या भविष्य के कर्त्तव्यों के सन्दर्भ में करना सीखने में मदद करने हेतु तैयार की गई एक योजनाबद्ध गतिविधि है।

प्रशिक्षण गतिविधियाँ :

प्रशिक्षण गतिविधियों में शामिल है –कार्य स्थल पर प्रशिक्षण /ज्ञान देना डेस्क निर्देश /कार्य निष्पादन सहायता /खुली लर्निंग /कार्यशाला /सम्मेलन /प्रदर्शनी /भ्रमण आदि।

अराजपत्रित कर्मचारियों हेतु प्रशिक्षण :

प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे के पास अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिये स्वयं का क्षेत्रीय प्रशिक्षण स्कूल, सिस्टम टेक्नीकल ट्रेनिंग स्कूल और अन्य संस्थान होते हैं। प्रशिक्षण निम्नानुसार हो सकता है:–

1. आरम्भिक व्यक्ति को कार्य पद दिये जाने से पूर्व
2. पदोन्नति जब एक कर्मचारी को उच्चतर ग्रेड /श्रेणी में पदोन्नत किया जाना है।

3. पुनश्चर्या /रिफ्रेशर — एक विशेष अवधि बीत जाने के पश्चात कर्मचारी को अपने ज्ञान की पुनश्चर्या और अदयत करने की आवश्यकता हो सकती है।
4. विशिष्टीकरण — कर्मचारियों की सीमित संख्या में इस हेतु बुक किया जाताहै, प्रशिक्षण पश्चात वे दूसरे कर्मचारियों को प्रशिक्षण देते हैं।

जहाँ ऐसे प्रावधान हो, आरम्भिक प्रशिक्षण कोर्स उत्तीर्ण करना अनिवार्य है जिसके बिना किसी की नियुक्ति हेतू स्वीकार नहीं किया जा सकता।

प्रशिक्षण पूर्ण करने हेतु अवसरों की संख्या :

1. प्रशिक्षण एक्ट 1961 के अन्तर्गत आने वालों के अलावा अन्य प्रशिक्षुओं /प्रशिक्षणार्थियों को बिना किसी वेतन या अन्य पारिश्रमिक के प्रशिक्षण पूर्ण करने हेतु दूसरा अवसर दिया जा सकता है।
2. प्रशिक्षु एक्ट 1961 के अन्तर्गत आने वालों के अलावा OBC श्रेणी के प्रशिक्षुओं /प्रशिक्षणार्थियों को बिना किसी वेतन या अन्य पारिश्रमिक के प्रशिक्षण पूर्ण करने हेतु दूसरा अवसर दिया जा सकता है।
3. प्रशिक्षु एक्ट 1961 के अन्तर्गत आने वालों के अलावा OBC श्रेणियों के प्रशिक्षुओं को दूसरा अवसर वेतन /पारिश्रमिक सहित तथा बिना किसी वेतन या अन्य पारिश्रमिक के तीसरा अवसर दिया जा सकता है।
   ये आदेश सीधी भर्ती वालों, बीच की श्रेणी के प्रशिक्षुओं / LDCE or GDCE के उम्मीदवारों पर समान रूप से लागू होगें। (RBE 96/2000)
4. पदोन्नति पाठ्यक्रमों हेतु कर्मचारियों को सरकारी खर्चे पर तीन अवसर देय होगें उसके पश्चात स्वयं के खर्चे पर उन्हें यह पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा। (Para 227 of IREM-I)

जो कर्मचारी ट्रेन पासिंग /परिचालन कार्यों से जुड़े हुये नहीं हैं उन्हें 57 वर्ष की आयु के बाद प्रशिक्षण से छूट दी जा सकती है। (RBE 170/11)

जहाँ पर सेवा करार में सेवा की विशिष्ट न्युनतम अवधि दी गई है वहाँ ऐसी अवधि पूर्ण होने से पूर्व सेवा छोड़ने पर कर्मचारी को प्रशिक्षण की लागत वहन करनी होगी।

प्रशिक्षण हेतु उत्तीर्णांक : (RBE 113/04, 84/10)

प्रशिक्षण केन्द्रों में आरम्भिक, पदोन्नति, पुनश्चर्या या विशिष्टीकरण पाठ्यक्रम से गुजरने वाले प्रशिक्षणार्थियों हेतु उत्तीर्णांक निम्नानुसार हैः–

1. प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा प्रशिक्षण के अंत में कारवाई जाने वाली परीक्षा में रनिंग कोटि सहित संरक्षा कोटि के कर्मचारियों हेतु उत्तीर्ण अंक 60% होगें तथा इसमें अ.जा. /अ.ज.जा. हेतु कोई छूट नहीं होगी अर्थात् कर्मचारी को 60% लिखित परीक्षा तथा 60% Practical /Viva से प्राप्त करने होगें। जहाँ परीक्षा सिर्फ लिखित या मौखिक या व्यवहारिक हो वहाँ कर्मचारी को उत्तीर्ण हेतु 60% अंक प्राप्त करने होगें तथा इस पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं होगा कि संरक्षा कोटि का कर्मचारी संरक्षा या गैर संरक्षा विषय परीक्षा में सम्मिलित हो रहा हैं।
2. गैर संरक्षा कोटियों हेतु उत्तीर्ण अंक 50% होगें।
3. आरम्भिक और पदोन्नति पाठ्यक्रमों के प्रश्न–पत्रों में 40% अंक बहुविकल्पीय प्रश्नों हेतु और 60% अंक विवरणात्मक प्रश्नों हेतु रहेगें। पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के प्रश्न–पत्र में 70 अंक बहुविकल्पकीय तथा 30% विवरणात्मक होगें।

प्रशिक्षणार्थियों हेतु मैस चार्जेज :

1. प्रशिक्षण हेतु लागत FA&CAO की सलाह पर क्षेत्रीय रेलवे द्वारा तय की जायेगी।
2. यदि प्रशिक्षण केन्द्र में रहने व खान–पान की सुविधा उपलब्ध हे तो कर्मचारी को आकस्मिक खर्चों हेतु दैनिक भत्ते का 20% ही देय हैं

भर्ती श्रेणियाँ और प्रतिशत :

(RBE 161/09)

S. No	Category	Grade Pay		Quota for (in %age)			Remarks
				Direct Quota	Promotee Quota	Intemidiate Talent	
1	ASM	PB-1	2800	60	40	-	
2	TFC APP. (SCNL /WMI /TI /SM)	PB-2	4200	15	75	10*	*10% Serving Graduate
3	GUARDS	PB-2	2800	25	60	15	
4	SNL	PB-2	4200	15	75	10	
5	TNC	PB-2	1900	50	$33^{1/3}$	$16^{2/3}$	Matriculate Gr.-D Employees with a minimum 2 yrs. Service in the concerned seniority unit an the selection against this quota may be entirely completitive. (Procedure for test list in RBE 19/11, 41/14)
6	TC	PB-2	1900	50	$33^{1/3}$	$16^{2/3}$	
7	CLERK CUM TYPIST	PB-2	1900	50	$33^{1/3}$	$16^{2/3}$	
8	COMML. CLERK	PB-2	2000	50	$33^{1/3}$	$16^{2/3}$	
9	SR.CLERK	PB-1	2800	20	$66^{2/3}$	$13^{1/3}$	Serving Graduate
10	S&WLI	PB-2	4200	15	50	35	DR quota will be based on single stage exam (RRCB 02/11)
11	STENO	PB-1	2400	50	25* 25*		*25% from shorthand knwing clerk & typist. * 25% from other Gr.-C staff.
12	HINDI ASSTT.	PB-1	2400	$33^{1/3}$	$66^{2/3}$		
13	COMML. APP.	PB-2	4200	15	75	10*	*10% Serving Graduate
14	LA	PB-2	4600	40	60		
15	ECRC	PB-1	2800	25	75		
16	SR.COOK	PB-2	2400	$33^{1/3}$	$66^{2/3}$		
17	JE-II /MECH	PB-2	4200	50	25	25	
18	SE /MECH	PB-2	4600	20	80		
19	JE-II /C&W	PB-2	4200	50	25	25	
20	SE /C&W	PB-2	4600	20	80		
21	JE-II /WAY	PB-2	4200	$66^{2/3}$	$33^{1/3}$		
22	SE /WAY	PB-2	4600	20*	80		10% SR. DEG.
23	SE /WORKS	PB-2	4600	20*	80		10% SR. DEG.
24	JE-II /WORKS	PB-2	4200	60	25	15	
25	SE /SIGN.	PB-2	4600	20	80		
26	JE-II /TELE	PB-2	4200	50	30	20	
27	JE-II /SIGN	PB-2	4200	40	40	20	
28	SE /TELE	PB-2	4600	20	80		
29	ESM-III	PB-1	1900	50	50		
30	ESM-II	PB-1	2400	$33^{1/3}$	$66^{2/3}$		Ed.Qual. vide RBE 111/12
31	TCM-II	PB-1	2400	50	50		
32	TELE. OPTR.	PB-1	1900	40	60		
33	SE/ DRAWING	PB-2	4600	20	80		
34	JE /DRAWING	PB-2	4200	-	100		
35	DSKP	PB-2	4200	$33^{1/3}$	$66^{2/3}$		
36	SKILLED ARTISAN	PB-1	1900	25	50	25	
37	NURSES	PB-2	4600	100	-		
38	PHARMACIST	PB-1	2800	100			
39	HI	PB-2	4200	75	25		

40	RADIOGRAPHER	PB-1	2800	50	50		
41	LAB. ASSTT.	PB-1	1900	50	50		For P.Q. Edu. Qualification modified vide RBE 161/11
42	CMA	PB-2	4200	$66^{2/3}$	$33^{1/3}$		
43	JE-II /ELECT	PB-2	4200	50	25	25	
44	SE /ELECT	PB-2	4600	20	80		
45	ENT TEACHER	PB-2	4600	100			
46	EDP	PB-1	2800	100			

चयन / पदोन्नति

(Selection & Promotion)

(Para 201 to 209 of IREM-I)

समूह ''ख'' पदो के लिये (Group B Post) :

समूह ''ख'' की सभी रिक्तियाँ समूह ''ग'' के पात्र कर्मचारियों से चयन प्रक्रिया द्वारा व जहाँ समिति विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (LDCE) का प्रावधान हो वहाँ इससे भी भरी जाती हैं। जहाँ सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान है वहाँ पहले 70% रिक्तियों का नियमित चयन करवाया जाता है व शेष 30% रिक्तियों का चयन सीमिति विभागीय परीक्षा (LDCE) से करवाया जाता है। (RBE 02/06)

चयन की निरन्तरता (Frequency of Selection) :

समूह ''ख'' में पदोन्नति हेतु चयन का आयोजन दो वर्ष में एक बार करवाया जाना चाहिये। अगर अप्रत्याशित कारणों से, जैसे नये पदों का सृजन, उन्नयन इत्यादि से चयन करवाया जाना आवश्यक हो व पूर्व में करवाये गये चयन में कर्मचारी उपलब्ध न हो तथा अगले चयन में छः माह से अधिक का समय शेष हो तो नया चयन करवाया जा सकता है। मगर इस प्रकार के चयन न्यूनतम होने चाहिये।

चयन समिति का गठन (Compostion of Selection Committee) :

चयन समिति का गठन महाप्रबन्धक द्वारा किया जाता है। इस चयन समिति में तीन विभागाध्यक्ष या अतिरिक्त विभागाध्यक्ष होगें, जिसमें मुख्य कार्मिक अधिकारी या अतिरिक्त मुख्य कार्मिक अधिकारी और सम्बन्धित विभाग का विभागाध्यक्ष भी सम्मिलित होगा। इस समिति में वरिष्ठ उप मुख्य प्रबन्धक या अतिरिक्त मुख्य सतर्कता अधिकारी (Addl. CVO) को नामित नहीं किया जायेगा। अगर कमेटी में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य नहीं हो तो इस समुदाय के एक अधिकारी का नामांकन किया जायेगा जो कम से कम कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी स्तर का होगा।

रिक्तियों की गणना (Assessment of Vacancies) :

चयन हेतु नियमित केडर (स्थाई व अस्थाई दोनों) की चयन अवधि की 24 माह + अगले छः माह (कुल 30 माह) की रिक्तियाँ ली जायेगी। इसमें Construction reserve भी सम्मिलित किया जायेगा व पैनल कुल रिक्तियों हेतु बनाया जायेगा। (RBE 129/06)

अनुसूचित जाति /अनु. जन जाति के पक्ष में आरक्षण :

चयन द्वारा समूह ''ख'' की रिक्तियों को भरने के लिये पोस्ट बेस रोस्टर लागू होगा। अ.जा./अ. ज.जा. के पात्रता क्षेत्र में आने वाले योग्य कर्मचारियों को ही इस चयन हेतु बुलाया जायेगा। यदि पात्रता क्षेत्र में अनु.जन जाति /अनु जन जाति के पात्र कर्मचारी उपलबध नहीं है या उपलब्ध अनु.जन जाति /अनु जन जाति के कर्मचारी आरक्षित रिक्तियों की नियुक्ति के लिये योग्य नहीं पाये जाते है तब आरक्षित रिक्तियाँ खाली रहेगी तथा वह भविष्य में चयन के माध्यम से भरी जायेगी। (RBE 194/05, 200/05 & 129/6)

पात्रता की शर्तें (Elegibility) :

समूह ''ख'' के चयन (70% कोटा) हेतु (लेखा विभाग के अलावा) समूह ''ग'' के वे कर्मचारी जो पे बैण्ड रूपये 9300–34800 में ग्रेड पे रूपये 4200 तथा उपर के ग्रेड पे में तीन साल की अर्हक (Non fortuitous service) सेवा पूर्ण कर ली हैं, वह पात्र होगें। (इसमें Pre revised समान वेतनमान में की गई सेवा भी सम्मिलित हैं)।

– समूह ''ख'' के 30% एल.डी.सी.ई. कोटा चयन हेतु समूह ''ग'' के वे कर्मचारी जो पे बैण्ड रूपये 9300–34800 में ग्रेड पे रूपये 4200 में कार्यरत हैं तथा उसमें पाँच वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हैं वे इस चयन हेतु पात्र होगें। (इसमें Pre revised समान वेतन में की गई सेवा भी सम्मिलित हैं)।

–70% समूह ''ख'' चयन की पारस्परिक वरियता (integrated seniority) हेतु पी.बी.–2 (9300–34800) हेतु पी.बी.–2 (9300–34800) में ग्रेड पे 4600 के कर्मचारियों को पी.बी.–2 ग्रेड पे 4200 के कर्मचारियों के ऊपर रखा जायेगा तथा कर्मचारियों की सम्बन्धित ग्रेड पे अर्थात् ग्रेड पे

4600 व ग्रेड पे 4200 में relative seniority का निर्धारण कर्मचारी द्वारा सम्बन्धित ग्रेड पे में (या उसके समान पूर्ववृत्ति वेतनमान में) की गई अर्हक सेवा की अवधि के आधार पर किया जायेगा। (RBE 02/06 & 46/10)

– समूह ''ख'' के सहायक कार्मिक अधिकारी के 70% कोटे के चयन हेतु जो कर्मचारी पे बैण्ड पी.बी.–2 (रू 9300–34800) ग्रेड पे रू 4200 में तथा उच्च समूह ''ग'' वेतनमान में कार्यरत है वे चयन में सम्मिलित होने के पात्र होगें बशर्ते इन्होंने वर्तमान तथा उच्च ग्रेड में अर्हक सेवा (Non-fortuitous) तीन साल से कम नहीं की हो तथा वे कर्मचारी जो योग्य है और जो चयन के लिये पात्र हैं व सभी किसी संख्या की सीमा के बिना विचारित किये जायेगें। (RBE 203/08)

– यदि कनिष्ठ कर्मचारियों पर, उनकी सम्बन्धित न्यूनतम सेवा शर्तों के आधार पर चयन (70%) हेतु विचार किया जाता है, तो उससे वरिष्ठ सभी कर्मचारी भी चयन में सम्मिलित होने के पात्र होगें चाहे वे न्यूनतम सेवा शर्तों को पूरा नहीं करते हो।

– ग्रुप ''बी'' में चयन /पदोन्नति हेतु रनिंग कर्मचारियों की योग्यता निर्धारण हेतु रनिंग कर्मचारियों के वेतनमानों की स्टेशनरी पदों से समानता निम्नानुसार होगीः– (RBE 53/11, 92/15)

S. No	Category of running staff	Scale of pay applicable (VI CPC)	Scale of stationary post to which should be equated (VI CPC)
1	i. Loco Pilot (M/Exp.)	PB-2 + GP 4200 (+1000 addl.allowance for LP-Mail. /Exp.)	PB-2 + GP 4600
	ii. Sr. Loco Pilot (Pass) /Senior Motor Man		
2	i. Loco Pilot (Pass) /Motor Man	PB-2 + GP 4200 (+500 addl.allowance for LP-Pass)	PB-2 + GP 4600
	ii. Sr.Goods Loco Pilot		
3	i. Goods Driver	PB-2 + GP 4200	PB-2 + GP 4600
	ii. Loco Pilot (Shunting) (NF)		
4	Loco Pilot (Shunting)	PB-1 + GP 2400	PB-1 + GP 2400
5	Sr.Asstt. Loco Pilot (NF) (80%)	PB-1 + GP 2400	PB-1 + GP 2400
6	1. Asstt. Loco Pilot (20%)	PB-1 + GP 1900	PB-1 + GP 2400
7	i. Guard (M/Exp.)	PB-2 + GP 4200 (+500 addl.allowance for Mail/Exp. Gd.)	PB-2 + GP 4600
	ii. Sr.Pass /Sub.Guard		
8	Sr.Goods Guard (NF)	PB-2 + GP 4200	PB-2 + GP 4200
9	i. Goods Guard	PB-1 + GP 2800	PB-2 + GP 4200

–विचार क्षेत्र (Zone of consideration) : चयन के लिये कर्मचारियों की संख्या को पद के क्रमानुसार आरोही (sliding scale) क्रम में निमानुसार नीचे दिये गये विवरणानुसार बुलाया जायेगाः

यदि 01 रिक्ति हो तो : 05 कर्मचारियों को
यदि 02 रिक्तियाँ हो तो : 08 कर्मचारियों को,
यदि 03 रिक्तियाँ हो तो : 10 कर्मचारियों को

पर या 10 से अधिक रिक्तियाँ हो तोः रिक्तियों की संख्या से तीन गुना कर्मचारियों को बुलाया जायेगा।

यदि अ.जा./अ.ज.जा. के कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या पात्रता सूची में उपलब्ध नहीं है तो क्षेत्र की विचारित रिक्तियों के विरूद्ध रिक्तियों की संख्या से पाँच गुना तक बढ़ा कर केवल इन्हीं अ.जा./अ.ज.जा. के कर्मचारियों को बुलाया जायेगा जो इस पात्रता के अन्तर्गत आते हैं।

चयन प्रक्रिया : चयन लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा तथा सेवा अभिलेख के निर्धारण (assessment) के आधार पर आधारित है। निर्धारित अंक तथा विभिन्न विषयों के अन्तर्गत योग्य अंक निम्नलिखित है :–

निर्धारित प्रश्न–पत्र	अधिकतम अंक	अहर्क अंक	टिप्पणी
एक प्रश्न–पत्र व्यावसायिक विषय तथा स्थापना व वित्तीय नियम पर।	150	90	150 (कम से कम 15 अंक सेवा अभिलेख के सहित)

सेवा अभिलेख व मौखिक	अधिकतम अंक	अहर्क अंक
(i) मौखिक	25	30 (कम से कम 15 अंक सेवा अभिलेख के सहित)
(ii) सेवा अभिलेख	25	

(RBE 02/06)

लिखित परीक्षा के प्रश्न–पत्र का व्यवहारिक आधार होना चाहिये तथा इसे इस तरीके से बनाया जाना चाहिये कि उम्मीदवारों के सैद्धान्तिक ज्ञान के साथ–साथ व्यवहारिक समस्याओं को हल करने की क्षमता को जाँचा जा सकें। (RBE 142/2016)

लिखित प्रश्न–पत्र के कुल अंकों का 10% राजभाषा सम्बन्धी नीति तथा राजभाषा नियमों सम्बन्धित प्रश्नों हेतु निर्धारित होगें। कर्मचारियों को राजभाषा नीति व नियमों के प्रश्नों के हल के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये जबकि यह प्रश्न अनिवार्य नहीं होगें। (15 अंक कुल 150 अंक के प्रश्न–पत्र में से)

प्रश्न पत्रों का निर्धारण व उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन विभिन्न वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड लेवल–I के अधिकारियों के द्वारा किया जायेगा तथा यह जरूरी नहीं है कि वे चयन समिति के सदस्य हों। राजभाषा नीति वे राजभाषा नियकों के प्रश्न मुख्य राजभाषा अधिकारी के परामर्श से या उनके द्वारा बनाये जा सकते हैं।

नेतृत्व क्षमता, व्यक्तित्व, ज्ञान और योग्यता की परख मौखिक परीक्षा के द्वारा की जायेगी। सेवा अभिलेख के लिये अंक, सेवा अभिलेख या गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर दिये जोयेगें ताकि इसमें सत्यनिष्ठा को विशेषतः ध्यान में रखा जाना चाहिये।

सफल अभ्यार्थी निम्नलिखित रूप से व्यवस्थित किये जायेगेंः–

(i) 80% अंक तथा उससे अधिक के लिये ग्रेड ''उत्कृष्ट''

(ii) 60% से 79% के लिये ग्रेड ''अच्छा''

70% चयन / 30% एल.डी.सी.ई. परीक्षा हेतु कार्मिक अधिकारी व उत्तर पुस्तिका जाँचकर्ता हेतु समेकित मार्गदर्शन (Consolidated guidelines) (RBE 67/14)

कर्मचारी जिन्हें ''उत्कृष्ट'' श्रेणी क्रम प्राप्त किया है उन्हें ''अच्छा'' श्रेणी क्रम प्राप्त करने वालों से ऊपर रखा जायेगा तथा प्रत्येक समूह में उनकी परस्पर वरीष्ठता बनाये रखी जायेगी।

चयन समिति द्वारा की गई सिफारिश महाप्रबन्धक के पास स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। यदि वे प्रस्तुत सिफारिश पर स्वीकृति नहीं देते हैं तो उनके द्वारा उसका कारण लिखा जाना चाहिये तथा नये चयन के लिये आदेश देने चाहिये। महाप्रबन्धक द्वारा पेनल स्वीकृत किये जाने पश्चात उसमें किसी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन केवल रेलवे बोर्ड की पूर्व स्वीकृति से ही किया जा सकता है।

पेनल की वैद्यता (Currency of panel) :

पेनल की वैद्यता सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन की तिथि से 2 वर्ष या अगले चयन के आधार पर नया पेनल उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, तक रहेगी। अगर अनुमोदित पैनल का कुछ भाग या पूरा भाग कुछ समय के लिये निलम्बित रखा गया हो, जो कि न्यायालय निर्देश के कारण से हो सकता है, तो पेनल की वैद्यता की गणना न्यायालय निर्देश के समय को घटाकर मानी जायेगी। (ऐसे मामलों में) न्यायालय निर्णय के पश्चात महाप्रबन्धक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के विषय में विचार :

उस मामले में जहाँ कर्मचारी चयन के लिये पात्र हो व विदेश में प्रतिनियुक्ति /अल्पकालिक नियक्ति परहो तथा कुछ महीनों में वापस नहीं आ सकते हो तो उनकी अनुपस्थिति में चयन आयोजित किया जा सकता है व उनके इंतजार किये बिना अन्तिम कर दिया जाना चाहिये तथा उनकी विदेश वापसी पर आयोजित प्रथम चयन में उन्हें बुला लिया जाना चाहिये तथा उसमें अगर वह चयनित हो जाता हे तो उसे प्रोफोर्मा आधार पर उस पैनल में यथोचित स्थान पर सम्मिलित करने की कार्यवाही की जानी चाहिये जो उसके विदेश में प्रतिनियुक्ति के दौरान बनाया गया था। लेकिन उसको किसी भी प्रकार के एरियर का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा पैनल अनुसार पदोन्नति पर वास्तविक रूप से कार्यग्रहण करने की दिनांक से उसका वेतन निर्धारण होगा। जो कर्मचारी देश में ही अन्य विभागों /कार्यालय में ही प्रतिनियुक्ति पर है उनके सम्बन्ध में यह सनिश्चित कर लिया जाना चाहिये कि ऐसे कर्मचारी को चयन बाबत पर्याप्त नोटिस दिया गया है तथा चयन में उनके बारे में विचार किया गया है।

समूह ''ख'' में चयनित कर्मचारियों की चिकित्सीय जाँच :

समूह ''ख'' में पदोन्नति हेतु चयनित कर्मचारियों को शारीरिक स्वस्थता सहित सभी प्रकार से चुस्त दुरूस्त होना चाहिये। समूह ''ग'' के कर्मचारी निर्धारित मेडिकल में उत्तीर्ण पाये जाने पर ही समूह ''ख'' में पदोन्नति के पात्र होगें तथा निर्धारित मेडिकल में उत्तीर्ण नहीं होने पर उन्हें समूह ''ख'' में पदोन्नति देय नहीं होगी। (तदर्थ आधार पर भी नहीं) (RBE 02/06)

पूरक चयन :

अनुपस्थित रहे कर्मचारियों हेतु एक से अधिक पूरक चयन का आयोजन नहीं किया जायेगा। परिचालन व याँत्रिक –इंजीनियरिंग विभाग को छोड़कर शेष सभी विभागों के लिये एक ही चयन आयोजित किया जायेगा। तथा परिचालन व याँत्रिक –इंजीनियरिंग विभाग हेतु अलग–अलग स्ट्रीम हेतु निम्नानुसार अलग से चयन आयोजित किया जायेगाः–

याँत्रिक इंजीनियरिंग विभाग	1. कैरेज व वैगन
	2. लोको (Open Line)
	3. कारखाने
परिचालन विभाग	1. वाणिज्य
	2. परिचालन

पदोन्नति की मानाही : समूह ''घ'' में पदोन्नति होने पर कर्मचारी अगर पदोननति के लिये मना करता है, तो उसकी बारी आने से एक वर्ष के लिये पदोन्नति रोकी जायेगी तथा एक वर्ष पश्चात पदोन्नति के लिये पात्र होने पर वह पदोन्नति के लिये फिर मना करता हे तो उसका नाम पेनल से हटा दिया जायेगा। तथा कर्मचारी को मनाही पश्चात पदोन्नति के मामले में उसे पदोन्नति की प्रभावी तारीख से वरीयता देय होगी तथा वे सभी कर्मचारी, जो नियमित आधार पर उससे पहले पदोन्नत हो गये हे, उससे वरिष्ठ होगें।

समूह ''ग'' कर्मचारियों की चयन /पदोन्नति

(Para 210 to 228, IREM-I)

चयनित या गैर चयनित पदों का निर्धारण :

रेलवे बोर्ड द्वारा सेवा की माँग के अनुसार चयनित या गैर चयनित पदों का निर्धारण किया जाता है।

रिक्तियों का निर्धारण : गैर चयनित पदों पर पदोननति के लिये रिक्तियों की गणना वर्तमान रिक्तियाँ + अगले 6/4 महीनों और एक वर्ष, जैसा भी मामला हो, के दौरान होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों के आधार पर की जायेगी। प्रत्याशित रिक्तियों की अवधारणा में निम्नलिखित प्रकार की रिक्तियों को सम्मिलित किया जा सकता है:–

क सेवानिवृत्ति या अधिवार्षिता सेवानिवृत्ति से होने वाली रिक्तियाँ

ख कर्मचारी द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन के कारण से होने वाली रिक्तियाँ बशर्ते वह स्वीकार कर लिया जाना सम्भावित हो।

ग उच्च वेतनमान की रिक्तियाँ जिसे भरने पर प्रस्तावित पेनल में से नियुक्ति की आवश्यकता होगी।

घ प्रतिनियुक्ति पर जाने के कारण होने वाली रिक्तियाँ (जिनकी प्रतिनियुक्ति स्वीकार हो चुकी हो)।

ड़ कर्मचारियों की संख्या जिनका चयन पहले से ही संवर्ग बाह्य पदों में हो गया हो।

च समान तथा उच्च वेतनमानों में ऐसे नये पदो के सृजन के कारण होने वाली रिक्तियाँ जिसे लेखा विभाग का सत्यापन तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

छ चयन के लिये विचारार्थ अवधि में कर्मचारियों के अन्तर मण्डल /रेलवे स्थानान्तरण से होने वाली सम्भावित रिक्तियाँ।

पात्रता शर्तें :

1 समूह ''ग'' के अन्तर्गत पदोन्नति की पात्रता के लिये निकटतम नीचे के ग्रेड में सेवा का न्यूनतम काल दो साल होना चाहिये, चाहे कर्मचारी आरक्षित समुदाय से सम्बन्ध रखता है या नहीं।

2 वास्तविक रूप से पदोन्नति करते समय कम से कम दो वर्ष की संतोषजनक सेवा होनी चाहिये। कर्मचारी जो नीचे के सम्बन्धित ग्रेड में नियमित है व अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जा सकता है तथा चयनित हो सकता है। लेकिन वास्तविक रूप से पदोन्नति तब ही की जा सकती है जबकि उसने नीचे के ग्रेड में दो साल की सेवा पूरी कर ली हो।

3 यदि उपरोक्त शर्तों में कनिष्ठ कर्मचारी अगले उच्च वेतनमान में पदोन्नति हेतु पात्र होता है तो वरिष्ठ कर्मचारी भी पात्र माना जायेगा चाहे उसने निम्न वेतनमान में दो वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की हो।

4 समान वेतनमान में अन्य संवर्ग में नियुक्ति पश्चात कर्मचारी की नये संवर्ग में दो वर्ष सेवा पश्चात ही पदोन्नति विचारणीय होगी।

5 नीचे के ग्रेड में दो वर्ष सेवा की शर्त स्थानापन्न /तदर्थ रिक्तियों के लिये भी लागू होगी।

पदोन्नति :

रेल सेवक को चयनित या अचयनित पद पर तभी पदोन्नत किया जा सकता है जबकि वह उस पद पर कार्य करने के योग्य पाया जाता है। महाप्रबन्धक, विभागाध्यक्ष या मण्डल रेल प्रबन्धक कर्मचारियों की पदोन्नति के लिये विभागीय और अन्य परीक्षा, जो कि योग्यता जाँच हेतु आवश्यक है, निर्धारित कर सकते है।

शारीरिक निःशक्त कर्मचारियों की पदोन्नति :

केवल शारीरिक अयोग्यता (Physical disability) के आधार पर पदोन्नति के मामले में कोई विभेद नहीं किया जा सकता तथा उच्च पद में उसकी पदोन्नति के लिये इस प्रकार के अन्य कर्मचारी के

साथ उसकी बारी के आधार पर अन्य योग्य कर्मचारियों के साथ चयन /पात्रता /ट्रेड टेस्ट के लिये विचार किया जायेगा। (RBE 86/99)

गैर चयनित पद पर पदोन्नतियों हेतु निम्न सिद्धान्त अपनाये जायेगें :

1 कर्मचारी निकटतम नीचले वेतनमान में कम से कम दो वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पदोन्नति के पात्र होगें, बशर्ते की किसी विशेष कोटि में पदोन्नति के लिये निचले वेतनमान में अधिक या कम सेवा निर्धारित न की गयी हो। नियमित सेवा से पूर्व बिना ब्रेक के की गई तदर्थ सेवा को भी इस उद्देश्य से गणना में लिया जायेगा। वास्तविक पदोननति के समय दो वर्ष सेवा की शर्त पूर्ण होनी चाहिये, पात्रता के समय यह आवश्यक नहीं है। यदि उपरोक्त निचम के अन्तर्गत एक कनिष्ठ ऐसे पद के लिये पात्र होगा, तो उससे वरिष्ठ भी पात्र माना जायेगा, चाहे उसने दो वर्ष की सेवा या अधिक पूरी न की हो। (RBE 175/98)

2 वर्तमान रिक्तियाँ तथा अगले 06 माह में होने वाली रिक्तियों के बराबर कर्मचारियों को उपयुक्तता परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा जबकि ट्रेड टेस्ट के मार्फत् भरे जाने वाले पदों हेतु वर्तमान रिक्तियाँ तथा अगले 04 माह में होने वाली रिक्तियों को लिया जायेगा।

3 जहाँ गैर चयनित पदों को कर्मचारियों की विभिन्न कोटियों से भरा जाता है, वहाँ उपयुक्तता हेतु बुलाये जाने वाले कर्मचारियों की सीमा निर्धारित नहीं होगी। उन मामलों में जहाँ पदों को कोटा आधारित भरा जाता है, यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि प्रत्येक कोटि में से बुलाये गये अभ्यार्थियों की पर्याप्त संख्या /प्रतिनिधित्व हो। उपयुक्तता परीक्षा पास करने पर पात्र कर्मचारियों को चयनित सूची में रखा जायेगा लेकिन जो कर्मचारी परीक्षा में योग्य नहीं पाये गये है उनको मात्र कोटा पूर्ण करने हेतु चयनित सूची में नहीं लिया जाना चाहिये।

4 कर्मचारी जिसने उपयुक्तता परीक्षा एक बार उत्तीर्ण कर ली हो उसे परीक्षा हेतु दुबारा नहीं बुलाया जायेगा तथा रिक्तियाँ उपलब्ध होने पर वह पदोन्नति के लिये पात्र होगा।

5 उपयुक्तता परीक्षा का आयोजन उपयुक्त अंतराल में किया जाना चाहिये जो छःमाह से कम न हो। पिछली परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे उन कर्मचारियों सहित सभी पात्र कर्मचारियों को उनकी वरिष्ठता के आधार पर परीक्षा हेतु बुलाया जाना चाहिये। छःमाह की अवधि की गणना पिछला उपयुक्तता परिणाम घोषित होने की तिथि से की जायेगी।

6 यदि कर्मचारी उपुयक्तता परीक्षा में अनुतीर्ण हो जाता है तथा छःमाह पश्चात आयोजित होने वाली उपयुक्तता परीक्षा में पुनः बुलाया जाताहै तथा वह उसे उत्तीर्ण कर लेता है तो उसको पदोन्नति हेतु उसके कनिष्ठ पर प्राथमिकता दी जायेगी जिसने उपयुक्तता परीक्षा उससे पहले उत्तीर्ण कर ली हो, लेकिन रिक्ति के कारण पदोन्नति हेतु प्रतीक्षा में है।

चयनित पद :

रेलवे बोर्ड द्वारा चयनित हेतु वर्गीकृत पदों को पात्र कर्मचारियों से भरने के लिये चयन एक जाँच प्रक्रिया है। चयन नियमित अन्तराल से संचालित किया जाना चाहिये तथापित अगले चयन का आयोजन पिछले पेनल के न्यूनतम छःमाह के अन्तराल में किया जाना चाहिये। चयन बोर्ड द्वारा बनाये गये पेनल द्वारा चयनित पद भरे जाते हैं। अभ्यार्थी की योग्यता निर्धारण हेतु चयन में केवल लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी जिसके लिये अग्रिम सूचना भिजवाई जायेगी। अध्यापक, विधि सहायक, फिजियोथैरेपिस्ट, टेलीफोन ऑपरेटर, क्षेत्रीय प्रशिक्षण विद्यालय में प्रशिक्षक, आशुलिपिक, मुख्य टंकक, प्रोटोकॉल निरीक्षक, रिसेप्शनिष्ट, पब्लिसिटी /विज्ञापन निरीक्षक, फोटोग्राफर्स /कैमरामेन तथा छात्रावास अधीक्षक हेतु चयन के लिये लिखित परीक्षा के साथ मौखिक परीक्षा भी आयोजित होगी। कर्मचारी, जो उस ग्रेड में न्यूनतम दो वर्ष से सेवा में है, केवल वे ही पदोन्नति के लिये पात्र होगें। दो वर्ष सेवा शर्त पदोन्नति करते समय पूरी होनी चाहिये तथा विचार करते समय यह आवश्यक नहीं हैं। यदि उपरोक्त नियम की विशिष्टता में, एक कनिष्ठ कर्मचारी पदोन्नति के लिये पात्र होगा तो उसका वरिष्ठ कर्मचारी भी पदोन्नति के लिये भी पात्र होगा फिर चाहे उसने दो वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की हो।

पायलेट (सवारी) के पद पर पदोन्नति के लिये अभ्यार्थी की व्यवसायी योग्यता को निर्धारित करने के लिये चयन के अन्तर्गत केवल मौखिक परीक्षा होगी जो कि सम्बन्धित कर्मचारी के पदोननति पाठ्यक्रम पास करने के पश्चात वरियता से होगी। (RBE 137/03 & 154/05)

रिक्तियों का तीन गुना संख्या में योग्य कर्मचारियों को चयन हेतु बुलाया जायेगा।
आपातिक आधार (Fortuitious Basis) पर तुरन्त नीचे के ग्रेड में कार्यरत कर्मचारी विचारणीय /योग्य नहीं होगें। (RBE 149/99)
पूर्ववृति ग्रेड पे 1800 की चतुर्थ श्रेणी की कोटियाँ, जोकि अब ग्रुप ''सी'' में उन्नयित हो चुकी हैं, वे पूर्व में उपलब्ध AVC के अनुसार ग्रुप ''सी'' की कोटियों के चयन हेतु लागतार पात्र रहेगी। साथ ही वे स्टेनोग्राफर (ग्रेड पे 2400) में पदोन्नति हेतु विचारणीय श्रेणी में रहेगें। (RBE 02/14)
टिप्पणी :

1 अनिच्छा /मनाही करने वाले कर्मचारी की चयन की पात्रता सूचि में गणना नहीं की जायेगी तथा उसके एवज में अन्य योग्य कर्मचारी को चयन हेतु बुलाया जायेगा।
2 यदि अभ्यार्थी अनिच्छा दिये बिना, चयन में शामिल नहीं होता है तो उसे चयन की पात्रता सूचि की गणना में लिया जायेगा तथा पूरक चयन हेतु बुलाया जायेगा। यदि वह चयन प्रारम्भ होने के पश्चात अपनी अनिच्छा व्यक्त करता है तो उसके एवज में अतिरिक्त व्यक्ति नहीं बुलाया जायेगा।

(RBE 149/99)

i चयन के लिये सम्बन्धित केडर की वर्तमान रिक्तियाँ तथा अगले 15 माह में होने वाली सम्भावित रिक्तियों को लिया जायेगा तथा निर्माण, विद्युतिकरण व अन्य प्रोजेक्ट में उपलब्ध वह रिक्तियाँ जो रिपोर्ट की गई है, को भी इसमें जोड़ा जायेगा। केडर बाह्य पद के चयन (Ex Cadre Post) हेतु वास्तविक रिक्ति व अगले 02 वर्ष में होने वाली रिक्तियों को सम्मिलित किया जायेगा। (RBE 141/97)

ii सम्भावित रिक्ति में सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति /त्याग–पत्र, उच्च वेतनमान रिक्ति, प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले कर्मचारी, बाह्य संवर्ग हेतु चयनित कर्मचारी, नये पदों का सृजन जो अनुमोदित हो, व अंतर रेलवे /मण्डल स्थानान्तरण हेतु अनुमोदित मामलों के कारणों से होने वाली रिक्तियाँ सम्मिलित है। (RBE 38/98)
सभी चयन नियमित रूप से वर्ष में आयोजित होने चाहिये। अगर पूर्व पेनल समाप्त हो गया हो या पूर्व चयन में वास्तविक संख्या के कर्मचारी चयनित न होने के कारण पुनः चयन करवाया जाना हो तो कम से कम छःमाह का अन्तराल आवश्यक है।
चयन के बीच में छःमाह सम्बन्धी पाबंदी सामान्य चयन पर लागू नहीं होगी जहाँ योग्य कर्मचारियों को विकल्प के आधार पर बुलाया जाता है। (RBE 94/97 & 279/98)

छठे वेतन आयोग पश्चात अराजपत्रित पदों का संशोधित वर्गीकरण तथा भरने का तरीकाः (RBE 161/09)

1 एक बार छूट के अन्तर्गत 31.08.09 तक विद्यमान रिक्तियों को संशोधित वर्गीकरण के अनुरूप निम्नानुसार भरा जायेगाः–
   अ ग्रेड पे रू 4200 के वे पद जो वरियता सह उपयुक्तता और उपयुक्ता (इसे वरियता सह उपयुक्ता पढ़ा जाना हैं – RBE 103/10) के आधार पर भरे जाते है, उसके लिये निर्धारित बैंच मार्क के अन्तर्गत 15 में से 06 अंक प्राप्त करने होगें। इसके लिये पिछले तीन वर्षों की गोपनीय रिपार्ट आधार होगी।
   ब ग्रेड पे रू 4600 व अधिक के पद जो निर्धारित बैंच मार्क सहित उपयुक्तता से भरे जाते है, उनके लिये 15 में से 07 अंक बैंच मार्क के अन्तर्गत निर्धारित किये गये हैं। इसके लिये पिछले तीन वर्षों की गोपनीय रिपोर्ट आधार होगी।
   स उपरोक्त ''अ'' व ''ब'' हेतु विचारार्थ अभ्यार्थियों की अगर 2008–09 की गोपनीय रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है तो 2007–08 वर्ष तक की गोपनीय रिपोर्ट को लेखे में लिया जा सकता है।
   द वर्तमान निर्देशन के अनुरूप डी एण्ड आर /विजिलेंस आदि की अनापत्ति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

य जहाँ बदले हुये सुझावों के अनुसार चयन /सामान्य चयन /एलडीसीई कोटा के तहत भरे जाने निर्धारित हेतु है, वहाँ पद वर्तमान प्रक्रिया अनुसार ही भरे जायेगें।

र वर्तमान योग्यता शर्तें, जेसे ट्रेड टेस्ट पास करना, अभिक्षमता परीक्षण, फुटप्लेट अनुभव सम्बन्धी शर्त, पदोननति कोर्स पास करनाआदि, पदोन्नतियों के लिये आवश्यक शर्तें लगातार बनी रहेगी।

ल आमेलित वेतनमान (Merged Grades) सहित उच्च वेतनमान में पदोननति हेतु दो वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने सम्बन्धी शर्त यथावत रहेगी अगर अधिक लम्बी अवधि कही निर्धारित न हो तो।

2 सीधी भर्ती तथा पदोन्नति कोटा की ग्रेड पे 4200 तथा 4600 की रिक्तियों को भरने के लिये निम्निलिखित का अनुसरण किया जायेगाः–

i* तकनीकी सुपरवाईजर ग्रेड पे रू 4200 के पदों को वर्तमान प्रतिशत अनुरूप 26% (नियुक्ति ग्रेड रू 5000–8000 का) तथा 24% (पदोन्नत ग्रेड रू 5500–9000) में विभाजित किया जायेगा। 24% वरिष्ठतम स्टॉफ तथा ग्रेड पे रू 4200 के पद अलग ब्लॉक में रखे जायेगें तथा नीचे के कुल केडर के 26% पदों को सुपरवाईजर केडर में वर्तमान प्रक्रिया अनुसार ही एलडीसीई, सीधी भर्ती व पदोन्नति कोटे से भरा जायेगा।

ii* इसी प्रकार ग्रेड पे रू 4600 के सेक्शन इंजीनियर के पदों को भरा जायेगा। इन पदों को 21:29 के औसत में बाँटा जायेगा। वरिष्ठतम 21 स्टॉफ के पद अलग ब्लॉक में रखे जायेगें और सुपरवाईजर के कुल केडर के बाकी 29% पदों को वर्तमान प्रक्रियानुसार पदोन्नति कोटा से तथा सीधी भर्ती से भरा जायेगा।

iii* ग्रेड पे रू 4200 तथा 4600 की सभी रिक्तियों को भरने में इसी सिद्धान्त का पालन किया जायेगा।

नोट : उपरोक्त पेरा 2 (i) (ii) (iii) को निरन्त किया गया RBE 158/11
उपरोक्त पेरा 2 (i) (ii) (iii) को पुनः लागू किया गया RBE 65/12

3 आरबीई संख्या 161/09 के सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड के आगे स्पष्ट किया है कि 31.12.2011 तक उत्पन्न होने वाली रिक्तियों हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगीः–

i वरीयता सह उपयुक्तता के आधार पर ग्रेड पे 4200 के लिये मानक अंक 6 तथा ग्रेड पे 4600 व ऊपर के लिये मानक 07 निर्धारित किये गये हैं। यह 31.08.2009 तक की रिक्तियों को भरने के लिये एक समय अपवाद स्वरूप छठे वेतन आयोग के अन्तर्गत ग्रेडों के आमेलन (Merge) के कारण किया गया है।

ii अब वरीयता सह उपयुक्तता के आधार पर 31.12.2011 तक की रिक्तियों के लिये ग्रेड पे 4200 व 4600 व ऊपर के पदों को पदोननति द्वारा भरे जाने के लिये मानक अंक 15 में से क्रमशः 6 व 8 अंक होगें। (RBE 81/2010)

4 विचार करने के पश्चात रेलवे बोर्ड द्वारा विनिश्चय किया गया कि RBE 161/09 में दी गई प्रक्रिया दिनांक 31.12.2012 तक होने वाली पदोन्नति रिक्तियों में RBE 81/10 में दिये गये बैंच मार्क के साथ अगले आदेशों तक लागू रहेगी अर्थात् ग्रेड पे 4200 व 4600 में पदोननति जहाँ ''वरियता सह उपयुक्तता'' के आधार पर होती हैं वहाँ 15 में से क्रमशः 6 व 8 अंक आवश्यक होगें। पदोन्नति हेतु दी गई उपरोक्त प्रक्रिया व बैंक मार्क दिनांक 31.12.2015 तक लागू रहेगी। (RBE 02/13, 51//13, 01/14, 63/14, 150/14)

उपरोक्त सम्बन्ध में आरबीई 161/09, 81/10, 158/11, 65/12, 02/13] 51/13, 01/14, 63/14 & 20/2017 के क्रम में रेलवे बोर्ड द्वारा यह विनिश्चय किया गया हैं कि सीधी भर्ती, सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के कोटे आदि की गणना करते समय विलय किये गये ग्रेडों की कुल संख्या को ध्यान में रखा जायेगा। (RBE 87/14)

तदर्थ पदोन्नति : (RBE 20/2017)

1 तदर्थ पदोन्नतियों के बचने के लिये चयन /गैर चयन / ट्रेड टेस्ट वाले पदों को प्रक्रिया

पूर्ण कर यथा समय भरने की कार्यवाही होनी चाहिये। तथापि सेवा की आवश्यकता में अपरिहार्य हो पर पात्र वरिष्ठतम कर्मचारी की पदोननति पर विचार किया जा सकता है। नियमानुसार एक कनिष्ठ को उसके वरिष्ठ को नकार कर पदोन्नत नहीं किया जा सकता, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी वरिष्ठ की अयोग्यता के मद्धेनजर कनिष्ठ की तदर्थ पदोन्नति के आदेश न दें। किसी भी परिस्थिति में दूसरी तदर्थ पदोन्नति नहीं हो सकती।

2 तदर्थ पदोन्नति हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देशों का पालन किया जाना चाहियेः–

अ गैर चयनित पदों पर तदर्थ पदोन्नति : गैर चयन पदो ंके मामलें, में जिसमें ऐसे मद भी शामिल है जिन्हें ट्रेड टेस्ट के आधार पर भरा जाता हे, निर्धारित प्रक्रिया समय पर पूर्ण कर रिक्तियों को भरा जाना चाहिये। अतः अचयनित पदों पर तदर्थ पदोन्नति नहीं होनी चाहिये।

ब चयनित पदों में तदर्थ पदोन्नति : तदर्थ पदोन्नति छुट्टी रिक्ति व अल्प अवधि की रिक्ति हेतु 04 माह तक की जा सकती हे इसके पश्चात वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा कर्मचारी का भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा जब तक की इस हेतु मुख्य कार्मिक अधिकारी का व्यक्तिगत अनुमोदन प्राप्त न हो।

स साधारण : नियमित रिक्तयों के विरूद्ध तदर्थ पदोन्नति नहीं की जानी चाहिये। यदि तदर्थ पदोन्नति अपवादिक कारणों, जैसे न्यायालय के आदेशों आदि, से अनिवार्य हो जाती है तो मुख्य कार्मिक अधिकारी की व्यक्तिगत स्वीकृति से ही ऐसा किया जा सकेगा। विशेष परिस्थितियाँ, जैसे न्यायालय आदि की रोक के कारण पैनल नहीं बनाया जा सकता हो, ऐसे मामलों को छोड़कर किसी भी मामले में अधिकतम छःमाह से अधि कइस प्रकार की व्यवस्था की अनुमति नहीं दी जा सकती। (RBE 279/98)

चयन बोर्ड :

अ चयनित पद को भरने के लिये सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से उपयुक्त चयन कोर्ड का गठन किया जायेगा।

ब महाप्रबन्धक या कार्यालय प्रधान या सक्षम प्राधिकारी यथा मण्डल रेल प्रबन्धक /अतिरिक्त मण्डल रेल प्रबन्धक /मुख्य कारखाना प्रबन्धक के अनुमोदन से चयन बोर्ड का गठन किया जायेगा। (RBE 92/2000)

चयन बोर्ड का गठन :

अ तीन अधिकारियों से कम का चयन बोर्ड का गठन नहीं किया जायेगा। इस चयन बोर्ड में एक कार्मिक अधिकारी व एक जिस विभाग का चयन करवाया जाना है उस विभाग का अधिकारी व एक अन्य अधिकारी होगा। (RBE 52/98)

ब जब चयन बोर्ड केवल तीन अधिकारियों से बनाया जाता है, इसमें कोई भी एक दूसरे का सीधे सहायक अधिकारी नहीं होगा।

स वेतनमान रू 5500–9000 (आरएसआरपी) (प्री VI पीसी) तथा ऊपर के पदो ंके चयन हेतु चयन बोर्ड कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों से बनाया जायेगा। अन्य भी चयनित पदो ंके लिये चयन बोर्ड का गठन वरिष्ठ स्केल के नीचे के अधिकारियों से नहीं किया जायेगा। कार्मिक विभाग के चयन के अलावा चयन बोर्ड में कार्मिक अधिकारी अन्य अधिकारियों से एक स्तर नीचे का अधिकारी नामित किया जा सकता है जिसे कि अन्य सदस्यों के अनुरूप ही अधिकार प्राप्त होगें।

द छठा वेतन आयोग लागू होने के पश्चात 4200 व ऊपर के ग्रेड पे पदो ंके चयन हेतु कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान (JA Grade) के अधिकारियों का तथा 2800 व उससे नीचे के ग्रेड पे के पदो ंके चयन हेतु वरिष्ठ वेतनमान (Senior Scale) के अधिकारियों से चयन बोर्ड का गठन किया जायेगा। (RBE 38/11)

टिप्पणी : मण्डलों में जहाँ जे.ए. ग्रेड के अधिकारी सम्बन्धित विभाग से उपलब्ध नहीं हैं, तो चयन बोर्ड के सदस्यों के रूप में अन्य विभागों के जे.ए. ग्रेड के अधिकारियों को नामित किया जा सकता है। सम्बन्धित विभाग का स्वतंत्र प्रभार वरिष्ठ स्केल अधिकारी (जो किसी

अन्य सदस्य का अधीनस्थ नहीं होगा) चौथे सदस्य के रूप में नामांकित किया जा सकता है जो चयन की कार्यवाही पर हस्ताक्षर भी करेगा। कार्मिक अनुभाग के चयन के मामले में यदि मण्डल में जे.ए. ग्रेड का अधिकारी कार्मिक विभाग में उपलब्ध नहीं है तक मण्डल के वरिष्ठ स्केल के कार्मिक अधिकारी सहित नजदीक के मण्डल या प्रधान कार्यालय के जे.ए. ग्रेड के अधिकारी को चयन बोर्ड में शामिल किया जा सकता है। (RBE 52/98 & 45/99)

य चयन बोर्ड में अ.जा./अ.ज.जा. के अधिकारी को (चाहे वह उसी विभाग का हो अथवा अन्य विभाग /रेलवे /उत्पादन इकाई का) शामिल किया जाना चाहिये।
चयन बोर्ड में अ.जा./अ.ज.जा. से सम्बन्धित अधिकारी को शामिल करना अनिवार्य है न केवल तब जब रिक्तियाँ इन समुदायों के लिए आरक्षित हो बल्कि तब भी जब अ.जा./अ.ज. जा. समुदाय से सम्बन्धित उम्मीदवार अनारक्षित रिक्तियों को भरने के लिये विचार करने के योग्य हो।

र i चयन को अधिक पारदर्शी व सुचारू करने हेतु रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 20.10.1999 (RBE 272/99) व इससे सम्बन्धित अन्य निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये।

ii चयन समिति के सदस्यों से इस सम्बन्धी विशेष पावती ली जाये कि उन्होंने इस सम्बन्धी नियमों /निर्देशों का अवलोकन कर लिया हैं तथा सम्बन्धित चयन, जो कि प्रक्रियाधीन है, (selection for which proceedings are being drawn) में इनकी अनुपालना की गई हैं। (RBE 57/13)

अनु.जाति /जन जाति उम्मीदवारों का प्रशिक्षण :

संरक्षा /गैर सरंक्षा कोटियों में पदोन्नति हेतु अ.जा./अ.ज.जा. समुदायों से सम्बन्धित उम्मीदवार की पूर्व चयन /पदोन्नति प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिये। इस प्रशिक्षण में लिखित परीक्षा के लिये निर्धारित सम्पूर्ण पाठ्यक्रम समाहित होना चाहिये।

गोपनीय रिपोर्ट : जहाँ उच्च वेतनमान में पदोन्नति हेतु न्यूनतम दो वर्ष की सेवा आवश्यक हैं और वहाँ अगर तीसरे वर्ष की गोपनीय रिपोर्ट उपलब्ध नहीं हैं तो पिछली दो गोपनीय रिपोर्ट के औसत अंक को तीसरे वर्ष की गोपनीय रिपोर्ट हेतु विचार में लिया जायेगा। (RBE 84/13)

चयन बोर्ड अपनाई जाने वाली प्रक्रिया :

अ i चयन के रूप में वर्गीकृत पदों पर पदोन्नति के लिये चयन के भाग के रूप में आयोजित लिखित परीक्षा में बहुविकल्प प्रकार (Objective) के लगभग 50% प्रश्नों का समायोजन होना चाहिये, लेखा विभाग को छोड़कर (लिखित परीक्षा के लिये कुल अंकों का 45 से 55% की सीमा के मध्य)। (RBE 137/03 & 123/06)

ii प्रश्न पत्र में 10% प्रश्न राजभाषा के होने चाहिये।

iii लिखित परीक्षा के लिये प्रश्न–पत्र प्रायोगिक प्रवृति का होना चाहिये अर्थात् इसे इस प्रकार बनाया जाये कि उम्मीदवार के सैद्धान्तिक ज्ञान के साथ–साथ उसके सामने आने वाली व्यवहारिक समस्याओं को सम्भालने की दक्षता की भी जाँच हो सकें। (RBE 144/05)

iv बहुविकल्पी (Objective) प्रश्नों का उत्तर देते समय किसी भी प्रकार की अशुद्धि संशोधन की अनुमति नहीं हैं। यदि कोई अशुद्धि संशोधन किया जाता है तो उस उत्तर को जाँचा नहीं जायेगा। अशुद्धि संशोधन निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार का हो सकता हैः–

क काट–छाट

ख ओवर राइटिंग

ग एक से अधिक विकल्प पर सही का निशान तथा अन्य उत्तर भी सही का निशान लगाना, तथा

घ उत्तर में किसी भी प्रकार से किया गया संशोधन। (RBE 29/09)

v कार्मिक अधिकारी व चयन समिति के अन्य सदस्यों हेतु मार्गदर्शन सिद्धान्तों का प्रसारण (RBE 272/92, 26/14, 90/14)

vi. उत्तर पुस्तिकाओं की कोडिंग/डिकोडिंग नामित कार्मिक अधिकारी द्वारा ही की जायेगी। (RBE 82/10)

ब सक्षम प्राधिकारी (जो चयन समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर सकता है) अथवा चयन समिति के प्राधिकार के बिना उम्मीदवारों को अनुग्रह अंक देने का प्रावधान नहीं है। व्यक्तिगत मामलों में अनुग्रह अंक नहीं दिये जा सकते। (RBE 95/85)

स i उपयुक्त कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट (यदि है) व सेवारिकार्ड की जाँच चयन समिति करेगी। व्यक्तित्व, शैली, नैतृत्व क्षमता जैसेः– विभिन्न शीर्षों के तहत उम्मीदवारों का मूल्यांकन करने के लिये एकल मूल्यांकन शीट तैयार की जायेगी जिस पर चयन समिति के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किये जायेगें। मूल्यांकन शीट में किसी प्रकार का संशोधन किया गया हो तो उसे चयन समिति के सभी सदस्यों द्वारा अनुप्रमाणित किया जाना चाहिये। (RBE 149/99)

ii चयन पदों हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया सम्बन्धी स्पष्टीकरण –उत्तीर्ण अंक (Qualifying Marks) प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की वरिष्ठता के आधार पर पैनल बनाना। (RBE 17/14, 43/15)

iii चयन में आरक्षित पदो के विरूद्ध अजा/अजजा के उन कर्मचारियों को पहले पैनल पर रखा जायेगा जो बिना छूट (without relaxation) के उत्तीर्ण हुये हैं तथा इसके बाद आरक्षित कोटा में कमी रहने पर ही छूट के साथ उत्तीर्ण हुये अजा/अजजा के कर्मचारियों को पैनल रखा जायेगा। (RBE 152/99)

द प्राथमिक तौर पर चयन समग्र योग्यता के आधार पर किया जायेगा, लेकिन चयन समिति के मार्गदर्शन के लिये नीचे लिये गये तथ्यों व उनके आगे दिये सम्बन्धित अंकों का भी ध्यान रखा जाना चाहिये।

क्रस	तथ्य /शीर्ष	अधिकतम अंक	अर्हक अंक
i	व्यवसायिक योग्यता	50	30
ii	सेवा रिकार्ड	30	–
iii	वरीयता	20	–
	कुल :	100	60

i गोपनीय रिपोर्ट तथा अन्य सम्बन्धित रिकार्ड की जाँच करने के अलावा मूलभूत प्रशिक्षण स्कूल /संस्थान में कर्मचारी के निष्पादन की जाँच के लिये सेवा रिकार्ड जैसी मद पर विचार किया जाना चाहिये।

चयन के मामलों में जहाँ, कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट मेनटेन नहीं की जाती हैं, वहाँ ''रिकार्ड ऑफ सर्विस'' के शीर्षक में अंकों का आबंटन सेवा वृत (Service Record) के आधार पर किया जाना हैं, उसके लिये अंकों के आबंटन की समरूपता कसौटी (Uniformly Criteria) विभागीय समिति (Selection Commettee के सदस्यों द्वारा तय किया जायेगा। (PS No.: 86A/11 of NWR)

ii पैनल पर आने के लिये उम्मीदवार को व्यवसायिक योग्यता में कम से कम 60% अंक तथा कुल अंकों का 60% प्राप्त करना अनिवार्य है। कुछेक मामलों में जहाँ व्यवसायिक योग्यता की जाँच के लिये लिखित एवं मौखिक परीक्षा दोनों का आयोजन किया जाता है, वहाँ लिखित परीक्षा 35% अंकों से कम नहीं होगी तथा उम्मीदवार को मौखिक परीक्षा में बुलाने के लिये उसे लिखित परीक्षा में कम से कम 60% अंक प्राप्त करने होगें। (RBE 154/07)

यदि लिखित परीक्षा एक से अधिक प्रश्न–पत्रों की होती है तो उम्मीदवार को लिखित परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न–पत्र में 60% अंक प्राप्त करने आवश्यक हैं लेकिन यदि प्रश्न–पत्र एक से अधिक भाग में बंटा है तो प्रत्येक भाग में 60% अंक लाने की

बाध्यता नहीं होगी। (RBE 144/07)

iii संवर्ग बाह्य पद के मामले में जहाँ कर्मचारी का मूल संवर्ग में लियन रहता है और वही पदोन्नतियाँ चाहता है, के मामले में उपर नियम (ii) के प्रावधान लागू नहीं होगें। (RBE 149/99)

iv मोटरमेन हेतु पदोन्नति के चयन के मामले में विभिन्न शीर्षों के तहत अंकों का वितरण नीचे दर्शाई गई तालिका में दिये गये शीर्ष के अनुसार होगाः– (RBE 35/06 & 139/06)

क्रस	तथ्य /शीर्ष	अधिकतम अंक	अर्हक अंक
i	व्यवसायिक योग्यता	50	30
ii	सेवा रिकार्ड	15	–
iii	वरीयता	15	–
iv	योग्यता परीक्षा (Aptitute Test)	20	(RDSO द्वारा निर्धारित न्यूनतम कट ऑफ)
	कुल :	100	60

य चयनित उममीदवारों के नाम वरीयता क्रम में रखे जायेगें, लेकिन जिन उम्मीदवारों ने 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हैं उन्हें उत्कृष्ट रूप में वर्गीकृत किया जायेगा तथा पेनल पर उन्हें तदनुसार रखा जायेगा लेकिन उन्हें कुल योग्य उम्मीदवारों के 50% से ऊपर नहीं रखा जा सकता है।

र सामान्य पदो के लिये, अर्थात् ऐसे पद जिस पर पदोन्नति हेतु विभिन्न कोटियों से उम्मीदवारों को बुलाया जाता है, चाहे वे उसी विभाग के हो अथवा अन्य विभागों के, उनके लिये चयन प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः–

i सभी पात्र कर्मचारी जो चयन पद की पात्रता की शर्तों को पूरा करते है, उनके लिये एक लिखित परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। (कुछेक मामलों में मौखिक परीक्षा भी ली जायेगी) उनमें विभिन्न शीर्षों के तहत अंकों का वितरण नीचे दर्शाये अनुसार होगाः– (RBE 263/98)

क्रस	तथ्य /शीर्ष	अधिकतम अंक	अर्हक अंक
i	व्यवसायिक योग्यता	50	30
ii	सेवा रिकार्ड	30	–
	कुल :	80	48

नोट (i) सहायत लोको पायलट (डीजल /इलेक्ट्रिक) एवं सहायक स्टेशन मास्टर के पदों पर पदोन्नति के चयन के मामलें में विभिन्न शीर्ष के तहत अंकों का वितरण नीचे दर्शाई गई तालिका में दिये गये शीर्ष के अनुसार होगेंः– (RBE 35/06)

क्रस	तथ्य /शीर्ष	अधिकतम अंक	अर्हक अंक
i	व्यवसायिक योग्यता	50	30
ii	सेवा रिकार्ड	30	–
iii	योग्यता परीक्षा	20	(RDSO द्वारा निर्धारित न्यूनतम कट ऑफ)
	कुल :	100	60

नोट (ii) अंतिम पैनल वरीयता के आधार पर उन कर्मचारियों में से तैयार किया जायेगा, जिन्होंने कुल 60 अंक तथा व्यवसायिक योग्यता में कम से कम 60% अंक प्राप्त किये हैं लेकिन जिन्होंने 80% या इससे अधिक अंक प्राप्त किये हैं, उन्हें वरीयता क्रम में सबसे ऊपर स्थान दिया जायेगा।

(RBE 263/98, 35/06 & 123/06 & 17/14)

(iii)स्विचमेन, सहायक स्टेशन मास्टर, सहायक लोको पायलट, मोटरमेन इत्यादि को चयन

के क्रम में मनोवैज्ञानिक परीक्षा(Psychological Test) पास करना आवश्यक होगा तथा जो कर्मचारी इसमें उत्तीर्ण नहीं होगें उन्हें पेनल /उपयुक्तता सूची पर नहीं रखा जा सकेगा। (RBE 173/99 & RDSO L.dt.08.07.13(NWR PS62/13)

ल चयनित उम्मीदवारों की सूची सक्षम प्राधिकारी को अनुमोदन के लिये प्रस्तुत की जायेगी। यदि सक्षम प्राधिकारी चयन समिति की सिफारिशों से सहमत नहीं हो तो मामले को महाप्रबन्धक को भेजा जायेगा, जो या तो उच्च स्तरीय चयन समिति का गठन करेगें अथवा जैसा उचित होगा अन्य आदेश जारी करेगें। यदि सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित पेनल अन्तिम रूप से तैयार कर जारी कर दिया जाता हे तथा बाद में यदि यह पाया जाता है कि इसमें कार्य प्रणाली सम्बन्धी कोई अनियमितता या अन्य त्रुटियाँ है जिसकी वजह से पेनल को या तो निरस्त किया जाना चाहिये अथवा उसमें बदलाव किया जाना आवश्यक हो तो जिस सक्षम प्राधिकारी ने पेनल अनुमोदित किया है उससे उच्चतर प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन लेकर बदलाव किया जा सकता है।

व जहाँ पर चयन सामान्य पद हेतु विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों से आवेदन–पत्र माँग कर करवाया जाता हैं, चाहे वे एक वरियता समूह से हो चाहे विभिन्न वरियता समूहों से हो व इस चयन हेतु विचार सीमा नहीं होती हैं यानि सभी पात्र कर्मचारियों को बुलाया जाता हैं जिन्होंने अपना आवेदन दिया हो तो उस चयन का पेनल कर्मचारियों द्वारा लिखित परीक्षा व सेवा रिकार्ड में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर बनाया जायेगा। प्राप्त अंकों में, जहाँ लागू हो वहाँ पर, अ.जा. व अ.ज.जा. कर्मचारियों को देय छूट लागू होगी। इस चयन में 80% व अधिक अंक लाने वाले कर्मचारियों हेतु ''उत्कृष्ठ'' सम्बन्धी कोई प्रावधान नहीं होगा। उक्त आदेश दिनांक 19.06.2009 से प्रभावी तथा इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी आदेशों के अतिक्रमश में होगें। (RBE 113/09, 17/14)

श विदेश में प्रतिनियुक्त कर्मचारी का चयन : जो कर्मचारी विदेश में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं उनका इंतजार किये बिना पेनल को अंतिम रूप दिया जा सकता है। विदेश से कर्मचारी के लौटने पर यदि यह पाया जाता है कि चयन के आधार पर उससे कनिष्ठ व्यक्ति को पदोन्नत कर दिया गया है तथा विदेश में रहने के कारण उनको चयन के लिये बुलाया नहीं गया हे तो अगले चयन में चयनित हो जाने पर कनिष्ठ कर्मचारी की तुलना में उनकी वरीयता समायोजित कर दी जायेगी। अगले चयन में यदि ऐसा कर्मचारी उत्कृष्ट श्रेणी प्राप्त करता है तो उसे तद्नुसार वरीयता के साथ पिछले पेनल में सम्मिलित कर लिया जायेगा।

ष पेनल को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद सम्बन्धित उममीदवार से औपचारिक अनुरोध प्राप्त होने पर उम्मीदवार द्वारा लिखित और मौखिक परीक्षाओं में पृथक रूप से प्राप्त किये गये अंकों का खुलासा किया जाये। (RBE 97/11)

पेनल की वैद्यता (Currency of Panel) :

क चयन समिति द्वारा तैयार किया गया तथा सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित पेनल की अवधि सक्षम अधिकारी के अनुमोदन की तिथि से दो वर्ष अथवा पेनल में चयनित कर्मचारियों की पदोन्नति तक जो भी पहले हो, तक रहेगी।

ख यदि कोई कर्मचारी पेनल पर आने के पश्चात अर्हक (Non-fortutous) रिक्त पड़े पद पर स्थानापन्न तौर पर कार्य कर लेता है, चाहे वह पद किसी कर्मचारी के छुट्टी पर जाने, प्रतिनियुक्ति पर अथवा अस्थाई स्थानान्तरण के कारण रिक्त हो, तो उसे नये चयन में बैठने की आवश्यकता नहीं होगी।

ग यदि पेनल पर कोई कर्मचारी उच्च क्रम में है तथा वह किसी ऐसे कारण से जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, जैसे बीमारी अथवा पदोन्नति पर प्रशासन द्वारा कार्य मुक्त नहीं किये जाने आदि के कारण पदोन्नत नहीं हो पाया हो तथा पेनल पर उससे नीचके क्रम का कर्मचारी स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहा हो तो उसे नये चयन में बैठने की आवश्यकता

नहीं है। यदि वरिष्ठ कर्मचारी अपने निजी कारणों से स्थानापन्न पदोन्नति नहीं लेता हो तो यह माना जायेगा कि वह पदोन्नति हेतु मनाही करता है। ऐसे मामलों में अगला कनिष्ठ कर्मचारी पदोन्नति के लिये पात्र व्यक्ति है तथा जिस कर्मचारी ने पदोन्नति हेतु मनाही दी है वह उपरोकत पैरा (ग) में दिये लाभ का अधिकारी नहीं होगा।

उच्चतर पदों में कर्मचारियों का स्वतः पैनल में होना (Automatic Empanelment in highe grade) :

क चयन पद : यदि कोई रेल कर्मचारी एक ही पदोन्नति सारणी में, मध्यवर्ती ग्रेड चयन पद के लिये चयनित हुए बिना उच्चतर ग्रेड चयन पद के लिये चयनित होता है तो, उसे मध्यवर्ति ग्रेड चयन पद के लिये स्वतः ही चयनित हुआ माना जाना चाहिये, बशर्ते कि मूल समूह ''ग'' पद, मध्यवर्ती समूह ''ग'' चयन पद, और उसका वर्तमान समूह ''ग'' पद सभी एक ही पदोन्नति सारणी में हो और उनमें से कोई भी ऐसा सामान्य पद न हो जिसके लिये विभिन्न कोटियों के कर्मचारी पात्र हो। यदि मध्यवर्ती ग्रेड चयन पद के लिये चयन बोर्ड ने कुछ व्यक्तियों को ''उत्कृष्ट'' के रूप में रखा हो, तो उच्चतर ग्रेड समूह ''ग'' पद के लिये चयनित कर्मचारी को ''उत्कृष्ट'' के रूप में वर्गीकृत किया गया माना जायेगा और चयन बोर्ड द्वारा मध्यवर्ती ग्रेड चयन पद के लिये ''उत्कृष्ट'' के रूप में वर्गीकृत कर्मचारियों में वरिष्ठता के अनुसार रखा जायेगा, बशर्ते कि उस पद के लिये चयन, ऐसे कर्मचारी के उच्चतर ग्रेड चयन पद के लिये चयनित हो जाने के बाद हुआ हो।

ख अचयन पद : मध्यवर्ती ग्रेड के अचयन ग्रेड होने की स्थिति में, कर्मचारी को ऐसे मध्यवर्ती ग्रेड में तभी प्रोफार्मा स्तर मिलेगा यदि इस प्रयोजन के लिये निर्धारित कार्यविधी के आधार पर, उच्चतर ग्रेड के लिये योग्य होने के नाते, स्वीकृत वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के अनुसार ऐसा स्तर देय हो।

पूरक चयन /पात्रता परीक्षा :

i निम्नलिखित मामलों में पूरक चयन परीक्षा का आयोजन किया जा सकता हैः—

क यदि उम्मीदवार को साक्षात्कार का बुलावा बहुत देरी से प्राप्त हुआ हो जिसकी वजह से उसे साक्षात्कार स्थल पर पहुँचने में कठिनाई हो,

ख साक्षात्कार के लिये प्रशासन द्वारा समय पर कार्यमुक्त नहीं किया जाना,

ग उम्मीदवार की बीमारी की वजह से अथवा कोई ऐसा अन्य कारण जिस पर कर्मचारी का नियंत्रण न हो। विवाह समारोह में भाग लेना या ऐसे किसी अन्य समारोह में अथवा कोई अन्य कारण जिस पर उसका नियंत्रण हो, को अपरिहार्य अनुपस्थिति के रूप में नहीं माना जायेगा। बीमारी के दौरान कर्मचारी को रेलवे चिकित्सा अधिकारी की विशिष्ट सेवायें लेनी चाहिये।

ii जहाँ तक सम्भव हो पूरक चयन के लिये चयन समिति की बैठक में वही अधिकारी भाग लेगें जो पहले चयन समिति की बैठक में उपस्थित थे तथा यह बैठक पहले चयन के 01 माह के भीतर हो जानी चाहिये या सम्बन्धित कर्मचारी के कार्य पर लौटने पर। बशर्त है कि कर्मचारी पहले चयन होने के तीन माह के भीतर वापस कार्य पर लौट जायें। यदि कर्मचारी के लौटने में विलम्ब हो और वह तीन माह के अवधि में न लौट पाये तो चयन के परिणाम को विलम्बित न किया जाये और कर्मचारी अगर पूरक चयन में सम्मिलित होता तो उसके नाम को यह मानते हुए शामिल कर लिया जायेगा जैसे िकवह पहले चयन में उपस्थित हुआ हो। पहले चयन की तिथि से 06 माह के बाद कर्मचारी कार्य पर लौटता है तो उसके नाम पर विचार नहीं किया जायेगा।

iii परीक्षा की तिथि के बारे में जानकारी नहीं मिलना, देर से मिलना या बीमारी की वजह से अनुपस्थिति के कारण आवश्यकता को पूरा करने के लिये सामान्यतः एक पूरक चयन का आयोजन किया जायेगा। प्रत्येक मामले की योग्यता के आधार पर मुख्य कार्मिक अधिकारी के व्यक्तिगत अनुमोदन से ही, बहुत कम मामलों में, दूसरे पूरक चयन का

आयोजन किया जा सकता है।

गैर चयन पद के लिये : यदि कोई कर्मचारी किन्ही ऐसे कारणों से जो उसके नियंत्रण में नहीं हैं, जैसे लम्बी बिमारी की वजह आदि, से 06 माह की अवधि के भीतर योग्यता परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाता है तो वह ड्यूटी पर आने के बाद निश्चित अवधि के भीतर पूरक योग्यता परीक्षा में भाग लेगा और यदि पदोन्नति के लिये पात्र पाया जाता है तो उसे प्रोफार्मा वरिष्ठतमा देते हुये पूर्व में पदोन्नत कनिष्ठ कर्मचारी पर वरिष्ठता प्रदान की जायेगी।

चयन पदों के मामले में रोल नम्बर की कोडिंग व डिकोडिंग करने की प्रक्रिया : (RBE 82/10)

जिस विभाग के लिये चयन किया गया है यह उस विभाग के कार्मिक अधिकारी का उत्तरदायित्व है कि लिखित परीक्षा हो जाने के बाद रोल नम्बरों का कोडिंग व डिकोडिंग करें। कार्मिक शाखा के मामले में मूल्यांकन अधिकारी के अलावा अन्य कार्मिक अधिकारी इस कार्य के लिये उत्तरदायी होगा। इस प्रयोजन के लिये कार्मिक अधिकारी का स्तर महाप्रबन्धक द्वारा किया जायेगा।

कोडिंग व डिकोडिंग करने का उत्तरदायित्व एकल अधिकारी, यादि कि इस प्रयोजन के लिये जिस कार्मिक अधिकारी को नामित किया गया है, उसका होगा। यदि परीक्षा एक से अधिक केन्द्रों पर आयोजित की जाती है तब भी यह कार्य एक अधिकारी द्वारा ही किया जायेगा। ठीक उसी प्रकार कार्मिक विभाग के चयन के मामलों में मूल्यांकन अधिकारी के अलावा अन्य कार्मिक अधिकारी इस प्रयोजन के लिये उत्तरदायी होगा तथा किसी भी मामले में मूल्यांकन अधिकारी रोल नम्बर को कोडिंग डिकोडिंग करने के लिये नामित नहीं किया जायेगा।

पदोन्नति हेतु मनाही : चयन पद के लिये :

i यदि कर्मचारी पदोन्नति के लिये स्पष्ट रूप से या अन्यथा इंकार कर दे (अर्थात् जिस पद के लिये उसका चयन हुआ है उसका कार्यभार ग्रहण न करें और न ही लिखित रूप में पदोन्नति को अस्वीकृत करने की सूचना दे) तो एक साल की अवधि के लिये भविष्य में होने वाली पदोन्नति के लिये रोका जा सकता है, परन्तु उसे अपने कार्यस्थल पर अपने पद पर कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है। पेनल, जिस पर उस कर्मचारी का नाम दर्ज है, कि वैद्यता जारी रहने पर एक वर्ष की अवधि के पश्चात उसे पदोन्नत किया जा सकता है अन्यथा उसे पुनः चयन में सम्मिलित होना होगा।

ii एक वर्ष की अवधि समाप्त होने पर यदि कर्मचारी किसी बाहरी स्टेशन पर पदोन्नति के लिये पुनः असहमति देता हे तो उसका नाम पेनल से हटा दिया जायेगा, इसके लिए किसी प्राधिकारी से अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं है यह स्वतः ही हो जायेगा तथा प्रशासन उसे उसी ग्रेड पर किसी अन्य स्टेशन पर स्थानान्तरित कर सकता है।

iii ऐसी स्थिति में मनाही पश्चात देरी से पदोन्नत हुये कर्मचारी को वरियता पदोननति तिथि से देय होगी तथा पेनल में कनिष्ठ होते हुये भी वे कर्मचारी उससे वरिष्ठ होगें जो उससे पहले पदोन्नत हो गये है।

गैर चयन पद ::

i गैर चयन पद पर पदोन्नति हेतु मनाही करने पर कर्मचारी को एक वर्ष की अवधि के लिये भविष्य में होने वाली पदोन्नति से रोका जा सकता है, लेकिन अपहरिहार्य घरेलू कारणों से एक वर्ष की अवधि तक के लिये उसे अन्यत्र स्टेशन पर स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा। एक वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के बाद पदोन्नति हेतु पुनः असहमति देने पर उसे एक वर्ष की अवधि के लिये पदोन्नति से वंचित रखा जायेगा तथा साथ ही प्रशासन उसे उसी ग्रेड में अन्यत्र स्टेशन पर स्थानान्तरित कर सकता है और कर्मचारी को पदोन्नति के लिये उसकी बारी आने पर पुनः उपयुक्तता परीक्षा में भाग लेना होगा।

ii कर्मचारी की वास्तविक वरीयता का लिहाज किये बिना, जिस अवधि के लिये उसने पदोन्नति के लिये असहमति जताई है, उस दौरान पदोन्नत सभी कर्मचारियों से वह कनिष्ठ होगा।

नोट : कर्मचारी द्वारा गम्भीर परिवारिक परेशानियों अथवा मानवता के आधार पर अल्पकालिक अवधि के लिये पदोन्नति को स्थगित करने के निवेदन पर प्रशासन द्वारा विचार किया जा

सकता है। सम्बन्धित कर्मचारी को दी गई अवधि के पश्चात रिक्त पद होने पर पदोन्नत किया जा सकता है और वह अपनी वरीयता पदोन्नत होने की तिथि से प्राप्त करेगा।

उसी स्टेशन पर पदोन्नति : उसी स्टेशन पर पदोन्नति के मामले में, चाहे वह दीर्घकालिक अथवा अल्पकालिक अवधि की रिक्तियाँ पर हो, पदोन्नति हेतु मनाही को कार्य करने से इंकार के रूप में लिया जायेगा तथा इस तरह की अस्वीकृति /मनाही के कारण कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती ह। उसी स्टेशन पर तदर्थ पदोन्नति के रूप में असहमति के पर्याप्त कारणों के आधार पर अनुशासनात्मक एवं अपील नियमों के तहत केवल उन्हीं मामलों में कार्यवाही की जायेगी जिन मामलों में ऐसी असहमति के कारण ट्रेन संचालन प्रभावित होता है। (RBE 311/89, 200/04)

आर्टीजन श्रेणियों के लिये दक्षता परीक्षा :

i कर्मचारी दक्षता परीक्षा पास किये बिना तदर्थ आधार पर 06 सप्ताह तक स्थानापन्न रूप से कार्य कर सकता है।

ii दक्षता परीक्षा में मौखिक परीक्षा व प्रायोगिक परीक्षा दोनों शामिल हो सकती है, लेकिन आर्टीजन श्रेणी में कर्मचारी की पात्रता की जाँच के लिये अलग से मौखिक परीक्षा, जो कि दक्षता परीक्षा का हिस्सा नहीं है, आयोजित नहीं की जायेगी।

iii रेलवे में आर्टीजन श्रेणी से सम्बन्धित कर्मचारियों की कुशल कारीगर–II व III के रूप में पदोन्नति के समय तथा सिगनल व दूरसंचार विभाग में ई.एस.एम. /एम.एस.एम. के रूप में पदोन्नति के लिये दक्षता परीक्षा आयोजित की जाती है। अर्द्धकुशल कारीगर के लिये केवल अभिक्षमता परीक्षा आयोजित की जायेगी। जिसके लिये कर्मचारी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। कुशल कारीगर ग्रेड–I की उपयुक्तता का निर्धारण तीन अधिकारियों की कमेटी द्वारा गोपनीय रिपोर्ट /सेवा रिकार्ड के आधार पर किया जायेगा। इसके लिये कर्मचारी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है।

iv दक्षता परीक्षा साल में दो बार आयोजित की जायेगी।

v दक्षता परीक्षा में मौखिक व प्रायोगिक परीक्षा होगी और साथ ही यहाँ आवश्यक हो वहाँ लिखित परीक्षा भी ली जायेगी।

vi दक्षता परीक्षा में अर्हक अंक निम्नानुसार होगें:–

	कुल अंक	अर्हक अंक	
		सामान्य के लिये	अ.जा./अ.ज.जा. के लिये
प्रायोगिक	60	36	30
मौखिक	40	15	11
कुल	100	51	41

vii दक्षता परीक्षा के लिये रिक्त पदों की संख्या के बराबर कर्मचारियों को बुलाया जायेगा। यदि उपयुक्त संख्या में योग्य कर्मचारी उपलब्ध न हो तो इसे पूरा करने के लिये अन्य कर्मचारियों को बुलाया जायगा, लेकिन यह सम्पूर्ण प्रक्रिया 06 माह की अवधि के भीतर हो जानी चाहिये। यदि यह इस समयावधि बाद होती है तो इसे नई दक्षता परीक्षा के रूप में माना जायेगा। वे कर्मचारी जो पूर्व में असफल हो गये है वे 06 माह की अवधि की समाप्ति के पश्चात आयोजित परीक्षा में पुनः सम्मिलित होने के पात्र होगें। 06 माह की अवधि की गणना परिणाम घोषित होने की तिथि से की जायेगी।

viii यदि कोई कर्मचारी दक्षता परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, लेकिन बाद में ली गई दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता हे तो उसे ऐसे कनिष्ठ कर्मचारियों से पहले पदोननत किया जायेगा जो उससे पहले दक्षता परीक्षा तो पास कर चुके है लेकिन रिक्ति पदों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जायेगाः– वर्तमान रिक्त पद + अगले चार माह में रिक्त होने वाले पदो के कारण पूर्वानुमानित पद।

दक्षता परीक्षा मूल्यांकन के लिये अनुमोदन :

i वास्तविक दक्षता परीक्षा विनिर्दिष्ट दक्षता परीक्षा के आधार पर सहायक अधिकारी द्वारा आयोजित की जायेगी। वह दक्षता परीक्षा के परिणाम का मूल्यांकन करेगा जो कि ऐसे पर्यवेक्षक द्वारा पर्यवेक्षण किया गया हो जिसका स्तर सहायक फोरमेन या उसके समकक्ष से कम ना हो।

ii मण्डल पर सम्बन्धित विभाग के प्रशासनिक स्तर के अधिकारी द्वारा दक्षता परीक्षा का परिणाम अनुमोदित किया जायेगा। मण्डल पर जहाँ प्रशासनिक स्तर का अधिकारी नहीं होगा वहाँ मण्डल रेल प्रबन्धक /अपर मण्डल रेल प्रबन्धक दक्षता परीक्षा के परिणाम को अनुमोदित करेगें।

iii अनुमोदित दक्षता परीक्षा के परिणाम के विरूद्ध अपील दक्षता परीक्षा पेनल के अध्यक्ष को की जायेगी यानि कि वह प्रशासनिक स्तर का अधिकारी, जिसने दक्षता परीक्षा के परिणाम को अनुमोदित किया है, वह अपील प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

रेलवे विद्युतीकरण योजना अथवा निर्माण परियोजना के दौरान पास की जाने वाली दक्षता /उपयुक्तता परीक्षा से ओपन लाईन में उपयुक्तता परीक्षा हेतु छूट :–

ऐसे कर्मचारी जिन्होंने निर्माण /विद्युतीकरण परियोजना में रहने के दौरान गैर चयनित पदो के लिये पहले से ही उपयुक्तता /दक्षता परीक्षा पास कर ली हो, उन्हें ओपन लाईन पर इस तरह की परीक्षा की पुनः आवश्यकता नहीं है तथा उनकी पदोन्नति उनकी वरिष्ठता के आधार पर कर दी जायेगी। यह रियायत केवल तुलनीय परीक्षा (Comparable Trades) के लिये होगी जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का लियन ओपन लाईन के लिये रखा गया हो तथा यह जिसमें लियन रखा गया हे उससे एक उच्च ग्रेड के लिये ही लागू होगी।

गलत पदोन्नति :

1 कभी–कभी प्रशासनिक त्रुटि के कारण कर्मचारियों की उच्च वेतनमान में पदोन्नति हेतु अनदेखी हो जाती हैं। ऐसा पदोन्नति हेतु योग्य कर्मचारियों की सम्बन्धित वरिष्ठता में गलत लेखा दर्ज करने या पदोन्नति प्रस्ताव देते समय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पूर्ण तथ्य प्रस्तुत नहीं करने या किसी अन्य कारण से हो सकता है। मोटे तौर पर प्रशासनिक त्रुटि निम्न दो प्रकार की होती हैः–

   i जहाँ कर्मचारी को प्रशासनिक त्रुटि से पदोननत नहीं किया गया हो, तथा

   ii जहाँ कर्मचारी पदोननत तो हुआ है, किन्तु प्रशासनिक त्रुटि से उस तिथि से नहीं जिससे उसे पदोन्नत किया जाना था। इस प्रकार के प्रत्येक मामले को इसके गुण–अवगुणों के आधार पर निपटाना चाहिये। कर्मचारी जिसने प्रशासनिक त्रुटि के कारण अपनी पदोन्नति खो दी है, उसे पदोन्नति देते समय उसकी पदोन्नति की तिथि को पृथक रखते हुये, पहले से ही पदोन्नति उसके कनिष्ठों के समान ही सही वरिष्ठता दी जायेगी। ऐसे पदोन्नति पर उच्च वेतनमान में वेतन का निर्धारण प्रोफार्मा आधार पर दिया जाना चाहिये। बढ़ा हुआ वेतन पदोन्नति की तिथि से ही देय होगा लेकिन इस कारण से कोई बकाया (एरियर) देय नहीं होगा, क्योंकि कर्मचारी ने उच्च पद की ड्यूटी व जिम्मेदारियाँ वास्तव में इस अवधि में वहन नहीं की हैं।

2 कोई परिणामी पदोन्नति /नियुक्ति (अन्य रेल कर्मचारी की) गलत पदोननति पर नियुक्ति के आधार पर की गई है तो इसे भी एक त्रुटि माना जायेगा तथा इसे पूर्व पैराग्राफ के आधार पर अधिशासित किया जायेगा।

3 जहाँ नियुक्ति प्राधिकारी रेलवे बोर्ड /राष्ट्रपति हो ऐसे मामले को छोड़कर, जहाँ किसी रेल कर्मचारी की पदोन्नति /नियुक्ति में त्रुटि हुई है या नहीं इस प्रश्न का निर्धारण उस प्राधिकारी द्वारा, जो नियुक्ति प्राधिकारी से अगला उच्च प्राधिकारी होगा, के द्वारा पदोन्नति, नियुक्ति के लिये अधिशासित सिद्धान्तों के अनुरूप किया जायेगा। जब नियुक्ति प्राधिकारी रेलवे बोर्ड /राष्ट्रपति हो तो निर्णय माननीय राष्ट्रपति पर छोड़ा जायेगा और उनका निर्णय अन्तिम होगा।

संशोधित सुनिश्चित भविष्य उन्नयन योजना (MACPS) : (RBE 101/09 & 143/10)

यह योजना पूर्ववृर्ती ए.सी.पी. योजना का अधिक्रमण करती है तथा संगठित समूह ''ए'' सेवाओं को छोड़कर सभी नियमित रूप से नियुक्त ए, बी और सी रेल कर्मचारियों पर लागू होगी। समूह ''घ'' कर्मचारियों को निर्धारित प्रशिक्षण पूर्ण करने केबाद समूह ''ग'' कर्मचारी के रूप में माना जायेगा। रेलवे में नियुक्त नैमेतिक कर्मचारी, जिसमें अस्थायी ओहदा प्राप्त कर्मचारी भी शामिल हे तथा ऐसे कर्मचारी जो तदर्थ अथवा संविदा आधार पर नियुक्त हे, वे इस योजना के अधीन लाभ के हकदार नहीं होगें।

एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन की स्वीकृत देने के मामले पर विचार करने के लिये प्रत्येक विभाग में एक स्क्रीनिंग समिति का गठन किया जायेगा। स्क्रीनिंग समिति में एक अध्यक्ष तथा दो सदस्य शामिल होगें। स्क्रीनिंग समिति समय अवधि का पालन करेगी तथा एक वित्तीय वर्ष में दो बार बैठक करेगी जो कि सामान्यतः जनवरी तथा जुलाई के प्रथम सप्ताह में होगी ताकि उस छःमाही में परिपक्व होने वाले मामलों की पूर्व प्रक्रिया शुरू कर सकें।

यह योजना 01.09.2008 से प्रभावी होगी दूसरे शब्दों में पहले की एसीपी योजना (अक्टूबर 99) में दी गई व्यवस्था के आधार पर वित्तीय उन्नयन 31.08.2008 तक ही देय होगें।

एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत किसी कनिष्ठ कर्मचारी को वेतन नियतीकरण के आधार पर वरिष्ठ कर्मचारी से अधिक वेतन मिल जाने पर वरिष्ठ के पे और पे बैण्ड की वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।

एम. ए. सी. पी. योजना की मुख्य विशेषतायें :

1 एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत तीन वित्तीय उन्नयन देय होगें, जिसकी गणना सीधे प्रवेश पे ग्रेड से करते हुये क्रमश 10, 20 व 30 वर्ष की सेवा पर देय होगें। योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन तब ही देय होगें जब कर्मचारी ने उसी ग्रेड में लगातार 10 वर्ष बिताये हों।

2 एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत संशोधित पे बैण्ड और ग्रेड पे के पदानुक्रम में तुरन्त अगले उच्चतर ग्रेड पे में रखने पर विचार किया जा सकता है। इस प्रकार एम.ए.सी.पी. योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन, कई मामलों में जहाँ दो उत्तरोत्तर ग्रेडों के मध्य पदोन्नति ग्रेड नहीं हो, वहाँ नियमित पदोन्नति के समय उपलब्ध ग्रेड पे से अलग हो सकती है। ऐसे मामलों में सम्बन्धित संवर्ग में नियमित पदोन्नति पर उच्च ग्रेड पे देय होगी। (Also see Bd.s letter dt. 24.03.2015 NWR PS 12/15 court judgement)

3 MACP योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन पी.बी.4 में अधिकतम ग्रेड पे 12000 रू तक देय है। (RBE 39/11)

4 इस योजना के अधीन वेतन नियतिकरण का लाभ वित्तीय उन्नयन के समय भी उस तरह देय होगा जेसा कि नियमित पदोन्नति के समय देय होता है। लेकिन नियमित पदोन्नति तथा एम.ए.सी.पी. योजना के द्वारा स्वीकृत ग्रेड पे समान हो तो नियमित पदोन्नति के समय पुनः वेतन नियतिकरण नहीं किया जायेगा। किन्तु यदि नियमित पदोन्नति के समय कोई पद जिसका ग्रेड पे एम.ए.सी.पी. योजना में उपलब्ध से अधिक हो तो पुनः वेतन नियतिकरण नहीं होगा, केवल ग्रेड पे का अन्तर ही देय होगा।

5 ए.पी.पी. योजना के अन्तर्गत पूर्व में उन ग्रेडों में अर्जित /उन्नयन पदोन्नति को, जो छठे वेतन आयोग की सिफारिशों द्वारा मिला (merge) दिये गये है तथा अब उस पद के लिये वेतनमान समान हो गया है, उन्हें एम.ए.सी.पी. के अधीन उन्नयन स्वीकृत करते समय अनदेखा कर दिया जायेगा।

6 एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत पदोन्नति /वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति होने पर वेतन नियतीकरण के सम्बन्ध में रेल सेवक के पास, भारतीय रेल स्थापना नियमावली भाग–ा (छठा संस्करण–1987 द्वितीय पुनर्मुद्रण 2005) [एफ.आर. 22 (I) (ए) (i)) नियम 1313 (i) (ए) (I)] के अधीन विकल्प हे, कि उच्च पद /ग्रेड में अपना वेतन नियतीकरण या तो अपनी पदोन्नति /उन्नयन की तिथि से या उसकी अगली वेतन वृद्धि तिथि 01 जुलाई से कराने का विकल्प दे सकता है। वेतन और वेतन वृद्धि की तिथि आर.बी.ई. संख्या 132 /2008 के स्पष्टीकरण संख्या 02 के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

7 भर्ती नियमों के अनुसार पदोन्नति पदानुक्रम में समान ग्रेड पे वाले पदों पर अर्जित पदोन्नति

को एम.ए.सी.पी. योजना के उद्देश्य से गणना हेतु लिया जायेगा।

8 एम.ए.सी.पी. के लिये नियमित सेवा, किसी पद पर /सीधी भर्ती पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति या समायोजना /पुनर्नियोजन आधार पर सीधे प्रवेश की तिथि से शुरू होगी। नियमित नियुक्ति से पूर्व नियुक्ति पूर्व प्रशिक्षण /तदर्थ /संविधा आधार पर की गई सेवा को गणना में नहीं लिया जायेगा। किन्तु अन्य सरकारी /विभागों से नये विभाग में (बिना व्यवधानिक) नियुक्ति से पूर्व समान ग्रेड पे पर लगातार की गई नियमित सेवा को केवल एम. ए.सी.पी. योजना के लिये (नियमित पदोन्नति हेतु नहीं) अर्हक सेवा के रूप में माना जायेगा।

9 किसी रेल कर्मचारी द्वारा राज्य सरकार /साविधिक निकाय /स्वायत निकाय /सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रेलवे में नियुक्ति से पूर्व की गई सेवा को नियमित सेवा के रूप में नहीं गिना जायेगा।

10 सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत वे सभी अवधियाँ जो प्रतिनियुक्ति /विदेश सेवा /अध्ययन छुट्टी तथा अन्य प्रकार की छुट्टियाँ भी नियमित सेवा में शामिल होगी। बिना मेडिकल आधार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत असाधार छुट्टी की गणना एम.ए.सी.पी.एस. के उद्देश्य से की जायेगी।

11 एम.ए.सी.पी. योजना वर्कचार्ज कर्मचारियों पर भी लागू होगी, यदि उनकी सेवा शर्तें नियमित संगठन के कर्मचारियों के समान हो।

12 यदि एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन में विलम्ब हुआ है तथा एक ग्रेड में 10 वर्ष सेवा करने के बाद भी कर्मचारी के अयोग्य होने अथवा विभागीय प्रक्रिया के कारण यह नहीं मिला है तो इसका प्रभाव आगामी वित्तीय उन्नयन पर भी पडेगा।

13 इस योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति होने पर पदनाम, वर्गीकरण आदि में कोई बदलाव नहीं होगा। किन्तु वित्तीय और अन्य निश्चित परिलाभ जो किसी कर्मचारी द्वारा उठाये जा रहे वेतन से जुड़े हो, जैसे मकान निर्माण अग्रिम, सरकारी आवास का आबंटन आदि हेतु यह मान्य होगें।

14 पी.बी.–1 में वित्तीय उन्नयन गैर प्रयोजन मूलक आधार (Non functional Basis) पर कर्मचारी की दक्षता के आधार पर होगा। इसके बाद एम.ए.सी.पी. पी.बी.–3 ग्रेड पे 76000 (RBE 20/2017) तक के उन्नयन के लिये ''बहुत अच्छा'' (Very Good) बेंच मार्क लागू होगा। ग्रेड पे 7600 रू या अधिक में वित्तीय उन्नयन के लिये ''बहुत अच्छा'' (Very Good) बेंच मार्क लागू होगा। (RBE 155/2016)

इस सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 03.02.2010 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि वित्तीय उन्नयन के लिये उसी अवधि की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट विचार में ली जायेगी जैसा कि विभागीय पदोन्नति समिति के लिये आवश्यक होती है। (RBE 25/10)

इसी क्रम में रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 28.12.2010 द्वारा आगे यह स्पष्ट किया गया है कि अगर वित्तीय उन्नयन भी पदोन्नति हेतु निर्धारित वेतनमान /ग्रेड पे में किया जा रहा है तथा पदोन्नति हेतु निर्धारित बेंच मार्क वित्तीय उन्नयन हेतु निर्धारित बेंच मार्क से निम्न हैं, तो वित्तीय उन्नयन हेतु भी वही (पदोन्नति वाला) बेंच मार्क लागू होगा। (RBE 188/10)

इसी सम्बन्धी में रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 31.01.2013 द्वारा आगे यह स्पष्ट किया गया हैं कि जहाँ कहीं भी पदोन्नतियाँ नॉन–सलेक्शन के आधार पर (अर्थात् वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर) दी जाती हैं तो बोर्ड के दिनांक 10.06.2009 (RBE 101/09) में उल्लेखित निर्धारित बेंच मार्क एम.ए.सी.पी.एस. के अन्तर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन प्रदान करने के प्रयोजनार्थ लागू नहीं होगा। (RBE 08/13)

15 अनुशासनिक /शास्ती की कार्यवाही के मामले में एम.ए.सी.पी. योजना के अधीन परिलाभों की स्वीकृति सामान्य पदोन्नति के लिये लागू नियमों के अनुसार ही होगी। इस प्रकार के मामले रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील नियम 1968) तथा इसके अधीन जारी अनुदेशों द्वारा अधिशासित होगें।

16 एम.ए.सी.पी. योजना में कोई आरक्षण आदेश /रोस्टर लागू नहीं होगा तथा इसके परिलाभ योग्य अ.जा. /अ.ज.जा. कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होने।

17 एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन कर्मचारी को विशुद्ध व्यक्तिगत होगा तथा इससे उसकी वरिष्ठता का कोई सम्बन्ध नहीं होगा। तथा किसी वरिष्ठ कर्मचारी को अतिरिक्त वित्तीय उन्नयन इस आधार पर देय नहीं होगा कि उस ग्रेड में कनिष्ठ कर्मचारी को इस योजना के अन्तर्गत उच्च वेतन /ग्रेड दिया गया है।

18 एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत दिये गये पे बैण्ड और ग्रेड पे भत्तों का आवधिक लाभ सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के समापन भुगतान गणना के लिये लिया जायेगा।

19 किसी मामले में जब कर्मचारी अपने संगठन में अधिशेष घोषित हो जाता है और उसे नये संगठन में समान या नीचे के वेतनमान में तैनात किया जाता हे तो एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन देने हेतु उसके द्वारा पहले के संगठन में की गई नियमित सेवा को उसके द्वारा नये संगठन में की गई नियमित सेवा के साथ में गिना जायेगा।

20 यदि कोई कर्मचारी पदोन्नति /ए.सी.पी. लेने के बाद निम्न पद /वेतनमान पर इकतरफा (Unilaterat) स्थानान्तरण चाहता है तो एम.ए.सी.पी. योजना के अधीन 20 /30 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण होने के बाद ही द्वितीय /तृतीय वित्तीय उन्नयन, जैसा भी मामला हो, का हकदार होगा जिसकी गणना नये संगठन में उसकी प्रारम्भिक नियुक्ति से होगी।

इस सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 28.12.2010 द्वारा यह स्पष्ट किया गया हैं कि वित्तीय उन्नयन हेतु नये विभाग /संगठन में की गई नियमित सेवा के साथ पूर्व विभाग /संगठन में की गई सेवा भी वित्तीय उन्नयन हेतु गणना में ली जायेगी। (RBE 188/10)

इसी क्रम में रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 31.01.2013 द्वारा स्पष्ट किया गया हैं कि जहाँ कहीं कोई अधिकारी किसी निम्नतर पद पर अपनी इच्छानुसार स्थानान्तरण नये संगठन /कार्यालय के लिये कार्यभार मुक्त होने से पहले पदोननत किये गये पद /ग्रेड से निम्नतर पद /ग्रेड में रिवर्ट हो जाता हैं तो नये संगठन /कार्यालय में एम.ए.सी.एस. के प्रयोजन के लिये पिछले संगठन /कार्यालय में ऐसी पिछली पदोन्नति को नहीं गिना जायेगा। उन मामलों के सम्बन्ध में, जहाँ किसी अन्य संगठन /ईकाई में एकपक्षीय स्थानान्तरण के समय वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया हो और इस प्रकार कर्मचारी को पदोननति का वित्तीय लाभ प्राप्त होना जारी हो तो एम.ए.सी.पी.एस. के प्रयोजन के लिये पिछले संगठन में हुई पदोन्नति को गिना जायेगा। (RBE 08/13, 147/15)

21 यदि कोई नियमित पदोन्नति दी गई हो, किन्तु कर्मचारी ने वित्तीय उन्नयन के योग्य होने से पूर्व उसे अस्वीकार कर दिया हो तो उसे वित्तीय उन्नयन नहीं दिया जायेगा, क्योंकि कर्मचारी अवसरों की कमी के कारण ठहराव (Stagnate) नहीं हुआ हैं।

लेकिन यदि ठहराव (Stagnation) के कारण वित्तीय उन्नयन दिये जाने तत्पश्चात कर्मचारी पदोननति को अस्वीकार कर देता हे तो वह वित्तीय उन्नयन वापिस नहीं लिया जायेगा। फिर भी वह अगले वित्तीय उन्नयन का तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक कि वह पदोन्नति लेने के लिये दुबारा सहमत नहीं हो तथा दूसरा और अगले वित्तीय उन्नयन उस अवधि तक आगे बढ़ा दिये जायेगें जिस अवधि तक उसने पदोन्नति अस्वीकार की थी।

उदाहरणार्थ : यदि वित्तीय उन्नयन 01.09.2008 को कार्यालय के पत्र 12.11.2009 के द्वारा दिया गया तथा उस कर्मचारी को नियमित पदोन्नति 06.11.2009 को दी गई तो कर्मचारी को 01.09.2008 से दिया गया वित्तीय उन्नयन पदोन्नति पूर्व दिया हुआ माना जायेगा। यदि कर्मचारी 06.11.2009 के पत्र द्वारा दी गई पदोन्नति को अस्वीकार करता हे तो उसके पदोननति की तिथि के बाद के वित्तीय उन्नयन प्रभावी होगें। (PS No.: 66A /09 NWR)

इसी क्रम में रेलवे बोर्ड द्वारा आगे स्पष्ट किया गया हैं कि ACP/MACP योजना के सम्बन्ध में पदोन्नति हेतु मनाही सम्बन्धी निर्देश सिर्फ तदर्थ पदोन्नति के मामले में लागू होगें। अतः

ऐसे कर्मचारी जिन्होंने तदर्थ पदोन्नति मनाही (Refusal) दी है वे एम.ए.सी.पी.एस. के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन के पात्र होगें।

[(RB L. PC-V/2009/ACP/2/ dt. 13.02.13 (P.No.: 205 of RBO 2012)]

22 पूर्णतः तदर्थ आधार पर उच्च पद धारण करने वाले कर्मचारियों के मामलों पर भी जाँच समिति द्वारा अन्य योग्य कर्मचारियों के साथ ही विचार किया जायेगा। तथा कर्मचारी को निचले पद पर पदावनति के समय इसका लाभ मिलेगा तथा तदर्थ आधार पर आहरित वेतन की तुलना में यह अगर लाभप्रद हो तो उन्हें वित्तीय उन्नयन का वेतन लाभ वहाँ दिया जा सकता है।

23 ऐसे कर्मचारी जो प्रतिनियुक्ति पर हैं उन्हें उनके मूल विभाग में एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन का लाभ देने के लिये वापस बुलाने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें यह विकल्प होगा कि या तो वे जिस पद पर वर्तमान में काम कर रहे उस पर देय पे बैण्ड और ग्रेड पे आहरित कर सकते हैं।

24 एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत लाभ देने के लिये अस्थाई ओहदा प्राप्त नेमेतिक श्रमिक के रूप में की गई सेवा की 50 सेवा को नियमित रोजगार में समाहित होने पर 10, 20 व 30 वर्ष की न्यूनतम सेवा के लेखे में लिया जा सकता है। (RBE 215/09)

25 बिना व्यवधान (without break) के नियमित हुए अस्थायी ओहदा प्राप्त सब्सीट्यूट की पूर्ण सेवा को एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत लाभ देने हेतु 10, 20 और 30 वर्ष की न्यूनतम सेवा के लेख में लिया जायेगा। (RBE 36/10)

26 एम.ए.सी.पी. योजना शिक्षण सम्बन्धी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। (रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या E (P&A) 2005 /PS /P.E.-5 dt. 01.02.2010) (PS No.: 10A/10 NWR)

27 वित्तीय उन्नयन के अन्तर्गत दिये गये उच्च वेतन /ग्रेड पे का लाभ पास /पी.टी.ओ. की योज्यता (Entitlement) के लिये गणना में लिया जायेगा। (RBE 06/2011)

28 MACP के अन्तर्गत प्राप्त वेतन एरियर को भविष्य निधि खाते में जमा नहीं किया जा सकता। (RBE 17/2011)

29 फार्मासिस्ट को ग्रेड पे 2800 पी.बी.–I (Entry Grade) में दो वर्ष की नियमित सेवा पश्चात पी.बी.–2 में ग्रेड पे 4200 में लगाये जाने को एम.ए.सी.पी. के उद्देश्य से एक उन्नयन (Upgradation) मान जायेगा।[(RB L PC-V/2009/ACP/2 dt. 20.04.10 (NWR PS 30/11 & 55/11)] (उपरोक्त प्रावधान केन्द्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण /चण्डीगढ़ द्वारा OA No.: 1146-PB 2012 में मान्य (Unheld) किया गया। RB L.No.: PCV/2014/CC/Mise dt. 28.05.2015 (NWR PS 38/15)

30 प्रारम्भ में रू 5500–9000 के ग्रेड में भर्ती किये गये बोर्ड के पत्र 28.09.1998 (RBE 223/98) के अनुसार 20% डी.आर. कोटे पर रू 6500–10500 में पदोन्नत किये गये इंजीनियरी ग्रेजुएटों को एम.ए.सी.पी. योजना के उद्देश्य से रू 6500–10500 के वेतनमान में उनकी पदोन्नति की तारीख से रू 6500–10500 के वेतनमान में नये भर्ती किये गये ग्रेजुएट इंजीनियरों के बराबर माना जाये। (RBE 93/11)

31 पदोन्नति पर मनाही (Refusal) सम्बन्धी व्यवस्था चूँकि सामान्य पदोन्नति से सम्बन्धित है इसलिये कर्मचारी द्वारा तदर्थ पदोन्नति हेतु मनाही के बावजूद अन्य शर्तें पूर्ण करने पर एम.ए.सी.पी.एस. के अन्तर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन का पात्र होगा। (रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या दिनांक 13.02.2012)

32 ऐसे मामलों में जहाँ कर्मचारी को मेडिकल आधार पर विकोटिकृत कर किसी निचले वेतनमान /ग्रेड पे में अन्य पद पर नियुक्त किया गया हो, तो ऐसे मामले में एम.ए.सी.पी.एस. के प्रयोजन के लिये पहले की गई सेवा की गणना की जायेगी। ऐसे मामले में भी जहाँ कर्मचारी ने मेडिकल आधार पर विकोटिकृत होने से पहले एक पदोन्नति /वित्तीय अपग्रेडेशन प्राप्त किया हो और उसे निचले पद पर नियुक्त किया गया हो तो ऐसे मामलों में भी एम.ए.सी.पी. एस. के अन्तर्गत तीन वित्तीय अपग्रेडेशन का निर्णय के लिये पहले की गई सेवा, जिसमें वह अवधि भी शामिल हैं जब वह पदोन्नति पर उच्चतर पद पर था, की गणना करने में कोई

आपत्ति नहीं हैं क्योकि वह स्थानान्तरण उसकी अपनी मर्जी से नहीं किया गया होता हैं। (RBE 20/12)

33 एल.डी.सी.ई. /जी.डी.सी.ई. योजना के अन्तर्गत चुने गये रेल कर्मचारियों के लिये एम.ए.सी.पी. योजना लागू करने के सम्बन्ध में स्पष्ट किया गया है कि:– (RBE 100/12)

i यदि संगत भर्ती नियमों में सीधी भर्ती द्वारा ग्रेड में रिक्त पदों को भरने की व्यवस्था की जाती हो तो एलडीसीई/जीडीसीई के माध्यम से उस ग्रेड में कर्मचारी के समावेशन को MACPS के अन्तर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन देने के उद्देश्य से सीधी भर्ती के रूप में माना जाये। इस प्रकार के मामलों में निम्न वेतनमान/ग्रेड पे में की गई विगत सेवा को MACPS योजना के उद्देश्य से नहीं गिना जायेगा।

ii यदि संगत भर्ती नियमों में एलडीसीई /जीडीसीई के आधार पर भरा जाने वाला पदोन्नति सम्बन्धी कोटा निर्धारित हो तो इस प्रकार की नियुक्ति को एम.ए.सी.पी. के अन्तर्गत लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से पदोन्नति के रूप में माना जायेगा और इस प्रकार के मामलों में पिछली नियमित सेवा को एम.ए.सी.पी.एस. योजना के अन्तर्गत आगे लाभों, यदि कोई हो, के लिये भी गिना जायेगा।

34 ऐसी स्थिति में जहाँ पर कि कर्मचारी ऐसे पद पर कार्यरत हैं जहाँ उसका पदोन्नति पद भी उसी ग्रेड पे में हैं तो ACP/MACP योजना के अन्तर्गत उसे वित्तीय उन्नयन भी उसी ग्रेड पे में मिलेगा ना कि उच्च ग्रेड पे में। [RBE 142/12 & RB L.No.: PC-V/2009/ACP/20/CLW dt. 05.03.2013 (NWR PS 14/13)]

35 ए.सी.पी. योजना 31.08.2008 तक प्रभावी थी तथा 01.09.2008 से एम.ए.सी.पी. योजना प्रभावी हुई अतः वरिष्ठ कर्मचारी जिन्हें 01.01.2006 से पूर्व (अर्थात् 01.01.2006 से 31.08.2008 तक) ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत लाभ मिला तथा जो ऐसे कनिष्ठ कर्मचारियों से कम वेतन प्राप्त कर रहे हैं जिन्हें 01.01.2006 के पश्चात ए.सी.पी. योजना का लाभ मिला, वे वेतन स्टेपिंग अप के पात्र होगें। (RBE 01/13)

36 रेलवे गुड्स गार्ड कोटि में (स्वीकृत संवर्ग का 27%) Non-functional basis पर वरिष्ठ गुड्स गार्ड पदनाम के साथ जो 4200 ग्रेड पे दिया गया हैं वह एम.ए.सी.पी. सयोजना के उद्देश्य से उन्नयन (upgradation) के रूप में माना जायेगा। RB Lt. PC-V/2011/PNM/AIRF/2 dt.05.06.12 (P.No.238 of RBO 2012)

37 सीधी भर्ती हुये वरिष्ठ अनुभाग अभियन्ता ग्रेड पे 4600 तथा स्टॉफ नर्स ग्रेड पे 4600 एम.ए.सी.पी.एस. के अन्तर्गत क्रमश ग्रेड पे 4800 (पी.बी.–2), ग्रेड पे 5400 (पी.बी.–2) व ग्रेड पे 5400 (पी.बी.–3) में प्रथम, द्वितीय व तृतीय वित्तीय उन्नयन के पात्र होगें। एम.ए.सी.पी.एस. के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन हेतु ग्रेड पे 5400 (पी.बी.–2) व ग्रेड पे 5400 (पी.बी.–3) को आर.बी.ई. 101/09 के पैरा 8.1 के अनुसार अलग–अलग ग्रेड पे माना गया हैं।) RB Lt. PC-V/2009/ACP/20/CLW dt.05.03.13 (NWR PS 14/13)]

38 ए.सी.पी. /एम.ए.सी.पी. के अन्तर्गत किसी कर्मचारी को वित्तीय उन्नयन ऐसे उच्च ग्रेड पे में देय नहीं होगा जोकि उसके सामान्य पदोन्नति चेनल में देय नहीं हैं। ऐसी स्थिति में एम.ए.सी.पी. के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन समान ग्रेड पे में ही देय होगा। (RBE 142/12)

(उपरोक्त प्रावधान माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा upheld किये गये RB L. PCV/2014/CC/Mise dt. 21.04.15 (NWR PS 25/15)

39 निम्न पद पर कार्यरत कर्मचारी को मात्र इस कारण से उस पद पर मूल रूप से नियुक्त (Initially Appointed) नहीं माना जायेगा क्योंकि निचले दो पद पिछले दो लगातार संवर्ग पुनःसंरचना के अन्तर्गत समाप्त हो गये है। RB L. PCV/2011/M/4/NFIR dt. 10.06.13 (P.No. 229 of RBO 2013)

अराजपत्रित रेल सेवकों की वरिष्ठता निर्धारित करने हेतु निम्नलिखित सामान्य सिद्धान्त अपनाए जाते है :–

<u>प्रारम्भिक भर्ती वाले वेतनमान में वरिष्ठता</u> :

जब तक विनिर्दिष्ट रूप से अन्यथा न कहा गया हो, किसी वेतनमान में पद को धारित करने वालो के बीच वरिष्ठता उस वेतनमान में नियुक्ति की तिथि से शासित होगी। यदि किसी रेल सेवक को प्रारम्भिक वेतन से अधिक वेतन दिया जाए, तो इससे नियमतः उन सेवकों से ऊपर वरिष्ठता नहीं मिलेगी जो पहले से नियमित पदों पर नियुक्त है। पदों की उन कोटियों में जिसका कुछ भाग सीधी भर्ती व कुछ भाग पदोन्नति द्वारा भरा जाता है, वरिष्ठता निश्चत करने के मापदण्ड पदोन्नति पाने वालों के संबंध में उचित प्रक्रिया के बाद नियमित पदोन्नति की तिथि और सीधी भर्ती वालों के संबंध में वर्किंग पोस्ट पर कार्यभार सम्भालने की तिथि होनी चाहिए, बशर्ते पदोन्नति पाने वाले व सीधी भर्ती वाले रेल सेवकों में परस्पर वरिष्ठता बनाई रखी जाए। जब पदोन्नति पाने वाले व सीधी भर्ती वाले रेल सेवकों की किसी वेतनमान में प्रवेश की तिथि एक ही हो, तब उन्हे एकान्तर स्थानों (alternative position) पर रखा जाना चाहिए। पदोन्नति पाने वाले, सीधी भर्ती वाले रेल सेवकों से वरिष्ठ होंगे और प्रत्येक समूह की आपसी वरिष्ठता बनाए रखी जायेगी।

(i) यदि सीधी भर्ती से आए कर्मचारी की प्रशिक्षण अवधि, सेवाओं की अति–आवश्यकता को देखते हुए कम की जाती है तो सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारी के मामले में कार्य पद की कार्यग्रहण तिथि वह होगी जिसमें निर्धारित प्रशिक्षण अवधि को पूरा करने के बाद वह कार्य पद को ग्रहण करता है।

(ii) उपर्युक्त मद (i) में निहित प्रावधान इंटर मिडिएट अप्रेन्टिस और सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (यातायात और वाणिज्य अप्रेन्टिस के मामले में 10%) द्वारा भरी जाने वाली कतिपय कोटियों में विभागीय रूप से निर्धारित कोटा के विरूद्ध चयनित कर्मचारियों पर भी लागू होगी। (IREM-I Para-302)

रेलवे भर्ती बोर्ड अथवा अन्य भर्ती प्राधिकारी द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की वरिष्ठता का निर्धारण निम्नानसार किया जाएगा :–

(Para-303)

(क) प्रशिक्षण स्कूलों में प्रारम्भिक प्रशिक्षण के लिए भेजे गए कर्मचारियों की वरिष्ठता कार्य पद पर तैनात करने से पूर्व प्रशिक्षण अवधि की समाप्ति पर आयोजित परीक्षा में प्राप्त मेरिट के आधार पर संबंधित वेतनमान में निर्धारित होगी। जिन कर्मचारियों ने बाद में पाठ्यक्रम उपस्थित किया है या जिन्होने बाद के अवसरों में परीक्षा पास की हो, वे पूर्व कोर्स में पास कर्मचारियों से कनिष्ठ होंगे। यदि रेलवे भर्ती बोर्ड के एक ही पेनल को प्रशासनिक कारणो से बैच में प्रारम्भिक प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है तो बैचवार परस्पर वरिष्ठता नियमित की जाएगी बशर्ते रेलवे भर्ती बोर्ड के पेनल में वरिष्ठ उम्मीदवार को प्रशासकि कारणो से अगर सम्बन्धित बैच में प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजा जाता है तो उन्हे परस्पर वरियता हेतु रेलवे भर्ती बोर्ड के पेनल की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षित कर्मचारियों के साथ शामिल किया जाएगा, बशर्ते ऐसे व्यक्ति प्रथम प्रयास में प्रशिक्षपाण संबंधी परीक्षा पास करते हैं। (RBE No. 47/93)

(ख) जिन कर्मचारियों को नियुक्ति पूर्व प्रशिक्षण स्कूल में प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है तो उनकी वरियता का निर्धारण रेलवे भर्ती बोर्ड अथवा अन्य भर्ती प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मेरिट के आधार पर किया जाएगा।

जब दो अथवा दो से अधिक प्रत्याशी समान परीक्षा/चयन के अंत में समान मेरिट प्राप्त करते है तो इनकी

वरिष्ठता का निर्धारण जन्मतिथि के आधार पर किया जायेगा तथा उम्र में बड़ा प्रत्याक्षी वरिष्ठ रहेगा।(Para-304)

लेकिन जब कोई परीक्षार्थी जिसकी वरिष्ठता पैरा–303, 304 के तहत निर्धारित की जानी है, नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात समय पर कार्यभार ग्रहण नहीं कर सकता है तो नियुक्त करने वाले प्राधिकारी उस परीक्षा/चयन में चयनित सभी उम्मीदवारों के नीचे उसकी वरिष्ठता का निर्धारण कर सकता है जिन्होने समय रहते कार्यभार ग्रहण कर लिया था या उनमें भी नीचे जिन्होने बाद की परीक्षा/चयन में चयनित होकर उसके पहले कार्यभार ग्रहण कर लिया हो। (Para-305)

उपर्युक्त पैरा–305 में दिये गये प्रावधान के अलावा उम्मीदवार जिनकी नियुक्ति हेतु चयन पिछले चयन में हो चुका हो वे बाद में चयनित उम्मीदवारों से वरिष्ठ होंगे। इसका नियुक्ति तिथि से कोई संबंध नहीं होगा। (Para-306)

परीवीक्षा अवधि (यदि कोई है तो) के लगातार में बिना व्यवधान के स्थाईकरण होता है तो उस ग्रेड में उसकी नियुक्ति की तिथि उसकी परीवीक्षा अवधि के शुरू होने की तिथि से मानी जायेगी। (Para-307)

जब एक परीवीक्षा अवधि के पश्चात एक परीवीक्षा अवधि बढ़ाई जाए और इस बढ़ाई गई परीवीक्षा अवधि पश्चात बिना व्यवधान के पुष्टिकरण होता है तो उस ग्रेड या पद पर नियुक्ति की तिथि, यदि अन्यथा उल्लेखित नहीं है, परीवीक्षा अवधि आरम्भ होने के बाद की तिथि से गणना की जायेगी।

ऐसे मामलों में जहां परीवीक्षा अवधि का विस्तार नहीं किया जाता है और ऐसी अवधि की समाप्ति पर कर्मचारी का पुष्टिकरण कर दिया जाता है तो उस ग्रेड या पद पर नियुक्ति की तिथि वह होगी जब कर्मचारी को आरम्भिक प्रशिक्षिण हेतु प्रशिक्षण स्कूल में भेजा गया था या उसने कार्य पद पर कार्य ग्रहण किया था, उनमें से जो भी पहले हो। (Para-308)

<u>पदोन्नति पर वरिष्ठता</u>

ऊपर दिया गया पैराग्राफ 306 एक या समान श्रेणी की पदोन्नति रिक्तियों में वरिष्ठता पर समान रूप से लागू होता है। सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुए नये पद पर कार्यभार ग्रहण करने में किसी प्रकार के विलम्ब, यदि कोई है, तो उस पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिये। (Para-309)

<u>पारस्परिक स्थानान्तरण</u>

वे रेल कर्मचारी जिनका स्थानान्तरण परस्पर विनिमय से एक मंडल, कार्यालय या रेलवे के किसी संवर्ग से दूसरे मंडल, कार्यालय या रेलवे में समान संवर्ग में हुआ है उनकी वरिष्ठता का आधार सम्बन्धित ग्रेड में पदोन्नति की तिथि होगी या वे उन रेल सेवकों की वरिष्ठता ले सकते है, जिनके साथ उनका स्थानान्तरण हुआ है, दोनों में से जो भी नीचे हो।
(Para-310)

<u>प्रशासनिक हित में स्थानान्तरण</u>

प्रशासन के हित में एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में स्थानान्तरित होने वाले रेल कर्मचारियों की वरिष्ठता का निर्धारण सम्बन्धित ग्रेड में नियुक्ति/पदोन्नति, जैसा भी मामला हो, की तिथि से विनियमित होगी। (Para-311)

<u>स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरण पर वरिष्ठता</u>

स्वयं के अनुरोध पर रेल कर्मचारी के एक संवर्ग, मंडल अथवा रेलवे से स्थानान्तरण होने पर वरिष्ठता नए संवर्ग में उन सभी कर्मचारियों से नीचे दी जाएगी, जिनका स्थाईकरण हो चुका हो या जो अस्थाई/स्थानापन्न रूप से संबंधित ग्रेड में कार्य कर रहे हो तथा ऐसे मामले मे स्थानान्तरित होने वाले कर्मचारी की स्थाईकरण की तारीख, स्थानापन्न रूप से कार्य करने की अवधि आदि नहीं देखी जायेगी। (Para-312)

i. यह सिद्धान्त स्वयं के अनुरोध पर, एक संवर्ग/मण्डल से दूसरे संवर्ग/मण्डल में उसी रेलवे सम्भाग में स्थानान्तरा पर भी लागू होगा।

ii. सुसंगत वेतनमान (relevant grade) का आशय उन सभी पदो के लिये लागू होगा जहाँ सीधी भर्ती का अंश हो।

स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरण निम्न वरियता उस संवर्ग/ग्रेड में ही केवल किया जा सकता है जिनमें सीधी भर्ती का प्रावधान निहित हो तथा कर्मचारी उस पद के लिए निर्धारित योग्यता रखते हो। मध्यवर्ती ग्रेडो में, जिनमें सारे पद निचले ग्रेड के कर्मचारियों की पदोन्नति से भरे जाते है, उनमें इस प्रकार के स्थानान्तरण की अनुमति नहीं होगी।

(RBE No. 24/2000) (Para-313)

<u>मेडिकल विकोटिकृत कर्मचारी</u> :–

(क) (i) स्वास्थ्य के आधार पर विकोटिकृत कर्मचारियों को संभवतः ऐसी वैकल्पिक श्रेणियों में समाहित किया जाना चाहिये जिसमें कर्मचारी के पूर्व कार्य अनुभव का उपयोग हो सके।

(ii) स्वास्थ्य की दृष्टि से विकोटिकृत कर्मचारियों को वैकल्पिक पदों पर समाहित किये जाते समय उनकी वरिष्ठता का निर्धारण उनके द्वारा समान या समकक्ष वेतनमान में की गई सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए।

यदि स्वास्थ्य के आधार पर विकोटिकृत कर्मचारी मूलतः उसी कोटि में समायोजित किया जा रहा है जिसमें से वह पदोन्नत हुआ अर्थात जो उसकी मूल कोटि है, तो जिस ग्रेड में उसका समायोजन किया गया है, उसमें वह अपने पूर्ववर्ती वरिष्ठ कर्मचारियों से ऊपर नहीं रखा जायेगा।

(iii) स्वास्थ्य के आधार पर विकोटिकृत रनिंग कर्मचारियों को विभिन्न वैकल्पिक पदों पर समाहित करते समय उनके वेतन का निर्धारण प्रतिशत रनिंग भत्ते के रूप में वेतन के साथ जोड़कर उनके पदों की पहचान के प्रयोजनार्थ वेतनमान के न्यूनतम तथा अधिकतम में जोड़ा जाना चाहिए, तत्पश्चात उनकी वरिष्ठता समकक्ष समायोजित पदों में निश्चित की जानी चाहिये।

{No. E(NG)11/77/RE-3-2 of 02.09.77 and E(NG)1-80-SR-6/83 of 05.03.1981}

(ख) रेल कर्मचारी जिसकी सेवाएं इसलिए समाप्त कर दी गई थी क्योंकि उन्होने असाधारण छुट्टियों को मिलाकर भी सभी प्रकार की छुट्टियों से अधिक छुट्टियां ले ली थी या चिकित्सा अधिकारियों ने T.B. (तपेदिक) प्लूरिसी और कोढ़ के रोगियों को असाधारण छुट्टी देने की सिफारिश नहीं की और जिन्हे चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा कार्य करने के लिए उपयुक्त घोषित किये जाने के बाद रेल सेवा में पुनः नियोजित किया गया हो, उन्हे उनके पुनः नियोजन की तारीख से सभी स्थाई कर्मचारियों के नीचे वरियता दी जायेगी। बशर्ते स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुपयुक्त ठहराए जाने से पहले वे स्थाई हो या उस बीच स्थाई कर दिये गये होते। रेल कर्मचारी जो स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुपयुक्त ठहराये जाने के समय स्थानापन्न या अस्थाई रूप में कार्य कर रहे थे या जो उस बीच में स्थाई नहीं होते, उन्हे उनके पुनः नियोजन की तारीख को यथास्थिति स्थानापन्न या अस्थाई कर्मचारियों के नीचे स्थान दिया जायेगा।

(ग) स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुपयुक्त कर्मचारी, जैसा कि उपर्युक्त पैरा (क) में दर्शाया गया है, को उनके मूल पद पर लगाने पर वरिष्ठता निम्न प्रकार से सुनिश्चित की जायेगी :–

(i) वे रेल कर्मचारी जो अपील के लिये निर्धारित समय सीमा में अपील करते हैं या/और उनका अपील पर समय सीमा में छूट देते हुए कार्रवाई कर ली जाती है और उपयुक्त घोषित कर दिया जाता है, वे अपनी नियुक्ति की मूल श्रेणी/कोटि में अपनी पूर्व वरियता के पात्र होंगे।

(ii) जो कर्मचारी विलम्ब से अपील करते है और फिट (उपयुक्त) घोषित कर दिये जाते है या जो उपचार करवाते है और उसे फलस्वरूप उपयुक्त घोषित कर दिये जाते है, यदि उन ग्रेडो में जिन पर वे थे, पहले ही स्थाई कर दिये गये थे तो उसकी वरिष्ठता पर उस सीमा तक प्रभाव पड़ेगा, जिस सीमा तक मूल कोटि में उनके पुनः समायोजन से पहले कोई अन्य व्यक्ति स्थाई कर दिया जाता है/ या कर दिया गया है, लेकिन यदि वे मूल कोटि में केवल स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे थे तो उनकी वरिष्ठता उन सब कर्मचारियों से नीचे होगी, जो उस समय तक स्थाई हो गये हो लेकिन इसका उनकी वरिष्ठता उन मूल कनिष्ठ कर्मचारियों की तुलना में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो अभी भी स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहे है।

(घ) जब कोई कर्मचारी अपनी स्वयं की इच्छा पर निम्न वरियता को स्वीकार करते हए किसी नई युनिट में आता है तथा वहां स्वास्थ्य के आधार पर विकोटिकृत हो जाता है तो पैरा (क) (i) के प्रावधान नई युनिट में उसकी सेवाओं के विस्तार के अनुसार ही लागू होंगे।

(R.Bds No. E(NG) 1-71 SR 6/39 Dt. 31.05.1977)

(ड) उन कर्मचारियों के संबंध में जिनका नियमित स्वास्थ्य परीक्षण नहीं होता है, लेकिन वे अपनी शारीरिक अक्षमताओं के कारण अपनी श्रेणी बदलवाना चाहते है तथा उनकी स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा उनकी श्रेणी बदले जाने की अनुशंसा की जाती है, ऐसी स्थिति में उनकी वरियता स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरण की भांति ही पैरा–312 को आधार मानकर की जायेगी।

(R.Bds No. E(NG) 1-76 SE 6/37 Dt. 08.09.1976)

<u>पुनः समायोजित अधिशेष कर्मचारियों की वरिष्ठता</u>

अधिशेष कर्मचारी पुनः समायोजित इकाई/विभाग में वरिष्ठता निर्धारण के उद्देश्य हेतु पिछली इकाई/विभाग में दी गई सेवाओं के लाभ के हकदार नहीं होंगे। ऐसे कर्मचारी अपनी वरिष्ठता, पदोन्नति इत्यादि मामलों में नवआगन्तुक के रूप में देखे जायेंगे।

I. जब किसी ईकाई/विभाग की ग्रेड विशेष के दो या दो से अधिक अधिशेष कर्मचारियों का किसी अन्य ईकाई/विभाग के किसी ग्रेड में समायोजन हेतु अलग–अलग तिथियों को चयन किया जाता है तो दूसरी ईकाई/विभाग में उनकी अन्तर वरिष्ठता (inter-se-seniority) पिछली ईकाई/विभाग के समान रहेगी, बशर्ते –

(i) इन तिथियों के बीच में उस ग्रेड में नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती से चयन नहीं किया गया हो, तथा

(ii) इन तिथियों के बीच में उस ग्रेड में नियुक्ति हेतु किसी पदोन्नत कर्मचारी का अनुमोदन नहीं किया गया हो।

II. जब किसी ईकाई/विभाग में एक ग्रेड विशेष के दो या दो से अधिक अधिशेष कर्मचारियों का अन्य ईकाई/विभाग की एक ग्रेड में पुनः समायोजन हेतु एक साथ चयन किया जाता है तो दूसरी/इकाई विभाग में पुनः समायोजन पर ग्रेड विशेष में उनकी अन्तर वरिष्ठता पिछली ईकाई/विभाग के समान ही रहेगी।

(RBE No. 105/2004)

वरिष्ठता जब नियुक्ति की तिथि समा हो :

पैरा–302, 303, 305, 306 के अधीन, जब एक से अधिक कर्मचारियों की ग्रेड में नियुक्ति की तिथियां समान हो तो निचली ग्रेड में प्रवेश की तिथि वरिष्ठता का निर्धारण करेगी, यदि ये तिथियां भी समान हो तो पदोननति के चेनल में निचले क्रम में न्यूनतम ग्रेड तक, प्रत्येक निचले ग्रेड में प्रवेश की तिथियां वरिष्ठता निर्धारित करेगी। यदि ये तिथियां भी समान हो तो संबंधित कर्मचारियों की जन्मतिथियां वरिष्ठता निर्धारित करेगी। आयु में बड़ा कर्मचारी वरिष्ठ होगा। (Para-314)

विभागीय परीक्षा/ट्रेड टेस्ट : (Para-315)

पैरा–316, 317 और 320 के अधीन, जहां किसी विशेष नॉन सलेक्शन पद पर पदोन्नति से पूर्व निर्धारित विभागीय परीक्षा या ट्रेड टेस्ट उतीर्ण करना अनिवार्य शर्त है तो अपनी बारी में एक ही या अलग–अलग तिथियां, जिन्हे एक लगातार परीक्षा माना जाता है, को परीक्षा/टेस्ट उतीर्ण करने वाले कर्मचारियों की संबंधित वरिष्ठता का निर्धारण उनकी मूल वरिष्ठता के संदर्भ में किया जायेगा।

ऐसा रेल कर्मचारी जो अन्य कर्मचारियों के साथ अपनी बारी में ऐसे कारणों से परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सकता जो उसके नियंत्रण में नही है तो उसके उपलब्ध होने पर परीक्षा आयोजित की जायेगी तथा वह उसे पास कर लेता है तो वह पदोन्नति के लिए उसी रूप में हकदार माना जायेगा कि उसने वह परीक्षा अपनी बारी में उतीर्ण की हो।

(Para-316)

सेक्शन ऑफिसर(एकाउण्टस) स्टेशन निरीक्षक या स्टोर एकाउण्टस के रूप में पदोन्नति हेतु वरिष्ठता :

(Para-317)

(क) सेक्शन ऑफिसर(एकाउण्टस) स्टेशन निरीक्षक या स्टोर एकाउण्टस के पदो पर पदोन्नति हेतु वरिष्ठता पूर्णतः उन पदो पर पदोन्नति हेतु पात्रता परीक्षा उतीर्ण करने की तिथि अनुसार गिनी जायेगी। किसी वर्ष विशेष में परीक्षा उतीण करने वाले उम्मीदवार उसे बाद के वर्षो में परीक्षा उतीर्ण करने वालो से स्वमेवः वरिष्ठ होंगे, चाहे परीक्षा उतीर्ण करने से पूर्व उनकी संबंधित वरिष्ठता कुछ भी रही हो।

लेखा लिपिक की कन्ष्ठि लेखा सहायक पद पर पदोन्नति हेतु वरिष्ठता :

(Para-318)

कनिष्ठ लेखा सहायक की वरिष्ठता का निर्धारण पदोन्नति पाने वाले की पदोन्नति तिथि के संदर्भ में और सीधी भर्ती वाले संदर्भ में नियुक्ति तिथि से किया जायेगा।

अचयन पदों पर पदोन्नति पर वरिष्ठता : (Para-319

(क) गैर चयन पदो पर पदोन्नति वरिष्ठता व उपयुक्तता के आधार पर होगी। उपयुक्तता का निर्णय पद को भरने वाले समक्षम प्राधिकारी द्वारा मौखिक और/या लिखित या विभागीय परीक्षा या ट्रेड टेस्ट या कर्मचारी के सेवा रिकार्ड की जांच, जैसा भी आवश्यक समझा जाये, द्वारा किया जायेगा। एक रेल कर्मचारी जिसे अपनी बारी में एक रिक्ति के विरूद्ध उपयुक्त पाये जाने के पश्चात पदोन्नत किया जाता है, जो कि गैर आकस्मिक (non fortuitous) है, उसे उस ग्रेड में उन सबसे वरिष्ठ माना जायेगा जो उसके पश्चात उपयुक्त पाये जाने पर पदोन्न हुए है।

(ख) एक कर्मचारी जो पहले परीक्षा देकर पात्रता प्राप्त कर एक गैर आकस्मिक रिक्ति के पद पर पदोन्नति प्राप्त करता है, लेकिन इसके पश्चात होने वाले परीक्षा से पूर्व निचली ग्रेड में पदावनत हो जाता है, वह बाद की परीक्षा में पात्रता प्राप्त करने वाले अन्य सभी कर्मचारियों से वरिष्ठ होगा। वे कर्मचारी जिन्होने या तो आकस्मिक रिक्तियों पर

स्थानापन्न रूप में कार्य किया है या बिल्कुल नहीं किया है उन्हे बाद की पदोन्नतियां में वरिष्ठता का लाभ नहीं दिया जायेगा।

उच्चतर ग्रेड में चयन/गैर चयन पद हेतु उपस्थित होने वाले विभिन्न वरिष्ठता ईकाईयों के कर्मचारियों की बीच की ग्रेड में पारस्परिक वरिष्ठता : (Para-320)

जब एक पद (चयन व गैर चयन) विभिन्न वरिष्ठता ईकाईयों क कर्मचारियों पर विचार कर भरा जाता हैं, वहां कर्मचारी द्वारा समान या समतुल्य ग्रेड में की गई लगातार सेवा की कुल अवधि अन्तर वरिष्ठता (inter seniority) का निर्धारण करेगी जिसमें कर्मचारी के पुष्टिकरण की तिथि से कोई संबंध नहीं होगा और कम अवधि की लगातार सेवा की तुलना में अधिक अवधि की लगातार सेवा देने वाला कर्मचारी वरिष्ठ होगा।

यह इस प्रावधान के अधीन होगा कि इस उद्देश्य के लिए संबंधित वेतनमान में केवल गैर आकस्मिक सेवा को ही ध्यान में रखा जाना चाहिये।

नोट : गैर आकस्मिक सेवा से आशय उस सेवा से है जो उचित प्रक्रिया पश्चात नियमित पदोन्नति पश्चात
की गई है।

रेल कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची देखने की छुट : (Para-321)

(क) रेल कर्मचारियों को वह वरिष्ठता सूची देखने की छूट होगी, जिसमें उनके नाम है और यदि इसकी सुविधाजनक व्यवस्था नहीं हो पाती है तो उन्हे स्वयं की प्रार्थना पर वरिष्ठता सूची में उनके स्थान के बारे में सूचित किया जा सकता है।

(ख) वरिष्ठता सूची प्रकाशित होने से एक वर्ष की अवधि के भीतर संबंधित कर्मचारी को दी गई वरिष्ठता स्थिति संबंध में अपना प्रतिवेदन देने की इजाजत दी जा सकती है। इस अवधि के पश्चात वरिष्ठता सूची में किसी प्रकार के संशोधन पर विचार नहीं किया जानाा चाहिये।

वेतन या ग्रेड में कमी का वरिष्ठता पर प्रभाव : (Para-322)

1. निचले ग्रेड व वेतन में रखना :

वेतन में कमी, जो कि उच्चतर ग्रेड या श्रेणी से निम्नतर ग्रेड/श्रेणी में कमी से अलग है, रेल कर्मचारी की वरिष्ठता सूची में स्थिति पर प्रभाव नहीं डालती। वेतन में कमी करने के आदेश देने वाले प्राधिकारी को उस अवधि का उल्लेख अवश्य करना चाहिये जब तक यह प्रभावी रहेगी और क्या पुनः बहाली पर कमी की अवधि उसके भविष्य की वेतन वृद्धियों को स्थगित करती रहेगी और यदि हां, तो किस सीमा तक।

2. निम्न सेवा, ग्रेड या पद के रूप में कमी करना :

(क) जहां आदेश कमी (Reduction) का दण्ड देकर कमी की अवधि का उल्लेख नहीं करता है और इसके साथ जुड़ा हुआ एक आदेश रेल कर्मचारी की स्थाई रूप से पदोन्नति हेतु अयोग्य घोषित करता है तो पुनः पदोन्नति और वरिष्ठता निर्धारण का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) जहां आदेश कमी का दण्ड देकर कमी की अवधि का उल्लेख नहीं करता है तो रेल सेवक की अनिश्चित अवधि के लिए निचले स्तर पर पदावनत माना जाना चाहिये अर्थात उस अवधि तक जब पदावन्नत के आदेश के पश्चपात अपनी कार्यकुशलता के आधार पर पदोन्नति हेतु योग्य नहीं माना जाता। पुनः पदोन्नति पर ऐसे रेल सेवक की वरिष्ठता का निर्धारण पुनः पदोन्नति की तिथि से होना चाहिये। ऐसे सभी मामलों में कर्मचारी उच्चतर सेवा ग्रेड या पद में अपनी मूल वरिष्ठता का पूर्णतः खो देता है। पुनः पदोन्नति पर ऐसे रेल सेवक की वरिष्ठता का निर्धारण पुनः पदोन्नति की तिथि से किया जाना चाहिये जिसका उस कर्मचारी द्वारा कमी (Reduction) करने से पूर्व ऐसी सेवा ग्रेड या पद पर दी गई सेवाओं से कोई संबंध नहीं होगा।

(ग) ऐसे मामलों में जहां निचली सेवा में पदावन्नत का दण्ड एक निश्चित समयावधि के लिए है तो सम्बन्धित कर्मचारी का जिस पद से पदावनयन किया गया है वहां इस अवधि की समाप्ति पश्चात स्वतः ही पुनः पदोन्नत कर दिया जाना चाहिये। ऐसे मामलों में मूल सेवा ग्रेड या पद या समयावधि में वरिष्ठता {रेलवे बोर्ड के पत्र सं. E(D&A)73 RG 6-5 Dt. 22.01.1974 द्वारा स्पष्ट नियम 6(vi) of the Rly Servants (Discipline & Appeal) Rule 1968} में समाहित प्रावधानों के निम्नानुसार तय की जानी चाहिये।

i) उन मामलों मं जहां रिडक्शन से भावी वेतन वृद्धि स्थगित न हो, वहां उच्च सेवा ग्रेड या पद या उच्च काल वेतनमान में रेल कर्मचारी की वरिष्ठता उसी स्थान पर नियत की जायेगी, जिस स्थान पर रिडक्शन न होने की स्थिति में नियत होगी।

ii) जहां रिडक्शन से भावी वेतन वृद्धि स्थगित होती हो वहां रिडक्शन से पहले उच्च सेवा, ग्रेड या पद में रेल कर्मचारी द्वारा की गई सेवा अवधि का लाभ देकर उसकी वरिष्ठता नियत की जायेगी।

(घ) जब एक रेल कर्मचारी की उच्चतर ग्रेड या श्रेणी क निम्नतर ग्रेड में चाहे निश्चित समयावधि के लिए या अनिश्चित काल के लिए पदावनत किया जाता है, तो निम्नतम ग्रेड में उसकी वरिष्ठता उस स्थिति के संदर्भ में तय की जायेगी जिसमें उनकी पदावनति हुई हैं, पदोन्नति न पाने की दशा में हकदार होता है।

<u>कार्यशाला में10% कोटे के विरूद्ध स्थानान्तरित कर्मचारियों की वरिष्ठता:</u>

(Para-179(xv) &(RBE 42/2002)

नियमित गैंगमेंन जिनका स्थानान्तरण 10% कोटे के विरूद्ध कार्य शाखा/कार्यशाला/यातायात और वाणिज्य विभाग में किया गया है उनको समाहित किये जाने वाले केडर में वरिष्ठता उनके द्वारा की गई कुल लगातार सेवा की आधी अवधि होगी। इसी प्रकार स्टोर खलासी और सभी विभागों के सफाईवाले हिन्हें 10% कोटा के विरूद्ध कार्यशाला में समाहित किया गया है उनकी वरिष्ठता भी गई लगातार सेवा की आधी अवधि होगी। हालांकि 45 वर्ष से अधिक आयु के गैंगमेन और 33 वर्ष की आयु तक के स्टोर खलासी तथा सफाईवाला जिनका स्थानान्तरण 10% कोटा के अलावा हुआ है वे वरिष्ठता हेतु किसी प्रकार की पिछली सेवा गणना के हकदार नहीं होगें।

i. दिनांक 01.01.2006 से 04.09.2008 (छठा वेतन आयोग कियान्वयन तिथि) की अवधि में की गई पदोन्नतियां संरक्षित (protected) रहेगी। रेल कर्मियों की दिनांक 04.09.2008 की वरिष्ठता को कायम रखा जायेगा तथा उच्च वेतनमान के पदधारी या ऐसे पद जो कि फिडिंग कोटि के पदोन्नति पद हैं, पर कार्यरत कर्मचारियों को सामूहिक रूप से (enblock) उन सभी कर्मचारियों से वरिष्ठ रखा जायेगा जो निम्न वेतनमान या फिडिंग कोटि में कार्यरत थे।

ii. ऐसे मामलों में जहां पद विभिन्न वतनमानों में थे लेकिन छठे वेतन आयोग पश्चात समान पे बैण्ड व ग्रेड पे में संशोधित हो गए है वहां कर्मचारियों की पारस्परिक वरियता (inter seniority) को बनाये रखते हुए पूर्व संशोधित वेतनमानों में उच्च वेतनमान में कार्यरत कर्मचारी को वरिष्ठ रखा जायेगा।

iii. ऐसे मामलों में जहां विभिन्न वेतनमान के पदो पर नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया छठे वेतन आयोग की स्वीकृति पूर्व अर्थात 04.09.2008 से पूर्व शुरू हो गई थी लेकिन चयनित कर्मचारियों ने 05.09.2008 या उसके पश्चात ऐसे पदों पर कार्यग्रहण किया हैं जिनको समान ग्रेड पे दिया गया हैं, वहां ऐसे कर्मचारियों को सामूहिक रूप से उन कर्मचारियों के नीचे वरियता दी जायेगी जो 04.09.2008 को वहां कार्यरत है।

iv. डी.पी.सी./चयन पश्चात चयन बोर्ड द्वारा पदोन्नति हेतु उपलब्ध करवाई गयी चयनित सूची/पैनल कर्मचारियों की वरिष्ठता का निर्धारण 04.09.2008 की स्थिति के अनुरूप किया जायेगा। अगर चयन सूची/पैनल पर उपलब्ध किसी भी कर्मचारी ने 04.09.2008 या उससे पूर्व पदोन्नति पर कार्यग्रहण कर लिया है तो चयन सूची/पैनल पर उपलब्ध

कर्मचारियों की स्थिति (status) संरक्षित (protected) रखते हुए सभी कर्मचारियों को उस तिथि को उपलब्ध मानते हुए वरिष्ठता के मूल सिद्धांतो के अनुरूप अर्थात चयन सूची/पैनल स्थिति के अनुसार उनकी वरिष्ठता का निर्धारण किया जायेगा।

लेकिन ऐसे मामलो में जहां चयन सूची/पैनल पर उपलब्ध सभी कर्मचारियों ने दिनांक 04.09.2008 या उसके पश्चात कार्य ग्रहण किया है वहां ये कर्मचारी उन सभी कर्मचारियों से वरिष्ठता में नीचे रहेंगे जो उस वेतनमान में पूर्व में ही कार्यरत थे।

=-=-0-=-=

अवकाश नियम

(Leave Rules)

(नियम 501 से 557 – IREC-I)

रेल कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के अवकाश देय है जो कि रेल सेवा (उदारीकृत अवकाश) नियम 1949 द्वारा शासित होते हैः

किन पर लागू होगेंः ये नियम लागू होगें। (नियम 502)

i. 01.02.1949 को या उसके पश्चात नियुक्त होने वाले रेल कर्मचारियों पर
ii. 01.02.1949 से पूर्व नियुक्त रेल कर्मचारी जिन्होंने इन नियमों से शासित होना चुना
iii. अन्य कर्मचारी जिन्हें विशेष आदेश द्वारा नियमों के अन्तर्गत लाया गया।

अवकाश का अधिकारी : (नियम 503)

अवकाश का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता। ऐसा अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसकी मनाही या प्रतिसंहरण (Refused or Revoked) किया जा सकता है।

जमा छुट्टियों पर बर्खास्तगी, हटाने या त्याग पत्र का प्रभाव : (नियम 504)

नियम 541 और इस नियम में दिए गए निर्देशों के अलावा जमा छुट्टियों पर उस रेल कर्मचारी का दावा, जिसे बर्खास्त या हटा दिया गया (Dismissed or Removed)या जिसने रेल सेवा से त्याग पत्र दे दिया है, ऐसा होने /करने की तिथि से समाप्त हो जायेगा।

हड़ताल के कारण सेवा में व्यवधान : हड़ताल को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता हैः–

i. वैद्य हड़ताल अर्थात् वे जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधान के अनुसार की गई है, तथा
ii. अवैधानिक हड़ताल अर्थात् वे जिनमें हड़ताल पूर्व की औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया है

उपर्युक्त (i) के अन्तर्गत आने वाली हड़ताल सेवा में व्यवधान नहीं होगा और सम्बन्धित रेल प्रशासन, रेलवे बोर्ड को सन्दर्भित किये बगैर अनुपस्थिति अवधि को भत्तों सहित या भत्तों के बिना, जैसा भी मामला हो, मान सकता है।

हालांकि अवैधानिक हड़तालों के मामलें में सम्बन्धित कर्मचारियों की अनुपस्थिति सेवा में व्यवधान के समान होगी और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना इसे नियमित (Condone) नहीं किया जा सकता।

एक प्रकार के अवकाश को दूसरे अवकाश में बदलना : (नियम 505)

कर्मचारी द्वारा आवेदित अवकाश को सदा दूसरे प्रकार के अवकाश में नहीं बदला जा सकेगा। कर्मचारी के कार्य पर लौटने की तिथि से 30 दिनों की अवधि तक कर्मचारी के लिखित प्रार्थना–पत्र पर इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। (RBE 29/98)

अवकाश का आरम्भ और समाप्ति : (नियम 506)

अवकाश सामान्यतः उस दिन से आरम्भ होता है जिस दिन कार्यभार का स्थानान्तरण होता है और कार्यभार फिर से ग्रहण करने के दिन से पिछले दिन समाप्त होता है।

विभिन्न प्रकार के अवकाशों को मिलाना : (नियम 507)

अवकाश नियमों में अन्यथा सिद्ध होने के अलावा किसी भी प्रकार का अवकाश किसी अन्य अवकाश के साथ स्वीकृत किया जा सकता है।

राजपत्रित अवकाश को छुट्टी के साथ मिलाना : (नियम 508)

जब रेल कर्मचारी के अवकाश आरम्भ होने के दिन से पूर्व का दिन या अवकाश समाप्ति के पश्चात का दिन राजपत्रित अवकाश है या राजपत्रित अवकाश की एक श्रृंखला है, तो कर्मचारी ऐसे राजपत्रित अवकाश के प्रारम्भ होने से पहले दिन की समाप्ति पर स्टेशन छोड़ सकता है तथा राजपत्रित अवकाश के अगले दिन लौट सकता है।

अवकाश के दौरान रोजगार : (नियम 509)

अवकाश के दौरान रेल कर्मचारी कोई सेवा या रोजगार निम्न की पूर्व स्वीकृति के बिना स्वीकार नहीं कर सकताः–

i. राष्ट्रपति, यदि प्रस्तावित सेवा या रोजगार भारत के बाहर है, और

ii. यदि भारत में है, तो उसे नियुक्त करने की शक्ति रखने वाला प्राधिकारी

यह अनिवार्यता साक्षरता कार्य या परिवीक्षक के रूप में सेवा या इसी प्रकार के कोई कार्य पर लागू नहीं होगी और ना ही यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से स्वीकार की गई विदेश सेवा पर लागू होगी।

एक बार में अधिकतम लगातार अवकाश : (नियम 510)

यदि राष्ट्रपति विशेष परिस्थितियों में स्वीकृत नहीं करते हैं, तो किसी भी रेल कर्मचारी को पाँच वर्ष से अधिक का लगातार अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

[RBd's LNo E(G)2010/LE2-7 dt.01.10.13 (P.No.261 of RBO 2013)]

अवकाश हेतु प्रार्थना–पत्र : (नियम 511)

सक्षम प्राधिकारी जो अवकाश स्वीकृत या बढ़ा सकता है, को नियत प्रारूप में अवकाश या अवकाश बढ़ाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

अवकाश की स्वीकृति – दावों की वरीयता : ऐसे मामले . . . . . .

i. ऐसे कर्मचारी जिन्हें समय विशेष पर मुक्त किया जा सकता है,

ii. विभिन्न आवेदकों के खाते में बकाया अवकाश

iii. पिछले अवकाश से लौटने के पश्चात आवेदक द्वारा दी गई सेवा की अवधि और प्रकृति

iv. यह तथ्य कि ऐसे किसी आवेदक को पिछले अवकाश से अनिवार्य रूप से बुलाया गया था

v. यह तथ्य कि ऐसे किसी आवेदक को जन हित में अवकाश हेतु मना किया जा चुका है

अवकाश लेखा : (नियम 513)

समूह ''क'' और ''ख'' रेल सेवकों के मामले में लेखा अधिकारी द्वारा प्रत्येक रेल सेवक का अवकाश लेखा नियत प्रारूप में रखा जायेगा तथा समूह ''ग'' और ''घ'' के मामलें में कार्यालय प्रधान या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यह लेखा रखा जायेगा।

अवकाश के प्रकार का सत्यापन : (नियम 514)

रेल कर्मचारी को देय अवकाशों की संख्या वह है जो कि अवकाश लेखे में उसके नाम शेष है। रेल कर्मचारी को तब तक अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता, जब तक अवकाश लेख को रखने वाले प्राधिकारी से अवकाश की देयता (Admissibility) के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त नहीं कर ली गई हो।

अवकाश कब स्वीकृत नहीं किया जाये : (नियम 515)

रेल कर्मचारी जिसे दण्ड देने वाले सक्षम प्राधिकारी ने बर्खास्त, हटाने या रेल सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत करने का निर्णय कर लिया है, उसे अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

अवकाश समाप्ति से पूर्व ड्यूटी पर वापस बुलाना : (नियम 516)

रेल कर्मचारी को अवकाश समाप्त होने से पूर्व कार्य पर वापिस बुलाये जाने की स्थिति में ऐसे बुलावे को सभी मामलों में अनिवार्य समझा जायेगा और रेल कर्मचारी निम्न का हकदार होगाः–

क. यदि अवकाश जिससे उसे वापस बुलाया गया है, वह भारत में है तो उसे बुलाये गये स्टेशन से रवाना होने की तिथि से उसे ड्यूटी पर माना जायेगा और वह निम्न को पाने का हकदार होगाः–

i. इस आधार पर यात्रा के लिये नियमों के अधीन यात्रा भत्ता, और

ii. जब तक वह पदभार ग्रहण करें तब तक छुट्टी छुट्टी वेतन, उसी दर से जिस दर पर वह पहले ले रहा था, किन्तु अब ड्यूटी पर वापस बुलाने के दौरान लेगा

ख. यदि अवकाश जिससे उसे वापस बुलाया गया है, वह भारत के बाहर है तो समुन्द्र यात्रा से भारत आने में लगे समय की गणना छुट्टियों की गणना के उद्देश्य के लिये की जायेगी।

तथा कर्मचारी निम्न का हकदार होगाः–

i. समुन्द्र यात्रा से भारत आने तथा भारत में उतरने के बाद पद पर तैनात होने की तिथि तक उसी दर से छुट्टी वेतन का हकदार होगा, जिस दर से वह पहले ले रहा था, किन्तु अब ड्यूटी के लिये वापस बुलाया गया हो।
ii. भारत के लिये निःशुल्क यात्रा व्यय
iii. भारत से उसकी यात्रा व्यय की धनवापसी यदि उसे वापस भारत बुलाने की तिथि तक उसने अपनी छुट्टियों की आधी अवधि या तीन महिने पूर्ण नहीं किये हों, जो भी पहले हो।
iv. भारत में उतरने के स्थान से कर्त्तव्य के स्थान तक यात्रा के लिये, उस समय लागू नियमों के अधीन ड्यूटी पास या यात्रा भत्ता देय होगा।

छुट्टी से वापस ड्यूटी पर लौटना : (नियम 517)

i. कोई रेल सेवक उसे स्वीकृत छुट्टी अवधि के पूर्ण होने से पहले ड्यूटी पर तब तक नहीं लौटेगा, जब तक कि उसे छुट्टी स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई हो।
ii. उपनियम (i) में ऐसा कुछ नहीं होते हुये भी ऐसा रेल सेवक जो सेवानिवृति से पूर्व छुट्टी पर हो, उसे उस पद पर नियुक्त करने वाल प्राधिकारी की सहमति से जिस छुट्टी पर वह सेवानिवृति से पूर्व गया हो उसे ड्यूटी पर आने से अलग रखा /रोका जायेगा।
iii. रेल सेवक जिसने चिकित्सा प्रमाण–पत्र के आधार पर छुट्टी ली हो, उसे ड्यूटी पर तब तक नहीं लिया जायेगा जब तक कि वह उचित चिकित्सा प्राधिकारी से अपनी फिटनेस का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं कर देता हो।
iv. कोई रेल सेवक छुट्टी से वापस आने पर उस पद पर जिस पर वह छुट्टी पर जाने से पूर्व तैनात था उस पर बिना प्रभावी विशेष आदेशों के पदग्रहण करने का हकदार नहीं होगा।
v. इस प्रकार का रेल सेवक पहले उसे छुट्टी स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा यदि उसे स्वीकृत छुट्टी में कोई विशेष आदेश हो तो वह अगले आदेशों की प्रतीक्षा करेगा।

छुट्टी समाप्त होने के बाद अनुपस्थिति : [नियम 518 (RBE 79/11)

i. जब तक छुट्टी स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी छुट्टी विस्तार (Extension) नहीं देता है, तब तक कोई रेल सेवक जो छुट्टी समाप्ति पर अनुपस्थित रहता है तो वह इस अनुपस्थिति अवधि के छुट्टी वेतन का हकदार नहीं होगा तथा इस अवधि को उसके छुट्टी लेखा में से उस सीमा तक जितनी खाते में बकाया हो, इस प्रकार नामे डाली जायेगी मानो वह अर्द्धवेतन छुट्टी हो। ऐसी शोध्य छुट्टी से आाधिक्य की अवधि असाधारण छुट्टी समझी जायेगी।
ii. छुट्टी समाप्त होने पर जानबुझकर ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले रेल सेवक के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

चिकित्सा प्रमाण–पत्र पर छुट्टी की स्वीकृति – सामान्य नियम : (नियम 519)

i. चिकित्सा अधिकारी ऐसे किसी भी मामले में जिसमें उसे लगे कि सम्बन्धित रेल कर्मचारी अपनी ड्यूटी ग्रहण करने के योग्य /फिट नहीं हो सकता है, छुट्टी की अनुशंसा नहीं करेगें। ऐसे मामलों में यह धारणा कि रेल सेवक रेल सेवा के लिये स्थायी रूप से अयोग्य है, इसे चिकित्सा प्रमाण–पत्र में दर्ज करना चाहिये। समूह ''ए'' और ''बी'' के रेल सेवकों को खराब स्वास्थ्य के आधार पर चिकित्सा बोर्ड के प्रमाण–पत्र के अलावा सेवा से पृथक नहीं किया जायें।

   चिकित्सा अधिकारी का प्रत्येक प्रमाण–पत्र जिसमें किसी रेल सेवक को छुट्टी स्वीकृति की अनुशंसा की गई है, उसमें यह परन्तुक जोड़ा जाये कि इस अनुशंसा में किसी रेल सेवक को उस पर लागू करार या शर्तों के अधीन किसी ऐसी छुट्टी के लिये साक्ष्य /दावा नहीं किया जा सकता, जिसका वह हकदार नहीं है।

समूह ए और बी अधिकारियों को चिकित्सा प्रमाण–पत्र के आधार पर छुट्टी की स्वीकृतिः (नियम 520)

समूह ''ए'' और ''बी'' के अधिकारियों को चिकित्सा प्रमाण–पत्र पर छुट्टी स्वीकृति /छुट्टी विस्तार करने से पूर्व उसे निर्धारित फार्म में एक प्रमाण–पत्र प्राप्त करना चाहिये।

समूह सी और डी के रेल कर्मचारियों को चिकित्सा प्रमाण–पत्र पर छुट्टी की स्वीकृति : (नियम 521)

समूह ''सी'' और ''डी'' के किसी रेल सेवक द्वारा चिकित्सा प्रमाण–पत्र के आधार पर छुट्टी के लिये दिये गये आवेदन–पत्र के साथ निर्धारित फार्म में रेलवे चिकित्सा अधिकारी का चिकित्सा प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा, जिसमें जहाँ तक सम्भव हो, बीमारी की प्रकृति और अवधि का स्पष्ट वर्णन हो।

जब रेल कर्मचारी 03 दिन तक या 03 दिन की अवधि सहित चिकित्सा छुट्टी पर रहने के पश्चात मेडिकल प्रेक्टिशनर से फिट लेकर वापस ड्यूटी पर उपस्थित होता है, तो उसे रेलवे चिकित्सा अधिकारी से जारी फिटनेस प्रमाण–पत्र लिये बिना ड्यूटी पर इस शर्त के साथ लिया जा सकता है कि, कर्मचारी यह लिखित घोषणा करें कि इस अवधि में उसे आँखों की कोई बीमारी नहीं थी।

अन्य मामलें ये यदि बीमारी की अवधि 03 दिन से अधिक हो तो कर्मचारी को प्राईवेट मेडिकल प्रेक्टिशनर द्वारा जारी फिटनेस प्रमाण–पत्र पत्र प्रस्तुत करने के 24 घण्टे के अन्दर ड्यूटी पर इस शर्त पर लिया जा सकता है, कि उसे सक्षम रेलवे चिकित्सा अधिकारी द्वारा फिट पाया गया हो। यदि सक्षम रेलवे चिकित्सा अधिकारी से फिटनेस प्रमाण–पत्र लेने में देरी होती है तो कर्मचारी को उसके द्वारा प्राईवेट चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के 24 घण्टे के भीतर ही ड्यूटी पर मान लिया जाये। [RBd's LNo. E(G)78 L.E. 1-7 dt. 18.01.1979]

उपर्युक्त का दुरूपयोग रोकने के उद्देश्य से रेल प्रशासन द्वारा विशेष अवधि (जैसे गर्मी में 01–04 से 30–6 तक तथा दीपावली आदि के दौरान 1–10 से 15–11 तक तथा जब किसी विभाग के कर्मचारियों द्वारा अधिक संख्या में एक साथ बीमारी (सिक) पर जाने की सम्भावना हो), तो समूह ''सी'' व ''डी'' के रेल कर्मचारियों को देय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टीशनर द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण–पत्र को स्वीकार करने की सुविधा को वापस लिया जा सकता है। [RBd's LNo. E(G)72 L.E. 1-11 dt. 28.09.1972]

ऐसे रेल सेवक को छुट्टी जिसके फिट नहीं होने के कारण ड्यूटी पर लौटने की सम्भावना नहीं हो: (नियम 522)

जब कोई चिकित्सा प्राधिकारी यह रिपोर्ट करें कि रेल सेवक के कभी भी ड्यूटी पर लौटने की कोई सम्भावना नहीं हो, तो ऐसे रेल कर्मचारी को छुट्टी आवश्यक रूप से अस्वीकृत नहीं की जायेगी, किन्तु यह निर्धारित नियम व शर्तों के अधीन होगी।

औसत वेतन पर छुट्टी : (नियम 523)

रेल सेवक एक कलैण्डर वर्ष में औसत वेतन पर 30 दिन की छुट्टियों का हकदार होगा तथा ये पूर्व में ही जमा की जायेगी। ये प्रत्येक कलैण्डर वर्ष में प्रत्येक 15 दिन की दो किश्तों अर्थात् पहली जनवरी तथा पहली जुलाई को जमा की जायेगी।

दिनांक 01.07.1997 से लागू नियम के अनुसार अधिकतम 300 दिन की छुट्टियों का संचयन कर्मचारी के खाते में हो सकता है। (RBE 155 /97 & 157/97)

रेल कर्मचारियों के सम्बन्ध में दिनांक 01.07.1997 से प्रभावी नियम के अनुसार पहली जनवरी /पहली जुलाई को जमा की जाने वाली औसत वेतन छुट्टियों को जमा (जोड़ने) के लिये निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी:–

i. ऐसे रेल कर्मचारियों के मामले में जिनकी औसत वेतन छुट्टी 01 जनवरी /01 जुलाई को खाते में 285 दिन या कम हो तो उसके खाते में 15 दिन तथा सेवानिवृत्त हो रहे या अगले आधे वर्ष की अवधि में रेल सेवा छोड़ रहे रेल कर्मचारियों के खाते में, इसके समानुपात में कम औसत वेतन छुट्टियों को जोड़ दिया जाना चाहिये।
ii. ऐसे मामले में जब पहली जनवरी /जुलाई को औसत वेतन छुट्टी 300 दिन या कम किन्तु 285 दिन से अधिक हो, 15 दिन की औसत वेतन छुट्टी को जोड़कर अलग रखा जायेगा तथा रेल कर्मचारी द्वारा अगले छः माह के दौरान छुट्टी लेने की अवस्था में पहले अलग से रखी /जोड़े गये औसत वेतन अवकाश में से समायोजित किया जायेगा तथा इसमें से बचे शेष

अवकाश को औसत वेतन छुट्टी में जोड़ दिया जायेगाजो अधिकतम 300 दिन की सीमा की शर्त के अधीन होगी।

[RBd's LNo. E (P&A) Pt. 2000 /CPC /LE-3 dt. 01.08.2000)]

औसत वेतन छुट्टी की गणना : (नियम 524)

प्रत्येक पूर्ण माह पर 2½ दिन की दर से जोड़ी जायेगी। एक बार में अधिकतम 180 दिन की औसत वेतन छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। यदि कर्मचारी पहले आधे वर्ष के दौरान ड्यूटी से EOL /LWOP /Absent है तो अगले आधे वर्ष की जमा को इस Absent /EOL की अवधि के 1/10 भाग की दर से कम कर दिया जायेगा। जो एक आधे वर्ष के दौरान अधिकतम 15 दिन तक हो सकता है।

औसत वेतन छुट्टी जमा करने के दौरान दिनों के अन्तर को अगले नजदीकी दिनों में मिला लिया जाये (RBE 24 /97)

उत्तर पूर्व तटीय रेलवे पर कार्यरत रेल सेवकों को रियायतः

[RBd's LNo. E (G58A.A.-1 dt. 15.02.1958]

एक कलेण्डर वर्ष में जब कर्मचारी औसत वेतन छुट्टी पर कोलकाता, लखनऊ या पटना को या वाया होकर जाता है, तो उन्हें निम्नानुसार अतिरिक्त छुट्टी स्वीकृत की जायेगी जिन्हें उनके छुट्टी खाते में से नहीं घटाया जायेगाः–

i कर्मचारी का मुख्यालय सिलीगुड़ी स्टेशन या सिलीगुड़ी से पश्चिम में किसी स्टेशन पर हो –(02 दिन)

ii कर्मचारी का मुख्यालय सिलीगुड़ी के अन्तिम छोर में किन्तु ब्रह्मपुत्र के उत्तरी किनारे पर हो, जिसमें दार्जिलिंग–हिमालय सेक्शन तथा पाण्डु (गोवाहटी) में होने पर –(04 दिन)

iii कर्मचारी का मुख्यालय पाण्डु के पूर्व में किसी स्टेशन पर हो तो –(06 दिन)

विद्यालय कर्मचारियों को मिलने वाली औसत वेतन छुट्टी : (नियम 525 व RBE 57/11, 100/15)

(1) क. किसी रेलवे स्कूल में कार्यरत रेल कर्मचारी जैसे अध्यापक, प्रधानाचार्य, मुख्याध्यापक, पुस्तकालयध्यक्ष, प्रयोगशाला सहायक अथवा पानी पिलाने वाला किसी भी वर्ष, जिसमें वह पूरी छुट्टियाँ लेता है, में निष्पादित की गई ड्यूटी के सम्बन्ध में किसी औसत वेतन छुट्टी के लिये हकदार नहीं होगा।

ख. किसी भी वर्ष के सम्बन्ध में, जिसमें कोई रेल कर्मचारी छुट्टी के एक भाग का उपयोग कर लेता है, वह 30 दिन के ऐसे अनुपात में औसत वेतन छुट्टी पाने का हकदार होगा क्योंकि न ली गई छुट्टी की संख्या पूरी छुट्टियों से सम्बन्धित होती हैं।

बशर्ते कि किसी भी रेल कर्मचारी जिसे अपनी सेवा के पहले वर्ष में स्थायी या अर्धस्थायी रूप में नियुक्त नहीं किया गया है, को इस प्रकार की छुट्टी अनुमेय नहीं होगी।

ग. यदि किसी वर्ष के दौरान, रेल कर्मचारी कोई छुट्टी नहीं लेता है, तो उसे नियम 523 के तहत उस वर्ष के लिये औसत वेतन छुट्टी अनुमेय होगी।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए ''वर्ष'' शब्द का आशय कैलेण्डर वर्ष के अर्थ के रूप में नहीं होगा जिसमें ड्यूटी निष्पादित की जाती है अपितु इसका आशय किसी रेल स्कूल में वास्तविक ड्यूटी के 12 महीनों से होगा।

टिप्पणी 1 : जब तक कि उच्च प्राधिकारी के सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा ऐसी छुट्टी के एक भाग को छोड़ देना अपेक्षित न हो तब तक छुट्टी के लिये पात्र रेल कर्मचारी को छुट्टी या छुट्टी के एक भाग का उपयोग कर लिया समझा जायेगा।

बशर्ते कि यदि ऐसे आदेश द्वारा उसे पन्द्रह दिन से अधिक छुट्टी लेने से रोका गया हो तो यह समझा जायेगा कि उसने छुट्टी के किसी भाग उपयोग नहीं किया है।

टिप्पणी 2 : जब किसी रेलवे स्कूल में कार्यरत कोई रेल कर्मचारी ड्यूटी का वर्ष पूरा करने से पहले ही छुट्टी पर चला जाता है तो उसे अनुमेय औसत वेतन अवकाश की गणना छुट्टी पर जाने से पहले की गई वास्तविक ड्यूटी की अवधि में आने वाली छुट्टियों के सन्दर्भ में नहीं की

जायेगी वरन् उन छुट्टियों के सन्दर्भ में की जायेगी जो उस तारीख से शुरू होने वाले वर्ष के दौरान आती है जिस तारीख को उसने पिछले वर्ष की ड्यूटी पूरी कर ली है।

(2) छुट्टियाँ, इन नियमों के अन्तर्गत आने वाली किसी भी प्रकार की छुट्टी के साथ या क्रम में ली जा सकती है।

बशर्ते कि औसत वेतन अवकाश चाहे किसी अन्य छुट्टी के साथ या उसके क्रम में लिया जाये अथवा नहीं परन्तु छुट्टी की कुल अवधि और इसके साथ लिये गये औसत वेतन अवकाश नियम 523 के तहत रेल कर्मचारी को एक समय में देय और अनुमेय औसत वेतन अवकाश के कुल योग से अधिक नहीं होगा।

(3) पिछले छः महीने समाप्त होने पर इस नियम के तहत रेल कर्मचारी के नाम में जमा औसत वेतन अवकाश इस शर्त के अध्यधीन अगले छः महीने में आगे ले जाया जाये कि इस प्रकार से आगे ले जाई गई छुट्टी जमा छः महीने में दी गई छुट्टियाँ 300 दिनों की अधिकतम सीमा से अधिक न हो।

टिप्पणी : नियम 1110 के उपबन्धों के अनुसार रेलवे स्कूलों में कार्यरत व्यक्तियों को उपयोग न की गयी कार्यग्रहण अवधि को छुट्टी लेखा में जमा करने की सुविधा प्राप्त होगी।

स्कूलों में कार्यरत रेल कर्मचारियों द्वारा छुट्टियाँ /छुट्टियों (Vacation) का एक भाग /स्काउट गाइड गतिविधियों में भाग लेने के कारण –उपयोग व लेने के कारण उनको देय छुट्टियों के एवज में वे नियमों के अधीन दी गई शर्तों के अनुसार औसत वेतन छुट्टी के हकदार होगें। (RBE 146 /06)

रेलवे बोर्ड ने अपने पूर्व पत्र संख्या ई/(पीएण्डए)1–81/सीपीसी/एल.ई.–8 दिनांक 11.12.1981 का अधिक्रमण करते हुये यह निर्णय लिया है कि, स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों, प्रिन्सिपल, प्रधानाध्यापकों, पुस्तकालय अध्यक्षों, लेबोरेटरी सहायकों एवं पानी वालों को वर्ष के दौरान औसत वेतन पर देय 10 दिन की छुट्टियों के बदले 20 दिन की अर्द्ध वेतन छुट्टी की सुविधा को अन्य रेल कर्मचारियों के सममूल्य पर उदारीकृत छुट्टी नियम 1949 के नियम 526 में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार पुनः चालू कर दिया जाये। ये आदेश 01.09.2008 से प्रभावी होगें। (RBE 46 /09 & 57/11)

आर.बी.ई. संख्या 46 /09 के क्रम में रेलवे बोर्ड ने आगे स्पष्ट किया है कि : (RBE 175 /09)

i. रेल कर्मचारियों को देय 20 दिन की अर्द्ध औसत वेतन छुट्टी की सुविधा उन्हें पहले से दी जा रही 10 दिन की औसत वेतन छुट्टी के बदले दी जायेगी। इसलिये 01.09.2008 से 31. 12.2008 तक की अवधि की अर्द्ध औसत वेतन की गणना सेवा के प्रत्येक पूर्व माह के लिये 5 /3 की दर से की जायेगी, जिसे अगले 07 दिनों में समाहित (Round Off) कर जमा किया जायेगा। 01.01.2009 से आगे 10 दिन की अर्द्ध औसत वेतन छुट्टी 01 जनवरी और 01 जुलाई को (अग्रिम) पहले से ही प्रत्येक वर्ष जमा किया जायेगा जैसा कि अन्य श्रेणी के रेल कर्मचारियों के मामले में होता है। 31.08.2008 तक की खण्डित अवधि (Broken Period) के लिये औसत वेतन छुट्टी को भी सेवा के प्रत्येक पूर्ण माह के लिये 5 /6 की दर से समानुपात (Proportionate) में अनुमति दी जायेगी।

ii. 01.09.2008 को रेलवे स्कूल कर्मचारियों के खाते में जमा औसत वेतन छुट्टी उनके छुट्टी खाते में जमा रखी जायेगी तथा इन्हें औसत वेतन छुट्टी के रूप में स्वीकृत करने के साथ ही अन्य शर्तें पूरी करने पर आई आर ई सी भाग–I, 1985 संस्करण के नियम 541, 549 और 550 में दी गई व्यवस्थाओं के अनुरूप अन्य रेल कर्मचारियों को देय छुट्टी नकदीकरण के उद्देश्य के साथ ही इन्हें भी इस उद्देश्य हेतु देय होगी।

iii. 01 जुलाई 2008 को खाते में जमा औसत वेतन छुट्टियों को अगर स्कूल कर्मचारियों द्वारा रेलवे बोर्ड के आदेश दिनांक 06.03.2009 (RBE 46/09) के जारी होने के पूर्व उपभोग कर लिया है तो इस अवकाश को औसत वेतन छुट्टी के रूप में माना जायेगा।

अर्द्ध औसत वेतन पर छुट्टी (Leave on Half Average Pay) : (नियम 526)

यह छुट्टी रेलवे स्कूलों के कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों को देय है। ये छुट्टियाँ प्रत्येक आधे वर्ष में 01 जनवरी और 01 जुलाई को 10 दिन की दो किश्तों में अग्रिम रूप में जमा की जायेगी। अन्य अवकाश के साथ जोड़कर या बिना उसके, अर्द्ध औसत वेतन अवकाश एक समय में अधिकतम 24 माह का लिया जा सकता है। यह छुट्टी चिकित्सक प्रमाण–पत्र पर या निजी कार्य के लिये मंजूर की जा सकेगी, छुट्टी खाते में इसके समग्रहण (Accumlation) की मात्रा असीमित है। (RBE 207/92 & 57/11)

यदि कोई रेल सेवक अनुपस्थित या निलम्बित रहता है और वह अवधि ड्यूटी नहीं (बिना वेतन) माना जाता है तो उक्त दिनों में 1/18 दिन अर्द्ध वेतन छुट्टी अगले छःमाह में दिये जाने वाली से कम की जायेगी।(RBE 41/88)

संपरिवर्तित छुट्टी (Commutaed Leave) : (नियम 527)

संपरिवर्तित छुट्टी, जो कि रेल कर्मचारी को बकाया अर्द्ध औसत वेतन छुट्टी के आधे से अधिक नहीं होगी, चिकित्सा प्रमाण–पत्र के आधार पर देय होगी, यदि छुट्टी मंजूर करने के लिये सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट हो कि छुट्टी की समाप्ति पर रेल सेवक के कर्त्तव्य पर लौटने की युक्त सम्भावना है। कर्मचारी द्वारा ली गई छुट्टी की दुगुनी दर से यह अर्द्ध औसत वेतन छुट्टी के जमा शेष के विरूद्ध नामे ((Debit) की जायेगी। पूरे सेवा काल में संपरिवर्तित छुट्टी उपयोग करने की कोई सीमा निर्धारित नहीं हैं लेकिन समस्त सेवा के दौरान अधिक से अधिक 180 दिन की छुट्टी का संपरिवर्तन वहाँ अनुज्ञात किया जा सकता है जहाँ ऐसी छुट्टी का उपयोग अनुमोदित पाठ्यक्रम के लिये किया हो, जो लोकहित में हो।

जहाँ संपरिवर्तित छुट्टी मंजूर की गई है, और कर्मचारी कर्त्तव्य पर आये बिना सेवानिवृत हो जाता है या त्यागपत्र दे देता है तो संपरिवर्तित छुट्टी अर्द्ध वेतन छुट्टी के रूप में मानी जायेगी और संपरिवर्तित छुट्टी तथा अर्द्ध वेतन छुट्टी के बीच की अंतर की राशि वसूल की जायेगी। किन्तु सेवा कर्मचारी के खराब स्वास्थ्य के कारण छोड़ी जाये तो ऐसा कोई अवकाश वेतन वसूल नहीं किया जायेगा।

संपरिवर्तित छुट्टी, रेल सेवक के निवेदन पर तब भी मंजूर की जा सकती है जब औसत वेतन छुट्टी उसके खाते में जमा हो।

पति /पत्नी के नियोक्ता द्वारा तथा अनुमोदित अस्पताल /चिकित्सक द्वारा जारी सर्टिफिकेट के आधार पर चिकित्सा आधार पर अवकाश (संपरिवर्तित अवकश) स्वीकार किया जा सकता हैं। (RBE 100/15)

अनार्जित छुट्टी (Leave Not Due) : (नियम 528)

अनार्जित छुट्टी स्थाई रेल सेवक को मंजूर की जा सकती है। अनार्जित छुट्टी अर्द्ध वेतन छुट्टी तक, जो वह सम्भवतया तत्पश्चात अर्जित करें, तक परिसीमित होगी।

अनर्जित छुट्टी समस्त सेवा के दौरान 360 दिन तक परिसीमित होगी, जिसमें एक समय में अधिक से अधिक 90 दिन तथा कुल 180 दिन की छुट्टी चिकित्सीय प्रमाण–पत्र के आधार पर देय होगी। अनार्जित छुट्टी रेल सेवक द्वारा उसके पश्चात अर्जित की जाने वाली अर्द्ध वेतन छुट्टी के नामे डाली जायेगी। जहाँ कोई रेल सेवक जिसे अनार्जित छुट्टी मंजूर की गई है, ड्यूटी पर लौटे बिना सेवा से त्यागपत्र देता है अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृति लेता है तो त्यागपत्र या सेवानिवृति उस तारीख से प्रभावी होगी जब से ऐसी छुट्टी प्रारम्भ हुई थी तथा छुट्टी का वेतन वसूल किया जायेगा, लेकिन यदि कर्मचारी को खराब स्वास्थ्य की वजह से रेल सेवा में आगे नहीं रख सकने के कारण अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई हो तो उससे कोई छुट्टी का वेतन वसूल नहीं किया जायेगा। (RBE 30/89)

अनार्जित छुट्टी उस अस्थाई रेल सेवकों को भी मंजूर की जा सकती है जिसने कम से कम एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो तथा वह क्षय, केंसर, कुष्ठ रोग से ग्रसित हो तो उसे पूरे सेवाकाल में 360 दिन के लिये यह छुट्टी मंजूर की जा सकती है। (नियम 529)

असाधारण छुट्टी : (नियम 530)

i. किसी रेल सेवक को असाधारण छुट्टी मंजूर की जा सकती हैः–
   क. जब कोई अन्य छुट्टी अनुज्ञेय नहीं हो।
   ख. जब अन्य छुट्टी अनुज्ञेय है, किन्तु सरकारी सेवक लिखित रूप से असाधारण छुट्टी के लिये आवेदन करें।
ii. जब तक कि राष्ट्रपति मामले की असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये अवधारित न करें, किसी अस्थायी रेल सेवक को एक बार में इस नियम के अधीन 03 महीने से लेकर 24 माह (परिस्थितियों /बिमारी के अनुसार) से अधिक असाधारण छुट्टी मंजूर नहीं की जा सकती है।
iii. असाधारण छुट्टी की दो अवधियों के बीच किसी अन्य प्रकार की छुट्टी है, तो दोनों अवधियों को असाधारण छुट्टी की एक निरन्तर अवधि समझा जायेगा।
iv. स्थायी रेल सेवकों के मामले में छुट्टी की कोई परिसीमा नहीं है, किन्तु एक बार में सभी प्रकार की छुट्टियाँ मिलाकर 05 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

भारतीय रेल की चिकित्सा सेवा के प्रशिक्षुओं को अध्ययन के लिये असाधारण छुट्टी की स्वीकृति दी जा सकती है। [RB LNo. 2001 /E /GR /11 /7 /13 dt. 26.03.2004]

परिवीक्षाधीन रेल सेवकों को छुट्टियाँ (समूह ''ए'' रेल सेवा के प्रशिक्षुओं सहित) : (नियम 531)

परिवीक्षाधीन रेल सेवक इन नियमों में उसी प्रकार छुट्टी का हकदार होगा, मानो कि वह अपना पद परिवीक्षाधीन के रूप में नहीं बल्कि मूल रूप में धारण करता हो। यदि कोई रेल सेवक प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त होता है तो वह इन नियमों के अन्तर्गत उसकी स्थायी /अस्थायी पद पर स्थाई /अस्थायी नियुक्ति के अनुरूप छुट्टी का हकदार होगा, किन्तु जहाँ ऐसा कर्मचारी इस प्रकार की नियुक्ति से पूर्व स्थाायी आधार पर नियुक्त हो तो वह इन नियमों के अन्तर्गत स्थायी रेल सेवक की भाँति छुट्टियों के लिये हकदार होगा।

विशेष वर्ग रेल शिक्षुओं को छुट्टी (Leave to special class Rly Apprentices) : (नियम 532)

पूर्ण वृत्तिका पर एक वर्ष में 01 माह की छुट्टी मंजूर की जाती है। एक से अधिक मास की छुट्टी खराब स्वास्थ्य के आधार पर किन्तु बिना वृत्तिका के मंजूर की जायेगी।

प्रशिक्षु मैकेनिक को छुट्टियाँ (Leave to Apprentice Machanic) : (नियम 533)

रेलवे कारखाना के प्रशिक्षु मैकेनिक, सहायक स्टेशन मास्टर, वाणिज्य कर्मचारियों, रेल पथ निरीक्षकों, कार्य निरीक्षकों, गाड़ी परीक्षकों इत्यादि को पूर्ण वृत्तिका पर 16 दिन तथा चिकित्सा प्रमाण–पत्र के आधार पर 20 दिन की छुट्टी अर्द्ध वृत्तिका पर मंजूर की जा सकती है।

ट्रेड अप्रेण्टिस को छुट्टी : (नियम 534)

ट्रेड अप्रेण्टिसशिप के किसी भी वर्ष में पूर्ण वृत्तिका पर 12 दिन तथा चिकित्सा प्रमाण–पत्र के आधार पर 15 दिन की छुट्टी अर्द्ध वृत्तिका पर मंजूर की जा सकती है।

अन्य अप्रेन्टिस को छुट्टियाँ : (नियम 535)

विभागों के समूह ''ग'' के प्रशिक्षु जो प्रशिक्षण के अधीन हो तथा जिन्हें प्रशिक्षण के बाद पर्यवेक्षक के पद पर तैनात किया जाता है जैसेः– प्रशिक्षु गाड़ी परीक्षक, प्रशिक्षु रेल पथ निरीक्षक, भण्डार विभाग के प्रशिक्षु इत्यादि को नियम 533 में उल्लिखित प्रशिक्षु मैकेनिक के अनुसार ही छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। प्रशिक्षु जो प्रशिक्षण के उपरान्त कुशल कामगार के रूप में नियुक्त किये जाते हैं, तो उन्हें नियम 534 में उल्लिखित ट्रेड शिक्षु की भाँति ही छुट्टी स्वीकृत की जायेगी।

अप्रेण्टिस को अन्य छुट्टियाँ : (नियम 536)

विशेष वर्ग अप्रेण्टिस को छोड़कर अन्य अप्रेण्टिस को अस्थायी रेल सेवकों पर लागू नियमों के अधीन महाप्रबन्धक द्वारा बिना वृत्तिका असाधारण छुट्टियाँ स्वीकृत की जा सकती है। महाप्रबन्धक अपनी शक्तियाँ को इन नियमों के अधीन विभागाध्यक्ष अथवा ऐसे अधिकारी को जो कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड से नीचे नहीं हो, को पुनः प्रत्यायोजित (Re-delegate) कर सकता है।

अप्रेण्टिस को छुट्टी की मंजूरी के लिये सामान्य शर्तें : (नियम 537)

i. नियम 531 से 536 तक सभी मामलों में छुट्टी गैर–संचयी /असंचयी रहेगी तथा यदि छुट्टियों से प्रशिक्षण में बाधा आती है, तो कोई छुट्टी मंजूर नहीं की जायेगी।

ii. आमेलन (Absorption) के बाद की बिना व्यवधान नियुक्ति तथा अप्रेण्टिस /प्रशिक्षु अवधि को सेवा माने जाने की स्थिति में छुट्टियों की पुनःगणना सामान्य नियमों की प्रक्रिया के अधीन की जायेगी।

सेवानिवृत्ति के बाद पुनः रोजगार पर लगाये गये व्यक्तियों को छुट्टी : (नियम 538)

i. किसी व्यक्ति को सेवानिवृत्ति के पश्चात पुनः रोजगार पर लगाने के मामले में इन नियमों में दी गई व्यवस्था को इस प्रकार लागू किया जायेगा, कि उसने पुनः रोजगार पर लगाने की तिथि को रेल सेवा में पहली बार प्रवेश किया हो।

ii. क. कोई रेल सेवक जिसने क्षतिपूर्ति अथवा अवैद्य सेवा अथवा उपादान के कारण लोक सेवा छोड़ दी हो, उसे पुनः नियोजित किये जाने पर यदि उसके उपादान की धनवापसी या उसकी सम्पूर्ण पेंशन कुछ समय के लिये रोक ली जाती है जिसके कारण उसकी पिछली सेवा से वह पेंशन योग्य होकर अंतिम रूप से सेवानिवृत होता हो तो पुनः रोजगार पर लगाने वाला प्राधिकारी स्वविवेक से उसकी पिछली सेवाओं को छुट्टी के रूप में गिनने का निर्णय ले सकता है।

ख. किसी रेल सेवक को, जिसे लोक सेवा से पदच्युत या निष्कासित किया गया हो, किन्तु अपील या पुनरीक्षण के कारण पुनः बहाल कर किया गया हो, छुट्टी के लिये उसकी पिछली सेवा गणना के योग्य होगी।

कार्यशाला कर्मचारियों को अवकाश : (नियम 539)

कार्यशाला कर्मचारियों को आधे दिन का औसत वेतन (बकाया होने पर) /बिना वेतन अवकाश सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है, जो अधिकतम 06 अवसरों तक एक वर्ष में देय होगा।

सेवानिवृत्ति की छुट्टी : (नियम 540)

यदि रेल सेवक अधिवार्षिता पर सेवानिवृत्ति के समय औसत वेतन छुट्टी को भुगना नहीं चाहता है, तो सक्षम प्राधिकारी उसे सेवानिवृत्ति से पूर्व अधिक से अधिक 180 दिन तक की यथाशोध्य औसत वेतन छुट्टी तथा यथाशोध्य अर्द्ध वेतन छुट्टी लेने की अनुमति इस शर्त पर दे सकता है कि ऐसी छुट्टी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पूर्ववर्ती दिन तक और उस दिन की सम्मिलित करते हुये विस्तारित होगी, किन्तु असाधारण छुट्टी इसमें सम्मिलित नहीं होगी।

सेवा के दौरान रेलवे पास /पीटीओ के साथ औसत वेतन पर छुट्टी का नकदीकरण :

(नियम 540 ए RBE 161/08, 194/08)

किसी रेल सेवक को सेवा के दौरान पास के साथ व पीटीओ उपयोग पर भी औसत वेतन पर 10 दिन के छुट्टी नकदीकरण की निम्नलिखित नियम व शर्तों के अधीन अनुमति होगीः–

i. कम से कम समान अवधि के लिये औसत वेतन पर छुट्टी साथ लेनी होगी लेकिन RBE No.: 104/09 द्वारा इनमें संशोधन कर दिया गया है तथा अब रेल कर्मचारी को पास /पीटीओ उपयोग लेते समय छुट्टी के दिनों की अवधि व छुट्टी की प्रकृति से कोई सम्बन्ध रखे बिना 10 दिन की औसत वेतन छुट्टी का नकदीकरण लेने की अनुमति है। (RBE No.: 104/09)

ii. छुट्टी नकदीकरण तथा ली गई छुट्टियों की अवधि को लेखे में लेने के बाद कर्मचारी के खाते में कम से कम 30 दिन की औसत वेतन छुट्टी रहनी चाहिये।

iii. इस प्रकार भुनाई गई कुल छुट्टियाँ पूरी सेवा के दौरान कुल 60 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिये तथा दो भुनाई गई सकल अवधियों के बीच कम से कम दो वर्ष का अन्तर रहना

चाहिये।

आनुक्रमिक (Successive) औसत वेतन पर छुट्टी नकदीकरण के लिये दो वर्ष की अवधि की गणना हेतु दो–दो वर्ष के खण्ड (Block) बनेगें जिसमें बाहरी यात्रा (Outward Journed) के क्रम में पहला खण्ड 01.09.2008 से शुरू होकर 31.08.10 को समाप्त होगा। अगला खण्ड 01.09.2010 से शुरू होकर 31.08.2012 को समाप्त होगा तथा इसी अनुरूप आगे खण्ड बनेगें। (RBE 15/11, 141/14)

iv. छुट्टी नगदीकरण में कोई गृह किराया भत्ता (HBA) + परिवहन भत्ता देय नहीं होगा।

v. भुनाई गई छुट्टियों की अवधि को नियम 550 के अधीन भुनाने योग्य छुट्टियों की मात्रा में से घटाया नहीं जायेगा।

vi. रनिंग कर्मचारियों और स्टेशन मास्टर /सहायक स्टेशन मास्टर श्रेणी के कर्मचारियों को भी पास /पीटीओ उपयोग लेते समय 10 दिन के छुट्टी नकदीकरण के उद्देश्य के लिये सामान्य रेल कर्मचारियों की भाँति सभी नियम व शर्तों को पूरा करना आवश्यक है –अर्थात् रेलवे पास लेने तथा इन श्रेणियों के लिये समान अवधि की औसत वेतन छुट्टी लेने की अवधि की औसत वेतन छुट्टी लेने की RBE No.: 196/08 के द्वारा दी गई छूट को वापस ले लिया गया है तथा इन श्रेणियों पर भी RBE No.: 104/09 में दिये गये निर्देश लागू होगें। (RBE No.: 157/09)

vii. सुविधा पास /पीटीओ का उपयोग करते समय औसत वेतन छुट्टी के नकदीकरण का दावा करने के लिये रेल कर्मचारियों को छुट्टी, जिसमें आकस्मिक छुट्टी भी शामिल है, लेना अपेक्षित है। इस प्रयोजन के लिये अवकाश (Holidays), जिसमें प्रतिबन्धित अवकाश भी शामिल है, ''छुट्टी'' की परिभाषा की परिधि में नहीं आता है। (RBE No.: 95/11)

viii. कार्य की प्रकृति को देखते हुये रेलवे बोर्ड द्वारा यह विनिश्चत किया गया है कि रनिंग कोटि के कर्मचारियों जिसमें ड्राईवर, सहायक ड्राईवर, मोटर मैन, शण्टर, गार्ड आदि तथा स्टेशन मास्टर /सहायक स्टेशन मास्टर सम्मिलित हैं, को ऐसे मामले में छुट्टी नगदीकरण की स्वीकृति दी जाये जहाँ उन्हें छुट्टी स्वीकृत नहीं की गई हैं, को ऐसे मामले में छुट्टी नगदीकरण की स्वीकृति दी जाये जहाँ उन्हें छुट्टी स्वीकृत नहीं की गई हैं लेकिन पास /पीटीओ का उपयोग किया गया हैं। (RBE No.: 61/12)

ix. सुविधा पास /पीटीओ का उपयोग करते हुये औसत वेतन छुट्टी नगदीकरण की गणना में NPA को भी लिया जायेगा। (RBE No.: 67/12)

x. रनिंग स्टाफ को 10 दिन के अर्जित अवकाश (LAP) के नकदीकरण के प्रयोजन के लिये 30% वेतन के एलिमेण्ट को भी गणना में लिया जाना हैं। (RBE No.: 10/15)

सेवानिवृत्ति या सेवा छोड़ने की तिथि से आगे छुट्टी : (नियम 541)

i. इन नियमों में अन्यथा दिये जाने के अतिरिक्त किसी रेल सेवक को इससे आगे छुट्टी स्वीकृत नहीं की जायेगीः–
   - क. उसकी सेवानिवृति की तिथि, अथवा
   - ख. उसकी सेवाओं की समाप्ति की तिथि, अथवा
   - ग. नियुक्ति प्राधिकारी को नोटिस देकर उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि या सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियम और शर्तों के अधीन नोटिस देकर वेतन और भत्ते देकर सेवानिवृत्त किये जाने के बाद, अथवा
   - घ. सेवा से उसके इस्तीफा देने की तिथि के बाद।

ii. अधिवार्षिता की आयु के बाद जब रेल सेवक की सेवायें विस्तारित अथवा पुनः नियोजन पर जारी रखी गई हो, तो उसे सेवा विस्तार या पुनः नियुक्ति की अवधि खत्म होने पर सेवा समाप्ति की तिथि को उसके खाते में अधिवार्षिता की तिथि की अर्जित अवकाश तथा पुनः नियोजन के दौरान अर्जित छुट्टियाँ जिनमें से इस अवधि के दौरान ली गई छुट्टियों को घटाकर, जो अधिकतम 300 दिन हो सकती है, के सम्बन्ध में उसे छुट्टी

नकदीकरण का लाभ दिया जा सकता है।

सेवा समाप्ति पर छुट्टी (नियम 542)

i. क. रेल सेवक जिसे सेवा से बर्खास्त या हटा दिया गया है या जिसकी सेवायें रेलवे सेवायें (राष्ट्रीय सुरक्षा को संरक्षित रखना) नियम–1954 के अन्तर्गत समाप्त कर दी गई है, उसे सेवा समाप्ति पर छुट्टी स्वीकृत नहीं की जायेगी।

ख. प्रशिक्षु उन पर लागू नियमों द्वारा शासित होते रहेगें और सेवा समाप्ति पर उन्हें छुट्टी देय नहीं होगी। इसी प्रकार वे व्यक्ति जिनकी सेवायें वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों या अर्द्ध सरकारी संगठनों से ऐसी शर्त्तों पर उधार ली जाती है जिनमें छुट्टी वेतन योगदान का भुगतान शामिल है, उन्हें ऐसी छुट्टी स्वीकृत नहीं की जायेगी।

ii. अस्थाई रेल सेवकों को छुट्टी (सेवा समाप्ति) :

अस्थाई रेल सेवकों के मामले में सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने से पूर्व छंटनी या पदों को समाप्त करने पर सेवा समाप्ति पर, स्वीकृति करने वाले प्राधिकारी के विवेकानुसार, ऐसे समय बकाया और देय औसत अवकाश छुट्टियाँ स्वीकृत की जा सकती है। ऐसे मामलों में जहाँ अस्थाई रेल सेवकों की नियुक्ति शर्तों के अन्तर्गत सेवा समाप्ति का नोटिस दिया जाना आवश्यक है और रेल सेवक की नोटिस अवधि समाप्त होने से पूर्व मुक्त कर दिया जाता है तो ऐसा नोटिस या इसका बकाया भाग तथा स्वीकृत अवकाश के साथ–साथ चलेगें।

छुट्टी वेतन की निकासी : (नियम 543)

इन नियमों के अन्तर्गत देय छुट्टी वेतन की निकासी भारतीय रूपयों में की जायेगी।

एक रेल कर्मचारी को संपरिवर्तित छुट्टी पर जाता है, वह उस अवधि हेतु वह अर्जित अवकाश पर दिये जाने वाले वेतन के बराबर छुट्टी वेतन का हकदार होगा।

आधे औसत वेतन या LND पर ऊपर बताये अनुसार वेतन की आधी राशि के बराबर छुट्टी वेतन का हकदार होगा तथा असाधारण छुट्टी पर वह किसी छुट्टी वेतन का हकदार नहीं होगा। (नियम 544)

कार्यशाला स्टाफ की छुट्टी वेतन : (नियम 545)

i. कार्यशाला स्टाफ का औसत वेतन छुट्टी पर छुट्टी वेतन उस वेतन के बराबर होगा जिसे यदि रेल कर्मचारी ड्यूटी पर होता तो लेता, लेकिन इसमें छुट्टी अवधि के दौरान उसे प्राप्त किसी प्रकार की (वेतन) वृद्धि शामिल नहीं होगी।

ii. आधे औसत वेतन छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन ऊपर दिये गये उप–नियम (1) में छुट्टी वेतन के आधे के बराबर होगा और संपरिवर्तित छुट्टी पर आधे औसत वेतन छुट्टी पर देय छुट्टी वेतन का दुगुना होगा।

रनिंग स्टाफ को छुट्टी वेतन : (नियम 546)

i. स्थायी रनिंग स्टाफ के मामले में औसत वेतन छुट्टी पर छुट्टी वेतन पहले 60 दिनों के लिये मूल वेतन या औसत वेतन, जो भी अधिक हो, के आधार पर और इसके पश्चात मूल वेतन के आधार पर होगा।

ii. अस्थायी रनिंग स्टाफ के मामले में छुट्टी वेतन 60 दिनों तक औसत वेतन के आधार पर तथा 60 दिनों के पश्चात औसत वेतन या वह वेतन जो यदि स्टाफ ड्यूटी पर रहता तो लेता, जो भी कम हो, के आधार पर होगा।

iii. आधे औसत वेतन पर छुट्टी या संपरिवर्तित अवकाश के दौरान छुट्टी वेतन की गणना नियम 545 के उपनियम (2) के आधार पर की जायेगी।

छुट्टी वेतन हेतु विशेष वेतन की गणना करना : (नियम 547)

औसत वेतन की गणना करने के लिये विभिन्न कोटियों के स्टाफ को स्वीकृत विशेष वेतन को ध्यान में रखा जायेगा।

छुट्टी वेतन अग्रिम : (नियम 548)

विदेश सेवा के रेल कर्मचारी सहित (स्थायी और अस्थायी) रेल सेवक जो न्यूनतम 30 दिनों की

अवधि के लिये छुट्टी पर जा रहे हैं, उन्हें छुट्टी वेतन के बदले में एक माह तक के वेतन और भत्ते अग्रिम के रूप में स्वीकृत किये जा सकते हैं जो निम्न शर्तों के अधीन होगें:–

i. छुट्टी वेतन का अग्रिम पूर्ण रूपयों में स्वीकृत किया जायेगा।
ii. एक माह (30 दिन) से कम अवधि हेतु ली गई छुट्टी पर अग्रिम स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
iii. पहले माह की छुट्टी हेतु अग्रिम की राशि छुट्टी वेतन की राशि तक सीमित रखनी चाहिये जो कि आयकर, भविष्य निधि, मकान किराया, अग्रिमों के पुनर्भुगतान इत्यादि कटौतियों के पश्चात रेल सेवक को स्पष्टतः देय हो ताकि किसी तरह का वित्तीय जोखिम न हो।
iv. ली गई छुट्टियों के सम्बन्ध में छुट्टी वेतन बिल में अग्रिम पूर्णतः समायोजित किया जाना चाहिये। ऐसे मामले में जहाँ अग्रिम का पूर्णतः समायोजन नहीं किया जा सकता तो बकाया राशि की वसूली अगले वेतन या छुट्टी वेतन से की जायेगी।
v. समूह क, ख, ग और घ रेल सेवकों के मामले में अग्रिम महाप्रबन्धक द्वारा या कोई अन्य अधिकारी, जिसे विशेष रूप से शक्तियाँ सौंपी गई है, द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है।
vi. अस्थायी रेल कर्मचारियों को अग्रिम स्थायी रेल कर्मचारी द्वारा जमानत प्रस्तुत करने पर स्वीकृत किया जायेगा।
vii. अग्रिम की राशि उस लेखा शीर्ष में डाली जायगी जिसमें रेल सेवक का वेतन इत्यादि डाला जाता है और अग्रिम के समायोजन की निगरानी सम्बन्धित लेखा अधिकारी द्वारा की जायेगी।

सेवा के दौरान मृत्यु पर छुट्टी वेतन का नकद समतुल्य : (नियम 549)

ऐसे मामले में जब सेवाकाल के दौरान रेल सेवक की मृत्यु हो जाती है तो छुट्टी वेतन का नकद समतुल्य, जो मृत कर्मचारी प्राप्त करता यदि वह औसत वेतन पर छुट्टी पर जाता और जो उसे देय होती, वह देय होगा। छुट्टी वेतन किसी भी मामले में 300 दिन से अधिक का नहीं होगा जो उसके परिवार को वर्णित तरीके के अनुसार मृत्यु सह सेवानिवृति के पेंशन समतुल्य के कारण बिना किसी कटौती के दिया जायेगा।

सेवानिवृत्ति की तिथि को औसत वेतन पर काम में नहीं ली गई छुट्टियों के बदले में नकद भुगतानः (नियम 550)

सभी रेल कर्मचारी जो 30.09.1977 को या इसके पश्चात सेवानिवृत्त हुये हैं उन्हें सेवानिवृत्ति के समय उनके खाते में औसत वेतन पर छुट्टी हेतु छुट्टी वेतन के समतुल्य का भुगतान किया जा सकता है। अर्जित अवकाश 30.06.1997 तक अधिकतम 240 होगी जिसकी अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 300 कर दिया गया है जो 01.07.1997 से प्रभावी होगी। निपटान के समय इस राशि का एक साथ भुगतान किया जा सकता है। छुट्टी प्रदान करने वाला सक्षम अधिकारी सेवानिवृत्ति के दिन अर्जित अवकाश स्वीकृति हेतु स्वप्रेरणा से आदेश जारी करेगें। D&AR के अन्तर्गत अनिवार्य सेवानिवृत्ति और ग्रेच्युटी सहित पेंशन में कटौती के आदेश होने के मामले में भी छुट्टी स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी छुट्टी वेतन का नकद समतुल्य स्वीकृत कर सकता है। एक रेल सेवक जो सेवा छोड़ता है या त्यागपत्र देता है वह सेवा समाप्ति के दिन उसके खाते में कुल अर्जित अवकाश की आधी जिसकी अधिकतम सीमा 150 दिन है के नगद समतुल्य का हकदार है। (RBE No.: 157/97 & 29/06)

अर्जित अवकाश और आधे वेतन पर अवकाश दोनों पर छुट्टी नकदीकरण हेतु विचार किया जायेगा जिसकी अधिकतम सीमा 300 दिन होगी। अर्जित अवकाश हेतु भुगतान योग्य नकद समतुल्य अपरिवर्तित रूप से जारी रहेगा। हालांकि आधे वेतन पर अवकाश हेतु भुगतान योग्य नकद समतुल्य छुट्टी वेतन जो आधे वेतन हेतु देय है और मंहगाई भत्ते के समान होगा जिसमें पेंशन तथा अर्जित अवकाश में कमी की भरपाई हेतु भुगतान योग्य पेंशन समतुल्य के अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के सम्बन्ध में कोई कटौती नहीं की जायेगी। 01.01.2006 से 02.09.2008 के मध्य के मामलों के सम्बन्ध में सम्बन्धित पेंशनरों से इस आशय का आवेदन प्राप्त होने पर सम्बन्धित प्रशासन मंत्रालय द्वारा लाभ देय होगा। (RBE No.: 148, 104/09 & 204/09)

प्रसूती छुट्टी (Maternity Leave) : (नियम 551)
महिला रेल कर्मचारी (इसमे प्रशिक्षु भी शामिल है) जिसके दो से कम जीवित बच्चे हैं, को आरम्भ होने की तिथि से 180 दिनों की अवधि हेतु मातृत्व छुट्टी प्रदान की जा सकती है। (RBE No.: 154/97 & 158/08)
बच्चा गिरने /गर्भपात की स्थिति में भी महिला कर्मचारियों को पूरे सेवाकाल में 45 दिन की यह छुट्टी स्वीकृति की जा सकती है। जीवित बच्चों की संख्या को ध्यान में रखे बिना, मातृत्व छुट्टी चिकित्सा प्रमाण–पत्र द्वारा समर्थित होने पर प्रार्थना पर देय होगी। (RBE No.: 54/97 & 57/11)
मातृत्व छुट्टी के साथ किसी भी प्रकार की छुट्टी, 01 वर्ष तक LND 60 दिनों तक आवेदित और (संपरिवर्तित छुट्टियों सहित) बिना चिकित्सा प्रमाण–पत्र के स्वीकृत की जा सकती है। इनके अलावा मेडिकल अटेण्डेंण्ट की सिफारिश पर या बच्चे की बीमारी हेतु छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। इस प्रकार स्वीकृत की गई मातृत्व छुट्टियाँ 180 दिन तक अवकाश खाते में डेबित नहीं की जायेगी। ऐसी अवधि के दौरान कर्मचारी को ठीक छुट्टी पर जाने से पहले जो वेतन ले रही थी के बराबर छुट्टी वेतन दिया जायेगा। (RBE No.: 30/89, 158/08)
ऐसी अवधि के दौरान कर्मचारी को ठीक छुट्टी पर जाने से पहले जो वेतन ले रही थी के बराबर छुट्टी वेतन दिया जायेगा। (RBE No.: 57/11)
लेकिन प्रसूती अवकाश के लगातार में बिना चिकित्सा प्रमाण–पत्र के स्वीकृत EOL अर्हक सेवा (Qualifying Service) तथा वेतन वृद्धि हेतु गणना में नहीं ली जायेगी। (RBE 242/01, 72/14)
Surrogate Mother को प्रसूति अवकाश व संतान देखभाल अवकाश देय नहीं है।
[RB L.No. E (P&A) I-2013 /CPC /LE-3 dt. 15.07.2014 (NWR PS 66/14)]
पैतृत्व अवकाश (Peternity Leave) : (नियम 551 ए)
प्रशिक्षु सहित पुरूष रेल सेवक जिसके दो से कम जीवित बच्चे हैं उसे पेतृत्व अवकाश पत्नी के प्रसवकाल में 15 दिन हेतु स्वीकृत किया जा सकता है अर्थात् प्रसव के 15 दिन पूर्व से लेकर प्रसव की तिथि से 06 माह तक। और यदि इस अवधि में यह छुट्टी नहीं ली जाती है तो इसे बीती हुई (समाप्त) माना जायेगा। इस दौरान उसे छुट्टी पर जाने से पूर्व लिये जाने वाले वेतन के समान छुट्टी वेतन का भुगतान किया जायेगा। पेतृत्व छुट्टी, छुट्टी खाते में से नहीं काटी जायेगी और मातृत्व छुट्टी की तरह यह किसी भी प्रकार की छुट्टी के साथ समाहित की जा सकती है। सामान्यतः इसे किसी भी परिस्थिति में अस्वीकार नहीं किया जाता। पुरूष रेल सेवक को पेतृत्व छुट्टी उस स्थिति में स्वीकृत की जा सकती है, जब इस आदेश के जारी होने की तिथि अर्थात् 07.10.1997 से 180 दिन पूर्व तक उसकी पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया हो। पैतृत्व छुट्टी एक मुश्त ही मंजूर की जायेगी। (RBE 154/97,110/99, 249/99 & 57/11)
अस्थायी ओहदा प्राप्त पुरूष केजुअल रेल सेवक को पेतृत्व अवकाश : (नियम 551 बी)
पुरूष केजुअल रेल सेवक जिसे अस्थाई ओहदा (Temp. Status) दिया गया है और जिसके दो से कम जीवित बच्चे हैं, उसकी पत्नी के प्रसवकाल में उसे 15 दिन की पैतृत्व छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। छुट्टी के लिये आवेदन और उसका उपयोग (कम से कम आंशिक रूप से) बच्चा पैदा होने से 135 दिन की अवधि के भीतर छुट्टी आरम्भ होनी चाहिये। पेतृत्व अवकाश बच्चा पैदा होने से पूर्व आरम्भ हो सकता है यदि बच्चा छुट्टी की अवधि के दौरान पैदा होता है। इसकी कटौती छुट्टी खाते में से नहीं की जायेगी और औसत वेतन पर केजुअल रेल कर्मचारी को देय छुट्टियों के साथ यथानुपाल समायोजित की जा सकती है, जैसा कि मातृत्व अवकाश के मामले में किया जाता है। पेतृत्व (छुट्टी), मातृत्व अवकाश की तरह एक ही बार में स्वीकृत किया जा सकता है। इन छुट्टियों के दौरान उसे कार्य दिवसों के सम्बन्ध में पारिश्रमिक भुगतान किया जायेगा जो छुट्टी पर जाने से पूर्व लिये जाने वाले पारिश्रमिक से समान होगा। (RBE 110/99)
दत्तक ग्रहण छुट्टी (Child Adoption Leave) : (नियम 551 सी)
दत्तक ग्रहण माँ को बिना चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है, यह

बकाया और देय छुट्टी एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये, लेकिन यह सुविधा उस दत्तक ग्रहण माँ को उपलब्ध नहीं होगी जिसके दो बच्चे हैं। अधिकतम एक वर्ष हेतु देय छुट्टी, बच्चे की आयु के अनुसार निम्नानुसार घटा दी जायगीः– (RBE 207/92)

क. यदि बच्चे की आयु एक माह से कम है तो एक वर्ष की छुट्टी दी जा सकती है।

ख. यदि बच्चा 06 माह का है तो 06 माह की छुट्टी दी जा सकती है।

ग. यदि बच्चा 09 माह या उससे बड़ा है तो 03 माह की छुट्टी दी जा सकती है।

इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया गया है कि रेलवे में ऐसी दत्तक ग्रहण माँ जिसके दो से कम जीवित बच्चें हैं उसे एक वर्ष तक का बच्चा गोद लेने पर मातृत्व छुट्टी की तरह 180 दिन की छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। इस छुट्टी को अन्य किसी प्रकार की छुट्टी के साथ समायोजित किया जा सकता है। (RBE 62/06, 166/09)

संतान देखभाल अवकाश (Child Care Leave) : नियम 551 ई RBE 158/08, 195/08 & 57/11)

महिला कर्मचारी जिसके अव्यस्का बच्चा है उसे छुट्टी स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकतम दो वर्ष (अर्थात् 730 दिन) की संतान देखभाल अवकाश (Child Care Leave) स्वीकृत की जा सकती है जो पूरे सेवाकाल में दो बच्चों तक की सार सम्भाल, चाहे पालन–पोषण या उनकी आवश्यकताओं जैसे परीक्षा, बीमारी इत्यादि की पूर्ति हेतु, मंजूर की जा सकती है। यदि संतान 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के विकलांग बच्चों के मामले में 22 वर्ष (RBE 58/10) की है तो Child Care Leave देय नहीं होगी।

यह छुट्टी टुकड़ों में ली जा सकती है। Child Care Leave की कटौती छुट्टी खाते में से नहीं होगी। बिना चिकित्सा प्रमाण–पत्र के के Leave Not Due रूप में Child Care Leave तीसरे वर्ष भी मंजूर की जा सकती है। यह किसी भी प्रकार की देय और बकाया छुट्टी के साथ समायोजित की जा सकती है।

i. Child Care Leave केवल तभी ली जा सकती है जब कर्मचारी के खाते में कोई अर्जित अवकाश बकाया न हो। (इस शर्त को RBE 144/10 के द्वारा समाप्त कर दिया गया हैं।)

ii. Child Care Leave केवल बड़े दो जीवन बच्चों हेतु देय होगी।

iii. CCLका लेखा निर्धारित प्रारूप में रेल कर्मचारी के सेवा अभिलेख के साथ रखा जायेगा। (RBE158/08 & 195/08)

CCL को अर्जित अवकाश की तरह माना जाना चाहिये तथा उसी के अनुसार स्वीकृत भी होना चाहिये।

CCLकी माँग एक अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती। किसी भी परिस्थिति में कोई कर्मचारी छुट्टी स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना CCL पर नहीं जा सकता। ऐसी छुट्टी को अर्जित अवकाश की तरह माना जायेगा तथा स्वीकृत किया जायेगा। इस प्रकार छुट्टी की अवधि में पड़ने वाले शनिवार, रविवार, राजपत्रित अवकाश इत्यादि अर्जित अवकाश की तरह CCL में गिने जायेगें। (RBE100/15)

iv. CCLकी स्वीकृति हेतु LHAP को अर्जित छुट्टी की तरह नहीं माना जा सकता इसलिये एक महिला रेल सेवक को उस स्थिति में भी CCL स्वीकृत की जा सकती है, जब उसके खाते में LHAP बकाया हो।

(RBE65/09 & 21/11)

v. एक अवसर पर CCL की न्युनतम संख्या 15 दिन व अधिकतम 730 दिन रहेगी। (न्यूनतम 15 दिन की शर्त को दिनांक 05.06.2014 से हटा दिया गया हैं (RBE 71/14)

vi. CCL एक वर्ष में तीन बार से अधिक CCL देय नहीं होगी।

vii. बच्चों को गोद लेने वाली माताओं को भी देय हैं।

viii. CCL की अवधि में अगर रेल कर्मी की वेतन वृद्धि की तिथि पड़ती है तो यह वेतन वृद्धि अवकाश से वापस आने पर वास्तविक रूप से कार्यग्रहण की तिथि से देय होगी।

(मद संख्या (v) से (viii) हेतु रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या E(P&A)1-2009/CPC/LE-10

dt.30.09.10)

ix. इस अवधि के दौरान महिला रेल कर्मचारी को स्वीकार्य औसत वेतन छुट्टी के नगदीकरण का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी अवधि के दौरान कर्मचारी को ठीक छुट्टी पर जाने से पहले जो वेतन ले रही थी के बराबर छुट्टी वेतन दिया जायेगा तथा किसी अन्य छुट्टियों के साथ जोड़ा जा सकता है तथा यह छुट्टी के खाते में से नहीं घटाई जायेगी। (RBE 57/11)

x. अत्यावश्यक परिस्थितियों को छोड़कर, सामान्यतः प्रोबेशन अवधि के दौरान CCL प्रदान नहीं की जायेगी। (RBE57/11)

xi. नियम 540ए के सम्बन्ध में स्वीकार्य औसत वेतन छुट्टी के नगदीकरण का लाभ CCL के दौरान नहीं लिया जा सकता। (RBE 57/11)

xii. Surrogate Mother को प्रसूति अवकाश व संतान देखभाल अवकाश देय नहीं हैं। B LNo. E(P&A) 1-2013/CPC/LE-3 dt. 15.07.2014 (NWR PS 66/14)]

xiii. अगर बच्चा विदेश में पढ़ रहा हैं या रेल कर्मी को बच्चे की देखभाल हेतु विदेश जाना हैं तो यह अनुमेय होगा। (RBE 100/15)

दत्तक ग्रहण की स्थिति में पैतृक छुट्टी : (नियम 51डी)

प्रशिक्षु सहित पुरूष रेल सेवक, जिसके दो से कम जीवित बच्चे हैं, उसे एक वर्ष से कम आयु के बच्चे के वैद्य दत्तक ग्रहण पर दत्तक ग्रहण की तिथि से 06 माह की अवधि में 15 दिन की पितृत्व छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। ऐसी अवधि के दौरान कर्मचारी को ठीक छुट्टी पर जाने से पहले जो वेतन ले रही थी के बराबर छुट्टी वेतन दिया जायेगा तथा किसी अन्य छुट्टियों के साथ जोड़ा जा सकता है व इसे छुट्टी के खाते में से नहीं घटाई जायेगी। गोद लेने के 180 दिन के अन्दर ली जा सकती है। (RBE 166/2009 & 57/11)

विशेष निशक्तता छुट्टी (Special Disability Leave) : (नियम 552)

स्थायी या अस्थायी रेल सेवक को जानबूझ कर पहुॅचाई गई चोट या राजकीय कर्त्तव्यों के निर्वहन के फलस्वरूप लगी चोट के कारण निशक्त हो जाता है, उसे यह छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। ऐसी छुट्टी चोट लगने के पश्चात तीन माह की अवधि में अशक्तता दिखने पर स्वीकृत की जा सकती है। ऐसी छुट्टी की अवधि अधिकतम 24 माह होगी। यह किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ समायोजित की जा सकती है। ऐसी छुट्टी एक से अधिक बार स्वीकृत की जा सकती है यदि समान परिस्थितियों में कर्मचारी दूसरी बार अशक्त होता है, परन्तु एक अशक्तता हेतु अधिकतम 24 माह होगें। इसे पेंशन, छुट्टी वेतन इत्यादि हेतु ड्यूटी माना जायेगा। ऐसी छुट्टी में प्रथम 120 दिन तक उसी तरह वेतन का भुगतान किया जायेगा जैसा कि अर्जित अवकाश (LAP) के दौरान किया जाता है और शेष अवधि का छुट्टी वेतन आधे वेतन पर छुट्टी के बराबर होगा। छुट्टी अवधि 120 दिन से अधिक होने की स्थिति में रेल सेवक अपने विकल्प पर अपने छुट्टी खाते से अर्द्ध वेतन अवकाश (LHAP) कटवाकर अर्जित अवकाश के बराबर वेतन ले सकता है। वे कर्मचारी जिन पर WCA 1923 लागू है, उनकी छुट्टी वेतन की देय राशि इस अधिनियम के अन्तर्गत देय क्षतिपूर्ति राशि से घटा दी जायगी।

दुर्घटना हेतु विशेष निशक्तता छुट्टी (Special Disability Leave for Accedenatinjury) : (नियम 553)

नियम 552 के प्रावधान स्थायी या अस्थायी उस रेल सेवक पर भी लागू होगें जो राजकीय ड्यूटी में दुर्घटना या सरकारी कर्त्तव्यों के निर्वहन के दौरान हुई हो या कार्यालयीय स्थिति या विशेष प्रकार के कर्त्तव्य के निर्वहन से उपजी /पैदा हुई बिमारी और जिसका प्रभाव बीमारी बढ़ाने वाला हो या ऐसी चोट जो कर्मचारी के पद से जुड़े सामान्य जोखिम से अधिक हो।

सक्षम प्राधिकारी नियम 552 और 553 के प्रावधानों के अन्तर्गत अगवा किये गये रेल कर्मचारी को शारीरिक /मानसिक प्रताड़ना की अवधि हेतु अस्पताल छुट्टी स्वीकृत करने पर विचार कर सकता है। (RBE 134/02)

आरबीई नं. 134 /02 से लगातार रेलवे बोर्ड द्वारा यह स्पष्ट किया गया हे कि नियम 552 और 553 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जानी वाली छुट्टी अगवा

कर्मचारी को होने वाली शारीरिक /मानसिक पीड़ा हेतु किये जाने वाले उपचार के लिये होगी न की उस अवधि के लिये, जिसमें वह बंधक रहा।

(RBE 176/02)

अस्पताल छुट्टी (Hospital Leave) : (नियम 554)

यह छुट्टी समूह ''ग'' और ''घ'' के कर्मचरियों को केवल उस बीमारी या चोट का इलाज होने के समय स्वीकृत की जाती है, जो स्पष्टतः सरकारी दायित्वों में निहित जोखिम के कारण है। यह प्राधिकृत मेडिकल अटेण्डेण्ट का चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर स्वीकृत की जाती है। इस छुट्टी में पहले 120 दिन हेतु औसत वेतन पर छुट्टी के बराबर छुट्टी वेतन और शेष अवधि हेतु आधे वेतन पर छुट्टी के बराबर छुट्टी वेतन देय होगा। महाप्रबन्धक द्वारा सीमारहित अस्पताल छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। इसकी कटौती छुट्टी खाते से नहीं की जाती है।

यह किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ समायोजित की जा सकती है, परन्तु समायोजन पश्चात यह 28 माह से अधिक नहीं होनी चाहिये। अस्पताल छुट्टी के दौरान मिलने वाले वेतन को Sec.4 (i) WC Act. के तहत मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि से घटा दिया जायेगा।

अस्पताल छुट्टी के दौरान 120 दिन से अधिक का छुट्टी वेतन अर्जित अवकाश के बराबर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की सिफारिश, सह लेखा अधिकारी की सहमति तथा कनिष्ट प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी की स्वीकृति पर दिया जा सकता है। लेकिन महाप्रबन्धक का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

Quarantine Leave (Rule-555 -Deleted) (RBE 207/92)

(अध्ययन छुट्टी (Study Leave) : (नियम 556 & RBE 01/11)

यह एक बार में 12 माह और पूरे सेवाकाल में अधिकतम 24 माह तक स्वीकृत की जा सकती है जिसमें अन्य नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत समान प्रकार की अध्ययन और प्रशिक्षण छुट्टी शामिल है। अध्ययन छुट्टी को पदोन्नति, वरिष्ठता, पेंशन, वेतन वृद्धि तथा औसत वेतन अवकाश व अर्द्ध औसत वेतन अवकाश Credit करने हेतु सेवा के रूप में गिना जायेगा।

चिकित्सक : यदि मेडिसिन तथा शोध हेतु स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का अध्ययन करना हो तो, यह छुट्टी महाप्रबन्धक के व्यक्तिगत अनुमोदन पर 36 माह के लिये स्वीकृत की जा सकती है। इस आशय का एक बंध पत्र बनाया जाना चाहिये कि इस छुट्टी की समाप्ति पर वह कम से कम 05 वर्ष तक रेल सेवक के रूप में सेवायें देगा। छुट्टी के दौरान, वेतन तथा मंहगाई भत्ता देय होगा। (RBE 138/98, 157/07)

अध्ययन छुट्टी नियम के नियम–14 (परिशिष्ट–5 IREC-I & RBE 34/14) के अनुसार यदि रेल सेवक अध्ययन छुट्टी की अवधि के पश्चात ड्यूटी पर लौटे बिना या ऐसी ड्यूटी पर लौटने से तीन वर्ष की अवधि के भीतर सेवा से त्यागपत्र दे देता है या अन्यथा सेवा छोड़ देता है या पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं कर पाता है व नियम–4 के उपनियम (5) के अन्तर्गत वाँछित प्रमाण–पत्र (Certificate) नहीं दे पाता है तो ऐसे रेल सेवक द्वारा उपयोग की गई अध्ययन छुट्टी ऐसी नियमित छुट्टी में संपरिवर्तित कर दी जायेगी जो अध्ययन छुट्टी के प्रारम्भ होने की तिथि को रेल सेवक के खाते में जमा हो। यदि अध्ययन छुट्टी के चालू रहते हुये कोई नियमित छुट्टी ली जाती है तो उसका इस प्रायोजन के लिये उपयुक्त रूप से समायोजन किया जायेगा और अध्ययन छुट्टी के शेष भाग को, यदि कोई है, जिसे इस प्रकार संपरिवर्तित नहीं किया जा सकता, असाधारण छुट्टी मान लिया जायेगा तथा असाधारण छुट्टी की ऐसी अवधि को समापन भुगतान के उद्देश्य से अर्हक सेवा (Qualifying Service) के रूप में नहीं माना जायेगा। (RBE 33/11 & 06/12)

निशक्तता रेल कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक छुट्टी देना :

सामान्य कर्मचारियों को देय 08 आकस्मिक छुट्टियों की बजाय निशक्त कर्मचारियों को 12 आकस्मिक छुट्टियाँ उपलबध होगी। 04 दिन की अतिरिक्त छुट्टियों का लाभ एक कैलेण्डर वर्ष में विशेष आकस्मिक छुट्टी के रूप में स्वीकृत किया जाना चाहिये। (RBE 201/08)

कार्यग्रहण अवधि (Joining Time) : (नियम 1101 से 1115 IREC-I)

जनहित में रेल सेवक के स्थानान्तरण पर यह स्वीकृत की जायेगी।
(नियम 1101)

180 दिन से कम समय हेतु अस्थाई स्थानान्तरण के मामले में यह देय नहीं होगी।
(नियम 1102)

स्थानान्तरण /दौरा के मामले में वास्तविक आवागमन समय की स्वीकृति दी जायेगी। यदि पिछले पद का कार्यभार पूर्वान्ह में छोड़ा गया है तो कार्यग्रहण अवधि उसी तिथि से आरम्भ होगी और यदि अपरान्ह में छोड़ा गया है तो अगली तिथि से आरम्भ होगी।
(नियम 1103, 1104 और 1105)

सभी मामलों में कार्यग्रहण अवधि की गणना पुराने मुख्यालय से की जायेगी जिसमें जहाँ कर्मचारी अपने स्थानान्तरण आदेश प्राप्त करता है या पुराना पदभार सौंपता है वह स्थान भी शामिल है।
(नियम 1106)

उसी स्टेशन में नया पदभार ग्रहण करने के लिये रेल सेवक को एक दिन से अधिक की कार्यभार ग्रहण अवधि स्वीकृत नहीं की जायेगी या जिसमें एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर आवास परिवर्तन शामिल न हो। समान स्टेशन की व्याख्या उस स्थान की नगरपालिका या निगम के अधिसूचित कार्य क्षैत्र में पड़ने वाले क्षेत्र से की जायेगी जिसमें उपनगरीय अधिसूचित क्षेत्र शामिल है।
(नियम 1107)

एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर स्थानान्तरण और जिसमें आवास परिवर्तन भी शामिल है, के मामले में नीचे दी गई अनुसूची में बताये अनुसार सीधे मार्ग से पुराने मुख्यालय से नये मुख्यालय के मध्य दूरी के सन्दर्भ में कार्यग्रहण अवधि स्वीकृत की जायेगी। जब यात्रा समय के पश्चात राजकीय अवकाश पड़ता है तो सामान्य कार्यग्रहण अवधि को बढ़ाया हुआ माना जायेगा।
(नियम 1108)

1000 किलोमीटर तक	: 10 दिन
1000 किलोमीटर से अधिक परन्तु 2000 से कम किलोमीटर तक	: 12 दिन
2000 किलोमीटर से अधिक पर	: 15 दिन

(हवाई यात्रा के मामले में अधिकतम 12 दिन)

कार्यग्रहण अवधि में ऊपर दी गई सीमा से अधिक बढ़ोतरी हेतु 30 दिन की अधिकतम सीमा विभागाध्यक्ष द्वारा तथा मण्डल पर मण्डल रेल प्रबन्धक द्वारा और 30 दिन से अधिक अवधि हेतु रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृति दी जा सकती है। (नियम 1109)

उपयोग में नहीं लिये गये कार्यग्रहण समय को छुट्टी खाते में डालनाः— (नियम 1110 & RBE 55/13)

जब एक रेल सेवक कार्यग्रहण अवधि को पूर्णतया उपयोग किये बिना नये पद का कार्यभार ग्रहण करता है तो इन नियमों के अन्तर्गत देय कार्यग्रहण अवधि के दिन जो अधिकतम 15 होगें, उनमें से उपयोग में लिये गये दिनों की संख्या घटा कर शेष कर्मचारी के छुट्टी खाते में अर्जित अवकाश के रूप में डाले जायेगें। यह छुट्टी खाते में अर्जित अवकाश के संग्रह की अधिकतम सीमा के अधीन होगें।

कार्यभार ग्रहण करने की अवधि आकस्मिक अवकाश के अलावा किसी अवकाश और /या किसी प्रकार की लगातार छुट्टी के साथ समायोजित की जा सकती है।
(नियम 1110 & RBE 55/13)

यदि एक रेल सेवक को स्थानान्तरण पर यात्रा के दौरान ऐसा निर्देश प्राप्त होता है कि आरम्भिक स्थानान्तरण आदेश में निर्देशित स्थान की बजाय उसे अन्यत्र जाना है तो संशोधित आदेश प्राप्त होने की तिथि तक पहले से उपयोग की जा चुकी कार्यभार ग्रहण अवधि तथा संशोधित आदेश प्राप्त होने की तिथि के अगले दिन से नई कार्यभार ग्रहण अवधि का वह हकदार होगा। ऐसे मामलों में नई कार्यभार ग्रहण अवधि की गणना उस स्थान से की जायेगी जहाँ उसे संशोधित आदेश प्राप्त होते हैं, मानों उसे उसी स्थान से स्थानान्तरित किया गया हो। (नियम 1112)

रेल सेवक कार्यग्रहण अवधि के दौरान ड्यूटी पर माना जायेगा और कार्यग्रहण अवधि के दौरान पिछले पद का कार्यभार छोड़ने से पूर्व लिये जाने वाले वेतन के बराबर वेतन का हकदार होगा।

वह कार्यग्रहण अवधि हेतु उचित यात्री महंगाई भत्ता, (यदि कोई है) पिछले स्टेशन जहाँ से स्थानान्तरित हुआ है वहाँ लागू CCL, HRA का हकदार होगा, परन्तु यात्रा साधन भत्ता या स्थाई यात्रा भत्ता का हकदार नहीं होगा। (नियम 1113)

परन्तु ऐसे अस्थायी कर्मचारी जिनकी नियमित सेवा तीन वर्ष से कम हैं वे कार्यग्रहण अवधि (Joining Time) के तो पात्र हैं लेकिन उन्हें कार्यग्रहण अवधि वेतन देय नहीं होगा।

रेलवे से बाहर प्रतिनियुक्ति पर : जब एक रेल सेवक जिस पर ये नियम लागू होते हैं, उसका स्थानान्तरण केन्द्र सरकार /रक्षा सेवा या ऐसे संगठन जिसके कार्यग्रहण अवधि के दिनों से सम्बन्धित अलग नियम है तो उस सरकार /संगठन के अन्तर्गत पद ग्रहण करने की कार्यग्रहण अवधि की यात्रा और वापसी उन्हीं नियमों द्वारा शासित होगी, यदि लेने और देने वाले प्राधिकारियों की आपसी सहमति द्वारा प्रतिनियुक्ति /विदेश सेवा के अलग से स्पष्ट नहीं दिये गये हैं। (नियम 1114)

रेलवे में प्रतिनियुक्ति पर :

केन्द्र सरकार के कर्मचारी, समस्त सेनाओं और जिन्हें रक्षा सेवा लेखा से भुगतान किया जाता है तथा राज्य सरकार या किसी अन्य संगठन के कर्मचारी जिनकी रेल सेवाओं तथा रेलवे के अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा के आधार पर नियुक्ति होती है वे रेलवे में पदभार ग्रहण करने हेतु कार्यग्रहण अवधि तथा वापसी यात्रा हेतु इन नियमों के आधार पर शासित होगें, यदि लेने और देने वाले प्राधिकरणों में आपसी सहमति द्वारा प्रतिनियुक्ति /विदेश सेवा के सम्बन्ध मं अलग से स्पष्ट प्रावधान नहीं दिये गये हैं। (नियम 1115)

तकनीकि त्यागपत्र (Technical Resignation) : प्रतियोगी परीक्षा /साक्षात्कार के परिणाम स्वरूप केन्द्र सरकार के अधीन स्थायी पद पर नियुक्ति हेतु केन्द्रीय कर्मचारी व स्थायी राज्य सरकार कर्मचारी कार्यग्रहण अवधि (Joining Time) के पात्र होगें। (RBE 55/13)

रेल सेवकों को आकस्मिक छुट्टी :

आकस्मिक अवकाश सभी समूहों (अर्थात् क, ख, ग, घ) के रेल कर्मचारियों को देय है और यह अचानक /अप्रत्याशित जरूरतों /आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये स्वीकृत किया जाता है। आकस्मिक अवकाश चूँकि छुट्टी के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है तथा न ही यह रेल सेवकों पर लागू छुट्टी नियमों के अन्तर्गत किसी नियम के अधीन है इसलिये आकस्मिक अवकाश पर जाने वाला रेल कर्मचारी तकनीकी रूप से ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं माना जायेगा और उसका वेतन नहीं रोका जायेगा। आकस्मिक अवकश किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ समायोजित नहीं किया जा सकता।

फिर भी, निम्न के सम्बन्ध में नियमों से बचने के कारण के रूप में आकस्मिक अवकाश नहीं दिया जाये:–

क. वेतन और भत्तों की गणना की तिथि।

ख. कार्यालय में परिवर्तन।

ग. छुट्टी का आरम्भ तथा समाप्ति, तथा

घ. ड्यूटी पर वापसी। [Rule 236 & 507 of IREC-I App. XXXI (IV) (2) of IREC (1974) & RBE No. 17/91]

एक कलेण्डर वर्ष में विभिन्न श्रेणियों के रेल सेवकों को कुल देय आकस्मिक अवकाश निम्नानुसार है:–

1.	i.	08 दिन	उन सभी रेल सेवकों को जो सभी राजपत्रित अवकाशों या कार्यशाला में सवैतनिक अवकाशों का उपयोग कर सकते है।	
	ii.	08 दिन	क	कार्यशाला स्टॉफ
			ख	कार्यशाला में रेल सेवक जो कार्यशाला स्टॉफ नामक निबन्धन के अन्तर्गत नहीं आते तथा मुद्रण प्रेस और स्टोर डिपो के रेल सेवक जो वर्ष में 15 सवैतनिक अवकाश प्राप्त कर रहे हैं।

	iii.	08 दिन	DMO तथा ADMOs
	iv.	08 दिन	कार्यशाला में प्रशिक्षणरत्त प्रशिक्षु खलासी तथा अन्य प्रशिक्षु जो प्रशिक्षु अधिनियम द्वारा शासित नहीं है, कार्यशाला और मुद्रण प्रेस से जुड़े प्रशिक्षु मेकेनिक 1961 जो एक वर्ष में 15 सवैतनिक अवकाश प्राप्त कर रहे हैं।
	v.	08 दिन	ट्रेड प्रशिक्षु जो प्रशिक्षु अधिनियम 1961 से शासित है तथा ऐसे संस्थानों में कार्य कर रहे हैं जहाँ उचित छुट्टी नियम अस्तित्व में नहीं है या कामगारों को एक वर्ष में कुल `य विभिन्न छुट्टियों की संख्या 37 दिन से कम है। [प्रशिक्षुता नियिम 1962 का नियम 9 (i) (a)]
2.		10 दिन	वे सभी रेल सेवक जिनकों अपनी कार्य की प्रकृति के कारण राजपत्रित अवकाशों के उपयोग की इजाजत नहीं दी जाती या कुछेक राजपत्रित अवकाशों के उपयोग की इजाजत दी जाती है
3.		10 दिन	कार्यशाला स्टॉफ के अलावा आर्टीजन स्टॉफ, बशर्ते वे आकस्मिक अवकाशों को सवैतनिक अवकाशों में बदलने के Colective विकल्प के अन्तर्गत नहीं आते है।
4.		10 दिन	केजुअल लेबर जिन्होंने अस्थाई ओहदा प्राप्त कर लिया है तथा जिन्हें रेगुलर लाइन स्टॉफ की तरह 03 राष्ट्रीय अवकाशों के उपयोग की इजाजत दी जाती है।
5.		10 दिन	रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या E (G) 83 AL 12/8 dt. 23.07.1984 के पैरा 2 (ii) में पैरा वर्णित पूर्ती सीमान्त रेलवे के रेल सेवक। (RBE 44/1998 & 70/2004)

नोटः— एक कलेण्डर वर्ष में विशेष आकस्मिक छुट्टी के रूप में 04 दिनों का अतिरिक्त लाभ निशक्त रेल कर्मचारियों को कर्मचारी निशक्तता से जुड़ी विशिष्ठ आवश्यकताओं हेतु देय होगा। (RBE 201/08)

रेल सेवक (पास) नियम–1986
(Railway Employee Pass Rules – 1986)

1. भारतीय रेल पर लागू समस्त कल्याणकारी योजनाओं में से रेल कर्मचारियों को पास/पीटीओ जारी करना एक पुरानी व महत्त्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है। रेल कर्मचारियों को पास/पीटीओ जारी करना मुख्यतः रेल सेवक (पास) नियम–1986 द्वारा अधिशासित है। यह नियम निम्न को छोड़कर सभी रेल कर्मचारियों पर लागू है :–

(रेल सेवक (पास) नियम–1986 का नियम–01)

[नियम–02]

i) प्रशिक्षता अधिनियम के अधीन लगाये गए किसी प्रशिक्षु पर,

ii) आकस्मिक रोजगार या दैनिक मजदूरी पर लगाए गए किसी व्यक्ति पर,

iii) इन नियमों के अधीन जारी पास व पीटीओ की सविधा के संबंध में सामान्य अथवा विशेष आदेशों तहत् रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन किसी व्यक्ति पर।

2. परिभाषा : इन नियमों में जब तक कि अन्यथा आवश्यक न हो :–

(क) दत्तक बच्चा : से आशय ऐसे व्यक्ति से है, जिसके गोद लेने के संतोषप्रद साक्ष्य हो, यह देखे बिना कि इस प्रकार गोद लिए बच्चे को संबंधित रेल कर्मचारी पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत गोद लिया गया हो या नहीं।

(ख) परिचारक : से आशय ऐसे व्यक्ति से है, जिसे किसी रेल कर्मचारी द्वारा अपनी व्यक्तिगत सेवा के लिए वेतन पर पूर्णकालिक नियोजित किया गया है।

(ग) आश्रित संबंधी : रेल कर्मचारी जिसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, उसके आश्रित संबंधी से आशय है :–

(i) मां जिसमें तलाकशुदा मां भी शामिल है,

(ii) अविवाहित अथवा विधवा बहिन,

(iii) भाई/सौतेला भाई जिसकी आयु 21 वर्ष से कम हो तथा वह रेल सेवक के साथ रहता हो तथा पूर्ण रूपेण रेल सेवक पर आश्रित हो,

(iv) किसी भी उम्र का अशक्त भाई,

(v) भाई जो 21वर्ष की उम्र पार कर चुका हो, किन्तु वह किसी पंजीकृत शैक्षिक संस्थान का नियमित विद्यार्थी हो,

(vi) कानूनी रूप से तलाकशुदा बहिन, [RBE-26/98]

विधवा सास, जब विधवा अनुकम्पा नियुक्ति पर नियुक्त हुई हो चाहे उसके पिता जिंदा हो या नहीं ।[RBE-194/01]

किसी व्यक्ति को आश्रित संबंधी नहीं माना जाएगा यदि उसका/उसकी पेंशन, मंहगाई राहत इत्यादि सभी स्त्रोतों से आय रेल कर्मचारी के मासिक वेतन से 15% से अधिक हो अथवा 3500 रूपये की पेंशन पर पेंशनर/परिवार पेंशनर को देय मंहगाई राहत को 3500 रू0 में जोड़ने पर प्राप्त राशि अथवा वेतन का 15% + ग्रेड पे जो भी अधिक हो। [RBE-155/09, 132/2016]

उपर्युक्त क्रम सं. (iv) और (v) में दर्शाए गए आश्रित संबंधी को पास या पीटीओ केवल तभी जारी किया जायेगा जब वह रेलवे चिकित्सा अधिकारी अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान से, जैसा भी मामला हो, प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। [RBE-87/03]

पिता के 07 साल से लापना रहने की स्थिति में रेल सेवक को दिए जाने वाले पास/पीटीओ में आश्रित संबंधी को शामिल किया जा सकता है। समान परिस्थिति में बहिनों को भी पास/पीटीओ जारी किया जा सकता है। फिर भी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित शपथ–पत्र जिसमें व्यक्ति के लापता होने की अवधि बताई गई हो, वह आवश्यक है।

(घ) "परिवार" में शामिल है :

(i) रेल सेवक का पति/पत्नि (Spouse) चाहे कमाते हो या नहीं,

(ii) रेल सेवक के पुत्र/पुत्रों जो 21 वर्ष की उम्र के नहीं हुए है तथा वे रेल सेवक पर पूर्णतः आश्रित है।

(iii) पुत्र/पुत्रों को जिन्होने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो तथा वे :–

(क) किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान के नियमित विद्यार्थी हैं,

(ख) किसी अनुसंधान कार्य में लगे हो तथा कोई छात्रवृति/वृतिका नहीं ले रहे हो,

(ग) किसी मानद लेखाकार के अधीन आर्टिकल्ड क्लर्क के रूप में कार्यरत हो,

(घ) रेलवे डाक्टर द्वारा जारी निर्दिष्ट प्रमाण–पत्र के अनुसार अशक्त है।

(iv) किसी भी उम्र की अविवाहित पुत्री/पुत्रियां चाहे अर्जन करती हो या नहीं,

(v) विधवा पुत्रियां जो रेल कर्मचारी पर आश्रित हो, तथा

(vi) कानूनी रूप से तलाकशुदा पुत्रियां जो रेल सेवक पर आश्रित हो।

(च) संरक्षक : "संरक्षक" शब्द की यहां पर इसके कानूनी अर्थ में व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। इससे आशय एक प्रोढ़ आश्रित संबंधी अथवा परिवार का एक प्रोढ़ सदस्य, वेतन पर रखी गयी नर्स, अध्यापिका, अथवा परिचारक है। जब इनमें से कोई भी उपलब्ध नहीं हो तो संरक्षक के पक्ष में जारी किए जाने वाले पास को महाप्रबन्धक अपने निर्णय के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को भी दे सकते है।

(छ) वेतन : वेतन से आशय किसी रेल कर्मचारी द्वारा मासिक आहरित राशि से है जो :–

(i) मूल वेतन,

(ii) रनिंग कर्मचारियों के मामले में मूल वेतन+इस पर 30% अथवा समय–समय पर वेतन के रूप में घोषित मूल वेतन का कोई अन्य प्रतिशत,

(iii) कोई अन्य वेतन जिसे राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से वर्गीकृत किया गया हो।

3. पास के प्रकार :– [नियम–04]

रेल सेवक अथवा उसके परिवार के हकदार सदस्य और आश्रित संबंधी, जैसा कि इन नियमों में वर्णित हैं, को निम्नलिखित प्रकार के पास जारी किए जा सकते है :–

1) ड्यूटी पास 2) सुविधा पास, प्रतिनियुक्ति पर रहने के दौरान जारी पास सहित
3) स्कूल पास 4) पोस्ट रिटायरमेंट कोम्प्लीमेन्ट्री पास (मानार्थ पास)
5) विधवा पास 6) आवासीय कार्ड पास
7) विशेष पास

4. ड्यूटी पास :– [नियम–05 व सिड्यूल–I व RBE 18/2011]

मुख्यालय से बाहर ड्यूटी पर जाने हेतु निम्न विवरणानुसार ड्यूटी पास जारी किए जाते है :–

SN	Category	Pay Scale/ Grade Pay	Kind of Pass to which entitled	Entitlements
(a)(i)	CRB/AII Members of RB, FC, CRS & officers who are equal in grade & status.	80000/-	'Gold Pass'	For Official duty in Indian Railways in any class. (along with family)
(ii)	GMs & others officers who directly reported to Railway Board.	75500-80000		
(b)(i)	All Officers in HAG	67000-79000	'Silver Pass'	Alone in any class or along with family in any class other than 1st AC; or along with family in 1st AC on payment 1/3rd difference.
(ii)	All Officers in SAG	10000/-		
(C)(i)	All Officers in Selection Grade	8700/-	'Bronze Pass'	Alone in any class

(ii)	Officers with more than 3 yrs service in the Grade	7600/-	& 1st A pass holders (with 1st AC authority)	or along with family in any class other than 1st AC; or along with family in 1st AC on payment 1/3rd difference.
(d)	All other Group A & B Gazetted officers	4800 to 7600	'Bronze Pass' & 1st A pass holders	Entitles the holder to travel in any class other than 1st AC along with family.
Note:	(1) All officers can travel on duty in 1st AC Class of Mail/Express Trains on payment of 1/3rd of difference of fare between 1st AC Class and AC Sleeper Class. (2) Entitlement on Duty is subject to a maximum of 4 berths / seats. (3) Entitlement on higher class includes lower class travel as per train accommodation.			

(1) परिवार के लिए वापसी पास :–यदि समूह ए और बी का कोई रेल सेवक अपने दौरे (Tour) के बीच अपने परिवार को पीछे छोड़कर हवाई जहाज या यातायात के किसी अन्य साधन से मुख्यालय को वापस आ जाता है तो उसे उसके परिवार की सुविधा के लेखे पर उन्हे वापस मुख्यालय लाने के लिए वापसी यात्रा पास की अनुमति दी जा सकती है। [अनुसूची–01 का 1]

(2) समूह ए के प्रशिक्षु के परिवार को भी उसके प्रशिक्षण की अवधि में विभिन्न स्थानों के लिए साथ ले जाने पर प्रशिक्षण के दौरान ड्यूटी पास में शामिल किया जा सकता है। [अनुसूची–01का 2]

(3) आकस्मिक अवकाश के अलावा अन्य छुट्टी लेने पर ड्यूटी समय के साथ ड्यूटी पास स्वीकार्य नहीं है। [अनुसूची–01 का 09(1)]

(4) आकस्मिक अवकाश को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की छुट्टी, स्थानान्तरण पर जाने अथवा सेवा से निलंबित, पदच्युत या हटा देने पर, जैसा भी मामला हो, ड्यूटी पास/मेटल पास को कर्मचारी द्वारा जमा कराना होगा।

किन्तु यदि अधिकारी यात्रा अथवा ड्यूटी पर रहने के दौरान सीमित अवधि के लिए औसत वेतन छुट्टी लेते है तो वापसी यात्रा के लिए मेटल पास का उपयोग किया जा सकता है। [RBE-156/2002]

(5) रेल सेवक की यह जिम्मेदारी है कि वह अपना मेटल पास अथवा ड्यूटी कार्ड पास जमा कराए अथवा यदि खो गया है तो इस पर लगने वाला जुर्माना सेवानिवृति पर कार्यालय छोड़ने से पूर्व या अन्य प्रकार से होने पर जमा कराए। रेल सेवक को पास अनुभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करके उसके समापन भुगतान का बकाया जारी होने से पूर्व संबंधित प्राधिकारी को जमा करा देना चाहिए। [RBE-104/2000]

(6) ड्यूटी पर रहने के दौरान ईएमयू गाड़ी के केब द्वारा यात्रा करने के लिए ड्यूटी कार्ड पास पर आवश्यक पृष्ठांकन किया जाना चाहिए। [अनुसूची–01 का 09(4)] [नियम–06 और अनुसूची–II]

सुविधा पास :–

छठे वेतन आयोग के क्रियान्वयन पश्चात् रेल सेवकों को सुविधा पास, नीचे दिए गए योग्यता (हकदारी) के अनुसार देय। [RBE 03/2011]

	Category	Class of Privilege Pass and Privilege Ticket Order admissible	Number of Privilege Pass and Privilege Ticket Order admissible		Type of Duty Pass
			Privilege Pass	Privilege Ticket Order	
1.	Group 'A' & Group 'B' (Gazetted)	1 Class 'A'	6 sets per year	6 sets per year. In case of those Railway employees who had opted/are compulsorily governed under the scheme of widow passes entitlement would be limited to four sets of Privilege Ticket Orders.	Ist Class 'A' Pass
2.	Non-Gazetted employees				
(i)	In Grade Pay Rs. 4200/- and above	I Class	1 set per year upto the end of 5th year of railway service. 3 sets per year after 5 years of Railway service.	6 sets per year. In case of those Railway employees who had opted/are compulsorily governed under the scheme of widow passes entitlement would be limited to four sets of Privilege Ticket Orders.	Ist Class Pass
(ii)	In Grade Pay Rs. 2800/-	II Class 'A' Pass	1 set per year upto the end of 5th year of railway service. 3 sets per year after 5 years of Railway service.	6 sets per year. In case of those Railway employees who had opted/are compulsorily governed under the scheme of widow passes entitlement would be limited to four sets of Privilege Ticket Orders.	IInd Class 'A' Pass
(iii)	In Grade Pay Rs. 1900/- and above but below grade pay Rs.2800/-	One IInd Class 'A' Pass in a year, emaining passes & PTO's of Second/Sleeper class.	1 set per year upto the end of 5th year of railway service. 3 sets per year after 5 years of Railway service.	Railway employees who had opted / are compulsorily governed under the scheme of widow passes entitlement whould be limited to four sets of Privilege Ticket Orders	IInd Class 'A' Pass
(iv)	Employee in Grade Pay Rs. 1800/-	One IInd Class 'A' Pass in a year, emaining passes & PTO's of Second/Sleeper class.			Second/ Sleeper Class Pass

Followong are the revised pay limits for entitlement of Passes/PTO's to runing staff :-[RBE-47/12 & 148/12]

Post	Vth CPC Pay Scale	VIth CPC Grade Pay	Allotted equivalent Band/ Grade Pay Running Allowance	6th CPC Pay after reckoning
			Pay Band	Grade Pay
ALP/Breakman	3050-4500	1900	PB1	2400
Sr.ALP/LP(Shntg)Sr.B.Man	4000-6000	2400	PB1	4200
Goods Guard	4500-7000	2800	PB2	4200
Tower Wagon Driver	4500-7000	2800	PB2	4200
Sr.LP(Stg.)/LP(Goods)/Sr. Goods Guard/Pass Guard	5000-8000	4200	PB2	4600
Sr.LP(Goods)/LP(Pass)/Sr. Pass Guard/Mail Guard	5500-9000	4200	PB2	4600
Sr.LP(Pass)/LP(M/E)	6000-9800	4200	PB2	4600

Note- (A) In terms of the extant instructions the holder of IInd Class "A" pass shall be entitled to travel by AC-3 tier class in trains other than Rajdhani/Shatabdi/Duronto Exp. IInd Class 'A' Pass is of yellow colour.

(B) Rly. Employees having less than 05 years of service & drawing GP 1800/- & above but below 2800/- are entitled for one IInd class 'A' in a year even if they are eligible for only one set of Privilege Pass owing to the length of their service.

(Rly.Bd.L.No. E(W)2008/PS 5-1/38 (Pt.) dt. 04.12.12)

(C) Rly. Employees who are transferred on inter Rly. transfer & those Rly. employees who are medically decategorized to post carrying lower scale of pay with pay protection and are already entitled to 1st class passes, shall continue to draw 1st class passes, irrespective of their eligibility in terms of RBE 03/11. [Rly.Bd.L.No. E(W)2012/PS 5-1/4 dt. 10.09.13(NWR PS 64A/13)]

(1) पुत्र अथवा अन्य आश्रितों के लिए जो 21 साल से ऊपर के है, उन्हे शैक्षणिक सत्र के शुरू में ही स्कूल का प्रमाण पत्र वर्ष में एक बार जमा करवाना चाहिए। फिर भी यदि अध्ययन में व्यवधान आता है, तो उसके लिए तुरन्त पास जारी कर्त्ता प्राधिकारी को सूचित करना चाहिए। लगातार अध्ययन के मामले में यदि कोई संदेह हो तो प्रमाण पत्र की मांग की जा सकती है। [अनुसूची–ाा का 2 (क)]

लेकिन जहां पर पुत्र या अन्य आश्रित 21 वर्ष का होने वाला है तथा जो छात्र (Scholer) नहीं है, वहां पास निम्न अवधि हेतु जारी किया जायेगा :– [RBE-10/2009]

(अ) रेल कर्मचारी को उस अवधि का ही पास जारी किया जाए जिस अवधि में पुत्र या अन्य आश्रित 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हो या

(ब) रेल कर्मचारी को चार माह की पूर्ण अवधि हेतु पास बिना पुत्र को सम्मिलित करते हुए जारी किया जाये।

(2) दो से अधिक आश्रितों को पास/पीटीओ में शामिल नहीं किया जा सकता है। साथ ही ऐसे मामलों में परिचारक को छोड़कर पास/पीटीओ में शामिल व्यक्तियों की संख्या 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह सीमा तब लागू होगी जब पास/पीटीओ में केवल परिवार के सदस्यों को ही शामिल किया गया हो।

[अनुसूची–ाा का 3 (ii)]

(3) जब रेल सेवक स्वयं या उसके परिवार का सदस्य या आश्रित दोनों आंखो से अन्धा हो तथा सुविधा पास पर अकेला यात्रा कर रहा हो तो उसके साथ एक सहचर को उसी श्रेणी में जिसमें अन्धा व्यक्ति यात्रा कर रहा हो उसके साथ यात्रा करने की अनुमति होगी। यह सुविधा संबंधित रेलवे के मण्डल चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर देय होगी।
[अनुसूची–ा का 3 (iii)]

(4) आधा सैट सुविधा पास/मानार्थ पास/विधवा पास और सुविधा टिकट आदेश की वैद्यता को तीन माह से बढ़ाकर पूरे सैट पास की तरह ही वैद्यता (चार माह) संबंधी संशोधित कर दिया गया है। चूंकि अग्रिम आरक्षण 90 दिन से बढ़कर 120 दिन कर दिया गया है अतः रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 26.03.12 द्वारा पास/पीटीओ की वैद्यता अवधि पांच माह कर दी गई है।
[RBE 82/08, 41/12 & Bd's letter dt, 31.03.15 (NWR PS 11/15)]

(5) सुविधा पास पर पास धारक की इच्छा के अनुसार बीच मार्ग के किसी भी स्टेशन पर यात्रा विराम की अनुमति है। इसके अलावा असामान्य परिस्थितियों के कारण पास धारक द्वारा अनिश्चित यात्रा विराम की इच्छा जताने पर स्टेशन मास्टर, टिकट संग्राहक भी पास पर पृष्ठांकन करके यात्रा विराम की अनुमति देने के लिए प्राधिकृत है।
(RBE 10/2000)

(6) सुविधा पास शुरूआती स्टेशन से गंतव्य स्टेशन की यात्रा के लिए जारी किया जाएगा, लेकिन लम्बे मार्ग पर यात्रा की अनुमति हेतु शर्त है कि :–
[अनुसूची–ा का 3 (vii)]

(क) गंतव्य स्टेशन (लम्बे मार्ग वाला) सीध मार्ग से 15 प्रतिशत अधिक दूर नहीं होना चाहिए।

(ख) यदि गंतव्य स्टेशन को जाने वाले लम्बे मार्ग से यात्रा सीधे मार्ग की बजाय जल्दी पूरी होती हो तो लम्बी दूरी को शामिल किया जायेगा।

(7) यदि रेल कर्मचारी टी.ए. ड्यूटी अथवा अन्य स्थान पर अस्थायी स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति अथवा किसी अन्य कारण से पास/पीटीओ के आवेदन करने के लिए उपलब्ध नहीं हो तो इन नियमों में वर्णित पारिवारिक सदस्य/आश्रित पास/पीटीओ जारी करने के लिए आवेदन कर सकते है एवं उनके अनुरोध पर इसे जारी किया जा सकता है।
[अनुसूची–ा का 3 (viii)]

(8) पास धारक जिसके लिए वह पात्र है (योग्य है) उससे उच्च श्रेणी में, पास की श्रेणी व उच्च यात्रा श्रेणी के बीच के किराए के अंतर का पूर्व भुगतान करके यात्रा कर सकता हैं केवल प्रथम श्रेणी ए–पास व पीटीओ धारक को छोड़कर, जो कि वातानुकूलित प्रथम श्रेणी व वातानुकूलित शयनयान के किराये के अंतर का 1/3 भुगतान करने पर वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में यात्रा कर सकता है। जब पास उच्च श्रेणी में बदला जाता है तो लगेज का फ्री अलाउन्स उच्च श्रेणी के टिकट धारक के समान अथवा हकदार श्रेणी के सुविधा पास पर देय लगेज अलाउन्स, जो भी अधिक हो, के अनुसार रहेगा। एक परिचारक को साथ में फ्री रखने का अधिकार रेल सेवक द्वारा धारी पास की श्रेणी के आधार पर अधिशासित होगा।
[अनुसूची–ा का 3 (x)]

(9) अविवाहित पुत्री चाहे, कमाती (अर्जन) हो, उसे भी उसके माता–पिता जो दोनों रेल कर्मचारी हैं, के पास लेखे में शामिल किया जा सकता है। बशर्ते है कि यदि पुत्री भी रेल कर्मचारी है तो पुत्री के पास लेखे से उसके पास की स्वयं की हकदारी में कमी करने के बाद उसे अविवाहित अर्जन करने वाली पुत्री, जो रेल कर्मचारी नहीं है, की भांति मानते हुए उसके माता–पिता के पास लेखे में शामिल किया जा सकता है। [अनुसूची–ा का 3 (xi)]

(10) यदि पति व पत्नी दोनों रेल कर्मचारी है तथा वे अपने स्वयं के अधिकार से पास व पीटीओ के हकदार हो तो निर्धारित नियमों के अनुसार वे अलग–अलग पूर्ण सैटो की संख्या के साथ पास/ पीटीओ लेने के हकदार होंगे तथा वे दोनों आपस में एक दूसरे के पास/पीटीओ में शामिल हो सकते है। बच्चो को भी मां व पिता दोनों के लेखे पर जारी पास/पीटीओ में शामिल किया जा सकता है। [अनुसूची–ा का 3 (xii)]

(11) जब किसी कर्मचारी ने एक कलेण्डर वर्ष में उसको देय बकाया सारे पास/पीटीओ ले लिए है तो उसे अगले वर्ष यात्रा शुरू करने के लिए एक सैट पास अथवा/तथा एक सैट पीटीओ जारी किये जा सकते है तथा इस प्रकार जारी किए गए पास/पीटीओ को उसके अगले वर्ष के पास लेखे में से कम कर दिया जाएगा। इस प्रकार पास/पीटीओ अगले वर्ष शुरू होने 100 दिन से अधिक अवधि पूर्व जारी नहीं किया जायेगा। ये पास/पीटीओ जारी होने की तिथि से पांच माह के लिए वैद्य रहेंगे। [अनुसूची–ा का 3 (xiv)]
{RBE-82/08, 07/01,80/11& 41/12, 64/2015}

(12) जब न तो माता–पिता, न ही वयस्क परिवार सदस्य, न ही वयस्क आश्रित संबंधी राजपत्रित रेल कर्मचारी के अवयस्क बच्चों के साथ यात्रा नहीं कर रहा हो तो महाप्रबन्धक के निर्णयानुसार एक नर्स अथवा किसी अन्य व्यक्ति को पास में शामिल किया जा सकता है। अवयस्क बच्चों में पुत्र/ सौतेला पुत्र/दत्तक पुत्र अथवा आश्रित भाई जिसकी उम्र 15 वर्ष से कम हो तथा पुत्री/दत्तक पुत्री अथवा आश्रित बहन जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो शामिल है। [अनुसूची–ा का 3 (xvii)(ए)]

(13) पास फार्म निम्नलिखि रंगो में होंगे :– [अनुसूची–ा का 3 (xxi)(ए)]

प्रथम श्रेणी "ए"	सफेद
प्रथम श्रेणी	हरा
द्वितीय श्रेणी "ए"	पीला
द्वितीय श्रेणी	गुलाबी

[RBE-77/99 & 88/03]

(14) शारीरिक रूप से विकलांग समूह–ग और घ के रेल कर्मचारी जो वेतन सीमा के अधीन द्वितीय श्रेणी पास के हकदार है, वे उच्च श्रेणी मगर प्रथम श्रेणी से उच्च नहीं, श्रेणी में पास लेने के हकदार होंगे तथा उसी श्रेणी में एक परिचारक को साथ में ले जाने की अनुमति होगी। यह पास उन्हे उनको मिलने वाले कुल सुविधा पास के बदले में दिया जाएगा। इस पास की संख्या एक सैट प्रतिवर्ष होगी चाहे, कर्मचारी प्रतिवर्ष 3 सैट के लिए हकदार हो। यदि पास की हकदारी तीन पास से कम, किन्तु 01 सैट पास के कम नही हो तो परिचारक के साथ प्रथम श्रेणी पास की पहले सैट के लिए अनुमति दी जा सकती है। [अनुसूची–ा का 3 (xxv)(1)]

(15) अराजपत्रित शारीरिक रूप से विकलांग रेल कर्मचारी जो प्रथम श्रेणी पास के हकदार हो जाते है। उन्हे विकल्प देने की अनुमति होती है कि या तो वे उनकी हकदारी के आधार पर सुविधा पास ले या उसी श्रेणी में दो सुविधा पास परिचारक के साथ ले सकते है तथा बचा हुआ एक सैट अभ्यार्पित करवा दें। जब कर्मचारी की हकदारी 3 सैट से कम की है तो परिचारक की सुविधा केवल एक पास के साथ ले सकते है। [अनुसूची–ा का 3 (xxv)(2)]

;16द्ध राजपत्रित शारीरिक रूप से विकलांग रेल कर्मचारी के मामले में उन्हे विकल्प दिया गया है कि या तो वे अपनी हकदारी के अनुसार सुविधा पास ले सकते है या वे उसी श्रेणी में प्रत्येक सैट के साथ परिचारक सहित 3 सैट पास बचे हुए पास के सैट जमा करवाने के बाद ले सकते है। [अनुसूची–ा का 3 (xxv)(3)]

नोट :– परिचारक की सुविधा केवल वरिष्ठ मंडल चिकित्सा अधिकारी की अनुशंसा पर ही देय होगी तथा रेल कर्मचारी पर लागू अन्य शर्ते रेलवे बोर्ड के पत्र सं. ई(डब्ल्यू)82/पीएस–5–1 दिनांक 05.09.1983 के अनुसार रहेगी।

(17) पास/पीटीओ रेल कर्मचारी की एक से अधिक कानूनी रूप से विवाहित पत्नियों के पक्ष में जारी किए जा सकते है, लेकिन शर्त है कि अलग–अलग पास/पीटीओ जारी किए जायेगे तथा इन्हे रेल कर्मचारी के पास खाते में से गिना जायेगा। [अनुसूची–ा का 3 (xxvii)]

(18) विवाहित पुत्री को भी पास/पीटीओ में शामिल किया जा सकता है जब उसका पति कम से कम 7 साल से गुम हो तो संबंधित रेल कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा गुम होने की अवधि दर्शाने वाला मजिस्ट्रेट से प्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। [अनुसूची–ा का 3 (xxviii)]

(19) जब कोई कर्मचारी उसके परिवार या आश्रित के साथ आने/जाने में असमर्थ हो तो वह स्वयं के लिए एक पास का हकदार या तो पहले जाने या पीछे जाने हेतु बाहरी यात्रा/वापसी यात्रा या दोनों के लिए हकदार होगा। बशर्ते कि वह पास जारी करता प्राधिकारी का संतुष्टि हेतु इस प्रकार के साक्ष्य दे कि कर्मचारी अपने परिवार या आश्रित के साथ जाने में अक्षम है। ऐसे मामले में दो बाहरी व दो वापसी यात्रा पास (अर्थात एक बर्हियात्रा व एक वापसी यात्रा पास परिवार या आश्रित संबंधी हेतु एवं एक बर्हियात्रा व एक वापसी यात्रा पास कर्मचारी हेतु) को एक सैट पास माना जाएगा। इन अलग पासों के लिए यथोचित समय सीमा जो एक माह से अधिक नहीं हो लागू रहेगी। यह सुविधा सेवानिवृत रेल कर्मचारियां को देय नहीं होगी।

[अनुसूची–ा का 3 (xxxi)]

(20) ऐसे कर्मचारी जो सेवानिवृति/अधिवार्षिता पर है, उसको जारी पास/पीटीओ नियमों के अधीन देय सामान्य उपलब्धता अवधि के लिए जारी किए जा सकते है चाहे ये कर्मचारी की अधिवार्षिता तिथि के आगे भी आ रहा हो। इसमें शर्त है कि कर्मचारी को सेवा के दौरान तथा सेवानिवृति के बाद देय कुल पासो की संख्या उससे अधिक नहीं होना चाहिए जितने वह सेवा के दौरान लेने का हकदार था। [अनुसूची–ा का 3 (xxxiii)]

(21) 21 वर्ष से अधिक आयु के पुत्र/आश्रित भाईयों को जिन्होने अंतिम परीक्षा कर ली है, उनको पास/पीटीओ की अनुमति नहीं है, चाहे कर्मचारी यह प्रमाणित करें कि पुत्र/आश्रित भाई आगे प्रवेश लेकर आगे अध्ययन नियमित रूप से जारी रखेगा। [अनुसूची–ा का 3 (xxxv)]

(22) गैर राजत्रित कर्मचारी के मामले में उसकी प्रशिक्षुता अवधि को पास लाभ हेतु अर्हक सेवा माना जाएगा। [अनुसूची–ा का 3 (xxxvi)(बी)]

(23) अमान्य विवाह (Void Maggiage) से उत्पन्न बच्चे सभी प्रकार के पासों में शामिल करने योग्य है। [RBE-39/05]

(24) कानूनी रूप से पृथक की गयी पत्नी का भी पास कर्मचारी के अनुरोध पर दिया जा सकता है।

(25) वर्षान्त पास अगले पांच माह के दौरान जारी किया जा सकता है, किन्तु उसकी वैद्यता 31 मई तक ही रहेगी। [RBE-178/93 & 41/12]

(26) समूह–घ कर्मचारी एसीपी के बाद द्वितीय श्रेणी पास का ही हकदार रहेगा और समूह–ग कर्मचारी (एसीपी) योजना के अन्तर्गत समूह–ख/समूह–क में वित्तीय उन्नयन के आधार पर राजपत्रित अधिकारी नहीं होगा। किन्तु समूह–ग कर्मचारी वित्तीय उन्नयन के बाद उसके संशोधित वेतनमान के आधार पर प्रथम श्रेणी पास का हकदार होगा। [RBE-200/02, 6/2011]

(27) स्वैच्छिक सेवानिवृति/चिकित्सा आधार पर सेवानिवृति में अर्हक सेवा हेतु .5 वर्ष या बकाया सेवा, जो भी कम हो, को पात्रता हेतु जोड़ा जायेगा।

(28) ग्रुप–सी पदों के विरूद्ध नियुक्त 'Trainee' को सिर्फ स्वयं का पास व पीटीओ उस पद या ग्रेड के न्यूनतम वेतन के आधार पर दिया जायेगा जिस पर apprenticeship अवधि पूर्ण होने के पश्चात लगाया जाता है। [Rly.Bd.L.No. E(W)2014/PS 5-6/1 dt. 21.12.14(NWR PS 13A/14)]

<u>भारत/विदेश में प्रतिनियुक्ति के मामले में पास/पीटीओ की हकदारी</u> :– [अनुसूची–ा]

1. केन्द्रीय सचिवालय/सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन विभागों को छोड़कर अन्य विभागों मे प्रतिनियुक्ति के दौरान रेल कर्मी को अधिकतम 4 वर्ष की अवधि के लिए उसी दर से पास/पीटीओ की हकदारी रहेगी, जैसी रेल सेवा में थी। [अनुसूची–ा (प्रतिनियुक्ति) (i)]

2- केन्द्रीय सचिवालय अर्थात भारत सरकार के मंत्रालय/विभागों के प्रतिनियुक्ति रेल कर्मचारी के लिए पूर्व वेतनमान पर ग्राह्यता की अवधि उनको समय–समय पर दिए गए कार्यकाल के अनुसार रहेगी। [अनुसूची–ा (प्रतिनियुक्ति) (ii)]

3. रेल कर्मचारी जो राईट्स (RITES), इरकोन (IRCON) सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर है, उनको देय लाभ की ग्राह्यता निम्न प्रकार होगी– [अनुसूची–ा (प्रतिनियुक्ति)(iii)]

(क) वेतनमान 5900–7300 (छठे वेतन आयोग से पूर्व) या उससे ऊपर के पद जिन्हे उच्च पद घोषित किया हुआ है, में दो वर्ष के लिए योग्य रहेंगे तथा किसी अन्य पद पर कार्यरत शेष कर्मचारी तीन वर्ष के लिए पात्र होंगे।

4. जब रेल कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति उपर्युक्त दर्शायी गई सामान्य अवधि से अधिक बढ़ाई जाती है तो समान वेतनमान पर सुविधा पास की सुविधा भी जारी रहेगी, यदि नियोक्ता जारी पास का मूल्य वहन करने के लिए राजी हो। यदि नियोक्ता जारी पास का मूल्य वहन करने के लिए राजी नहीं हो तो उस रेल कर्मचारी को उसकी श्रेणी में निम्नतम स्केल पर सेवानिवृत रेल कर्मचारी पर लागू पास लेने की अनुमति होगी, यद्यपि इस उद्देश्य के लिए उसने न्यूनतम अर्हक सेवा पूरी नहीं की है। शर्त है कि यदि रेल कर्मचारी उच्च वेतनमान में सुविधा पास लेने का हकदार है, यदि वह उस तिथि को प्रतिनियुक्ति की सामान्य अवधि पूर्ण करता है जिसको वह सेवानिवृत होता तो वह उस तिथि को उसे देय पासों के समान श्रेणी के पास लेने का हकदार होगा। [अनुसूची–ा(प्रतिनियुक्ति) (iv)]

5. रेल कर्मचारी जो सरकारी आधार पर विदेश सेवा के लिए प्रायोजित है तथा विभिन्न क्रियाकलापों के लिए जिनका आवेदन कार्मिक विभाग द्वारा अग्रेषित किया गया है, वे अपनी श्रेणी के सेवानिवृत रेल कर्मचारियों पर लागू निम्नतम वेतनमान पर पास लेने के हकदार होंगे चाहे इस उद्देश्य हेतु उन्होने न्यूनतम अर्हक सेवा पूरी नहीं की है या जब उन्होने न्यूनतम अर्हक सेवा पूरी कर ली हो, वे उनकी श्रेणी के सेवानिवृत रेल कर्मचारियों को देय सुविधा पास की श्रेणी के पास लेने के हकदार होंगे यदि पीछे उनका परिवार रह गया है। दूसरे मामले में अधिकारियों को उनका अनुरोध मिलने पर प्रतिवर्ष 01 पास/पीटीओ लेने की अनुमति होगी।
[अनुसूची–ा (प्रतिनियुक्ति) (vii)]

6. अस्थायी/स्थायी रेल सेवक जिन्होने 3 वर्ष से अधिक की नियमित सेवा पूरी करली है तथा जिनका आवेदन अग्रेषित किया गया है तथा उनका चयन और नियुक्ति केन्द्र सरकार के किसी अन्य विभाग/कार्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत निकाय में किसी पद के लिए हो गई हैं, उनको रेलवे से भारमुक्ति की तिथि से 2 वर्ष की अवधि तक, जब तक उनका धारणाधिकार (लियन) बनाए रखने की अनुमति है, पास/पीटीओ का लाभ दिया जाएगा।
[अनुसूची–ा (प्रतिनियुक्ति) (viii)]

नोट :– उपनगरीय, रहवासीय कार्ड पास, रियायती सीजन टिकट आदि का लाभ उन रेल कर्मचारियों को देय नहीं है, जिनकी प्रतिनियुक्ति गैर रेलवे विभागों में हुई है।
[अनुसूची–ा (प्रतिनियुक्ति (i)]

<u>स्कूल पास</u> :– [नियम–7 अनुसूची–ाा]

स्कूल पास रेल कर्मचारी के ऐसे पुत्र/पुत्री को जारी किया जाता है जो किसी पंजीकृत शैक्षिक संस्थान का मूल (bonefide) विद्यार्थी हो। इन नियमों के लिए, स्कूल/कॉलेज से आशय स्कूल अथवा कॉलेज जो शैक्षणिक या व्यवसायिक हो तथा राज्य/केन्द्र सरकार/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त हो। [अनुसूची–ाा का 1 (xi)]

1. रेल कर्मचारी के प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा स्थान से कर्मचारी के निवास स्थान तक 3 दिन से अधिक की मान्यता प्राप्त छुट्टियों के दौरान संस्था प्रधान/स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 3 सैट या 6 आधे सैट स्कूल पास प्रति वर्ष जारी किए जा सकते है। [अनुसूची–ाा का (i)]

2. माता–पिता अथवा संरक्षक को भी स्कूल पास में शामिल किया जा सकता है तथा यह तब जारी किया जाता है जब पुत्र की आयु 18 वर्ष से कम हो (या 18 वर्ष से अधिक होने पर केवल विकलांग पुत्र के लिए) तथा किसी भी आयु की पुत्री के लिए।
[अनुसूची–ाा का (iii)]

3. यदि माता व पिता दोनों रेल कर्मचारी है तो स्कूल पास केवल एक के खाते पर ही जारी किया जा सकता है। [अनुसूची–ाा का 8(xi)]

4. माता–पिता सहित सौतेले माता–पिता/संरक्षक को भी पास की बर्हियात्रा/वापसी यात्रा के लिए समान श्रेणी में शामिल किया जा सकता है एवं उसे विद्यार्थी को स्कूल/कॉलेज से छात्र

को वापस लाने या छोड़ने के बाद वापस अकेला आने के लिए अलग से पास जारी किया जा सकता है तथा इस प्रकार जारी पास को स्कूल पास के आधे सैट पास के रूप में माना जाएगा अर्थात इसे एक अलग आधे सैट के रूप में गिना जाएगा। यदि परिचारक ही संरक्षक हो तो उसे केवल द्वितीय श्रेणी पास ही जारी किया जाएगा। [अनुसूची–ाा का (iv)]

5. ओक ग्रोव स्कूल, झारीपानी में अध्ययनरत रेल कर्मचारियों के बच्चों को, जबकि रेल कर्मचारी प्रथम श्रेणी पास का हकदार नहीं हैं, तब भी उन्हे विशेष मामले के रूप में स्कूल सत्र की शुरूआत में उनके निवास स्थान से देहरादून तथा सत्र के समाप्ति पर देहरादून से निवास स्थान तक प्रथम श्रेणी पास जारी किया जा सकता है। यह नियम उनकी प्राधिकृत छुट्टियों के दौरान जाने व आने के लिए समान रूप से लागू रहेगा। इस अवसर पर उनके मार्गरक्षी (स्कूल अध्यापिका) को भी आने व जाने की यात्रा के लिए प्रथम श्रेणी पास जारी किया जा सकता है। [अनुसूची–ाा का (i) व RBE 136/03]

6. ऐसे विद्यार्थी जो अनुसंधान कार्यो में लगे हुए है तथा वे उत्कृष्टता के आधार को छोड़कर कोई वृतिका/छात्रवृति नहीं ले रहे है तो उन्हे भी स्कूल पास जारी किया जा सकता हैं। [अनुसूची–ाा का (v)]

7. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रवेश लेने तथा वापस मुख्यालय आने के लिए स्कूल पास जारी किया जा सकता है। [अनुसूची–ाा का (iv)]

8- परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश फार्म प्रस्तुत करने हेतु जाने, परीक्षा देने तथा वापसी में मुख्यालय लौटने या स्कूल कॉलेज के स्थान से अन्य स्थान पर परीक्षा देने हेतु जाने के लिए स्कूल पास देय है। [अनुसूची–ाा का (vi)]

9. स्कूल पास पर बीच मार्ग में यात्रा विराम की अनुमति है यदि पास पर इस आशय का पृष्ठाकंन किया गया हो। [अनुसूची–ाा का xi (3)]

10. यदि पास/पीटीओ रेल कर्मचारी के मुख्यालय से/को अन्य स्थान हेतु अथवा माता–पिता के निवास के स्थायी पते पर, यदि वह अलग हो, के लिए चाहा गया है या वहां के लिए चाहा गया है जहां माता–पिता गर्मी की छुट्टियों के दौरान अस्थायी रूप से निवास कर रहे हो तो राजपत्रित अधिकारी के अनुमोदन से ऐसा पास जारी किया जा सकता है जो इस प्रकार के अनुरोध पर इस संदर्भ के साथ संतुष्ट होगा कि माता–पिता के लिए अमुक स्थान हेतु पहले ही पास/पीटीओ जारी किया जा चुका है। [अनुसूची–ाा का xi (4)]

11. स्कूल पाठ्यक्रम द्वारा बनाए गए शैक्षिक शिविर पर यात्रा करने के लिए भी स्कूल पास देय है। [अनुसूची–ाा का ix]

12. जुर्माने/दण्ड सहित किसी अन्य लेखे पर रेल कर्मचारी के रोके गए सुविधा पासों का प्रभाव स्कूल पास जारी करने पर नहीं पड़ेगा। [अनुसूची–ाा का xi (6)]

13. निलम्बन होने पर भी इसका प्रभाव रेल कर्मचारी के स्कूल पास की हकदारी को प्रभावित नहीं करेगी। [अनुसूची–ाा का xi (7)]

14. सुविधा पास/पीटीओ के अनुसार स्कूल पासों को भी रेल सेवकों के अनुरोध के अनुसार पांच महिने पहले ही जारी किया जा सकता है। बहरहाल, इन पासों पर यात्रा करने के लिए उचित वैद्यता अवधि को पास जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा। [RBE-101/11 & 41/12]

15. स्कूल पास दुरन्तों एक्सप्रेस में यात्रा के लिये वैद्य इसके लिये निम्न सील लगाना होगा
'Valid for Journey in the entitled of DURONTO EXPRESS Trains' [RBE-47/2014]

स्कूल पास हकदारी निम्नानुसार रहेगी :–

[RBE-145/11]

कोटि		हकदारी
I.	समूह "क" एवं "ख" (राजपत्रित)	प्रथम श्रेणी "ए"
II.	अरापत्रित समूह "ख" एवं "ग" कर्मचारी	
(i)	ग्रेड पे 4200/– रू. और अधिक में	प्रथम श्रेणी

(ii)	ग्रेड पे 2800/– रू. में	द्वितीय श्रेणी "ए"
(iii)	ग्रेड पे 2800/– रू. से कम में	द्वितीय/स्लीपर श्रेणी

बहरहाल, ओक ग्रोव स्कूल, झारीपानी में अध्ययनरत रेल कर्मचारियों के बच्चों को, जो साधारणतः प्रथम श्रेणी पास के लिए हकदार नहीं हैं, उन्हे विशेष मामले के तौर पर, स्कूल सत्र के शुरू होने पर उनके घर से लेकर देहरादून तक और स्कूल सत्र के समाप्त होने पर देहरादून से उनके घर तक प्रथम श्रेणी के पास जारी किए जा सकते है। उपर्युक्त उपबन्ध अप और डाउन यात्राओं के लिए प्राधिकृत छुट्टियों के दौरान समान रूप से लागू होगा। ऐसे मौको पर मार्ग रक्षियों (स्कूल अध्यापक) को भी उनकी अप और डाउन यात्राओं के लिए पास जारी किए जा सकते है।

स्कूल कार्ड : [अनुसूची–गग]

स्कूल कार्ड पास रेल कर्मचारी की योग्यता (पात्रता) के आधार पर उसके विद्यार्थी पुत्र/पुत्रियों को रेल कर्मचारी के निवास स्थान के नजदीकी स्टेशन से विद्यार्थी के स्कूल/कॉलेज के नजदीकी स्टेशन तक मान्यता प्राप्त संस्थान जहां विद्यार्थी पढ़ता है, का प्रमाण पत्र प्रस्तु करने पर जारी किया जा सकता है। शर्त है कि जो दूरी का विभाजन हो उस पर प्रतिबन्ध है तथा इसे रेलवे द्वारा स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर जारी किया जा सकता है। गैर उपनगरीय क्षेत्रों में कर्मचारी के लेखे पर देय सुविधा पास की सामान्य श्रेणी पर ही स्कूल कार्ड पास देय होगा। [RBE-63/2000]

स्कूल पास हकदारी निम्नानुसार रहेगी :– [RBE-145/11]

कोटि		हकदारी
I.	समूह "क" एवं "ख" (राजपत्रित)	प्रथम श्रेणी "ए"
II.	अरापत्रित समूह "ख" एवं "ग" कर्मचारी	
(iv)	ग्रेड पे 4200/– रू. और अधिक में	प्रथम श्रेणी
(v)	ग्रेड पे 2800/– रू. में	द्वितीय श्रेणी "ए"
(vi)	ग्रेड पे 2800/– रू. से कम में	द्वितीय/स्लीपर श्रेणी

मानार्थ पास :

किसी रेल कर्मचारी को सेवानिवृति के पश्चात या 20 वर्ष की अर्हक सेवा के बाद रेल सेवक न रहने की स्थिति में निम्नानुसार मानार्थ पास जारी किए जा सकते है :–

श्रेणी		एक वर्ष में देय पास की संख्या
समूह "ए" एवं "बी"		
"क"	20 वर्ष से अधिक किन्तु 25वर्ष से कम सेवा के साथ	2 सैट प्रति वर्ष
"ख"	25 वर्ष की न्यूनतम रेल सेवा के साथ	3 सैट प्रति वर्ष
समूह "ग"		
"क"	20 वर्ष की न्यूनतम सेवा के साथ	1 सैट प्रति वर्ष
"ख"	न्यूनतम 25 वर्ष की रेल सेवा के साथ	2 सैट प्रति वर्ष
समूह "घ"		
"क"	20 वर्ष की न्यूनतम सेवा के साथ	1 सैट प्रति वर्ष

{(ASC-35) पत्र सं. ई.(डब्ल्यू) 95 पीएस 5–8/1, आरबीओ–96 का पेज सं. 139}

मानार्थ पास जारी करने की शर्ते :

1. मानार्थ पास रेल कर्मचारी स्वयं, पत्नी/पति, बच्चे और विधवा आश्रित मां (RBE-13/1996) के लिए जारी किया जाता है। इन पर शर्ते वहीं लागू होगी जो रेल कर्मचारी की सेवा के दौरान लागू होती थी।

[अनुसूची–iv का (1)]

2. (क) मानार्थ पास उन रेल कर्मचारियों को जारी नहीं किया जाएगा जिन्हे सेवा से बर्खास्त कर दिया
गया हो।
(ख)मानार्थ पास उन रेल कर्मचारियों को जारी नहीं किया जाएगा जिन्हे 26.10.2005 को या उसके बाद सेवा से निकाल दिया गया हो।
(ग) मानार्थ पास ऐसे रेल कर्मचारियों को जिन्हे 26.10.2005 को या उसके बाद सेवा से बर्खास्त/
निष्कासित किया गया हो, यदि वे रेल सेवा पेंशन 1993 के नियम 65 के अनुसार अनुकम्पा भत्ता प्राप्त कर रहे हो तो उन्हे भी जारी किया जाएगा। इस प्रकार के पास उन्हे उस तिथि से देय होंगे, जिस तिथि से उन्हे अनुकम्पा भत्ता स्वीकृत किया गया हो। [RBE-180/05]

3. एक सेवारत रेल कर्मचारी उसी श्रेणी के मानार्थ पास का हकदार/पात्र होगा, जिस श्रेणी का पास वह सेवा के दौरान उपभोग कर रहा था। [अनुसूची–iv का (ii)]

4. रेल कर्मचारी जो नियमित आधार पर उच्च ग्रेड में पदोन्नत होता है एवं उच्च ग्रेड से ही सेवानिवृत होता है, तो उसे मानार्थ पास भी उच्च पद के अनुरूप ही दिया जाएगा। किन्तु तदर्थ पदोन्नति के मामले में उच्च पद के अनुरूप मानार्थ पास का लाभ उसे तदर्थ/स्थानापन सेवा के तीन वर्ष बाद दिया जाएगा। [RBE-51/95]

5. रेल कर्मचारी के सेवानिवृत वर्ष के दौरान वह एक कलैण्डर वर्ष में जितने सुविधा पास का हकदार है तथा जितने वह ले चुका है, इन दोनों के अन्तर के एकल यात्रा मानार्थ पास का हकदार होगा, किन्तु उसके द्वारा आवेदित मानार्थ पासों की संख्या एक कलैण्डर वर्ष में उसके देय मानार्थ पासों की संख्या से अधिक नहीं होगी। [अनुसूची–iv का (v)]

6. यदि पति व पत्नी दोनों रेल सेवा से सेवानिवृत होते है तो वे एक दूसरे के लेखे पर मानार्थ पास ले सकते है। [अनुसूची–iv का (vi)]

7. जब रेल कर्मचारी स्वयं का उसके परिवार का कोई सदस्य जो मानार्थ पास में शामिल करने के योग्य है तथा दोनों आंखो से अन्धा है तथा अकेला यात्रा कर रहा है तो संबंधित रेलवे के चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कि संबंधित व्यक्ति दोनों आंख से अंधा है, एक परिचारक को मानार्थ पास में शामिल करते हुए अंधा व्यक्ति जिस श्रेणी में यात्रा कर रहा है उसी श्रेणी में परिचारक को अंधे व्यक्ति के साथ यात्रा की अनुमति है। [अनुसूची–iv का (vii)]

8. रेलवे बोर्ड के पत्र सं. ई (पी एंड ए) 177 आरटी–46 दिनांक 09.11.1977 में दी गई शर्तो के समान ही दिनांक 31.12.2005 तक स्वैच्छिक सेवानिवृत पर मानार्थ पास जारी करने हेतु भी 5 वर्ष सेवा, अर्हक सेवा में जोड़ने का लाभ दिया जाएगा। [अनुसूची–iv का (viii)]
इस संबंध में अब यह विनिश्चत किया गया है कि स्वैच्छिक सेवानिवृति पर मानार्थ पास हेतु अर्हक सेवा में 05 वर्ष जोड़ने के प्रावधान को समाप्त किया जाए। अब 20 वर्ष व अधिक रेल सेवा पश्चात सेवानिवृति पर पूर्ण मानार्थ पास देय होंगे (प्रभावी 01.01.2006 से) (मानार्थ पास 20 वर्ष सेवा पश्चात– ग्रुप–ए व बी = 03 सैट, ग्रुप–सी = 02 सैट व ग्रुप–डी = 01 सैट) [RBE-132/13 & 24/14]

9. रेल सेवा में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व गैर रेलवे विभाग/संस्थान में की गई सेवा को पास जारी करने हेतु केवल तब ही गिना जाएगा, जब कि ऐसी सेवा को पेंशन लाभ देने हेतु गणना में लिया गया हो तथा ऐसे मामलो में रेलवे में की गई सेवा सम्बन्धी उनकी योग्यता का निर्धारण करने हेतु उनके द्वारा पूर्व में केन्द्र सरकार/गैर रेलवे में की गई सेवा की लम्बाई के आधार पर मानार्थ पास जारी करने हेतु वांछित बीस वर्ष सेवा की आधी अवधि का लाभ देय होगा तथा ऐसी स्थिति में न्यूनतम बीस वर्ष की सेवा पर देय मानार्थ पास ही उन्हे देय होंगे। [RBE-61/07 & 65/08]

10. सेवानिवृत रेल कर्मचारी को देय मानार्थ पास का दुरूपयोग होने पर उसे इस प्रकार के पास की सुविधा से वंचित किया जा सकता है। [अनुसूची–iv का (xiii)]

11. सभी प्रथम "ए"/प्रथम श्रेणी मानार्थ पास धारक अपने साथ एक परिचारक को सुविधा पास के लिए निर्धारित शर्तो के आधार पर द्वितीय श्रेणी/शयनयान में निःशुल्क ले जा सकते है। (प.सं. ई.(डब्ल्यू) 97/पीएस 5–1/4 दिनांक 29.05.97 द्वारा स्पष्ट)। [अनुसूची–iv का (xiv)]

12. प्रथम श्रेणी/ प्रथम "ए" पास धारक वरिष्ठ नागरिक निम्नलिखित शर्तो के आधार पर परिचारक के स्थान पर एक सहचर को साथ ले जा सकते है :– [अनुसूची– iv का (xiv)(ए)]

(क) सहचर की सुविधा केवल उन सेवानिवृत रेल कर्मचारियों को ही देय होगी जिनकी उम्र 65 वर्ष से अधिक हो।

(ख) सहचर की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब पास धारक/परिवार के योग्य सदस्य शयनयान श्रेणी में यात्रा करेंगे।

(ग) यदि 65 वर्ष से कम आयु के अन्य परिवार के सदस्य पास में शामिल है तो उन्हे शयनयान में परिचर के साथ यात्रा करने की सुविधा की अनुमति नहीं होगी।

(घ) वरिष्ठ नागरिकों को उनके साथ उच्च श्रेणी में परिचारक के साथ किराए के पूर्ण अंतर के भुगतान पर यात्रा करने की अनुमति है।

(ड़) परिचर ले जाने की अनुमति तब ही देय है, जब पास धारक अथवा योग्य परिवार के सदस्य मानसिक/शारीरिक रूप से अशक्त पुत्र/पुत्री के साथ यात्रा कर रहे हो।

(च) निर्धारित शर्तो के अन्तर्गत सेवानिवृत रेल कर्मी की 70 वर्ष या उससे ऊपर के हैं तथा 1^{st} /1^{st} A मानार्थ पास धारक है, परिचारक को अपने साथ उसी श्रेणी में ले जा सकते है जिसमें यह यात्रा कर रहे है। इस हेतु उन्हे स्लीपर क्लास तथा यात्रा करने वाली श्रेणी के किराए के अन्तर का 1/3 का भुगतान करना होगा। [RBE-164/09]

13. कानूनी रूप से गोद लिया हुआ बच्चा (सेवानिवृति के बाद लिया हुआ) को भी मानार्थ पास में शामिल किया जा सकता है। [अनुसूची–iv का (xv)]

14. कानूनी रूप से तलाक शुदा पुत्री या विधवा पुत्री को भी सेवानिवृत रेल कर्मचारी के मानार्थ पास में आश्रित के रूप में शामिल किया जा सकता है। बशर्ते कि वह रेल कर्मचारी के साथ रहती हो तथा इस उद्दे हेतु वह आय के मानदण्डो को पूरी करती हो। [RBE-63/03]

15. सेवानिवृत रेल कर्मचारी तथा योग्य परिवार के सदस्यों को फोटो के साथ पहचान पत्र रेल प्रशासन द्वारा जारी किया जाएगा तथा इसे यात्रा के दौरान साथ रखना होगा। [अनुसूची–iv का (xix)]

16. रेल आवास को अनाधिकृत रूप से रोके रखे जाने पर प्रत्येक माह पर एक सैट मानार्थ पास नामंजूर किया जाएगा। इस उद्देश्य हेतु एक कलैण्डर माह में माह के भाग के रूप में 10 से अधिक दिन होने पर इसे पूर्ण माह माना जाएगा। [अनुसूची–iv का (xx)]

17. सेवानिवृत रेल कर्मचारी की आपराधिक/व्यवहारिक वाद, जिसमें सरकार एक पार्टी के रूप में हो, के साक्ष्य देने हेतु न्यायालय में उपस्थिति के लिए पास दिया जा सकता है। बशर्ते कि न्यायालय द्वारा गाड़ी से यात्रा हेतु स्वीकृति रेल किराया यात्रा व्यय, यदि कोई मिला हो तो उसे मिलने के 15 दिन के अंदर रेलवे राजस्व में जमा करना होगा। [RBE-142/98]

18. कैलेण्डर वर्ष में देय मानार्थ पास समाप्त होने की स्थिति में सेवानिवृत रेल कर्मी को अगले वर्ष के पास लेखे में एक सैट मानार्थ पास जारी किया जा सकता है। ऐसा मानार्थ पास अगला वर्ष शुरू होने के 100 दिन से अधिक अवधि पूर्व जारी नहीं किया जायेगा तथा वह जारी होने की तिथि से पांच माह के लिए वैद्य होगा। [RBE-80/11 & 41/12]

19. चूंकि पीबी–1 में 1800/– ग्रेड पे के सभी पदो को ग्रुप–सी के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है, अतः इन ग्रुप–सी पदो से सेवानिवृत होने वाले कर्मचारी स्वतः ही सेवानिवृति मानार्थ पास/विधवा पास हेतु ग्रुप–सी के अनुरूप हकदार होंगे। [Rly.Bd.L.No. E(W)2010/PS 5-8/4 dt. 02.03.12 P No. 216 of RBO 2012]

20. शादीशुदा विकलांग पुत्र अगर रेलकर्मी पर आश्रित है तो मानार्थ पास में सम्मिलित किया जा सकता है लेकिन यह सुविधा उसकी पत्नी को देय नहीं होगी

[Rly.Bd.L.No. E(W)2015/PS 5-1/6 dt. 12.08.15 (NWR PS 56/15)]

21- Entitlement of Passes/P.T.O.'s to the employees having service less than 5 years.

[Rly.Bd.L.No. E(W)2008/PS 5-1/38/(pt.) dt. 04.12.2012)]

22. उधमपुर कटरा खण्ड में सुविधा पास एवं पी.टी.ओ. जारी करना।

[Rly.Bd.L.No. E(W)2012/PS 5-10/1 dt. 10.10.2014]

23. स्काउट गाइड गतिविधियों के लिये विशेष पास जारी करना

[Rly.Bd.L.No. E(W)2015/PS 5-1/4 dt. 27.07.2015]

24. सेवानिवृत / सेवानिवृत होने वाले कर्मचारी को परिवार पहचान कार्ड जारी करना।

[RBE-12/2016]

25. रेल सेवा (संशोधित वेतन नियम 2016) के अनुसार पास एवं पीटीओ जारी करना।

[Rly.Bd.L.No. E(W)2016/PS 5-1/8 dt. 31.08.2016]

26. उन मामलों में जिनके कर्मचारी एवं उनके पति/पत्नी दोनों शारीरिक रूप से विकलांग है उच्च श्रेणी पासों /मार्गरक्षी की सुविधा का लाभ उठाने के सम्बन्ध में पास जारी करना।

[Rly.Bd.L.No. E(W)2016/PS 5-1/5 dt. 06.04.2017] [RBE-31/2017]

रेल कर्मचारियों की विधवाओं के लिए पास : [नियम–9 अनुसूची–V]

(1) उन रेल कर्मचारियों की विधवाओं को भी पास जारी किया जायगा जो दिनांक 12.03.1987 को या उसके बाद सेवा में थे तथा इस तिथि को या इसके बाद या तो सेवा के दौरान या सेवानिवृति के पश्चात मृत्यु हो गई है तथा उन्होने इस योजना के लिए विकल्प दिया था या इस योजना के अन्तर्गत स्वमेव ही अधिशासित हो गए तथा रेल कर्मचारी की विधवा जो दिनांक 12.03.1987 पूर्व सेवा में थे तथा इसी प्रकार उन रेल कर्मचारियों की विधवा जिन्होने विधवा पास योजना का विकल्प नहीं दिया हो, उन्हे भी पीटीओ के दो सैट के एवज में 250 रू. का एकमुश्त भुगतान करने पर विधवा पास का हकदार माना जायेगा। [RBE-83/98 & 52/01]

(2) ऐसे रेल कर्मचारियों के मामले में जिन्होने विधवा पास योजना के लिए विकल्प दिया हो अथवा वे जो इस योजना के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से अधिशासित है वे सेवा के दौरान एक वर्ष में 4 सैट पीटीओ के हकदार होंगे। [अनुसूची–V का (I)]

(3) ऐसे रेल सेवक जिन्हे दिनांक 12.03.1987 से पूर्व सार्वजनिक निकाय/स्वायत निकाय में स्थायी रूप से समायोजित कर लिया हो तथा उन्हे मानार्थ पासस प्राप्त होता हो उनकी विधवाओं को भी विधवा पास योजना के अन्तर्गत एक मुश्त 250 रू. जमा कराने पर शामिल किया जा सकता है। [RBE-197/99]

(4) वर्ष में देय पासों की संख्या :– मानार्थ पासों की आधी संख्या जो रेल कर्मचारी या तो उसके सेवानिवृति के बाद निधन के समय या सेवा के दौरान निधन के समय लेता था उनके लिए मृत्यु की तिथि या सेवानिवृति की तिथि से नियमानुसार हकदार होगा, बशर्ते :– [अनुसूची–V का (I)]

(i) समूह–घ रेल कर्मचारी जो प्रति एक मानार्थ पास के हकदार (या सिद्धान्त रूप से हकदार) है, की विधवा/विधवाएं भी प्रति एक वर्ष के बाद एक मानार्थ पास की हकदार होगी। [अनुसूची– V का (1)(अ)]

(ii) किसी भी रेल सेवक की विधवा/विधवाएं जिसकी सेवा के दौरान मृत्यु हो गई है वे भी प्रत्येक एक वर्ष के बाद न्यूनतम एक सैट पास की हकदार होंगी, इस प्रकार वह प्रत्येक दो वर्ष में 01 सैट पास की हकदार होंगी चाहे मृत्यु से पहले कर्मचारी की सेवा मानार्थ पास के हकदार होने हेतु आवश्यकता से कम ही पड़ रही हो। [अनुसूची– V का 1(बी)]

(5) एक से अधिक विधवा होने के मामले में विशेष वर्ष में पास बारी–बारी से जारी किए जायेंगे।

[अनुसूची– V का 2]

नोट :– विधवा/उनके आश्रित जो इस प्रकार के पास के हकदार है उन्हे रेल प्रशासन द्वारा पहचान पत्र जारी किया जाएगा तथा इसे यात्रा के दौरान उन्हे साथ में रखना होगा।

(6) रेल कर्मचारी की सेवानिवृति पर या मृत्यु की तिथि को सैद्धान्तिक रूप से सेवानिवृति की तिथि के रूप में माने जाने पर रेल कर्मचारी को देय पास की श्रेणी के अनुरूप ही विधवा पास देय होंगे। अन्य नियम व शर्ते, जो सुविधा पास पर लागू है समान रहेगी केवल निम्न को छोड़करः–

(क) इन पासो में आश्रित सम्बन्धियों को शामिल नहीं किया जाएगा, किन्तु मृत रेल कर्मचारी की आश्रित विधवा मां को विधवा के परिवार के सदस्य के रूप में विधवा पास में शामिल किया जाएगा। [RBE-142/2000]

इस संबंध में यह स्पष्ट किया गया है कि अनुकम्पा आधार पर नियुक्त विधवा अगर रेलकर्मी के रूप में पास लेने का विकल्प देती है तो वह अपने परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त रेलकर्मी की हैसियत से निर्भर रिस्तेदारों का पास प्राप्त करने की हकदार भी होगी इसकी विधवा पास को भी आर.बी.ई. 194/01 के अनुसार पास में सम्मिलित किया जा सकता है। [Rly.Bd.L.No. E(W)2015/PS 5-2/4/Misc. dt. 25.08.15 (NWR PS 60/15)]

(ख) विधवा इस सुविधा की हकदार नहीं होंगी यदि वह किसी अन्य प्रकार से पास सुविधा की हकदार हो जाती है, जैसे उसके पुत्र को रेलवे में रोजगार मिल जाता है या उसको खुद को रेलवे में रोजगार मिल जाता है या वह पुनर्विवाह कर लेती हो। किन्तु विधवा अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकती है, कि या तो वह अपने पुत्र/पुत्री के लेखे पर जारी पास में आश्रित विधवा मां के रूप में शामिल हो या वह स्वयं की हकदारी के आधार पर विधवा पास योजना के आधार पर पास ले सकती है। एक बार विकल्प देने के बाद वह अंतिम तथा अपरिवर्तनीय रहेगा। [RBE-312/09]

(ग) विधवा जो अनुकम्पा आधार पर रेल सेवा में नियुक्त हुई है, वे नियुक्ति के समय अपना विकल्प दे सकती है कि या तो रेल सेवक के रूप में पास की सुविधा लें या वे विधवा योजना के अधीन हकदारी जारी रखेगी। एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा। सेवानिवृति/रेल सेवा छोड़ने के समय भी विधवा को ऐसा ही विकल्प देना होगा कि मानार्थ पास से अधिशासित होगी। इस प्रकार एक बार दिया हुआ विकल्प अंतिम होगा। [RBE- 98/03]

(7) प्रथम श्रेणी/प्रथम "ए" विधवा पास धारक वरिष्ठ नागरिक निम्नलिखित शर्तो के आधार पर परिचारक के स्थान पर एक सहचर को साथ ले जा सकते है :–

(i) सहचर की सुविधा केवल प्रथम श्रेणी/प्रथम श्रेणी "ए" विधवा पास पर ही उपलब्ध कराई जाएगी जिस पर रेल सेवक पास नियम (1986) के अनुसार पहले से ही परिचारक को साथ ले जाने की व्यवस्था हो।

(ii) सहचर के साथ ले जाने की सुविधा केवल उन विधवा पास धारकों को देय होगी जो 65 वर्ष से अधिक आयु की हो।

(iii) परिचारक के स्थान पर सहचर को सुविधा की अनुमति केवल तभी होगी जब पास धारक अथवा परिवार का योग्य सदस्य जो 65 वर्ष से अधिक हो तथा सहचर के साथ शयनयार/द्वितीय श्रेणी में यात्रा कर रहा हो। दूसरे शब्दों में यदि परिवार को कोई दूसरा योग्य सदस्य जो 65 वर्ष से कम आयु का हो तथा पास में शामिल हो तो उसे सहचर के साथ शयनयान/द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने की अनुमति नहीं है।

ऐसे मामलों में पास पर निम्नांकित पृष्ठांकन किये जाने चाहियेः–

''परिचर के स्थान पर सहचर की अनुमति जब पास धारक शयनयान द्वितीय श्रेणी में यात्रा कर रहा है'' [RBE-142/2000 & 14/2001]

(8) यह योजना नैमेतिक मजदूरों पर लागू नहीं होगी जब तक वे नियमित पद पर समायोजित नहीं कर लिए जाते है। इस प्रकार समायोजित किए जाने तक नैमेतिक मजदूरों को एक वर्ष में 4 सैट पीटीओ जो दूसरों को जिन्होने विधवा पास योजना के लिए विकल्प दिया है, के बजाय प्रति वर्ष 6 सैट पीटीओ देय होंगे। [RBE- 308/89]

(9) किसी पुरूष रेल कर्मी को देय विधवा पास की सुविधा किसी स्त्री रेल कर्मचारी के विद्युर को भी देय होगी। (रेलवे बोर्ड के पत्र सं. ई(डब्ल्यू)97/पीएस 5–8/3 दिनांक 31.03.1998)

[RBO/98 का पेज सं. 340]

(10) विधवा पास समान पद के रेल कर्मचारी पर लागू शर्तो के समान ही राजधानी/शताब्दी गाड़ियों में यात्रा करने के लिए वैद्य रहेंगे। पास जारीकर्त्ता प्राधिकारी द्वारा इस आशय के लिए एक विशेष पृष्ठाकंन किया जाएगा जिसमें पास की श्रेणी तथा आवंटित बर्थ की संख्या को भी दर्शाया जाएगा। [RBE- 4/2000]

(11) लापता रेल कर्मचारी/पेंशनर की पत्नी भी उस तिथि से, जब से वह परिवार पेंशन की हकदार हुई हैं, विधवा पास की हकदार होगी।

[R.B..No. E(W)98/PS 5-1/4 Dt. 21.05.1998 रेल सेवक पास नियम का पेज सं. 11.15]

आवासीय कार्ड पास : [नियम–10 अनुसूची–VI]

आवासीय कार्ड पास, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है, उन रेल कर्मचारियों को जारी किया जा सकता है, जो अपने कार्य स्थल से दूर रहते है तथा उन्हे अपने निवास से कार्यस्थल के बीच रेल से यात्रा करनी पड़ती है। वहां पूरे सेक्शन में जहां दिनांक 14.12.1953 से पूर्व इस सुविधा का प्रचलन था अथवा वहां जहां रेलवे बोर्ड द्वारा समय–समय पर जारी विशेष आदेशों द्वारा इस सुविधा को विस्तारित किया गया है।

आवासीय कार्ड पास की हकदारी निम्नानुसार रहेगी :– [RBE-145/11]

कोटि		हकदारी
I.	समूह "क" एवं "ख" (राजपत्रित)	प्रथम श्रेणी "ए"
II.	अरापत्रित समूह "ख" एवं "ग" कर्मचारी	
(i)	ग्रेड पे 4200/– रू. और अधिक में	प्रथम श्रेणी
(ii)	ग्रेड पे 2800/– रू. में	द्वितीय श्रेणी "ए"
(iii)	ग्रेड पे 2800/– रू. से कम में	द्वितीय/स्लीपर श्रेणी

गैर उपनगरीय सेक्शन में :– सुविधा पास के लेखे पर देय हकदारी की सामान्य श्रेणी देय हागी तथा आवासीय कार्ड पास के साथ परिचारक की अनुमति नहीं होगी। [RBE- 63/2000]

विशेष पास :– रेल सेवकों, उनके परिवार के सदस्यों अथवा संबंधियों को, जैसा भी मामला हो, विशेष पास निम्नानुसार जारी किये जा सकते है :– अनुसूची–VIII की मद सं. : [अनुसूची–VIII का नियम–11]

(i) चिकित्सा आधार पर।
(ii) खेलकूद के आधार पर।
(iii) छुट्टी अथवा ड्यूटी के दौरान रेलवे भर्ती बोर्ड/चयन बोर्ड में शामिल होने के लिए,
(iv) न्यायालय में उपस्थिति के लिए,
(v) विभागीय अनुशासनिक पूछताछ तथा दस्तावेजों की जांच में शामिल होने के लिए,
(vi) अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई के लिए,
(vii) मान्यता प्राप्त रेल यूनियन तथा फेडरेशन के कार्यालय पदाधिकारियों तथा प्रतिनिधियों के लिए जिन्हे रेलवे बोर्ड के समय–समय पर जारी अनुदेशों के आधार पर पास जारी किए जाते है।
(viii) कर्मचारी कल्याण निधि समिति इत्यादि के सदस्यों के लिए,
(ix) विशेष श्रेणी रेल प्रशिक्षु के लिए,
(x) अन्य प्रशिक्षु के लिए,
(xi) स्काउट और गाईड गतिविधियों के लिए,
(xi(a)) पर्वतारोहरण तथा ट्रेकिंग अभियानों में भाग लेने के लिए,
(xii) सेंट जॉन एम्बुलेन्स बिग्रेड के लिए,
(xiii) निपटान बकाया प्राप्त करने के लिए,
(xiv) मोटर वाहन के लिए,

(xv) रेल सेवा में पहली नियुक्ति पर,

(xvi) सेवानिवृति/मृत होने पर समापन भुगतान पास की स्वीकृति (उसके व्यक्तिगत सामान ले जाने के लिए)

(xvii) रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा पूछताछ (जांच) के लिए,

(xvii)A रेल संरक्षा आयोग के गैर रेलवे कर्मचारियों के लिए,

(xviii) क्वासी (वत्) रेल संस्थान के कर्मचारियों के लिए,

(xviii)A अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/जन जाति एसोसिएशन के पदाधिकारियों की मंडल/कारखाना स्तर पर अनौपचारिक बैठकों में उपस्थिति के लिए,

(xix) निलम्बन के अधीन रेल कर्मचारियों को,

(xx) सम्मेलन, कांग्रेस और बैठकों में शामिल होने के लिए,

(xxi) प्रादेशिक सेना के कार्मिकों को कैम्प में जाने के लिए परिवार पास।

(xxii) रेलवे भर्ती बोर्ड या रेल प्रशासन द्वारा परीक्षा/साक्षात्कार के लिए बुलाने पर,

(xxiii) बाल शिविर के साथ जाने संबंधी यात्रा के लिए,

(xxiv) सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए

(xxv) रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति। राष्ट्रीय उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्यों हेतु पास

(xxvi) रिजर्वरिस्टो (Reservists) के परिवार हेतु पास।

(xxvii) सेवानिवृत रेल कर्मचारियों को उनके खिलाफ दायर अनुशासनिक मामले से बचाव की तैयारी के लिए दस्तावेजों के अवलोकन हेतु।

(xxviii) मेडिकल विकोटिकृत कर्मचारी के समायोजन हेतु उपयुक्तता जांच हेतु।

(xxix) सेवानिवृत रेल कर्मचारियों को – अनुशासनिक कार्रवाई में शामिल किसी रेल सेवक के बचाव हेतु पूछताछ आयोग की किसी बैठक में बचाव हेतु या किसी बोर्ड, सम्मेलन समिति या किसी उचित प्राधिकारी के अधीन बुलाई गई कोई जांच या अवैतनिक पद के रूप में किसी सार्वजनिक कर्त्तव्य का निर्वहन करने हेतु।

(xxx) भर्ती/ड्यूटी के समय नैमेतिक श्रमिकों को,

(xxx(a) लाईसेंस पोर्टर जो रेलवे द्वारा रेलवे स्टेशनों पर कुली के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकृत तथा प्राधिकृत है।

(xxxi) रेल दुर्घटना में शामिल पीड़ितों को शुभचिंतकों के साथ ही पीड़ितों के उत्तरजीवियों को मानार्थ पास।

(xxxii) रेल सुरक्षा बल के कुतों को हैण्डलर/निरीक्षक के साथ,

(xxxiii) बाजार पास जारी करना,

(xxxiv) किसी उचित पद पर अभ्यागत व्याख्याता को प्रथम श्रेणी वातानुकूलित मानार्थ पास की स्वीकृति,

(xxxv) क्षेत्रीय पंजीकृत संगठनों और फेडरेशन के पूर्ण कालिक कर्मचारी,

(xxxvi) रेलवे दण्डनायक (मजिस्ट्रेट),

(xxxvii) राजकीय रेलव पुलिस। [पॉलिसी RBE-62/2011 में]

(xxxviii) एआईआरएफ/एनएफआईआर द्वारा क्षेत्रीय मुख्यालय स्टेशन/मंडल मुख्यालय स्टेशन/केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित कर्मचारी शिक्षा कार्यक्रम में भाग लेने हेतु।

(xxxviii) ए–रेल मंत्री/रेल राज्यमंत्री/डीएमआर को रेल यात्रा सुविधा,

(xxxix) गैर रेल कर्मचारियों को,

(xl) रेल दावा अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने वाले दावादों को,

(xli) चयनित वेतनामन या उससे ऊपर के सेवानिवृत रेल अधिकारी को (स्वयं व पत्नी हेतु) अनुशासन एवं अपील नियमों के मामले में जांच अधिकारी बनाया गया है उनको या तो जांच आयोजित करने या प्रशिक्षण या इस संबंध में कोई अन्य सरकारी उद्देश्य से यात्रा करनी हो, [RBE- 13/12]

(xlii) डाक्टर/पैरा मेडिकल स्टाफ को रक्तदान/आंख जांच शिविर के लिए,

(A) मृत्यु के मामले में केवल अनुकम्पा नियुक्ति के लिए पहली बार परीक्षा या साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर निवास स्थान से परीक्षा/साक्षात्कार के नजदीकी स्टेशन तथा वापसी तक द्वितीय श्रेणी पास जारी किया जाएगा। [RBE- 275/99]

(B) कीर्ती चक्र व शौर्य चक्र प्राप्त सैनय कर्मियों को जारी मानार्थ कार्ड पास की वैद्यता। राजधानी/शताब्दी/जन शताब्दी गाड़ियों में भी रहेगी। [RBE- 63/11]

(C) ऐसे अविवाहित सशस्त्र बल के कर्मी, जिसे मरणोपरान्त परमवीर चक्र अथवा अशोक चक्र प्रदान किया गया हो, के माता–पिता प्रथम श्रेणी/द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी के मानार्थ कार्ड पास के हकदार होंगे। [RBE- 65/11]

<u>पास/पीटीओ का खोना, दुरूपयोग एवं कपटपूर्ण उपयोग</u> :– [नियम–13 व परिशिष्ट ख]

1. पास/पीटीओ अहस्तांतरणीय है तथा इन्हे उसी व्यक्ति द्वारा उपयोग में लेना चाहिए जिसके पक्ष में जारी किए गए है। पास धारक की अभिरक्षा में रखने रहने के दौरान पास/पीटीओ खोए नहीं इसके लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। यदि पास/पीटीओ खो जाए तो पास धारक को इसकी तुरन्त रिपोर्ट पुलिस में करनी चाहिए तथा इसकी एक प्रति पास/पीटीओ जारी करने वाली प्राधिकारी को भी भेजनी चाहिए। [परिशिष्ट "ख" का (i)]

2. पास/पीटीओ को दुरूपयोग करते हुए पकड़े जाने पर रेल कर्मचारी को प्रतिवारक जुर्माना लिया जाएगा। इस घटना की गम्भीरता को देखते हुए सेवा से बर्खास्तगी या निष्कासन या एक पद नीचे किये जाने के रूप में दिया जा सकता है। [परिशिष्ट "ख" का (ii)]

3. सेवानिवृत रेल कर्मचारियों के मामले में सेवानिवृत रेल कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानार्थ पास का दुरूपयोग करते हुए पाए जाने पर उसे इस प्रकार के पास लेने से वंचित किया जा सकता हैं। [परिशिष्ट "ख" का (iii)]

4. रेल कर्मचारियों को देय सुविधा और ड्यूटी पास दोनों पर यात्रा शुरू करने की तिथि नहीं भरने के मामले में धारक कर्मचारी पर द्वितीय श्रेणी के लिए 10/– रू. तथा प्रथम श्रेणी के लिए 25/– रू. का जुर्माना किया जा सकता है। पास को इसकी समाप्ति तिथि या इसके उपयोग जो भी पहले हो उसे 01 माह के भीतर वापस लौटा देना चाहिए। ऐसे मामलों के संबंध मे जब पास पर यात्रा शुरू करने की तिथि भरने पर चल टिकट परीक्षक द्वारा जुर्माना लगाया गया हो तो निम्नलिखित कार्यवाही की जा सकती है :– [परिशिष्ट "ख" का (iv)]

(क) पहले मामला – चेतानवी

(ख) अगले मामला – गुणदोष के आधार पर विचार किया जाएगा, इसे गंभीरता से यिा जाएगा तथा दोषी कर्मचारी के खिलाफ प्रतिकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

5. पास के खो जाने के मामले में निम्नलिखित जुर्माना लगाया जा सकता है :– [परिशिष्ट "ख" का (v)]

(I) रेल कर्मचारी ड्यूटी कार्ड पास जो अभी यात्रा के लिये वैद्य है,यात्राओं की संख्या के निर्धारण के बिना–

(क)	गोल्ड/सिल्वर/ब्रोन्ज पास	गोल्ड	– 10950/– रू0
		सिल्वर	– 3028/– रू0
		ब्रोन्ज	– 2557/– रू0

(RB No. 2011/जी./127/4/मिंट./पीटी–II दि. 12.01.12)

(ख)	प्रथम श्रेणी–ए/प्रथम श्रेणी	35.00 रू0
(ग)	द्वितीय श्रेणी	12.50 रू0
(घ)	ट्राली पास	12.50 रू0

सीमित वैद्यता तथा निर्दिष्ठ गंतव्य के साथ वाले ड्यूटी चैक पास का खोना –

(क)	प्रथम श्रेणी–ए/प्रथम श्रेणी	10.00 रू0
(ख)	द्वितीय श्रेणी	05.00 रू0

सुविधा पास का खोना –

(क)	प्रथम श्रेणी–ए/प्रथम श्रेणी	10.00 रू0
(ख)	द्वितीय श्रेणी	05.00 रू0

आवासीय कार्ड पास/स्कूल कार्ड पास, बाजार कार्ड पास का खोना –

(क) प्रथम श्रेणी–ए/प्रथम श्रेणी 35.00 रू0

(ख) द्वितीय श्रेणी 12.50 रू0

(II) गैर रेलवे कर्मचारी (i) ऐसे कार्ड पास का खोना जो यात्राओं की संख्या के अनुबन्ध के बिना किसी अवधि के लिए वैद्य हो।

गैर रेल संगठन व्यक्ति को जारी मानार्थ पास

(क) प्रथम श्रेणी 150.00 रू0

(ख) द्वितीय श्रेणी 75.00 रू0

(i) किसी निर्दिष्ठ गंतव्य और सीमित वैद्यता के लिए उपलब्ध चैक पास को खोना–

(क) प्रथम श्रेणी पूरा किराया जो न्यूनतम 10/– रू0 व अधिकतम 50/– रू0 होगा।

(ख) द्वितीय श्रेणी पूरा किराया जो न्यूनतम 05/– रू0 व अधिकतम 30/– रू0 होगा।

राजकीय रेलवे पुलिस/पीएंडटी/रेलवे मजिस्ट्रेट को जारी कार्ड पास –

(क) प्रथम श्रेणी 35.00 रू0

(ख) द्वितीय श्रेणी 12.50 रू0

सेवानिवृत रेल कर्मचारी – मानार्थ पास रेल कर्मचारी –

(क) प्रथम श्रेणी–ए/प्रथम श्रेणी 25.00 रू0

(ख) द्वितीय श्रेणी 10.00 रू0

नोट :–

(1) मान्यता प्राप्त संगठनों/फेडरेशन के पदाधिकारी जो या तो सेवारत या पूर्व रेलकर्मी है, उन्हे सेवारत रेल कर्मी माना जाएगा तथा उपर्युक्त मद सं. (1) के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

(2) जब रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियमों के अधीन पास/पीटीओ रोकने संबंधी जुर्माना लगाने का प्रस्ताव हो, जो उपर्युक्त पास/पीटीओ के प्रयोग के संबंध में अनियमितता संबंधी उपर्युक्त नियमों के अन्तर्गत की जाने वाली कार्रवाई में भिन्नता हो तो अनुशासन एवं अपील नियमों के अनुसार की जाने वाली प्रक्रिया को ही अपनाया जाएगा।

(3) सेवारत अधिकारी जो ड्यूटी से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है तथा अनुरोध करने के बावजूद मेटल पास नहीं लौटाया है तो उनसे मैटल पास की कीमत के तीन गुणा राशि वसूल की जाएगी। [RBE- 158/99]

<u>अनियमितताओं को माफ करने के लिए महाप्रबन्धक की शक्तियां</u> :– [नियम–4 परिशिष्ट–सी]

रेल सेवक को जारी स्थानान्तरण तथा अंतिम निपटान पास के मामलों को छोड़कर निम्नलिखित मामलों में महाप्रबन्धक अनियमितताओं को माफ कर सकता है। ये शक्तियां किसी निम्न प्राधिकारी को नही दी जानी चाहिए :–

1. वर्तमान नियमों की गलत व्याख्या (भ्रांति) के अधीन उच्च श्रेणी के पास व पीटीओ जारी कर देना।
2. एक वर्ष के दौरान अधिक पास/पीटीओ जारी कर देना।
3. पांच वर्ष की सेवा पूर्ण करने से पूर्व ही एक से अधिक सैट पास जारी कर देना।

4. जब एक आश्रित संबंधी शामिल किया गया हो, तब भी पास/पीटीओ में पांच से अधिक सदस्य शामिल कर देना।

5. एक पास/पीटीओ में दो से अधिक आश्रित संबंधियों को शामिल कर देना।

6. स्कूल/कॉलेज के आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना 21 वर्ष या उससे बड़े पुत्र या आश्रित भाईयों को पास/पीटीओ में शामिल कर देना।

7. संरक्षक को स्कूल के लेखे पर पास जारी कर देना जबकि पुत्र की आयु 18वर्ष या अधिक हो। [RBE- 168/01]

8. सेवानिवृत रेल कर्मचारियों के मानार्थ पास में आश्रित संबंधियों को शामिल कर देना।

9. सेवानिवृत समूह–घ रेल कर्मचारी के मानार्थ पास में बच्चों को शामिल कर देना।

10. लम्बे मार्ग से पास जारी करना।

11. पास जारी कर्त्ता प्राधिकारी एकल यात्रा के मामले में 3 माह तथा वापसी यात्रा के मामले में 4 माह की वैद्यता वाला सही पास जारी करना, किन्तु किसी रेल सेवक या उसके परिवार के सदस्य द्वारा इसकी उपलब्धता अवधि के बाद भी इसका उपयोग करना।

नोट :– मद सं. 11 में दर्शायी गयी अनियमितता को रेल सेवक के पास खाते में से एक अतिरिक्त पास
कम करके माफ किया जा सकता है।

अग्रिम – Advance

(भारतीय रेलवे स्थापना मेन्युअल भाग–I का पैरा–1101 से 1130)

रेलवे कर्मचारी भारत के समेकित निधि (Consolidated fund) और भविष्य निधि से विभिन्न प्रकार के अग्रिम और निकासियों के हकदार है । कुछ अग्रिम ब्याज रहित है , जबकि अन्य अग्रिमों पर ब्याज लिया जाता है ।

वे उद्धेश्य जिनके लिए अग्रिम स्वीकृत किये जा सकते है :– (Para 1102 IREM-I)

i वाहन खरीद हेतु ।
ii व्यक्तिगत कम्प्यूटर खरीद हेतु ।
iii मकान / फ्लेट इत्यादि के निर्माण / खरीद हेतु ।
iv गर्म कपडो की खरीद हेतु ।
v स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ता अग्रिम ।
vi यात्रा/स्थानान्तरण / सेवानिवृति पर यात्रा भत्ता अग्रिम ।
vii प्रति नियुक्ति विदेश जाने / भारत लौटने पर ।
viii छुट्टी वेतन के रूप में ।
ix प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ इत्यादि से हुए नुकासान से निपटने हेतु अग्रिम ।

ऊपर उल्लेखित मदों (i) से (iii) ब्याज लिया जायेगा।

(1) वाहन खरीद : (पेरा 1104)

मोटर कार/मोटर साईकिल/स्कूटर/मोपेड की खरीद हेतु अग्रिम स्वीकृति की सामान्य शर्तें निम्न है :–

1 वह विभागाध्यक्ष जिसके अधीन रेल कर्मचारी समय विशेष के लिए नियुक्त है , वाहन खरीद हेतु अग्रिम स्वीकृत कर सकता है । यह अग्रिम तभी स्वीकृत किया जायेगा जब अग्रिम स्वीकृत करने वाला अधिकारी कर्मचारी की पुनर्भुगतान क्षमता से संतुष्ट हो ।

2 किसी ऐसे रेल कर्मचारी को अग्रिम स्वीकृत नहीं किया जायेगा जिसने पहले ही वाहन खरीद कर उसके लिए भुगतान कर दिया हो, बशर्ते है कि वाहन की खरीद, अग्रिम के लिए आवेदन करने की तारीख से तीन महीने के भीतर की गई हो और अस्थाई ऋण लेकर उसका भुगतान किया गया हो ।

3 ब्याजः सरकार द्वारा समय–समय पर तय की गयी साधारण ब्याज दरें रेल कर्मचारी को स्वीकृत अग्रिम पर प्रभावी होगी।

4 योग्यता शर्तेंः रेल कर्मचारी को मोटर कार/व्यक्तिगत कम्प्यूटर/मोटर साईकिल/स्कूटर/मोपेड की खरीद हेतु अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है, बशर्तेंः

i जिन रेल कर्मचारियों का वेतन 19530/– या अधिक प्रतिमाह Pay Band में Grade Pay के अलावा हो, उन्हे मोटरकार/व्यक्तिगत कम्प्यूटर की खरीद हेतु अग्रिम स्वीकृत किया जा सकेगा। (RBE 42/2009)

ii जिन कर्मचारियेां का वेतन 8560/ या अधिक प्रतिमाह Pay Band में Grade Pay के अलावा हो ,उन्हे मोटर साईकिल/स्कूटर की खरीद हेतु अग्रिम किया जायेगा । हालांकि अग्रिम स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी, योग्य मामलों में इस शर्त में छुट दे सकता है। (RBE 42/2009)

iii मोपेड हेतु अग्रिम उन रेल कर्मचारियों को स्वीकृत किया जोयगा, जिनका वेतन 8560/ से कम प्रतिमाह Pay Band में Grade Pay के अलावा है। (RBE 42/2009)

नोटः मोटर साईकिल/ स्कूटर / मोपेड की खरीद पर वार्षिक ब्याज पर 8% होगी जो 01.04. 2008 से प्रभावी है । (RB Letter No- 2008-B-306 of 23-04-09&07-07-11 (NWRPS 44/11)

मोटर कार की खरीद : (Para 1105)

अग्रिम की राशि : रेल कर्मचारी को प्रथम अवसर पर मोटर कार की खरीद हेतु स्वीकृत किय जाने वाले अग्रिम की कुल 1,80,000/. रू. एक लाख अस्सी हजार, या (Grade Pay के अलावा Band Pay में 08 माह का वेतन या रेल कर्मचारी द्वारा खरीदी जाने वाली मोटर कार की संभावित कीमत, जो भी कम हो, से अधिक नहीं ोगी। यदि रेल कर्मचारी द्वारा खरीदी जाने वाली मोटर कार की कीमत अग्रिम राशि से कम है तो वह तत्काल शेष राशि का भुगतान सरकार को करेगा।

दूसरी बार या इसके पश्चात मोटर कार की खरीद हेतु स्वीकृत किये जाने वाले अग्रिम की राशि 1,60,000/– रू. (एक लाख साठ हजार) या ग्रेड पे के अलावा Pay Band में 08 माह का वेतन या खरीदी जाने वाली मोटर कार की संभावित कीमत, जो भी कम हो,दिया जायेगा। (RBE 228/04)

मोटर कार की खरीद हेतु इस प्रकार के दूसरे या इसके पश्चात के अग्रिम पिछले की निकासी से चार वर्ष बीत जाने के पश्चात ही देय होगें।

अग्रिम की वसूलीः पहली बार या इसके पश्चात स्वीकृत किये गये अग्रिमों की वसूली रेलवे कर्मचारी के विकल्प अनुसार समान मासिक किश्तों में की जायेगी जो 200 से अधिक नहीं होगी। रेल कर्मचारी अपनी इच्छा से एक माह में 01 से अधिक किश्तों का पुनर्भुगतान कर सकता है।

नोटः (RB Letter No- 2008-B-306 of 23-04-09&07-07-11 (NWR PS 44/11) के तहत कार अग्रिम पर दिनांक 01.04.2008 से वार्षिक ब्याज दर 11.5% है ।

व्यक्तिगत कम्प्यूटरों की खरीद : (Para 1105)

मोटर कार की खरीद हेतु अग्रिम स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यक्तिगत कम्प्यूटर की खरीद हेतु प्रथम अवसर पर अधिकतम 50,000/ हजार रूपये और इसके पश्चात 40,000/ हजार या कम्प्यूटर की अनुमानित कीमत (कस्टम डयूटी)/के अलावा जो भी कम हो, उस रेल कर्मचारी को स्वीकृत किया जा सकता है जो वर्तमान नियमों के अंतर्गत मोटर कार अग्रिम स्वीकृति हेतु योग्य है ।

हालांकि अधिकतम 30,000/ हजार का अग्रिम या कम्प्यूटर की अनुमानित कीमत (कस्टम डयूटी के अलावा) जो भी कम हो , उस रेल कर्मचारी को भी व्यक्तिगत कम्प्यूटर की खरीद हेतु स्वीकृत किया जा सकता है जिसका Grade Pay के अलावा Pay Band में वेतन प्रतिमाह 8560/या अधिक हो और जो वर्तमान प्रावधानों के अंतर्गत कम्प्यूटर अग्रिम की स्वीकृति हेतु अन्यथा योग्य नहीं है। (Para 1105 (A) RBE No. 82/05 & 42/09)

नोटः वे रेल कर्मचारी जिन्होनें व्यक्तिगत कम्प्यूटर की खरीद हेतु पहले से अग्रिम ले रखा है और पिछले अग्रिम निकासी की तिथि को तीन वर्ष नहीं हुए है, वे व्यक्तिगत कम्प्यूटर की खरीद हेतु दूसरे या इसके बाद के अग्रिम स्वीकृति के हकदार नहीं होगें।

अग्रिम की वसूली : व्यक्तिगत कम्प्यूटर की खरीद हेतु स्वीकृत अग्रिम की वसूली रेल कर्मचारी के विकल्प के अनुसार समान मासिक किश्तों में की जायेगी जो 150 से अधिक नहीं होगी।

ब्याजः व्यक्तिगत कम्प्यूटर की खरीद हेतु रेल कर्मचारी को स्वीकृत अग्रिम पर सरकार द्वारा समय – समय पर मोटर कार अग्रिम हेतु तय साधारण ब्याज दरें लागू होगी।

मोटर साईकिल /स्कूटर /मोपेड इत्यादि की खरीद : इस प्रकार के अग्रिम की राशि पहली बार अधिकतम 30,000/रूपये या ग्रेड पे के अलावा पे बैण्ड में 04 माह का वेतन या मोटर साईकिल/स्कूटर / मोपेड की अनुमानित कीमत, जो भी कम हो, दी जायेगी।

दूसरी बार या इसके पश्चात मोटर साईकिल/स्कूटर/मोपेड की खरीद हेतु स्वीकृत अग्रिम की राशि अधिकतम 24,000/– या Grade Pay के अलावा Pay Band में 03 माह का वेतन या मोटर साईकिल/स्कूटर/मोपेड की अनुमानित कीमत, जो भी कम हो , दी जायेगी।

अग्रिम राशि की वसूली कर्मचारी के विकल्प अनुसार समान मासिक किश्तों में की जायेगी, ये 70 से अधिक नहीं होगी।

दूसरे या इसके बाद के अवसरों पर अग्रिम की राशि पिछले स्कूटर/मोटर साईकिल/मोपेड के विक्रय से अर्जित लाभ में से घटा कर निकाली अर्थात रेल सेवक वाहन के क्रय पर दी गई राशि से विक्रय पर प्राप्त राशि के अंतर की रकम । (RBE 372/87)

उल्लेखित शर्तों के होते हुए भी उस रेल कर्मचारी को मोपेड की खरीद हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकतम 20,000/ रूपये या वचाहन की अनुमानित कीमत, जो भी कम हो, का अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है, जिसका वेतन Grade Pay के अलावा Pay Band में प्रतिमाह 8560/से कम हो। (RBE 42/09)

साईकिल अग्रिमः (Para 1107)

रेल कर्मचारी जिसकी Grade Pay 2800/ से अधिक नहीं है उसे साईकिल खरीद हेतु अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है, बशर्ते है किः

इस प्रकार का अग्रिम 3000/– (रूपये तीन हजार) से अधिक नहीं होना चाहिए और बिक्री कर मिलाकर साईकिल की अनुमानित कीमत तक सीमित रखा जाना चाहिये । यदि साईकिल की वास्तविक कीमत स्वीकृत अग्रिम की राशि से कम है तो कर्मचारी बकाया राशि तत्काल सरकार को जमा करायेगा।

(RBE 171/2008) नोट : साईकिल अग्रिम अब एक ब्याज रहित अग्रिम है। दिनांक 07.10.2008 के पश्चात, इस अग्रिम राशि की कटौती समान मासिक किश्तों में की जायेगी जो 25 से अधिक किश्तों में न हो। [RB L.No-F (E) Spl. 97/Adv/2/2 dt. 04.03.93 & RBE 229/2004)

साईकिल की खरीद हेतु अग्रिम पिछले अग्रिम को 3 वर्ष बीत जाने से पहले सामान्यतः स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिये, यदि संबंधित कर्मचारी इस आशय का संतुष्टि दायक प्रमाण प्रस्तुत नहीं करता है कि पिछले अग्रिम की सहायता से खरीदी गई साईकिल खो गई है या खराब हो गई है। (R Bd's Letter No.F(E)Spl.81/adv/2/2 dt. 23-07-81)

जिन रेलवे कर्मचारियो ने पिछले दो वर्ष के दौरान अग्रिम नहीं लिया है उनके आवेदन को वरीयता दी जानी चाहिये। रेल कर्मचारी को अग्रिम निकासी के एक माह के भीतर खरीद की रोकड़ रसीद प्रस्तुत करनी चाहिये।

<u>वाहन खरीद हेतु अग्रिम स्वीकृति की अन्य शर्ते</u> : (Para 1108)

1 वाहन की ''वास्तविक कीमत'' में शामिल है

i विक्रय कर और अन्य मदो की कीमतें जैसे अतिरिक्त व्हील (पहिया), टायर व टयूब या पीछे की सीट। इसमें कुछ असेसरी की कीमत जैसे कार में रेडियो, प्लास्टिक कवर शामिल नही है। इसमें नई कार बुकिंग के समय रेल कर्मचारी द्वारा डीलर को अग्रिम के रूप में रजिस्ट्रीकरण हेतु दी गई रकम शामिल है जिसे बाद में कार की कीमत में समाहित कर लिया जाता है।

ii रेल कर्मचारी के ड्यूटी के स्थान तक वाहन के परिवहन की कीमत। इसका इस बात से कोई संबंध नही है कि वाहन का परिवहन डिस्ट्रीब्यूटर (विक्रेता) द्वारा किया गया या स्वयं रेल कर्मचारी द्वारा, तथा

iii वास्तविक रूप में अदा किया गया चूंगी प्रभार

2 ऐसे अग्रिमों की स्वीकृति हेतु बजट में आवश्यक प्रावधान है ।

3 यद्यपि एक अस्थाई / संविदा अधिकारी को अग्रिम स्वीकृति में कोई आपत्ति नहीं है , परन्तु यह अनुबंधित किया जाना आवश्यक है कि अग्रिम की राशि और इस पर ब्याज की वसूली संबंधित रेल कर्मचारी के अंतिम वेतन जारी होने के समय कर ली जाये। ये अग्रिम इस शर्त पर स्वीकृत किये जाने चाहिये कि उसके समान या उच्च दर्जे का स्थाई रेल कर्मचारी जमानत प्रस्तुत करें जो मजदूरी भुगतान अधिनियम से शासित न हो ।

4 सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना रेल कर्मचारी तब तक वाहन का बेचान या हस्तान्तरण नहीं करेगा जब तक कि अग्रिम की राशि और इस राशि पर ब्याज का पूर्णतः पुनर्भुगतान नहीं किया जाता ।

5 यदि रेल कर्मचारी जिसे वाहन की खरीद हेतु अग्रिम निकासी की तिथि से एक माह के भीतर वाहन खरीद कर उसका भुगतान नहीं करता है वह अग्रिम की पूरी राशि एक महीने के ब्याज के साथ सरकार को जमा करवायेगा।

i विशेष मामलों में सक्षम प्राधिकारी एक माह की अवधि को बढाकर दो माह तक कर सकता है।

ii जहां रेल कर्मचारी अग्रिम निकासी की तिथि से एक माह पूर्ण होने से पूर्व पूरी राशि सरकार की जमा कराता है तो अग्रिम पर ब्याज उस वास्तविक अवधि के लिए लिया जायेगा। जिस अवधि में कर्मचारी ने अग्रिम को अपने पास रखा है।

iii अग्रिम की सभी स्वीकृतियों में इस नियम की शर्तें उललेखित की जानी चाहिये।

6 प्रावधानों के उल्लघंन के रूप में जब अग्रिम की राशि एक माह से अधिक कर्मचारी के पास रहती है तो उस पर दण्डात्मक ब्याज वसूल किया जायेगा।

7 करार और जमानत बन्ध पत्र (Agreement and mortage bonds):
रेल कर्मचारी मोटर कार की खरीद हेतु अग्रिम निकासी से पूर्व अलग से निर्धारित फार्म पर वाहन की आरम्भिक खरीद या पहले से खरीदे हुए वाहन, जैसा भी मामला हो, एक करार पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें अग्रिम की जमानत के रूप में वाहन को भारत के राष्ट्रपति के पास गिरवी रखता है।

8 अग्रिम स्वीकृत करने वोला प्राधिकारी रोकड रसीद की जांच करने की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने के लिए निभायेगा कि निर्धारित अवधि में अग्रिम का उपयोग वाहन खरीद हेतु कर लिया गया है और उसकी वास्तविक कीमत अग्रिम की राशि से कम नहीं है।

9 ऐसा रेल कर्मचारी जो छुट्टी पर है या छुट्टी पर जाने वाला है और जिसे मोटर कार/ मोटर साईकिल / स्कूटर की खरीद हेतु अग्रिम स्वीकृत कर दिया गया है उसे छुट्टी के दौरान किसी भी समय अग्रिम निकासी की इजाजत दी जा सकती है ।

नोटः इस उपबन्ध के प्रावधान उन रेल कर्मचारियों पर भी लागू होगें जो अर्जित अवकाश पर है, जिसमें अध्ययन अवकाश भी शामिल है। परन्तु यह उन पर लागू नहीं होगा जो लम्बी अवधि के लिए विशेष अवकाश पर जा रहे है।

(R Bd's Letter No.F(E)Spl.80/adv/2/1 dt. 26.09.80)

10 अग्रिम की वसूली : अग्रिम निकासी के पश्चात पहली वेतन निकासी से वसूली शुरू हो जायेगी। अग्रिम स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी वसूली की किश्तें कम करने की इजाजत दे सकता है, यदि रेल कर्मचारी की ऐसी इच्छा हो। ब्याज की राशि की वसूली एक या अधिक समान किश्तो में की जायेगी जो मूलधन वसूली की किश्त से अधिक न हो। ब्याज की वूसली मूलधन के भुगतान के पश्चात आरम्भ होने वाले माह से शुरू की जायेगी।

11 उस स्थिति के अलावा जब रेल एक कर्मचारी औसत वेतन अवकाश के अलावा अन्य किसी अवकाश पर जा रहा है, जिसकी अवधि 04 माह से अधिक न हो या सेवानिवृत होता हो, या किसी नियुक्ति पर स्थानान्तरित होता हो और वहां की ड्यूटी में मोटरकार/मोटरसाईकिल/स्कूटर रखना आवश्यक नही होता है। तो रेल कर्मचारी द्वारा अग्रिम से खरीदे गये वाहन, जिस पर जमा ब्याज का पूर्णतः भुगतान नहीं किया गया है, के बेचान के लिए रेलवे बोर्ड या माहप्रबंधक, जैसा भी मामला हो, की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। यदि रेल कर्मचारी वाहन अन्य अधिकारी को स्थानान्तरित करता चाहे जो ऐसी ड्यूटी करता है जिसमें मोटर–कार रखना आवश्यक हो, तो स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी वाहन से जुड़ी जिम्मेदारियों को अगले अधिकारी को हस्तान्तरित करने की इजाजत इस शर्त पर दे सकता है कि वह यह घोषणा करें कि उसे यह ज्ञात है कि उसे हस्तान्तरित किया गया वाहन जमानत बन्ध–पत्र के अधीन है और यह कि वह इसके नियम व प्रावधानों से बन्धा हुआ है।

12 उन सभी मामलों में जब स्वीकृत अग्रिम से खरीदे गये वाहन की संचित (Accrued) ब्याज का पूर्ण भुगतान करने से पहले बेचा जाता है, तो जहां तक आवश्यक हो ऐसे बकाया के पुनर्भुगतान में बेचान प्रक्रिया इस शर्त पर लागू की जानी चाहिये कि पुराना वाहन नया वाहन खरीदने लिए बेचा जा रहा है। स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी ऐसी खरीद हेतु रेल कर्मचारी को बेचान प्रक्रिया के आवेदन की स्वीकृति दे सकता है जो निम्न शर्तों के अधीन होगी :–

क बकाया राशि नये वाहन की कीमत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ख बकाया राशि का भुगतान पूर्व की तरह उसी दर पर लगातार किया जायेगा।

ग नियमों के अनुसार नई कार – बीमित और सरकार के पास गिरवी रखी जानी चाहिए।

नोटः रेल कर्मचारी जिसे नया वाहन खरीदने के उद्धेश्य से पुरानी कार/मोटर साईकिल/स्कूटर बेचने की स्वीकृति दी जाती है, उसे नया अग्रिम तब तक स्वीकृत नहीं किया जायेगा जब तक पुराने वाहन के अग्रिम और उस पर बकाया ब्याज का पूर्णतः भुगतान नहीं किया जाता।

13 उस रेल कर्मचारी को वाहन खरीद हेतु अग्रिम स्वीकृत नहीं किया जायेगा जो निलम्बित है और यदि उसे निलम्बित करने से पूर्व अग्रिम स्वीकृत कर दिया गया है तो निलम्बन अवधि के दौरान उसे अग्रिम निकासी की इजाजत नहीं दी जायेगी।

यात्रा पर जाते समय अग्रिम : Para 1109

1 एक कार्यालय प्रधान अपने प्रशासनिक नियंत्रण में किसी रेल कर्मचारी को यात्रा पर जाते समय व्यक्तिगत यात्रा व्यय और यात्रा के दौरान होने वाले आकस्मिक व्यय हेतु अग्रिम स्वीकृत कर सकता है जिसकी अधिकतम अवधि 30 दिन होगी।

एक अस्थाई अराजपत्रित रेल कर्मचारी को यात्रा भत्ता अग्रिम निम्नलिखित शर्तों पर स्वीकृत किया जा सकता हैः–

i यात्रा भत्ता अग्रिम उसी दर से स्वीकृत किया जायेगा जिस दर पर स्थायी कर्मचारी को किया जाता है लेकिन इस हेतु अन्य स्थाई रेल कर्मचारी , जो श्रम भुगतान अधिनियम द्वारा शासित नहीं है, के द्वारा जमानत प्रस्तुत करनी होगी।

ii जमानत पर जोर दिये बिना एक माह के वेतन तक अग्रिम इस शर्त पर स्वीकृत किया जा सकता है की कर्मचारी ने एक वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है तथा अग्रिम प्राप्ति से तीन माह की अवधि तक उसे संभवतः सेवा मुक्त नहीं किया जायेगा।

इस नियम के अंतर्गत एक रेल सेवक को तब तक दूसरा अग्रिम नहीं दिया जा सकता जब तक पहले अग्रिम का लेखा जोखा नहीं दे दिया जाता । रेल सेवक जिसने इस नियम के अंतर्गत अग्रिम लिया है वह तब तक उसी यात्रा के विरूद्व यात्रा भत्ता या अन्य बिलों का भुगतान नहीं ले सकता, जब तक अग्रिम या इसका कोई अंश समायोजित नहीं हो जाता ।

स्थानान्तरण पर अग्रिम (Para 1113)

रेल कर्मचारी जो स्थानान्तरण अदेशों के अधीन है, चाहे वह ड्यूटी पर हो या छुटटी पर हो जब वह स्थानान्तरण के आदेश प्राप्त करता हो, तो उसे महाप्रबंधक/सचिव, रेलवे बोर्ड कार्यालय/योजना प्रधान जो कि रेलवे बोर्ड के अधीन कार्य कर रहे है या उनके क्षा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है, जो एक माह के वेतन और स्थानान्तरण के परिणाम स्वरूप नियमों के अंतर्गत यात्रा भत्ता जिसका वह हकदार है, से अधिक नहीं होना चाहिए। सम्बन्धित रेल कर्मचारी के अंतिम वेतन प्रमाण पत्र पर अग्रिम का उल्लेख किया जाना चाहिए।

वेतन का अग्रिम रेल कर्मचारी के वेतन से 03 मासिक किश्तों में वसूला जायेगा, जो स्थानान्तरण पश्चात आरम्भ होने वाले माह से शुरू होगी। यात्रा भत्ता अग्रिम रेल कर्मचारी द्वारा यात्रा भत्ता बिल प्रस्तुत करने पर एक साथ वसूला जायेगा।

रेल कर्मचारी को स्थानान्तरण तिथि से 06 माह की अवधि में, उसके बाद आने वाले अन्य किसी ऐसे पारिवारिक सदस्य के यात्रा व्यय हेतु दूसरा अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है, जिसके लिए यात्रा भत्ता अग्रिम नहीं लिया गया है ।

i पारस्परिक स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कोई वेतन अग्रिम स्वीकृत नहीं किया जायेगा। क्योंकि ऐसे स्थानान्तरण संबंधित रेल कर्मचारियों की प्रार्थना पर किये जाते है।

ii अस्थाई स्थानान्तरण के मामले में कोई वेतन अग्रिम स्वीकृति नही किया जायेगा।

प्रतिनियुक्ति पर विदेश जाने वाले रेल कर्मचारियों को अग्रिम [Para 1119(A)]

भारत के बाहर एक माह से अधिक की अवधि हेतु प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले रेल कर्मचारियों को एक माह के वेतन के बराबर अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है, जिसकी वसूली अधिकतम तीन मासिक किश्तों में की जायेगी। अस्थाई रेल कर्मचारियों के मामले में अग्रिम की सिफारिश से पूर्व एक स्थाई रेल कर्मचारी से जमानत ली जायेगी।

विदेश स्थानान्तरित होने वाले रेल कर्मचारी को वेतन अग्रिम : [Para 1119(B)]

वे रेल कर्मचारी जिनका स्थानान्तरण भारत से विदेश में या किसी देश में एक पद से दूसरे देश में कर दिया जाता है, उन्हें स्थानान्तरण के समय अधिकतम दो माह की वेतन राशि के बराबर अग्रिम निकासी की स्वीकृति दी जा सकती है। यह विदेश से भारत स्थानान्तरण के मामले पर लागू नहीं होगा। अग्रिम की राशि का निर्धारण स्थानान्तरण से ठीक पहले अधिकारी के वेतन या स्थानान्तरण पश्चात वह जिस वेतन का हकदार होगा, इनमें से जो भी कम हो, के आधार पर किया जायेगा। दो माह के वेतन अग्रिम के मामले में वसूली 06 समान मासिक किश्तों में तथा एक माह वेतन अग्रिम के मामले में 03 समान मासिक किश्तों से अधिक में नहीं होगी।

विशेष परिस्थितियों में अग्रिम : (Para 1123)

महाप्रबंधक बहुत विशेष परिस्थितियों में अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को एक माह का वेतन अग्रिम स्वीकृत कर सकता है। उदाहरणार्थ, यदि रेल कर्मचारी का कैम्प जल गया है या बाढ इत्यादि के कारण उसकी सम्पत्ति को भारी नुकसान पंहुचा है। ऐसे अग्रिम की वसूली निकासी के पश्चात आरम्भ होने वाले माह से तीन समान मासिक किश्तों में की जायेगी।

प्राकृतिक आपदा जैसी– विशेष परिस्थिति के मामलों में अग्रिम [Para 1123(A)]

सरकार द्वारा किसी विशेष प्राकृतिक आपदा संबंधी घोषणा किए जाने पश्चात सम्बन्धित महाप्रबंधकों द्वारा वेतन अग्रिम इस शर्त पर स्वीकृत किया जा सकता है कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर किया जाये जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगाः

i अग्रिम केवल उन अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को देय होगा जिनकी चल या अचल सम्पत्ति प्राकृतिक आपदा द्वारा अत्यधिक रूप से प्रभावित या नष्ट हुई है ।

ii अग्रिम ब्याज रहित होगा और उसका पुनर्भुगतान अधिकतम 24 समान मासिक किश्तों में किया जायेगा जो अग्रिम निकासी के पश्चात आरम्भ होने वाले माह से शुरू होगा।

iii अग्रिम की अधिकतम राशि तीन माह का वेतन या 5000/– जो भी कम हो होगी (RBE 175/2008)

iv अस्थाई रेल कर्मचारी के मामले में अग्रिम स्वीकृति से पूर्व एक स्थाई रेल कर्मचारी जो श्रम भुगतान अधिनियम से शासित नहीं है, कि जमानत आवश्यक होगी।

v सामान्यतः उस मामले मे दूसरा अग्रिम स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए,यदि उसी उद्धेश्य के लिए पिछला अग्रिम बकाया रहता है । फिर भी, यदि दूसरे अग्रिम की स्वीकृत आवश्यक हो, तो दूसरे अग्रिम की राशि और पहले अग्रिम का बकाया ऊपर दिये गये उपबन्ध (iii) में निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए ।

vi इन आदेशों के अंतर्गत उस रेल कर्मचारी को अग्रिम की स्वीकृति प्रदान नहीं की जानी चाहिए जो सरकारी आदेश जारी होने से तीन माह की अवधि तक सहायता हेतु आवेदन नहीं करता है।

vii यह अग्रिम पिछले पैरा के अंतर्ग देय एक माह के वेतन अग्रिम के अतिरिक्त नहीं होगा। यदि रेल कर्मचारी को उसी प्राकृतिक आपदा हेतु एक माह का वेतन अग्रिम पूर्व में स्वीकृत किया जा चुका है तो यह इस पैरा के अंतर्गत स्वीकृत किये जाने वाले अग्रिम की राशि में समयोजित कर लिया जायेगा। ये अग्रिम ''S-Loans and advances by central Govt. Loans to Govt, Servants other Advances'' के नाम होगें।

viii रेल कर्मचारी जो प्राकृतिक आपदा अग्रिम हेतु आवेदन करता है उसे अपने आवेदन के साथ एक घोषणा पत्र देना आवश्यक होगा, जिसमें प्राकृतिक आपदा द्वारा नष्ट हुई चल व अचल सम्पत्ति का ब्यौरा दिया जायेगा । यदि उसके द्वारा दिया गया घोषणा पत्र किसी भी स्तर पर झूठा पाया जाता है तो वह D&AR-1968 के नियम –6 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु जिम्मेदार होगा।

वह प्रक्रिया जिसका वाहन खरीद हेतु अग्रिम के मामले में पालन किया जाता है उसका पालन इस मामले में और फंड से निकासी, वसूली की निगरानी इत्यादि के संबंध में भी यथावश्यक परिवर्तनों सहित किया जायेगा। ऐसे अग्रिम स्वीकृत करते समय महाप्रबंधक आडिट को इस आशय का प्रमाण पत्र सौपेंगा कि भुगतान हेतु आवश्यक कोष की व्यवस्था कर ली गई है/जायेगी।

केंसर के उपचार हेतु अग्रिम : (Para 1124)

रेल कर्मचारी जो 900/ प्रतिमाह तक (पुराना वेतन) वेतन ले रहे है , उन्हे निम्नलिखित शर्तों के अधीन केंसर उपचार हेतु अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है :–

i अग्रिम केवल उन्हीं मामलों में देय होंगे जहां रेल कर्मचारी या उसके परिवार का कोई सदस्य केंसर के किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल में अन्तरंग रोगी (Indoor) के रूप में उपचाराधीन है।

ii अग्रिम के आवेदन के साथ प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का इस आशय का एक प्रमाण पत्र होना चाहिए कि रोगी का उपचार अस्पताल में एक अन्तरंग रोगी के रूप में किया जा रहा है । इस प्रकार के प्रमाण पत्र में अस्पताल में रोगी के रूकने की अनुमानित अवधि और उपचार की अनुमानित लागत का उल्लेख होना चाहिए, जो इन नियमों के अंतर्गत पुनर्भुगतान योग्य योग्य होगी और प्रमाण–पत्र प्राधिकृत मेडिकल अटेण्डेन्ट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए ।

iii अग्रिम की स्वीकृति किन्ही भी परिस्थितियों में नहीं दी जाएगी यदि उपचार रेल कर्मचारी के आवास पर लिया जा रहा है या प्राधिकृत मेडिकल अटेण्डेन्ट के परामर्श कक्षा में लिया जा रहा है या रोगी अस्पताल में बहिरंग रोगी के रूप में उपचार ले रहा है ।

iv प्रत्येक मामले में अग्रिम की राशि की सीमा संबंधित रेल कर्मचारी का चार माह का वेतन या 500/रूपये या अन्य कोई राशि जिसकी सिफारिश प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा की गई, जो भी कम हो ।

v समान बीमारी के सम्बन्ध में एक से अधिक अग्रिम स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए ।

vi अग्रिम की राशि चिकित्सा परिचर्या और उपचार नियमों के अंतर्गत देय व्यय हेतु बाद में किये जाने वाले पुनर्भुगतान दावे की राशि के विरूद्ध समायोजित की जानी चाहिये और यदि कोई बकाया है तो उसे संबंधित रेल कर्मचारी के वेतन से, रोगी को अस्पताल से छुट्टी मिलने के पश्चात दो समान मासिक किश्तो में वसूली जायेगी।

vii अस्थाई रेल कर्मचारियें के मामले में इन आदेशों के अंतर्गत अग्रिम स्वीकृति एक स्थाई रेल कर्मचारी जो मजदूरी भुगतान अविनियम द्वारा शासित नहीं है, द्वारा जमानत पत्र प्रस्तुत करने के अधीन होगी।

viii इस उद्धेश्य के लिए निबंधन ''वेतन'' नियम 2003 (21) – आर ाा में परिभाषित अनुसार होगी।

कानूनी मुकदमों हेतु अग्रिम (Para-1128)

i उन मुकदमें के संचालन के लिए भी अग्रिम दिया जायेगा जिसमें सरकार एक पक्ष हो। लेकिन यह अग्रिम तब नहीं दिया जाएगा जबकि रेल प्रशासन के अनुरोध पर मुकदमा दायर किया गया है। अग्रिम की राशि उतनी होनी चाहिए जितनी मुकदमा चलाने हेतु अतिआवश्यक है। और इसकी निकासी तथा लेखा तत्कालिक (Contigent charges) के रूप में किया जाना चाहिए।

ii रेल कर्मचारी के कार्यालय दायित्वों और स्थिति से संबंधित मामलों के सम्बन्ध में उसके विरूद्ध निजी पार्टी द्वारा चलाई गई कानूनी प्रक्रिया में कर्मचारी के बचाव हेतु होने वाले व्यय हेतु सरकार अपने विवकानुसार ब्याज रहित अग्रिम जो अधिकतम 500/– या रेल कर्मचारी का तीन माह का मूल वेतन जो भी अधिक हो, कर्मचारी से एक बन्ध पत्र (Bond) प्राप्त करने के पश्चात स्वीकृत कर सकती है । अग्रिम की राशि किसी प्रकार की पुनर्भुगतान राशि के विरूद्ध समायोजित होने के अधीन होगी।

iii ऐसे मामले में जहाँ एक रेल कर्मचारी को प्रेस में उसके विरूद्ध लगाये गये विशेष आरोपों पर न्यायालय में अपने आचरण के बचाव की आवश्यकता हो तो उसे प्रशासन द्वारा निर्धारित बंध पत्र भरे जाने पर ब्याज रहित अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है।
ऐसे में अग्रिम अधिकतम 500/– या कर्मचारी का तीन माह का वेतन, जो भी कम हो, देय होगा।

iv समान प्रक्रिया के लिए दूसरा अग्रिम देय नहीं होगा।

v अग्रिम की वसूली अधिकतम 24 मासिक किश्तों में की जायेगी। वसूली अग्रिम दिये जाने के पश्चात आरम्भ होने वाले माह में जारी वेतन/निर्वाह भत्ता/अवकाश वेतन से की जायेगी।

मैदानी भागों से पहाडी क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये रेल कर्मचारियों को गर्म कपडों की खरीद हेतु अग्रिम :– (Para-1129)

समूह ''ग'' और ''घ'' के रेल कर्मचारी जो पहाडी क्षेत्रों में नियुक्त है , चाहे प्रथम नियुक्ति हो या स्थाई रूप से/लम्बी अवधि के लिए (अर्थात कम से कम 12 माह की अवधि) मैदानी क्षेत्रों से पहाडी क्षेत्र में स्थानान्तरित हुए है, उन्हें गर्म कपडों की खरीद हेतु अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता हे जिसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं होगा कि कर्मचारी पहाडी क्षेत्र का है या नहीं । यह निम्न शर्तों के अधीन होगाः–

i गर्म कपडों की खरीद हेतु अग्रिम तीन वर्ष में केवल एक बार देय होगा। दूसरा इसके बाद के अग्रिम इस शर्त के अधीन स्वीकृत किये जा सकते है कि अंतिम अग्रिम और नये अग्रिम के बीच का अन्तराल तीन (03) वर्ष से कम न हो । अग्रिम ब्याज रहित होगा और प्रत्येक मामले में अधिकतम 3000/– रू. होगा।

ii स्वीकृत अग्रिम के 1/12 हिस्से के बराबर अग्रिम की वसूली सम्बन्धित रेल कर्मचारी के वेतन बिल से किश्तों में की जायेगी।

भवन निर्माण या निर्मित भवन की खरीद या स्पष्टतः इसी उद्धेश्य हेतु लिए ऋण के पुनर्भुगतान हेतु अग्रिम :

(1) भवन निर्माण अग्रिम रेल कर्मचारियों की निम्नलिखित श्रेणियों को स्वीकृत किये जा सकते :–

i स्थाई रेल कर्मचारी ।

ii अस्थाई रेल कर्मचारी जिन्होनें 10 वर्ष की लगातार सेवा कर ली हो। उन्हें इस शर्त पर अग्रिम स्वीकृत किया जायेगा कि स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि भवन पूर्णरूप से तैयार होकर सरकार को गिरवी रखने तक कर्मचारी रेल सेवा में रहेगा।

iii अखिल भारतीय सेवा अर्थात IAS, IPS, IES इत्यादि से सम्बन्धित अधिकारी जो लगातार 06 वर्षों से रेलवे में प्रतिनियुक्ति पर है ।

iv यदि पति – पत्नी दोनों रेल सेवक है तो अग्रिम दोनों में से एक को देय होगा। जहाँ भूखण्ड दोनों की साझा सम्पति है, अग्रिम केवल तभी स्वीकृत किया जायेगा जब दोनों भवन को सरकार के पास गिरवी रखने को सहमत है ।

v यदि पति– पत्नी दोनों केन्द्रीय/राज्य सरकार/अर्द्धसरकारी या नीजि क्षेत्र में नियुक्त है तो अधिकतम सीमा के निर्धारण हेतु दोनों के वेतन को जोडकर देखा जायेगा।

vi निलम्बित रेल कर्मचारियों को अग्रिम दो स्थाई रेल कर्मचारियें से गिरवी बन्ध पत्र के रूप में जमानत की जमानत (Callateral security) प्रस्तुत करने पर स्वीकृत किया जा सकता है ।

(2) पूरी की जाने वाली शर्तें :– [(Para-1132(2)]

i ना तो आवेदक ना ही आवेदक की पत्नी/पति/अव्यस्क बच्चा किसी भवन का मालिक होगा। हालांकि विशेष परिस्थितियों में मिनिस्ट्री ऑफ वर्क्स हाउसिंग एवं सप्लाई द्वारा इस शर्त में छुट दी जा सकती है।

ii निर्मित भवन या फ्लेट हेतु अग्रिम एक मुश्त खरीद पर देय होगा।

iii आवेदक ने भवन निर्माण हेतु किसी अन्य सरकारी विभाग से ऋण या अग्रिम नहीं लिया है ।

iv रेल कर्मचारी यह सुनिश्चित करेगा कि भवन की कीमत अधिकतम सीमा (Cost celling limit) का उल्लंधन नहीं करेगी।

(3) वे उद्धेश्य जिनके लिए अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है :– [Para-1132(3)]

अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है –

i भूखण्ड का अधिग्रहण कर उस पर भवन निर्माण करना ।

ii उस भूखण्ड पर भवन निर्माण करना जो पहले से रेल कर्मचारी या उसके पति/पत्नी के संयुक्त स्वामित्व में है ।

iii सहकारी योजना के अंतर्गत भूखण्ड प्राप्त करना और उस पर भवन निर्माण, जहाँ भवन निर्मित होने के पश्चात मालिकाना हक रेल कर्मचारी का होगा।

iv रेल कर्मचारी या संयुक्त रूप से पति/ पत्नि के स्वामित्व में पहले से निर्मित भवन की रहवासीय सुविधओं के विस्तार हेतु ।

v नवनिर्मित भवन या फ्लेट की सरकार, अर्द्धसरकारी या निजी निकायों, हाउसिंग बोर्ड विकास प्राधिकरण और निजी पार्टियों इत्यादि से एक मुश्त खरीद हेतु ।

vi स्ववित्त पोषित आवासीय योजनाओं और सहकारी समूह आवासीय समितियों के अधीन फ्लेट की खरीद हेतु। स्ववित पोषित योजना के सम्बन्ध में अधिकतम लागत सीमा में भूखण्ड व विकास व्यय शामिल होंगे।

vii साझा प्राधिकारों/बोर्डों और पंजीकृत निजी भवन निर्माताओं से भवन निर्माण अग्रिम नियमों के अधीन अनुमोदित एक मुश्त खरीद हेतु (RBE No. 181/05)

viii भवन निर्माण हेतु सरकारी/निजी स्त्रोत से लिए गए ऋण के पुनर्भुगतान हेतु,चाहे भवन निर्माण का कार्य आरम्भ हो चुका हो।

ix योग्य रेल सेवक को आवासीय कोलोनी में स्थित दुकान सह–आवास भूखण्ड पर केवल आवासीय भाग निर्माण हेतु अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है, जो अन्य बातों के साथ–साथ निम्न शर्तों के अधीन होगाः–

क भवन की समग्र लागत की अधिकतम सीमा निर्धारण करने के लिए भूखण्ड की कीमत, ऊपरी ढांचे की लागत और दुकान तथा प्रस्तावित आवासीय भाग की लागत को ध्यान में रखा जायेगा। इसलिये आवेदक को दुकान और प्रस्तावित भवन की योजना तथा दुकान और प्रस्तावित भवन की अनुमानित लागत अलग–अलग सरकारी जाँच हेतु प्रस्तुत करनी चाहिए ।

ख रेल सेवक सम्पूर्ण सम्पति अर्थात भूखण्ड और दुकान तथा प्रस्तावित आवासीय खण्ड भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में गिरवी रखेगा।

ग रेल सेवक दुकान सहित सम्पूर्ण भवन को आग, आकाशीय बिजली तथा बाढ़ के विरूद्व नियमानुसार बीमित करवाएगा। (RBE 180/05)

x निजी पाटिर्यों से भवन/फ्लेट की खरीद हेतु अग्रिम बशर्तें –

क फ्लेट/भवन नया है जिसमें कोई न रहा हो।

ख फ्लेट/भवन पंजीकृत मुल्यांकन कर्त्ताओं द्वारा किया जायेगा और इस व्यवस्था तथा शुल्क आवेदक द्वारा अदा किया जायेगा।

ग निजी पार्टी में पंजीकृत भवन निर्माता, वास्तुकार, भवन निर्माता समितियां शामिल है, परन्तु निजी पक्षकर शामिल नहीं है । (RBE 181/05)

(4) भवन निर्माण अग्रिम की राशि :– [(Para-1132 (4)]

क भवन निर्माण अग्रिम की स्वीकृति हेतु अधिकतम सीमा पचास महीने के मूल वेतन की पूर्व सीमा में संशोधन कर अब 34 महीने का मूल वेतन पे बेन्ड में (Pay in Pay Band) जो अधिकतम 7.5 लाख या भवन की वास्तविक कीमत या कर्मचारी की पुनर्भुगतान क्षमता, जो भी कम हो, नये भवन/फ्लेट के निर्माण/खरीद हेतु रहेगी।

ख वर्तमान भवन के विस्तार हेतु भवन निर्माण अग्रिम स्वीकृति की अधिकतम सीमा पचास माह के मूल वेतन की पूर्व सीमा से संशोधित का 34 माह का मूल वेतन पे बेण्ड में (Pay in Pay Band) कर दी गई है जिसकी अधिकतम सीमा 01.8 लाख या विस्तार की लगत या पुनर्भुगतान क्षमता, जो भी कम हो, होगी।
(RBE 07/09)

ग ग्रामीण क्षेत्र में भवन निर्माण के मामले में अग्रिम की राशि किसी भी मामले में भूखण्ड व भवन निर्माण की वास्तविक कीमत या आवासीय सुविधाओं के विस्तार की वास्तविक लागत के 80% से अधिक नहीं होगी। जहाँ भवन कस्बे या शहर परिधि में आता है वहाँ अग्रिम की राशि 80% तक सीमित नहीं होगी।

(5) ब्याज दर : [(Para-1132(4)]

भवन निर्माण अग्रिम पर ब्याज की वर्तमान दर निम्नानुसार है :–

क्रस	अग्रिम की राशि	ब्याज दर
1	रू. 50,000/– तक	5%
2	रू. 1,50,000/– तक	6.5%
3	रू. 5,00,000/– तक	8.5%
4	रू. 7,50,000/– तक	9.5%

नोट : (1) अग्रिम स्वीकृति जारी करते समय ब्याज दर को निर्धारित दर से 2½ % अधिक आवश्यक रूप से इस आशय से अनुबन्ध किया जायेगा कि यदि स्वीकृति से जुडी शर्तें, जिसमें राशि की वसूली की शर्तें भी शामिल है, पूरी की जाती है जिसमे सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट हो, तो 2½ % की छुट दी जायेगी । भुगतान समय पर किया गया है, यह निर्णय करने वाला सक्षम प्राधिकारी, अग्रिम स्वीकृत करने वाला अधिकारी होगा, जो यह निर्णय करेगा कि स्वीकृति से जुडी शर्तें, जिसमें राशि की वसूली से सम्बन्धित शर्तें भी शामिल है, पूरी की गई है । (Para- 1132(10)(ii) of IREM-I]

(2) सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु के मामले में इस तिथि से बकाया भवन निर्माण अग्रिम पर ब्याज नहीं जायेगा।

(6) पुनर्भुगतान क्षमता : [(Para-1132(6)]

Length of remaining Service		Slab for repaying capacity
a	Official retiring after – 20 years	40% of (basic pay+stagnation increment+NPA)
b	Official retiring after – 10 years but not Letter than 20 years.	Up to 40% of (basic+stagnation increment +NPA), 65% of DCRG may be adjusted.
c	Official retiring within 10 years	Up to 50% of (basic pay + stagnation increment+NPA) DCRG upto 75% can be adjusted. (RBE No-181/2005)

(7) अधिकतम लागत सीमाः [(Para- 1132(7)]

अधिकतम लागत सीमा 200 माह के मूल वेतन की पूर्व सीमा से संशोधित कर अब 134 माह का मूल वेतन मंहगाई भत्ते के साथ जोडकर दी गई है, जो न्युनतम 7.5 लाख और अधिकतम 18 लाख होगी। [(RBE No-181/2005)]

भवन निर्माण अग्रिम का संवितरणः [(Para-1132(8)]

विभिन्न उद्देश्यों के लिए स्वीकृत भवन निर्माण अग्रिम का वितरण निम्नानुसार होगाः–

क्र स	भवन निर्माण अग्रिम का संवितरण	पहली किश्त का वितरण	दूसरी किश्त का वितरण	तीसरी किश्त का वितरण	चौथी किश्त का वितरण
1	आंशिक रूप से भूखण्ड खरीद हेतु तथा आंशिक रूप से एक एक मंजिला भवन के निर्माण या वर्तमान आवासिय सुविधा के विस्तार हेतु।	एक विकसित भूखण्ड खरीदने हेतु स्वीकृत अग्रिम का 20% जिस पर निर्माण तत्काल आरम्भ हो सकता हो।	कर्मचारी द्वारा सरकार के पक्ष में भूखण्ड गिरवी रखने पर बकाया अग्रिम का 30%	जब भवन निर्माण प्लीन्थ लेवल तक पहुॅच जाये तब शेष का 40%	जब निर्माण छत के स्तर पर पहुॅच जाये तब स्वीकृत राशि का बकाया
2	कर्मचारी जिसके स्वामित्व में पहले से भूखण्ड हो, उस पर नये भवन के निर्माण या वर्तमान अवासीय सुविधाओं के विस्तार के हेतु ।	सरकार के पक्ष में भूखण्ड गिरवी रखने पर स्वीकृत अग्रिम का 50%	शेष 50% भवन के प्लीन्थ लेवल तक पहुँचने पर	–	–
3	आंशिक रूप से भूखण्ड की खरीद हेतु तथा आंशिक रूप से दो मंजिला भवन के निर्माण या वर्तमान आवासीय सुविधा के विस्तार हेतु ।	एक विकसित भूखण्ड खरीदने हेतु स्वीकृत अग्रिम का 15% जिस पर निर्माण तत्काल प्रारम्भ हो सकता हो।	सरकार के पक्ष में भूखण्ड गिरवी रखने पर शेष अग्रिम का 25%	भवन निर्माण प्लीन्थ लेवल पर पहुॅचने पर शेष राशि का 30%	आधार तल की छत डलने पर शेष राशि का 25% <u>पांचवी किश्त</u> प्रथम तल की छत डलने पर स्वीकृत अग्रिम की शेष राशि।
4	दो मंजिला भवन के निर्माण या वर्तमान भवन के विस्तार हेतु।	सरकार के पक्ष में भूखण्ड गिरवी रखने पर स्वीकृत अग्रिम का 25%	भवन के प्लीन्थ लेवल तक पहुॅचने पर स्वीकृत अग्रिम का अधिकतम 30%	आधार तल की छत डलने पर स्वीकृत अग्रिम का अधिकतम 25%	आधार तल की छत डलने पर शेष राशि का 25% <u>पांचवी किश्त</u> प्रथम तल की छत डलने पर स्वीकृत अग्रिम की शेष राशि।
5	निर्मित भवन खरीदने हेतु ।	आवेदक को देय एवं आवश्यक एक मुश्त के रूप मे सम्पूर्ण राशि			
6	नया फ्लेट की	कार्यालय प्रमुख के विवेकानुसार सम्पूर्ण राशि का वितरण एक मुश्त या			

	खरीद / निर्माण हेतु।	उचित किश्तों में किया जा सकता है।

अग्रिम के उपयोग हेतु समय सीमाः– [(Para- 1132(9)]

i भूखण्ड खरीद के मामले मेंः– भूखण्ड खरीदा जाना चाहिये और राशि प्राप्त करने के दो माह के भीतर गिरवी बंध पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

ii भवन खरीद के मामले मे :– राशि प्राप्त करने के तीन माह के भीतर भवन का अधिग्रहण और गिरवी रखने की प्रक्रिया पूर्ण जो जानी चाहिये ।

iii नये फ्लेट की खरीद / निर्माण के मामले में अग्रिम की राशि का उपयेाग एक माह की भीतर किया जाना चाहिये ।

निर्माण रख– रखाव इत्यादि [(Para- 1132(16)]

(अ) भवन निर्माण या वर्तमान भवन में आवासीय सुविधाओं का विस्तार जैसा भी मामला हो, निम्नानुसार होगाः–

i निर्माण पूर्णतः अनुमानित योजना नक्शे के अनुसार होगा जिसके आधार पर अग्रिम की राशि की गणना और स्वीकृति दी गई है । योजना में परिवर्तन करने वाले प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा । रेल सेवक प्लीन्थ / छत के स्तर पर देय अग्रिम की किश्त हेतु आवेदन करते समय यह प्रमाणित करेगा कि निर्माण योजना के अनुसार तथा भारत सरकार को उसके द्वारा प्रस्तुत किये गसे अनुमानित लागत (Estimate) के अनुसार किया जा रहा है और निर्माण वास्तव में प्लीन्थ / छत के स्तर पर पहुॅच गया है और यह कि पहले से लिया गया अग्रिम भवन निर्माण पर खर्च कर दिया गया है । विभागाध्यक्ष यदि आवश्यक हो तो प्रमाण पत्रों की सत्यता की जांच निरीक्षण करवा सकता है ।

ii सम्बन्धित रेल सेवक को अग्रिम की प्रथम किश्त का भुगतान होने की तिथि से 18 माह की अवधि के भीतर निर्माण पूर्ण हो जाना चाहिये । इसमें असफल रहने पर रेल सेवक को अग्रिम की पूर्ण राशि ब्याज सहित लौटानी होगी। ऐसे मामलों में जहाँ पर कार्य में ऐसी परिस्थितियों के कारण लम्बित हुआ है,जो कर्मचारी के नियंत्रण में नहीं है , तो कार्यालय प्रधान द्वारा समय सीमा को एक वर्ष तक के लिए बढाया जा सकता है और इससे लम्बी अवधि के लिए ग्रामीण शहरी विकास मंत्रालय द्वारा बढाया जा सकता है । कार्य समाप्ति की तिथि की सूचना सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को अविलम्ब दी जायेगी।

(ब) भवन के निर्माण या खरीद, जैसा भी मामला हो, सम्बन्धित रेल सेवक भवन को अपने खर्चें पर तत्काल बीमित करवाएगा, जिसकी राशि अग्रिम की राशि से कम नहीं होगी और भवन को आग, बाढ तथा आकाशीय बिजली के विरूद्ध इसी प्रकार तब तक बीमित रखेगा, जब तक सरकार को अग्रिम का पूर्णतः पुनर्भुगतान नहीं हो जाता। स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा कि भवन का बीमा करवा लिया गया है । सरकारी कर्मचारी को अपे भवन/फ्लेट जो कि भवन निर्माण अग्रिम की सहायता से निर्माण/ खरीदा गया उसे राष्ट्रीयकृत जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनियों या निजी इन्श्योरेन्स कम्पनियों जिन्हें बीमा नियामक विकास प्राधिकरण (IRDA) द्वारा पंजीकरण प्रमाण– पत्र दिया गया ह, उसे बीमित कराने की इजाजत दी जा सकती है। (RBE 111/07)

(स) सम्बन्धित रेल सेवक द्वारा अपने खर्चें पर भवन का उचित रख–रखाव किया जायेगा। वह से सभी प्रकार के भार से मुक्त रखेगा और सरकार को ब्याज सहित अग्रिम की राशि का पूर्ण भुगतान होने तक नगरपालिका और अन्य प्रकार के कर लगातार नियमित रूप से देता रहेगा रेल सेवक विभागाध्यक्ष को वार्षिक रूप से इस आशय का एक प्रमाण पत्र देगा।

अग्रिम का पुनर्भुगतानः– (Para -1132/17)

i रेल सेवक को स्वीकृत अग्रिम ब्याज सहित मासिक किश्तों में अधिकतम 20 वर्ष की अवधि मे चुकाया जायेगा। अग्रिम की वसूली अधिकतम 180 मासिक किश्तों में और इसके पश्चात ब्याज की वसूली अधिकतम 60 मासिक किश्तों में की जाएगी।

ii नये भवन के निर्माण हेतु भूखण्ड की खरीद के लिएए या वर्तमान भवन की आवासीय सुविधाओं के विस्तार हेतु आंशिक रूप से स्वीकृत अग्रिम की वसूली भवन पूर्ण होने के पश्चात या भूखण्ड की खरीद हेतु रेल सेवक को दिये गये अग्रिम की तिथि से 24 माह से आरम्भ होगी, जो भी पहले हो।

iii निर्मित भवन की खरीद हेतु लिए गये अग्रिम के मामले में वसूली अग्रिम लिए जाने के माह के पश्चात आरम्भ होने वाले माह से प्रारम्भ होगी।

iv नये भवन के निर्माण हेतु या वर्तमान भवन की आवासीय सुविधाओं के विस्तार हेतु स्वीकृत अग्रिम वसूली निर्माण पूर्ण होने के पश्चात आरम्भ होने वाले माह के वेतन से या रेल सेवक को दिए गए अग्रिम की प्रथम किश्त की तिथि से 18वें माह से आरम्भ होगी, जो भी पहले हो।

v अग्रिम की वूसली सम्बन्धित रेल कर्मचारी के मासिक वेतन/ अवकाश वेतन/निर्वाह, भत्तों से विभागाध्यक्ष या सम्बन्धित लेखा अधिकारी द्वारा की जायेगी। वसूलियां रेलवे बोर्ड की पूर्व सहमति के बिना रोकी या स्थगित नहीं की जायेगी। रेल कर्मचारी के लम्बे निलम्बन पर घटाए गये निर्वाह भत्ते के मामले में यदि आवश्यक समझा जाता है तो रेलवे बोर्ड की सहमति प्राप्त करने के पश्चात विभागाध्यक्ष द्वारा वसूलियों को उचित रूप से घटया जा सकता है ।

vi रेल सेवक जिसकी भवन निर्माण अग्रिम के पुनर्भुगतान से पूर्व मृत्यु हो जाती है और जिसके मामले में बकाया अग्रिम राशि के एक भाग का समयोजन उसके उत्तराधिकारी को देय मृत्यु–सह–सेवानिवृति ग्रेच्युटी के विरूद्ध किया जायेगा, ऐसे रेल कर्मचारी की मृत्यु की तिथि के पश्चात मृत्यु–सह–सेवानिवृति के विरूद्ध इस प्रकार समायोजित अग्रिम की राशि पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा।

भविष्य निधि खाते से अग्रिम (Chapter 9 of IREC- I)

क्रस	प्रायोजन	मात्रा	मुख्य शर्तें व वसूली	
1	चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश लेकर भारत से बाहर जाने व लौटने के यात्रा व्यय [Para 923(g)(i)]	कर्मचारी के वास्तविक यात्रा व्यय या भविष्य निधि खाते में मय ब्याज जमा वास्तविक राशि, जो भी कम हो ।	i	कम से कम 12 व अधिकतम 24 किश्तो में।
			ii	कर्मचारी के आवेदन पर कम किश्तों में भी वसूली की जा सकती है। (Para 926 IREC-I)
2	किसी गम्भीर बिमारी के चिकितस व्ययों को पूरा करने हेतु। [Para 923(g)(ii)]	तीन माह के वेतन के बराबर या भविष्य निधि खाते में जमा का 50% जो भी कम हो ।	i	कम से कम 12 व अधिकतम 24 किश्तों में
			ii	कर्मचारी के आवेदन पर कम किश्तों में भी वसूली की जा सकती है।
			iii	बिमारी के प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं। नियंत्रण प्राधिकारी चाहे तो ऐसे आवेदन को चिकित्सा अधिकारी के पास भेज सकते है। [Para 923(g)(Note-3)]
3	विदेश में हाई स्कूल के ऊपर की उच्च शिक्षा व्ययों हेतु [Para 923(g)(iii) (a)]	तीन माह के वेतन के बराबर या भविष्य निधि खाते में जमा का 50% जो भी कम हो ।	i	कम से कम 12 व अधिकतम 24 किश्तों में
			ii	कर्मचारी के आवेदन पर कम किश्तों में भी वसूली की जा सकती है।
4	भारत में हाई स्कूल के ऊपर मेडिकल, इंजीनियरिंग, तकनीकी व विशेष पाठयक्रमों के शिक्षा व्ययों हेतु। [Para 923(g)(iii) (b)]	तीन माह के वेतन के बराबर या भविष्य निधि खते में जमा का 50: जो भी कम हो ।	i	कम से कम 12 व अधिकतम 24 किश्तों में
			ii	कर्मचारी के आवेदन पर कम किश्तों में भी वसूली की जा सकती है ।
5	विवाह/सगाई हेतु [Para 923(g)(iv)]	पुरूष के मामले में तीन माह का वेतन तथा विशेष मामले में अधिकतम छः माह का वेतन व स्त्री के मामले में छः माह का वेतन तथा विशेष मामले में अधिकतम दस माह का वेतन या भविष्य निधि खाते में जमा का अधिकतम 90%	i	कम से कम 12 व अधिकतम 24 किश्तों में।
			ii	कर्मचारी के आवेदन पर कम किश्तों में भी वूसली की जा सकती है।
			iii	अगर अग्रिम 3 माह से अधिक वेतन का दिया गया है तो अधिकतम 60 किश्तों में वसूली की जा सकती है।(Para 926 IREC-I)
			iv	विवाह व सगाई को अलग–अलग मानते हुए अग्रिम देय। (RBE No. 41/01)
			v	सगाई/विवाह की तारीख से एक माह में भीतर कर्मचारी प्रमाण पत्र देगा कि निकाली गई रकम उसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई गई है , अनयथा दी गई निकासी की एक मुश्त कटौती होगी।

				[Para 925 (3)(c)]
6	वाहन खरीद हेतु (कार/ मोटर साईकिल, स्कूटर आदि) [Para 923 (g) (vi) (a) (Rly Bd. Letter dt. 06-11-85 at P. No. 438 of RBO-85)]	कार की कीमत या 1,10,000 तथा अन्य दो पहिया वाहन के मामले में उसकी कीमत या 20,000 रू या भविष्य निधि खाते में जमा का 50% जो भी कम हो ।	i	सिर्फ विशेष मामलों में ऐसे कर्मचारी को देय जिसकी 15 वर्ष कीसेवा पूर्ण हाने मे अधिकतम 06 माह बाकी ।
			ii	कार के लिए पे बेण्ड में वेतन 19530/– तथा अन्य दो पहिया वाहन हेतु पे बेण्ड में वेतन 8560/– पाने वाले को देय । (RBE No 183/09)
			iii	सेवाकाल में एक बार देय ।
			iv	अधिकतम 36 किश्तों में कटौती । (Para 926 IRE C-I)
			v	कर्मचारी को विकल्प होगा कि 15 वर्ष की सेवा पश्चात अपने अस्थाई अग्रिम को अंतिम निकासी में परिवर्तित करवा ले।
7	वाहन बुकिंग हेतु । ;कार/ मोटर साईकिल आदि, [Para 923 (g)(vi)(b) (P No. 438 of RBO-85)]	कार हेतु 10,000/ व अन्य दो पहिया वाहनों हेतु 5000/ या वाहन बुकिंग की वास्तविक राशि या भविष्य निधि खाते में जमा का 50%: जो भी कम हो ।	i	सिर्फ विशेष मामलों में ऐसे कर्मचारी को देय जिसकी 15 वर्ष कीसेवा पूर्ण हाने मे अधिकतम 06 माह बाकी।
			ii	कार के लिए पे बेण्ड में वेतन 19530/– तथा अन्य दो पहिया वाहन हेतु पे बेण्ड में वेतन 8560/– पाने वाले को देय । (RBE No 183/09)
			iii	सेवाकाल में एक बार देय।
			iv	कम से कम 12 व अधिकतम 24 किश्तों में कटौती ।
			v	कर्मचारी को विकल्प होगा कि 15 वर्ष की सेवा पश्चात अपने अस्थाई अग्रिम को अंतिम निकासी में परिवर्तित करवा है।
8	उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुए खरीद हेतु। फ्रिज /टीवी /वीसीआर /कूलर आदि [Para 923 (g)(vii) (RBENo.15/96)]	वस्तु की कीमत, 3 माह के वेतन या भविष्य निधि खाते में जमा का 50% जो भी कम हो ।	i	कम से कम 12 व अधिकतम 24 किश्तों में कटौती।
			ii	कर्मचारी के आवेदन पर कम किश्तों में भी वसूली की जा सकती है।
9	सरकारी कार्य के क्रम में रेल कर्मी या उसके परिवार के सदस्य के विरूद्ध दायर न्यायिक मामलें के व्यय पूर्ती हेतु। [Para 923 (g)(viii) (RBENo.203/2002)]	3 माह का वेतन या भविष्य निधि खाते में जमा का 50% जो भी कम हो।	i	कम से कम 12 व अधिकतम 24 किश्तों में कटौती।
			ii	कर्मचारी के आवेदन पर कम किश्तों में भी वसूली की जा सकती है।

10	तीर्थ यात्रा या धार्मिक स्थलों क यात्रा हेतु । [Para 923 (g)(ix) RBE 108/06]	3 माह का वेतन या भविष्य निधि खाते में जमा का 50% जो भी कम हो।	i	कम से कम 12 व अधिकतम 24 किश्तों में कटौती ।
			ii	कर्मचारी के आवेदन पर कम किश्तों में भी वसूली की जा सकती है।

नोटः

i अग्रिम भुगतान के अगले माह से कटौती आरम्भ होगी ।
[Para 926 (2) of IREC-I]

ii पूर्व अग्रिम का 50ः कटौती पूर्व अगला देय नहीं होगा ।
[Para 923 (E) of IREC-I]

iii यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नियमानुसार सभी तरह की, की जा सकने वाली (Permisible) कटौतियों पश्चात कर्मचारी को उसके मूल वेतन के 50% से कम रकम प्राप्त न हो।
[Para 923 (F) of IREC-I]

iv भविष्य निधि अग्रिम हेतु वेतन से तात्पर्य कर्मचारी द्वारा संशोधित वेतन ढांचे के निर्धारित वेतन बेंड में लिया जा रहा है वेतन तथा उस पर लागू ग्रेड वेतन के जोड से आहरित वेतन है। (RBE 103/08)

v भविष्य निधि निकासी /अग्रिम , विशेष मामलों में घटना (Event) की तिथि से तीन महीने पश्चात तक भी स्वीकृत पश्चात तक भी स्वीकृत किया जा सकता है।
[Master circuler No. 62(Page No. 235 of RBO/94]

vi भविष्य निधि खाते से अग्रिम सम्बन्धी उपरोक्त प्रावधान 01.01.2004 या उसक पश्चात नियुक्त रेल कर्मियों पर लागू नहीं होगें।
(RBE 31/2009)

vii भविष्य निधि पर वित्तीय वर्ष 2013–14 व 2014–15 हेतु ब्याज दर 8.7% (प्रतिवर्ष) रहेगी। (RBE 37/13 & 48/14)

भविष्य निधि खाते से निकासी (Chapter 9 of IREC- I)

क्रस	प्रयोजन	मात्रा	मुख्य शर्तें	
1	मकान /निर्माण /मकान खरीदने /फ्लेट खरीदना [(Para 925(I0 of IREC-I)]	भविष्य निधि खाते मे जमा उसके वास्तविक अभिदान और उस पर ब्याज की रकम से अधिक नहीं अथवा मकान की वास्तविक लागत, जो भी कम हो।	i	अभिदाता को सेवाकाल में देय (सेवा अवधि की शर्त नहीं) [Para 922(4)(a)of IREC–I & RBE-2/91]
			ii	मकान/ फ्लेट निर्माण के मामले में नगरपालिका द्वारा अनुमोदित नक्शा प्रस्तुत करना आवश्यक । [Para 925 (I) (h) (iv)]
			iii	राशि प्राप्ति के छः माह में मकान निर्माण कार्य प्रारम्भ तथा कार्य प्रारम्भ होने के एक वर्ष के भीतर पूर्ण होना चाहिये। [Para 925 (I) (e)]
			iv	यदि इसी उदेश्य से राजस्व से भी अग्रिम लिया है तो दोनो मिलाकर अग्रिम, सीमा/लागत से अधिक नहीं होगा । [Para 925 (I) (b) (iii)]
			v	निर्माण हेतु अग्रिम समान किश्तों में देय (न्यूनतम दो व अधिकतम चार किश्तों में) [Para 925 (I) (f)]
2	पेतृक मकान/स्वयं का मकान/फ्लेट की मरम्मत, परिवर्तन या रख– रखाव हेतु [	भविष्य निधि खाते में उसके वास्तविक अभिदान और उस पर ब्याज की रकम से अधिक नहीं या मरम्मत की लागत या 10,000/– रू. जो भी कम हो	i	अभिदाता को सेवाकाल में देय (सेवा अवधि की शर्त नहीं) [Para 922 (4) (a) of IREC –I & RBE-82/91]
			ii	पुनः निर्माण/मरम्मत इत्यादि रेल सेवक की अपनी सुविधा के लिए होनी चाहिए ना कि मकान को किराए पर देने के लिए । Para 925(I) (d) Note-1) & RBE 138/93]
3	अभिदाता के स्वयं के मकान/फ्लेट की मरम्मत, परिवर्तन व रख– रखाव हेतु । [Para 925(I) (d) Note-2 & RBE 138/93]	भविष्य निधि खाते मेंजमा का 90% तक या मरम्मत की लागत जो भी कम हो ।	i	अभिदाता को सेवाकाल में देय (सेवा अवधि की शर्त नहीं) [Para 922 (4) (a) of IREC –I & RBE-82/91]
			ii	यदि इसी उदेश्य से राजस्व से भी ऋण लिया है तो दोनों मिलाकर अग्रिम सीमा/ लागत से अधिक नहीं होगा।
			iii	पुनः निर्माण/मरम्मत इत्यादि रेल सेवक की अपनी सुविधा के लिए होनी चाहिए ना कि मकान को किराए पर देने के लिए।
4	पहले की गई निकासी या अन्य सरकारी स्त्रोत से अर्जित मकान/फ्लेट की मरम्मत,	ऊपर मद स. 03 मकान/फ्लेट की मरम्मत तथा इस मद के अंतर्गत दोनों निकासियों का जोड वास्तविक अभिदान की	i	अभिदाता को सेवाकाल में देय (सेवा अवधि की शर्त नहीं) [Para 922 (4) (a) of IREC –I & RBE-82/91]
			ii	यदि इसी उदेश्य से राजस्व से भी ऋण लिया है तो दोनों मिलाकर अग्रिम सीमा/लागत से अधिक नहीं होगा।

	परिवर्तन व रख– रखाव हेतु । [Para 925(I) (d) Note-3 & RBE 138/93]	रकम से अधिक नहीं जो ब्याज सहित प्रथम निकासी के समय अभिदाता के भविष्य निधि खाते मे जमा हो या जमा का 90% जो भी कम हो ।	iii	पुनः निर्माण/मरम्मत इत्यादि रेल सेवक की अपनी सुविधा के लिए होनी चाहिए ना कि मकान को किराए पर देने के लिए।
5	मकान स्थल खरीदना [Para 925(2) IREC-I]	मकान स्थल की वास्तविक लागत अथवा भविष्य निधि खाते में जमा राशि का 50% जो भी कम हो । [Para 925(2) (b)]	i	अभिदाता को सेवाकाल में देय (सेवा अवधि की शर्त नहीं) [Para 922 (4) (a) of IREC–I & RBE-82/91]
			ii	पूर्ण सेवाकाल में केवल एक बार देय ।
			iii	निकासी के एक माह में स्थल खरीदना आवश्यक [Para 925 (2) (f)]
			iv	यदि इसी उदेश्य से राजस्व से भी अग्रिम लिया है तो दोनों मिलाकर अग्रिम, सीमा / लागत से अधिक नहीं ।
6	विवाह/ सगाई व्यय हेतु [Para 925(3) IREC-I]	छः माह के वेतन के बराबर या भविश्य निधि खाते में ब्याज सहित जमा अभिदान, जो भी कम हो । पुत्री के मामले में विशेष मामलों में पन्द्रह माह के वेतन के बराबर राशि। (RBE – 188/05) (जहाँ भविष्य निधि खाते में ब्याज सहित जमा राशि 10,000/ से कम हो वहाँ जमा राशि का अधिकतम 90 देय होगा।) [(RBE – 925(3) Note No. 3)]	i	अभिदाता की अधिवार्षिता से पूर्व की सेवा अवधि 10 वर्ष से कम रह गई है अथवा उसने 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, इसमें से जो भी पहले हो । [Para 922 (4) (b) of IREC –I & RBE-15/96]
			ii	यदि दो व अधिक बच्चों के विवाह सम्मिलित है तो निकासी अलग–अलग देय। [Para 925 (3) (b) Note-1]
			iii	सगाई व विवाह को अलग–अलग अवसर मानकर निकासी देय। [Para 925 (3) (g) & RBE-41/01]
7	शिक्षा व्यय हेतु [Para 925(4) IREC-I]	तीन माह का वेतन या जमा राशि का 75% (विशेष मामले में 75% तक जो भी कम हो) (RBE 185/05)	i	उच्चतर शिक्षा हेतु जिसमें कालेज के समान, विशेष वस्त्रों तथा शैक्षणिक पर्यटन आदि के खर्च सम्मिलित है ।
			ii	अभिदाता की अधिवार्षिता से पूर्व की सेवा अवधि 10 वर्ष से कम रह गई है अथवा उसने 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, इसमें से जो भी पहले हो। [Para 922(4) (b) of IREC–I & RBE 15/96]
			iii	प्रत्येक 06 माह में एक बार अर्थात किसी भी वित्तीय वर्ष में दो बार देय।
8	चिकित्सा व्यय हेतु ।	चिकित्सा लागत या छः माह के वेतन के बराबर	i	कर्मचारी एवं उसके परिवार के सदस्य की गंभीर रूग्णावस्था के कारण देय ।

	(Para 925(4) IREC-I)	राशि या भविश्य निधि खाते में जमा राशि का 50% विशेष मामले मे 75% जो भी कम हो । (RBE – 185/05)	ii	अभिदाता की अधिवार्षिता से पूर्व की सेवा अवधि 10 वर्ष के कम रह गई है अथवा उसने 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है , इसमें से जो भी पहले हो । [(Para 922 (4) (b) of IREC –I & RBE-15/96)]
			iii	एक ही व्यक्ति की बिमारी के लिए एक ही बार रकम निकाली जा सकती है ।
			iv	उपचार पूरा होने के एक माह के भीतर अभिदाता प्रमाण पत्र देगा कि निकाली गई रकम उसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई गई , अन्यथा दिये गए निकासी की एक मुश्त कटौती होगी।
9	वाहन खरीद [(Para 925(6)(A) IREC-I) (Rly Bd's Letter no. F(E)III/85/PF-I/14 dt. 06-11-85 (Page No. 438 of RBO 85)]	(अ) मोटर कार – वास्तविक लागत अथवा 1,10,000/ अथवा भविष्य निधी खाते में जमा का 50% जो भी कम हो । (RBE-68/98)	i	कर्मचारी जिसने 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो या सेवानिवृति में 05 वर्ष से कम समय बाकी हो, को देय।
			ii	यह निकासी पे बैंड में वेतन 19530/– या ज्यादा पाने वालों को देय। (RBE- 183/09)
			iii	यह निकासी एक अवसर के लिए ही होगी।
		(ब) मोटर साईकिल/स्कूटर /मोपेड –वाहन या भविष्य निधि खाते में जमा का 50% अथवा 20,000/– जो भी कम हो । (RBE-68/98)	i	अभिदाता की अधिवार्षिता से पूर्व की सेवा अवधि 10 वर्ष के कम रह गई है अथवा उसने 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है , इसमें से जो भी पहले हो। [(Para 922 (4) (b) of IREC –I & RBE-15/96)]
			ii	यह निकासी पे बैंड में वेतन 8560/– या ज्यादा पाने वालों को देय। (RBE- 183/09)
			iii	सेवा काल में सिर्फ एक बार देय।
10	वाहन बुकिंग हेतु (कार/मोटर साईकिल /स्कूटर/ मोपेड आदि) (Para 925(6) (B) of IREC) (RBE-)	कार हेतु 10,000/ व अन्य दो पहिया वाहनों हेतु 5,000/ या वाहन बुकिंग की वास्तविक राशि या भविष्य निधि खाते में जमा का 50% जो भी कम हो	i	कर्मचारी जिसने 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो या सेवानिवृति में 05 वर्ष से कम समय बाकी हो, को देय।
			ii	कार हेतु पे बैंड में वेतन 19530/– तथा शेष वाहन हेतु पे बैंड में वेतन 8560/– से कम नहीं ।
			iii	जमा रशीद एक माह में प्रस्तुत करनी आवश्यक अन्यथा पूर्ण वसूली एक मुश्त।
			iv	सेवा काल में सिर्फ एक बार देय ।
			v	वाहन खरीद हेतु भविष्य निधि खाते से अग्रिम की स्थिति में इस राशि को भी अग्रिम सीमा में समयोजित किया जायेगा।
11	मोटर कार की मरम्मत हेतु।	10,000/– अथवा भविष्य निधि खाते में	i	यह निकासी पे बैंड में वेतन 19530/ या ज्यादा पाने वालों को देय।

	[(Para 925(6)(C) IREC-I) (Rly Bd's Letter no. F(E)III/85/PF-I/14 dt. 06-11-85 (Page No. 438 of RBO 85)]	जमा का 1/3 या मरम्मत की लागत, जो भी कम हो । (RBE-68/98)		(RBE- 183/09)
			ii	कर्मचारी जिसने 28 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो या सेवानिवृति में 03 वर्ष शेष हो, को देय ।
			iii	पूरे सेवा काल में एक बार देय ।
			iv	कार को खरीदते हुए पांच वर्ष का समय बीत गया हो। (Rly Bd's L.No. F(E)III/74 PF-2/10 dt 02-12-74 (Para NO. 249/250 of RBO 94)
12	उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ खरीद हेतु । (फ्रिज/टीवी/वीसीआर/कूलर/कम्प्यूटर आदि)	06 माह का वेतन या जमा राशि का 50% या वस्तु की कीमत, जो भी कम हो ।	i	अभिदाता की अधिवार्षिता से पूर्व की सेवा अवधि 10 वर्ष के कम रह गई है अथवा उसने 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, इसमें से जो भी पहले हो। ([(Para 922 (4) (b) of IREC –I & RBE-15/96)]
13	मृत अभिदाता के अन्त्येष्टि व्यय हेतु । [(Para 924(6) IREC-I)]	अधिकतम दो माह के वेतन के बराबर या पांच सौ रूपये, जो भी कम हो ।	i	अग्रिम उसी व्यक्ति को अनुदत्त किया जायेगा जो भविष्य निधि रकम पाने का पात्र हो।
			ii	भुगतान की गई राशि की कटौती भविष्य निधि रकम का भुगतान करते समय की जायेगी।
14	सेवा निवृति के एक वर्ष के भीतर [(RBE—176/90)]	भविष्य निधि में जमा का 90% तक ।	i	इस हेतु कोई कारण देने की आवश्यक नहीं।
			ii	यह सुविधा सिर्फ एक बार देय।

नोटः i भविष्य निधि अग्रिम हेतु वेतन से तात्पर्य कर्मचारी द्वारा संशोधित वेतन ढाँचे के निर्धारित वेतन बैण्ड में लिया जा रहा वेतन तथा उस पर लागू ग्रेड वेतन के जोड़ से आहरित वेतन है। (RBE 103/09)

ii भविष्य निधि निकासी/अग्रिम , विशेष मामलों में घटना (Event) की तिथि से तीन महीने पश्चात तक भी स्वीकृत पश्चात तक भी स्वीकृत किया जा सकता है। (Master circuler No. 62(Page No. 235 of RBO/94)

iii भविष्य निधि निकासी सम्बन्धी उपरोक्त प्रावधान 01.01.2004 के पश्चात रेल सेवा में आये कर्मचारियों पर लागू नहीं होगें। (RBE No. 31/2009)

भत्ते – Allowance

रेल सेवक विभिन्न प्रकार के भत्तों के हकदार होत है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

1. मंहगाई भत्ता :

भारतीय रेलवे में कार्यरत्त कर्मचारी वस्तुओं की कीमते बढ़ने पर मंहगाई भत्ते के रूप में प्रतिपूर्ति के हकदार है। यह भत्ता वर्ष में दो बार अर्थात् जनवरी और जुलाई में अखिल भारतीय केन्द्रीय मूल्य सूचकांक में हुई बढ़त के अनुसार संशोधित किया जाता है। यह केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों और पेंशनरों को समान रूप से देय है ।

छठा वेतन आयोग लागू होने के पश्चात संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन से आशय उस वेतन से है, जो निर्धारित पे बैंड + लागू पे बैण्ड में लिया जाता है, लेकिन इसमें अन्य किसी प्रकार का वेतन जैसे विशेष वेतन इत्यादि शामिल नहीं है। मंहगाई भत्ते की गणना के लिए नॉन प्रेक्टिसिंग अलाउन्सेस, जहाँ लागू हो, शमिल किया जाएगा। जनवरी 2006 से मंहगाई भत्ते की दरें निम्नानुसार है :–

01.01.2006	NIL	01.07.2006	2%	01.01.2012	65%	01.07.2012	72%
01.01.2007	6%	01.07.2007	9%	01.01.2013	80%	01.07.2013	90%
01.01.2008	12%	01.07.2008	16%	01.01.2014	100%	01.07.2014	107%
01.01.2009	22%	01.07.2009	27%	01.01.2015	113%	01.07.2015	119%
01.01.2010	35%	01.07.2010	45%	01.01.2016	00	संतवा वे.आ.	लागू
01.01.2011	51%	01.07.2011	58%	01.07.2016	2%	01.01.2017	4%

2. मकान किराया भत्ता :

यह भत्ता उन रेल कर्मचारियों को देय है जिन्हें रेलवे आवास की सुविधा नहीं दी गई है। यह विभिन्न शहरों की श्रेणी अनुसार निम्नलिखित रूप से देय है :–

क्रस	शहर की श्रेणी / वर्गीकरण	मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में HRAकी दर (+NPAजहाँ लागू हो)
(i)	Xश्रेणी के शहर (पूर्व में A-1श्रेणी के शहर)	30%
(ii)	Yश्रेणी के शहर (पूर्व मेंA,B-1 B-2 श्रेणी के शहर)	20%
(iii)	Zश्रेणी के शहर (पूर्व में Cश्रेणी के शहर)	10%

उपर्युक्त दरें 01.09.2008 से प्रभावी है।

मकान किराया भत्ता की गणना के लिए मूल वेतन ऊपर वर्णित मद सं. 01 के अनुसार होगी।

मकान किराया भत्ता रेल सेवक को नहीं दिया जाएगा यदिः–

(i) वह अपने आवास के लिए किराए पर कोई खर्च वहन नही करता है।

(ii) वह सरकार द्वारा दिए गए आवास का अधिग्रहण करता है।

(iii) वह अन्य सरकारी कर्मचारी को आवंटित किराया रहित सरकारी आवास में हिस्सेदारी करता है ।

(iv) वह अपने माता–पिता /पुत्र/पुत्री को केन्द्रीय/राज्य सरकार, स्वायतसासी संस्था या अर्द्ध सरकारी संगठन जैसेः– नगरपालिका, पोर्ट ट्रस्ट, राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम इत्यादि द्वारा आवंटित आवास में रहता हो।

(v) उसके पति/पत्नि को उसी स्टेशन पर केंन्द्र सरकार/राज्य सरकार , अर्द्ध सरकारी संगठन की स्वायतसासी संस्था जैसेः– नगरपालिका, पोर्ट ट्रस्ट इत्यादि द्वारा आवास आवंटित किया गया हो, चाहे वह उस आवास में रहे या अलग से किराए के मकान में

रहे हो।

(vi) एक रेल सेवक जो अन्य रेल/सरकारी कर्मचारी को आबंटित आवास में हिस्सेदार करता है वह (उपर्युक्त (iii), (iv) और (V) में वर्णित को छोड़कर) मकान किराया भत्ता का हकदार होगा ।

नोट :– ऐसे मामलों में जहाँ पति/पत्नि/माता–पिता/बच्चे– इनमें से दो या अधिक केन्द्र सरकार के कर्मचारी या राज्य सरकार, स्वायतसासी संस्था या अर्द्ध सरकारी संगठन जैसेः– नगरपालिका, पोर्ट ट्रस्ट, राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम इत्यादि के कर्मचारी हो तथा अन्य सरकारी कर्मचारी को आबंटित आवास में हिस्सेदारी करते हो तो मकान किराया भत्ता, उनकी इच्छानुसार , उनमें से केवल एक देय होगा ।

यह भत्ता सभी प्रकार की छुटियों के दौरान 180 दिन तक पुर्ण दर (Full rate) पर देय हैं। रेल कर्मचारी के किसी बीमारी से पीड़ित होने की स्थिति में चिकित्सा प्रमाण–पत्र पर 180 दिन तक का मकान किराया भत्ता Full rate पर देय है। तथा चिकित्सा प्रमाण–पत्र पर इसे 240 दिन तक बढाया जा सकता हैं। किसी प्रकार के आवास का हकदार व्यक्ति यदि उक्त आवास अस्वीकार करता है तो वह मकान किराया भत्ता का हकदार नहीं होगा । (IREC-II नियम1707)

(RBE 111/08 & 123/08)

3. छठे वेतन आयोग की सिफाशिों के अनुरूप सभी रेल सेवक निम्नलिखित दरों पर परिवहन भत्ते के हकदार होंगे :–

क्रस	तक ग्रेड पे प्राप्त करने वाले	परिवहन भत्ते की प्रतिमाह दर	
		पूर्व में A-1/A के रूप में वर्गीकृत 13 (दिल्ली, कोलकाता, ग्रेटर, मुम्बई, चैन्नेई, हैदराबाद, बैंगलोर, अहमदाबाद, नागपुर, सूरत, पूणे, जयपुर लखनउ, कानपुर) शहरों में	अन्य शहरों में
1.	Rs.5400/- और उससे उपर ग्रेड पे	रू. 3200+ महंगाई भत्ता	रू. 1600 + महंगाई भत्ता
2.	ग्रेड पे रू. 4200/–, 4600/–, 4800/– और Rs.4200/- से कम ग्रेड पे, लेकिन पे बैंड में रू. 7440/– या अधिक वेतन ले रहे है।	रू. 1600+ महंगाई भत्ता	रू. 800 +महंगाई भत्ता
3.	रू. 4200/– से कम ग्रेड पे तथा पे बैंड मे वेतन रू. 7440/– से कम प्राप्त कर रहे है।	रू. 600 + महंगाई भत्ता	रू. 400 + महंगाई भत्ता

परिवहन भत्ते की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन होगी :–

(i) दृष्टिहीन या शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारी सामान्य से दुगुनी दर पर यह भत्ता लेते रहेंगे जो किसी भी स्थिति में रू. 1000/– प्रतिमाह तथा उस पर देय महंगाई भत्ते की लागू दर से कम नहीं होगा। यह रेलवे बोर्ड के पत्र सं. F(E)-I-78/AL-7/8 dt 23.10.1978 में दिए गए निदेर्शो के अध्यधीन होगा ।

यह विनिश्चित किया गया है कि मूक व बधिर कर्मचारियों को भी यह भत्ता उसी दर से दिया जाएगा जिससे कि दृष्टिहीन व शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों को दिया जाता है। (RBE111/08,28/14)

(ii) यह भत्ता उन कर्मचारियों को देय नही होगा जिनको सरकारी परिवहन सुविधा प्रदान

की गई है ।

(iii) रेलवे बोर्ड के पत्र सं. PC-V/97/1/7/12 Dt. 16.12.1997 (RBE 179/97) के पैरा नं 2 (ii) में उल्लिखित शर्त जिसके द्वारा उन कर्मचारियों को परिवहन भत्ते की स्वीकृति नहीं दी गई जिनको कार्यालय से एक किलोमीटर के दायरे में सरकारी आवास प्राप्त था या एक कैम्पस में कार्यालय तथा आवास था, वह शर्त वापस ले ली गई है । यह दृष्टिहीन व भाारीरिक रूप से दिव्यांग कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगा। (RBE 31/10)

(iv) उन कर्मचारियों के संबंध में पूर्व संशोधित वेतन श्रृंखला में बने रहने का विकल्प देते है उनके परिवहन भत्ते का निर्धारण रेल सेवाएं संशोधित वेतन नियम 2008 में दिए गए निर्देशों के अनुसार वेतनमान के अनुकूल ग्रेड पे / 01.01.2006 को धारित पद के अनुकूल वेतनमान के द्वारा किया जाएगा ।

(v) ऐसे अधिकारी जो 10,000 तथा 12,000 ग्रेड पे ले रहे है और जो HAG + स्केल में है तथा जो सरकारी कार के हकदार है, उन्हे 7000 रू. प्रतिमाह + इस पर महंगाई भत्ता प्राप्त करने की वर्तमान सुविधा को लेने का विकल्प दिया जाएगा। किसी भी अधिकारी को दोनों लाभों यथा परिवहन भत्ता और सरकारी वाहन प्रदान करने की अनुमति नहीं है।

(vi) ऐसे कर्मचारियो के मामलें में जो वर्तमान में किसी भी प्रकार के आवासीय कार्ड पास की सुविधा का लाभ उठा रहे है (जिसमें पति–पत्नि और बच्चे, बच्चों की स्कूल RCP इत्यादि शामिल है) उन्हें विकल्प दिया जाएगा । यदि वे परिवहन भत्ते का विकल्प देते है तो उन पर लागू दर के अनुसार उन्हे परिवहन भत्ते का भुगतान किया जा सकता है जो इस शर्त के अधीन होगा कि किसी भी प्रकार की वर्तमान RCP सुविधा के साथ गैर सरकारी कार्यो के लिए कार्ड पास/मेटल पास पर उपनगरीय भाग में यात्रा की सुविधा परिवहन भत्ते का विकल्प देने की तिथी से वापस ले ली जाएगी ।

उपरोक्त में आंशिक संशोधन करते हुए यह विनिर्णित किया गया कि जो कर्मचारी पहले से आवासीय कार्य पास (RCP) सुविधा प्राप्त कर रहे थे उन्हे भी परिवहन भत्ता देय होगा तथा साथ ही इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि आवासीय कार्ड पास के दायरे में भविष्य में किसी अन्य रेलवे या खण्ड को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह आदेश दिनांक 01.09.08 से प्रभावी होगा । (RBE 16/09,71/10)

(vii) ऐसे कर्मचारियों के मामलें में जो वर्कमेंन ट्रेन सुविधा का उपयोग कर रहे है, उन्हे समूह के रूप में एक विकल्प दिया जाएगा कि या तो वे वर्तमान सुविधा का उपयोग करें अन्यथा परिवहन भत्ते का भुगतान प्राप्त करें।

(viii) शारीरिक रूप से विकलांग अस्थाई ओहदा प्राप्त नैमेतिक श्रमिक भी रेलवे बोर्ड के पत्र सं F (E)-1-78/AL-7/8 Dated 23.10.1978 (NR PS 7155) में निहित नियम एंव शर्तो के अधीन सामान्य से दुगनी दर पर परिवहन भत्ते के हकदार होगें ।

(ix) यदि रेल सेवक छुटटी, प्रशिक्षण, दौरा इत्यादी कारणों से पूरे केलेण्डर माह अनुपस्थित रहता हैं तो परिवहन भत्ता देय नहीं होगा। 24.11.2003 से पुर्व के मामलों में ड्यूटी से 30 से अधिक दिनों की अनुपस्थिति से आशय उस अनुपस्थिति से है जो मुख्यालय/तैनाती स्थल से छुटटी/प्रशिक्षण/दौरा इत्यादि कारणों से 30 से अधिक दिनों की अवधि के लिए हो तथा परिवहन भत्ता उस सम्पूर्ण अवधि के लिए देय नहीं होगा, जब ये अवधि 30 दिन से अधिक हो। यदि ऐसी अनुपस्थिति एक से अधिक केलेण्डर माह में होती है तो प्रत्येक माह में अनुपस्थिति दिनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए परिवहन भत्ते में यथानुपात कमी की जाएगी। यदि ऐसी अनुपस्थिति 30 दिनों से अधिक नहीं है तो परिवहन भत्ता पूर्णतः देय होगा जिसका इस तथ्य से कोई सम्बन्ध नहीं होगा कि 30 दिन एक केलेण्डर माह बनाते है या नहीं ।

दिनांक 24.11.2003 या उसके बाद के मामलों में ड्यूटी से अनुपस्थिति एक से अधिक

केलेण्डर माह में विभाजित है तो परिवहन भत्ता उस केलेण्डर माह के लिए देय नहीं होगा जिस पूरे माह में कर्मचारी ड्यूटी से अनुपस्थित रहा है। अगर ऐसी अनुपस्थिति किसी पूरे केलेण्डर माह के लिए नहीं हैं तो पूरे कलेण्डर माह का परिवहन भत्ता देय होगा ।

(x) परिवहन भत्ता निलम्बित कर्मचारी को ऐसी अवधि के दौरान देय नहीं होगा, अवधि चाहें जो भी हो, और भले ही इस अवधि को बाद में चाहें ड्यूटी ही मान लिया जाए।

(xi) रनिंग कोटि के कर्मचारियों को परिवहन भत्ते की भुगतान गणना में 30% वेतन तत्व को नहीं जोड़ा जायेगा ।

(xii) DACP or non functional in situ upgradation के अर्न्तगत ग्रेड पे 10,000/पी.बी. –4 में उन्नयन अधिकारी रू 700/– की दर से परिवहन भत्ता प्राप्त करने के योग्य नहीं होगें। लेकिन DACP के अर्न्तगत ग्रेड पे 10,000 में पदोन्नत IRMS अधिकारी 700/– की दर से परिवहन भत्ता भुगतान हेतु SAG अधिकारी के समकक्ष माना जायेगा। (RBE 100/14)

नान प्रेक्टिसिंग अलाउन्सेस : (RBE 122/08)

दन्त चिकित्सकों सहित रेलवे अस्पतालों में कार्यरत्त चिकित्सक निजी प्रेक्टिस नहीं करने के बदले में नान प्रेक्टिसिंग अलाउन्सेस के हकदार होगें। यह पे बैंड में वेतन और ग्रेड पे का 25% इस शर्त के अधिन होगा कि मूल वेतन + NPA मिलाकर 85000/– प्रतिमाह से अधिक नहीं होना चाहिये। महंगाई भत्ते, परिवहन भत्ते, दैनिक भत्ते तथा सेवानिवृति लाभों सहित अन्य भत्तों की गणना करते समय NPA को वेतन के रूप में माना जाएगा ।

रेलवे चिकित्सकों को स्नातकोत्तर तथा वार्षिक भत्ताः (RBE 114/09)

रेलवे में कार्यरत्त स्नातकोत्तर योग्यताधारी चिकित्सक स्नातकोत्तर भत्ते के हकदार हैं। इस भत्ते की संशोधित दरें जो 01.09.08 से प्रभावी है, निम्नलिखित है :–

स्नातकोत्तर भत्ता :

क्रस	श्रेणी	01.09.08 से दर	01.01.11 से दर	01.01.14 से दर
अ	स्नातकोत्तर योग्यताधारी गैर क्रियात्मक चयन ग्रेड के स्तर तक के रेल चिकित्सक जो इण्डियन मेडिकल काउंसिल एक्ट – 1956 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है ।	रू. 1000/– प्रतिमाह	रू. 1250/– प्रतिमाह	रू. 1500/– प्रतिमाह
ब	स्नातकोत्तर डिप्लोमा योग्यताधारी गैर क्रियात्मक चयन ग्रेड़ के स्तर तक के सामान्य ड्यूटी चिकित्सक जो इण्डियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है ।	रू. 600/– प्रतिमाह	रू. 750/– प्रतिमाह	रू. 900/– प्रतिमाह

{यह भत्ता तब देय नहीं होगा जहाँ किसी पद पर नियुक्ति हेतु स्नातकोत्तर डिग्री होना निर्धारित किया गया हो (Para 1426 (2) (C) IREC –II)}

वर्षिक भत्ता ::

a.	स्नातकोत्तर योग्यताधारी रेलवे चिकित्सक जो इण्डियन मेडिकल काउंसिल एक्ट –1956 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है ।	रू. 1000/– प्रतिमाह	रू.1250/– प्रतिमाह	रू. 1500/– प्रतिमाह
b.	सामान्य ड्यूटी चिकित्सक जिनके पास स्नातकोत्तर योग्यता नहीं है या जिनके पास गैर मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर	रू. 600/– प्रतिमाह	रू. 750/– प्रतिमाह	रू. 900/– प्रतिमाह

	योग्यता है ।			

जब भी मंहगाई भत्ता 5% तक पहुंच जाएगा तो इन भत्तों की दरें 25% तक बढ़ाई जाएगी ।

6. रेलवे चिकित्सा अधिकारी को वाहन भत्ता (RBE 135/09)

रेलवे चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सक कार्य घण्टों के अलावा आवासीय/घरेलु विजिट पर जाने और अन्य राजकीय कर्त्तव्यों के पालन के लिए निम्नलिखित दरों पर वाहन भत्ते के हकदार होंगे ।

क्र स	वाहन का प्रकार	अधिकतम प्रतिमाह					
	w.e.f.	1.9.08	1.9.09	1.9.10	1.9.11	1.9.12	1.9.13
1	उनके लिए जिनके पास स्वयं की कार है।	3300/–	3663/–	4257/–	4686/–	5148/–	5742/–
2	उनके लिए जिनके पास स्कूटर मोटर साईकल है	1080/–	1199/–	1393/–	1533/–	1684/–	1878/–
3	उनके लिए जिनके पास न तो कार है नही मोटर साईकिल /स्कूटर है ।	900/–	999/–	1161/–	1178/–	1304/–	1466/–

अधिकतम भत्ते के हक के लिए RBE No. 135/09 में निहित शर्तो को पूरा करना होगा जिसमें एक माह में न्यूनतम 20 दौरे और इसमें 50% आवासीय दौरे कार्य घंटों के पश्चात होने चाहिए जिसमें न्यूनतम 6 चिकित्सालय का आवासीय दौरे शामिल है ।

कार्यग्रहण समय, अवकाश तथा अस्थाई स्थानान्तरण की किसी अवधि के दौरान कोई वाहन भत्ता देय नहीं होगा तथा शहर की नगर पालिका की सीमा में 08 या अधिक किलोमीटर की सरकारी यात्रा हेतु अधिकारी किसी दैनिक/माईलेज भत्ते का हकदार नहीं होगा ।

वाहन भत्ते की दर प्रतिवर्ष मंहगाई भत्तें में वृद्वि के साथ ही संशोधित होगी।

7. नर्सिंग भत्ताः (RBE 24/09)

रेलवे अस्पतालों में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ जो इण्डियन नर्सिंग कौन्सिल एक्ट के अनुसार पंजीकृत है वे नीचे दिए गए भत्तों के हकदार है :–

मुख्यतः सभी नर्सेज चाहे स्त्री हो या पुरूष या सिस्टर इन्चार्ज, मेट्रन, मिडवाइफ तथा लेडी हैल्थ विजिटर इत्यादि को नर्सिंग स्टाफ माना गया है। अब ये भत्ते ANM को भी देय है। (RBE 77/92)

क्रस	भत्ता	01.09.08	01.01.11	01.01.14
a	नर्सिंग भत्ता	रू. 3200/– प्रतिमाह	रू. 4000/– प्रतिमाह	रू. 4800/– प्रतिमाह
b	धुलाई भत्ता	रू. 300/– प्रतिमाह	रू. 375/– प्रतिमाह	रू. 450/– प्रतिमाह
c	युनिफार्म	रू. 6000/– प्रतिमाह	रू. 7500/– प्रतिमाह	रू. 9000/– प्रतिमाह

नोटः

(क) युनिफार्म भत्ता रेल प्रशासन के विवेकानुसार मासिक या वार्षिक आधार पर दिया जा सकता है।

(ख) युनिफार्म भत्ता अवकाश/छुट्टी के दौरान देय होगा तथा नियमों में वर्णित शर्तो के अधीन

होगा। भत्ता वार्षिक आधार पर दिये जाने की स्थिति में यदि सभी प्रकार की छुटियों की कुल अवधि चार माह से अधिक हो तो भत्ते में अनुपातिक कमी की जानी चाहिए ।

(ग) यदि एक समय में छुट्टी की अवधि 15 दिनों से अधिक हो तो धुलाई भत्ता देय नहीं होगा ।

(घ) नर्सिंग स्टाफ जिन्हे भोजन भत्ता देय है, उन्हे छुटियों के दौरान इंगित सीमा तक इस भत्ते की निकासी की इजाजत दी जानी चाहिये –

(i) यदि छुट्टी की अवधि औसत वेतन / पूरे वेतन पर है तो भोजन भत्ता अधिकतम दर (Full rate) पर देय होगा ।

(ii) यदि छुट्टी की अवधि आधे वेतन / आधे औसत वेतन पर है तो भोजन भत्ता समान्य से आधी दर पर देय होगा ।

(iii) यदि छुट्टी की अवधि बिना वेतन के है तो भोजन भत्ता देय नही होगा ।

(iv) मातृत्व अवकाश या चिकित्सकीय प्रमाण पत्र पर छुटृटी के दौरान भोजन भत्ता उपर वर्णित आधार पर देय होगा ।

(v) नर्सिंग भत्ते को वेतन नहीं माना जायेगा ।

(vi) जब भी मंहगाई भत्ता 50% हो जायेगा जब इस भत्ते की दर स्वतः ही 25 % बढा दी जावेगी ।

(vii) सहायक नर्सिंग अधिकार नर्सिंग भत्ते के पात्र नहीं है ।
{RLY.Bds L.NO E(P&A) 1-2012/AL/1 dt. 13-0514 (NWR PS 45/14)}

8 चिकित्सालय रोगी परिचर्या भत्ता : (RBE 01/08, 56/13)

रेलवे अस्पतालों तथा हैल्थ यूनिट्स / क्लीनिक्स में कार्यरत समूह ''ग'' और ''घ'' (गैर मंत्रालयीय) के रेल कमर्चारियों हेतु नीचे वर्णित अनुसार चिकित्सालय रोगी परिचर्या भत्ता और रोगी परिचर्या भत्ता शुरू किया गया है जो 01.01.2008 से प्रभावी है:–

1.चिकित्सालय रोगी परिचर्या भत्ता तथा रोगी परिचर्या भत्ते की स्वीकृति निम्न भार्तो के पूरा करने के अधीन होगी :–

a- इन भत्तों की स्वीकृति रेलवे अस्पतालों तथा हैल्थ / यूनिट्स / क्लीनिक्स में कार्यरत समूह ''ग'' और ''घ'' (गैर मंत्रालयीय) के निम्नलिखित रेल कर्मचारियों तक सीमित होगी।

1. फार्मासिस्ट (स्टोर फार्मासिस्ट के अलावा जो दवाइयों के वितरण कार्य में शामिल नहीं है)
2. चिकित्सा तकनीशियन जिन्हें रोगियों के साथ सीधे सम्पर्क में रहना पड़ता है (ECG, EEG, कार्डियो पम्प, डायलिसिस इत्यादि)
3. एम्बुलेन्स ड्राईवर 4. एक्बुलेन्स क्लीनर 5. ड्रेसर 6. ऑपरेशन थियेटर सहायक 7. अटेंडेंट / आया 8. रेडियोग्राफर 9. स्ट्रेचर बीयरर / वाहक 10. सफाईवाला 11. लेबोरेटरी स्टाफ 12. Dental Hygienists Physiotherapist /occupational Therapists (RBE 87/15)

b- चिकित्सालय रोगी परिचर्या भत्ता उपर उल्लेखित समूह –ग और घ (गैर मंत्रालयीय) के उन रेल, कर्मियों को देय होगा जो या तो 30 या अधिक शय्याओं वाले रेलवे अस्पताल में कार्यरत है या 10 या अधिक शय्याओं वाले Super speciality रेलवें अस्पताल में कार्यरत है ।

c- रोगी परिचर्या भत्ता उपर उल्लेखित समूह –ग व घ गैर मंत्रालयीय के उन रेल कर्मियों को देय होगा जो या तो 30 से कम शय्याओं वाले रेलवे अस्पताल या (ii) 10 या कम शय्याओं वाले Super speciality रेलवें अस्पताल या (iii) रेलवे हैल्थ यूनिट यूनिट क्लीनिक में कार्यरत है।

(d) चिकित्सालय रोगी परिचर्या भत्ता उपर उल्लेखित समूह–ग (गैर मंत्रालयिक) रेल कर्मिकों को रू. 700 / –प्रतिमाह दिनांक 01.01.08 से, 1400 / – दिनांक 01.09.08 , 1750 / – दिनांक 01.01.11 व

रू. 2100/– दिनांक 01.01.14 से तथा उपर उल्लेखित समूह –घ (गैर मंत्रालयीय) रेल कर्मिकों को रू. 695/– प्रतिमाह दिनांक 01.01.08 से, 1390/– दिनांक 01.09.08 , 1738/– दिनांक 01. 01.11 व रू. 2085 दिनांक 01.01.14 से की दर से देय होगा। (RBE 15/13)

(e) रोगी परिचर्या भत्ता उपर उल्लेखित समूह ''ग'' और ''घ'' (गैर मंत्रालयीय) के रेल कर्मिकों को रू. 690/– प्रतिमाह दिनांक 01.01.08 से , 1380/– दिनांक 01.09.08 , 1725 दिनांक 01.01.11 व रू. 2070/– दिनांक 01.01.14 से की दर से देय होगा । (RBE 15/13)

(f) यदि उपर्युक्त श्रेणियों के कर्मचारियों को नाइट ड्यूटी भत्ता और/जोखिम भत्ता देय है तो अब यह दिनांक 01.01.2008 से देय नहीं होगा ।

(g) इस भत्ते को अब जोखिम बीमा भत्ते के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। (RBE 118 &129/09)

(h) यह भत्ता (HPCA/PCA) उस समय तक लगातार दिया जाएगा जब तक जोखिम बीमा योजना लागू नहीं हो जाती । (RBE 07/10)

(i) मंहगाई भत्ते की दर 50% होने पर इस भत्ते की दर स्वतः ही 25% बढ़ जाएगी तथा यह भत्ता (HPCA/PCA) निम्न शर्तो के अधीन होगा :–

(क) कर्मचारी के एक माह से कम कलैण्डर अवधि पर अवकाश/प्रशिक्षण में जाने पर भी यह भत्ते (HPCA/PCA) देय होगें ।

(ख) कर्मचारी के एक माह से कम कलैण्डर अवधि पर अवकाश/प्रशिक्षण में जाने पर भी यह भत्ता देय नहीं होगा ।

(ग)अनाधिकृत अनुपस्थिति अवकाश में यह भत्ते देय नहीं होगा। (RBE 15/13)

9. रनिंग स्टाफ को दय भत्ते

रेलवे में रनिंग ड्यूटी का निष्पादन करने वाले स्टॉफ को विभिन्न प्रकार के भत्ते देय है । रनिंग ड्यूटी का आशय उस ड्यूटी से है जो सीधे तौर पर गाड़ी के परिचालन से संबंधित है तथा चलायमान गाड़ी या इंजिन में नियुक्त रनिंग स्टॉफ द्वारा निष्पादित की जाती है। रनिंग ड्यूटी निष्पादित करने वाले रनिंग कर्मचारी नीचे दी गई श्रेणियों से सम्बन्धित होगें।

क्रस	लोको	यातायात
01.	ड्राईवर लोको पायलट मोटर मेंन और रेल मोटर ड्राईवर सहित	1. गार्ड
02.	शंटर	2. सहायक गाड
03.	फायरमेंन, डीजल सहायक, बिजली सहायक व सहायक स्टाफ (ALO)	

रनिंग भत्ते का आशय उस भत्ते से है जो रनिंग स्टाफ को चलायमान ट्रेनों से सीधे तौर पर जुड़ी ड्यूटी के निष्पादन हेतु दिया जाता है ।

रनिंग भत्ते की वेतन के रूप में गणना करना :

रनिंग स्टाफ का 30 प्रतिशत मूल वेतन रनिंग भत्तों में वेतन तत्व (Pay element) के प्रतिनिधित्व हेतु वेतन माना जाएगा । यह निम्न उद्देश्यों के लिए वेतन के रूप में माना जाएगा ।

1. पास/पीटीओ के दर्जे के हक हेतु
2. चिकित्सा परिचर्या और इलाज
3. शैक्षिक सहायक
4. मकान किराया भत्ता
5. रेलवे आवास के प्रकार/दर्जे का हक
6. रेलवे आवास के किराए की वसूली
7. स्थिर पदों में वेतन निर्धारण
8. मंहगाई भत्ता
9. समायोपरी भत्ता
10. छुट्टी नगदीकरण

आयकर के आंकलन हेतु 30% वेतन को वेतन का अंग माना जाएगा, परन्तु सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के लिए 55% मूल वेतन माना जाएगा। छुट्टी नगदीकरण हेतु 30% वेतन को गिना जाएगा।

रनिंग स्टॉफ को निम्नलिखित भत्ते देय होंगेः–

a) किलोमीटर भत्ता

b) रनिंग रूम सुविधाओं की एवज में भत्ता

c)छुट्टी /आराम में अवरोध भत्ता (Breach of rest allowance)

d)बाह्य स्टेशन पर रोकने (detention) का भता

e)बाह्य स्टेशन (मुक्ति) भत्ता

f)दुर्घटना भत्ता

g)स्थानापन्न भत्ता

h)न्यूनतम गारंटीड किलोमीटररेज भत्ता

i)प्रतिक्षा ड्यूटी भत्ता

j)घाट खण्ड भत्ता

k)ट्रिप भत्ता

l)छुट्टी माईलेज भत्ता

(A) किलोमीटर भत्ता

IREM-01)

यह भत्ता रनिंग स्टाफ को निर्धारित दरों पर रनिंग ड्यूटी के निष्पादन हेतु दिया जाता है। किलोमीटरेज की गणना वर्किंग टाइम टेबल में दी गई दूरी के अनुसार की जाएगी । शंटर तथा अन्य रनिंग स्टाफ जो शंटिंग इंजन पर कार्य करते है उन्हे 15 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से किलोमीटर भत्ता का भुगतान किया जाता है। रनिंग स्टाफ के कार्य घंटों की गणना Signing on से Signing off तक की जाती है। रनिंग स्टॉफ HOER के लगातार वर्गीकरण के अंतर्गत आता है।

जब रनिंग स्टाफ नॉन–रनिंग /स्टेशनरी ड्यूटी का निष्पादन करते है तो वे किलोमीटर की एवज में निर्धारित दरों के अनुसार भत्ते के हकदार होगें ।

अपने प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में ट्रेफिक अप्रेन्टिस द्वारा गार्ड के रूप में कार्य करने पर वह किलोमीटर भत्ते का हकदार नहीं होगा ।

{Rly Bd's letter no- E(P&A) 11&2004/RS-19dt 15-7-11 (NWR PS 51/11)}

(Para 908 IREM &RBE 181/09)

(B) रनिंग रूम सुविधाओं की एवज में भत्ता :

1. बाह्य स्टेशनों पर, जहाँ रनिंग स्टॉफ हेतु रनिंग रूम सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, रनिंग रूम सुविधाओं की एवज में भत्ता देय है ।
2. यह भत्ता रोड़ साईड (road Side) स्टेशनों हेतु देय है, जिसका इससे सम्बन्ध नहीं है कि गाड़ी का वहां आवसान (terminate) होता है या नहीं।
3. ऐसे रनिंग रूम के सम्बन्ध में जहाँ रसोईये उपलब्ध नहीं कराए गए है, यह भत्ता निर्धारित दर से आधी दर पर देय होगा ।
4. बैलास्ट तथा मेटेरियल ट्रेन और ट्रेन शिप गुड्स वेन के मामलें में चालक आराम गाड़ी में आराम करने वाले स्टॉफ को ठहराव के दौरान रनिंग रूम सुविधाओं की एवज में आधी दर पर भत्ते का भुगतान किया जाएगा, क्योंकि आराम गाड़ी में रसोईये उपलब्ध नहीं करवाये जाते।
5. यह भत्ता देय नहीं होगा यदि आराम की सुविधाए उपलब्ध करवा दी जाती हैं, चाहे रनिंग रूम अस्तित्व में न हो ।
6. यह भत्ता उस रनिंग स्टाफ को भी देय नहीं होगा जिन्हे बाह्य स्टेशनों पर स्टेशनरी ड्यूटी हेतू नहीं भेजा जाता है ।

इस भत्ते की दरें 25% बढ़ा दी जायेगी जब भी मंहगाई भत्ता 50% तक पहुँच जायेगा ।(RBE 36/14)

;ब्द्ध विश्राम भंग भत्ता / Breach of rest : (Para 909 IREM-I)

(i) विश्राम भंग भत्ता उस रनिंग स्टॉफ को दिया जाएगा जिन्हें निम्न परिस्थितियों में रनिंग ड्यूटी हेतु नियुक्त किया जाता है।

(A) जब रनिंग स्टॉफ एक गाड़ी को बाह्य स्टेशन लेकर जाता है। और मुख्यालय लौटता है, जो रनिंग ड्यूटी हेतु नियुक्त किया जाता हैं ।

(a) मुख्यालय पर 16 घंटे का आराम पुर्ण होने से पूर्व जब कि आराम से तुरन्त पूर्व डयूटी की अवधी 8 घंटे या अधिक हो, और

(b) मुख्यालय पर 12 घंटे का आराम पूर्ण होने से पूर्व जब कि आराम से तुरन्त पूर्व ड्यूटी की अवधी 8 घंटे या कम हो

(B) जब रनिंग स्टॉफ जैसे शंटर और उपनगरीय क्षैत्रो मे सेवाए देने वाला स्टाफ जो दैनिक आराम मुख्यालय पर करते है। उन्है रनिंग डयूटी हेतु नियुक्त किया जाता है।

(a) 12 घंटे का आराम पूर्ण होने से पूर्व जबकि आराम से पूर्व ड्यूटी की कुल अवधि 8 घंटे या अधिक हो और

(b) 8 घंटे का आराम पूर्ण होने से पूर्व जबकि आराम से तुरंत पूर्व ड्यूटी की अवधि 8 घंटे से कम हो ।

(ii) यह भत्ता कार्य घंटे नियमों के अंतर्गत समयोपरि भत्ते के रूप में देय होगा । निर्धारित आराम के घंटों में होने वाली कमी पर प्रति घंटे हेतु 2 घंटे की दर से दिया जाएगा । आधे घण्टे से कम अवधि की उपेक्षा की जाएगी व आधे घंटे व अधिक की प्रत्येक अवधि को एक घंटा माना जाएगा ।

(D) बाह्य स्टेशन पर ठहराव भत्ताः (Para 910 IREM-I & RBE 181/09)

Signing off के पश्चात बाहय स्टेशन पर रनिंग स्टॉफ को 16 घंटे से अधिक रोका जाता है तो वे इस भत्ते के हकदार होंगे यह भत्ता Signing off के समय से 16 घंटे बीत जाने के पश्चात प्रत्येक 24 घंटे के लिए 70 किलोमीटर की दर से दिया जाएगा ।

(E) बाह्य स्टेशन (कार्य मुक्ति) भत्ता : (Para 911 IREM-I)

1. यह भत्ता रनिंग स्टॉफ को मुख्यालय से बाहर स्टेशनों पर अस्थायी रूप से कार्य करने हेतु लगाये जाने पर देय होगा, चाहे वे रनिंग ड्यूटी पर हो या स्टेशनरी पर। बाह्य स्टेशन (ठहराव) भत्ता नियमों में निर्धारित दरों के अनुसार उन्हे बाह्य स्टेशन पर आगमन की तिथि से प्रत्येक दिन हेतु इस भत्ते का भुगतान किया जाएगा ।
2. भत्ते का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा –
   a) जब रनिंग स्टॉफ को उच्चतर पदों पर कार्य करने हेतु बाह्य स्टेशनों पर भेजा जाता है तो भत्ता केवल 14 दिनों की अवधि हेतु दिया जाएगा ।
   b) जब रनिंग स्टॉफ को समान पद पर कार्य हेतु बाहय स्टेशन पर भेजा जाता है तो भत्ता अधिकतम दो माह की अवधि हेतु दिया जाएगा ।
   c) कार्यमुक्ति (Relieving) स्टेशन तक और वापसी यात्रा को ड्यूटी माना जाएगा, चाहे स्पेयर हो या रनिंग तथा इसके अनुसार भत्ता दिया जाएगा ।

(F) दुर्घटना भत्ताः (Para 911 IREM-I)

वह रनिंग स्टापफ जिसे किसी भी स्टेशन पर मुख्यालय से बाहर दुर्घटना के कारण 8 घंटे से अधिक रोका जाता है उन्हे दुर्घटना भत्ते का भुगतान किया जाएगा ।बाहय स्टेशन /ठहराव भत्ते के नियमों में निर्धारित दर के अनुसार इसकी गणना ठहराव का समय आरम्भ होने से प्रत्येक 24 घंटे या इसके अंश के आधार पर की जाएगी । यदि ठहराव की अवधि 8 घंटे से कम होती है तो कोई भुगतान नहीं किया जाएगा, परन्तु वे घण्टे जिनके लिए स्टॉफ को रोका गया है, उन्हे कार्य घंटों के रू॰ में गिना जाएगा।

(G) स्थानापन्न भत्ता : (Para 913 IREM - I)

रनिंग पदों में स्थानापन्न कार्य करने वाले रनिंग स्टाफ के संबंध में स्थानापन्न भत्ते का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा –

(i) (a) जब रनिंग स्टॉफ को 30 या इससे कम दिनों के लिए रनिंग पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य हेतु तैनात किया जाता है तो वे निम्न ग्रेड में यथा अनुज्ञेय वेतन और 15 प्रतिशत की वृद्वि सहित उस उच्चतर ग्रेड में रनिंग भत्ते के हकदार होंगे ।

(b) जब रनिंग स्टॉफ को 30 दिनों से अधिक हेतु स्थानापन्न कार्य पर लगाया जाता है तो उच्चतर पद पर उनका वेतन सामान्य नियमों के अंतर्गत निर्धारित किया जाएगा।

(ii) (a) जब रंनिग स्टॉफ को 30 से अधिक दिनों हेतु स्टेशनरी पद पर स्थानापन्न

नियुक्त किया जाता है तो उनके वेतन का निर्धारण निम्नतर पद पर वेतन तथा इस पर 30% , जो रनिंग भत्ते में वेतन तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, के आधार पर किया जाएगा ।

(b) स्टेशनरी पदों पर 30 या इससे कम दिनों हेतु स्थानापन्न नियुक्त किए गए रनिंग स्टॉफ का वेतन निर्धारण भारतीय रेलवे स्थापना मैनुअल के पैरा 911 (ii) (a) के अनुसार निर्धारित होगा।

(iii) ऐसे मामलों में जहॉ स्थानापन्न व्यवस्था आरम्भिक तौर पर 30 से अधिक दिनों हेतु अनुमोदित की गई है वहां वेतन निर्धारण के सामान्य नियम लागू होंगे। जहाँ आरम्भिक रूप से यह अवधि 30 दिन है वहां 30 दिनों तक लिए जाने वाले बढ़े हुए किलोमीटरेज भत्ते की स्वीकृति होगी, लेकिन 30 से अधिक दिनों हेतु भुगतान पदोन्नति पर सामान्य वेतन निर्धारण के नियमों के अनुसार होगा।

(H) न्यूनतम गारंटेड किलोमीटरेज भत्ता : (Para 914 of IREM-I)

प्रत्येक रेलवे ऐसे सेक्शन और परिस्थितियों को चिन्हित करेगा जो रनिंग स्टाफ द्वारा निर्धारित कार्य घंटों के दौरान पर्याप्त किलोमीटरेज अर्जित करने में सक्षम न हो। इन चिन्हित सेक्शनों और परिस्थितियों हेतु रनिंग स्टाफ को निर्धारित कार्य घंटो हेतु 120 किलोमीटर की दर से भुगतान किया जाएगा।

(i) प्रतीक्षा ड्यूटी भत्ता : (Para 921 of IREM-I)

रनिंग स्टाफ के 10 घंटे तक प्रतीक्षा ड्यूटी पर रहने पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से निम्न मामलों में भुगतान किया जाएगाः–

(a) प्रतीक्षा/स्टेण्ड बाय ड्यूटी रोस्टर अनुसार

(b) स्टेशन ड्यूटी जिसमें गाड़ी रद्द होने पर ठहराव या ड्यूटी हेतु रिपोर्ट करने के पश्चात

स्टाफ की बुकिंग रद्द होना भाामिल है।

(J) घाट सेक्शन भत्ताः (Para 922 of IREM-I)

घाट सेक्शन में चलने वाली गाड़ियों में कार्यरत रनिंग स्टाफ को रनिंग भत्ता देने के लिए किलोमीटरेज की गणना निम्नलिखित आधार पर की जाएगी –

(a) जब रनिंग स्टाफ गाड़ी को ऐसे सभी घाट सेक्शनों में चला रहे हो जहाँ बैंकर वास्तविक रूप से गाड़ी की मदद करता हो तो किलोमीटरेज की गणना वास्तविक दूरी से 5 गुणा (अधिक) की जाएगी।

(b) अन्य सभी मामलों में (इसमें वह भी भाामिल है जब बैंकिंग इंजन को एक लाइट इंजन के रूप में चलाया जाता है या सहायता की आवश्यकता नहीं होती है) क्लास–ा घाट सेक्शन के मामले में भत्ते की गणना वास्तविक दूरी से 5गुणा (अधिक) की जाएगी तथा क्लास–ाा घाट सेक्शन के मामलें में वास्तवीक दूरी से दुगना (अधिक) की जायेगी।

(K) ट्रिप भत्ता (उच्च गति गाड़ियॉ) : (Para 923 of IREM-I, RBE 181/09)

रनिंग स्टाफ को ट्रिप भत्ते के भुगतान हेतु किसी गाड़ी को उच्च गति गाड़ी के रूप में वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित मापदण्ड अपनाए जायेंगे–

(a) अधिकतम स्वीकृत गति सीमा B.G. की स्थिति में 110kmph तथा M.G. की स्थिति में 100kmph से कम नहीं होनी चाहिए।

(b) ऊपर बताई गई अधिकतम स्वीकृत गति सीमा गाड़ी की कुल दौड़ की कम से कम 50% तक प्राप्त की जानी चाहिए।

(c) औसत गति B.G. सेक्शन पर 66kmph तथा M.G. सेक्शन पर 60kmph से कम नहीं होनी चाहिए।

सिरों/गंतव्यों के बीच की न्यूनतम दूरी B.G. सेक्शन पर 400km तथा M.G. सेक्शन पर 300km होनी चाहिए।

इस भत्ते की दरें 25% बढ़ा दी जायेगी जब कभी महंगाई भत्ता 50% तक पहुँच जायेगा।
(RBE 36/14)

(L) लीव माइलेज भत्ता :

जब रनिंग स्टाफ छुट्टी पर रहता है तो उसे अपना जीवन स्तर बनाए रखने के लिए छुट्टी माइलेज भत्ता दिया जाएगा।

छुट्टी माईलेज अलाउन्स की गणना निम्नानुसार की जाएगी –

$$\text{छुट्टी माईलेज अलाउन्स} = \frac{\text{मूल वेतन का 30\%}}{\text{महीने के दिनों की संख्या}} \times \text{ली गई छुट्टी}$$

(10) ब्रेक डाउन भत्ता : (Para 704 of IREM-I, RBE 177/09)

जब कोई गाड़ी ट्रेक से उतर जाती है या दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है जिससे आवागमन में बाधा पहुंचती है, तो यह ब्रेक डाउन की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। रास्ते पर आवागमन की शीघ्र बहाली के लिए नजदीकी ब्रेक डाउन डिपो से स्टाफ, सामग्री, उपकरणों एवं संयंत्र की व्यवस्था की जाती है।

इस उद्देश्य के लिए विभिन्न विभागों जैसेः– लोकों, कैरेज और वैगन, परिचालन, सिविल इंजी0, सिगनल एवं दूर संचार, बिजली इत्यादि के स्टाफ को चिन्हित (Year mark) किया जाता है और ऐसे स्टाफ को निर्धारित दरों पर ब्रेक डाउन भत्ता देय होता है।

ब्रेक डाउन ड्यूटी हेतु नामित स्टाफ को मुफ्त भोजन की आपूर्ति की जाएगी। जहाँ कार्यस्थल पर भोजन की आपूर्ति सम्भव न हो, उन्हें नकद भुगतान किया जाएगा।

ड्यूटी स्थल से दुर्घटना स्थल तथा ड्यूटी स्थान तक वापसी यात्रा का पूरा समय, दुर्घटना स्थल पर कार्य में बिताया गया पूरा समयोपरि भत्ते के भुगतान के लिए ड्यूटी माना जाएगा।

ब्रेक डाउन ड्यूटी हेतु नामित व्यक्ति 100% की दर से यात्रा भत्ता प्राप्त करेगा, जिसका इस तथ्य से कोई संबंध नहीं होगा कि स्टाफ मुख्यालय से 08 किमी0 से अधिक दूर गया या नहीं या 12 घंटे से अधिक कार्य किया या नहीं।

इस भत्ते की दरें 25% बढ़ा दी जायेगी जब कभी महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच जायेगा।

(11) आउट टर्न भत्ताः (Para 705 of IREM-I)

भारतीय रेलवे में कार्यरत सिगनलर्स (टेलीग्राफ), टेलीप्रिन्टर तथा वायरलेस ऑपरेटर को अपनी 8/6 घंटों की ड्यूटी के दौरान निर्धारित संख्या से अधिक संदेश (भेजने/प्राप्त करने) पर प्रति संदेश हेतु पारिश्रमिक दिया जायेगा। प्रत्येक ड्यूटी में इन श्रेणियों के स्टाफ द्वारा निम्नलिखित संख्या में संदेश (handle) करने होते हैं –

टेलीग्राफ सिगनलर	100	टेलीप्रिन्टर ऑपरेटर	250
वायरलेस ऑपरेटर	80	नेट ऑपरेटर	60

इस उद्देश्य हेतु 44 भाब्दों को एक संदेश माना जाएगा। 44 से अधिक लेकिन 74 शब्दों तक 2 संदेश माने जाएंगे। आउटर्न भत्ते के भुगतान हेतु 104 शब्दों तक 3 संदेश माने जाऐंगे। अतिरिक्त प्रति संदेश हेतु 10पैसे का भुगतान किया जाएगा। यह 01.08.97 से प्रभावी है। (RBE 37/90 & 209/99)

(12) धुलाई भत्ताः (Para 706 IREM & Rule 1422 R-II)

निम्नलिखित श्रेणियों में नियुक्त समूह–घ तथा मुख्यालय एवं अन्य कार्यालयों में कार्यरत स्टाफ कार ड्राईवर समूह–ग जहाँ उनसे साफ सुथरे कपड़ों में होना अपेक्षित माना गया है, वे धुलाई भत्ते के हकदार हैं। यह भत्ता रू. 60 प्रतिमाह 01.09.2008, रू. 75/– प्रतिमाह 01.01.11 व रू. 90/– प्रतिमाह 01.01.14 से की दर से देय है।

रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 01.05.15 द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि ग्रेड पे 1800 में कार्यरत ऐसे सभी कर्मचारी जिन्हें यूनिफॉर्म दी जाती हैं, उन्हें धुलाई भत्ता देय होगा। यह दिनांक 01.05.15 से प्रभावी होगा। (RBE 41/15)

i. स्कूलों में कार्यरत समूह–घ के वे रेल सेवक जिन्हें यूनिफॉर्म दी जाती है।

ii. अस्पतालों एवं डिस्पेन्सरियों में कार्यरत समूह–घ का स्टाफ जैसे– एक्स–रे अटेंडेन्ट, प्रयोगशाला अटेंडेन्ट, अस्पताल चपरासी, आया, सफाईकर्मी और स्ट्रेचर बीयरर।

iii. स्टाफ कारों के ड्राईवर ।

iv. लिफ्ट अटेंडेन्ट (लिफ्टमेन)

v. RPF/RPS का समस्त अराजपत्रित स्टाफ।

vi. समूह–घ स्टाफ/चपरासी/मोटर ड्राईवर जिसमें वे कैजुअल लेबर भी भाामिल है जो मुख्यालय/प्रशासनिक कार्यालयों में कार्यरत है या जो निर्माण इकाई/प्रोजेक्ट के DEN/IC से व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं।

vii. एम्बुलेन्स कार ड्राईवर ।

viii. वातानुकूलित कोच अटेंडेन्ट ।

ix. प्रतीक्षालय/विश्रामालय अटेंडेन्ट/आया।

x. स्टेशन लिफ्ट अटेंडेन्ट ।

xi. प्रथम श्रेणी कोच अटेंडेन्ट ।

xii. स्टेशनों या ट्रेनों में खान–पान इकाईयों में कार्यरत समूह–घ स्टाफ।

viii. रेलवे स्टेशनों पर कार्यरत सफाईवाले जो झाड़ू लगाने/प्लेटफॉर्म/स्टेशन भवन की सफाई में लगे हुए हैं।

ix. संवैधानिक/गैर संवैधानिक रेलवे केन्टीन में कार्यरत समूह–घ स्टाफ (CAT के निर्णयानुसार स्वीकृत)।

a. वाहक/बीयरर ।
b. हलवाई, सहा0हलवाई, कुक तथा चाय/काफी बनाने वाले ।
c. बर्तन साफ करने वाले ।
d. झाड़ू लगाने वाले । (RBE 137/08, 55/10)

xv. ट्रेक मेन्टेनर ग्रेड III व ग्रेड IV (ग्रेड पे 1900/– व 1800/–) (दिनांक 01.10.12 से) (RBE 110/12)

इस भत्ते की दरें 25% बढ़ा दी जायेगी जब कभी महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच जायेगा।

नोट :–यदि छुट्टी की अवधि एक समय में 15 दिन से अधिक हो तो धुलाई भत्ता देय नहीं होगा। (Para 711 of IREM-I)

(13) <u>निर्माण सर्वेक्षण प्रतिपूरक भत्ता</u> : (Para 707 IREM-I)

निर्माण सर्वेक्षण प्रतिपूरक भत्ता निम्न दरों पर ओपन लाईन स्टाफ को देय होगा जो निर्माण एवं सर्वेक्षण कार्यों में लगाए गए हैं। यह भत्ता केवल सर्वेक्षण तथा रेल लाइनों के पुनर्निर्माण के मामले में देय होगा। यह बड़ी लाईन आमान परिवर्तन हेतु देय नहीं होगा। यह भत्ता रेलवे बोर्ड द्वारा विशेष निर्माण या सर्वेक्षण हेतु घोषित किया जाता है –

क्रस	<u>ग्रेड वेतन</u>	दर प्रतिमाह <u>01.09.08 से</u>	दर प्रतिमाह <u>01.01.11 से</u>	दर प्रतिमाह <u>01.01.14 से</u>
1	रू. 5400/– ग्रेड वेतन तथा ऊपरी पदों हेतु HAG + वेतन श्रृंखला और ऊपरी	रू. 1500/-	रू. 1875/-	रू. 2250/-
2	रू. 5400/– ग्रेड वेतन से कम वाले पदों हेतु	रू. 1000/-	रू. 1250/-	रू. 1500/-

इस भत्ते की दरें 25% बढ़ा दी जायेगी जब कभी महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच जायेगा।

(14) <u>परियोजना भत्ता</u>: (Para 708 IREM)

परियोजना भत्ता केवल योग्य (qualified) बड़ी परियोजना हेतु देय है। यह भत्ता केवल तभी

स्वीकृत किया जाता है जब परियोजना कार्य को बड़े निर्माण संगठन द्वारा किए जाने की आवश्यकता हो और ऐसा कार्य लम्बे समय तक चले। मुख्यतः यह भत्ता घर, स्कूल, बाजार, डिस्पेन्सरी इत्यादि सुविधाओं की कमी की क्षतिपूर्ति हेतु दिया जाता है।
कार्यालय स्टाफ जो परियोजन कार्य में सीधे तौर पर नहीं जुड़े हैं उन्हें यह भत्ता निर्धारित दर से आधा दिया जाएगा।
इस भत्ते की दरें 25% बढ़ा दी जायेगी जब कभी महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच जायेगा।
इस भत्ते की दरें निम्न है –
(RBE 177/08)

क्र. सं.	ग्रेड वेतन	दर प्रतिमाह 01.01.06 से	दर प्रतिमाह 01.01.11 से	दर प्रतिमाह 01.01.14 से
1	रू. 5400/– ग्रेड वेतन तथा ऊपरी पदों हेतु HAG + वेतन श्रृंखला और ऊपरी	रू. 1500/-	रू. 1875/-	रू. 2250/-
2	रू. 5400/– ग्रेड वेतन से कम वाले पदों हेतु	रू. 1000/-	रू. 1250/-	रू. 1500/-

(15) यात्रा भत्ताः (Rule 1614 to 1620 of IREC-II)

रेल सेवक को अपने मुख्यालय से 8किमी0 से अधिक दूरी की यात्रा या वापसी हेतु उस दिन के लिए निर्धारित दर के अनुसार यात्रा भत्ता देय है।
यात्रा भत्ता मुख्यालय से अनुपस्थित रहने के प्रत्येक दिन हेतु देय होगा जिसकी गणना मध्य रात्रि से मध्य रात्रि के आधार पर निम्न अनुपात में की जाएगी –
यदि मुख्यालय से अनुपस्थिति लगातार 6घंटे से अधिक न हो : यात्रा भत्ता का 30%
यदि मुख्यालय से अनुपस्थिति लगातार 12घंटे से अधिक न होः यात्रा भत्ता का 70%
यदि मुख्यालय से अनुपस्थिति लगातार 12घंटे से अधिक हो : यात्रा भत्ता का 100%

यदि रेल सेवक ड्यूटी के दौरान छुट्टी/प्रतिबंधित अवका ा का उपयोग करता है तो उस दिन के लिए यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
जब रेल सेवक ड्यूटी पर मुख्यालय से बाहर रखता है तथा रहने तथा खाने की सुविधा ऐसे स्थान पर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में यात्रा भत्ता निम्नानुसार देय होगा। (Rule 1617 of IREC-II)

A. पहले 180 दिन : फुल रेट पर
B. 180 दिन से अधिक : शून्य (Rule 1618 of IREC-II)

मुख्यालय से अनुपस्थिति की अवधि उस समय शुरू होगी जब रेल कर्मचारी मुख्यालय स्टेशन से रवाना होगा और उस समय समाप्त होगी जब वह उस स्टेशन पर वापसी करेगा जहाँ मुख्यालय स्थित है चाहे वह वहां रूके या नहीं। जब एक ट्रेन 15 मिनट तक देरी से पहुंचती है तो इस नियम के उद्देश्य से रेलवे टाईम टेबल में दिए गए समय पर आगमन माना जाएगा।
मुख्यालय कार्यालय से स्टेशन/एयरपोर्ट जाते समय की गई सड़क यात्रा को इस उद्देश्य के लिए इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। (Rule 1620 of IREC-II)
यात्रा भत्ता भुगतान हेतु रेल सेवकों को निम्न श्रेणियों में बांटा गया है –

		01.09.08 से	01.01.11 से	01.01.14 से
(i)	रू. 10000 से अधिक ग्रेड वेतन लेने वाले और जो HAG+तथा ऊपरी वेतन श्रृंखला में वेतन पाते हैं।	रू. 520/-	रू. 650/-	रू. 780/-

(ii)	रू. 7600 से रू. 8900 ग्रेड वेतन पाने वाले	रू. 460/-	रू. 575/-	रू. 690/-
(iii)	रू. 5400 से रू. 6600 ग्रेड वेतन पाने वाले	रू. 400/-	रू. 500/-	रू. 600/-
(iv)	रू. 4200 से रू. 4800 ग्रेड वेतन पाने वाले	रू. 340/-	रू. 425/-	रू. 510/-
(v)	रू. 4200 से कम ग्रेड वेतन पाने वाले	रू. 210/-	रू. 263/-	रू. 316/-

TA/DA हक निर्धारण हेतु ग्रेड वेतन/संशोधित TA/DA की दरें 01.09.08 से प्रभावी होगी।

इस भत्ते की दरें 25% बढ़ा दी जाएगी जब कभी महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच जाएगा। (RBE 192/08)

(16) वाहन भत्ता: (Rule 1606 IREC-II)

सक्षम प्राधिकारी ऐसी स्थितियों में जिन्हें वह उचित समझे, किसी ऐसे रेल सेवक को मासिक वाहन भत्ता स्वीकृत कर सकता है जिसे मुख्यालय से सघन या छोटी दूरियों की यात्राएं करनी पड़ती है और जिन परिस्थितियों में वह दैनिक भत्ता लेने का हकदार नहीं होता।

इस नियम में अन्यथा दिए गए प्रावधानों या स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी के निर्देशों के अलावा वाहन भत्ता वर्ष भर लिया जा सकता है, मुख्यालय से अनुपस्थिति के दौरान जब्त नहीं किया जाएगा और इस नियम के अंतर्गत देय अन्य किसी भत्ते के साथ लिया जा सकता है। शर्त यह है कि जो मोटर कार/मोटर साईकिल के रख–रखाव हेतु स्वीकृत वाहन भत्ते को प्राप्त कर रहे हैं, कार/मोटर साईकिल से यात्रा हेतु माईलेज या दैनिक भत्ता प्राप्त नहीं करेंगे सिवाय उन शर्तों के जो स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी निर्धारित करता है।

वाहन भत्ता छुट्टी या अस्थाई स्थानान्तरण या बाद में व पहले आने वाले राजपत्रित अवकाशों के दौरान देय होगा। (RBE 140/08)

इस भत्ते की दरें 25% बढ़ा दी जायेगी जब कभी महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच जायेगा।

(17) माईलेज भत्ता : (Rule 1607 IREC-II)

माईलेज भत्ता केवल सड़क यात्रा हेतु देय होगा तथा इसकी गणना दो या अधिक निर्धारित मार्गों में से सबसे छोटे मार्ग या इनमें से सबसे सस्ते मार्ग के अनुसार की जाएगी जो समान रूप से छोटा हो।

यदि रेल सेवक ऐसे मार्ग से यात्रा करता है जो सबसे छोटा न होकर भी छोटे मार्ग से सस्ता है तो उसके माईलेज भत्ते की गणना वास्तविक रूप से काम में लिए गए मार्ग के अनुसार की जाएगी।

एक रेल सेवक को उसी श्रेणी से यात्रा करनी चाहिए जिसका यात्रा भत्ता उसे देय है। यदि रेल सेवक निचले दर्जे में यात्रा करता है तो वह उसी दर्जे के किराए का हकदार होगा, परन्तु ऐसी स्थिति में जब नियंत्रक अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा करने के पीछे पर्याप्त कारण है तो वह उच्चतर श्रेणी का पूरा माईलेज भत्ते की स्वीकृति दे सकता है।(RBE 192/08)

इस भत्ते की दरें 25% बढ़ा दी जायेगी जब कभी महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच जायेगा।

(18) संयुक्त स्थानान्तरण अनुदान : Rule 1642 & 1643 IREC-II 05 &RBE 193/08,189/10)

एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर स्थानान्तरित रेल सेवक को इस नियम के अंतर्गत स्थनान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा, यदि उसका स्थानान्तरण जनहित में नहीं किया गया है। स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरण को तब तक जनहित में स्थानान्तरण नहीं माना जाएगा जब तक स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी विशेष कारणों से ऐसा न माने। रेल सेवक हेतु स्थानान्तरण पर यात्रा के दावे निम्नानुसार होंगे :–

(a) स्थानान्तरण पर यात्रा हेतु दावे :

(i) हवाई यात्रा : 12000/– रू. ग्रेड वेतन तथा HAG+ और उपरी वेतन भोगी अधिकारी स्थानान्तरण पर नए मुख्यालय में कार्यग्रहण हेतु अपने विवेकानुसार

हवाई यात्रा कर सकते है। रू. 10000/– ग्रेड वेतन लेने वाले अधिकारी को भी सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से हवाई यात्रा की स्वीकृति दी जा सकती है । हालांकि, हवाई किराया केवल स्वंय के लिए देय होगा । किसी भी रेल सेवक का पारिवारिक सदस्य स्थानान्तरण पर हवाई यात्रा का हकदार नहीं होगा।

(ii) रेल यात्रा – रेल सेवक (पास) नियम 1986 की अनुसूची–1 के अंतर्गत देय मुफ्त पास रेल सेवक और उसके पारिवारिक सदस्यों को जारी किए जा सकते है ।

(iii) सड़क यात्रा – रेल सेवक रेल से जुड़े स्टेशनों के बीच सड़क यात्रा का हकदार नहीं होगा । हालांकि रेल सेवक और उसके पारिवारिक सदस्य स्टेशनों के रेल से न जुड़े होने की स्थिति में सड़क यात्रा कर सकते हैं । IREC-II के "सेक्शन –v- माईलेज भत्ता के अंतर्गत नियम –1607 के उपनियम 5 के निर्देशानुसार सड़क यात्रा हेतु वही पात्रता होगी जो दौरा यात्रा हेतु देय है । वास्तविक देय सड़क माईलेज भत्ता IREC-II के नियम –1644 में दर्शाया गया है ।

इस भत्ते की दरे 25% बढा दी जायेगी जब कभी मंहगाई भत्ता 50% तक पहुँच जायेगा ।

(B) सयुक्त स्थानान्तरण अनुदान :–

नियम एवं शर्तेः एक रेल सेवक नीचे दी गई सारणी में दर्शायी गई दरो के अनुसार Composite transfer grant का हकदार होगा, जो निम्न शर्तो के अधीन होगा ।

(i) यदि स्थानान्तरण के फलस्वरूप रेल सेवक के आवास में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो composite transfer grant देय नही होगा ।

(ii) 180 दिनों से कम अवधि के अस्थायी स्थानान्तरण के मामलें मे composite transfer grant देय नहीं होगा ।

(iii) यदि कर्मचारी के अनुरोध पर स्थनान्तरण आदेश जारी किए गए है तो composite transfer grant देय नही होगा । परस्पर (Mutual) स्थानान्तरण के मामले में भी यह देय नहीं होगा।

(iv) स्थानान्तरण आदेशों में इस आशय की सकारारात्मक टिप्पणी के अभाव में कि स्थनान्तरण स्वयं के अनुरोध पर है या 180 दिनों से कम अवधि मे लिए है, स्थानान्तरण आदेशों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा composite transfer granat के भुगतान की स्वीकृति सहित माना जाएगा, हालाकि यह निर्धारित नियमों और शर्तो के अधीन होगा ।

(v) Composite transfer grant को आयकर की गणना के लिए आय के रूप में नहीं माना जाएगा ।

(vi) स्थानान्तरण पर घरेलू सामान की पैकिंग / बाधने के लिए रेल्वे श्रमिक को काम में लेने की सुविधा देय नहीं है ।

(vii) Composite transfer grant के भुगतान को पुराने मुख्यालय पर प्राप्त रेलवे आवास को खाली करने से नहीं जोड़ा जाएगा ।

(viii) रेल कर्मचारी की सेवानिवृति की स्थिति में Composite transfer grant का कोई दावा तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि सेवानिवृत रेल कर्मचारी उसे आवंटित आवास को खाली नहीं कर देता ।

(ix) यदि सेवानिवृत,रेल कर्मचारी सेवानिवृति पश्चात अपने किसी पारिवारिक सदस्य

के नाम लगातार आवंटित रेल आवास में रहना पसन्द करता है तो उसे Composite transfer grant देय नहीं होगा ।

(x) हालांकि Composite transfer grant देय होगा, यदि सेवानिवृत रेल कर्मचारी परिवार के उस सदस्य से दूर रहना पसंद करता है जिसके नाम पर रेल आवास लगातार आवंटित किया गया है । ऐसे मामलों में सेवानिवृत रेल सेवक को आवास परिवर्तन के संबंध में दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा ।

(xi) Transfer grant के दावे हेतु रेल सेवक को यात्रा करने, इत्यादि का दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा ।

Admissibility of composite transfer grant :-

	On submission of first transfer TA claim after joining at the new HQs.	On submission of and transfer TA claim after transportation of personal effects by		Total
i) Railway servant s who have joined railway service on or after 1.5.76.	75^ of one month's Basic pay.	(i)5% of one month's baxic pay if car is carried in VPU alongwith personal effects. (ii) Nil. If car is not carried in the VPU.	25% of one month's Basic Pay.	(i)One month's baxic if personal effects are transported by goods train/ container. (ii)80% of one month's basic pay if car is carried in VPU. (iii)75% of one month's basic pay if car is not carried in the VPU.
ii) Railway servants who have joined Railway service prior to 1.5.76 (i) Op. A,B,C Rly, employees . (ii) Op.D Rly employees	80% of one month's basic pay. 90% of one month's basic pay	Nil Nil		80% of one month's basic pay . 90% of one month's basic pay.

नोटः–

(A) सभी समुहों के कर्मचारी जिनका स्थानान्तरण 20 किलोमीटर की परिधि में किया गया हैं तथा आवास परिर्वतन किया गया है तो Transfer grant के 1/3 के हकदार होगें।

(B) 01.09.08 को या इसके पश्चात सेवानिवृत होने वाले कर्मचारी भी इस grant के हकदार होगें।

(C) ऐसे सेवानिवृत कर्मचारी के मामले में जो उसी स्टेशन या उसके 20 कि.मी. के दायरे में ही बसता हैं तथा रहवास का वास्तविक रूप से बदलाव होता है तो उसे C.T.G. के 1/3 का भुगतान देय होगा। (RBE 83/10)

(D) सेवानिवृत रेल कर्मियों और मृत्यु की स्थिति में रेल कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को देय Composite transfer grant, यात्रा स्थानान्तरण पर देय राशि के समान ही होगी।

(E) पदोन्नति पर स्थानान्तरण के मामले में रेल सेवक पदोन्नति पूर्व वेतन के आधार पर Transfer grant का हकदार होगा।

(F) Composite transfer grant मूल वेतन अर्थात वेतन बैंड में वेतन तथा ग्रेड वेतन के आधार पर स्वीकृत किया जाएगा।

(G) ऐसी स्थिति में जब पति–पत्नि दोनों सरकारी सेवा में हो तथा दोनों को समान स्टेशन से एक साथ या 6 माह की अवधि के भीतर नए समान स्टेशन पर स्थानान्तरित किया जाता है तो दोनों को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(H) (i) जब स्थानान्तरित/सेवानिवृत कर्मचारी घोषणा करता हैं कि उसने अपना व्यक्तिगत /घरेलु सामान अपनी स्वयं की व्यवस्था से स्थानान्तरित कर दिया हैं तथा किट पास/वी.पी.यू. आदि की सुविधा नहीं ली हैं तो ऐसे मामलों में सामान के परिचालन के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर जोर नहीं दिया जाये। हालांकि यात्रा/निवास परिवर्तन सम्बन्धी साक्ष्य की आवश्यकता रहेगी ।

(ii)स्थानान्तरण/सेवानिवृति सम्बन्धी ऐसे मामलों में जहाँ उसी स्टेशन या उसके 20 कि.मी. के दायरे में जहाँ सामान सामान्यत सड़क द्वारा ले जाया जाता है, वहां C.T.G. निर्धारित दर अर्थात मूल वेतन का 1/3 निवास परिवर्तन संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर देय होगा। (RBE 76/11)

(I) स्थानान्तरण/सेवानिवृति पश्चात बसने के स्थान तक व्यक्तिगत सामान (Personal effects) तथा कार की सड़क के रास्ते ले जाने की स्वीकृति प्रतिपूर्ति अधार (reimbursement basis) पर दी जा सकती है। यह हकदारी (entitlement) C.T.G. के अतिरिक्त होगी।

(19) रात्रि ड्यूटी भत्ता : (RBE 199/08)

यह भत्ता 22.00 बजे से 06.00 बजे तक कार्य करने वाले अराजपत्रित कर्मचारियों को देय है। रात्रि ड्यूटी भत्ते के भुगतान के लिए प्रत्येक घंटे हेतु 10 मिनट वेटेज/भार (Waitage) की गणना की जाती है। प्रत्येक (Waitage) घंटे की दर कुल वेतन तथा मंहगाई भत्ते पर तय की जाती है। इस प्रकार जब भी महंगाई भत्ता संशोधित किया जाता है तो रात्रि ड्यूटी भत्ते की दरें भी विभिन्न श्रेणियों के शहरों के अनुसार संशोधित की जाती है। 01.09.08 से प्रभावी नई दरें Continuous, Intensive तथा Workshop staff के लिए E-1 श्रेणी के स्टॉफ से अलग होगी ।

(Rly Bds Lt no- PC-60/HW-2/3 of 07-07-62 NR PS 1670 & 39E/4-1/(EIV) Dt. 27-08-63 NR PS 2220)

20 साईकिल रख–रखाव भत्ता : (Rule 605 IREC-II & RBE 115/08)

सक्षम प्राधिकारी ऐसे रेल सेवक को साईकिल रख–रखाव भत्ता स्वीकृत कर सकता है जिसे मुख्यालय से 08 किलोमीटर की परिधि में सघन यात्राएं करने की आवश्यकता रहती है। इस हेतु कर्मचारी द्वारा साईकिल का रख–रखाव करना तथा कार्यालय कार्यों के निष्पादन में उसका प्रयोग करना आवश्यक है।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह भत्ता एक समय में दो वर्ष से कम अवधि हेतु स्वीकृत किया जाएगा। यह भत्ता यात्रा समय, छुट्टी, अस्थाई स्थानान्तरण तथा छुट्टियों के आगे/ पीछे पड़ने वाले राजपत्रित अवकाश और कार्यग्रहण समय के दौरान देय नहीं होगा।

इस भत्ते की दर रूपये 60/– प्रतिमाह 01.09.08, रूपये 75/– प्रतिमाह 01.01.2011 तथा रूपये 90/– प्रतिमाह 01.01.2014 से प्रभावी है। जब भी मंहगाई भत्ता 50% हो जाएगा तब इस भत्ते की दर स्वतः ही 25% बढ़ा दी जाएगी ।

21 समयोपरि भत्ता : (Chapter 15 of IREC-II & RBE 29/10 & 72/11)

जब रेल सेवक HOER के अनुसार तय रोस्टर घंटों से अधिक अतिरिक्त कार्य करता है।

या HOER के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के रेल सेवकों हेतु निर्धारित या अन्य किसी नियम में निर्धारित सीमा से अधिक कार्य करता है तो उसे अतिरिक्त कार्य घंटों हेतु समयोपरि भत्ते का भुगतान किया जाएगा ।

पर्यवेक्षक/प्रबंधकीय तथा गोपनीय स्टाफ को यह भत्ता देय नहीं है।

कारखाना, मुद्रणालय तथा शेड में कार्यरत्त कर्मचारी समयोपरि भत्ते के हकदार नहीं है। हालांकि, उन्हे यह भत्ता सामान्य कार्य घंटों से अधिक किए गए वास्तविक कार्य या अवकाश और रविवार को कार्य करने के लिए बुलाए जाने पर महाप्रबंधक की स्वीकृति से स्वीकृत किया जा सकता है।

समयोपरि भत्ते की दरें निम्नानुसार है–

1. रोस्टर घंटों से अधिक लेकिन वैद्यानिक सीमा तक : सामान्य दर का 1½
2. वैद्यानिक सीमा से अधिक : सामान्य दर से दुगुना

छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार समयोपरि भत्ते की गणना करने के लिए निम्न परिलाभों (emolument) को सम्मिलित किया जाएगा –

A) फैक्ट्री एक्ट द्वारा शासित रेल कर्मचारी :–

(i) ग्रेड वेतन (ii) वेतन (iii) मंहगाई भत्ता

(iv) परिवहन भत्ता (v) मकान किराया भत्ता

(vi) कर्मचारियों को स्वीकृत अन्य मौद्रिक समतुल्य जैसे – Provision या अन्य वस्तुए इत्यादि ।

B) HOER द्वारा शासित अन्य सभी रेल सेवक–

उपर (A) में दर्शाये गये अन्य परिलाभ, मकान किराया भत्ता के अलावा।

(C) प्रशासनिक आदेशों से शासित अन्य कर्मचारी –

(i) ग्रेड वेतन, (ii) वेतन, (iii) मंहगाई भत्ता

संशोधित दरों से समयोपरी भत्ते का भुगतान दिनांक 01.09.08 से देय था जिसमें रेलवे बोर्ड द्वारा संशोधित करते हुए निर्धारित किया गया कि संशोधित दरों से समयोपरि भत्ते का भुगतान दिनांक 01.01.06 से देय होगा।

हालांकि इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया गया है कि – समयोपरि भत्ते के भुगतान हेतु मूल वेतन व मंहगाई भत्ते की संशोधित दरें दिनांक 01.01.06 से प्रभावी होगी, समयोपरि भत्ते की गणना हेतु अन्य तत्व यथा मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता आदि की संशोधित दरें इस गणना हेतु दिनांक 01.09.08 से ली गई जाएगी। (RBE 72/11)

22 प्रतिनियुक्ति ड्यूटी भत्ता : (Rule 2023 IREC-II & RBE 115/08)

जब किसी रेल सेवक को अस्थाई आधार पर अपने सामान्य नियुक्ति स्थान से बाहर अन्य किसी विभाग या राज्य सरकार के कार्यालय में जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है तो वह निम्नलिखित प्रतिनियुक्ति ड्यूटी भत्ते का हकदार होगा जो 01.09.08 से प्रभावी है :– (RBE 129/98)

1. जब प्रतिनियुक्ति पर समान स्टेशन पर नियुक्त किया जाता है तो उसे मूल वेतन का 5% भुगतान किया जाएगा जो अधिकतम रू. 2000/– प्रतिमाह हो सकता है।
2. अन्य सभी मामलों में मूल वेतन का 10% जो अधिकतम रू. 4000/– प्रतिमाह हो सकता है।
3. मूल वेतन+प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता बैंड वेतन PB–4 (रू. 67000/–)+ ग्रेड पे प्रतिनियुक्ति पर धारित पद से अधिक नहीं होना चाहिए। ग्रेड वेतन रू. 10,000/– से अधिक नहीं होना चाहिए।

संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन से आशय निर्धारित बैंड वेतन +लागू वेतन से है, लेकिन इसमें अन्य किसी प्रकार का वेतन जैसे विशेष वेतन इत्यादि शामिल नहीं है।

23 राष्ट्रीय अवकाश भत्ता : (Para 1424 of IREC-II 2005)

राष्ट्रीय अवकाश पर ड्यूटी हेतु बुक किए गए अराजपत्रित कर्मचारियों को यह भत्ता निम्न शर्तो पर स्वीकृत किया जा सकता है।

1. कर्मचारी के रेस्ट पर होने पर भी नकद प्रतिपूर्ति की जाएगी। यह आवश्यक नहीं कि नकद प्रतिपूर्ति हेतु उसके रेस्ट को रद्द किया जाए। (RBE 211/09)
2. Round the clock शिफ्ट राष्ट्रीय ड्यूटी करने वाले को ऐसे अवकाश पर आंशिक ड्यूटी करने पर निर्धारित दरों पर पूरा राष्ट्रीय अवकाश भत्ता दिया जाएगा।
3. नकद प्रतिपूर्ति केवल उन्ही कर्मचारियों को देय होगी जो राजपत्रित अवकाशों का लाभ नहीं लेते तथा जिनका राष्ट्रीय अवकाशों पर काम करना आवश्यक हों
4. मौट्रिक क्षतिपूर्ति रेस्ट के दिन भी देय है जब रनिंग स्टॉफ वेटिंग ड्यूटी या लाईट ड्यूटी पर हो तथा उस दिन राष्ट्रीय अवकाश पड़ता हो ।
5. राष्ट्रीय अवकाश भत्ता एवज में प्रतिपूर्ति रेस्ट देने की बजाय बारी–बारी से 50% गैंग पर राष्ट्रीय अवकाश भत्ता लागू किया जाएगा
6. राष्ट्रीय अवकाश पर लाईन ड्यूटी हेतु बुक ओपन लाईन स्टॉफ भी राष्ट्रीय अवकाश भत्ता का हकदार होगा ।
7. राष्ट्रीय अवकाश भत्ता प्रावधान राजपत्रित अधिकारियों पर लागू नहीं है । इसकी दरें निम्मानुसार है :–

(RBE 190/08,13/10)

क्र सं	बैंड वेतन में वेतन + ग्रेड वेतन	01.09.08	01.01.11	01.01.14
1	रू.7260/– तक	रू. 170/–	रू. 213/–	रू. 256/–
2	रू.7261/–से रू. 9700/– तक	रू. 212/–	रू. 265/–	रू. 318/–
3	रू. 9701/– और अधिक	रू. 280/–	रू. 350/–	रू. 420/–

जब मंहगाई भत्ता 50% तक पहुंच जाएगा तो इस भत्ते की दरें 25% बढ़ा दी जाएगी।

24 जनजाति क्षेत्र भत्ता : (RBE 199/87 & 116/08)

ऐसे क्षेत्रों में कार्यरत रेल कर्मचारी जहाँ राज्य सरकारों ने जनजाति क्षेत्र भत्ता स्वीकृत कर रखा है, निम्नलिखित दरों पर निर्धारित शर्तो के अनुसार विशेष प्रतिपूरक जनजाति क्षेत्र भत्ते के हकदार है–

क्रसं	ग्रेड वेतन	दर प्रतिमाह–	01.09.08	01.01.11	01.01.14
1.	रू. 5400/– ग्रेड वेतन और अधिक		रू. 400/–	रू. 500/–	रू. 600/–
2.	रू. 5400/– से कम ग्रेड वेतन		रू. 240/–	रू. 300/–	रू. 360–

यह भत्ता तब तक देय होगा जब तक राज्य सरकार इसे अपने कर्मचारियों को देगी। कर्मचारी द्वारा एक या अधिक अनुसूचित/जनजाति खण्डों में चार वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने के पश्चात ही यह भत्ता प्रथम नियुक्ति की तिथि से एरियर के माध्यम से दिया जाएगा। चार वर्ष पूर्ण करने के पश्चात यह भत्ता मासिक आधार पर देय होगा। जब मंहगाई भत्ता 50% तक पहुंच जाएगा तो इस भत्ते की दरें स्वतः ही 25% बढ़ा दी जाएगी। किसी स्थान विशेष पर देय अन्य विशेष प्रतिपूरक भत्ते की स्थिति में वहां कार्यरत रेलकर्मी को वह विकल्प चुनने की सुविधा होगी जो उसके लिए लाभकारी हो।

(25 बॉर्डर भत्ता: (RBE 159/89)
)

बॉर्डर भत्ता पंजाब की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 16 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत्त कर्मचारियों को देय होगा जिसमें जिला, उप–जिला तथा तहसील मुख्यालय शामिल नहीं है। यह भत्ता राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 30 मील की परिधि में कार्यरत कर्मचारियों को देय होगा जिसमें जिला, उप–जिला तथा तहसील मुख्यालय शामिल नहीं है।

बॉर्डर भत्ता तभी दिया जाएगा जब अन्य प्रतिपूरक भत्ते जैसे– सुदूर क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र, खराब जलवायु, पहाड़ी क्षेत्र भत्ता देय नहीं हो।

यह भत्ता सुरक्षा बलों तथा ऐसे रेल सेवकों को देय नहीं होगा जिनकी भर्ती शर्तों में प्राथमिक रूप से बॉर्डर क्षेत्र में कार्य करना शामिल है।

RBE No. 153/08 के तहत राजस्थान राज्य हेतु बॉर्डर क्षेत्र भत्ता समाप्त कर दिया गया है।

26 <u>विशेष प्रतिपूरक (सुदूर क्षेत्र) भत्ता</u> : (RBE 203/86, 198/98, 119/08)

सुदूर क्षेत्र भत्ता ऐसे रेल कर्मियों को देय है जो विभिन्न राज्यों के विशेष क्षेत्रों तथा A, B, C व D के रूप में विभक्त संघ शासित क्षेत्रों में कार्यरत है। (सूची RBE 198/98 में) । ऐसे विशेष क्षेत्र मुख्यतः जम्मू–कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, लक्षद्वीप, नागालैण्ड तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह से सम्बद्ध है।

ऐसे रेल सेवक जो इन आदेशों के अंतर्गत विशेष प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त कर रहे हैं व इसके साथ संयुक्त पहाड़ी क्षेत्र प्रतिपूरक भत्ते के हकदार नहीं होंगे। हालांकि ऐसे स्थान जहाँ देय पहाड़ी क्षेत्र प्रतिपूरक भत्ता या अन्य कोई प्रतिपूरक भत्ता अधिक लाभदायक हो तो विशेष प्रतिपूरक भत्ते की एवज में उस भत्ते की स्वीकृति दी जा सकती है।

विशेष प्रतिपूरक भत्ता शहर प्रतिपूरक भत्ते के समान समय–समय पर संशोधित आदेशों के अंतर्गत छुट्टी, कार्यग्रहण समय तथा निलम्बन के दौरान देय/निर्धारित होगा।

यह भत्ता सभी रेल सेवकों पर लागू है। (ग्रुप–'ए' सहित)

01.09.08 से प्रभावी इस भत्ते की दरें निम्नानुसार है :–

क्रस	ग्रेड वेतन	Area Part Wise											
		A			B			C			D		
1	रू. 5400/– और अधिक ग्रेड वेतन	01.09.08	01.01.11	01.01.14	1.9.08	1.1.11	1.1.14	1.9.08	1.1.11	1.1.14	1.9.08	1.1.11	1.1.14
2	रू. 5400/– से कम ग्रेड वेतन												

जब महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच जाएगा तो इस भत्ते की दर स्वतः ही 25% बढ़ा दी जाएगी।

किसी स्थान विशेष पर देय किसी अन्य विशेष प्रतिपूरक भत्ते की स्थिति में वहां कार्यरत रेलकर्मी को वह भत्ता चुनने का विकल्प रहेगा जो उसके लिए लाभदायक हो।

27 खराब जलवायु भत्ता : (RBd's l.No. PC-III/94/COA/3 dt. 16.04.74, RBE 114/08)

ऐसे क्षेत्र जो सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य की दृष्टि से खराब जलवायु क्षेत्र माने गये हैं, ऐसे क्षेत्रों में कार्यरत्त खराब जलवायु भत्ते के हकदार होगें।

इस भत्ते की 01.09.08 से प्रभावी दरें निम्न हैं :–

क्रस	ग्रेड वेतन	दर प्रतिमाह	01.09.08	01.01.11	01.01.14
1	रू 5400/– तथा अधिक ग्रेड वेतन		रू 400	रू 500	रू 600
2	रू 5400/– से कम ग्रेड वेतन		रू 240	रू 300	रू 360

जब महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत तक पहुँच जायेगा तो इस भत्ते की दर स्वतः ही 25 प्रतिशत बढ़ा दी जायेगी। किसी स्थान विशेष पर देय किसी अन्य विशेष प्रतिपूरक भत्ते की स्थिति में वहाँ कार्यरत रेल कर्मी को वह भत्ता चुनने का विकल्प रहेगा जो उसके लिये लाभदायक हो।

28 <u>रात्रि गश्त भत्ता</u>: (Rly Bd's Lt. No. PC-III/80/JCM/DC/1 Dt. 18.02.81 & RBE 72/90 & 163/08)

भारतीय रेलवे में रात्रि के समय गैंगमेन/ट्रेकमेन द्वारा ट्रेक पर गश्त की जाती है और इस हेतु गैंगमेन/ट्रेकमेन को 01.09.08 से रू. 6/- प्रति रात्रि, दि0 01.01.11 से 8/- प्रति रात्रि व रू. 10/- प्रति रात्रि दिनांक 01.01.14 से की दर से रात्रि गश्त भत्ता स्वीकृत किया गया है, यह भत्ता ग्रेडेड स्केल कैजुअल लेबर को भी देय है। जब महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच जाएगा तो इस भत्ते की दरें 25% बढ़ा दी जायेगी।

29 <u>विशेष प्रतिपूरक भत्ता (पहाड़ी क्षेत्र हेतु)</u> : (RBE 41/91 & 113/08)

ऐसे रेल सेवक जो 1,000 मीटर या अधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेशनों पर नियुक्त हैं या केरल के वायनाड़ (Wayanad) में नियुक्त हैं या रेलवे बोर्ड द्वारा ऐसे क्षेत्र के रूप में घोषित अन्य किसी स्टेशन/क्षेत्र में नियुक्त है, वे विशेष प्रतिपूरक भत्ते (पहाड़ी क्षेत्र हेतु) के हकदार हैं। यदि ऐसे क्षेत्रों में कोई अन्य प्रतिपूरक भत्ता देय है तो वहां नियुक्त रेल सेवक के पास कोई भी भत्ता चुनने का विकल्प रहेगा। इस भत्ते की दरें निम्नानुसार हैं :–

क्र.सं.	ग्रेड वेतन	प्रभावी दरें –	01.09.08	01.01.11	01.01.14
1.	रू. 5400/- तथा अधिक ग्रेड वेतन		रू. 600/-प्र.मा.	रू. 750/-प्र.मा.	रू. 900/-प्र.मा.
2.	रू. 5400/- से कम ग्रेड वेतन		रू. 480/-प्र.मा.	रू. 600/-प्र.मा.	रू. 720/-प्र.मा.

जब महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच जाएगा तो इस भत्ते की दर स्वतः ही 25% बढ़ा दी जाएगी।

30 <u>परिवार नियोजन भत्ता</u> : (Rly Bd's L. No. 80H(FW)7/1 Dt. 07.02.80) (N.R. PS-7528)

छोटे परिवार को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों हेतु प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है जो 04.12.1979 से प्रभावी है। इस योजना के अंतर्गत दो या तीन जीवित बच्चों के पश्चात् नसबन्दी कराने वाले रेल कर्मियों को व्यक्तिगत वेतन के रूप में विशेष वेतन वृद्धि (जो आगामी वेतन वृद्धि की राशि के बराबर होगी) दी जाएगी विशेष वेतन वृद्धि भविष्य में दी जाने वाली वेतन वृद्धि, चाहे समान वेतनमान में हो या उच्च वेतनमान में पदौन्नति पर हो, सम्मिलित नहीं की जायेगी। वेतन वृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के अधीन होगी कि कर्मचारी 50 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए तथा उसकी पत्नि 20 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। महिला कर्मचारी के मामले में वह 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा उनके दो से अधिक जीवित बच्चे नहीं होने चाहिए।

01.09.08 से प्रभावी परिवार नियोजन भत्ता की संशोधित दरें निम्नानुसार हैं:–

[RBE 151/08)

Grade Pay	Revised rate
Rs. 1300/- to Rs. 2400/-	Rs. 210/-
Rs. 2800/-	Rs. 250/-
Rs. 4200/-	Rs. 400/-
Rs. 4600/-	Rs. 450/-
Rs. 4800/-	Rs. 500/-

Rs. 5400/-	Rs. 550/-
Rs. 6600/-	Rs. 650/-
Rs. 7600/-	Rs. 750/-
Rs. 8700/-	Rs. 800/-
Rs. 8900/-	Rs. 900/-
Rs. 10000/-	Rs.1000/-

वर्तमान में परिवार नियोजन भत्ता की न्यूनतम दर रू. 210 है।

31 कार्यकाल (Tenure) भत्ता :

(RBE 154/08)

रेलवे बोर्ड में विशेष पदों पर पदस्थ संगठित समूह ''क'' रेल सेवा के अधिकारी निम्नलिखित नियम एवं शर्तों पर रेलवे बोर्ड कार्यकाल भत्ते के हकदार हैं :–

(i) संगठित समूह–के रेल सेवा के अधिकारी तथा गैर रेलवे संगठित समूह ''क'' सेवा के अधिकारी जो रेलवे बोर्ड के कार्यकाल में उप निदेशक/संयुक्त निदेशक/निदेशक के रूप में नियुक्त हैं, एक निर्धारित कार्यकाल तक रहेंगे। इस अवधि के समाप्त होने पर उन्हें क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाईयों/निर्माण संगठनों इत्यादि में प्रत्यावर्तित/वापस भेज दिया जाएगा।

(ii) रेलवे बोर्ड कार्यालय में उप निदेशक/संयुक्त निदेशक/निदेशक के रूप में नियुक्त संगठित समूह–क रेल सेवा से सम्बद्ध अधिकारियों को रेलवे बोर्ड कार्यकाल भत्ते का भुगतान उनके मूल वेतन के 10% की दर से किया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा रू. 4000/– होगी।

(iii) यह भत्ता कार्यकाल की सामान्य अवधि के पश्चात देय नहीं होगा अर्थात् उप निदेशक हेतु 3 वर्ष, संयुक्त निदेशक हेतु 4 वर्ष तथा निदेशक हेतु 5 वर्ष।

(iv) रेलवे बोर्ड कार्यालय में कार्यकारी निदेशक तथा ऊपर के पदों पर नियुक्त अधिकारियों को कोई भत्ता देय नहीं होगा।

(v) ऐसे उप निदेशकों/संयुक्त निदेशकों/निदेशकों को यह भत्ता देय नहीं होगा, जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया है या सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनः नियुक्त किया गया है।

(vi) ऐसे मामलों में जहाँ कार्यकाल/आवधिक नियुक्ति कम ग्रेड वेतन वाले पद पर हैं तो ऐसे पद जाने वाला अधिकारी Tenure पद से सम्बद्ध ग्रेड वेतन प्राप्त करेगा। लेकिन Tenure नियुक्ति से पूर्व धारित पद के बैंड वेतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

32 बालक शिक्षा भत्ता : (RBE 135/08 & 150/08)

बालक शिक्षा भत्ता तथा शिक्षण शुल्क पुनःभरण जो अब तक अलग–अलग देय थे, अब उनका विलय कर दिया गया है। इसे अब ''बालक शिक्षा भत्ता योजना'' के रूप में जाना जाता है।

(i) बालक शिक्षा भत्ता योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी अधिकतम दो बच्चों के शिक्षण पुनर्भरण का लाभ ले सकता है। RBE No. 100/2009 के तहत यह शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध विद्यालयों में पढ़ने वाले दो सबसे बड़े बच्चों हेतु लिया जा सकता है सिवाय उस स्थिति के जब दूसरे प्रसव में एक से अधिक बच्चे होने के कारण बच्चों की संख्या दो से अधिक हो गई है या परिवार नियोजन आपरेशन फेल होने की अवस्था में तीसरे बच्चे हेतु देय होगा। (RBE 197/08, 01/10 & 55/13)

नोटः– (क) दिनांक 10.06.09 के पूर्व ''सबसे बड़े दो'' बच्चों के स्थान पर ''किन्हीं दो''

बच्चों के लिए

बालक शिक्षा भत्ते के कर दिये गये भुगतान की कटौती कर्मचारी से नहीं की जायेगी ।

[RBE L.No. E(W)2012/ED-2/1 dt. 11.04.12 (NWR PS 21/12)]

(ख) बालक शिक्षा भत्ता केन्द्रीय सेवाओं में कार्यरत नेपाल व भुटान के ऐसे नागरिकों को भी देय होगा जिनके बच्चे उनके पैतृक स्थानों पर ही पढ़ रहे हैं।

(RBE 55/13)

(ग) मानसिक/शारीरिक अक्षमता के कारण प्रथम दो बच्चों के स्कूल न जाने की अवस्था में तीसरे बच्चे को बालक शिक्षा भत्ता/होस्टल सब्सिडी भुगतान के संबंध में रेलवे बोर्ड द्वारा स्पष्ट किया गया है कि ये भत्ते सबसे बड़े से जीवित बच्चों के लिए ही देय है।

[Rly. Bds L.No. E(W)2014/ED-2/4 dt. 24.09.14 (NWR PS 82/14)]

(ii) ऊपर दर्शाया गया पुनर्भरण केवल स्कूल जाने वाले बच्चों की शिक्षा पर किए गए व्यय हेतु देय होगा अर्थात नर्सरी से बारहवीं कक्षा तक के बच्चों हेतु जिसमें शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध स्कूल तथा विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध जूनियर कॉलेज की 11वीं और 12वीं कक्षाएं शामिल हैं। (नर्सरी से बारहवीं तक कक्षाओं में कक्षा I से XII+2 कक्षाएं शामिल है जिनके नामों (Nomenelature) से कोई संबंध नहीं हैं)।

इस योजना के अंतर्गत उन बच्चों की शिक्षा हेतु पुनर्भरण देय होगा जो केन्द्र या राज्य सरकार या संघ शासित या विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है फिर चाहे यह सरकार से अनुदानित है या नहीं।

(RBE 01/10)

(iii) बालक शिक्षा भत्ते के पुनर्भरण का कक्षा में बच्चे के प्रदर्शन से कोई संबंध नहीं होगा। दूसरे शब्दों में यदि कोई बच्चा किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो भी बालक शिक्षा भत्ता का पुनर्भरण नहीं रोका जाएगा। लेकिन किसी कक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् बच्चे को अन्य स्कूल में उसी कक्षा में डाला जाता है तो यह भत्ता देय नहीं होगा। (RBE 55/13)

iv) इस योजना के अंतर्गत निम्न मदों के पुनर्भरण का दावा किया जा सकता है –

शिक्षण शुल्क, प्रवेश शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क तथा कृषि, इलेक्ट्रानिक्स, संगीत या अन्य किसी विषय हेतु लिया जाने वाला विशेश शुल्क, कार्यानुभव कार्यक्रम के अंतर्गत प्रायोगिक कार्य हेतु लिया जाने वाला शुल्क, बच्चे द्वारा सहायक सामग्री या उपकरण के प्रयोग हेतु शुल्क, पुस्तकालय शुल्क, खेलकूद शुल्क तथा शिक्षणेतर गतिविधियों (Extra chrricular activities) हेतु शुल्क। इसमे एक वर्ष में पाठ्यपुस्तकों तथा कॉपियों का एक सेट, दो यूनिफॉर्म सेट, स्कूल शूज का एक सेट भी शामिल है। जिनका दावा एक बच्चे हेतु किया जा सकता है। (यूनिफॉर्म, फीस व स्कूल शूज संबंधी स्पष्टीकरण RBE 25/11 में)

(अ) इसमें केन्द्रीय विद्यालय द्वारा ली जाने वाली विद्यालय विकास निधि भी भामिल है।(RBE 01/10)

(ब) वित्तीय वर्श 2013–14 से परीक्षा फीस (Examination fee) को भी बालक शिक्षा भत्ते के पुनर्भुगतान मद के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है। (RBE 93/13. 44/14)

(स) वार्शिक शुल्क, परिवहन फीस, स्कूल बेग, पेन/पेंसिल, पानी की बोटल इत्यादि का पुनर्भरण देय नहीं है। (RBE 45/12 & 55/13)

(v) विद्यालय द्वारा फीस के एवज में ली गई विकास निधि/अभिभावक अंशदान

(Development Fee /Parents contribution) का पुनर्भुगतान देय होगा। लेकिन इस संबंध में कर्मचारी को यह सत्यापित करना होगा कि विद्यालय द्वारा ट्यूशन फीस चार्ज नहीं की गई है। (RBE 45/12 & 55/13)

(vi) बालक शिक्षा भत्ता के वार्षिक पुनर्भरण की अधिकतम निर्धारित सीमा रू. 12000/– है तथा दिनांक 01.01.11 से 15000/– व दिनांक 01.01.14 से 18000/– है। रेलकर्मी के विकलांग बच्चों हेतु यह दर से दुगुना देय होगा। ऐसे मामलों में अधिकतम वार्षिक सीमा रू. 24000/– है व रू. 30,000/– दिनांक 01.01.2011 व दिनांक 01.01.14 से 36000/– है। (RBE 150/08 & 78/11)

(vii) इस योजना के अंतर्गत पुनर्भुगतान का दावा प्रति तिमाही एक बार किया जा सकता है। एक तिमाही में किए गए दावे की रा ि ा रू. 3000/– से अधिक हो सकती है तथा दूसरी तिमाही में रू.3000/– से कम हो सकती है जो इस तथ्य के अधीन होगा कि प्रति बालक अधिकतम वार्शिक सीमा रू. 12,000/– होगी तथा दिनांक 01.01.11 से 15000/– होगी।

(viii) कुल वार्षिक देय अधिकतम सीमा का 50% बालक शिक्षा भत्ता कर्मचारी को प्रथम तिमाही में देय होगा तथा शेष राशि द्वितीय व तृतीय तिमाही में। रेलकर्मी देय पूर्ण बालक शिक्षाभत्ता, 15000/– रूपये की अधिकतम सीमा को ध्यान में रखते हुए, अंतिम तिमाही में क्लेम कर सकता है।
(RBE 132/11, 45/12, 55/13, 44/14)

(ix) बालक शिक्षा भत्ता पुनर्भुगतान हेतु तीसरे/चौथे सत्र ($3^{rd}/4^{th}$ quarter) की फीस भुगतान संबंधी मूल रशीद प्रस्तुत करनी होगी।
(RBE 58/13)

(x) ऐसे मामले में जब पति–पत्नि दोनों सरकारी कर्मचारी हों तो उनमें से केवल एक बालक शिक्षा भत्ता के अंतर्गत पुनर्भुगतान का लाभ ले सकता है। ऐसे मामलों में यह घोषणा/undertaking देनी होगी कि उसके अतिरिक्त इस बच्चे हेतु किसी अन्य द्वारा पुनर्भुगतान नहीं लिया जा रहा है।
(RBE 58/13, 44/14)

(xi) परिवार नियोजन आपरेशन असफल होने की अवस्था में, दो बच्चों के आगे सिर्फ बालक शिक्षा भत्ता केवल उस प्रथम बच्चे हेतु देय होगा जो ऐसे असफल आपरेशन के पश्चात् पैदा हुआ है।
(RBE 132/11, 45/12 & 55/12)

(xii) अधिकतम दो बच्चों के लिए छात्रावास अनुदान का पुनर्भुगतान अधिकतम रू. 3000/– प्रतिमाह प्रति बालक दिनांक 01.09.08, 3750– 01.01.11 व 4500/– दिनांक 01.01.14 से प्रतिमाह प्रति बालक की दर से किया जाएगा। (रू. 6000/– प्रति माह प्रति बच्चा विकलांग बच्चे के मामले में तथा दिनांक 01.01.2011 से रू. 7500/– व रू. 9000/– दिनांक 01.01.14 से प्रतिमाह प्रति बच्चा विकलांग बच्चे के मामले में। (RBE 135/10 & 78/11)। हालांकि छात्रावास अनुदान तथा बालक शिक्षा भत्ता दोनों का लाभ एक साथ नहीं लिया जा सकता।

(xiii) कर्मचारी की नियुक्ति/रहवासीय स्टेशन से 50 किमी. दूर अन्य किसी रहवासीय स्कूल के छात्रावास में बच्चे को रखने के क्रम में होस्टल सब्सिडी का पुनर्भुगतान देय होगा। इस उद्देश्य हेतु कर्मचारी के नियुक्ति/रहवासीय स्टेशन का निर्धारण उस क्षेत्र के पिन कोड के प्रथम तीन अकों से होगा।
(RBE 198/09, 25/11, 93/12 & 55/13)

(xiv) अगर बालक किसी ऐसे छात्रावास में रह रहा है जो कि आवासीय विद्यालय (residential school) का हिस्सा नहीं है तो होस्टल सब्सिडी देय नहीं होगी।
(RBE 55/13)

(xv) जब भी संशोधित वेतन संरचना में महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच जाएगा तब यह सीमा स्वतः ही 25% बढ़ा दी जाएगी। (RBE 45/12 & 55/13)

(xvi) इस योजना के अंतर्गत प्रक्रिया को सरल रखा गया है। अब से सरकारी कर्मचारी स्वयं सत्यापन के आधार पर मूल रशीदों को प्रस्तुत कर पुर्नभुगतान लेगा। ये आदेश 01, सितम्बर 2008 से प्रभावी होंगे।
(इस संबंधी प्रक्रिया NWR PS 39A/11 में दी गई हैं)

(xvii) शैक्षणिक सत्र के मध्य सेवानिवृत्ति, बर्खास्त, सेवामुक्त आदि के कारण सेवा से अलग हुए कर्मचारियों के मामलों में बालक शिक्षा भत्ता/ होस्टल सबसिडी का भुगतान उस सत्र की समाप्ति तक देय होगा।
रेल कर्मचारी के मृत्यु के मामले में बालक शिक्षा भत्ता/हॉस्टल सब्सिडी योग्य बच्चों को तब तक देय होगी जब तक की कर्मचारी के जिन्दा होने पर उसे देय होती बशर्त है कि मृत कर्मचारीकी पत्नी/पति सरकारी सेवा में न हो।
(RBE 25/11)

(xviii) बालक शिक्षा भत्ता के भुगतान हेतु ऊपरी आयु सीमा विकलांग बच्चों हेतु 22 वर्ष व अन्य बच्चों हेतु 20 वर्ष या 12वीं कक्षा पास, जो भी पहले हो, निर्धारित की गई है।
(RBE 25/11 & 55/13)

(xix) पत्राचार व दूरस्थ शिक्षा (Correspondence or Distance Learning) के मार्फत् शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों हेतु भी अन्य शर्तें पूर्ण करने पर बालक शिक्षा भत्ता देय होगा।
(RBE 25/11)

(xx) दिव्यांग बच्चों की विशेष आवश्यकता पूर्ति हेतु अगर स्कूल द्वारा अलग से कोई फीस ली जाती है तो उसका पुर्नभुगतान भी देय होगा।
(RBE 45/12)

(xxi) बालक शिक्षा भत्ता/हॉस्टल सब्सिडी पुर्नभुगतान हेतु बालक की न्यूनतम आयु सीमा की कोई शर्त नहीं है। (RBE 197/08, 45/12 & 55/13)

(xxii) रशीद गुम होने की अवस्था में स्कूल द्वारा जारी तथा उनके द्वारा यथा सत्यापित रशीद पर पुर्नभुगतान देय होगा।
(RBE 45/12 & 55/13)

(xxiii) रेलकर्मी के बच्चों को ग्यारहवीं व बारहवीं कक्षा में पढ़ने हेतु यदि बालक शिक्षा भत्ता/हॉस्टल सब्सिडी नहीं दी गई है तो दसवीं उत्तीर्ण करने के पश्चात् पोलेटेक्निक/आई.टी.आई./इंजीनियरिंग कॉलेज से डिप्लोमा/सार्टिफिकेट कोर्स करने पर इसके प्रथम दो वर्ष हेतु बालक शिक्षा भत्ता/हॉस्टल सब्सिडी देय होगी।
(RBE 93/12 & 55/13)

33 (33) <u>विकलांग महिला हेतु बच्चे की देखभाल के लिए विशेष भत्ता</u> :
(RBE 150/08)
छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप विकलांग महिला कर्मचारी और विशेषकर जब उसे छोटे बच्चे और विकलांग बच्चे होने पर सरकार द्वारा उसे अतिरिक्त लाभ देने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रपति महोदय ने निम्न निर्देश जारी किए है :–

(i) विकलांग महिला को बच्चे की देखभाल के लिए विशेष भत्ते के रूप में रू. 1000/– प्रतिमाह दिनांक 01.09.08 से तथा 1250/– रू. प्रतिमाह दि. 01.01.11 से व रू. 1500/– प्रतिमाह दिनांक 01.01.14 से देय होंगे। यह भत्ता बच्चे के जन्म से लेकर दो वर्ष का होने तक देय होगा।

(ii) यह भत्ता अधिकतम दो बच्चों हेतु देय होगा।

(iii) विकलांगता से आशय है कि व्यक्ति न्यूनतम 40% विकलांग हो जैसा कि कल्याण मंत्रालय (Ministry of welfare) की अधिसूचना सं0 16-18/97-NT Dt. 01-06-2001 में वर्णित है।

(iv) जब भी संशोधित वेतन संरचना में महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच जाएगा तो इस भत्ते की दरें स्वतः ही 25% बढ़ा दी जाएगी।

(v) प्रथम अवसर पर अगर एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं तो महिला रेलकर्मी एक से अधिक बच्चों हेतु इस भत्ते की पात्र नहीं होगी।
(RBE 18/12 & 55/13)

(vi) विकलांग महिला रेलकर्मी को बच्चे की देखभाल के लिए यह विशेष भत्ता बच्चे के पैदा होने से दो वर्ष तक देय होगा जब तक कि उसके दो जीवित बच्चें न हों।
(RBE 18/12 & 55/13)

34 विशेष ड्यूटी भत्ता : (RBE 2/99 &118/08)

विशेष ड्यूटी भत्ता अखिल भरतीय सेवा अधिकारी सहित रेल कर्मियों को मूल वेतन का 12.5 प्रतिशत (वेतन+ग्रेड वेतन)+NPA (जहाँ लागू हो) दर से देय होगा, जिसका इस बात से कोई संबंध नहीं होगा कि स्थानान्तरण (आरम्भिक नियुक्ति सहित) उत्तर पूर्वी क्षेत्र (अरूणाचल प्रदेश, असम , मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालेण्ड और त्रिपुरा) के बाहर से हो या उसी क्षेत्र के दूसरे स्थान से हो ।

रेल कर्मचारी उपर्युक्त दरों पर विशेष ड्यूटी भत्ते के हकदार होंगे जिसका अन्य किसी भत्ते से कोई संबंध नहीं होगा । उत्तर सीमान्त (N.F.) रेलवे के उत्तर पूर्व (N.E.) क्षेत्र में नियुक्त रेल कर्मचारी विशेष प्रतिपूरक (सुदूर क्षेत्र)भत्ता, Composite Hill प्रतिपूरक भत्ता , खराब जलवायु भत्ता तथा जनजाति क्षेत्र भत्ते के भी हकदार होंगे। (RBE 80/08)

35 PCO भत्ता : (RBE 193/99, 23/09 & 68/09)

उत्पादन नियंत्रण संगठन में कार्यरत स्टाफ को स्वीकृत किया गया है । गैर पर्यवेक्षकीय स्टाफ जैसे रू. 4200 तक ग्रेड वेतन प्राप्त करने वाले जूनियर इंजीनियर को 15 प्रतिशत तथा रू. 4600 ग्रेड वेतन प्राप्त करने वाले सेक्शन इंजी0 तथा सीनियर सेक्शन इंजी0 को 7.5 प्रतिशत की दर से यह भत्ता देय होगा जो 01.09.08 से प्रभावी है ।

इस भत्ते की गणना अन्य किसी लाभ जैसे मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, पेंशन, ग्रेच्युटी तथा पदोन्नति पर वेतन निर्धारण हेतु नहीं की जाएगी। यह निर्णय किया गया है कि कार्यशाला संवर्ग के वरिष्ठ सुपरवाईजर जिन्हें मुख्य संरक्षा अधिकारी/संरक्षा अधिकारी लगाया जाता है उन्हें भी पी.सी.ओ. भत्ते की दर अर्थात् 7.5 प्रतिशत की दर रूपये दृ देय होगा।

36 प्रशिक्षण भत्ता : (Faculty Member) (RBE 26/2000)

राजपत्रित तथा अराजपत्रित विषयवेता जिन्हें रेलवे बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु अपने कार्यस्थल से प्रतिनियुक्ति पर बुलाया जाता है । तथा वहां पर उनकी ड्यूटी प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देना होती है, उन्हे मूल वेतन के 15 प्रतिशत की दर से प्रशिक्षण भत्ता स्वीकृत किया जा सकता है ।

विषयवेत्ताओं की बिना किसी अधिकतम सीमा के प्रशिक्षण भत्ता देय होगा । यह वेतन का भाग

नहीं होगा , लेकिन छुट्टी वेतन हेतु इसकी गणना की जाएगी ।
विषयवेत्ताओं की प्रतिनियुक्ति अवधि किसी भी मामले /परिस्थितियों में आठ वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

37 ओक ग्रोव स्कूल , झारीपानी के शिक्षक स्टाफ को विशेष भत्ता : (RBE 48/09)

ओक ग्रोव स्कूल के शिक्षको, पुस्ताकालयाध्यक्षों तथा अन्य शैक्षणिक स्टॉफ को बैंड वेतन तथा ग्रेड वेतन का 10 प्रतिशत विशेष भत्ता देय है जो 01.09.08 से प्रभावी है ।
ओक ग्रोव स्कूल की सहायक मिस्ट्रेस को वर्तमान प्रावधानो के अनुसार देय रू 200/– प्रतिमाह का विशेष भता 01.09.08 से समाप्त /बन्द कर दिया गया है ।

38 लगातार (Constant) अटेन्डेन्ट भत्ता : (RBE 112/08 & 72/09)

ऐसे पेंशनर जो रेल सेवा (असामान्य / विशेष पेंशन) नियम 1993 के अर्न्तगत 100% अशक्कता /निशक्कता के कारण अशक्कता पेंशन पर सेवानिवृत हुए हैं (तथा जब व्यक्ति दैनिक कार्यो हेतु पूर्णतः किसी अन्य पर निर्भर हो।) ऐसे व्यक्तियों को अशक्तता पेंशन के अतिरिक्त रू. 3000/– प्रतिमाह लगातार (Constant) अटेंडेन्ट भत्ता स्वीकृत किया जाएगा ।

यह भत्ता ऐसी अवधि के दौरान देय नहीं होगा जब पेंशनर किसी सरकारी संस्थान या अस्पताल में भर्ती रहा हो ।

39 जोखिम भत्ताः (RBE 146/91,156/91,36/04,21/05 & 44/13)

समूह ''घ'' और ''ग'' के आर्टिजन तथा गैर आर्टिजन अकुशल स्टॉफ को जोखिम भत्ता स्वीकृत किया जाता है। जो बहुत भारी किस्म या विशेष जोखिम, स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रतिकूल या खराब तथा अरूचिकर प्रकृति का कार्य करते है (दर – रू. 40/– प्र.मा. दिनांक 01.09.08 से, रू. 50/– प्रतिमाह दिनांक 01.01.11 से व रू. 60/– प्रतिमाह दिनांक 01.01.14 से)

40 विशेष भत्ता :

(क) क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाईयों में काबिल व अनुभवी कर्मचारियों को सतर्कता निरीक्षक के पद पर आकर्षित करने हेतु विशेष मामले के बतौर रेलवे बोर्ड द्वारा निश्चय किया गया है कि क्षेत्रिय रेलों /उत्पादन इकाइयों पर सतर्कता निरीक्षकों को 2500/– प्रतिमाह की दर से विशेष भत्ता दिया जाए ।
यह आदेश जनवरी 2012 से प्रभावी होंगे ।

i) यह विशेष भत्ता तभी देय होगा जब संबंधित कर्मचारी का अपने मूल विभाग तथा सर्तकता निरीक्षक के पद पर ग्रेड पे समान हो ।

ii) यह विशेष भत्ता वेतन निर्धारण व वेतन संरक्षण हेतु गणना में नहीं लिया जाएगा ।

{ RBE 03/12&RB L.NO.E(P&A)1-2010/SP-I/Gen-I dt. 09.05.12 (NWR PS 26/12) 44/13)}

(ख) रेल मंत्रालय द्वारा यह विनिश्चत किया गया है कि किसी भी इंजीनियरिंग फाटक पर तैनात किए गए ट्रेक मेन्टेनर को प्रति माह 375 रू. व 450 रू. प्रतिमाह की दर से विशेष भत्ता देय होगा। इस भत्ते की दरे 25 प्रतिशत बढ़ा दी जाएगी जब कभी मंहगाई भत्ता 50 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। (RBE 99/12)

नैमितिक श्रमिक, एवजी एवं बंगला चपरासी नैमितिक श्रमिक

(Casual Labour Sub. Bungalow Peon)

(Para 2001 to 2007 IREM-II) (मास्टर परिपत्र संख्या 48)

परिभाषा : नैमितिक श्रमिक ऐसे श्रमिक के सन्दर्भ में है, जिसका रोजगार मौसमी, सविरामी अथवा कुछ समय के लिये विस्तारित है। इस प्रकार के श्रमिक सामान्यतया नजदीकी उपलब्ध स्त्रोतों से भर्ती किये जाते हैं, नैमितिक श्रमिकों पर अस्थायी /स्थायी रेल कर्मियों की सेवा शर्ते लागू नहीं होती है।

रेलवे में नैमितिक श्रमिकों का नियोजन :

नैमितिक श्रमिक (चालू लाईन)

नैमितिक श्रमिक प्राथमिक तौर पर नियमित कर्मचारियों को मौसमी और अलग कार्यों के लिये जो रेलवे प्रणाली के दैनिक कामकाज से उत्पन्न होते हैं ऐसे कार्यों में सहायता देने के लिये नियोजित किये जाते हैं। इन कार्यों में सामग्री का लदान–उतराई, विशेष मरम्मत, रेल पथ और अन्य ढाँचों का अनुरक्षण, गर्मी के मौसम में पीने के पानी की आपूर्ति, रेल पथ की रात्रिकालीन गश्त आदि कार्यों में नियोजित श्रमिक शामिल है।

नैमितिक श्रमिक (परियोजना) : (RBE No. : 330/85)

रेलवे में नैमितिक श्रमिक रेल परियोजनाओं को पूरा करने के लिये भी नियोजित किये जाते हैं। ''परियोजना'' का अर्थः– नई लाइनें, मुख्य पुल, उखाड़ी पुल, उखाड़ी लाईन को फिर से बिछाना तथा चालू लाईन के अन्य महत्वपूर्ण कार्य जैसे, दोहरीकरण, गुफाओं की चौड़ाई, रूट रिले अंतपर्शिन इत्यादि का निर्माण कार्य शामिल है, जो एक निश्चित समयावधि में पूरे करने होते हैं।

कुशल श्रेणियों में नैमितिक श्रमिकों का नियोजन : (RBE No. : 339/85)

सामान्यतः नैमितिक श्रमिकों को बिना व्यवसाय परीक्षा के कुशल श्रेणियों में नियुक्त नहीं करना चाहिये, ओपन लाईन में कुशल श्रेणियों में नैमितिक श्रमिकों की माँग को पूरा करने के लिये एक पेनल (नामिका) बनाना चाहिये। यदि कुशल श्रेणियों की नामिका में नियुक्ति हेतु कोई भी उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो अर्द्ध कुशल व कुशल श्रेणियों के लिये नैमितिक श्रमिकों को लगाया जा सकता है। किन्तु यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि अर्द्ध कुशल /कुशल कोटियों का समय रहते निर्णय के लिये उनके अस्थायी ओहदा प्राप्त करने से पूर्व उनकी उपयुक्तता को समायोजित कर लिया जाना चाहिये। वर्कचार्ज संगठन में नियोजित नैमितिक श्रमिक नियमित विभागीय उम्मीदवार की अनुपलब्धता के कारण उच्च कुशल, अर्द्ध कुशल श्रमिक के रूप में पदोन्नत होकर लम्बे समय से लगातार नैमितिक श्रमिक के रूप में कार्य कर रहा है। उसे कुशल ग्रेड की विभागीय पदोन्नति के 25% कोटे की नियमित रिक्तियों पर जो कि अकुशल अर्द्धकुशल तक के लिये आरक्षित है पर सीधे ही समायोजित किया जा सकता है। इस हेतु उसे आवश्यक व्यवसाय परीक्षा पास करनी होगी। इस प्रकार नैमितिक श्रमिकों के समायोजन हेतु अस्थायी पदों का सृजन नहीं किया जाना चाहिये।

नैमितिक श्रमिकों का समायोजन करते समय समूह–घ के लिये निर्धारित अनु.जाति /जन जाति /पिछड़ी जाति /भूतपूर्व सैनिकों को देय आरक्षण का पालन किया जाना चाहिये। नैमितिक श्रमिकों को 60 वर्ष से अधिक की आयु तक सेवा में नियोजित /रोके नहीं रखा जा सकता है।

चालू रजिस्टर में दर्ज नैमितिक श्रमिकों का पुनर्नियोजन केवल महाप्रबन्धक के अनुमोदन से ही किया जा सकता है।

(RBE No. : 188/90)

नैमितिक श्रमिकों के पदनाम : (RBE No. : 116/95)

i. ओ सी एल (ओपन लाईन केजुअल लेबर –अनस्किल्ड)
ii. ओ सी एल (एस) (ओपन लाईन केजुअल लेबर –स्किल्ड)
iii. पी सी एल (प्रोजेक्ट केजुअल लेबर –अनस्किल्ड)
iv. पी सी एल (एस) (प्रोजेक्ट केजुअल लेबर –स्किल्ड)

नैमितिक श्रमिकों को निम्न कार्यों में नहीं लगाना चाहिये :

i. वैगनों के निर्माण कार्य एवं नियमित प्रकृति के अन्य समान कार्यों के लिये।
ii. मौसमी कार्यों को छोड़कर सिविल इंजीनियरिंग सिगनल और पुल अनुरक्षण के लिये।
iii. ट्रोलीमेन, चपरासी
iv. प्रिण्टिंग प्रेस में
v. आर्टीजन श्रेणी को छोड़कर नियमित रिक्तियों पर

नैमितिक श्रमिकों के नियोजन हेतु सक्षम प्राधिकारी :

i. दिनांक 01.08.1978 से पूर्व कोई भी वरिष्ठ अधीनस्थ उसके अधीन स्वीकृत मौसमी कार्यों के लिये किसी भी नैमितिक श्रमिक के नियोजन हेतु सक्षम थे।
ii. दिनांक 01.08.1978 को या उसके बाद किन्तु 01.01.1981 से पूर्व मण्डल रेल प्रबन्धक अथवा वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड का अधिकारी मौसमी कार्य के विरूद्ध नैमितिक श्रमिकों के नियोजन हेतु सक्षम थे।
iii. दिनांक 01.01.1981 को या उसके बाद से अभी तक केवल क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबन्धक ही मौसम की माँग के अनुसार नये चेहरों को नैमितिक श्रमिक के रूप में नियोजन हेतु सक्षम हैं।

अस्थायी ओहदे के लिये नैमितिक श्रमिकों की हकदारी : (Para 179 (xiii) (b) IREM-I)

ओपन लाईन के नैमितिक श्रमिकों द्वारा 120 दिन तथा परियोजना नैमितिक श्रमिकों द्वारा 360 दिनों की लगातार बिना व्यवधान सेवा पूर्ण करने पर अस्थायी ओहदे के लिये हकदार होगें। परियोजना नैमितिक श्रमिक को 180 दिन के लगातार रोजगार पूर्ण करने पर मासिक दर श्रमिक के रूप में माना जायेगा तथा उसे वेतनमान के न्यूनतम वेतन की दर से समेकित वेतन का भुगतान किया जाना चाहिये। जो न्यूनतम वेतन +मंहगाई भत्ता के बराबर हो, यद्यपि वेतन वृद्धि लाभ के बिना हो।

नैमितिक श्रमिक की अस्थायी ओहदे में विस्तार हेतु बिना व्यवधान की सेवा के रूप में गिनी जाने वाली अवधियाँः निम्नलिखित अनुपस्थितियों को 120 अथवा 180 अथवा 360 दिन के लगातार रोजगार की अवधियों के निर्धारण हेतु सेवा में व्यवधान के रूप में नहीं माना जायेगा।

i. कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अधीन ड्यूटी के दौरान श्रमिक के घायल हो जाने पर चिकित्सा उपचार के दौरान अनुपस्थिति की अवधि।
ii. वे दिन जिनमें संगठन /संस्थान ने मजदूरों का नियोजन बंद रखा।
iii. आधे दिन की अनुपस्थिति को आधे दिन के रूप में गिना जायेगा।
iv. ओपन लाईन नैमितिक श्रमिकों के लिये 03 दिन की अनाधिकृत अनुपस्थिति सहित 20 दिन की अधिकृत अनुपस्थिति तथा परियोजना नैमितिक श्रमिक के लिये 30 दिन की अनुपस्थिति को (रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई(एनजी)II/76/सीएल/116 दि. 21.03.79 एवं ई/(एनजी)II/79/सीएल/26 दि. 28.03.79)
v. अधिकृत अनुपस्थिति में पर्यवेक्षक पदाधिकारी द्वारा विशेष अवधि के लिये काम से दूर रहने के लिए दी गई स्वीकृति को माना गया है।
vi. महिला नैमितिक श्रमिकों के लिये क्रमशः ओपन लाईन तथा परियोजना नैमितिक श्रमिकों के मामले में क्रमश (20 व 30 दिन के अलावा) मातृत्व उद्धेश्य हेतु चार सप्ताह की अवधि।
vii. दिनांक 21.10.1980 से चालू कार्य पूर्ण होने या आगे उत्पादक कार्य उपलब्ध न होने पर जब नैमितिक श्रमिक की मजदूरी बन्द हो जाती है तथा आगे कार्य के उपलब्ध होने पर

रोजगार में लगाया जाता है तो 120, 180 व 360 दिन की लगातार सेवा की गणना हेतु इस प्रकार का सेवा में अन्तराल को व्यवधान नहीं माना जायेगा।

viii. एच.ओ.ई.आर. और एम.डब्ल्यू. अधिनियम के अधीन विश्राम की अवधि को 20 दिन की अधिकृत अनुपस्थिति के अधीन अनुपस्थिति के रूप में नहीं गिना जायेगा।

अस्थायी ओहदे में विस्तार हेतु सक्षम प्राधिकारी एवं प्रक्रिया : नैमितिक श्रमिक का नियोजन करने के लिये महाप्रबन्धक से प्रारम्भिक स्वीकृति लेने के बाद कम से कम कनिष्ठ ग्रेड का अधिकारी नैमितिक श्रमिकों की अस्थायी ओहदे को विस्तारित करने के लिये सक्षम है। श्रमिक का सेवा के दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिये एक रूपया जमा कराने के बाद मशीन नम्बर वाला नैमितिक श्रमिक कार्ड दिया जायेगा, (डुप्लीकेट कार्ड) उचित तथा पर्याप्त कारण बताने पर दो रूपये जमा कराने पर उपलब्ध करवाया जाता है।

सक्षम /सम्बन्धित प्राधिकारी के सामने जन्मतिथि प्रमाण–पत्र, शैक्षिक योग्यता का प्रमाण–पत्र तथा पूर्व चरित्र का प्रमाण–पत्र इन्हें जारी करने वाले /सम्बन्धित प्राधिकारी से सत्यापन के लिये प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

उन सभी नैमितिक श्रमिकों का जिन्होंने अस्थायी ओहदा प्राप्त कर लिया है। सेवा पंजिका तथा छुट्टी खाता खोला जाना चाहिये। अस्थायी ओहदा के विस्तार से पूर्व श्रमिक का चिकित्सा परीक्षण किया जायेगा। प्रत्येक नैमितिक श्रमिक के कार्य दिवस तथा कार्यक्षमता की प्रत्येक प्राधिकारी द्वारा जाँच की जायेगी तथा उस पर नियंत्रक सहायक अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर किये जायेगें।

सेवा समाप्ति की सूचना : ऐसे मामलें को छोड़कर जब किसी संवैधानिक बाध्यता के अधीन नोटिस देना आवश्यक हो। नैमितिक श्रमिक की सेवा समाप्ति के लिये नोटिस देना आवश्यक नहीं है।

अस्थायी ओहदा प्राप्त नैमितिक श्रमिकों को नोटिस की अवधि अस्थायी रेल सेवकों पर लागू नियमों के अनुसार निर्धारित होगी।

अस्थायी ओहदा /एवजी नैमितिक श्रमिकों को छटनी के बदले में एक माह का नोटिस अथवा एक माह का वेतन देना आवश्यक है।

स्क्रीनिंग प्रक्रिया : प्रत्येक वरिष्ठता इकाई में एक चालू नैमितिक श्रमिक रजिस्टर रखा जायेगा। वरिष्ठता इकाई में पुनर्नियोजन ''अंत में जाना और पहले आना'' (Last go first come) के सिद्धान्त के आधार पर किया जायेगा। नियोजन छटनी और पुनर्नियोजन के उद्देश्य के लिए वरिष्ठता इकाई और चालू नैमितिक मजदूर रजिस्टर वरिष्ठ अधीनस्थवार रखा जायेगा और परियोजना नैमितिक मजदूरों के लिए मण्डल और श्रेणीवार रहेगी। स्क्रीनिंग मण्डल आधार पर सम्पूर्ण विभाग के लिये अलग से विभाग और क्षेणीवार आयोजित की जायेगी में वर्तमान तथा अगले एक वर्ष में प्रत्याशित रिक्तियों को लिया जायेगा। इस प्रकार निकाली गई रिक्तियों की संख्या के विरूद्ध उम्मीदवारों की संख्या 25% अधिक होगी। यदि 120 दिन की लगातार सेवा वाले नैमितिक श्रमिक उपलब्ध नहीं हो तो ऐसे नैमितिक श्रमिकों को भी शामिल किया जा सकता है जिन्होंने 120 दिन की सेवा, सेवा में व्यवधान के साथ पूरी की है। [RBd.'s Lt. No.: E/(NG)II/76/CL/67 dt. 01.12.77]

स्क्रीनिंग समिति के सदस्य के रूप में एक अनु.जाति/जन जाति/अ.पि.व. तथा अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारी को भी नामित किया जायेगा। [RBd.'s Lt. No.: 80E/(SCT)15/58/Part-I dt. 02.09.98]

अनु.जाति/जन जाति/अ.पि.व./भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों को उनके कोटा के अनुसार आवश्यक सीटें दी जायेगी। ऐसे नैमितिक श्रमिक जिन्हें समय–समय पर बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन

के नियोजित किया है, पर विचार नहीं किया जायेगा, केवल कार्योंत्तर स्वीकृति प्राप्त कर लेने के मामले को छोड़कर /ऐसे नैमितिक श्रमिक जो पूर्व में दो बार आयोजित स्क्रीनिंग में शामिल नहीं हुये उन्हें नहीं बुलाया जायेगा। नैमितिक श्रमिक जो सहकारी समितियों में कार्यरत है उन्हें भी योग्य नैमितिक श्रमिकों तथ एवजियों पर विचार करने के बाद उनको समूह–''घ'' में समाहित करने पर विचार किया जा सकता है। नैमितिक श्रमिक जिन्हें गर्मी के मौसम में तथा रेल भर्ती बोर्ड कार्यालयों में नियोजित किया गया है, उन्हें भी उनकी वरिष्ठता के आधार पर नियमित समाह्न के लिये विचार किया जा सकता है। स्क्रीनिंग के बाद नैमितिक श्रमिकों के लिये तैयार पैनल की वैद्यता तब तक बनी रहेगी जब तक कि पेनल में उपलब्ध अंतिम उम्मीदवार समाहित नहीं हो जाता है।

नैमितिक श्रमिक जो कि सेवारात व्यक्ति के रूप में पेनल पर है, उन्हें समूह–घ के पदों पर नियमन किया जा सकता है,के नैमितिक श्रमिकों की वरिष्ठता विभागवार रहेगी और यदि किसी उम्मीदवार की दूसरी इकाई में बदला /भेजा जाता है तो वह नई यूनिट में कनिष्ठ रेंक पर रहेगा। उन परियोजना तथा ओपन लाईन श्रमिकों का जिन्होंने 01.01.1981 से पूर्व नैमितिक श्रमिक के रूप में काम किया था। या उनका जिन्हें आगे काम न होने के कारण हटाया गया था या जिन्होंने 31.03.1987 तक पुनर्नियोजन के लिये लिखित अभ्यावेदन दिया उनका नाम एक चालू रजिस्टर में नैमितिक श्रमिक के रूप में अंकित किया जायेगा। (RBE No. : 39, 43, 57 & 58/87)

नैमितिक श्रमिकों की हकदारी एवं सूविधाएँ : विभिन्न अधिनियमों जैसे :– न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम इत्यादि में देय वैद्यानिक सुविधाएँ एवं हकदारी को छोड़कर नैमितिक श्रमिक किसी सुविधा एवं हकदारी के योग्य नहीं होगें। नैमितिक श्रमिक निम्न के लिये हकदार होगें:–

i. समूह घ में नियमित भर्ती के लिये निर्धारित आयु सीमा नये नैमितिक श्रमिकों के नियोजन पर भी लागू होगी और अनु.जाति/अनु.जन जाति/पिछड़ा वर्ग को ऊपरी आयु सीमा में छूट देय होगी। (अनु.जाति /अनु.जन जाति को 05 वर्ष व अ.पि.वर्ग को 03 वर्ष)
ii. नैमितिक श्रमिक जो अस्थायी ओहदा प्राप्त है, उनके द्वारा नैमितिक /एवजी सेवा में विस्तार हेतु ऊपरी आयु सीमा में छूट के हकदार है, किन्तु ऊपरी आयु सीमा में छूट सामान्य श्रेणी के लिये 40 वर्ष की आयु तक, अ.पि.वर्ग के लिये 43 वर्ष तथा अनु.जाति /अनु.जन जाति के लिये 45 वर्ष तक रहेगी।

सभी नैमितिक श्रमिक/एवजी जो समूह ''ग'' वेतनमान में हैं वे रेलवे भर्ती बोर्ड /रेलवे में किसी पद पर उनकी योग्यता के अनुसार आयोजित किसी भी परीक्षा में बिना आयु सीमा की बाध्यता के शामिल हो सकते हैं।

मजदूरी /वेतनः रेलवे में नैमितिक श्रमिक जो निर्माण अथवा सड़कों की मरम्मत अथवा रेल पथ पुलों सहित भवन निर्माण कार्य, पत्थर तोड़ने, भवनों के अनुरक्षण, रेलवे माल गोदामों में लदान /उतराई, एश–पिट की सफाई के कार्यों में नियोजित किये जाते हैं, वे मजदूरी के भुगतान हेतु न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (केन्द्रीय) द्वारा अधिशासित होगें तथा उन्हें निम्नानुसार भुगतान किया जायेगाः–

i स्थानीय प्राधिकरण अथवा आवश्यकता होने पर सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दैनिक दर।
ii यदि ऐसी दर उपलब्ध नहीं हो तो रेलवे की समान श्रेणियों को देय वेतनमान के न्यूनतम वेतन व मंहगाई भत्ते का 1/30 वाँ भाग दैनिक मजदूरी के रूप में होगा।
iii यदि उपर्युक्त निर्धारित दरें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (केन्द्रीय) के अधीन निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों से कम हो तो अधिनियम के अधीन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित दरें।

वे नैमितिक श्रमिक जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (केन्द्रीय) द्वारा अधिशासित नहीं है। उन्हें दैनिक दर पर भुगतान किया जायेगा। तथा यह दर स्थानीय प्राधिकारियों अथवा सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा निश्चित की जायेगी। जहाँ दो अलग दरें प्रचलित है एक नगरपालिका द्वारा तथा

एक स्थानीय प्रशासन जैसेः– जिला मजिस्ट्रेट, राज्य के जिला नियंत्रक के द्वारा तो दोनों में से अधिक वाली दर को लागू किया जाना चाहिये। ओपन लाईन नैमितिक श्रमिक के मामले में 120 दिन की लगातार सेवा तथा परियोजना नैमितिक श्रमिक के मामले में 180 दिन की सेवा होने पर भुगतान दैनिक दर के आधार पर किया जाना चाहिये। परियोजना नैमितिक श्रमिक 180 दिन के लगातार रोजगार पूर्ण करने के बाद उचित वेतनमान के न्यूनतम वेतन + मंहगाई भत्ते का 1/30 लेने का हकदार होगा। एक नैमितिक श्रमिक जिसने अस्थायी ओहदा प्राप्त कर लिया है तथा जिन्हें नियमित वेतनमान का भुगतान किया जा रहा हो उनके पुनर्नियोजन के समय उन्हें हटाने के समय अन्तिम प्राप्त वेतन का भुगतान किया जायेगा। नैतितिक श्रमिक जिन्हें अस्थायी ओहदा प्राप्त है उनके द्वारा 12 माह की सेवा पूर्ण करने के बाद वे एक वेतन वृद्धि के हकदार होगें।

अस्थायी ओहदा प्राप्त नैतितिक श्रमिक जिनका समूह ''घ'' के पद पर नियमित समायोजन हो गया हो उनका वेतन नियतिकरण निम्न प्रकार से किया जायेगाः–

जो समान ग्रेड में वेतन आहरित कर रहे हैं उनका वेतन नियतिकरण उनके द्वारा अन्तिम आहरित वेतन के आधार पर किया जायेगा। जो अर्द्धकुशल ग्रेडों में कार्य कर रहे हैं किन्तु समूह ''घ'' अकुशल श्रेणियों में समायोजित कर लिये गये है। उनका वेतन नियतिकरण नैतितिक श्रमिक के रूप में उच्च या समान ग्रेड में पहले की गई सेवा के आधार पर किया जायेगा।

नियमित रोजगार में समायोजन के लिये नैतितिक श्रमिक सेवा के अस्थायी ओहदें की 50 प्रतिशत सेवा को एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत वित्तीय लाभ प्रदान करने के लिये 10, 20 और 30 वर्ष की सेवा के रूप में गिना जायेगा।
(RBE No.: 215 /09)

उत्पादकता सम्बद्ध बोनसः नैमितिक श्रमिक जिन्होंने अस्थायी ओहदा प्राप्त कर लिया है और परियोजना नैतितिक श्रमिक जिन्होंने 180 दिवस की नियमित सेवा पूर्ण कर ली है वे उत्पादकता सम्बद्ध बोनस पाने के हकदार होगें। [RBd.'s Lt. No.: E(P&A)II/79/PLB/1 dt. 24.01.80]

यद्यपि लागू आदेशों के अनुसार नैतितिक श्रमिक उत्पादकता सम्बद्ध बोनस के हकदार है। किन्तु यदि वे ड्यूटी के दौदान घायल होकर बीमारी सूची में रहते हैं तथा कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत यदि आधे माह का वेतन ले रहे है तो उत्पादकता सम्बद्ध बोनस के हकदार नहीं होगें। [RBd.'s Lt. No.: E(P&A) II /82/1/PLB-6 dt. 10.11.84]

पास और पी.टी.ओ.: अस्थाई ओहदा प्राप्त नैमितिक श्रमिक भी पास व पीटीओ की सुविधा के हकदार होगें। अस्थायी ओहदा प्राप्त करने के बाद उनके द्वारा की गई लगातार सेवा को पोस्ट रिटायरमेण्ट कम्प्लीमेण्ट्री पास के उद्धेश्य से गिना जायेगा।
[RBd.'s Lt. No.: E(W)2004/PS 5-1/15 dt. 26.05.2006]

सामान्यतया नैमितिक श्रमिक स्थानीय तौर पर भर्ती किये जाते हैं। लेकिन परिस्थितिवश जब श्रमिकों की अनुपलब्धता के कारण स्थानीय भर्ती सम्भव नहीं हो पाने पर श्रमिकों की भर्ती कार्यस्थल से अधिक दूरी से की जाती है। ऐसी भर्ती होने पर केवल स्वयं श्रमिक के लिये (परिवार के सदस्यों के लिये नहीं) पास जारी किये जाते हैं। तथा उनको हटाने के समय भी पास जारी किये जाते हैं।

यदि नैमितिक श्रमिक का नियमित पद पर समायोजन नहीं किया जाता है तो वे विधवा /विधुर पास की सुविधा के हकदार नहीं होगें। नैमितिक श्रमिक उनके समायोजन होने तक 04 के बजाय 06 सैट पीटीओ की हकदार होगें। (RBE No. : 308 /89)

अवकाश : राष्ट्रीय अवकाशों सहित 09 अवकाशों के हकदार होगें। ओपन लाईन नैमितिक श्रमिक /परियोजना नैमितिक श्रमिक जब वे राष्ट्रीय अवकाश के दिन से पिछले दिन से सेवा में हो तथा

राष्ट्रीय अवकाश के अगले दिन भी सेवा में हो तो, उस दिन सेवा में रहने पर राष्ट्रीय अवकाश भत्ते के हकदार होगें। राष्ट्रीय अवकाश को भुगतान अवकाश के रूप में माना जायेगा। लोक सभा /विधान सभा के निर्वाचन के समय मतदान के दिन नैमितिक श्रमिक को वोट देने की सुविधा देय होगी, किन्तु उन्हें अवकाश भत्ता नहीं दिया जायेगा। नैमितिक श्रमिक (बिना अस्थायी ओहदा) केवल 03 दिन के राष्ट्रीय अवकाश के हकदार होगें। (IREM-I Para 1601)

छुटिट्याँ : ओपन लाईन नैमितिक श्रमिक जिन्हें अस्थायी ओहदा प्राप्त है और परियोजना नैमितिक श्रमिक 180 दिन की नियमित सेवा पूर्ण करने के बाद एक कलेण्डर वर्ष में 10 दिन के आकस्मिक अवकाश के हकदार होगें। अस्थायी ओहदा प्राप्त करने के बाद नैमितिक श्रमिक द्वारा अर्जित छुट्टियाँ तथा जो उसके खाते में जमा (समायोजन की तिथि को) छुट्टियों को नये पद पर आगे जमा करते हुए जमा किया जायेगा। अस्थायी ओहदा प्राप्त नैमितिक श्रमिक को अस्पताल छुट्टी के मामलें में अस्थाई कर्मचारी माना जायेगा। महिला नैमितिक श्रमिक (अस्थायी ओहदे के बिना) मातृत्व अवकाश की हकदार नहीं होगी। किन्तु इस लेखे पर चार सप्ताह तक उनकी ड्यूटी से अनुपस्थिति को अनुपस्थिति अवधियों के अलावा अन्य सामान्य देय अधिकृत अनुपस्थिति माना जायेगा।

महिला नैमितिक श्रमिक जिन्हें अस्थायी ओहदा प्राप्त है, वे अस्थायी महिला रेल कर्मचारियों को देय मातृत्व अवकाश के समान ही मातृत्व अवकाश की हकदार होंगी। (RBE No. : 119 /91)

अग्रिम (पेशगी) : नैमितिक श्रमिक जिन्हें अस्थायी ओहदा प्राप्त है, उन्हें तीन वर्ष की लगतार सेवा करने के बाद अस्थायी रेल कर्मचारी के समान माना जायेगा तथा वे यौहार और बाढ़ अग्रिम लेने के हकदार होगें।

भत्ते : अस्थायी ओहदा प्राप्त करने के बाद नैमितिक श्रमिक को मकान किराया भत्ता तथा परिवहन भत्ता दिया जायेगा। नैमितिक श्रमिक जिन्हें राष्ट्रीय अवकाश को काम पर लगाने की आवश्यता है वे भी उनके लिये निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद लागू दरों के अनुसार राष्ट्रीय अवकाश भत्ता प्राप्त करने के हकदार होगें। नैमितिक श्रमिक जिन्हें अपने मुख्यालय से दूसरे स्थान पर जो 08 कि.मी. से अधिक दूरी पर है, ड्यूटी पर भेजा जाता हे तो उन्हें समय–समय पर निर्धारित दरों के अनुसार नियमानुसार दैनिक भत्ता दिया जायेगा। नैमितिक श्रमिक जो रात्रि 10 बजे से सुबह 06 बजे तक ड्यूटी करते हैं। वे अतिरिक्त पारिश्रमिक के हकदार होगें जो रात्रि कार्य के प्रत्येक घण्टे के लिये दैनिक मजदूरी का 2% होगा।

[RBd.'s Lt. No.: E(NG)III/80/CL/18 dt. 09.01.83]

नैमितिक श्रमिक जिन्हें ब्रेक डायन ड्यूटी पर लगाया गया है वे मुफ्त भोजन, मजदूरी की उच्च दर, जो परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित की जायेगी, देय होगी तथा यात्रा भत्ता + मंहगाई भत्ता यदि नियमों के अधीन नियमित रेल कर्मचारियों को देय है वह भी दिया जायेगा।

चिकित्सा : नैमितिक श्रमिक को अस्थायी ओहदा देने से पूर्व चिकित्सा परीक्षा की शर्त पूरी करना आवश्यक है। जिन्होंने छःवर्ष की सूवा पूर्ण कर ली हो उनकी चिकित्सा परीक्षा में कुछ छूट के मानकों का अनुसरण किया जायें। इस प्रकार के नैमितिक श्रमिक चिकित्सा मानकों में कुछ छूट देने के बावजूद यदि उस विशिष्ट श्रेणी /पद के लिये अयोग्य पाये जाते हैं तो उन्हें निम्न चिकित्सा स्तर के किसी अन्य वैकल्पिक पद पर लगाया जाये। वैकल्पिक पद के लिये उनकी उपयुक्तता का समायोजन स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा किया जायेगा। अस्थायी ओहदा प्रदान करने से पूर्व नैमितिक श्रमिक को आवश्यक चिकित्सा परीक्षा पास करनी होगी।

[RBd.'s Lt. No.: 77H/5/31 dt. 22.12.77]

अस्थाई ओहदा प्राप्त सभी नैमितिक श्रमिक (ओपन लाईन या परियोजना) नियमित रेल कर्मचारियों की भाँति अर्थात् स्वयं और परिवार के लिये चिकित्सा सुविधाओं के हकदार होगें। (RBE No.: 111/93)

नैमितिक श्रमिक भी दुर्घटना में घायल होने के मामले में रेलवे अस्पताल में मुफ्त आहार तथा चिकित्सा उपचार के हकदार होगें।

परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रोत्साहन : नैमितिक श्रमिक जो नियमत वेतनमान में वेतन के हकदार है, वे परिवार कल्याण योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन वेतन वृद्धि प्राप्त करने के (अब परिवार योजना भत्ता) के हकदार होगें। दैनिक दर नैमितिक श्रमिक महिला व पुरूष दोनों ही निम्नलिखित कारणों से अनुपस्थित रहने के दिनों में मजदूरी प्राप्त करने के हकदार होगें।

1. वसेक्टॉमी आपरेशन (Vectomy Operation) – पुरूष (अधिकतम 06 दिनों के लिये)
2. नॉन प्यूरपेराल ट्यूबेक्टॉमी (Non Puerperal Tubectomy) महिल अधिकतम 14 दिनों के लिये)
3. आई. यू. डी. लगवाना (Insertion of IUD) – महिला (एक कार्य दिन के लिये)

यह लाभ उनको दिया जायेगा जो (स्ट्रीलाइजेशन /आई.यू.डी. लगवाने से पूर्व) तीन माह से लगातार रोजगार में लगे हुये हैं, तथा इसके बाद भी कम से कम 03 माह तक रोजगार में रहने वाले हों, अनिुपस्थित के दिनों में पूर्ण मजदूरी का दावा किया जा सकता है।

[RBd.'s Lt. No.: 80 (HFW)/7/1 dt. 07.02.1980, 30.12.84, 03.08.85]

अनुशासन एवं अपील नियम : अस्थायी ओहदा प्राप्त करने के बाद नैमितिक श्रमिक को अस्थायी माना जायेगा तथा वह अस्थाई रेल कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील नियमों के लाभ सहित) को देय परिलाभ व अधिकारों का हकदार होगा।

छंटनी : नैमितिक श्रमिक की छंटनी करते समय सामान्यतया ''अन्तिम आये पहले जाये'' का सिद्धान्त अपनाया जाता है। इस प्रकार छंटनी के समय कनिष्ठ अनुसूचित जाति /अनु. जन जाति उम्मीदवार की सुरक्षा की जाये तब उनके प्रतिनिधित्व (संख्या) में कमी हो। कारण सहित यह सुरक्षा औचित्यपूर्ण होगी तथा इसका रिकार्ड भी रखना होगा, जब किसी कनिष्ठ अनुसूचित जाति /अनु.जन जाति के उम्मीदवारों को वरिष्ठों की छंटनी करते समय प्राथमिकता दी गई हो। [RBd.'s Lt. No.: E (LL) 76/A.T./I.D./1-116 dt. 17.02.78]

आई.डी.अधिनियम के अधीन छंटनी के लिये एक कलेण्डर वर्ष के 240 दिनों को एक वर्ष माना जाये [RBd.'s Lt. No.: E (WLA) 66 A.T./I.D./1-18, dt. 23.02.82]

सेवानिवृति परिलाभ :

1. अस्थायी ओहदा प्राप्त करने के बाद कर्मचारी द्वारा की गई आधी सेवा को पेंशनरी हितलाभों के लिये अर्हक सेवा के रूप में गणना की गई। यह लाभ केवल समायोजन के पश्चात ही दिया जायेगा। अस्थायी ओहदा प्राप्त नैमितिक श्रमिक जिनकी स्क्रीनिंग नहीं हुई है तथा सेवानिवृत्त हो गये है, वे सेवानिवृत्ति के समय उपादान, भविष्य निधि, छुट्टी वेतन के हकदार होगें।

2. चूँकि नई पेंशन योजना निश्चित अंशदान पर आधारित है इसलिये सेवानिवृति लाभों के प्रयोजन के लिये अर्हक सेवा अवधि की प्रांसगिकता समाप्त हो चुकी हैं फलस्वरूप दिनांक 01.01.2004 को अथवा उसके बाद ग्रुप ''डी'' पदों में नैमितिक श्रमिक के विनियमित होने पर उन्हें उनके विनियमितीकरण के बाद सेवानिवृत्ति लाभों के प्रयोजन के लिए नैमितिक श्रमिक सेवा अर्थात् अस्थायी ओहदे के अन्तर्गत की गई सेवा की गणना का कोई क्रेडिट उपलब्ध नहीं होगा। (RBE 205/04)

मृत्यु के मामले में : मृत नैमितिक श्रमिक के परिवार के सदस्य उपादान, भविष्य निधि, छुट्टी वेतन और अनुकम्पा नियोजन के हकदार होगें। अनुकम्पा नियोजन तब भी किया जायेगा जब नैमितिक श्रमिक ड्यूटी पर हुई दुर्घटना के कारण मृत हो गया हो, बशर्ते की सम्बन्धित नैमितिक श्रमिक, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति का हकदारहो।

अन्य : नैमितिक श्रमिक जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम द्वारा अधिशासित नहीं है वे भी साप्ताहिक विश्राम के दिन भुगतान के हकदार है। नैमितिक श्रमिक जिन्होंने अस्थायी ओहदा प्राप्त करने के बाद एक वर्ष की लगातार सेवा पूर्ण की ली हो वे वर्दी की आपूर्ति के हकदार है यदि वे उन श्रेणियों में कार्यरत हैं जिनमें वर्दी की आपूर्ति की जाती है और 31.12.2003 तक भविष्य निधि में इसका अंशदान दिया हो।

नई पेंशन योजना में सामान्य भविष्य निधि /राज्य रेल भविष्य निधि का प्रावधान नहीं हैं, इसलिये अस्थायी ओहदे वाले मौजूदा नैमितिक श्रमिकों को दिनांक 01.01.2004 से आगे इनकी राज्य रेल भविष्य निधि में कोई कटौती नहीं की जायेगी। भविष्य निधि खाते में जमा राशि, जिसमें 01.01. 2004 के बाद की भी कटोती शामिल हैं कि उन्हें ब्याज सहित भुगतान कर दिया जायें। (RBE 205/04)

अस्थायी ओहदा प्राप्त नैमितिक श्रमिक, एवजी और अस्थायी ओहदा प्राप्त बंगला चपरासी /खलासी निम्नलिखित के सदस्य नहीं बन सकतेः—

1. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना (CGEGIS)
2. नई पेंशन प्रणाली (NPS) (RBE 43/04)

अस्थाई ओहदा प्राप्त नैमितिक श्रमिक /एवजी /बंगला चपरासी /खलासी को सेवानिवृत्ति पर किसी प्रकार की पेंशन व मृत्यु के मामले में परिवार को परिवार पेंशन देय नहीं है। यह किसी ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी भी नहीं बनाये जा सकते हैं।

एवजी

(Para 1512 to 1515 – IREM-I) (RBE No.:137/2010)

2. परिभाषा : एवजी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारतीय रेल स्थापना पर मान्य नियमित वेतनमान में भर्ती पर उन रिक्त स्थानों की एवज में लगाये जाते हैं, जिन्हें भरने की प्रक्रिया में विलम्ब हो रहा है तथा कार्य की आवश्यकता के अनुसार उन पदों को रिक्त नहीं रखा जा सकता हे क्योंकि इन्हें रिक्त रखने से रेल सेवायें बुरी तरह से प्रभावित हो सकती ळें

3. ''एवजी'' को नियोजित की जाने वाली परिस्थितियाँः पूर्ववृति समूह ''घ'' में एवजी के नियोजन हेतु महाप्रबन्धक का पूर्व अनुमोदन जब कि समूह ''ग'' में नियोजन हेतु रेलवे बोर्ड का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है। इन्हें निम्नलिखित परिस्थितियों में ही नियोजित किया जायेगाः–

i. पदों के भरने की प्रक्रिया में विलम्ब हो रहा है और,

ii. पदों को रिक्त नहीं रखा जा सकता क्योंकि इससे रल सेवायें बुरी तरह प्रभावित होती है

3.2 पूर्ववृति समूह ''घ'' (पे बैंड–1) (ग्रेड पे रू 1800) के पद पर वर्ष में अधिकतम निम्नलिखित संख्या में एवजी को नियोजित किया जा सकता हैः–

i. वित्त वर्ष की एक अप्रैल को गणना में ली गयी रिक्तियों का अधिकतम 10% तक को उस वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित कोटियों में नियोजित किया जा सकता हैः–
   a संरक्षा :
   b ट्रेन परिचालन से सम्बन्धित (परिचालन, याँत्रिक, अभियांत्रिक, विद्युत तथा संकेत एवं दूर संचार विभाग के चालू लाईन के स्टॉफ)

ii. उक्त को छोड़कर अन्य सभी कोटियों में रिक्तियों के अधिकतम 2% तक एवजी को नियोजित किया जा सकता है।

iii. यदि महाप्रबन्धक द्वारा कोर्स कम्प्लीटेड एक्ट अप्रेन्टिसों की एवजी के रूप में नियुक्ति की जाती है तो व उपर्युक्त दोनों सीमाओं से बाहर मानी जायेगी। (RBE No.: 183/2010)

iv. महाप्रबन्धक द्वारा निर्णित, किसी विकलांग व्यक्ति को भी एवजी के रूप में नियुक्त किया जा सकता हैं। ऐसे एवजी को नियमितिकरण के समय विकलांग हेतु निर्धारित 3% कोटे के विरूद्ध समायोजित किया जायेगा। [RBd.'s Lt. No.: E (NG)II/2008/SB/SR/15 Pt.-I dt. 19.01.12 (NWR PS 01/12)]

मुख्य कार्मिक अधिकारी वित्तीय वर्ष के शुरू होते ही इन 10% व 2% रिक्तियों की गणना करेगें।

3.3 पूर्ववृति समूह ''घ'' में एवजी नियोजित किये जाने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी

i. विभिन्न स्त्रोतों से महाप्रबन्धक को प्रेषित सभी आवेदन–पत्र महाप्रबन्धक कार्यालय में प्राप्त किये जायेगें।

ii. महाप्रबन्धक द्वारा तीन वरिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान (SAG) अधिकारियों की एक कमेटी का नामांकन किया जायेगा जो कि इन प्राप्त आवेदन पत्रों की छानबीन और अपनी सिफारिश देगी जो कि मुख्य कार्मिक अधिकारी के मार्फत् अनुमोदनार्थ महाप्रबन्धक को प्रस्तुत की जायेगी।

iii. कमेटी द्वारा जिन आवेदकों की सिफारिश की गई है, उनके दस्तावेजों को सत्यापन हेतु कार्मिक विभाग को भेजा जायेगा।

iv. शैक्षणिक योग्यता /प्रमाण–पत्रों इत्यादि के सत्यापन के पश्चात मण्डल रेल प्रबन्धकों /इकाई प्रमुखों से प्राप्त एवजियों की आवश्यकतानुसार पात्र आवेदकों का मामला मुख्य कार्मिक अधिकारी के माध्यम से महाप्रबन्धक के अनुमोदनार्थ कार्मिक विभाग द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

v. सेवा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये उपयुक्त उम्मीदवार के विभाग और मण्डल /इकाई नियोजित करने का निर्णय महाप्रबन्धक द्वारा किया जायेगा।

vi. नियोजन का औपचारिक पत्र मण्डल /इकाई को कार्मिक विभाग द्वारा भेजा जायेगा।

vii. किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी /जालसाजी को रोकने हेतु मण्डल /इकाई द्वारा नियोजन हेतु प्राप्त पत्रों का मुख्य कार्मिक अधिकारी कार्यालयों से उसका सत्यापन /प्रमाणीकरण करवायेगा व उसके बाद उम्मीदवार को नियोजन पत्र जारी करेगा।

viii. प्राप्त आवेदन, निरस्त किये गये आवेदन इत्यादि का ढंग से रिकार्ड रखा जायेगा। उन आवेदन–पत्रों पर जिन पर कोई विचार नहीं किया जाना है, उन्हें नष्ट करने सम्बन्धी रिकार्ड भी रखा जायेगा।

4. लाभ :

4.1 रिक्त पद की प्रकृति व अवधि को ध्यान रखे बिना, नियुक्त होने वाले एवजी को नियुक्त पद से जुड़े हुये नियमित वेतनमान तथा अनुमेय भत्तों का भुगतान किया जायेगा।

4.2 एवजी के रूप में चार माह लगातार सेवा के पश्चात अस्थाई ओहदा मिलने पर इन्हें वे सभी अधिकार एवं सुविधाएँ देय होगी जो कि अस्थाई रेल कर्मचारियों को देय है।

4.3 एवजी को चार माह की लगातार सेवा के बाद अस्थाई ओहदा मिल जाने पर वह रेल सेवा में स्वतः समाहन /नियुक्ति हेतु पात्र नहीं हो जायेगा। यह उसके नियमित पद पर नियुक्ति /समाहन हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार उसका चयन होने पर निर्भर करेगा।

4.4 चार माह की लगातार सेवा के पश्चात अस्थाई ओहदा मिलने के बाद की पूर्ण सेवा पेंशनरी लाभ हेतु गणना में ली जायेगी जब इन्हें बिना किसी व्यवधान के नियमित सेवा में समाहन कर लिया हो तो।

4.5 एवजी की सेवा का नियमितिकरण करते समय समूह ''घ'' के पद के लिये भर्ती के समय निर्धारित आयु सीमा में छूट इस हद तक दी जा सकती हे जो कि उसके द्वारा एवजी के रूप में की गई लगातार /ब्रोकन सेवा अवधि को शामिल करते हुए सामान्य जाति के उम्मीदवार की आयु 40 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के 43 वर्ष व अनु.जाति /अनु.जन जाति की 45 वर्ष से अधिक न हो।

4.6 रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा विज्ञाप्ति पदों की भर्ती हेतु एवजी के रूप में की गई लगातार /ब्रोकन सेवा अवधि के साथ सामान्य जाति हेतु अधिकतम 40 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 43 वर्ष व अनु.जाति /अनु.जन जाति के उममीदवार 45 वर्ष की आयु तक के एवजी आवेदन कर सकते हैं।

4.7 त्यौहार /बाढ़ अग्रिम : जिन एवजी को अस्थाई ओहदा मिल गया है, उन्हें 01 वर्ष व 06 माह की लगातार सेवा पूर्ण करने तथा दो स्थाई रेलवे सेवकों की जमानत पर ये अग्रिम प्रदान किये जायेगें।

4.8 एवजी, सिर्फ स्वयं के लिए बहिरंग विभाग में चिकित्सा सुविधा हेतु पात्र है। इस हेतु एवजी अपने सेवा कार्ड को अपनी पहचान कार्ड के रूप में उपयोग ले सकता है।

4.9 जब एवजी को नियमित सेवा में समाहन हेतु चयनित कर लिया जाता हे एवं चिकित्सा परीक्षा हेतु भेजा जाता हे तो उनकी चिकित्सा परीक्षा, छूट के स्तर की होनी चाहिये जैसे कि सेवा में पुनः नियोजन के लिये निर्धारित चिकित्सा स्तर की होती है।

5. नियमित सेवा में समाहन हेतु एवजियों की स्क्रीनिंग :

5.1 किसी व्यक्ति द्वारा एवजी के रूप में लगातार लम्बे समय से कार्य करने पर उन्हें नियमित करने हेतु विचार किया जा सकता है बशर्ते कि उसने कम से कम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। (अब इस प्रावधान को हटा दिया गया है) (RBE No.: 182/10)

5.2 अस्थाई ओहदा प्राप्त एवजी को नियमित पदों पर समाहन हेतु एक स्क्रीनिंग कमेटी भी बनाई जायेगी जिसमें उपयुक्त औहदे के कम से कम तीन रेल अधिकारी होगें, इनमें से एस अनु.जाति /अनु.जन जाति समुदाय व एक अल्पसंख्यक समुदाय व एक अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय से हो। एक सदस्य कार्मिक विभाग से हो, एक सदस्य जिस विभाग द्वारा भर्ती की जा रही है जिससे तथा एक सदस्य कार्मिक विभाग से अलग विभाग का हो। (RBE 182/10)

i. बोर्ड द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि समूह ''ग'' व पे बेण्ड–I (ग्रेड पे 1800) में एवजी की स्क्रीनिंग हेतु विभिन्न साक्षात्कार viva-voce कमेटियों में महिला सदस्यों का समुचित प्रतिनिधित्व हो।

(RBE 29/12)

5.3 स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा केवल उन्हीं एवजी को नियमित पदों पर समाहन हेतु स्क्रीनिंग /पेनल पर लिया जायेगा जिनका नाम चालू (Current) एवजी रजिस्टर में दर्ज हो।

5.4 एवजी के रूप में नियोजन के समय अनु.जाति /अनु.जन जाति /ओ.बी.सी. को प्रत्येक अलग–अलग कोटि में विभिन्न विभागों में लेते समय निर्धारित आरक्षण प्रतिशत सुनिश्चित किया जाना चाहिये। हालांकि इसके लिए अलग से रोस्टर का रखना जरूरी नहीं है।

5.5 यदि समूह ''घ'' के पद पर सीधी भर्ती में कोई कमी है तो स्क्रीनिंग कमेटी उस कमी को पूरा करेगी।

5.6 स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा एवजी को नियमित नियोजन में समाहन हेतु की जाने वाली स्क्रीनिंग उस समय में उपलब्ध वास्तविक रिक्तियों के सन्दर्भ में की जा सकती है।

5.7 यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि एवजी के रूप में लगाते समय वे आयु सीमा के अन्तर्गत ही थे। अतः वास्तविक समाहन के समय इसमें छूट स्वतः ही होगी।

5.8 पुराने मामलों में, जहाँ आयु सीमा को ध्यान में नहीं रखा गया है, वहाँ नियमित समाहन के समय आयु सीमा में छूट हेतु सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाना चाहियें मु.का.अधि./मं.रे. प्र. इस प्रकार की छूट देने में सक्षम हैं।

5.9 एवजी को नियमित नियोजन के लिये समाहन हेतु पात्र जब ही माना जायेगा जब वे उस पद की निर्धारित पात्रता के मापदण्ड पूर्ण करते हों। शैक्षणिक योग्यता में छूट पुनः प्रशिक्षण देकर की जा सकती है जैसा कि छठे वेतन आयोग के क्रियान्वयन के समय समूह ''घ'' के स्टाफ हेतु लागू किया गया है।

5.10 जब एवजी को स्क्रीनिंग हेतु बुलाया जाता है तो उन्हें उनकी यात्राओं हेतु पास जारी करना होगा तथा यह अवधि ड्यूटी मानी जायेगी।

5.11 एवजी को चार माह की पूर्ण सेवा पर अस्थायी ओहदा प्रदान करने हेतु दो नियोजनों के मध्य के अन्तराल को नजर अन्दाज कर दिया जायेगा।

6. नियुक्ति तिथि :

सेवा पुस्तिका में ''नियुक्ति तिथि'' के कॉलम में एवजी द्वारा चार माह की लगातार सेवा के बाद मिलने वाले अस्थाई ओहदा की तिथि को ''नियुक्ति तिथि'' के रूप में दर्ज किया जायेगा, यदि वह उसके बाद लगातार समाहित हो गया हो। अन्यथा उसके नियमित नियुक्ति /समाहन की तिथि का नियुक्ति तिथि माना जायेगा।

7. सेवा में व्यवधान : नियमित नियोजन पर समाहित होने के लिये चार माह नियमित सेवा निर्धारण हेतु निम्नलिखित मामलों में अनुपस्थिति को सेवा में व्यवधान नहीं माना जायेगाः–

i कर्मकार प्रतिकार अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत एवजी की वह अनुपस्थिति अवधि जिसमें वह कर्त्तव्य के दौरान चोट के कारण चिकित्सा इलाज में रहा।

ii पिछले 06 माह में प्राधिकृत अनुपस्थिति जो कि 20 दिन से अधिक न हो।
   a प्राधिकृत अनुपस्थिति का तात्पर्य यह है कि कार्यालय प्रभारी पर्यवेक्षक द्वारा से बताई गई अवधि के लिये कार्य से दूर रहने की अनुमति प्रदान की गई हो।
   b अनाधिकृत अनुपस्थिति या कार्य का रोक दिया जाना को निरन्तर नियोजन में व्यवधान माना जायेगा।

iii सांवधिक अध्यादेश व एच.ओ.ई.आर. के अन्तर्गत दिये गये विश्राम के दिन और जहाँ एवजी कार्यरत है वह स्थापना बन्द हो, ऐसी अवधि की 20 दिन की प्राधिकृत अनृपस्थिति की सीमा की गणना में नहीं लिया जायेगा।

नोट :– एवजी द्वारा बिना व्यवधान के की गई अस्थायी ओहदा प्राप्त पूर्ण सेवा को पेंशनरी लाभ व के MACPS अन्तर्गत 10 /20 /30 वर्ष की न्यूनतम सेवा गणना हेतु लिया जायेगा। (RBE No.:36/10)

8. सेवा रजिस्टर : भर्ती की इकाई, जैसे मण्डल, कारखाना इत्यादि को सवा रजिस्टर रखना चाहिये, जिसमें सभी एवजी के नाम दर्ज हो, चाहे उन्हें कभी भी नियोजित किया जायें। इनके नाम उनके मूल नियोजन की तिथि के आधार पर ठीक–ठीक इन्द्राज किये जाने चाहिये।

बंगला चपरासी

बंगला चपरासी /खलासी एक विशेष श्रेणी है जो न तो नैमितिक श्रमिक और न ही एवजी के रूप में आती है तथा उनकी सेवा शर्तें, 120 दिन की लगातार सेवाओं को पूर्ण करने के बाद जब तक वे अस्थाई ओहदा प्राप्त करते है, जब तक सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के साथ समय–समय पर जारी प्रशासनिक आदेशों के अधीन होती है।

बंगला खलासी /चपरासी के कार्य : (NRPS 10960)

रेलवे में कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान तथा उच्च अधिकारी अपने निवास पर बंगला चपरासी की सेवायें लेने के पात्र है ताकि उनके निवास स्थान पर रेल कार्यों के अलावा पैदा होने वाले सरकारी कार्य को पूरा किया जा सके। बंगला चपरासी को विशेष तौर पर निम्नलिखित कार्यों के लिये लगाया जायेगाः–

1. अधिकारी (जिसके अधीन वह कार्यरत है) के निवास स्थान से ऑफिस फाईलें /डाक लेकर जाना
2. अधिकारी के बंगले पर आये प्रशासनिक टेलीफोन कॉल्स को सुनना
3. अधिकारियों को आवश्यक संदेशों को देना
4. अल्प सूचना पर अधिकारी के साथ यात्रा पर जाना
5. दुर्घटना के मामले में तार संदेशों को ले जाना
6. अधिकारियों के कागजात ऑफिस से बंगले से जाना तथा अगले दिन पुनः ऑफिस लाना।
7. प्रशासनिक कार्य में सहायता और मदद के लिये सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निर्देशित अन्य कोई भी कार्य।

हकदारी : उपलब्ध स्थाई या वर्क चार्जड् रिक्त पदो के विरूद्ध कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के तथा उससे ऊपर के अधिकारियों को बंगला खलासी रखने की अनुमति दी जायेगी बशर्त कि उनकी सेवानिवृति में एक से अधिक वर्ष शेष हो।

नियुक्ति के लिये सक्षम प्राधिकारी : [(GM/NWR L.No.:E/110/615/2(B.K.) dt.0.06.04, 07.07.04 & 885E1/H.Q./(B.K.)/Policy dt. 14.02.08]

नये चेहरों को एवजी बंगला चपरासी /खलासी में नियुक्ति के लिये महाप्रबन्धक का पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक है। उनको ग्रुप ''डी'' पदों की भर्ती हेतु निर्धारित आयु शैक्षणिक योग्यता आदि को पूरा करना आवश्यक है। भर्ती के समय अभ्यार्थी की शैक्षणिक योग्यता के मूल प्रमाण–पत्रों को अवश्य देख लेना चाहिये। (रेलवे बोर्ड के पत्र दिं. 09.12.11 (आरबीई 166 /11) द्वारा शैक्षणिक योग्यता में दी गई छूट बंगला चपरासी /TADK पर लागू नहीं होगी। (RBE 128/13) (NRPS 11621/98)

केवल उन्हीं कार्य प्रभारित पदों पर बंगला खलासी को लगाने की अनुमति प्रदान की जा सकती है, यदि वह कार्य प्रभारित पद न्यूनतम एक वर्ष तक की अवधि के लिये उपलब्ध हो।

उन मामलों में जहाँ एवजी बंगला चपरासी /खलासी के रूप में नियुक्ति किसी अधिकारी विशेष के लिये की गई थी तथा बाद में उसे किसी अन्य अधिकारी के पास लगाया जाना है तो मुख्य कार्मिक अधिकारी का अनुमोदन आवश्यक है।

एवजी बंगला चपरासी /खलासी (इनमें वे भी सम्मिलित है जिनकी स्क्रीनिंग हो चुकी) की तीन वर्ष की सेवा से पूर्व पद बदली हेतु महाप्रबन्धक का पूर्व व्यक्तिगत अनुमोदन आवश्यक होगा जबकि तीन वर्ष की सेवा पूर्ण होने के पश्चात पद परिवर्तन हेतु मुख्य कार्मिक अधिकारी का पूर्व अनुमोदन का आवश्यक होगा।

इस सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 21.02.14 द्वारा यह निर्णित किया गया है कि बंगला खलासी /TADK की पद बदली वर्तमान तीन वर्ष के स्थान पर पाँच वर्ष बाद ही हो सकेगी। साथ ही यह भी निर्णित किया गया है कि रेलवे बोर्ड में डायरेक्टर व समकक्ष अधिकारी उनके TADK की पद बदली पश्चात नये चेहरे को TADK के रूप में रख सकेगें। [RBd.'s Lt. No.: 2013 ERB-5/22 (4) /1 dt. 21.02.14 (NWR PS 26/14)]

सेवा शर्तें : [NRPS10960 & GM/NWR LNo.E/110/615/2BK)dt.0.6.04/7.7.04 & 885E1/HQ/(B.K.)/Policy dt.14.2.08)

जिस व्यक्ति को बंगला चपरासी नियुक्त किया जाये वह भरोसे का /विश्वासनीय /आज्ञाकारी होना चाहिये। संवेदनशील प्रकृति कार्य होने के कारण उस अधिकारी के प्रति भी उसको पूर्ण विश्वास पात्र होना चाहिये। प्रत्येक पात्र अधिकारी अपने सेवा काल में केवल एक बार अपनी पसन्द के व्यक्ति को लगाने हेतु अपने विकल्प का इस्तेमाल कर सकते है। जिस व्यक्ति को बंगला चपरासी लगाया जाता है, वह अपनी सहमति लिखित में देगा और अन्य कोई सम्भावना जैसे उसकी अस्वीकृति या वह अपात्र पाया जाता /जाती है या उसका कार्य संतोषजनक नहीं है तो, उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी। बंगला चपरासी की नियुक्ति पूर्णतः संविदा के आधार पर है। उसको प्रारम्भिक नियुक्ति तीन माह तक के लिये होगी। प्रारम्भिक तीन माह के बाद प्रत्येक तीन माह की अलग से अवधि को बढ़ाने की स्वीकृति मण्डल पर अपर मण्डल रेल प्रबन्धक या प्रधान कार्यालय में नामित उप महाप्रबन्धक (जी) द्वारा दी जायेगी।

नियुक्ति देने से पहले नवनियुक्त बंगला खलासी से उनकी वचनबद्धता ले लेनी चाहिये कि वे उस रेलवे में किसी भी स्थान /पद पर स्थानान्तरित किये जा सकते हैं, या उस रेलवे पर किसी भी अधिकारी के साथ बंगला खलासी के रूप में कार्य लिया जायेगा, जब तक कि प्रथम नियुक्ति से तीन साल की सेवा पूरी न हो जाये।

अस्थायी ओहदा : बंगला चपरासी /खलासी में लगातार 120 दिनों की सेवा के बाद, उस व्यक्ति को अस्थाई ओहदा दे दिया जायेगा।

चिकित्सीय परीक्षाः [NRPS11880 & GM/NWR L.No. 885E/1/HQ(BK)/Policy dt. 14.11.07, 13.12.07 & 01.08.13)

यद्यपि, बंगला खलासी के लिये चिकित्सा कोटि सी–2 है लेकिन नियुक्ति के समय उसको बी–I मेडिकल कोटि या उससे ऊपर मेडिकल कोटि में उत्तीर्ण करना आवश्यक है ताकि कालान्तर में उसको फील्ड में ट्रेकमेन, पॉइण्टसमेन आदि पदों पर समाहित किया जा सके। यदि वह बी–I चिकित्सा कोटे के अयोग्य होता है तो उसे बंगला चपरासी /खलासी के पद पर नहीं लगाया जायेगा।

नियमितीकरण : (NRPS 11506, 11807)

नियुक्ति तिथि से लगातार तीन वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद (अनुपस्थिति अवधि को छोड़कर) बंगला खलासी /चपरासी ग्रुप ''डी'' की रिक्तियाँ (स्क्रिनिंग के बाद) के विरूद्ध समाहित करने के लिये विचार किया जायेगा।

महाप्रबन्धक की पूर्व व व्यक्तिगत अनुमति से बंगला चपरासी /खलासी को तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने से पहले नियमित किया जा सकता है। [GM/NWR L.No. E/110/615/2 (B.K.) dt. 00.06.04, 07.07.04)

कोटि में परिवर्तन :

तीन वर्ष की सेवा में पूर्व एवजी बंगला चपरासी /खलासी (स्क्रीनिंग किये हुये सहित) को महाप्रबन्धक की पूर्वी व्यक्तिगत अनुमोदन से कोटि में कोई भी परिवर्तन किया जा सकेगा। तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ऐसी ही परिवर्तन उसके आवेदन करने पर या जिस अधिकारी के साथ वह कार्य कर रहा है उसकी संस्तुति से मुख्य कार्मिक अधिकारी की पूर्व स्वीकृति से किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी को नये एवजी बंगला खलासी को रखने की अनुमति दी जायेगी। यद्यपि ऐसा परिवर्तन प्रशासनिक हित में किया जा सकता है।

इस सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 21.02.2014 द्वारा यह निर्णित किया गया है कि बंगला खलासी / TADK की पद बदली वर्तमान तीन वर्ष के स्थान पर पाँच वर्ष बाद ही हो सकेगी। साथ ही यह भी निर्णित किया गया हैं कि रेलवे बोर्ड में डायरेक्टर व समकक्ष अधिकारी उनके TADK की पद बदली पश्चात नये चेहरे को TADK के रूप में रख सकेगें।

[RBd LNo.2013ERB-5/22(4)1 dt.21.2.14(NWR PS 26A/14)] [GM/NWR LNo.885E1/HQ(BK)/Pol dt.14.2.08 & 23.9.08]

अन्य शर्तें

1. यदि एक अधिकारी उसी रेलवे में स्थानान्तरित हो जाता है जब उसे नये बंगला खलासी को रखने की अनुमति नहीं दी जायेगी। ऐसे मामलों में बंगला खलासी को उस नई इकाई में स्थानान्तरित करना होगा।
2. बंगला खलासी को अस्थाई ओहदा देने से पहले यदि अधिकारी स्थानान्तरित हो जाता है तो, बंगला खलासी की सेवायें एक माह के नोटिस के बदले में एक माह के वेतन के साथ समाप्त कर दी जायेगी। अन्यथा अन्य अधिकारी उस बंगला खलासी की सेवाओं का उपयोग उसी क्षमतानुरूप बंगला खलासी की इच्छा से कर सकेगें।
3. यदि एक अधिकारी का स्थानान्तरण सम्बन्धित रेलवे से अन्य रेलवे पर हो जाता है तो उस बंगला खलासी का स्थानान्तरण भी उसी स्थान पर, जहाँ अधिकारी का पदस्थापन होता है, कर किया जायेगा, यदि वह अधिकारी के साथ जाने की स्वीकृति देता है तो। ऐसे में उस अधिकारी की इच्छा का ध्यान रखना आवश्यक नहीं है।
4. इसी प्रकार कोई अधिकारी अन्य रेलवे से सम्बन्धित रेलवे में कार्यग्रहण करता है तो सम्बन्धित रेलवे पर पूर्व बंगला खलासी को बंगला खलासी के रूप में स्वीकार करना होगा यदि वह सम्बन्धित रेलवे में स्थानान्तरण पर अपनी स्वीकृति दे तो। अन्यथा उस अधिकारी को अन्य बंगला खलासी लेने की स्वीकृति दी जायेगी।
5. बंगला खलासी का, बंगला खलासी के रूप में अन्य इकाई में स्थानान्तरण हो जाने पर पूर्व में की गई सेवा के लाभ का हकदार होगा।
6. नियमितीकरण के समय बंगला खलासी का उसके पद /इकाई के साथ लीयन निर्धारित किया जायेगा। अनुपस्थिति की अवधि को छोड़कर, तीन साल की सेवा पूरी करने के बाद उन्हें नियमित करने हेतु स्क्रीनिंग की जायेगी।
7. बंगला चपरासी जिसको अधिकारी के स्थानान्तरण /सेवानिवृति के कारण कार्यमुक्त किया

जाता है और वह अन्य किसी अधिकारी के द्वारा बंगला चपरासी के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है तो समूह ''घ'' में अन्य उपयुक्त पद में पदस्थापना के लिये उन्हें कार्मिक शाखा में रिपोर्ट करना होगा। इस प्रकार के मामले में उसकी कोटि परिवर्तन के लिये किसी उच्चाधिकारी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

8. उपरोक्त नियमों /प्रक्रिया में किसी भी अपवाद के लिये सम्बन्धित रेलवे के महाप्रबन्धक से अनुमोदन लेना आवश्यक होगा।

वेतन का भुगतान : (N.R.P.S. 10960)

बंगला चपरासी को स्थाई /वर्क चार्जड् पदो के विरूद्ध नियुक्त किया जाता है तदनुसार उन्हें भारत की संचित निधि से वेतन भुगतान किया जाता है।

HOER के तहत बंगला चपरासी का वर्गीकरण : बंगला चपरासी का मूलतः सविराम (ई.आई.) वर्गीकरण व विभाजित वाला ड्यूटी रोस्टर दिया जायेगा जो कि 06:00 बजे से 12:00 बजे तथा 16:00 बजे से 22:00 बजे तक का होगा और उनको साप्ताहिक विश्राम दिया जाना चाहिये।

सम्बन्धित अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि बंगला चपरासी के मामले में वे का पालन करेगें। [RBd's L.No. 2014/E(LL)HER/1 dt. 01.09.14)NWRPS 17A/14] (N.R.P.S. 10960)

सेवा की बर्खास्तगी :

i. 120 दिन लगातार सेवा पूरी करने के बाद बंगला खलासी को अस्थाई ओहदा दिया जायेगा। अन्यथा इस अवधि के दौरान उसके नियंत्रित अधिकारी से उसकी असंतुष्ट कार्य की रिपोर्ट प्राप्त होने पर एक माह के नोटिस के एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त कर दी जायेगी।
ii. नियुक्त बंगला चपरासी यदि लिखित में बंगला चपरासी पद पर कार्य करने की अस्वीकृति देता है तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
iii. बंगला खलासी, जिसे अस्थाई ओहदा दिया गया है, केवल डी.ए.आर. प्रक्रिया के बाद ही हटाया जा सकता है।

नये टेलीफोन अटेण्डेण्ट सह डाक खलासी की नियुक्ति (TADK) :

रेलवे बोर्ड के निदेशक तथा इसके समकक्ष अधिकारियों को नये TADK रखने की अनुमति होगी। वहाँ वे अपने साथ TADK उस मामले में ले जा सकेगें जब उनका पदस्थापन रेलवे प्रणाली में ही अन्यत्र हो जाये तथा TADK को रखने के पात्र हो। नये TADK की सुविधा केवल उन अधिकारियों को प्रदान की जायेगी जिन्होंने पूर्व में TADK की सुविधा प्रदान नहीं की गई है। यदि अधिकारी रेलवे में निदेशक या इसके ऊपर के पद पर पदस्थापित है तब वे अधिकारी के साथ जायेगें।

इस सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 21.02.2014 द्वारा यह निर्णित किया गया है कि बंगला खलासी / TADK की पद बदली वर्तमान तीन वर्ष के स्थान पर पाँच वर्ष बाद ही हो सकेगी। साथ ही यह भी निर्णित किया गया हैं कि रेलवे बोर्ड में डायरेक्टर व समकक्ष अधिकारी उनके TADK की पद बदली पश्चात नये चेहरे को TADK के रूप में रख सकेगें। [RBd.s Lt.:2013ERB-5/22(4)/1 dt. 21.02.14 (NWR PS 26A/14)]

रेल सेवक कार्य घण्टे एवं विश्राम अवधि नियम –2005

[Railway Servants (Hours of Works & Period of Rest) Rule – 2005]

(RBE 131 /2005)

रेल सेवक (रोजगार घण्टे) नियम–1961 को G.S.R.–75, दिनांक 28.02.2005 के रेल सेवक (कार्य घण्टे एवं विश्राम अवधि) नियम–2005 द्वारा संशोधित कर दिया गया है। रेल अधिनियम–1989 (1989 के 24) की धारा–136 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित नियम बनाये हैं, जो निम्न हैंः– भाग–ा

(1) संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होनाः–

1 इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल सेवक (काम के घण्टे और विश्राम की अवधि) नियम, 2005 है।

2 ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगें (अर्थात् दिनांक 05.03.2005 से)।

3 ये केवल उन रेल सेवकों को लागू होगें जिन पर अधिनियम का अध्याय 14 लागू होता है।

(2) परिभाषायेः– इन नियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः–

क ''अधिनियम'' से रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) अभिप्रेत है,

ख ''पूर्ण रात्रि'' से अपरान्ह 10:00 बजे से पूर्वाह्न 06:00 बजे के बीच की अवधि अभिप्रेत है,

ग ''लाग ऑन'' से ''श्रम प्रधान'' (Intensive) कर्मकारों के मामलें में आठ घण्टे से ऊपर ''निरन्तर कर्मकारों'' (Continuous) के मामलें में दस घण्टे से ऊपर तथा ''आवश्यक रूप से आंतरायिक'' (Essentially Interittent) कर्मकारों के मामलें में बारह घण्टे से ऊपर की ड्यूटी अभिप्रेत हैं।

घ ''वेतन की मामूली दर'' (Ordinary Rate of Pay) में निम्नलिखित सम्मिलित हैः–

i भारतीय रेल स्थाना संहिता, जिल्द–ाा (1990 संस्करण) के नियम–1303 (मूल नियम–9) में यथा परिभाषित वेतन तथा इसमें परिचालन कर्मचारीवृन्द के मामले में, पूर्वोक्त संहिता के नियम 1507 में यथा–परिभाषित, मूल वेतन के 30 % का परिचालन भत्ते (Running Allowance) का वेतन घटक भी सम्मिलित है,

ii मंहगाई भत्ता, अतिरिक्त मंहगाई भत्ता, मंहगाई वेतन, यदि कोई है, और

iii प्रतिकारात्मक (नगर) भत्ता,

ड़ ''गोपनीय हैसियत में नियोजित रेल सेवकों'' में निम्नलिखित सम्मिलित हैः–

i पृथक गोपनीय कक्ष में अथवा प्रशासनिक कार्यालयों में अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कार्यरत आशुलिपिक,

ii साईफर ऑपरेटर

iii गोपनीय सहायक तथा निजी सहायक, और

iv अन्य कोई रेल सेवक, जिसे रेल प्रशासन के प्रधान द्वारा इस प्रकार गोपनीय हैसियत में नियोजित विनिर्दिष्ट किया गया हो,

च ''क्षेत्रीय श्रम आयुक्त'' से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है

छ ''सड़क किराने के स्टेशन''(Road side station)से निम्नलिखित से भिन्न अन्य स्टेशन अभिप्रेत हैः

i महत्वपूर्ण जंक्शन स्टेशन

ii मार्शलिंग यार्ड वाले स्टेशन

iii मुख्य टर्मिनल स्टेशन

iv वह स्टेशन जहाँ से नियमित रूप से गाड़ियाँ चलाई जाती हैं, तथा

v वह स्टेशन जहाँ मुख्य माल क्लर्क के ग्रेड में या उस माल कार्यालय के कार्यभार के आधार पर स्वीकृत उच्चतर रैंक में, पर्यवेक्षण माल क्लर्क के अधीन एक पृथक माल कार्यालय को व्यवस्था की गई हो,

परन्तु रेल प्रशासन के प्रधान या वह प्राधिकारी जिसे वह यह शासित प्रत्यायोजित करें,

उपर्युक्त परिभाषा को ध्यान में रखते हुये, सड़क के किनारे के स्टेशनों की सूची तैयार कर सकेगा।

ज ''रोस्टर'' से वह दस्तावेज अभिप्रेत है जो अन्य ब्यौरों के अलावा प्रतिदिन, रेल सेवक के ड्यूटी पर उपस्थित रहने के सम्भावित घण्टे, प्रतिदिन तथा साप्ताहिक विश्राम और दिन में ड्यूटी की अवधियों के बीच विश्राम को दर्शाता है,

झ ''परिचालन कर्मचारीवृन्द'' से ऐसा कर्मचारीवृन्द अभिप्रेत है जो भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द–II (1990 संस्करण) नियम 1507 में इस प्रकार परिभाषित है,

ट ''धारा'' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है

ठ ''शॉर्ट ऑफ'' से विश्राम की वह अवधि अभिप्रेत है

i ''श्रम प्रधान (Intensive) कर्मकारों के मामलें में

(क) छह घण्टे के ड्यूटी रोस्टर में बाहर घण्टे से कम, तथा

(ख) छह तथा आठ घण्टे के मिश्रित ड्यूटी रोस्टर में चौदह घण्टों से कम है,

ii ''निरन्तर'' (Continnans) कर्मकारों के मामलें में 10 घण्टे से कम है,

iii ''आवश्यक रूप से आन्तरिक''(Essential Intermittent) कर्मकार के मामलें में 08 घण्टे से कम है,

ड़ ''विभाजित ड्यूटी'' (Split Duty) से कार्य की अत्यावश्यकता के अनुसार आधे या अधिक घण्टे के प्रत्येक मध्यवर्ती विश्राम सहित दो या अधिक अवधियों में ड्यूटी अभिप्रेत हे और जब कर्मचारी अपने ड्यूटी के स्थान को छोड़ने के लिये स्वतंत्र हो ''विभाजित ड्यूटी'' के प्रयोजनार्थ विश्राम और भोजन के लिए अन्तराल व्यवधान नहीं होगा।

ढ़ धारा 130 की उपधारा (ख) में यथा प्रयुक्त ''अविरत ध्यान'' (Sustained attention) में मानसिक प्रयास (Mental efforts) विवक्षित है।

स्पष्टीकणः काँटों (Points) की स्थिर करने के पश्चात गाड़ी के आने की प्रतीक्षा कर रहे प्वाइंट्समेंन से ''अविरत ध्यान'' देना अपेक्षित है। इसी प्रकार एक स्टेशन मास्टर अथवा सहायक स्टेशन मास्टर को, पिछले स्टेशन के लिये उसके लाइन क्लीयर देने के समय से लेकर गाड़ी के आने के समय तक तथा फिर लाइन क्लीयर कहें जाने के समय से लेकर अगले ब्लॉक खण्ड के क्लीयर होने तक, ''अविरत ध्यान'' देना अपेक्षित है। जहाँ कहीं परिस्थितियाँ विभिन्न व्यवस्थाओं को न्यायोाचित ठहराती है, वहाँ अविरत ध्यान की अवधि का निर्णय नियंत्रण प्राधिकारी करेगा शंका के किसी भी मामलें में विभागाध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।

ण ऐसे अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के जिन्हें इस नियम में परिभाषित नहीं किया गया है उसके अर्थ वहीं होगें जो उनको भारतीय स्थापना संहित अधिनियम में है।

भाग–II

नियोजन का वर्गीकरण व कार्य के घण्टे (Classification of employment & hours of work)

(3). रेल सेवक के नियोजन की वर्गीकृत करने के लिये विहित प्राधिकारीः

i रेल सेवकों के नियोजन की धारा 130 के अधीन श्रम प्रधान (Intensive) अथवा आवश्यक रूप से आंतरायिक (Essential Intermittent) घोषित करने की शक्ति रेल प्रशासन के प्रधान (Head of Rly Adm.) में निहित होगा।

परन्तु रेल प्रशासन का प्रधान, स्वविवेकानुसार इस उप–नियम के अधीन उसमें निहित शक्ति को मुख्य कार्मिक अधिकारी को प्रत्यायोजित (Delegate) कर सकेगा।

परन्तु यह और कि बाढ़, दुर्घटना जैसी आपात–स्थिति की अवधि के दौरान, सक्षम प्राधिकारी में निहित शक्ति का प्रयोग उसी अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा जो वरिष्ठ वेतनमान के रैंक से नीचे का न हो।

ii उपनियम (1) के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा की गई प्रत्येक घोषणा की एक प्रति यथाशीध्र सम्बद्ध क्षेत्रीय श्रम आयुक्त को भेजी जायेगी तथा यदि घोषणा रेल के प्रधान से भिन्न किसी अन्य अधिकारी ने की हो तो यह, यथास्थिति, रेल प्रशासन के प्रधान या मुख्य कार्मिक अधिकारी को भेजी जायेगी।

(4). वर्गीकरण के विरूद्ध अपीलः

i नियम 3 के अधीन की गई वर्गीकरण की घोषणा से व्यथित कोईरेल सेवक ऐसी घोषणा की तारीख से 90 दिन के भीतर क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के समक्ष अपील दायर कर सकेगा जो ससंगत दस्तावेजों की संवीक्षा के पश्चात अथवा यदि आवश्यक समझें तो नये सिरे से काम का विश्लेषण (Job analysis) करने के पश्चात सम्बद्ध रेल प्रशासन के प्रधान के परामर्श से वर्गीकरण में परिवर्तन के आदेश दे सकेगा।

ii क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के विनिश्चय से व्यथित कोई रेल सेवक या रेल प्रशासन, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के विनिश्चय की उसे संसूचना की तारीख से 90 दिन की अवधि के भीतर श्रम मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव के समक्ष अपील कर सकेगा जो रेल मंत्रालय के परामर्श तथा सम्बद्ध पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात इसका निपटारा करेगा।

(5). पर्यवेक्षी कर्मचारीवृन्द (Supervisory staff) :

i श्रम मंत्रालय लिखित आदेश द्वारा उन रेल सेवकों अथवा रेल सेवकों के वर्गों को विनिर्दिष्ट करेगा जिन्हें धारा 130 के खण्ड (ग) के उपखण्ड (iv) के अधीन इस आधार पर पर्यवेक्षी कर्मचारीवृन्द के रूप में माना जायेगा कि रेल सेवक एक उत्तरदायित्वपूर्ण पद धारण करता है, मुख्य रूप से पर्यवेक्षी प्रकृति के कत्तव्यों के लिये नियोजित है तथा वह अपने कार्य तथा पद की प्रकृति के कारण ऐसे घण्टों के दौरान अपनी ड्यूटी के घण्टों या कार्य को समायोजित करने के लिये तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र है।

परन्तु जो रेल सेवक इन नियमों के प्रकाशन की तारीख को नियमों के अधीन पर्यवेक्षी कर्मचारीवृन्द के रूप में माने गये हैं, वह इस उप नियम के अधीन जारी रेल सेवकों या रेल सेवकों के वर्गों को पर्यवेक्षी कर्मचारीवृन्द के रूप में विनिर्दिष्ट करने वाले आदेश के निकाले जाने तक पर्यवेक्षी कर्मचारीवृन्द के रूप में माने जाते रहेगें।

ii उपनियम (1) के अधीन जारी किये गये ऐसे प्रत्येक आदेश की एक प्रति मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली को प्रस्तुत की जायेगी।

(6). अपवर्जित कर्मचारीवृन्द (Excluded Staff) :

स्वास्थ्य तथा चिकित्सा विभाग के कर्मचारीवृन्द के निम्नलिखित प्रवर्गों की धारा 130 के खण्ड (ग) के उपखण्ड (v) के अधीन ''अपवर्जित''' माना जायेगा, अर्थात्:

क मैट्रन,

ख सिस्टर्स – इंचार्ज,

ग मिडवाइफ, जो रेलवे अस्पतालों में नियमित शिफ्ट ड्यूटी पर तैनात नहीं है,

घ स्वास्थ्य शिक्षक एवं जिला विस्तार शिक्षक (पुरूष एवं महिला), (Health Educators) :

ड़ परिवार नियोजन क्षेत्र कार्यकर्त्ता (पुरूष एवं महिला),

च महिला स्वास्थ्य परिदर्शक,

छ सहायक नर्स एवं मिडवाइफ,

ज प्रक्षेपक (Projectionists)

उपर्युक्त के अतिरिक्त रेल मंत्रलाय, लिखित आदेश द्वारा, भारतीय रेल के किसी विभाग में रेल कर्मचारीवृन्द के किसी अन्य प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिसे इस आधार पर ''अपवर्जित'' (Excluded) माना जायेगा कि ऐसे कर्मचारी माँग पर उपलब्ध है।

(7). रेल सेवकों के वर्गीकरण को निर्धारित करने के लिए मापदण्ड :

क निरन्तर (Continuous) : उन नियोजनों से भिन्न जिन्हें नियोजन के घण्टे विनियम के कार्यक्षेत्र से अपवर्जित (Excluded) किया गया है, रेल सेवकों के सभी नियोजनों को निरन्तर माना जायेगा। तत्पश्चात, वास्तविक काम के विश्लेषण के आधार पर नियोजन को, यथास्थिति, ''श्रम प्रधान'' (Intensive) या ''आवश्यक रूप से आंतरायिक'' (Essentially Inntermittent) वर्गीकृत किया जा सकेगा।

ख श्रम प्रधान (Intensive) : अधिनियम की धारा 130 के खण्ड (घ) के अधीन नियोजन को ''श्रम

प्रधान'' के रूप में घोषित करने के लिये निम्नलिखित दो मुख्य बाते हैंः

i श्रमसाध्य प्रकृति का कार्य जिसके कारण मानसिक अथवा शारीरिक तनाव होता हो, तथा

ii निरन्तर ऐसा कार्य जिसमें विश्राम की अवधि कम है या बिल्कुल नहीं है।

स्पष्टीकरण–ा –धारा 130 खण्ड (घ) में ''सतत् एकाग्रता'' (Continued Concentration) पद से यह आशय है कि किसी विशेष प्रकृति के काम के लिये सम्बद्ध रेल सेवक का अनन्य रूप से उसी कार्य में लगना चाहिये। उसके मस्तिष्क में कोई अन्य विचार या भावना नहीं आनी चाहिये तथा यह सतत् एकाग्रता इस प्रकार की होनी चाहिये जिससे कि ऐसे कार्य विशेष में बिना किसी युक्तियुक्त कतिपय विरामों के निरन्तर ध्यान दिये जाने के परिणामस्वरूप एक अवधि विशेष में, सम्बन्धित रेल सेवक पर तनाव (शारीरिक अथवा मानसिक या दोनों) पड़ता हो। अतः ड्यूटी की सम्पूर्ण अवधि तथा कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए विहित प्राधिकारी, किसी नियोजन को ''श्रम प्रधान'' (Intensive) घोषित करने से पूर्व स्वयं का यह समाधान करेगा कि सम्बन्धित कार्य में उपर्युक्त बातें विद्यमान है। दूसरे शब्दों में, विहित प्राधिकारी यह विचार करेगा कि क्या काम इस प्रकृति का है कि जिसके लिये विश्राम की उचित अवधि के बिना ''निरन्तर एकाग्रता'' की आवश्यकता है।

स्पष्टीकरण–ाा – जहाँ विश्राम, निष्क्रयता या विराम (आराम) की अवधि, 24 घण्टों के एक चक्र में कुल मिलाकर 06 घण्टे या उससे अधिक न हो अथवा 08 घण्टे की बारी में एक घण्टे या उससे अधिक की नहीं हो, वहाँ कारण (ii) के सम्बन्ध में संतुष्टि करने के लिये विचार किया जाना चाहिये।

ग आवश्यक रूप से आंतरायिक (Essential Intermittent) : कर्मचारी के कार्य को तब आवश्यक रूप से आंतरायिक समझा जायेगा यदि उसकी प्रतिदिन की ड्यूटी 12 घण्टों की मान ली गई हो, उसके अन्तर्गत निम्नलिखित हैः–

i कम से कम एक घण्टे की निष्क्रयता की एक अवधि या कम से कम आधे–आधे घण्टे की ऐसी दो अवधियॉ, और

ii खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट अवधियॉ की अवधि सहित निष्क्रियता की कुल मिलाकर 50 या उससे अधिक की विभिन्न अवधियाँ जिनके दौरान उसे शारीरिक सक्रियता या अविरत ध्यान (Physical activities or sustained attention) देने के लिये नहीं कहा जाता है

टिप्पणी : धारा 130 की उपधारा (ख) के अनुसार ''आवश्यक रूप से आंतरायिक'' के कार्यभार का निर्धारण करते समय, 05 मिनट से कम का निष्क्रयता की अवधियों को छोड़ दिया जायेगा।

(8). कार्य के घण्टों का निर्धारण :

रोस्टर के अनुसार रेल सेवक के कार्य के घण्टे (जिन्हें इससे आगे, कार्य के रोस्टर घण्टे, कहा गया हो) सेवा की अत्यावश्यकता या तैनाती के कारण निरन्तर हो सकते हैं या इसमें विश्राम के लिये कम अंतराल या विराम हो सकता है।

1 रेल प्रशासन, धारा 132 में विनिर्दिष्ट सीमा के अधीन रहते हुये तथा सेवा की अपेक्षाओं और कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये इन नियमों में उपदर्शित रीति से रेल सेवकों के विभिन्न प्रवर्गों के लिये कार्य के सामान्य रोस्टर घण्टे नियत करेगा,

2 रेल सेवकों के कार्य के रोस्टर घण्टों में निम्नलिखित सम्मिलित होगेंः–

i ड्यूटी के मानक घण्टे

ii आवश्यक रूप से आंतरायिक रूप में वर्गीकृत कतिपय प्रवर्गों के मामले में यथाविहित अतिरिक्त घण्टे, तथा

iii प्रारम्भिक अथवा पूरक कार्य या दोनों (Preparatory or complementary work or both) कार्यों को करने के लिये जिनके लिये ऐसे कार्य का अपेक्षित है, अपेक्षित समय।

3 रेल सेवकों के नियोजन के विभिन्न वर्गों के लिये ड्यूटी के मानक घण्टे नीचे दिये गये

अनुसार होगेंः–

i श्रम प्रधान (Intensive) – सप्ताह में 42 घण्टे

ii निरन्तर (Continuos) – सप्ताह में 48 घण्टे, तथा

iii आवश्यक रूप से आंतरायिक (Essentially Intermittent) – सप्ताह में 48 घण्टे

4 क नियोजन के आवश्यक रूप से आंतरायिक वर्ग वाले रेल सेवकों को नीचे उपदर्षित अतिरिक्त घण्टों के लिये नियम 8 (2) (ii) के अनुसार कार्य पर बुलाया जायेगाः–

i गेटमेन–सी, विश्रामगृह तथा जलाशयों आदि के केयर–टेकर, चौकीदार तथा सैलून परिचारक –प्रति सप्ताह 24 अतिरिक्त घण्टे

ii ड्यूटी स्थल से 0.5 किलोमीटर के भीतर रिहायशी क्वार्टरों की व्यवस्था वाले सड़क किराने (Road side) के स्टेशनों पर आवश्यक रूप से आंतरायिक (E.I.) नियोजन के कार्य के लिये तैनात रेल सेवक, –प्रति सप्ताह 24 अतिरिक्त घण्टे

iii नियोजन के आवश्यक रूप से आंतरायिक (E.I.) वर्ग में कार्य के लिये तैनात शेष कर्मचारी, –प्रति सप्ताह 12 अतिरिक्त घण्टे

ख कार्य के ऐसे अतिरिक्त घण्टों को सम्बन्धित रेल सेवकों के ड्यूटी रोस्टर में दर्शित किया जायेगा

5 कर्मचारियों को विभिन्न कोटियाँ द्वारा प्रारम्भिक या पूरक कार्य या दोनों कार्य (Preparatory or complementary work or both) करने के लिये अपेक्षित समय, जिसमें कार्यभार सौंपना तथा कार्यभार ग्रहण करना भी सम्मिलित है, किसी प्रतिष्ठान, शाखा या पारी के सामान्य कार्य संचालन के लिये अभिकथित समय सीमा के अलावा किये जाने चाहिये तथा सम्बन्धित कोटि में प्रतिनिधि पदों (Representative Posts) के सम्बन्ध में ऐसे कार्य विश्लेषण (Job analysis) द्वारा ऐसे समय का अवधारण (Determined) किया जायेगा।

6 उपनियम 5 के अधीन निर्धारित किये गये समय को, नीचे विहित अधिकतम सीमा, के अध्यधीन सभी विभिन्न वर्गीकरणों में कर्मचारिवृन्द की ड्यटी के मानक घण्टों में सम्मिलित किया जायेगाः–

क जब नियोजन श्रम प्रधान हो –सप्ताह में 03 घण्टे

ख जब नियोजन निरन्तर हो –सप्ताह में 06 घण्टे

ग जब नियोजन आवश्यक रूप से आंतरायिक हो

i गेटमेन–सी, विश्रामगृह तथा जलाशयों के चौकीदारों सैलून परिचारक तथा वे जो सड़क किनारे स्टेशनों पर तैनात है तथा उनके ड्यूटी स्थल से 500 मीटर के भीतर रिहायशी क्वार्टरों की व्यवस्था हो –सप्ताह में 03 घण्टे

ii ऊपर उप खण्ड (i) में उल्लिखित रेल सेवकों से भिन्न –सप्ताह में 4½ घण्टे

7 परिचालन कर्मचारिवृन्द (Running Staff) द्वारा प्रारम्भिक या पूरक कार्य (Preparatory or complementary) करने के लिये अपेक्षित समय सप्ताह में 04 घण्टे का समझा जायेगा

टिप्पणीः

i जहाँ प्रारम्भिक या पूरक कार्य करने के लिये प्रतिदिन 15 मिनट से कम का समय अवधारित किया गया है वहाँ इसे ड्यूटी नहीं माना जायेगा तथा इसे रोस्टर तथा इसे रोस्टर में दर्शित नहीं कियका जायेगा।

ii ''निरन्तर'' प्रकृति के नियोजन के मामलों, प्रारम्भिक या पूरक कार्य करने के लिये अवधारित समय, प्रतिदिन 15 मिनट से 45 मिनट तक से कम के बीच है तो इसे आधे

घण्टे काकार्य माना जायेगा तथा प्रतिदिन 45 मिनट और 01 घण्टे के बीच का समय 01 घण्टे का कार्य माना जायेगा।

iii नियोजन के श्रम प्रधान तथा आवश्यक रूप से आंतरायिक प्रवर्गों के मामलें में 15 मिनट से 30 मिनट के बीच अवधारित ऐसा समय, प्रतिदिन आधे घण्टे काकार्य माना जायेगा।

iv ऊपर मद संख्या (iii) के अन्तर्गत निर्धारित समय को सम्बन्धित कर्मचारी के ड्यूटी रोस्टर में दर्शाया जायेगा।

v प्रारम्भिक या पूरक कार्य अथवा दोनों कार्यों के लिये कुल घण्टे इस प्रकार नियत किये जायेगें कि सम्पूर्ण ड्यूटी घण्टे, धारा–132 में अपने–अपने वर्गीकरण के लिये विहित सीमाओं से अधिक न हो।

8 जहाँ रेल, रेल सेवकों से विभाजित ड्यूटी (Split Duty) का अनुपालन करने की अपेक्षा हो, वहाँ ऐसी ड्यूटी निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, अर्थात्:–

क ड्यूटी की अवधियाँ तीन से अधिक नहीं होगी तथा विराम की संख्या दो तक सीमित होगी,

ख ''निरन्तर'' प्रकृति के नियोजन के मामलों में, उस रेल सेवक के लिये, जिसका निवास स्थान ड्यूटी स्थल से 1.6 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है, विभाजित ड्यूटी के सात घण्टे, सामान्य ड्यूटी के आठ घण्टों के बराबर माने जायेगें।

9 रोस्टर तैयार करते समय तद्नुसार ''लॉग ऑन'' या ''शॉटै ऑफ'' से बचा जायेगा।

10 जब रेल सेवक को, धारा 132 की उपधारा (4) या धारा 133 की उपधारा (3) के उपबन्धों तथा इनमें उल्लिखित परिस्थितियों के अनुसार अधोलिखित नियम (9) के अधीन दी गई अस्थायी छूट के आदेश द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रर्वोल्लिखित उपनियमों के अनुसार निर्धारित कार्य के घण्टों या धारा 132 की उपधारा (1), (2) तथा (3) में विहित ड्यूटी करने के लिये बुलाया जाता है, तो सम्बन्धित रेल सेवक का ऐसे ड्यूटी के अतिरिक्त घण्टों के कार्य को करने का कर्त्तव्य होगा।

(9). अस्थायी छूट देने की शक्ति :

i धारा 132 की उपधारा (4) तथा धारा 133 की उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, रेल प्रशासन का प्रधान लिखित आदेश धारा किसी रेल सेवकों के वर्ग की धारा 132 की उपधारा (1), (2) और (3) तथा धारा 133 की उपधारा (1) और (2) के उपबन्धों से अस्थायी छूट दे सकता है।

ii रेल प्रशासन का प्रधान उपनियम (1) के अधीन अपनी शक्तियों को, अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को, जिसे वह शक्तियों का प्रयोग करने के लिये ठीक समझता है, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

iii उपनियम (2) के अधीन किये गये प्रत्येक प्रत्यायोजन के आदेश की एक प्रति सम्बन्ध क्षेत्रीय श्रम आयुक्त को भेजी जायेगी।

(10). अतिकाल भत्ते का औसत निकालने तथा उसके संदाय के सिद्धान्त :

क जहाँ रेल सेवक से, नियम 08 के अनुसार नियत रोस्टर घण्टों के पश्चात या धारा 132 के अधीन रेल सेवक के विभिन्न वर्गों के लिये विनिर्दिष्ट समय सीमा के पश्चात, अतिरिक्त घण्टों की ड्यूटी करना अपेक्षित हो वहाँ उसे उपनियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट औसत निकालने के सिद्धान्तों (Principal of averaging) के अधीन कार्य के ऐसे अतिरिक्त घण्टों के लिये अतिकाल भत्ते (Over Time) का भुगतान किया जायेगा।

ख धारा 132 में यथा विनिर्दिष्ट औसत अवधियों के ऊपर कार्य के घण्टों के औसत द्वारा औसत निकाला जायेगा जिसे रेल कार्य प्रणाली में रेल सेवकों के कतिपय वर्गों के लिये तथा आवश्यक छूट देने के लिये युक्तियुक्त लचीले अध्योधाय के रूप में अपनाया गया है तथा यह–

i परिचालन कर्मचारिवृन्द (Running Staff)

ii प्रचालन कर्मचारिवृन्द (Operatig Staff)

iii पारी कर्मकारों(Shift workers), तथा

iv उन अन्य रेलवे सेवकों को, जो खण्ड (i), खण्ड (ii) तथा खण्ड (iii) में उल्लिखित रेल सेवकों के प्रवर्गों के किसी भी कार्य से जुड़े कार्य करते हैं, लागू होता है।

ग धारा 132 की उपधारा (4) में अंतर्विष्ट उपबन्धों के अधीन रहते हुये कार्य के अधिक घण्टों के लिये अतिकाल भत्ते (Over Time) का भुगतान नीचे दिये गये अनुसार किया जायेगाः–

i रेलवे सेवक द्वारा कार्यों के रोस्टर घण्टों की विहित समय सीमा तथा धारा 132 में विहित घण्टों के बीच किये गये अधिक कार्य घण्टों के लिये, सुसंगत औसत अवधि के दौरान वेतन की सामान्य दर के 1½ गुणा का भुगतान किया जायेगा, तथा

ii धारा 132 में विहित समय सीमा के पश्चात किये गये कार्य के अधीन घण्टों के लिए, वेतन की सामान्य दर के दो गुणा के बराकर भुगतान किया जायेगा।

घ अतिकाल की प्रति घण्टा दर, सुसंगत औसत अवधि पर रोस्टर घण्टों के आधार पर नीचे दिये गये अनुसार निकाली जायेगीः–

i	वेतन की प्रति घण्टा दर (औसत निकालने के सिद्धान्त द्वारा शासित कर्मचारिवृन्द के लिये)	औसत की अवधि ..... औसत की अवधि में कार्य के रोस्टर घण्टों की संख्या	X	मासिक वेतन की सामान्य दर का 1/30
ii	वेतन की प्रति घण्टा दर (औसत निकालने के सिद्धान्त द्वारा शासित नहीं होने वालों के लिये)	1 ..... कार्य के प्रतिदिन के रोस्टर घण्टों की संख्या	X	मासिक वेतन की सामान्य दर का 1/30

(11). कार्य के अतिरिक्त घण्टों का रजिस्टर :

रेल प्रशासन के प्रधान की ओर से प्राधिकृत अधिकारी, ड्यूटी के विहित रोस्टर घण्टों से अधिक रेल सेवक द्वारा किये गये कार्य के सभी अतिरिक्त घण्टों को, इन नियमों से संलग्न फार्म ''क'' में रखे गये रजिस्टर में अभिलिखित करेगा।

(12). कालिक विश्राम (Periodical Rest) :

i जिन रेल सेवकों का नियोजन ''श्रम प्रधान'' या ''निरन्तर'' (Intensive or continious) है उन्हें रविवार को प्रारम्भ होने वाले प्रत्येक सप्ताह में तीस क्रमवर्ती घण्टों (Consecutive Hours) से अन्यून का विश्राम दिया जायेगा तथा जिनका नियोजन आवश्यक रूप से आंतरायिक (E.I.) है उन्हें एक पूरी रात्रि सहित चौबीस क्रमवर्ती घण्टों से अन्यून (not less) का विश्राम दिया जायेगा।

ii किसी भी रेल सेवक को, जो ''श्रम प्रधान'' ''निरन्तर'' या आवश्यक रूप में आंतरायिक वर्गीकृत है तब तक ड्यूटी पर नहीं बुलाया जायेगा जब तक कि उसने ड्यूटी के पूर्व दौर की समाप्ति के पश्चात क्रमश 12, 10, 08 क्रमवर्ती घण्टों से अन्युन का विश्राम नहीं ले लिया हो। ऐसा विश्राम जहाँ तक सम्भव हो, विश्राम देने वालों के (Rest-Gvers) नियोजन के माध्यम से दिया जाना चाहिये तथा ''निरन्तर'' और आवश्यक रूप से आंतरायिक प्रवर्गों के लिये विश्राम देने वाला अलग–अलग होगा।

iii रेल इंजन या यातायात परिचालन (रनिंग) (Locomotive or traffic running staff) कर्मचारिवृन्द को प्रत्येक मास में कम से कम पाँच ऐसी कालावधियों का विश्राम दिया जायेगा जिसमें प्रत्येक कालावधि कम से कम बाईस क्रमवर्ती घण्टों की या चार कालावधियाँ कम से कम तीस लगातार घण्टों की होगी। इस प्रयोजनार्थ, कार्य के घण्टों की गणना, ''आने पर हस्ताक्षर करने'' से ''जाने पर हस्ताक्षर करने'' तक कि की जायेगी।

iv रेल इंजन तथा यातायात परिचालन (Locomotive or traffic running staff) कर्मचारिवृन्द सामान्यतः लगातार तीन या चार दिनों से अधिक मुख्यालय से दूर नहीं रहेगें तथा ऐसे कर्मचारिवृन्द को मुख्यालयों पर कालिक विश्राम दिया जायेगा। जहाँ तक सम्भव हो प्रत्येक दस दिनों में एक बार मुख्यालयों पर विश्राम में सोने के लिए रात्रि को भी सम्मिलित किया जाना चाहिय।

v रेल इंजन तथा यातायात परिचालन कर्मचारिवृन्द से भिन्न चालित गाड़ियों में ड्यूटी पर कर्मचारिवृन्द जैसे यात्रा वेतन लिपिक तथा रेस्तरां यानों से जुड़े खान–पान कर्मचारिवृन्द को रेल इंजन तथा यातायात परिचालन कर्मचारिवृन्द के लिये अधिकथित मापमान तथारीति से कालिक विश्राम दिया जायेगा। कालिक विश्राम का कुछ भाग, उनके दौरों की अवधि को ध्यान में रखते हुये, उनके मुख्यालयों से दूर दिया जायेगा।

vi समुन्द्री कर्मचारिवृन्द, जो कि कारखाना अधिनियम से शासित है, के अतिरिक्त अन्य कर्मचारिवृन्द के काम के घण्टे और कालिक विश्राम, परिचालन कर्मचारिवृन्द की रीति के अनुरूप ही विनियमित किये जायेगें।

vii धारा 133 की उपधारा (2) के खण्ड (ii) के अनुसार रेल प्रशासन का प्रधान, रेल मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन से उन रेल सेवकों के प्रवर्गों को, जिन्हें उक्त धारा की उपधारा (i) में अधिकथित मापमान से कम मापमान पर विश्राम की कालावधियाँ दी जा सकेगी, विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

13.विश्राम की प्रतिकारात्मक अवधियाँ (Compensatory periods of rest) : किसी रेल सेवक से, जिसे नियम (9) के अधीन छूट दी गई है, विश्राम की अवधि के बिना चौदह दिनों से अधिक कार्य करना अपेक्षित नहीं होगा और उसे उस अवधि में प्रतिकारात्मक विश्राम (Compensatory Rest) दिया जायेगा।

भाग–III

अधिनियम के अध्याय XIV तथा इन नियमों के उपबन्धों का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये प्राधिकारी।

14. पर्यवेक्षकों की नियुक्ति : रेल श्रम पर्यवेक्षकों की नियुक्ति श्रम मंत्रालय द्वारा की जायेगी उनकी नियुक्ति की रीति तथा इस प्रयोजन हेतु शैक्षिक अर्हताएँ इत्यादि, श्रम मंत्रालय द्वारा समय–समय पर अधिकथित (Laid-down) की जायेगी।

15. नियमों और सूचनाओं का प्रदर्शन : प्रत्येक रेल प्रशासन :–

क जहाँ रेल सेवक कार्य करते हैं, रेल सेवकों के नियोजन के वर्गीकरण को विनिर्दिष्ट करने वाली सूचनाओं, उनके नियोजन के घण्टों की कालावधि, उनके विश्राम तथा रोस्टर की अवधि को, और

ख प्रत्येक स्टेशन या किसी प्रतिष्ठान में, अधिनियम के अध्याय XIV तथा इन विनियमों की प्रतिलिपि अंग्रेजी, हिन्दी तथा सीनीय भाषा में, किसी सहज सदृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा।

16.वार्षिक विवरणी : प्रत्येक रेल प्रशासन इन नियमों से संलग्न के अनुसार प्रारूप (ख) में प्रत्येक वर्ष जिससे यह सम्बन्धित है, के अन्त में एक विवरणी क्षेत्रीय श्रम आयुक्त को आगामी वित्तिय वर्ष 15 मई से पूर्व भेजेगी।

भाग– IV

अवशिष्ट शक्तियाँ

17. विशेष मामलों में उपवितरण करने की शक्तियाँ :

i इन नियमों में उपबन्धित किसी अन्यत बात के होते हुए भी, जहाँ रेल की कार्य प्रणाली को दक्ष बनाने के लिये, इन नियमों में अधिकथित विशेष प्रकृति की किन्हीं शर्तों में, जिन्हें स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप बनाने के लिये उनमें तत्काल उपांतरण (Modification) करना आवश्यक है वहाँ ऐसे उपांतरण, जो इस अधिनियम के अध्याय–14 के किसी उपबन्ध से असंगत नहीं है, रेल मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन से प्रभावी होगें।

ii ऐसे उपांतरणों की एक प्रति सम्बन्धित क्षेत्रीय श्रम आयुक्त को भेजी जायेगी।

iii यदि किसी रेल सेवक पर उपनियम (1) के अधीन किये गये ऐसे किसी उपांतरण (modification) से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो वह ऐसे उपांतरण (Modification) के प्रभावी होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर, रेल मंत्रालय के समक्ष अपील कर सकताहै, जिसका निर्णय, इस सम्बन्ध में, अंतिम होगा।

भाग– V

निरसन तथा व्यावृति (Repeal and saving)

18. रेल सेवक (नियोजन घण्टे) नियम, 1961 तथा इसके अन्तर्गत जारी सभी आदेश, जहाँ तक वे इन नियमों से असंगत है, निरसित किये जाते हैं, परन्तु :

i ऐसा निरसन, उक्त नियमों के पूर्व प्रवर्तनों या इनके अन्तर्गत किये गये किन्हीं आदेशों या किये गये किसी कृत्य या किसी कार्यवाही की प्रभावित नहीं करेगा,

ii इन नियमों में उल्लिखित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि किसी भी उस व्यक्ति को जिसे ये नियम लागू होते हैं, अपील करने के उस अधिकार से वंचित कर दिया गया है, जो उसे इन नियमों के लागू होने से पहले, पूर्वोक्त् नियमों या आदेशों के अधीन प्राप्त था।

iii ऐसे नियमों के लागू होने से पूर्व किये गये किसी भी आदेश के विरूद्ध,
इन नियमों के प्रारम्भ होते तक लम्बित अपील पर विचार किया जायेगा तथा उस पर इन नियमों के अनुसार इस प्रकार केआदेश किये जायेगें, मानों कि वे आदेश और अपीलें इन नियमों के अधीन किये गये थे /की गई थी।

iv इन नियमों के लागू होने से पूर्व किये गये किन्हीं आदेशों के पुनर्विलोकन के लिये की गई या आवेदन इन नियमों के अधीन किया गया माना जायेगा।

कार्य विश्लेषण : [Rly Bd L.No. E(LL)73HER/33 Pt. All dt. 28.06.74 (NR PS 6175)]

किसी पद का वर्गीकरण /पुनःवर्गीकरण करने हेतु कार्य विश्लेषण किया जाता है। रेलवे श्रम न्यायालय 1969 द्वारा कार्य विश्लेषण हेतु निम्न चार वर्गीकरण निर्धारण किये गये है :–

अ रफ आंकलन (Raugh assessement method)

ब प्रतिनिधित्व आधार (Representative method)

स शाखा अधिकारी द्वारा प्रमाण–पत्र जारी करने पर (Method of issuance of certificate from Executive Officer)

द वस्तुतः कार्य विश्लेषण (Factual Job analysis)

उपरोक्त में से प्रथम तीन अस्थाई रूप से वर्गीकरण हेतु हैं, लेकिन किसी पद के अधिकृत वर्गीकरण हेतु वस्तुतः कार्य विश्लेषण आवश्यकता रूप से किया जाना चाहिये।

कार्य विश्लेषण के समय निम्न बिन्दुओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहियेः–

1 गत एक वर्ष के आँकड़ों का संकलन किया जाना चाहिये।

2 कार्य विश्लेषण 72 घण्टे लगातार करना चाहिये।

3 जिस दिन कार्य विश्लेषण किया जाना है उस दिन का निर्धारण करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिये कि कार्य की स्थिति सामान्य हो ताकि कार्य विश्लेषण का परिणाम सही आये।

4 कर्मचारियों की ड्यूटी लिस्ट का सावधानी पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात कार्य विश्लेषण शुरू किया जाना चाहिये।

5 कार्य विश्लेषण के परिणाम को पूर्व के आँकड़ों से मिलान कर स्थिति का आँकलन किया जाना चाहिये।

6 कार्य विश्लेषण में सक्रिय अवधि का निर्धारण सही रूप से किया जाना चाहिये।

7 कार्य विश्लेषण की अन्तिम रिपोर्ट शाखा अधिकारी व लेखा विभाग के संयोजन से तैयार की जानी चाहिये

ड्यूटी रोस्टर बनाते समय, कार्य प्रणाली व सुविधाओं (जिसकी पालना से कर्मचारियों व प्रशासन को असुविधा न हो) को ध्यान में रखते हुये इसका निर्धारण किया जाना चाहिये। इस हेतु निम्न बिन्दुओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहियेः–

i कार्य के निर्धारित घण्टों का ध्यान रखना चाहिये। निरन्तर वर्गीकरण के जो कर्मचारी औसत कार्य के घण्टों के सिद्धान्त पर कार्य करते हैं व उन्हें चार्ज लेने /देने का समय नहीं दिया जाता है अतः उनके लिये सप्ताह में औसत 48 घण्टे का रोस्टर बनाना चाहिये तथा ऐसे कर्मचारी जिन्हें चार्ज लेने /देने में समय लगता हैं उन्हें उस अवधि को जोड़ते हुए ड्यूटी रोस्टर बनाया जाना चाहिये। गहन व मूलतः सविराम वर्गीकरण के मामलें में दो सप्ताह /एक सप्ताह के औसत कार्य के घण्टों के आधार पर ड्यूटी रोस्टर यह ध्यान में रखते हुये बनाया जाना चाहिये कि कार्य के घण्टे सावधिक अवधि से अधिक नहीं हो।

ii लॉग आन /शॉर्ट ऑफ के सिद्धान्त की पालना की जानी चाहिये।

iii प्रत्येक रोस्टर में सप्ताहिक विश्राम अवश्य होना चाहिये। सप्ताह रविवार मध्य रात्रि से शनिवार मध्य रात्रि तक होगा। एकल पारी में कार्यरत कर्मचारियों का विश्राम दिवस बदला जा सकता है परन्तु लॉग आन /शॉर्ट ऑफ का ध्यान रखा जाना चाहिये तथा आपवादिक मामलों में ही इनमें बदलाव होना चाहिये।

iv ड्यूटी रोस्टर बनाते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिये कि नियमित रूप से समयोपति भत्ता न बने।

v स्थायी कर्मचारियों का ड्यूटी रोस्टर बनाते समय सामान्य सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए विश्रामदाता का ड्यूटी रोस्टर भी बनाया जाना चाहिये।

समयोपरि भुगतान से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश

1 स्टोर डिलीवरी कर्मचारियों के ड्यूटी की गणना जब वे लाईन पर जाते है :–
चल स्टोर डिलीवरी क्लर्क /खलासी जो मुख्यालय व स्टेशन (लाईन) पर कार्य करते हैं उनके पास लाईन पर कुछ कम काम होता है।
विभागीय परिषद की बैठक में दिनांक 30.09.1980 के कर्मचारी प्रतिनिधियों द्वारा प्रश्न उठाया कि जब वे स्टेशन (लाईन) पर कार्य करते है उस अवधि की गणना ड्यूटी अवधि में की जाये। बैठक में निर्णय लिया गया कि जो अवधि यात्रा के समय की है उसकी 25% अवधि के समयोपरि भत्ते की गणना हेतु ड्यूटी माना जाये। [Rly Bd L.No. E(LL)Co/HER/2-8 dt. 30.01.81 (NR PS 7756)]

2 स्टेशन मास्टर द्वारा औचक रात्रि निरीक्षण की अवधि की गणना हेतु :–
परिचालन नियमावली के तहत प्रत्येक माह में चार रात्रि निरीक्षण करने चाहिये व रात्रि निरीक्षण पंजिका में उसका इन्द्राज भी करना चाहिये।
रात्रि निरीक्षण अवधि के लिये समयोपरि भत्ते की गणना में प्रत्येक निरीक्षण हेतु आधा घण्टा ड्यूटी मानकर भुगतान किया जाना चाहिये। [Rly Bd L.No. E(LL)80/HER/1-4 dt. 10.04.81 & N.Rly L.No. 3E/61-IV(adj) dt. 08.05.81)]

3 अवकाश व अधिकृत अनुपस्थित अवधि की गणना समयोपति भत्ते के सम्बन्ध में निर्देश :–
कर्मचारी के अवकाश की अवधि में समयोपरि भत्ते की गणना हेतु निम्न प्रकार की जायेगी।

क रनिंग कर्मचारियों के दो सप्ताह की 104 घण्टे रोस्टर अवधि की गणना अनुपस्थित /अवकाश अवधि के समानुपात के अनुसार की जायेगी –उदाहरणार्थ यदि ''अ'' कर्मचारी 10 दिन के अवकाश में रहता है व दो सप्ताह के शेष अवधि में ड्यूटी पर रहता है व 40 घण्टे कार्य करता है व 30 घण्टे करना चाहिये अतः 10 घण्टे का समयोपरि भत्त देय होगा।
समयोपरि भत्ते के भुगतान हेतु विश्राम अवधि का कोई क्रेडिट नहीं दिया जायेगा।

ख अवकाश /अधिकृत अनुपस्थिति की अवधि हेतु निम्न प्रकार क्रेडिट दिया जायेगा :–

वर्गीकरण	रोस्टर कार्य के घण्टे	अवकाश /अनुपस्थित में देय क्रेडिट
निरन्तर	96 hrs.	6.51 hrs.
	102 hrs.	7.17 hrs.
	104 hrs.	7.25 hrs.
	108 hrs.	7.42 hrs.
गहन	84 hrs.	6.00 hrs.
	90 hrs.	6.25 hrs.
मूलतः सविराम	60 hrs.	8.34 hrs.
	63 hrs.	9.00 hrs.
	64 ½ hrs.	9.12 hrs.
	72 hrs.	10.17 hrs.
	75 hrs.	10.42 hrs.

[Rly Bd L.No. E(Trg)62/Adj/36 dt. 15.10.63 (NR PS 7228)]

नोटः– अनाधिकृत अनुपस्थिति को सक्षम अधिकारी द्वारा नियमित कर दी जाये तो उसे भी वही लाभ देय होगा। कर्मचारी यदि यूनियन की बैठक हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश पर हो तो उसे भी स्वीकृत अनुपस्थिति मानते हुये उपरोक्त लाभ दिया जायेगा।

[Rly Bd L.No. E(LL)81/HER/3-4 dt. 12.05.81 & NR PS 7228, 7830]

रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम–1968 (w.e.f. 01.10.1968)

नाम एवं प्रभावी होने की तिथि : (नियम–1)

1. इन नियमों को रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम–1968 कहा जायेगा।
2. ये नियम अक्टूबर 1968 की पहली तारीख से लागू होगें।

परिभाषायें :
(नियम–2)

(अ) नियुक्ति प्राधिकारी : किसी रेल सेवक के नियुक्ति प्राधिकारी से आशय भिन्न–भिन्न स्थितियों में निम्नलिखित प्राधिकारियों से हैं :–

i. किसी समय विशेष पर, जिस सेवा या ग्रेड में कर्मचारी कार्यरत हो उस समय उस सेवा या ग्रेड पर नियुक्त का प्राधिकार रखने वाला प्राधिकारी।
ii. किसी समय विशेष पर, जिस पद पर रेल सेवक पदस्थापित हो उस पद पर नियुक्ति का प्राधिकार रखने वाला प्राधिकारी।
iii. वह प्राधिकारी जिसने किसी रेल सेवक को उसके वर्तमान पद, सेवा अथवा ग्रेड जिसमें वह कार्यरत हो, पर वास्तविक रूप से नियुक्त किया हो।
iv. यदि कोई रेल सेवक जिसने रेल सेवा में अपनी वर्तमान नियुक्ति से पूर्व रेल प्रशासन के अधीनस्थ किसी अन्य विभाग में किसी अन्य स्थायी (Substantive) पद पर कार्य किया हो तो उस पद, सेवा या ग्रेड में नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी।

उपरोक्त में जो भी सर्वोच्च होगा वही नियुक्ति अधिकारी माना जोगा।

विस्तार क्षैत्र (Application) (नियम–3)

(1) ये नियम सभी रेल सवकों पर लागू होगें परन्तु निम्नलिखित पर लागू नहीं होगें:

अ अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों पर।
ब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट 1957 (1957 का 23) के अन्तर्गत परिभाषित रेलवे सुरक्षा बल के किसी सदस्य पर।
स किसी आकस्मिक श्रमिक पर।
द उन व्यक्तियों पर जिसके विषय में इन नियमों के अन्तर्गत अथवा अन्य किन्हीं नियमों के अध्याधीन विशेष प्रावधान के द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति से विशेष करारनामे (Aggrement) या नियम बनाये गए हों।

(2) उपनियम (1) के अन्तर्गत दिए गए प्रावधानों पर ध्यान न देते हुए राष्ट्रपति को रेल सेवकों के किसी वर्ग को इन नियमों के सभी या किसी प्रावधान से अलग रखने का आदेश पारित करने का अधिकार हैं।

निलम्बन (नियम–4 व 5)

निलम्बन से तात्पर्य है किसी सरकारी सेवक की सेवा को कुछ समय तक रोक देना अथवा दूसरे शब्दों में सरकारी सेवा में स्वामी और सेवक सम्बन्ध को कुछ समय के लिए स्थगित कर देना।

तात्कालिक प्रभाव से निलम्बन :

(1) अ. जब किसी रेल सेवक के विरूद्ध कोई विभागीय जॉच प्रक्रिया चल रही हो या चलाई जाने वाली हो, अथवा

ब. जब सक्षम अधिकारी के विचार में रेल सेवक कुछ ऐसे कार्यकलापों में लिप्त पाया गया हो जिससे राज्य (देश) की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला हो, अथवा

स. जब रेल सेवक के विरूद्ध किसी अपराधिक मामले (Criminal Case) में अनुसंधान, जॉच या मुकदमा चल रहा हो

भूतकालिक प्रभाव से निलम्बन :

कुछ मामलों में रेल सेवक को भूतकालिक प्रभाव से (पिछली तिथि से) निलम्बित मान लिया जाता है :–

(2) अ. जब कोई रेल सेवक किसी अपराधिक मामले में या किसी अन्य कारण में 48 घण्टे से अधिक की अवधि तक हिरासत (जेल कस्टडी) में रखा गया हो तो उसे हिरासत में जाने की तिथि से निलम्बित मान लिया जायेगा।

ब. यदि किसी रेल सेवक को किसी आपराधिक मामलें में 48 घण्टे से अधिक अवधि के लिये जेल की सजा दी गयी हो जिसके फलस्वरूप बर्खास्त (Dismiss), पदच्युत (Remove), या अनिवार्य सेवानिवृत (Complsory retirement) न किया गया हो तो सजा की तारीख से निलम्बित मान लिया जायेगा।

उपरोक्त पैराग्राफ में उल्लिखित 48 घण्टे की अवधि की गणना सजा सुनाये जाने के बाद से प्रारम्भ हुई जेल की सजा से की जायेगी और यदि यह सजा छोटे–छोटे अन्तरालों की होगी तो उन्हें जोड़कर 48 घण्टे की अवधि जोड़ी जायेगी।

(3) यदि किसी रेल सेवक को सेवा से बर्खास्त, पदच्युत अथवा अनिवार्यतः सेवानिवृति कर दिया या हो परन्तु बाद में सक्षम अपीलीय अथवा रिवीजनल प्राधिकारी द्वारा उसके प्रतिवेदन पर विचार करते हुए रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम के प्रावधानों के अन्तर्गत मामले को पुनः जॉच अथवा अन्य किसी निर्देश के साथ लौटा दिया गया हो तो सम्बन्धित रेल सेवक को बर्खास्तगी, पदच्युति अथवा अनिवार्य सेवा निवृति की मूल तिथि से निलम्बित माना जायेगा।

(4) यदि किसी रेल सेवक को बर्खास्तगी, पदच्युति अथवा अनिवार्य सेवानिवृति की सजा दी गयी हो, परन्तु उसे न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया हो फिर भी यदि सक्षम अनुशासनिक अधिकारी सम्पूर्ण मामलें के सभी पहलुओं पर विचार करते हुए बर्खास्तगी, पदच्युति अथवा अनिवार्यतः सेवानिवृति के आधारभूत आरोपों पर और आगे जॉच करने का विनिश्चय करते हैं तो उस स्थिति में सम्बन्धित कर्मचारी अपनी बर्खास्तगी, पदच्युति अथवा अनिवार्य सेवानिवृति की मूल तिथि से निलम्बित माना जायेगा और ऐसा तब तक रहेगा जब तक इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी के द्वारा अगला आदेश नहीं दिया जाता है।

(5) क. किसी भी रेल सेवक के विरूद्ध जारी निलम्बन आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक उसे सक्षम अधिकारी द्वारा संधोाधित या रद्द नहीं कर दिया जाता है।

ख. यदि किसी रेल सेवक को किसी जॉच प्रक्रिया के क्रम में अन्य कारणों से निलम्बित किया गया हो या निलम्बित मान लिया गया हो और इसके दौरान ही कोई दूसरी अनुशासनिक जॉच प्रक्रिया आरम्भ करनी हो तो निलम्बन के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में कारणों का उल्लेख करते हुए रेल सेवक को उस या अन्य सभी मामलों की जॉच प्रक्रिया समाप्त होने तक निलम्बित रखने का आदेश दिया जा सकता है।

ग. रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम 1968 के नियम '5' के अन्तर्गत उपरोक्त प्रावधानों के तहत पारित निलम्बन आदेश सक्षम अधिकारी अथवा उनके किसी उच्चाधिकारी के द्वारा किसी भी समय प्रतिसंहरित (Revoke) किया जा सकता है।

(6) उपनियम–5 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस नियम के उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन किया गया या किसी गया समझा जाने वाला निलम्बन (Deemed Suspension) का कोई आदेश 90 दिन की अवधि के पश्चात तब तक विधिमान्य नहीं होगा, जब तक इस नियम के उपनियम (7) में उपबन्धित रीति में पुनर्विलोकन के पश्चात 90 दिन के अवसान (Expiry) से पूर्व इस अवधि को और आगे बढ़ा नहीं दिया जाता है।

(7) ऐसा प्राधिकारी जो निलम्बन को उपांतरित करने या प्रतिसंहत (Modify or revoke) करने के लिए सक्षम है, निलम्बन की समीक्षा के उद्देश्य से गठित की गई समीक्षा समिति की सिफारिश के आधार पर निलम्बन के आदेश की समीक्षा करेगा तथा ऐसा

सक्षम प्राधिकारी निलम्बन आदेश जारी होने की तारीख से 90 दिन के अवसान (Expiry) से पूर्व निलम्बन को बढ़ाने या प्रतिसंहत (Revoke) करने के आदेश पारित करेगा। पश्चातवर्ती पुनर्विलोकन (Subsequent Reviews), निलम्बन की बढ़ाई गई अवधि के अवसान से पूर्व किये जायेगें। निलम्बन का बढ़ाया जाना, एक समय पर, 180 दिन से अधिक अवधि का नहीं होगा। (RBE 94/06, 12/15)

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या दिनांक 18.07.2006 की अधिसूचना (RBE 94/06) के तहत रेल सेवक (अनुशासन और अपील) नियमों के नियम–5 को संशोधित किया गया है तथा निलम्बन का आदेश जो नियम–5 के उपनियम (1) अथवा (2) के अन्तर्गत किया या हो या किा गया हुआ समझा जाये, वह 90 दिन के पश्चात विधिमान्य नहीं होगा, जब तक कि इसे 90 दिन की समाप्ति से पहले पुनरीक्षा के बाद आगे की अवधि के लिए बढाया न गया हो इसलिए निलम्बन के मामलों की पुनरीक्षा हेतु पुनरीक्षा समिति (या) गठित करना आवश्यक है। पुनरीक्षा समिति सामान्यतः अपीलिय प्राधिकारी द्वारा गठित की जायेगी तथा उसमें निलंबित करने वाले प्राधिकारी सहित दो अन्य कर्मी (Official), जो कि निलम्बित करने वाले प्राधिकारी से नीचे के पद के नहीं होगें, से गठित होगी। हालांकि ऐसी समिति में रिविजनिंग प्राधिकारी सहित अन्य उच्च प्राधिकारियों को सम्मिलित किया जा सकता हैं। (RBE 95/06)

मात्र अपील दायर करने और /अथवा सजा के कार्यान्वयन पर स्थगन आदेश दे दिए जाने से दोषी ठहराये जाने का प्रभाव समाप्त नहीं हो जाता हैं, जब तक कि अपीलीय अदालत द्वारा अपील को मान नहीं लिया जाता अथवा दोष सिद्धि रद्द नहीं हो जाती इस तथ्य के बावजूद कि सम्बन्धित रेल कर्मचारी द्वारा दायर की गई अपील पर उच्चतर न्यायालय द्वारा अपील को अंतिम रूप से निपटाये जाने तक ट्रायल कोर्ट द्वारा पास की गई ''सजा'' के सम्बन्ध में स्थगत आदेश जारी किया हो तब भी सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी फौजदारी अदालत द्वारा रेलवे कर्मचारी की दोषसिद्धि के आधार पर अनुशासनात्मक नियमों के अनुसार कार्यवाही करने, जिसमें अनुशासनिक कार्यवाही के उपरांत दण्ड लगाना शामिल हैं, की कार्यवाही कर सकती है। (RBE 65/13)

जहॉ रेल कर्मी को अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन (Contemplated) होने के कारण निलम्बित किया गया है, वहॉ यह पूर्ण प्रयास किए जाने चाहिये कि सम्बन्धित कर्मचारी के विरूद्ध आरोप निलम्बन के तीन माह के भीतर–भीतर अन्तिम कर दिये जाये। (RBE 130/15)

(क) निलम्बित कर्मचारी निम्नलिखित भुगतानों के लिए हकदार होगा :–

i. जीवन यापन भत्ता।
ii. मुख्यालय से अलग न्यायालय में गवाही देने जाने पर अथवा विभागीय जाँच प्रक्रिया में भाग लेने पर यात्रा भत्ता।
iii. जीवन यापन भत्ते के आधार पर महंगाई भत्ता।
iv. उत्पादकता पर आधारित बोनस (पी.एल.बी.), (परन्तु इसका भुगतान निलम्बन की समाप्ति पर ही होगा)
v. छात्रावास ''सब्सीडी''
vi. शैक्षिक (एजेकेशनल) सहायता।
vii. नया संशोधित वेतनमान।

नोट :– जीवन यापन भत्ते पर देय मंहगाई भत्ता जीवन यापन भत्ते की राशि पर निर्भर होगा न कि पहले पूरी राशि जोड़कर तब उसके आधे की राशि का।

कुछ अन्य सुविधायें :–

i. वह सरकारी आवास रख सकता है।
ii. उसकी पदोन्नति एवं स्थायीकरण पर अन्य उम्मीदवारों के साथ नियम समय विचार होगा (परन्तु परिणाम बन्द लिफाफे में रखा जायेगा)
iii. वह बचाव सहायक के रूप में कार्य कर सकता हैं।
iv. समझौता वार्ता (पी.एन.एम.) की बैठकों में भाग ले सकता हैं।
v. सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान करने पर वह स्वेच्छिक सेवा निवृत ले सकता हैं।
vi. मान्यता प्राप्त संघ का पदाधिकारी निर्वाचित हो सकता हैं।
vii. सक्षम अधिकारी द्वारा इस आशय का आदेश देने पर निलम्बन की अवधि पेंशन के लिए अर्हक सेवा मानी जा सकती हैं।
viii. रेलवे अस्पतालों में बहिरंग (आउटडोर) एवं अन्तरंग (इनडोर) दोनों चिकित्सा की सुविधा प्राप्त कर सकता हैं।
ix. जीवन यापन भत्ते का पुनरीक्षण करा सकता हैं।
x. कुछ निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत सुविधा पास एवं पी.टी.ओ. की सुविधा प्राप्त कर सकता हैं।

–महाप्रबन्धक के विवेकाधिकार के अन्तर्गत निलंम्बित राजपत्रित अधिकारी व उसके परिवार के सदस्यों को, उसे कुल देय सुविधा पास की सेख्या के आधे सुविधा पास दिये जा सकते हैं।

–मण्डल रेल प्रबन्धक के विवेकाधिकार के अन्तर्गत निलम्बित तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों व इनके परिवार के सदस्यों हेतु एक पूरा सैट या दो आधा सेट पास जारी किए जा सकते हैं बशर्त ऐसे पास जारी करते समय उसके खाते में एक सेट पास बकाया रहना चाहिये।

xi. स्कूल पास पर निलम्बन का कोई प्रभाव नहीं होगा और उसका नाम उसमें अभिभावक की हैसियत से शामिल किया जा सकेगा।
xii. भविष्य निधि से 'अग्रिम' या अन्तिम निकासी ली जा सकती हैं।
xiii. निलम्बन की अवधि का कर्मचारी के पद, वेतन एवं वरीयता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

जीवन यापन भत्ते से की जाने वाली कटौतियाँ :–

(i) अनिवार्य कटौतियाँ :–
क. आयकर (यदि देय हो)
ख. मकान भाड़ा, विद्युत तथा जल प्रभार।
ग. स्टेशन, स्टोर एवं वर्कशॉप डेबिट।
घ. चिकित्सालय का भोजन चार्ज।
ड़. ठेका प्रणाली के अध्याधीन दी गई चिकित्सा सुविधा के लिए देय डॉक्टर की फीस।
च. सरकार से लिए गये ऋणों एवं अग्रिमों की किश्ते।
छ. सरकार की हुई क्षति की पूर्ति के लिए की जाने वाली कटौती यदि सक्षम अधिकारी ने उस पर रोक न लगायी हो।

(ii) ऐच्छिक कटौतियाँ :–
क. जीवन बीमा की पॉलिसी का प्रामियम।
ख. रेलवे इन्स्टीट्यूट एवं क्लब का अंशदान।
ग. सरकारी समिति के ऋण।
घ. कर्मचारी सहायता कोष अथवा निधि से लिए गये ऋण की किश्ते।
ड़. स्कूल की फीस

(iii) वर्जित कटौतियाँ :–
क. भविष्य निधि (पी.एफ.) का अंशदान।
ख. न्यायालय द्वारा कुर्क की गई राशि।

निलम्बन के दौरान लागू होने वाली पाबन्दियाँ :–

निलम्बित कर्मचारी निलम्बन की अवधि में :

i. मुख्यालय के बाहर बिना पूर्वानुमति के नहीं जा सकता हैं। (FR 55 & Rule 2045 R-II)

ii. किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

iii. यदि आवास किराया मुक्त था तो निलम्बन की अवधि में किराया देना होगा।

iv. पदोन्नति नहीं पायेगा।

v. वार्षिक वेतनवृद्धि नहीं मिलेगी।

vi. कोई व्यापार या पेशा नहीं कर सकेगा।

vii. प्रशिक्षण में नहीं भेजा जायेगा।

viii. रेजीडेन्सियल कार्ड पास की सुविधा नहीं ले पायेगा।

ix. जे.सी.एम. तथा पी.एन.एम. की बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा पास नहीं मिलेगा।

x. निलम्बन नियमों के तहत यात्रा भत्ता अत्यन्त सीमित होगा।

xi. नई पेंशन योजना के अन्तर्गत अंशदान की कटौती नहीं होगी। (RBE 11/09)

शास्तियाँ :

रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम 1968 के नियम (6) के अनुसार उचित एवं पर्याप्त कारणों के होने पर निम्नलिखित दण्ड दिये जा सकते हैं :–

(1) लघुदण्ड :–

i. परिनिन्दा करना (सेन्सर)

ii. निश्चित अवधि के लिए पदोन्नति पर रोक।

iii. रेल सेवक की असावधानी अथवा आदेशों की अवहेलना के कारण रेल को हुई आर्थिक क्षति के सम्पूर्ण या किसी भाग की उसके वेतन से वसूली।

   अ. सुविधा पास या सुविधा टिकट आदेश या दोनों पर रोक।

   ब. तीन साल से कम अवधि के लिए समय वेतनमान के निचले स्तर पर वेतन के बिना किसी संचती प्रभाव से अवनति जिसका पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

iv. निर्धारित अवधि के लिए वार्षिक वेतनवृद्धियों पर इस अतिरिक्त निर्देश के साथ रोक का दण्ड की अवधि की समाप्ति के बाद इस रोक का अगली वेतन वृद्धियों पर प्रभाव पड़ेगा अथवा नहीं। (WIT or WIP)

(2) दीर्घदण्ड :–

v. [उपरोक्त उपवाक्य (iii) (ब) के उपबन्धों को छोड़कर] एक निश्चित अवधि के लिए समय वेतनमान के किसी निचले स्तर पर वेतन में अवनति इस निर्देश के साथ कि अवधि के समाप्त होने पर उसका अगली वेतन वृद्धियों पर प्रभाव पड़ेगा अथवा नहीं।

vi. शास्ति के आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के लिये वेतन, काल, वेतनमान में अवनति उस पद या सेवा में जिसमें वह अवनत किया गया था, जो उस रेल सेवक की ऐसी विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान ऐसे समय वेतनमान, पद या सेवा जिसमें वह पदावनत हुआ था, में प्रदोन्नति के लिये एक प्रतिबन्ध वर्जन के रूप में होगी, इस निर्देश के साथ कि विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त हो जाने पर पदोन्नति पर क्याः–

   क. समय वेतनमान, ग्रेड, पद या अवनिति की अवधि, रेल सेवक की भविष्य की वेतन वृद्धियों को स्थगित करने के लिये लागू होगी और यदि ऐसा हैं तो किस सीमा तक और

   ख. रेल सेवक, उच्चतर समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा में अपनी मूल वरिष्ठता पुनः प्राप्त करेगा। (RBE 119/11)

vii. अनिवार्य सेवानिवृति।

viii. सेवा से पदच्युति (रियुवल फ्रार्म सर्विस)। जो सामान्यतया भविष्य में भारत सरकार अथवा रेल प्रशासन के अधीन पुनः नौकरी पाने के लिए अयोग्यता मानी जायेगी।

ix. बर्खास्तगी (डिसमिसल फ्राम सर्विस) जो सामान्यतयः भविष्य में भारत सरकार अथवा रेल प्रशासन के पुनः नौकरी पाने के लिए अयोग्यता मानी जायेगी।

नोट :– (1) यदि किसी रेल सेवक के द्वारा ऐसा कोई कार्य किया जाता है अथवा कोई कार्य करने में अवहेलना की जाती हैं जिसके फलस्वरूप रेलगाड़ियों की टक्कर हो गयी हो या होने की सम्भावना रही हो तो उसे ''पदच्युति'' (मद संख्या viii) अथवा बर्खास्तगी (मद संख्या ix) में से कोई एक सजा अवश्य दी जायेगी और यदि इन दोनों में से कोई सजा नहीं दी गई है तो ऐसा करने के कारणों का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।

यदि कोई रेल सेवक केवल खतरे के संकेत (डेंजर सिग्नल) की अवहेलना करता हैं तो उसे नियम (6) के उप नियम (v) से (ix) अर्थात् क्रमशः वेतनमान के निचले स्तर पर वेतन की अवनति, निचले वेतनमान में अवनति, अनिवार्य सेवानिवृति, पदच्युति अथवा बर्खास्तगी में से कोई सजा दी जायेगी और यदि उनमें से कोई सजा नहीं दी गयी हो तो ऐसा करने के कारणों का उल्लेख करना होगा।

(2) साथ ही यदि कोई रेल सेवक अपनी आय के ज्ञात स्त्रोतों से अधिक सम्पति रखने का दोषी पाया जाये या अपने सरकारी पद के कारा किये गये किसी कार्य के बदले विधि सम्मत पारिश्रमिक के अलावा अन्य कोई धनराशि प्राप्त करने का दोषी पाया जाता हैं तो उसे उपनियम (viii) या उपनियम (ix) के अन्तर्गत कोई दण्ड दिया जायेगा और यदि इन दोनों में से कोई दण्ड न दिया गया हो तो ऐसा करने के कारणों का उल्लेख करना होगा। (RBE 215/01)

x. छठें केन्दीय वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किये जाने के बाद संशोधित वेतन नियमों के अन्तर्गत सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 01 जुलाई को वेतन वृद्धि की तारीख के रूप में निर्धारित करना केवल वार्षिक वृद्धि के लिए संगत हैं। यह प्रावधान, न मामलों में जहाँ शास्ति के रूप में वेतन वृद्धि पर रोक लगाई जाती हैं पर लागू नहीं होता हैं। ऐसे मामलों में, जहाँ एक निश्चित समय के लिए वेतन वृद्धि को शास्ति के तौर पर रोका जाता हैं, ऐसी रोकी गई वेतन वृद्धि को शास्ति का समय समाप्त होने के तत्काल पश्चात बहाल कर दिया जायेगा और इसे अगली 01 जुलाई तक स्थगित नहीं किया जायेगा। यदि शास्ति की अवधि समाप्त होने के बाद आगे आने वाली 01 जुलाई तक सम्बन्धित रेल सेवक ने छःमाह की निर्धारित अर्हक सेवा अर्जित कर ली हैं तो वह शास्ति की अवधि समाप्त होने के बाद आगे आने वाली इस 01 जुलाई को अगली वेतन वृद्धि पाने का हकदार भी होगा। (इस तथ्य के बावजूद भी कि उस पर लगाई गई शास्ति का उसकी भावी वेतन वृद्धियों पर स्थागनात्मक प्रभाव था)।

इसी तरह से, जहाँ निचले स्तर पर अवनति की शास्ति लगाई गई हो, वहाँ शास्ति की अवधि के समाप्त होने पर तत्काल वेतन को बहाल किया जायेगा। जहाँ तक अगली वेतन वृद्धि जारी करने का सम्बन्ध हैं, वह भी शास्ति की अवधि की समाप्ति के शीध्र पश्चात प्रदान कर दी जायेगी यदि सम्बन्धित व्यक्ति ने शास्ति की अवधि समाप्त होने की तारीख से पूर्व 01 जुलाई को छःमाह की निर्धारित अर्हक सेवा पूरी कर ली हैं। (RBE 09/14)

इस नियम के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यवाही को दण्ड नहीं माना जायेगा :–

i. यदि किसी कर्मचारी की वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक, सेवाशर्तों के अनुसार निर्धारित विभागीय परीक्षा पास न करने के कारण लगायी गयी हो।

ii. यदि किसी कर्मचारी की उसके मामले पर विचार करते हुए किसी मूल अथवा स्थानापन्न पद पर पदोन्नति के लिए अयोग्य पाये जाने के कारण पदोन्नति न दी गयी हो।

iii. चयनित हो जाने /उपयुक्त पाये जाने पर भी प्रशासनिक कारणों से पदोन्नति में विलम्ब।

iv. यदि किसी रेल सेवक को उच्च सेवा, श्रेणी या पद पर स्थानापन्न रूप से पदोन्नति दी

गयी हो परन्तु बाद में उसे उस पर बने रहने के अयोग्य पाया गया हो जिसके कारण उसे, बिना उसके आचरण को लांच्छित किये हुए, पदावन्नत किया गया हो।

v. यदि किसी रेलवे कर्मचारी को किसी अन्य सेवा, श्रेणी या पद पर प्रोबेशन पर नियुक्ति की गयी हो परन्तु बाद में उसे परिवीक्षा (प्रोबेशन) की अवधि के दौरान अथवा उसकी समाप्ति पर, उसकी सेवाशर्तों के अनुसार, से उसके मूल पद, श्रेणी अथवा वेतन पर पदावनत कर दिया गया हो।

vi. यदि प्रतिनियुक्ति पर लिए गये किसी रेल कर्मचारी को केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा उनके अधीनस्थ किसी विभाग के द्वारा उसके मूल विभाग में वापस लौटा दिया गया हो।

vii. अधिवार्षिकता (सुपर एन्युयेशन) अथवा सेवानिवृति की निर्धारित शर्तों के अनुसार अनिवार्य सेवानिवृति दे दी गई हो।

viii. निम्नलिखित कारणों से की गयी सेवामुक्ति (टर्मिनेशन) को दण्ड नहीं माना जायेगा :–
   अ. परिवीक्षा अवधि के दौरान अथवा उसके समापन पर परिवीक्षा से सम्बन्धित नियमों अथवा निर्देशों के तहत की गयी सेवा समाप्ति।
   ब. रेल सेवा संहिता के जिल्द एक नियम 149 के अनुसार किसी अस्थायी रेल सेवक की सेवा समाप्ति
   स. किसी करारनामें की शर्तों के तहत की गयी सेवा समाप्ति।

ix. निम्नलिखित दशाओं में की गई पदमुक्ति (डिस्चार्ज) को दण्ड नहीं माना जायेगा :–
   अ. शारीरिक उपयुक्तता के वॉच्छित स्तर के अनुसार न नाये जाने पर।
   ब. कर्मचारियों की संख्या में कटौती किये जाने पर।

अनुशासनिक प्राधिकारी (Disciplinary Authority) (नियम–7)

रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील)नियम 1968 के नियम '7' के अन्तर्गत अनुशासनिक प्राधिकारी निम्नानुसार हैः–

1. भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च अनुशासनिक प्राधिकारी हैं अतः वे रेलवे कर्मचारी को नियम '6' की कोई भी सजा दे सकते हैं।
2. उपबन्ध (1) के प्रावधानों को बिना प्रतिकूल रूप से प्रभावित किये हुए इस नियम की I, II एवं III सूचियों में विनिर्दिष्ट कोई भी अनुशासनिक प्राधिकारी, इन नियमों में विनिर्दिष्ट पद के किसी रेल सेवक को नियम 6 में विनिर्दिष्ट कोई सजादे सकता है।
3. उच्चतर पद पर स्थानापन्न रेल कर्मचारी के अनुशासनिक प्राधिकारी का निर्धारण उस कर्मचारी के स्थानापन्न उच्चतर पद के आधार पर किया जायेगा (न कि उसके मूल पद के अनुसार)

अनुशासनिक प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिए सक्षम प्राधिकारी :– (नियम–8)

रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम 1968 के नियम '8' में किसी रेल सेवक के विरूद्ध अनुशासनिक प्रक्रिया आरम्भ करने के लिए प्राधिकृत प्राधिकारी निम्नानुसार हैं। :–

1. भारत के राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा शक्तिप्रदत कोई प्राधिकारी यदि ऐसा चाहे तो :–
   अ. किसी रेल सेवक के विरूद्ध अनुशासनिक जाँच प्रक्रिया आरम्भ कर सकता हैं।
   ब. किसी रेल सेवक को नियम '6' के अनुसार कोई दण्ड देने के लिए सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी को अनुशासनिक जाँच प्रक्रिया प्रारम्भ करने का आदेश दे सकता है।

दीर्घ दण्डारोपा की जाँच प्रक्रिया :– (नियम–9)

किसी सरकरी सेवक को तब तक दण्डित नहीं किया जा सकता हैं जब तक उसे उसके विरूद्ध लगाये गये आरोपों की जानकारी न दे दी गयी हो तथा उसे अपने बचाव का युक्तिसंगत अवसर (Reasonable apportunity of defence) न प्रदान किया गया हो। बर्खास्तगी, पदच्युति व पदावनति जैसे तीनों दण्डों के अतिरिक्त (i) समय वेतनमान के निचले स्तर पर पदावनति तथा

(ii) निचले वेतनमान पद, श्रेणी अथवा सेवा पर पदावनति, को भी रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमों के अन्तर्गत दण्ड की सूची में जोड़ा गया हैं जिन्हें दिये जाने से पूर्व संविधान की धारा 311 (2) के अनुसार बचाव का युक्तिसंगत अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक हैं।

1. आरोप–पत्र तभी जारी किया जाना चाहिए जब आरोप के पक्ष में प्रथमदृष्टता पर्याप्त प्रमाण हों।
2. आरोप–पत्र के साथ आरोपों का शीर्षक, आरोपों के प्रत्येक शीर्षक विवरा, विश्वसनीय प्रलेखों की सूची तथा गवाहों की सूची संलग्न की जानी चाहिए जिससे आरोपित कर्मचारी को अपने उपर लगाये गये आरोपों का पूरा विवरण ज्ञात हो सकें। ऐसे विवरण जो आरोपपत्र के साथ संलग्न नहीं होगें उन्हें जाँच की कार्यवाही में शामिल नहीं किया जायेगा।

दीर्घ दण्डारोपण की प्रक्रिया हेतू मानक फार्म '5' का प्रयोग किया जाता हैं।

दीर्घ आरोप–पत्र में निम्नलिखित प्रविष्टियों को शामिल किया जाना चाहिए :–

i. आरोपित कर्मचारी का पूरा विवरण।
ii. जाँच प्रक्रिया चलाने का निश्चय।
iii. दस्तावेजों के निरीक्षण की सुविधा।
iv. बचाव सहायक नामित करने की सुविधा।
v. लिखित बचाव (पक्षापोषण) प्रस्तुत करने की सुविधा।
vi. जाँच प्रक्रिया में अनुपस्थित रहने पर एक तरफा कार्यवाही करने की चेतावनी।
vii. राजनैतिक या बाह्य पैरवी एवं हस्तक्षेप के विरूद्ध चेतावनी।

दीर्घ आरोप–पत्र के साथ चार अनुलग्नक संलग्न किये जाने चाहियेः–

i. आरोपों के शीर्षक – अनुलग्नक - i
ii. आरोपों के शीर्षक का विस्तृत वर्णन – अनुलग्नक -ii
iii. विश्वसनीय दस्तावेजों एवं प्रलेखों की सूची – अनुलग्नक - iii
iv. सरकारी पक्ष के गवाहों की सूची – अनुलग्नक - iv

उपरोक्त चारों अनुलग्नक पर अनुशासनिक प्राधिकारी के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए अन्यथा आरोप–पत्र तकनीकी आधार पर त्रुटीपूर्ण एवं निरस्त करने योग्य माना जायेगा।

3. आरोप–पत्र के साथ संलग्न विश्वसनीय प्रलेखों की प्रतियॉ आरोपित कर्मचारी को पहले ही उपलब्ध करायी जानी चाहिये जिनके आधार पर वह अपना बचाव तैयार कर सकें। यदि उन्हें आरोप–पत्र के साथ नहीं संलग्न किया गया हो तो कर्मचारी के द्वारा लिखित माँग किये जाने पर उन्हें अवश्य उपलब्ध कराया जाना चाहिये तथा कर्मचारी अगर मूल प्रलेखों को अकेले अथवा अपने बचाव सहायक के साथ देखना चाहे तथा उनमें कुछ नोट करना चाहे तो उसे यह सुविधा प्रदान की जानी चाहिये।
4. उसे अपना प्रथम लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का प्रर्याप्त समय दिया जाना चाहिये। यदि वह कुछ अतिरिक्त प्रलेखों की माँग करें तो उन्हें यदि ऐसा करना प्रशासनिक अथवा लोकहित के विरूद्ध न हो, तो उपलब्ध कराया जाना चाहिये।
5. उसके लिखित स्पष्टीकरण के हर बिन्दु पर निष्पक्ष तथा पूर्वाग्रह रहित भाव से विचार करने पश्चात ही जाँच करने का निर्णय किया जाना चाहिये। यदि स्पष्टीकरण सन्तोषजनक हो तो उसे उसी स्तर पर स्वीकार करते हुए आरोपों को समाप्त कर देना चाहिए अथवा यदि लघुदण्ड देना न्यायोचित हो तो लघुदण्ड देकर अनावश्यक लम्बी जाँच कार्यवाही से परहेज करना चाहियें।
6. अगर आवश्यक हो तो अनुशासन अधिकारी स्वयं मामलें की जाँच कर सकता है या इस हेतु जाँच अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। सामान्यतः ऐसे व्यक्ति को जाँच अधिकारी नहीं बनाया जाना चाहिये जिसने तथ्य खोजी जाँच (Fect finding enquiry) की हो।
7. रेल सेवक अपना मामलाउसी रेल प्रशासन में कार्यरत किसी अन्य रेल कर्मी की सहायता से प्रस्तुत कर सकेगा, (जिसमें सेवानिवृत्त रेल कर्मी भी शामिल है)। मान्यता प्राप्त संगठन के पदाधिकारी जिसने संगठन में पदाधिकारी के रूप में एक वर्ष लगातार कार्य किया है, कि

सहायता से अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है।

i. अगर सेवानिवृत कर्मचारी को बचाव सहायक (Defence helper) बनाया जाता हैं तो उसके लिए यह शर्त होगी कि इस मामले सहित एक समय में उसके पास सात से अधिक मामले न हो।(RBE 83/03)

ii. आरोपित रेल कर्मचारी की सहायता हेतु नामित रेल कर्मचारी का विशेष पास के अतिरिक्त एक मामले में अधिकतम 03 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश सक्षम अधिकारी के विवेकाधिकार के अधीन स्वीकृत किया जा सकता हैं लेकिन कोई यात्रा भत्ता व मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा तथा इस तरह का विशेष आकस्मिक अवकाश अन्य नियमित अवकाश तथा आकस्मिक अवकाश के साथ जोड़ा जा सकेगा। [Rly. Bd's letter No.: E(D&A) 64 RG 6-22 dt. 02.02.1967 (NR PS 3842) & E (G) 68 LE 1-17 dt. 26/28.11.68 (NR PS 4533)]

8. जाँच के दौरान अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह करने, बचाव पक्ष के गवाहों को प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहियें। अतिरिक्त प्रलेखों के आधार पर अपना तर्क रखने का अवसर भी कर्मचारी को दिया जाना चाहिये।

9. आरोपित कर्मचारी को अपना लिखित बयान तथा जाँच के अन्त में लिखित सारांश प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिये।

10. जाँच अधिकारी को साक्ष्यों का न्यायिक मूल्यांकन करके निष्पक्ष जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिये तथा उसकी प्रति आरोपित कर्मचारी को, अनुशासनिक प्राधिकारी के निर्णय से पूर्व, प्रदान की जानी चाहिये।

11. जाँच की समाप्ति पर एक रिपोर्ट तैयार की जायेगी और उसमें निम्नलिखित बातें अन्तर्विष्ट होगी :–

क. आरोप की मद और अवचार और कदाचार के लाँछनों का विवरण,

ख. रेल सवक का प्रतिवाद,

ग. आरोप के हर एक मद के बारे में साक्ष्य का निर्धारण,

घ. आरोप के हर एक मद पर निष्कर्ष और उसके कारण।

12. अनुशासनिक प्राधिकारी को जाँच रिपोर्ट तथा उस पर प्रस्तुत आरोपित कर्मचारी के प्रतिवेदन पर निष्पक्ष रूप से विचार करके ही निर्णय लेना चाहिए तथा यदि ऐसा करना न्याय के हित में हो तो स्वयं अथवा जाँच अधिकारी द्वारा और आगे जाँच करायी जानी चाहिये।

13. जाँच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमति की स्थिति में अनुशासनिक अधिकारी यदि आरोपों को सिद्ध मानता हो तो, आरोपित कर्मचारी को उसकी सूचना देनी चाहिए तथा उसे उन बिन्दुओं पर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिये।

14. जाँच अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट को आरोपित कर्मचारी को भेजते समय अनुशासनिक अधिकारी को (Article of charge is fully proved) या (Article of charge is fully substantiated) जैसी शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिये ताकि ऐसा प्रतीत न हो कि जाँच रिपोर्ट पर कर्मचारी के प्रत्यावेदन से पूर्व ही अनुशासनिक अधिकारी पूर्वाग्रह (baised) से ग्रस्त हैं।

[विजिलेंश व विजिलेंश के अतिरिक्त विभागीय जाँच के मामले में (Inquiry officer & Presinting officer) को मानदेय का भुगतान –RBV 12/11 & RBE 44/15]

जाँच रिपोर्ट पर कार्यवाही :– (नियम–10)

1. यदि अनुशासनिक प्राधिकारी ने स्वयं जाँच की हो तो अपने जाँच निष्कर्ष पर अथवा (यदि उसने स्वयं जाँच न की हो तो) जाँच अधिकारी की रिपोर्ट के सभी या किसी पहलू पर निर्णय लेते हुए यह निश्चय करेंगे कि उनके विचार से दी जाने वाली शास्ति उनके अधिकारी क्षेत्र में है या नहीं। यदि वह उनके अधिकारी क्षेत्र में है तो वे अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अगली कार्यवाही कर सकते हैं अथवा यदि उनके विचार में न्याय के हित में किसी गवाह का और आगे परीक्षण किया जाना आवश्यक हो तो वे उस गवाह को बुलाकर

उसका परीक्षण, प्रतिपरीक्षण एवं पुनःपरीक्षण कर सकते हैं और ऐसी सजा दे सकते हैं जो उनके अधिकारी क्षेत्र में हो।

यदि अनुशासनिक प्राधिकारी के विचार से दी जाने वाली उपयुक्त सजा उनके अधिकारी क्षेत्र से बाहर है तो वे जाँच कार्यवाही के तब तक के समूचे कागजातों को सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी के पास भेजेगें।

2. यदि अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं जाँच अधिकारी नहीं है तो, यदि वे ऐसा चाहे तो, कारणों का उल्लेख करके, जाँच अधिकारी के पास मामले पर पुनः और आगे विचार करने हेतु भेज सकते हैं जिस पर जाँच अधिकारी नियम–9 के अनुसार ''जहाँ तक सम्भव हो सके वहाँ तक'' पुनः आगे जाँच कर सकते हैं।
3. यदि अनुशासनिक प्राधिकारी आरोप के किसी शीर्षक (आर्टिकल) पर जाँच अधिकारी के किसी निष्कर्ष से असहमत हो तो असहमति के कारणों का उल्लेख करते हुए आरोप के उस शीर्षक पर अपना निर्णय लिखेगें बशर्ते ऐसा करने के लिए अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष उपलब्ध हो।
4. यदि अनुशासनिक प्राधिकारी आरोप के सभी या किसी शीर्षक पर जाँच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर यह विचार करते है कि नियम–6 के क्लाज (i) से (iv) के अन्तर्गत आने वाली कोई लघु शास्ति दी जानी चाहिए तो वे नियम–11 के प्रावधनों पर बिना ध्यान दिये हुए ऐसी सजा का आदेश पारित कर सकते हैं।

   प्रावधान यह है कि ऐसे हर एक मामले, जिनमें संघ लोक सेवा आयोग की परामर्श लेनी आवश्यक हो, को जाँच प्रक्रिया के सभी कागजातों के साथ आयोग के पास उसकी परामर्श के लिए भेजेगें और कर्मचारी को कोई दण्ड देने से पूर्व उसकी परामर्श पर अवश्य विचार करेगें।
5. यदि अनुशासनिक प्राधिकारी आरोप के प्रत्येक या किसी एक शीर्षक पर दिये गये जाँच निष्कर्ष और जाँच के दौरान प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचत हो कि नियम–6 के क्लाज (v) से (ix) के अन्तर्गत आने वाला कोई दण्ड दिया जाना चाहिए तो वे ऐसा कर सकते हैं जिसके लिए आरोपित रेल सेवक को प्रस्तावित शास्ति के सम्बन्ध में सूचना देना अथवा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना आवश्यक नहीं होगा।

नोटः i. बर्खास्तगी /पदच्यूति के दण्ड के मामले में अनुशासनिक अधिकारी को रेल सेवा (पेंशन) नियम 1993 के नियम 65 के अन्तर्गत अनुकम्पा भत्ता या ग्रेचुटी या दोनों के सम्बन्ध में भी निर्देश पारित करने चाहिये। (RBE 79/05, 164/08)

ii. नीचले वेतनमान में दिए गए दण्ड के प्रभावी होने से पूर्व उच्च वेतनमान में पदोन्नति होने पर दण्ड पदोन्नति वाले पद पर उतनी ही अवधि के लिए लागू रहेगा जितना की नीचे वेतनमान में दिया गया था। (RBE 200/01)

iii. बड़ी शास्ति की अनुशासनिक कार्यवाही को पूरा करने के लिए 150 दिन की मोडल समय अनुसूची निर्धारित की गई हैं।[Rly.Bd's letter 52E/0126/v/III(E D&AR) dt.07.06.95 & NR PS 11012]

iv. संरक्षा सम्बन्धि अनुशासनिक मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया (RBE 36/03) में दी गई हैं।

लघु दण्डारोपण की प्रक्रिया :–

लघु दण्डारोपण की कार्यवाही का क्रम इस प्रकार हैंः–

1. आरोप–पत्र जारी करना।
2. विश्वसनीय प्रलेखों का आरोपित कर्मचारी द्वारा निरीक्षण।
3. आरोपित कर्मचारी द्वारा लिखित प्रतिवेदन की प्रस्तुति।
4. अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आरोपित कर्मचारी के लिखित प्रतिवेदन पर विचार करके या तो :–

i. आरोप मुक्त करना या
ii. नियम–6 के अन्तर्गत (i) से (iv) के दण्ड देना। या
iii. दीर्घ आरोप–पत्र के लिये नियम–9 में निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत जाँच करने का आदेश देना या
iv. जाँच प्रतिवेदन पर विचार करके दण्ड देना।

1. आरोप–पत्र जारी करना :– लघु दण्डारोपण के लिए मानक प्रपत्र–11 का प्रयोग किया जाता हैं जिसमें कुल चार अनुच्छेद होते हैं। लघु आरोप–पत्र एक प्रकार का 'कारण बताओ नोटिस' होता हैं जिसमें केवल निम्नलिखित बातों का ही उल्लेख किया जाता हैंः–

क. आरोपों के आधार पर कार्यवाही करने का विचार (ख) आरोपों की संक्षिप्त सूची (ग) विश्वसनीय प्रलेखों की सूची

नोटः– इसमें गवाहों की सूची नहीं दी जाती हैं और न दण्डारोपण के पूर्व किसी गवाह की गवाही होती हैं और न ही उनसे कोई जिरह होती हैं।

लघु आरोप–पत्र से सम्बन्धित प्रक्रिया में आरोपित कर्मचारी को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का दस दिनों का समय दिया जाता हैं जिसके अन्तर्गत यदि कोई प्रतिवेदन नहीं प्रस्तुत किया जाता हैं तो सीधे एकतरफा दण्डारोपण किया जा सकता हैं।

2. विश्वसनीय प्रलेखों का आरोपित कर्मचारी द्वारा निरीक्षण :– यद्यपि लघु दण्डारोपण की प्रक्रिया में विश्वसनीय प्रलेखों के निरीक्षण की सुविधा प्रदान नहीं की गयी हैं फिर भी आरोप–पत्र के साथ विश्वसनीय प्रलेखों की सूची संलग्न करना ही इस बात का संकेत हैं कि आरोपित कर्मचारी को विश्वसनीय प्रलेखों के निरीक्षण की सुविधा उसके द्वारा माँगे जाने परप्रदान की जानी चाहिये।

यदि आरोपित कर्मचारी किन्ही ऐसे प्रलेखों की माँग करता हैं जिनका उल्लेख आरोप–पत्र में नहीं हो तो भी उन्हें उपलब्ध कराने या न कराने का अधिकार अनुशासनिक अधिकारी के पास होगा।

3. आरोपित कर्मचारी के द्वारा लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करना :– चुँकि लघु आरोप–पत्र की कार्यवाही अत्यत्न संक्षिप्त होती हैं अतः बचाव पत्र में काफी सावधानी से अर्थात् आरोपों के हर शीर्ष के प्रतिवाद में अपना तार्किक बचाव प्रस्तुत करते हुए अपने को निर्दोष सिद्ध करना चाहिये।

4. अनुशसनिक प्राधिकारी द्वारा लिखित प्रतिवेदन पर विचार :– आरोपित कर्मचारी का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अनुशासनिक प्राधिकारी के सामने निम्नलिखित विकल्प होते हैं। :–

i. यदि आरोपों का समुचित खण्डन किया गया हो तथा उनके विरूद्ध पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया गया हो तो आरोपों को समाप्त कर उसकी सूचना आरोपित कर्मचारी को देना। यह सूचना दो महीने के अन्दर अवश्य दे दी जानी चाहिये।
ii. यदि आरोपों में ऐसे तथ्य और प्रलेख उपलब्ध हों जिसका समुचित प्रतिवाद न किया गया हो, तो आरोप–पत्र के प्रत्येक आरोपों के सम्बन्ध में तर्कों का उल्लेख करते हुए दण्डारोपण आदेश पारित करना। ऐसी स्थिति में निष्कर्ष के कारणों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।
iii. यदि प्रतिवेदन में यह तथ्य परिलक्षित होता हो कि न्याय के हित में किन्हीं और मुद्दों पर और आगे जाँच करानी आवश्यक है तो इस आशय का आदेश देना।

(क) जाँच करानी कब वैकल्पिक है :– नियम–11 के अनुसार यदि आरोपित कर्मचारी के प्रतिवेदन पर विचार करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि न्याय के हित में जाँच करानी आवश्क है तो अनुशासनिक प्राधिकारी ऐसा आदेश दे सकते हैं। ऐसी स्थिति तभी आ सकती है जब अनुशासनिक प्राधिकारी को इस बात के पर्याप्त प्रमाण मिल जाये कि तथ्यों की सही जानकारी के लिए जाँच की जानी आवश्यक है।

यदि आरोपित कर्मचारी द्वारा जाँच कराये जाने की माँग की जाती है तो जाँच कराना या न कराना नियमों के अन्तर्गत अनुशासनिक प्राधिकारी के स्वविवेक पर आधारित है।

(ख) जाँच करानी कब अनिवार्य है :– नियम–(11) 2 में उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिनके होने पर लघु आरोप–पत्र के आधार पर नियम–9 के अन्तर्गत दीर्घ दण्डारोपण की प्रक्रिया अपनायी जानी अनिवार्य है। वे तीन परिस्थितियाँ निम्नलिखित है :–

i. जब वार्षिक वेतन वृद्धि पर किसी भी अवधि के लिए स्थायी रोक लगायी जानी हो,
ii. जब वार्षिक वेतन वृद्धि पर तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए अस्थाई रोक लगायी जानी हो,
iii. जब किसी भी अवधि के लिए स्थायी व अस्थायी वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक से सेवानिवृति लाभ प्रभावित हो रहे हो।

आदेशों की संसूचना :– (नियम–12)

अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेश, जिसमें आरोप की प्रत्येक मद पर उसके निष्कर्ष भी होगें, रेल सेवक को संसूचित किये जायेगें, उसे आयोग द्वारा दी गई सलाह यदि कोई हो, की एक प्रति तथा जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी ने आयोग की सलाह को स्वीकार नहीं किया है, वहाँ ऐसी अस्वीकृति के कारणों का संक्षिप्त विवरण भी दिया जायेगा। (संरक्षा सम्बन्धी अनुशासनात्मक मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया (RBE 36/03) में स्पष्ट की गई हैं)

दण्डारोपण आदेश की सूचना प्रेषित करने की प्रक्रिया :–

जहाँ तक सम्भव हो सके, दण्डारोपण की सूचना सम्बन्धित रेल सेवक को हाथोहाथ दी जानी चाहिये जिसके लिये निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिये :–

यदि वह कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित हो तो सूचना की प्रति उसे हाथोहाथ दी जानी चाहिये। यदि वह किसी बहाने सूचना की प्रति नहीं लेना चाहे तो इस आशय का उल्लेख करते हुए उन व्यक्तियों की गवाही ले लेनी चाहिये जिनकी उपस्थिति में उसने ऐसा किया हो। ऐसी स्थिति में वह आदेश उसी तिथि से लागू माना जायेगा जिस पर उसे उपरोक्त विधि से आदेश की प्रति देने का प्रयास किया गया था परन्तु उसने उसे लेने से इन्कार किया था बशर्ते व आदेश किसी आगामी तिथि से लागू होने वाला न हो।

यदि रेल सेवक कार्यालय में उपस्थित न हो तो उस आदेश की एक प्रति उसके अन्तिम ज्ञात पते पर रजिस्ट्री डाक से पावती के साथ भेजी जानी चाहिये। यदि रेल सेवक उस रजिस्ट्री को प्राप्त कर लेता है तो आदेश पावती की तिथि से लागू माना जायेगा बशर्ते वह किसी आगामी तिथि से लागू होने के लिऐ आदेशित न हो।

यदि रेल सेवक रजिस्ट्री को नहीं लेता है और डाकिया के द्वारा पते पर ''नहीं मिले'' ''लेने के इन्कार किया'' आदि जैसी टिप्पणी के साथ लौटा दिया जाता है तो उस आदेश को उस कार्यालय के सूचना पट्ट पर चिपटा दियाजायेगा साथ ही उसकी एक प्रति उसके अन्तिम ज्ञात निवास स्थान पर चिपका दी जायेगी। इस प्रकाश से प्रेषित किया गया आदेश अपने जारी किये जाने की तिथि से लागू माना जायेगा बशर्ते वह किसी आगामी तिथि से लागू होने के लिये आदेशित न हो।

सामूहिक जाँच प्रक्रिया :– (नियम–13)

जहाँ किसी मामले में दो या दो से अधिक रेल सेवक सम्बन्धित हैं वहॉ राष्ट्रपति या सभी ऐसे रेल सेवक पर सेवा से पदच्युति का दण्ड अधिरोपित करने के लिए सक्षम अधिकारी ऐसे निर्देश करने वाला आदेश पारित कर सकेगा कि उनमें से सबके खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही सामान्य कार्यवाही में की जा सकेगी।

सामूहिक जाँच प्रक्रिया के लिए आवश्यक शर्तें :–

1. सभी आरोपित कर्मचारी रेल विभाग के ही होने चाहिये।
2. आरोपित कर्मचारियों की संख्या कम से कम दो होनी चाहिये।
3. सभी आरोपित कर्मचारियों पर एक ही आरोप होने चाहिये।
4. सभी कर्मचारी, रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम–1968 द्वारा शासित हों। उदाहरणार्थ इसमें रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी को शामिल नहीं किया जायेगा क्योंकि उनके लिए अलग अनुशासनिक नियम है।

सामूहिक जाँच कराने के लिए सक्षम अधिकारी :–

सामूहिक जाँच प्रक्रिया चलाने के लिए वही प्राधिकारी आदेश दे सकता है जो सभी आरोपित कर्मचारियों को बर्खास्त करने की शक्ति रखता हो। यदि एक जाँच कार्यवाही में कई वेतनमानों तथा पदों पर कार्य करने वाले कई रेल कर्मचारी लिप्त हो तो उनमें से सर्वोच्च प्राधिकारी ही सामूहिक जाँच के लिए आदेश दे सकता है। यदि आरोपित कर्मचारी रेलवे के विभिन्न विभागों से सम्बद्ध हो तो उन सब में सर्वोच्च पदाधिकारी ही सामूहिक जाँच का आदेश दे सकता है परन्तु ऐसा करते समय उसे अन्य विभागों के अध्यक्षों से भी परामर्श लेनी होगी।

विशेष परिस्थितियों में विशेष कार्यवाही की प्रक्रिया :– (नियम–14)

रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम 1968 का नियम ''14'' एक कठोरतम विशेष नियम है जिसका प्रयोग अन्तिम विकल्प के रूप में अति असामान्य परिस्थितियों में किया जाता है। इसका प्रयोग तभी किया जाता है जब नियम ''9'', ''11'' अथवा ''13'' के अन्तर्गत नियमित जाँच सुसंगत तरीके से सम्भव न हो।

रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम 1968 कानियम ''14'' संविधान की धारा 311 (2) के अनुकृति है जिसके प्रावधान इस प्रकार है :–

14(i) जब रेल सेवक ने ऐसा कोई कार्य किया हो जिसके कारण उसे न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो, अथवा

14(ii) जब अनुशासनिक प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि उन कारणों से जिनका उल्लेख किया या है, इन नियमों के अन्तर्गत जाँच कार्यवाही करना युक्तिसंगत नहीं है, अथवा

14(iii) जब राष्ट्रपति इस बात से संतुष्टि हो कि राज्य की सुरक्षा के हित में इन नियमों के अन्तर्गत जाँच करना श्रेयष्कर नहीं है। तो अनुशासनिक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों पर विचार करके वैसा आदेश दे सकते हैं जैसा वे उचित समझें।

नियम 14 (i) का क्षेत्र (स्कोप) :–

नियम 14 (i) तभी लागू किया जा सकेगा जब किसी कर्मचारी को किसी आपराधिक मामलें में सक्षम न्यायालय द्वारा (i) सजा सुना दी गयी हो और (ii) वह अपराध जिसके लिए सजा सुनाई गयी हो, सम्बन्धित रेल सेवा नियमों के अन्तर्गत कदाचार (मिस्कण्डक्ट) की परिभाषा के अन्तर्गत आता हो। केवल आपराधिक मामलें की सम्भावना के आधार पर तथा बिना मुकदमा चलाये हुए एवं बिना दण्ड सुनाये हुये यदि इस नियम का प्रयोग किया जाता है तो वह गैर कानूनी होगा।

यदि किसी कर्मचारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी हो फिर भी उसके मामले का तथ्यों, तात्कालिक परिस्थितियों तथा उनका रेलवे विभाग पर पड़ने वाले प्रभावों आदि पर विचार करने के बाद मुखर आदेश पारित करके ही इस नियम का प्रयोग हो सकता है क्योंकि हो सकता है कि अनिवार्य सेवानिवृति की सजा दे देने से ही न्याय की माँग पूरी हो जायें।

नियम 14 (i) के अन्तर्गत दण्डित करने से पहले आरोपित कर्मचारी को एक कारण बताओं नोटिस दिया जाना चाहिए तथा उसे अपना बचाव प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए जिस पर

विचार करके ही दण्डारोपण किया जा सकता है। दण्डारोपण के विरूद्ध कर्मचारी अपील अथवा रिवीजन का आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, परन्तु उसमें वह यह नहीं कह सकता है कि न्यायालय द्वारा उसे गलत ढंग से दण्डित किया गया है क्योंकि इससे न्यायालय की मानहानि होगी। परन्तु वह यह अवश्य कह सकता है कि उसे दी गयी सजा अपराध की तुलना में अधिक कठोर हैं।

नियम 14 (ii) के प्रयोग के लिए आवश्यक शर्तें :–

इस नियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित हैं :–

i. यह कार्यवाही नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा ही की जा सकती है अर्थात् नियुक्तिकर्ता अधिकारी ही इस नियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी है।
ii. सक्षम प्राधिकारी के विचार में नियमित जाँच प्रक्रिया युक्तिसंगत तरीके से व्यावहारिक न हो।
iii. आदेश पारित करने से पहले उन कारणों का उल्लेख किया जाना चाहिये जिनके कारण नियमित जाँच युक्तिसंगत तरीके से व्यावहारिक न हो।
iv. आदेश पर हस्ताक्षर अनुशासनिक प्राधिकारी को होना चाहिये। किसी के ''आदेश से'', ''कृते'', ''और से'' नहीं। क्योंकि नियुक्ति का अधिकार अपरदेय नॉट डेलीगेटेबुल) है।

यदि किन्हीं उल्लेखनीय कारणों से जाँच करनी व्यावहारिक न हो तो अनुशासनिक प्राधिकारी नियम 14 (ii) का प्रयोग करते हुए किसी रेल सेवक को सेवामुक्त या बर्खास्त या अनिवार्यतः सेवानिवृत कर सकते हैं, परन्तु यदि इस प्रकार से दण्डित व्यक्ति निर्धारित अवधि के अन्दर तथा विहित प्रावधानों के तहत अपीलीय अधिकार के समक्ष अपील की याचिका प्रस्तुत करता है तो उसे फोरी तौर पर न निपटाकर मामलें एवं परिस्थितियों की पूरी जाँच की जानी चाहिये जिनमें दण्डित कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से सुना जाना चाहिये अर्थात् उसे ''पर्सनल हियरिंग'' दी जानी चहिये। यदि उस समय भी जाँच करने के लिये उपुयक्त वातावरण न हो तो कारणों का उल्लेख करते हुये तथ उन परिस्थितियों का विवरण देते हुये तब तक के लिये जाँच कार्यवाही स्थगित कर दी जानी चाहिये जब तक जाँच के लिये उपयुक्त वातावरण न हो जाये। परन्तु जाँच हर हालत में की जानी है अर्थात् जाँच को हमेशा के लिये व्यवहारिक रूप से असंगत नहीं कहा जा सकता है।

रेलवे बोर्ड के तुलसीराम पटेल एवं सत्यवीर सिंह में मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गयी व्यवस्था के आधार पर गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना में निम्नलिखित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिये हैं:– ''सर्वप्रथम तो यह ध्यान में रखना है कि उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त निर्णयों में कोई नया नियम न बनाकर केवल संविधान की धारा 311 (2) में निहित वैधानिक उपबन्धों को ही स्पष्ट किया है। इस व्याख्या क अनुसार सरकारी सेवकों को धारा 311 (2) के अन्तर्गत मिले संरक्षण को समाप्त नहीं किया गया है जिसके अनुसार किसी सरकारी सेवक को उसके विरूद्ध लगाये गये आरापों की बिना सूचना दिये हुये तथा बिना उचे बचाव का अवसर प्रदान किये हुये पदमुक्त, पदच्युत अथवा अनिवार्यतः सेवानिवृत्त नहीं किया जा सकता है''।

नियम 14 (iii) धारा 311 (2) (सी) :–

इस नियम के अन्तर्गत यदि राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल, जैसा भी हो, इस बात से संतुष्ट हो कि ''राज्य की सुरक्षा के हित में'' नियम 311 (2) के अन्तर्गत जाँच सम्भव नहीं है तो जाँच प्रक्रिया निरस्त कर दी जायेगी तथा अनुशासनिक प्राधिकारी पदमुक्ति, पदच्युति तथा अनिवार्यतः सेवानिवृत्ति में से कोई भी सजा दे सकेगें। राष्ट्रपति या राज्यपाल के एतद् सम्बन्धी अधिकारी को चुनौती नहीं दी जा सकेगी, परन्तु दण्डित कर्मचारी अपील अथवा पुनरीक्षण के समय विस्तृत जाँच की माँग कर सकता है बशर्ते धारा 311 (2) में वर्णित जाँच के लिए अनुपयुक्त परिस्थितियाँ उस समय भी विद्यामान न हो।

प्रतिनियुक्त रेल कर्मचारियों पर अनुशासनिक कार्यवाही :– (नियम–15 व 16)

इन नियमों के अन्तर्गत दो वर्ग के कर्मचारी आते हैं :–

(1) वे कर्मचारी जो मूलतः रेल कर्मचारी हैं परन्तु उन्हें दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया हो अर्थात् रेल से बाहरी विभाग में जाने वाले कर्मचारी, और

(2) वे कर्मचारी जो मूलतः अन्य विभाग के हो परन्तु रेलवे में प्रतिनियुक्ति पर आये हो अर्थात् बाहर से रेल में आने वाले कर्मचारी

1 यदि किसी रेल सेवक को केन्द्र सरकार के अधीनस्थ किसी अन्य मंत्रालय के अन्तर्गत किसी विभाग में अथवा राज्य सरकार या उसके अधीनस्थ किसी विभाग में या किसी स्थानीय अन्य विभाग के प्राधिकारी (जिसे उधारलेवा प्राधिकारी या ''बारोइंग अथार्टी'' कहा जाता है) के अधीन उधार स्वरूप भेजा गया है तो उसे रेल सेवक को निलम्बित करने तथा अनुशासनिक जाँच सम्बन्धी कार्यवाही अनुशासनिक प्राधिकारी के अधिकार उधारलेवा प्राधिकारी के पास होगें। (नियम–15)

उपबन्ध यह है कि ऐसी कोई अनुशासनिक प्रक्रिया प्रारम्भ करने के तुरन्त बाद उधारलेवा प्राधिकारी उधार देने वाले (उधारदाता प्राधिकारी) (लेण्डिग अथार्टी) को उन कारणों एवं परिस्थितियों की सूचना भेजेगा जिनके कारण निलम्बन करना पड़ा हो और अनुशासनिक जाँच प्रक्रिया प्रारम्भ करनी पड़ी हो।

2 रेल सेवक के विरूद्ध चलायी गयी अनुशासनिक जाँच प्रक्रिया के निष्कर्ष के आलोक में :–

(i) यदि उधार लेवा प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुॅचते हैं कि नियम–6 के उपवाक्य (i) से (iv) के अन्तर्गत आने वाली कोई लघु शास्ति देना उपयुक्त होगा तो वह उदारदाता प्राधिकारी की सहमति लेकर यथोपयुक्त सजा दे सकेगा। उपलब्ध यह है कि यदि इस सम्बन्ध में उधारलेवा और उधारदाता प्राधिकारियों के विचारों में अन्तर होगातो उस रेल सेवक की उधारदाता प्राधिकारी के पास लौटा दिया जायेगा।

(ii) यदि उधार लेवा अधिकारी का यह विचार है कि नियम–6 के उपवाक्य (v) से (ix) के अन्तर्गत आने वाली कोई (दीर्ध) शास्ति दी जानी चाहिये तो उस रेल सेवक की सेवायें उधारदाता प्राधिकारी के पास पूरी जाँच कार्यवाही के साथ अपने स्तर से निष्पादन के लिये लौटा दी जायेगी जिस पर विचार करते हुए उधारदाता प्राधिकारी यदि कोई शास्ति देना चाहता है, जो उसके अधिकारी में है, तो वह ऐसी शास्ति दे सकता है और यदि विचारित शास्ति उसके अधिकार क्षेत्र में न हो तो पूरी कार्यवाही रिपोर्ट को सक्षम प्राधिकारी के पास उपयुक्त आदेश पारित करने के लिये भेज देगा।

अन्य विभागों से रेलवे में प्रतिनियुक्ति पर लिये गये गैर रेलवे कर्मचारियों पर अनुशासनिक कार्यवाहीः– (नियम–16)

(1) यदि किसी सरकारी सेवक या अन्य व्यक्ति की सेवायें केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय से सम्बन्धित अन्य विभाग से अथवा राज्य सरकार से या उसके अधीनस्थ किसी अन्य विभाग से अथवा स्थानीय या अन्य पदाधिकारी (जिसे उधारदाता प्राधिकारी कहा जाता है) की रेलवे के अधीन प्रतिनियुक्ति की जाती है तो उधारलेवा प्राधिकारी को उस सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को निलम्बित करने या अनुशासनिक जाँच करने का अधिकार होगा।

उपलब्ध यह है कि यदि ऐसे किसी सरकारी कर्मचारी अथवा व्यक्ति को निलम्बित किया जाता है या उसके विरूद्ध जाँच–प्रक्रिया आरम्भ की जाती है तो उधार लेवा प्राधिकारी इसकी सूचना तुरन्त उधारदाता प्राधिकारी को देगा तथा उन कारणों को भी सूचितकरेगा जिसके कारण निलम्बन तथवा अनुशासनिक जाँच आवश्यक हुयी हो।

(2) इस प्रकार के सरकारी सेवक अथवा व्यक्ति के विरूद्ध की गयी जाँच के आलोक मेंः–

(i) यदि उधार लेवा प्राधिकारी का यह विचार होता है कि आरोपित कर्मचारी पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार कोई लघु दण्ड दिया जाना चाहिये तो सम्बन्धित उधारदाता प्राधिकारी

की परामर्श लेकर वह कोई लघु दण्ड दे सकता है।
उपलब्ध यह है कि इस सम्बन्ध में उधारलेवा और उधारदाता प्राधिकारियों में मतभेद हो तो उस कर्मचारी या उस व्यक्ति की सेवायें उधारदाता प्राधिकारी के अधीन लौटा दी जानी चाहिये।

(ii) यदि उधारलेवा प्राधिकारी के विचार से सम्बन्धित सरकारी सेवक या व्यक्ति पर लागू होने वाले नियमों के अन्तर्गत कोई दीर्ध दण्ड देना उचित है तो वह उस सेवक या व्यक्ति की सेवायें उधारदाता प्राधिकारी के अधीन लौटा दी जायेगी और उसके पास जाँच कार्यवाही के निष्कर्षों को भी प्रेष्ति करेगें जिसके आधार पर उधारदाता प्राधिकारी चाहे तो कार्यवाही कर सकता है।

दण्ड का पदोन्नति /वरियता पर प्रभाव

क्रस	दण्ड का प्रकार	चयन /पदोन्नति हेतु		वरियता
		बुलाना	पदोन्नत करना	
i.	परिनिन्दा (Censure)	बुलाया जा सकता है	पदोन्नत किया जा सकता है	कोई प्रभाव नहीं *
ii.	आर्थिक क्षति की कटौती	बुलाया जा सकता है	पदोन्नत किया जा सकता है	कोई प्रभाव नहीं *
iii.	पास /पीटीओ पर रोक	बुलाया जा सकता है	पदोन्नत किया जा सकता है	कोई प्रभाव नहीं *
iv.	वार्षिक वेतनवृद्धि पर रोक	बुलाया जा सकता है	दण्ड के दौरान पदोन्नति पर रोक	कोई प्रभाव नहीं *
v.	उसी वेतनमान में निचले स्तर पर पदावनत करना	बुलाया जा सकता है	दण्ड के दौरान पदोन्नति पर रोक	कोई प्रभाव नहीं *
vi.	पदोन्नति पर रोक (अस्थाई)	नहीं बुलाया जा सकता है	पदोन्नत किया जा सकता है	कोई प्रभाव नहीं * [*(RBE 13/93)]
vii.	निम्न वेतनमान में पदावनत करना	नहीं बुलाया जा सकता है	दण्ड के दौरान पदोन्नति पर रोक	वरियता पर प्रभाव (NIP में अंकित किये जाने पर)
[**Rly.Bd.L.No. E(D&A)73RG-6-5 dt. 22.02.74 (NR PS 6099) RBE 13/93 &217/02]				

1. निलम्बित कर्मचारी को पदोन्नत नहीं किया जा सकता भले ही वह चयनित सूची /पैनल पर हो। (RBE 13/93)
2. निचले वेतनमान, श्रेणी, पद पर पदावनति की जा सकती हैं जो अधिकतम भर्ती ग्रेड तक होगी। (RBE 68/89)
3. बड़ी शास्ति का मामला विचाराधीन होने पर पदोन्नती नहीं हो सकती लेकिन सिर्फ छोटी शास्ति सम्बन्धी मामला विचाराधीन हो तो पदोन्नती हेतु विचार किया जा सकता है। (RBE 13/93)
4. ऐसा कर्मचारी जो निलम्बित है या जिसके विरूद्ध बड़ी या छोटी शास्ति का मामला विचाराधीन या लम्बित हैं तो उसे चयन में बुलाया जायेगा लेकिन योग्य पाये जाने पर उसी कर्मचारी को पैनल पर रखा जायेगा जिसके विरूद्ध सिर्फ छोटी शास्ति का मामला लम्बित हैं। निलम्बित या बड़ी शास्ति विचाराधीन कर्मचारी का नाम पैनल पर लेने /न लेने के सम्बन्ध में निर्णय निलम्बन /बड़ी शास्ति सम्बन्धी मामले के अन्तिम होने पश्चात होगा। (RBE 13/93)
5. निलम्बित या ऐसा कर्मचारी जिसके खिलाफ आपराधिक मामला लम्बित हो बड़ी शास्ती के अन्तर्गत निम्न वेतनमान में पदावनत कर्मचारी को छोड़कर शास्तीधीन कर्मचारी का स्थायीकरण किया जा सकता है। [Rly. Bd's Letter No.: 831E/25/iv(EIV) dt.

15.03.74 (NR PS 6099A) & RBE 13/93]

6. भविष्य की किसी तारीख से प्रभावी होने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने की शास्ती से पूर्व कर्मचारी की पदोन्नति हो सकती है। लेकिन दण्ड पदोन्नति वाले पद पर उतनी अवधि के लिए ही लागू रहेगा जितना की निचले वेतनमान में दिया गया था। (RBE 13/93, 200/01)
7. किसी न्यायिक निर्णय के विरूद्ध मात्र अपील दायर करने या न्यायालय द्वारा दी गई सजा पर उच्च न्यायालय द्वारा दिये स्थगत (Stay) मात्र से सजा का प्रभाव कम नहीं होता जब तक कि अपील स्वीकार करते हुए दिये दण्ड को अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त (Setaside) नहीं कर दिया जाता। इसलिए सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी फौजदारी न्यायालय (Criminal Court) द्वारा दी गई सजा (Conviction) के आधार पर सम्बन्धित कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर सकता हैं या जारी रख सकता है। तथा इस तथ्य का, कि रेल कर्मचारी द्वारा दायर अपील पर उच्च न्यायालय ने निम्न न्यायालय (Trial Court) द्वारा दी गई सजा (Sentence) को, केस के अन्तिम निर्णय होने तक स्थगित कर दी हैं, का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। (RBE 65/13)
8. छठें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किए जाने के बाद संशोधित वेतन नियमों के अंतर्गत सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 01 जुलाई को वेतन वृद्धि की तारीख के रूप में निर्धारित करना केवल वार्षिक वुद्धि के लिए संगत हैं। यह प्रावधान, उन मामलों में जहाँ शास्ति के रूप में वेतन वृद्धि पर रोक लगाई जाती है पर लागू नहीं होता हैं। ऐसे मामलों में, जहाँ एक निश्चित समय के लिए वेतन वृद्धि को शास्ति के तौर पर रोका जाता हैं, ऐसी रोकी गई वेतन वृद्धि को शास्ति का समय समाप्त होने के तत्काल पश्चात बहाल कर दिया जायेगा और इसे अगली 01 जुलाई तक स्थगित नहीं किया जायेगा। यदि शास्ति की अवधि समाप्त होने के बाद आगे आने वाली 01 जुलाई तक सम्बन्धित रेल सेवक ने छःमाह की निर्धारित अर्हक सेवा अर्जित कर ली हैं तो वह शास्ति की अवधि समाप्त होने के बाद आने वाली इस 01 जुलाई को अगली वेतन वृद्धि पाने का हकदार भी होगा (इस तथ्य के बावजूद भी कि उस पर लगाई गई शास्ति का उसकी भावी वेतन वृद्धियाँ पर स्थगनात्मक प्रभाव था)।

   इसी तरह से, जहाँ निचले स्तर पर अवनति की शास्ति लगाई गई हो वहाँ शास्ति की अवधि के समाप्त होने पर तत्काल वेतन को बहाल किया जायेगा। जहाँ तक अगली वेतनवृद्धि जारी करने का संबंध हैं, वह शास्ति की अवधि की समाप्ति के शीध्र पश्चात प्रदान कर दी जायेगी यदि संबंधित व्यक्ति ने शास्ति की समाप्त होने की तारीख से पूर्व 01जुलाई को छःमाह की निर्धारित अर्हक सेवा पूरी कर ली हैं (RBE 09/14)

अपीलें (नियम–17 से 24)

रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम 1968 के अन्तर्गत अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा निलम्बित या दण्डित रेल कर्मचारी के सक्षम अपीलीय प्राधिकारी के सक्षम अपील प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है। अपील सम्बन्धी नियमों का विवरण निम्नानुसार है :–

नियम 17 से 24 एक दृष्टि में :–

i. ऐसे आदेश जिनके विरूद्ध अपील नहीं की जा सकती है – नियम–17
ii. आदेश जिनके विरूद्ध अपील की जा सकती है – नियम–18
iii. अपीलीय की समय सीमा – नियम–19
iv. अपील की समय सीमा – नियम–20
v. अपील का प्रारूप तथा प्रस्तुति – नियम–21
vi. अपीलीय प्राधिकारी द्वारा विचार – नियम–22
vii. अपीलीय आदेश का कार्यान्वयन – नियम–23
viii. अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान – नियम–24

आदेश जिनके विरूद्ध अपील नहीं की जा सकती हैं :– (नियम–17)

इन नियमों में वर्णित किन्हीं प्रावधानों पर ध्यान न देते हुए निम्नलिखित के विरूद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगीः–

i. राष्ट्रपति के द्वारा पारित आदेश।
ii. अनुशासनिक जाँच कार्यवाही के दौरान जाँच अधिकारी के द्वारा पारित अन्तरिम आदेश जिनका उद्देश्य सहायता पहुँचाना अथवा जाँच प्रक्रिया के अन्तिम निष्पादन को सुगम बनाना हो। परन्तु इनमें निलम्बन का आदेश शामिल नहीं होगा।
iii. नियम–9 के अन्तर्गत की जा रही अनुशासनिक जाँच अधिकारी द्वारा पारित आदेश।

आदेश जिसके विरूद्ध अपील की जा सकती हैः– (नियम–18)

नियम–17 के अध्याधीन कोई भी रेल सेवक निम्नलिखित में से सभी या किसी आदेश के विरूद्ध अपील कर सकता है, जैसेः–

i. नियम–5 के अन्तर्गत किये गये या मान लिये गये (डिम्ड) निलम्बन आदेश।
ii. अनुशासनिक अथवा अपीलीय अथवा पुनर्परीक्षक (रिवाइजिंग) प्राधिकारी के द्वारा नियम–6 के अन्तर्गत दी गयी किसी सजा से सम्बन्धित आदेश।
iii. नियम–6 के अन्तर्गत बढ़ाई गयी किसी सजा से सम्बन्धित आदेश।
iv. कोई ऐसा आदेश जोः–
   अ. किसी रेल सेवक को उस पर लागू होने वाले नियमों या करारनामों के तहत देय वेतन, भत्तों, पेंशन, भविष्य निधि, सर्विस ग्रेच्युटी अथवा अन्य सम्बन्धित लाभों को देने से इन्कार करता हो या उनमें अन्तर लाता हो।
   ब. कर्मचारी पर लागू होने वाले नियमों या करारनामों की कर्मचारी के हितों के विरूद्ध व्याख्या करता हो।
v. ऐसा कोई आदेश जोः–
   अ. उसे सजा के बजाय अन्य किन्हीं कारणों से उच्चतर सेवा, ग्रेड या पोस्ट पद से पदावनत करता हो।
   ब. पेंशनधारी रेल सेवक की पेंशन को कम करता हो, रोकता हो या नियमों के अनुसार देय अधिकतम पेंशन को देने से नकारता हो।
   स. गैंर पेंशनधारी रेल सेवक की भविष्य निधि पर विशेष अंशदान को घटाता हो अथवा उसे रोकता हो।
   द. उसके निलम्बन अवधि अथवा मान लिये गये निलम्बन की अवधि या उसके किसी भाग में देय जीवनयापद भत्ते या अन्य लाभों को निर्धारित करता हो।
   प. कर्मचारी को निम्नलिखित दशाओं में देय वेतन और भत्तों को निर्धारित करता होः–
      i. निलम्बन की अवधि में।
      ii. बर्खास्तगी, पदच्युति अथवा अनिवार्यतः सेवानिवृति के पश्चात पुनर्पदस्थापित (रिइन्सटेट) होने के बीच की अवधि में।
      iii. इस बात को निर्धारित करता हो कि उसकी निलम्बन अथवा बर्खास्तगी, पदच्युति अथवा अनिवार्य सेवानिवृति की तिथि से लेकर उसकी पुनर्पदस्थापना की तिथि तक की अवधि को किसी उद्देश्य के लिए ड्यूटी माना जाये अथवा नहीं।

अपीलीय प्राधिकारी (नियम–19)

(1) कोई रेल सेवक, जिसमे ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित हैं जिसने रेल सेवा छोड़ दी हैं, नियम–18 के अन्तर्गत वर्णित सभी या किसी आदेश के विरूद्ध इन नियमों के अन्तर्गत इस उद्देश्य के लिए बनाये गये प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। यदि नियमों के अन्तर्गत कोई प्राधिकारी नहीं बनाया गया हो तोः–

i. जहाँ नियम–25 के अन्तर्गत रिवीजन करने वाले प्राधिकारी के द्वारा कोई दण्ड दिया जाता है तो उस प्राधिकारी के पास जिसका वह आसन्न सहायक (इमीडियेट सबओर्डिनेट) हो,
ii. जहाँ अपील अथवा रिवीजन में सजा बढ़ाई गयी हो तो उस प्राधिकारी के पास जिनके

अधीन ऐसा आदेश देने वाला प्राधिकारी कार्यरत्त हो,

iii. यदि अपील नियम–18 के उपवाक्य (iv) के अन्तर्गत आने वाले किसी दण्ड के विरूद्ध करनी हो तो उस प्राधिकारी, जिसने अपीलकर्ता को नियुक्त किया हो या उस प्राधिकारी जिसने उस दण्ड, जिसके विरूद्ध अपील की जानी हो, को दिया हो, दोनों में जो वरिष्ठ हो, के पास की जायेगी। यदि अपील किसी करारनामें से सम्बन्धित हो तो उस प्राधिकारी के पास अपील की जायेगी जिसने अपीलकर्त्ता को नियुक्त किया हो।

iv. नियम–18 के उपवाक्य (5) के अन्तर्गत आने वाले किसी दण्ड के विरूद्ध अपील निम्नलिखित पदाधिकारी के पास की जायेगीः–

   अ. यदि किसी रेल सेवक की बर्खास्तगी की सजा राष्ट्रपति द्वारा दी जा सकती है तो राष्ट्रपति के पास, और

   ब. किसी अन्य रेलवे सेवक के सम्बन्ध में उस प्राधिकारी के पास जिसके अधीन आदेशकर्ता प्राधिकारी कार्य करता हो।

अपील के लिए समय सीमा (नियम–20)

इन नियमों के अन्तर्गत कोई भी अपील किये जाने वाले आदेश की अपीलकर्त्ता द्वारा प्राप्ति से 45 दिनों के बाद स्वीकार नहीं की जायेगी।

प्रावधान यह है कि अपीलीय अधिकारी चाहे तो इस बात से संतुष्ट होने पर कि अपीलकर्ता द्वारा निर्धारित अवधि के बाद अपील करने के विश्वसनीय एवं पर्याप्त कारण हे तो निर्धारित कालावधि समाप्त हो जाने के बाद भी अपील विचारार्थ स्वीकार कर सकते हैं।

अपील का प्रारूप एवं विषय–वस्तु (नियम–21)

(1) अपील करने वाला कोई व्यक्ति कोई भी अपील अपने नाम से करेगा। किसी कानूनी सलाहकार अथवा सहायक अथवा रेलवे के किसी संघ के द्वारा अग्रसारित अथवा प्रतिहस्ताक्षरित अपील स्वीकार्य नहीं होगी बल्कि उसे अपीलकर्त्ता को केवल अपने हस्ताक्षर के साथ पुनः प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ वापस लौटा दी जायेगी।

(2) अपील उस प्राधिकारी के पास प्रस्तुत की जायेगी जिसे समक्ष अपील की जानी हो तथा उसकी एक प्रति उस प्राधिकारी के पास भी भेजी जायेगी जिसने अपीलीय आदेश पारित किया हो। अपील में उन सभी आवश्यक तथ्यों को शामिल किया जायेगा जिन पर अपील आधारित हो। परन्तु उसमें किसी असम्मानजनक तथा अनुचित भाषा का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

(3) अपीलित आदेश को पारित करने वाले प्राधिकारी अपील की प्रति प्राप्त करने के उपरान्त उस पर टिप्पणी के साथ सम्बन्धित अभिलेखों सहित अपीलीय प्राधिकारी के पास बिना किसी विलम्ब के भेजेगा तथा उसे अग्रसारित करने के लिए अपीलीय प्राधिकारी के आदेश की प्रतीक्षा नहीं करेगा।

अपील पर विचार किया जाना (नियम–22)

(1) निलम्बन के विरूद्ध अपील किये जाने पर अपीलीय अधिकारी इस बात पर विचार करते हुए कि क्या नियम–5 के उपबन्धों के आलोक में तथा मामलों की परिस्थितियों पर विचार करते हुए निलम्बन का आदेश उचित है अथवा नहीं, उसे समाप्त करेगा अथवा संपुष्टि करेगा।

(2) नियम–6 के अन्तर्गत आने वाली किसी शास्ति के दिये जाने पर अथवा उन नियमों के अन्तर्गत शास्ति के बढ़ाये जाने पर की गयी अपीलीय प्राधिकारी निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार करेगाः–

   अ. क्या इन नियमों के अन्तर्गत बनाये गये नियमों का अनुपालन किया गया है अथवा नहीं और क्या उनका अनुपालन नहीं किये जाने से संविधान के किसी उपबन्ध का अतिक्रमण हुआ है या न्याय नहीं किया गया है।

ब. क्या दी गयी अथवा बढ़ाई गयी सजा उपयुक्त अथवा अनुपयुक्त अथवा अधिक कठोर है जिस पर विचार करके निम्नलिखित आदेश पारित करेगाः–

i. सजा की पुष्टि करेगा, उसे बढ़ायेगा, कम करेगा अथवा निरस्त करेगा, अथवा

ii. मामले को सजा देने या सजा बढ़ाने वाले प्राधिकारी के पास या किसी अन्य प्राधिकारी के पास वैसे निर्देश, जैसा वह उचित समझे, के पास भेज देगा।

उपलब्ध यह है कि :–

I उस प्रत्येक मामले में जिसमें आयोग की परामर्श ली जानी आवश्यक हो, अवश्य ली जायेगी।

ii. यदि अपीलीय अधिकारी सजा को बढ़ाते हुए नियम–6 के उपवाक्य (v) से (ix) के अन्तर्गत आने वाली कोई सजा के देने का विचार रखते हो, परन्तु उस मामले में नियम–9 के अनुसार अनुशासनिक जाँच नहीं करायी गयी हो तो वह नियम–14 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए ऐसी जाँच स्वयं करेगा अथवा नियम–9 के उपबन्धों के तहत जाँच कराये जाने का निर्देश देगा और उसके बाद जाँच कार्यवाही के निष्कर्ष पर विचार करके यथोचित आदेश पारित करेगा।

iii. यदि अपीलीय अधिकारी सजा बढ़ाने का विचार रखता हो तथा नियम–6 के उपवाक्य (v) से (ix) के अन्तर्गत आने वाली कोई सजा देना चाहता हो और उस मामले में नियम–9 के अन्तर्गत अनुशासनिक जाँच कार्यवाही की जा चुकी हो तो वह यथोचित आदेश पारित कर सकेगा।

iv. नियम–14 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कार्यवाही करेगाः–

अ. यदि बढ़ाई जाने वाली सजा जिसे देने का अपीलीय अधिकारी विचार रखता है, नियम–6 के उपवाक्य (iv) के अन्तर्गत आती हो तो ऐसी सजा देने से पूर्व उसे इस बात पर ध्यान देना होगा कि क्या वह नियम–11 के उपनियम–(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत आती है (यदि आती है तो नियमानुसार जाँच करेगा या किसी से करायेगा)।

ब. यदि नियम–9 में दिए गए उपबन्धों के अनुसार जाँच नहीं की गयी हो तो वह स्वयं जाँच करेगा अथवा नियम–9 के अन्तर्गत जाँच किये जाने का निर्देश देगा तथा उसके बाद जाँच रिपोर्ट पर विचार करके जैसा उचित समझें वैसा आदेश पारित करेगा, तथा

v. किसी अन्य मामलों में सजा बढ़ाने वाला कोई आदेश तब तक नहीं पारित किया जायेगा जब तब अपीलकर्त्ता को नियम–11 के उपबन्धों के अनुसार हर सम्भव स्तर तक, बढ़ाई जाने वाली सजा के विरूद्ध प्रतिवेदन करने का युक्तिसंगत अवसर न प्रदान किया गया हो।

(3) नियम–18 के अन्तर्गत दिये गये किसी आदेश के विरूद्ध अपील किये जाये पर अपीलीय प्राधिकारी मामले की सभी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद जैसा उचित समझें वैसा आदेश पारित करेगा।

अपील के आदेशों का कार्यान्वयन (नियम–23)

ऐसा प्राधिकारी जिसने ऐसा आदेश दिया था जिसके खिलाफ अपील की गई है वह अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों को लागू करेगा।

अराजपत्रित कर्मचारियों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध (नियम–24)

(1) यदि किसी अराजपत्रित कर्मचारी को बर्खास्तगी, पदच्युति, अनिवार्यतः सेवानिवृत्ति अथवा वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने की सजा दी गयी हो तो अपीलीय प्राधिकारी अपने विवके से, यदि ऐसा करना उचित समझे तो अपील पर निर्णय करने से पूर्व सम्बन्धित कर्मचारी को व्यक्तिगत सुनवाई (पर्सनल हियरिंग) का अवसर प्रदान कर सकता है। आरोपित कर्मचारी चाहे तो ऐसी व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उसी रेलवे प्रशासन, जिसके अधीन अपीलकर्त्ता कार्य करता हो, के अधीन कार्यरत अथवा रेलवे बोर्ड या उससे सम्बद्ध या अधीनस्थ कार्यालय में कार्यरत जैसा भी हो, कर्मचारी को अथवा अपीलकर्त्ता के रेलवे प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त युनियन के ऐसे पदाधिकारी जो वकालत न करता हो, को अपने साथ रख सकता है।

(2) कोई भी अराजपत्रित ग्रुप–सी रेल सेवक जिसे रेल सेवा से बर्खास्त, पदच्युत अथवा अनिवार्यतः सेवानिवृत्त कर दिया हो और उसकी अपील अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निष्पादित कर दी गयी हो तो वह अपील पर निर्णय के 45 दिनों के भीतर महाप्रबन्धक से अपनी अपील पर निष्पादन से पूर्व ''रेलवे रेट्स ट्रिब्युनल'' की परामर्श हेतु अपनी अपील भेजने का आग्रह कर सकता है। ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर महाप्रबन्धक उस अपील को सम्बद्ध अभिलेखों के साथ अध्यक्ष, रेलवे रेट्स ट्रिब्युनल, के पास परामर्श हेतु भेज देगें।

रिवीजन का आवेदन प्राप्त होने पर अथवा रेलवे रेट्स ट्रिब्युनल की परामर्श प्राप्त होने पर, जैसा भी हो, महाप्रबन्धक रिवीजन के आवेदन पर नियम–25 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए ऐसा आदेश देगें जैसा वे उचित समझें।

उपबन्ध यह है कि उपरोक्त रीति से निष्पादन किये गये रिवीजन के पश्चात नियम–25 के अन्तर्गत पुन+ रिवीजन का आवेदन नहीं दिया जा सकेगा।

(3) कोई ग्रुप–डी से सम्बन्धित कर्मचारी जिसे बर्खास्त, पदच्युत अथवा सेवा से अनिवार्यतः सेवानिवृत्त कर दिया गया हो, यदि वह ऐसा चाहे तो उपयुक्त अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपनी अपील पर आदेश पारित करने के 45 दिनों के अन्दर मण्डल रेल प्रबन्धक से और यदि वह मण्डल रेल प्रबन्धक के नियंत्रण में कार्यरत्त न हो तो वरिष्ठतम प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी, जिसके अधीन वह कार्य करता हो, के पास दी गयी सजा के विरूद्ध रिवीजन का आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

मण्डल रेल प्रबन्धक अथवा वरिष्ठतम प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी नियम–25 के अन्तर्गत दिये गये नियमों का पालन करते हुए उसके रिवीजन आवेदन पर जैसा उचित समझें वेसा आदेश पारित कर सकते हैं।

उपलबन्ध यह है कि उपरोक्त प्रक्रिया ऐसी स्थिति में लागू नहीं होगी जब मण्डल रेल प्रबन्धक अथवा वरिष्ठतम प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी हैं कि एक बार उपरोक्त प्रक्रिया के द्वारा मण्डल रेल प्रबन्धक अथवा वरिष्ठतम प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी द्वारा इस नियम के अन्तर्गत रिवीजन के आवेदन पर आदेश पारित कर देने के पश्चात पुनः नियम–25 के अन्तर्गत दूसरा रिवीजन का आवेदन नहीं दिया जा सकेगा।

पुनरीक्षण (रिवीजन एवं रिव्यू) (नियम–25 एवं 25–ए)

''रिवीजन'' शब्द का हिन्दी में अर्थ होता है दोहराना तथा रिव्यू शब्द का ''फिर से देखना अर्थात् पुनरीक्षण'' अतः रिवीजन शब्द से तात्पर्य है कि जाँच या दण्डारोपण प्रक्रिया के अभिलेखों को दोहरा कर उनमें हुई त्रुटि, यदि कोई हो, में सुधार करना। इसी प्रकार यदि किसी जाँच प्रक्रिया के फलस्वरूप दिये गये दण्ड के बाद ''कोई ऐसा नया तथ्य जो दण्ड का निर्णय लेने से पूर्व था ही नहीं अथवा किन्हीं कारणों से प्रस्तुत नहीं किया जा सका था परन्तु जिससे समूचे मामलें तथा दण्ड की प्रकृति बदल सकती हो'' जानकारी में आता है या दिया जाता है तो सक्षम अधिकारी पूरे मामले को ''फिर से देखकर या पुनरीक्षण करके'' नया आदेश पारित कर सकता है।

रिवीजन (नियम–25)

इस नियमों के किसी भी प्रावधान पर ध्यान न देते हुयेः–

i. राष्ट्रपति, अथवा
ii. किसी क्षेत्रीय रेल काक महाप्रबन्धक या उसके समकक्ष या ऐसा प्राधिकारी जिसके मातहत आरोपित रेल सेवक कार्यरत हो, अथवा
iii. यदि अपील न की गयी हो तो ऐसा अपीलीय अधिकारी जो मण्डल रेल प्रबन्धक से कम स्तर का न हो, अथवा
iv. ऐसा कोई अन्य प्राधिकारी जो सहायक विभागाध्यक्ष से कम स्तर का न हो जिसके मातहत आरोपित रेल सेवक कार्य करता हो,

अपनी इच्छा से अथवा किसी अन्य आधार पर किसी अनुशासनिक जाँच प्रक्रिया से सम्बन्धित प्रलेखों को मंगाकर इन नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत पारित किसी भी आदेश को संशोधित करते हुए नया आदेश पारित कर सकता है। परन्तु ऐसा करते समय जहाँ आवश्यक हो वहॉ संघीय लोक सेवा आयोग की परामर्श अवश्य लेनी होगी और यदि वह ऐसा चाहे तोः–

अ. किसी आदेश को पुष्टित, संशोधित तथा निरस्त कर सकता है।

ब. सम्बन्धित आदेश द्वारा दी गयी सजा की पुष्टि कर सकता है उसमें कमी कर सकता है, उसमें वृद्धि कर सकता है या उसे समाप्त कर सकता है या यदि कोई सजा न दी गयी हो तो, सजा भी दे सकता है।, अथवा

स. मामले को उस प्राधिकारी के पास, जिसने सम्बन्धित आदेश पारित किया हो अथवा उसके समकक्ष अन्य प्राधिकारी के पास मामले पर और आगे जाँच करने के लिये वैसे निर्देशों के साथ भेज सकता है जैसा वह उस मामलें के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में उचित समझें।, अथवा

द. ऐसा अन्य कोई आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उपयुक्त समझें।

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उपबन्ध भी बनाये गये हैः–

अ. इन आदेशों के तहत किसी रेल सेवक को सजा देने या सजाको बढ़ाने सम्बन्धी आदेश किसी भी रिवाइजिंग प्राधिकारी के द्वारा तब तक नहीं पारित किये जा सकेगें जब तक आरोपित कर्मचारी को प्रस्तावित सजा के विरूद्ध अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का सुसंगत अवसर न प्रदान किया गया हो।

ब. यदि कोई ऐसी सजा देने का प्रस्ताव हो जो नियम–6 के क्लॉज (v) से (ix) (दीर्घदण्ड) के अन्तर्गत आती हो या नियम–6 के क्लॉज (iv) के अन्तर्गत आने वाली ऐसी सजा देने का प्रस्ताव हो जिसे देने से पूर्व नियम 11(2) के तहत जाँच करनी अनिवार्य हो अथवा रिवीजन के लिये प्रस्तुत आदेश द्वारा दी गयी सजा को बढ़ा कर इन नियमों के अन्तर्गत अन्य कोई सजा देने का प्रस्ताव हो, तो नियम–14 की परिस्थितियों के मौजूद न रहने पर, ऐसी कोई भी सजा तब तक नहीं दी जा सकती जब तक नियम–9 के प्रावधानों के अन्तर्गत पूरी जाँच न कर ली गयी हो बशर्ते ऐसी जाँच पहने न की गयी हो तथा आवश्यकतानुसार संघीय लोक सेवा आयोग की परामर्श न ले ली गयी हो।

2	रिवीजन की प्रक्रिया तब तक प्रारम्भ नहीं की जा सकेगी जब तकः–
i.	अपील के लिये निर्धारित समयावधि समाप्त न हो गयी हो, अथवा
ii.	यदि अपील की गयी हो तो उसका निबटारा न हो चुका हो। इसके अतिरिक्त प्रावधान यह है कि इस नियम के प्रावधान रेलवे दुर्घटना से संबंधित मामलों में लागू नहीं होगें
3.	रिवीजन के प्रतिवेदन पर उसी प्रकार से विचार किया जायेगा जैसे अपील के प्रतिवेदन पर विचार किया जाता है।
4.	निम्नलिखित परिस्थितियों में रिवीजन की शक्ति का प्रयोग नहीं किा जा सकेगाः–
i.	यदि रिवाइजिंग प्राधिकारी उसी मामले से सम्बन्धित अपील कर एक बार विचार करके कोई आदेश पारित कर चुका हो।
ii.	यदि अपील की गयी हो तो उसे रिवाइजिंग प्राधिकारी के द्वारा, जो अपीलीय प्राधिकारी से वरिष्ठ न हो और यदि अपील न की गयी हो परन्तु रिवीजन के लिए निर्धारित समय सीमा समाप्त हो गयी हो। इसमें अलग उपबन्ध यह भी है कि उपरोक्त नियम (i) तथा (ii) राष्ट्रपति के द्वारा रिवीजन किये जाने की स्थिति में लागू नहीं होगें।
5.	इन नियमों के अन्तर्गत कोई भी कार्यवाही निम्नलिखित प्राधिकारियों के द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों में आरम्भ नहीं की जा सकेगीः–
अ.	राष्ट्रपति को छोड़कर किसी अन्य अपीलीय प्राधिकारी के द्वारा, अथवा

ब.	उपनियम (1) के मद संख्या (v) के अन्तर्गत दिये गये किसी रिवाइजिंग प्राधिकारी के द्वारा यदि सजा को उस प्रकार से बढ़ायी या संशोधित की जाने वाली हो अथवा कोई ऐसी सजा दी जानी हो जो कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हो तो मूल आदेश के छः महीनों के बाद और यदि सजा को कम किया जाना हो तो मूल आदेश के एक वर्ष के बाद। उपबन्ध यह भी है कि रेलवे बोर्ड अथवा क्षेत्रीय रेल के महाप्रबन्धक अथवा उनके समकक्ष रेलवे की किसी इकाई के अन्य प्राधिकारी, यदि वे अपीलीय प्राधिकारी से श्रेष्ठ हो तो, बिना किसी समय सीमा के रिवीजन प्रतिवेदन पर विचार कर सकते हैं। राष्ट्रपति, यदि वे अपीलीय प्राधिकारी रह चुके हो तो भी रिवीजन प्रतिवेदन पर बिना समय सीमा के विचार कर सकते हैं।

स्पष्टीकरण : इस नियम के अन्तर्गत रिवीजन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की समय सीमा की गणना संशोधित आदेश जारी किये जाने की तिथि से की जायेगी। यदि मूल आदेश को अपीलीय अधिकारी द्वारा यथावत् रखा गया हो तो समय सीमा की गणना अपीलीय आदेश जारी होने की तिथि से की जायेगी।

टिप्पणी : रिवीजन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा रिवीजन किये जाने वाले आदेश की कर्मचारी के द्वारा प्राप्ति के 45 दिनों अन्दर निर्धारित की गयी है। यदि अनुशासनिक प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील न की गयी हो तो 45 दिनों की निर्धारित अवधि की गणना उस तिथि से की जायेगी जिस दिन अपील के लिए निर्धारित समय सीमा समाप्त होती हो।

परन्तु यदि रिवीजन के आवेदक द्वारा प्रस्तुत विलम्ब के कारणों से प्राधिकारी सन्तुष्ट हो तो 45 दिनों की निर्धारित समय सीमा के बाद भी रिवीजन का प्रतिवेदन विचारार्थ स्वीकार कर सकते हैं।

रिवीजन सम्बन्धी महत्वपूर्ण तथ्य :–

i. रिवीजन के लिए निर्धारित 45 दिनों की समय सीमा की गणना उस दिन से की जायेगी जिस दिन रिवीजन किया जाने वाला आदेश पारित किया गया था। यदि रिवीजन प्रतिवेदन किसी अपीलीय आदेश के विरूद्ध हो तो यह अवधि अपीलीय आदेश जारी होने की तिथि से गिनी जायेगी।

ii. महाप्रबन्धक से नीचे स्तर का कोई भी प्राधिकारी बिना समय सीमा के रिवीजन नहीं कर सकता है।

iii. समय सीमा बढ़ाने के उद्देश्य से पूर्व आदेश को रद्द करके तथा नया आदेश जारी करके भी निर्धारित समय सीमा नहीं बढ़ाई जा सकती है।

iv. किसी मामले पर एक बार रिवीजन करने वाले प्राधिकारी का उस मामले में अधिकार समाप्त हो जाता है तथा वह उस आदेश का पुनः रिवीजन नहीं कर सकता है।

v. यदि रिवीजन की जाने वाली सजा एक से अधिक बार बढ़ाई गयी हो तो रिवीजन की अवधि अन्तिम बार बढ़ाई गयी सजा की अवधि से जोड़ी जायेगी न कि मूल आदेश की तिथि थे।

vi. रेलवे बोर्ड अथवा महाप्रबन्धक को छोड़कर अन्य कोई प्राधिकारी बिना समय सीमा के किसी आदेश का रिवीजन नहीं कर सकता है। वे भी ऐसा तभी कर सकेगें जब वे अपीलीय प्राधिकारी के ऊँचे स्तर के हो। यदि उपरोक्त दोनों प्राधिकारी किसी मामले में अपीलीय प्राधिकारी रह चुके हों तो वे उसी मामले में रिवाइजिंग प्राधिकारी नहीं रह सकते हैं। यह अधिकार केवल राष्ट्रपति को ही है कि वे किसी मामले में अपीलीय प्राधिकारी रह चुकने के बावजूद भी रिवाइजिंग प्राधिकारी रह सकते हैं।

vii. यदि रिवीजन आवेदन पर विचार किये जाने की अवधि में ही सम्बन्धित रेल सेवक की मृत्यु हो जाती है तो भी उसके प्रतिवेदन पर गुणदोष के आधार पर निर्णण लिया जायेगा।

viii. नियय–25 के अन्तर्गत स्वयं के द्वारा पारित आदेश का रिवीजन करने का अधिकार राष्ट्रपति को छोड़कर अन्य किसी रिवाइजिंग प्राधिकारी को नहीं है।

रिव्यू (नियम–25–ए)

''रिव्यू'' का हिन्दी में शाब्दिक अर्थ है ''फिर से देखना'', अर्थात् किसी अनुशासनिक जाँच प्रक्रिया में किये गये आदेशों को फिर से देखना तथा आवश्यकतानुसार उन पर आदेश पारित करना।

यदि किसी विभागीय अनुशासनिक प्रक्रिया की समाप्ति के पश्चात ऐसा कोई नया तथ्य जानकारी में आता है अथवा दिया जाता है जो नियमित जाँच प्रक्रिया के दौरान सम्बन्धित आदेश पारित करते समय उपलब्ध नहीं था या किन्हीं कारणों से प्रस्तुत नहीं किया जा सका था परन्तु जिससे मामले की मूल प्रकृति ही बदल जाती हो तो राष्ट्रपति स्वेच्छा से अथवा अन्य किसी आधार पर किसी आदेश का पुनर्विलोकन (रिव्यू) कर सकते हैं।

इस सम्बन्ध में उपबन्ध यह है कि इन नियम के अन्तर्गत राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी दण्ड तब तक नहीं दिया जा सकता है जब तक सम्बन्धित रेल सेवक को प्रस्तावित सजा के विरूद्ध प्रतिवेदन देने का अवसर न प्रदान किया गया हो अथवा नियमों के अनुसार दीर्घ दण्ड दिये जाने वाले आदेश के तहत दिये गये लघु दण्ड को बढ़ाकर दीर्घ दण्ड दिये जाने की सम्भावना होने पर नियम–9 के अन्तर्गत, नियम–14 की परिस्थितियॉ न होने पर, विस्तृत अनुशासनिक जाँच न कर ली गयी हो अथवा जहाँ आवश्यक हो वहाँ संघीय लोक सेवा आयोग की परामर्श न ली गयी हो।

रिवीजन को यदि दूसरी अपील कहाजाये तो अनुपयुक्त नहीं होगा क्योंकि अपीलीय आदेश के बाद रिवीजन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए भी 45 दिनों का ही समय दिया गया है तथा नियमानुसार रिवीजन के प्रतिवेदन पर उसी प्रकार से विचार किया जाना है जैसे अपील के प्रतिवेदन पर।

रिवीजन के प्रतिवेदन के निष्पादन के लिये निम्नलिखित समय सीमा निर्धारित की गयी हैः–

i. यदि अपील के स्तर पर दी गयी सजा को बढ़ाना हो तो छःमहीने, और
ii. यदि सजा को कर्मचारी के पक्ष में घटना हो तो एक वर्ष।

परन्तु राष्ट्रपति, रेलवे बोर्ड तथा महाप्रबन्धक बिना किसी समय सीमा के रिवीजन प्रतिवेदन पर विचार करके आदेश पारित कर सकते हैं।

आदेशों एवं नोटिसों की तामीलः– (नियम–26)

इन नियमों के अन्तर्गत जारी किये गये सभी आदेश, सूचनायें तथा प्रक्रिया सम्बन्धी आदेश या तो रेल सेवक को हाथोहाथ दिये जायेगें या निलम्बिध्त डाक से भेजे जायेगें।

राष्ट्रपति व रेलवे बोर्ड की ओर से जारी किये गये आदेशों व सूचनायें आदि की तामीलः(नियम–26ए)

राष्ट्रपति अथवा रेलवे बोर्ड के द्वारा इन नियमों के अन्तर्गत जारी किये गये आदेशों तथा सूचनाओं पर रेल मंत्रालय का निम्नलिखित में से कोई भी अधिकारी हस्ताक्षर के लिए सक्षम होगाः–

1. सचिव, रेलवे बोर्ड /निदेशक।
2. संयुक्त सचिव /अवर निदेशक।
3. सहायक सचिव /संयुक्त निदेशक।

इन नियमों के अन्तर्गत निर्धारित समय सीमाओं में छूट देने व विलम्ब माफ करने सम्बन्धी शक्तियॉः– (नियम–27)

जब तक इन नियमों के अन्तर्गत अन्य कोई प्रावधान न किया गया हो जब तक सुसंगत एवं पर्याप्त कारणों से सन्तुष्ट होने पर अथवा कर्मचारी के द्वारा आवेदन दिए जाने पर, विभिन्न नियमों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए दी गयी समय सीमा को बढ़ाने तथा उससे हुए विलम्ब को माफ करने के लिए वही प्राधिकारी सक्षम होगा जिसे इन नियमों में विभिन्न उद्देश्यों के लिये आदेश पारित करने हेतु सक्षम बनाया गया हो।

संघ लोक सेवा आयोग की परामर्श की प्रति कर्मचारी को प्रदान करनाः– (नियम–28)

यदि इन नियमों के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसी मामले में संघ लोक सेवा आयोग की परामर्श ली जाती है तो उस मामले में पारित किसी आदेश के साथ आयोग के परामर्श की प्रति अथवा यदि परामर्श से असहमति हो तो असहमति के कारणों की प्रति उक्त आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी को दी जायेगी।

निरसन एवं व्यावृत्तियॉ (रिपील्स एवं सेविंग्स):– (नियम–29)

इन नियमों के द्वारा पहली अगस्त 1961 से लागू रेलवे सुरक्षा बल के रेल सेवकों को छोड़कर अन्य रेल सेवकों पर लागू होने वाले रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम तथा उसके तहत जारी किये गये ऐसे आदेश जो इन नियमों से मेल नहीं खाते हैं, को निरसित (रिपील) कर दिया गया है।

शंका समाधानः– (नियम–30)

यदि इन नियमों के किसी प्रावधान की व्याख्या के सम्बन्ध में कोई उत्पन्न होती है तो उस मामले को रेलवे बोर्ड के माध्यम से राष्ट्रपति के पास भेज कर उनका निर्णय प्राप्त किया जायेगा।

राष्ट्रपति के नाम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने सम्बन्धी अधिकारीः– (नियम–31)

इन नियम के किसी प्रावधान पर ध्यान न देते हुए कोई भी रेल सेवक भारतीय रेल स्थापना संहिता भाग–ा (पंचम संस्करण, 1985) के संलग्नक–ाा में निहित निर्देशों के तहत राष्ट्रपति की सेवा में आवेदन प्रस्तुत करने के अधिकारी से इन नियमों द्वारा वंच्छित नहीं किया जा सकेगा।

अनुशासनिक जाँच कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाले मानक प्रपत्रों (फार्म) की सूचीः–

मानक प्रपत्र संख्या	विवरण
1.	नियम 5 (1) के तहत निलम्बन आदेश।
2.	नियम 5 (2) के तहत कल्पित (डीम्ड) निलम्बन आदेश।
3.	नियम 2043 (1) आर–II के तहत निलम्बित कर्मचारी के द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण–पत्र।
4.	नियम 5 (5) (सी) के तहत निलम्बन आदेश प्रतिसंहरित (रिवोक) करने का आदेश।
5.	नियम (9) के अन्तर्गत दीर्घ दण्डा रोपण के लिए आरोपपत्र।
6.	दस्तावेजों के निरीक्षण की सुविधा न देने का आदेश।
7.	जाँच बोर्ड /जाँच अधिकारी की नियुक्ति का आदेश।
8.	उपस्थापना अधिकारी की नियुक्ति का आदेश।
9.	जारी नहीं किया गया है।
10.	सम्मिलित (कामन) कार्यवाही के नियमों के तहत कार्यवाही करने का आदेश।
10.(ए)	सम्मिलित जाँच कार्यवाही के तहत जाँच अधिकारी की नियुक्ति।
10.(बी)	सम्मिलित जाँच कार्यवाही के लिए उपस्थापना अधिकारी की नियुक्ति।
11.	लघु आरोप पत्र (लघु दण्डारोपण के लिए)।
11.(बी)	अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियम 11 (1) बी /II के तहत लघु आरोपपत्र जारी किये जाने की स्थिति में अनुशासनिक जाँच कार्यवाही चालू करने सम्बन्धी आरोप पत्र।
11.(सी)	पहले दीर्घ दण्डा रोपण के लिए आरोपत्र जारी किये जाने की स्थिति में लघु दण्डारोपण कार्यवाही करने के लिये।
12.	नियम 14(1) के तहत कार्यवाही करने के लिए ज्ञापन।
13.	नियम 2308 आर–II (1958 संस्करण) के तहत सेवानिवृत रेल कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए ज्ञापन। [Rly Bd's letter No.: E(D&A)74 RG 6-41 dt. 29.10.74 (NR PS 6228)]
14.	नियम 2308 आर–II (1958 संस्करण) के तहत सेवानिवृत रेल कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु जाँच कार्यवाही के लिए मानक आरोपपत्र। [Rly Bd's letter No.: E(D&A)74 RG 6-41 dt. 29.10.74 (NR PS 6228)]

रेल सेवा (आचरण) नियम–1966 (Appendix-I of IREC-I

(Railway Service Conduct Rules - 1966)

रेल कर्मचारी रेल सेवा (आचरण) नियम–1966 से शासिल है, जो आचरण के स्तर को निर्धारित करता है तथा यह प्रत्येक रेल कर्मचारी व उसके परिवार के सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वे पालन करेगें।

रेल सेवा आचरण नियम का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–नियम–3 :सामान्य – प्रयेक रेल सेवक हर समय (RBE 01/15)

i. पूर्ण रूप से सत्यनिष्ठ रहेगा,
ii. कर्त्तव्य परायण रहेगा,
iii. ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो किसी रेल अथवा रेल कर्मचारी के लिए अशोभनीय हो,
iv. सविधान की सर्वोच्चता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति वचनबद्ध रहेगा,
v. भारत की संप्रभुता और अखण्डता, राष्ट्र, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टता एवं नैतिकता की रक्षा करेगा एवं उसकी मर्यादा को बनाए रखेगा,
vi. उच्च नैतिक मानकों और ईमानदारी को बनाए रखेगा,
vii. राजनीतिक तटस्थता बनाए रखेगा,
viii कर्त्तव्यों के निर्वहन में योग्यता, ईमानदारी और निष्पक्षता के सिद्धांतों को बढावा देगा,
ix. जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखेगा,
x. जनता, विशेषतः कमजोर वर्गों के प्रति अनुक्रियाशील बना रहेगा,
xi. जनता के साथ शिष्ट और सद्व्यवहार बनाए रखेगा,
xii. केवल लोकहित में निर्णय लेगा, सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग कार्यकुशलता और प्रभावी ढंग से तथा मितव्ययिता से करेगा और करवायेगा,
xiii अपने सार्वजनिक कर्त्तव्यां से जुड़े किसी निजी हित को प्रकट करेगा एवं किसी अंतर्विरोध का समाधान करने के लिए ऐसे कदम उठाएगा जिससे लोक हित की रक्षा होती हो,
xiv. किसी व्यक्ति अथवा संगठन से किसी प्रकार का वित्तिय तथा अन्य प्रकार का आभार स्वीकार नहीं करेगा जिससे सरकारी कार्य का निष्पादन प्रभावित हो,
xv. रेल सेवक के रूप में अपने पद का दुरूपयोग नहीं करेगा और न ही स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए या मित्रों के लिए वित्तिय अथवा भौतिक संसाधन के रूप में लाभ प्राप्त करने के लिए कोई निर्णय लेगा,
xvi केवल योग्यता के आधार पर निर्वचन करेगा, निर्णय लेगा और सिफारिश करेगा,
xvii ईमानदारी एवं निष्पक्षता से कार्य करेगा एवं किसी के प्रति विशेषकर समाज के गरीब एवं सुविधाओं से वंचित वर्गों के प्रति भेदभाव नहीं करेगा,
xviii किसी कानून, नियम, विनियम, एवं स्थापित परिपाटियों के विरूद्ध कोई कार्य करने से विरत रहेगा,
xix. अपने कर्त्तव्य पालन के प्रति अनुशासित रहेगा और स्वयं को संसुचित विधि सम्मत आदेशों का पालन करेगा,
xx. तत्सामयिक किसी कानून में की गई अपेक्षा के अनुसार विशेषकर ऐसी सूचना, जिसके प्रकटन से भारत की संप्रभुता एवं अखण्डता, राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध के लिए दुष्प्रेरणा मिलती हो या किसी व्यक्ति को अवैध या गैर–कानूनी लाभ प्राप्त होता हो, के सम्बन्ध में अपने शासकीय दायित्व का निर्वहन करते हुए गोपनीयता बनाए रखेगा,
xxi. अपनी उच्चतर पेशेवर योग्यता और समर्पण के साथ कर्त्तव्य का निर्वहन करेगा

नोट– कोई सरकारी कर्मचारी अगर अपने सेवा सम्बन्धी विषय, अधिकारी या शर्तों के सम्बन्ध में दावे पर जोर देना चाहता हैं या अपनी शिकायत का समाधान चाहता हैं तो उसका सही तरीका

यह है कि वह अपने अधिनस्थ या कार्यालय प्रधान या उस प्राधिकारी को प्रेषित करें जो संस्थान में सम्बन्धित विषय के निष्पादन में सक्षम हो। संवाद के निर्धारित माध्यमों की उपेक्षा करते हुए प्रत्यावेदनों को सीधे ही अन्य प्राधिकारी को प्रस्तुत करने पर, मामले को गम्भीरता से लेते हुए समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिये। (RBE 162/15)

पर्यवेक्षकीय पद धारण करने वाला प्रत्येक रेल सेवक अपने अधीन कार्यरत सभी रेल सेवकों की निष्ठा तथा कर्त्तव्यपरायणता सुनिश्चित करने के लिए हर सम्भव उपाय करेगा। कोई भी रेल सेवक अपने कार्य निष्पादन में अथवा उसे प्रदान किये गए अधिकारों के प्रयोग में, उस स्थिति को छोड़कर जिसमें वह किसी पर्यवेक्षक के निर्देशन में कार्य कर रहा है, अपने श्रेष्ठतम विवेक का प्रयोग करेगा, परन्तु यदि वह किसी वरिष्ठ पर्यवेक्षेक के निर्देशन में कार्य कर रहा है तो इसके लिए यथा सम्भव लिखित अनुमोदन प्राप्त करना होगा और यदि किसी कारणवश लिखित अनुमोदन तत्काल प्राप्त करना सम्भव न हो तो ऐसी स्थिति में वह कार्य निष्पादन के तुरन्त बाद उसकी लिखित पुष्टि सम्बन्धित प्राधिकारी से प्राप्त करेगा।

रेल सेवक का परिवार के सदस्यों के उचित भरण–पोषण के सम्बन्ध में आचरण

रेल सेवक का यह दायित्व है कि वह अपने परिवार के सदस्यों का उचित भरण पोषण /देखभाल करें ऐसा न करने पर वह रेल सेवा आचरण नियम 1966 के उल्लंधन का दोषी माना जायेगा, जो रेल सेवक के लिये अशोभनीय है। उन सभी मामलों में जहॉ जाँच के दौरान शिकायत में प्रथम दृष्टया यह पाया जाता है कि रेल सेवक अपने परिवार के सदस्यों का उचित भरण–पोषण नहीं कर रहा है तो उन शिकायतों की RS(D&R) नियम 1968 के नियम–6 के तहत जाँच कर कार्यवाही की जायेगी। (RBE 62/05)

3.(अ) तत्परता एवं शिष्टाचार – कोई भी रेल सेवक (RBE 101/95)

i. अपनी सरकारी सेवा के दौरान अशिष्ट तरीके से कार्य व व्यवहार नहीं करेगा।
ii. सरकारी कामकाज में आम जनता के साथ व्यवहार करते समय विलम्बकारी प्रवृत्ति नहीं अपनायेगा अथवा उसको सौंपे गए निर्धारित कार्य के निष्पादन में जानबूझकर विलम्ब नहीं करेगा।

यदि कोई सरकारी कर्मचारी पशुओं के प्रति क्रूरता (मारना, पीटना, ज्यादा बोझ लादना, ज्यादा काम लेना, परेशान करना अथवा अनावश्यक रूप से जानवरों को दुःख तकलीफ पहुॅचाने) जैसे कार्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण सम्बन्धी अधिनियम 1960 के तहत कार्यवाही का पात्र तो है तथा इस अधिनियम के तहत दण्ड के अलावा उसके विरूद्ध रेल सेवक के अशोभनीय आचरण के नियम के तहत कार्यवाही भी की जा सकती है। (RBE 130/06)

3.(ब) सरकारी नीतियों का अनुसरण– प्रत्येक रेल सेवक सदैव (RBE 130/06)

i. विवाह के लिए निर्धारित आयु, पर्यावरण की सुरक्षा, वन्य जीवन तथा सांस्कृतिक विरासत के संरक्षा के सम्बन्ध में सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों का अनुसरण करेगा,
ii. महिलाओं के प्रति अपराध उन्मूलन सम्बन्धी नीतियों का अनुसरण करेगा।

3.(स)कामकाजी महिलाओं के नैंगिक उत्पीड़न पर प्रतिबन्ध–(RBE 96/98,148/98,02/15,105/15,114/15)

(1) कोई भी रेल सेवक किसी भी कार्यस्थल पर किसी भी महिला के लैंगिक उत्पीड़न सम्बन्धी किसी कार्य में लिप्त नहीं होगा,
(2) प्रत्येक रेल सेवक, जो कार्यस्थल का प्रभारी है, अपने कार्यस्थल पर किसी भी महिला का लैंगिक उत्पीड़न रोकने के लिए समुचित कदम उठायेगा, स्पष्टीकरण – (1) इस नियम के प्रयोजनार्थ :–

(क) लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक निंदनीय कार्य या

व्यवहार (चाहे प्रत्यक्ष रूप से या तात्पर्यित) सम्मिलित हैं, अर्थात् :–

i. शारीरिक सम्पर्क और फायदा उठाना, या
ii. लैंगिक पक्षपात की माँग या अनुरोध करना, या
iii. लैंगिक अर्थ वाली टिप्पणियॉ करना, या
iv. अश्लील साहित्य दिखाना, या
v. लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य निंदनीय शारीरिक, शाब्दिक, गैर–शाब्दिक आचरण करना,

(ख) अन्य परिस्थितियों के साथ ही निम्नलिखित परिस्थितियों को, यदि लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य या आचरण के संबंध में उत्पन्न होती हैं या विद्यमान है, या उससे संबंधित है, लैंगिक उत्पीड़न माना जा सकेगाः–

i. उसके नियोजन में अधिमानी व्यवहार का अंतर्निहित या स्पष्ट वचन देना, या
ii. उसके नियोजन में अहितकार व्यवहार का अंतर्निहित या स्पष्ट धमकी देना, या
iii. उसकी वर्तमान या भावी नियोजन के प्रास्थिति के बारे में अंतर्निहित या स्पष्ट धमकी देना, या
iv. उसके कार्य में हस्तक्षेप करना या उसके लिए अभित्रासमय या आपराधिक या शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण सृजित करना, या
v. उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित कर सकने वाला अपमानजनक आचरण करना.

(ग) ''कार्यस्थल'' में निम्नलिखित शामिल हैः–

i. ऐसा कोई विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उघम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट जो केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या पूर्णतः या भागतः उसके द्वारा प्रत्येक रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित की जाती है,
ii. अस्पताल या परिचर्या गृह,
iii. प्रशिक्षण, खेलकूद या उससे सम्बन्धित अन्य क्रियाकलापों के लिए प्रयुक्त, कोई खेलकूद संस्थान, स्टेडियम, खेलकूद कॉम्पलेक्स या प्रतिस्पर्धा या क्रीड़ा का स्थान, चाहे आवासीय हो या नहीं,
iv. नियोजन से प्रोदभूत या उसके प्रक्रम दौरान कर्मचारी द्वारा भ्रमण किया गया कोई स्थान, जिसके अंतर्गत ऐसी यात्रा के लिए नियोजक द्वारा उपलब्ध कराया गया परिवहन भी है,
v. कोई निवास– स्थान या कोई गृह.

[Algnment of service Rules with the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibitio and Redressal) Act 2013 – RBE 15/15 के अन्तर्गत प्रसारित किया गया हैं तथा इसमें अन्य बातों के अलावा झुठी या दुर्भावपूर्ण शिकायत (false or malicious complaint) तथा झूठी गवाही (false evidence) के लिए दण्ड का प्रावधान भी किया गया है।]

नियम–4 : कम्पनी /फर्म में रेल सेवक के नजदीकी रिश्तेदार को रोजगार

1. कोई भी रेल सेवक अपने पद या प्रभाव का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल करके किसी कम्पनी /फर्म में अपने परिवार के किसी सदस्य को रोजगार नहीं दिलाएगा।
2. कोई भी ग्रुप–ए अधिकारी सरकार की पूर्वानुमति के बिना अपने पुत्र, पुत्री या आश्रितों को ऐसी कम्पनी या फर्म में नौकरी नहीं लगायेगा, जिसके साथ उसका कार्यालयी व्यवहार हो या किसी ऐसी कम्पनी /फर्म में जिसका सरकार से कार्यालयिक सम्बन्ध (Offical dealing) हो।
3. कोई भी रेल सेवक अपनी सरकारी सेवा के निर्वाहन के क्रम में ऐसी कम्पनी या फर्म जिसमें उसके परिवार का कोई सदस्य कार्यरत है, के हित में कोई संविदा स्वीकृत नहीं करेगा। इस तरह के मामलें व संविदा अगर कोई है तो उन्हें अपने उच्चतर प्राधिकारी को भेजेगा।

नियम–5 : राजनेतिक गतिविधियों और चुनावों में भाग लेना–

1. कोई भी रेल सेवक किसी राजनेतिक पार्टी अथवा ऐसे संगठन से जो राजनेतिक गतिविधियों से जुड़ा हो, वह न तो उसका सदस्य होगा न ही उससे कोई सम्बन्ध रखेगा।
2. प्रत्येक रेल सेवक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह अपने परिवार के सदस्यों को किसी भी राष्ट्र

विरोधी आंदोलन अथवा गतिविधियों में भाग लेने से रोकेगा।

3. निर्वाचनों के सम्बन्ध में रेल सेवक को न केवल निष्पक्ष होना चाहिए वरन् उन्हें चाहिए कि वे निष्पक्ष दिखाई भी दे। उन्हें निर्वाचन अभियानों में भाग नहीं लेना चाहिए न ही उन्हें प्रचार करना चाहिए और ना ही उन्हें किसी उम्मीदवार के निर्वाचन ऐजेण्ट या गणना ऐजेण्ट के रूप में काम ही करना चाहिए।

नियम–6 : रेल सेवक द्वारा संघ अथवा संगठन में शामिल होना–

कोई भी रेल सेवक ऐसे किसी संघ या संगठन की सदस्यता ग्रहण नहीं करेगा और न ही उसकी किन्ही गतिविधियों में भाग लेना जिसका उद्धेश्य भारत की एकता, अखंडता व सम्प्रभुता को नुकसान पहुॅचाना हो। जब कोई रेल सेवक राजपत्रित अधिकारी के रूप में पदोन्नत हो जाता है तो उसे अराजपत्रित कर्मचारियों के संगठन से त्यागपत्र देना होगा। लेकिन अगर उसके सदस्य बने रहने से संगठन लाभांवित होता है तो वह उस संघ या संगठन का केवल एक साधारण सदस्य तभी रह सकता जब वह महाप्रबंधक को इस तथ्य से संतुष्ट कर दें कि वह केवल साधारण सदस्य के रूप में संगठन की कल्याणकारी योजनाओं में सहयोग करेगा।

नियम–7 : प्रदर्शन–

कोई भी रेल सेवक किसी ऐसे प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा जिससे भारत की एकता एवं सम्प्रभुता, राष्ट्र की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ मेत्रीपूर्ण संबंधों, जनता की शांति एवं सुव्यवस्था, शालीनता एवं नैतिकता पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो या किसी न्यायालय की मानहानी होती है अथवा किसी अपराध को बढ़ावा मिलता हो।

नियम–8 : प्रेस एवं रेडियों से सम्बन्ध रखना–

कोई भी रेल सेवक सरकार की पूर्वानुमति के बिना कलात्मक, साहित्यिक व वैज्ञानिक मामलों को छोड़कर किसी पुस्तक प्रकाशन अथवा समाचार पत्र के सम्पादन का कार्य नहीं करेगा और ना ही प्रेस, रेडियों व टीवी से कोई सम्बन्ध ही रखेगा।

नियम–9 : सरकार की आलोचना–

कोई भी रेल सेवक अपने नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से किसी रेडियो प्रसारण या किसी लेखन या प्रकाशन के माध्यम से सरकार की ऐसी आलोचना नहीं करेगा और न ही इस सम्बन्ध में किसी प्रेस से ऐसा पत्राचार करेगा और न आम जनता के समक्ष ऐसा वक्तव्य देगा जिससे केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की घोषित वर्तमान किसी नीति की विपरीत आलोचना होती है अथवा केनद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच के सम्बन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो अथवा केन्द्र सरकार व किसी विदेशी सरकार के सम्बन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, अथवा

नियम–10 : किसी जॉच समिति अथवा प्राधिकारी के समक्ष गवाही देना–

कोई भी रेल सेवक सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी व्यक्ति जॉच समिति या अधिकारी के समक्ष गवाही नहीं देना अथ्वा जॉच के दौरान केन्द्र या राज्य सरकार की नीतियों या की गई कार्यवाही की आलोचना नहीं करेगा।

नियम–11 : आधिकारिक सूचनाओं का सम्प्रेषण–

प्रत्येक रेल सेवक अपने कर्त्तव्य के अनुपालन में सहस विश्वास (Good faith) के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 [(22) 2005] एवं इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी व्यक्ति को सूचना का सम्प्रेषण कर सकता है। बशर्ते कोई भी रेल सेवक इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा बनाए गए सामान्य अथवा विशेष आदेशों के अनुपालन में सहस विश्वास के बिना प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने पद से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के सरकारी दस्तावेज या उसका कोई अंश या कोई वर्गीकृत सूचना किसी अन्य रेल सेवक को नहीं देगा और किसी अनाधिकृत व्यक्ति को ऐसी सूचनाएं उपलब्ध नहीं करायेगा जो उन सूचनाओं को प्राप्त करने का वैद्यानिक अधिकारी न हो।
(RBE 22/06)

नियम–12 : अंशदान–

प्रत्येक रेल सेवक सरकार की पूर्वानुमति के बिना किसी प्रकार का अंशदान न तो स्वयं मॉगेगा

और न ही स्वीकार करेगा और न ही किसी भी रूप में इस तरह की धन की उगाही गतिविधि से अपने को सम्बन्धित रखेगा।

नियम–13 : उपहार–

1. कोई भी रेल सेवक अपने परिवार के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति को अपनी ओर से उपहार लेने की न तो अनुमति देगा न ही स्वयं स्वीकार करेगा (मुफ्त यातायात, भोजन, आवास, अन्य सेवा अथवा निकट सम्बन्धी और मित्र जिनका रेल सेवक के साथ सरकारी व्यवहार नहीं है के अलावा किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया धन सम्बन्धी लाभ उपहार में शामिल हैं) रेल सेवक को अपनी सरकारी कामकाज से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों, औद्योगिक अथवा व्यवसायिक फर्मों द्वारा दिया गया खर्चीला स्वागत या बार–बार स्वागत स्वीकार नहीं करना चाहिए। (RBE 108/09 &70/11)
2. रेल सेवक शादी, वर्षगांठ, श्राद्ध अथवा अन्य धार्मिक उत्सवों पर प्रचलित धार्मिक एवं सामाजिक रीतियों के अनुसार अपने निकटतम रिश्तेदारों से उपहार प्राप्ति कर सकता है, परन्तु उपहार का मूल्य निम्न दर्शायी गई राशि से अधिक हो तो से इसकी सूचना सरकार को देनी होगीः– (RBE 59/04 & 01/15)

i. ग्रुप ''ए'' पद पर कार्यरत रेल कर्मचारी के मामले में रूपये 25000/–
ii. ग्रुप ''बी'' पद पर कार्यरत रेल कर्मचारी के मामले में रूपये 15000/–
iii ग्रुप ''सी'' पद पर कार्यरत रेल कर्मचारी के मामले में रूपये 75000/–
iv ग्रुप ''डी' पद पर कार्यरत रेल कर्मचारी के मामले में रूपये 1000/–

3. उपरोक्त वर्णित अवसरों पर रेल सेवक अपने निजी मित्रों, जिनसे उसका शासकीय सम्बन्ध न हो, से उपहार प्राप्त कर सकता है, परन्तु यदि उस उपहार का मूल्य निम्नानुसार निर्धारित सीमा से अधिक हो तो इसकी सूचना सरकार को देनी होगी :–

i. ग्रुप ''ए'' व ''बी'' पद पर कार्यरत रेल सेवक कर्मचारी के मामले में रूपये 1500/–
ii. ग्रुप ''सी'' व ''डी'' पद पर कार्यरत रेल कर्मचारी के मामले में रूपये 500/–

नोटः– जहॉ पुरस्कार की राशि उपहारों आदि के माध्यम से वितरित की जानी होती हैं, जिसमें व्यय शामिल हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त ध्यान दिया जाये कि ऐसी खरीद करते समय सामान्य खरीद प्रक्रिया का पालना किया जाता है। (RBE 08/12)

नियम–13ए : दहेज–

i. कोई भी रेल सेवक न तो दहेज देगा और न दहेज लेना और न ही ऐसे लेनदेन को प्रोत्साहित करेगा।
ii. कोई भी रेल सेवक दुल्हा या दुल्हन, जो भी हो, के रिश्तेदारों, माता–पिता या अभिभावक से प्रत्येक या परोक्ष रूप से दहेज की मॉग नहीं करेगा।

नियम–14 : रेल सेवक के सम्मान में प्रदर्शन–

कोई भी रेल सेवक सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी प्रकार का अभिनन्दन अथवा विदाई भाषण, न तो स्वीकार करेगा और न ही कोई प्रशस्ति पत्र प्राप्त करेगा और नहीं वह अपने अथवा किसी अन्य रेल सेवक के अभिनन्दन समारोह में भाग लेगा।

परन्तु यह निम्न मामलों में लागू नहीं होगा :–

i. किसी भी रेल सेवक या किसी सरकारी कर्मचारी के स्थानान्तरण, सेवानिवृति या वह व्यक्ति जिसने हाल ही में सरकारी नौकरी छोड़ दी है, के विदाई समारोह पर आयोजित व्यक्तिगत एवं औपचारिक समारोह आदि।
ii. ऐसे अवसरों पर जनसंस्थाओं के द्वारा आयोजित कम खर्चीले मनोरंजन के कार्यक्रम भी इस नियम की सीमा में नहीं आयेगें।

नियम–15 : निजी व्यापार या नौकरी–

कोई भी रेल सेवक सरकार की बिना पूर्व स्वीकृति के :–

अ. किसी व्यापार या व्यवसाय से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई सम्बन्ध नहीं रखेगा।

ब. न तो कोई अन्य रोजगार ग्रहण करेगा और ना ही उसके लिए कोई वार्ता ही करेगा हालांकि रेल कर्मचारी कभी–कभी किये जाने वाले सामाजिक व चेरीटेबल प्रकृति के कार्य अथवा साहित्यिक कलात्मक अथवा वैज्ञानिक प्रकृति के कार्य कर सकता है।

स. चुनावी कार्यालय में किसी प्रत्यासी का प्रचार–प्रसार नहीं करेगा, न ही चुनावी कार्यालय का कार्यभार ग्रहण करेगा।

द. किसी भी बीमा कम्पनी अथवा कमीशन एजेन्सी के व्यापार के प्रचार–प्रसार में न तो खुद भाग लेगा न ही अपने परिवार के किसी सदस्य को भाग लेने देगा।

य. व्यावसायिक दृष्टिकोण से किसी बैंक या कम्पनी या को–ऑपरेटिव सोसायटी के रजिस्ट्रेशन, प्रोन्नयन तथा प्रबन्धन में भाग नहीं लेगा।

र. निम्नलिखित गतिविधियों में हिस्सा व सहभागगिता नहीं करेगाः– (RBE 12/97)

i. प्रायोजित मीडिया (रेडियो अथवा दूरदर्शन) कार्यक्रम, अथवा
ii. सरकार द्वारा शुरू लेकिन प्राईवेट एजेन्सी द्वारा निर्मित मीडिया प्रोग्राम, अथवा
iii. विडियों मैगजीन सहित निजी रूप से निर्मित मीडिया प्रोग्राम

नियम–15ए : <u>सरकारी आवास को किराये पर देना तथा आवासों को खाली न करना</u>– (RBE 12/97)

i. कोई भी रेल सेवक अपने नाम से आबंटित सरकारी आवास को किसी अन्य व्यक्ति को किराये पर अथवा पट्टे पर रहने के लिए नहीं देगा।
ii. रेल सेवक के सरकारी आवास के आबंटन को निरस्त करने पर, आबंटित अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में आवास को खाली करना होगा।

नियम–16 : <u>निवेश, धन उधार देना या लेना</u> –

1. कोई भी रेल सेवक किसी स्टाक, शेयर अथवा अन्य निवेश में सट्टा नहीं लगायेगा। लेकिन यह उपनियम उस अवस्था में लागू नहीं होगा जब यदा–कदा निवेश स्टॉक ब्रोकर अथवा अन्य ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से जो विधि द्वारा इस कार्य हेतु प्राधिकृत है अथवा जिनके पास सम्बन्धित नियम के अन्तर्गत प्रमाण–पत्र है, के मार्फत् किया जाता है। (RBE 12/97)
2. किसी भी रेल सेवक को या उसके परिवार के किसी सदस्य अथवा अन्य व्यक्ति को वह निवेश करने की अनुमति नहीं है जिससे उसके शासकीय कार्य के निर्वाह में बाधा हो। इस प्रयोजन के लिए कम्पनी निर्देशक अथवा मित्र और सहयोगी के आरक्षित कोटे से किसी शेयर की खरीद को निवेश माना जायेगा जो रेल सेवक को उलझन में डाल सकता है। (RBE 12/97)
3. कोई भी रेल सेवक जिसका सम्बन्ध केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम के प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव की कीमत निर्धारण प्रक्रिया से है तो वह उसके प्रारम्भिक पब्लिक प्रस्ताव के शेयर के आबंटन अथवा ऐसे केन्द्रीय अथवा उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से उसमें सम्मिलित नहीं होगा। (RBE 128/09)
4. कोई भी रेल सेवक किसी बैंक अथवा पब्लिक लि. कम्पनी के साथ साधारण आम कारोबार को छोड़कर निम्नलिखित में से कोई कार्य न तो स्वयं करेगा न ही अपने परिवार के किसी सदस्य को ऐसा करने की अनुमत देगा :–

क किसी व्यक्ति अथवा फर्म, कम्पनी के प्रमुख अथवा एजेण्ट के रूप में धन उधार देना, लेना अथवा जमा करना जिनके साथ उसके शासकीय सम्बन्ध होने की सम्भावना हो अथवा ऐसे व्यक्ति, फर्म अथवा प्राइवेट लि. कम्पनी को आर्थिक लाभ पहुँचाता हो, अथवा

ख किसी व्यक्ति को ब्याज पर धन उधार देना बशर्ते रेल सेवक बिना ब्याज के <u>छोटी राशि</u> अपने सम्बन्धी अथवा मित्र के साथ लेनदेन कर सकता है।

i चूँकि <u>छोटी राशि</u> को परिभाषित करना सम्भव नहीं है, इसलिए प्रत्येक मामले का निर्धारण गुण–दोष के आधार पर किया जाना चाहिए और ऐसे मामले का निर्धारण

करते समय सम्बन्धित व्यक्ति की हैसियत और लेनदेन की राशि पर विचार करना चाहिए।

ii रेल सेवा आचरण नियम 1966 नियम 16 (4) (i) के सम्बन्ध में किसी सम्बन्धी अथवा मित्र से धन उधार लेने के सन्दर्भ में स्पष्टीकरण निम्नानुसार है :–

अ रेल सेवक के साथ शासकीय सम्बन्ध रखने वाले सम्बन्धी अथवा मित्र से धन उधार लेने के लिए सरकार की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक है। हालांकि नियम–16 (4) (i) के प्रथम परन्तुक में दी गई छूट के सम्बन्ध में सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है, यदि शासकीय सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति से छोटी राशि बिना ब्याज के उधार ली जाती है।

ब यदि रेल सेवक शासकीय सम्बन्ध न रखने वाले सम्बन्धी अथवा निजी मित्र से बिना ब्याज के राशि उधार लेता है तो इसके लिए सरकार की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं है।

iii यहॉ यह उल्लेखनीय है कि रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 18 (स) के नीचे दिये गये स्पष्टीकरण में ''लोन'' को चल सम्पति के रूप में माना गया है, इसलिए नियम 18 (3) के अन्तर्गत निर्धारित सीमा (राजपत्रित 20,000/– व अराजपत्रित 15,000/–) से अधिक अगर लोन लिया जाता है तो रेल सेवक को उसकी सूचना सरकार को देनी होगी तथा सक्षम अधिकारी लेनदेन की वास्तविकता या उसका सत्यापन करने के लिए सदैव स्वतंत्र है। (RBE 19/05)

नियम–17 : <u>दिवालियापन अथवा आदतन कर्जदारी</u>–

कोई भी रेल सेवक अपने खर्च एवं क्रिया कलापों को इस प्रकार अनुशासित करेगा जिससे उसे कर्ज लेने अथवा दिवालिया होने की नौबत न आये। यदि किसी रेल सेवक के विरूद्ध सरकारी या अन्य ऋण वसूली के लिए अदालती कार्यवाही की जाती है तो उसे इसकी सूचना तुरन्त सरकार को देनी होगी।

नियम–18 : <u>चल अचल एवं कीमती सम्पति का अर्जन</u>–

1. कोई भी रेल सेवक नियुक्ति के समय तथा उसके बाद निर्धारित समय पर अपनी सम्पति तथा अपने देय के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर विहित सूचना सरकार को प्रस्तुत करेगा (अचल सम्पति, शेयर, डिबेन्चर, नकद बैंक जमाएं, विरासत में मिली सम्पति, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वयं की या उसके द्वारा लिया गया ऋण व अन्य देय इसमें शामिल है) ।

2 रूपये 10,000/– से कम कीमत वाली चल सम्पति को अपने द्वारा भरे जाने वाले रिटर्न में शामिल करेगा।

3 i प्रत्येक रेल सेवक जो ग्रुप ''ए'' व ''बी'' पद पर कार्यरत है, निर्धारित प्रोफार्मा में अपना वार्षिक रिटर्न भरेगा।

ii कोई भी रेल सेवक सरकार की पूर्व जानकारी के बिना स्वयं के नाम अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम लीज, मोर्टगेज खरीद, बेचान या उपहार के तौर पर अचल सम्पति को खरीद अथवा बेच नहीं सकता। इस तरह का लेनदेन हेतु सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी यदि ऐसा लेनदेन उस व्यक्ति के साथ हो जिसके साथ उसका शासकीय व्यवहार है। (RBE 59/04)

iii जहॉ रेल सेवक स्वयं के नाम अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम चल सम्पति का लेनदेन करता है तो उसे इस लेनदेन के एक माह के भीतर अपनी रिपार्ट सरकार को प्रस्तुत करनी होगी, यदि ऐसे लेनदेन /सम्पति का मूल्य रेल सेवक के दो माह के मूल वेतन से अधिक हो, लेकिन इस तरह का लेनदेन उस व्यक्ति के साथ हो जिसके साथ उसका शासकीय व्यवहार है तो रेल सेवक को सरकार से इसकी पूर्वानुमति लेनी होगी। (RBE 105/11)

नोट क विवाह के समय उपहार देने के लिए जंगम सम्पति की मदों का क्रय, जंगम सम्पति के किसी अन्य संव्यवहार के समान ही नियम 18 (3) द्वारा विनियमित किया जायेगा।

ख रेल सेवक के पति या पत्नी या परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा अपने धन में से

(स्त्रीधन, उपहार, विरासत इत्यादि सहित) जो रेल सेवक के अपने नाम में और अधिकार में धन से भिन्न हो, नियम 18 के उपनियम (2) और (3) के परन्तुकों को आकर्षित नहीं करेगा। (RBE 108/09)

रेलवे में समूह ''ग'' (श्रेणी–ाा में कार्यरत पर्यवेक्षकीय कर्मचारी जो अधिकतम 900/– रूपये या उच्च वेतनमान में) (अब वेतन बैंड 9300–34800 + ग्रेड पे 4600 या उच्च) वेतनमान में है, उन्हें भी उनके स्वयं के नाम पर या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर उसे उत्तराधिकार में प्राप्त, या ऋण से प्राप्त या उसके द्वारा खरीदी गई या उसके द्वारा लीज पर ली गई या उसके द्वारा गिरवी रखी गयी अचल सम्पति का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना होगा। यह विवरण उस ग्रेड में उसकी नियुक्ति के तीन माह की अवधि में प्रस्तुत करना चाहिए तथा इसके बाद प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में प्रस्तुत करना चाहिए। (RBE 135/07)

सभी ग्रेड के वाणिज्य कर्मचारियों की नीचे दी गई श्रेणियॉ जैसे :– आरक्षण लिपिक, पार्सल लिपिक, बुकिंग लिपिक, चल टिकट परीक्षक और टिकट संग्राहकों को आचरण नियम – 18 (1) (i) के अनुसार उनकी आरम्भिक नियुक्ति के समय सम्पति के विवरण प्रस्तुत करने के अलावा उनकी प्रत्येक पदोन्नति के समय भी यह विवरण प्रस्तुत करना होगा। तथा ऐसी ही सूचना समापन भुगतान दस्तावेज /कागजात प्रस्तुत करते समय (अधिवार्षिता से लगभग दो वर्ष पूर्व) भी देनी होगी। (RBE 135/07)

शेयर, सिक्यूरिटी, डिबेंचर आदि की खरीद एवं बेचान को चल सम्पति में माना गया है। अतः नीचे दिए गये मामलों में नियम 18 (4) के अनुसार उचित प्राधिकारी को सूचना देनी आवश्यक होगी – आभूषण, ऐसी बीमा पॉलिसियॉ जिनका वार्षिक प्रीमियम रेल सेवक के दो मास के मूल वेतन से अधिक हो, शेयर, प्रतिभूतियॉ और डिबेन्चर। (RBE 135/07 &105/11)

उपर्युक्त सूचना उस सूचना के अलावा होगी जो नियम 18 (3) के अन्तर्गत शेयर, सिक्यूरिटी डिबेंचर इत्यादि के लिए वैयक्तिक लेनदेन के सम्बन्ध में दी जाती है, जो उस पर निर्धारित राशि से अधिक हो।

नियम–18ए : विदेशियों के साथ लेनदेन व भारत के बाहर संपति खरीदने व बेचने पर प्रतिबंध–

कोई भी रेल सेवक सरकार की पूर्वानुमति को छोड़कर उसके स्वयं या परिवार के नाम पर खरीद /बेचान, लीज गिरवी, उपहार द्वारा भारत के बाहर कोई अचल सम्पति न तो खरीद सकता है, और न ही बेच सकता है तथा न ही वह किसी विदेशी के साथ इस प्रकार का लेनदेन कर सकता है।

नियम–19 : रेल सेवक के कार्यों एवं चरित्र के सम्बन्ध में प्रचार–

कोई भी रेल सेवक सरकार की पूर्वानुमति के बिना किसी राजकीय कृत्य के प्रतिशोध के लिए किसी न्यायालय अथवा प्रेस का सहारा नहीं लेगा, जिसमें किसी की आलोचना या चरित्र हनन का मामला निहित हो। यदि रेल सेवक के इस हेतु किए गए अनुरोध की तिथि से 3 माह के अन्दर सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तो यह माना जायेगा कि कर्मचारी का अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है। (RBE 115/96)

नियम–20 : विभागीय अथवा अन्य प्रभाव का उपयोग–

कोई भी रेल सेवक सरकार को उसके द्वारा दी जा रही सेवाओं के सम्बन्ध में स्वयं के हित व अन्य लाभकारी कार्य हेतु अपने से उच्च प्राधिकारी पर किसी प्रकार का राजनैतिक अथवा कोई अन्य दबाव न तो लायेगा और न ही लाने का प्रयास करेगा।

नियम–21 : विवाह के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध–

i कोई भी रेल सेवक ऐसे व्यक्ति के साथ जिसका पति /पत्नि जीवित हो उसके साथ न तो शादी और न ही शादी का करार करेगा। और

ii कोई भी रेल सेवक जिसका पति /पत्नि जीवित है, वह किसी दूसरे व्यक्ति के साथ न तो विवाह और न ही विवाह का करार करेगा।

iii किसी भी रेल सेवक ने भारती राष्ट्रीयता प्राप्त व्यक्ति के अलावा अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या करने वाला है तो उसे सरकार को तथ्यों से अवगत कराना होगा। सरकार रेल

सेवक को इस प्रकार विवाह /विवाह का करार कराने की अनुमति दे सकती है। यदि यह रेल सेवक पर लागू वैयक्तिक कानून के अधीन आता हो, तथा इस अनुमति के अन्य आधार भी हो।

नियम–22 : मादक पेय और पदार्थ का सेवन–

1 क एक रेल सेवक को ड्यूटी के दौरान मादक पेय या औषधि ग्रहण नहीं करने के नियम का कानूनी रूप से कड़ाई से पालन करना होगा।

ख किसी सार्वजनिक स्थान पर मादक पेय अथवा मादक पदार्थ का सेवन अवैध है।

2 किसी रेल सेवक द्वारा यह नहीं किया जायेगा –

क मदहोशी /नशे की हालत में सार्वजनिक स्थान पर जाना।

ख अत्यधिक मात्रा में मादक पेय /पदार्थ का सेवन।

ग कोई भी रेल सेवक यदि वह रनिंग श्रेणी (लोको व यातायात दोनों) से सम्बन्धित है अथवा गाड़ी परिचालन सेवाओं से सीधा जुड़ा है, वह ड्यूटी शुरू होने के आठ घण्टों के दौरान मादक पेय /औषधि लेता है या प्रयोग करता है तो ड्यूटी के दौरान इस प्रकार का पेय या औषधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

नियम–22ए : कोई भी रेल सेवक 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम पर नहीं लगायेगा। (RBE 03/2000)

- यह अधिनियम कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (DOPT) की गजट अधिसूचना दिनांक 14.07.2014 द्वारा अधिसूचित किया गया तथा अधिसूचना की तिथि से ही प्रभावी है।
- इन नियमों में DOPT की गजट अधिसूचना दिनांक 08.09.2014 व 26.12.2014 द्वारा संशोधन किया गया। (RBE 40/15)
- इस अधिनियम के मार्फत् केन्द्र सरकार द्वारा लोकसेवक द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित सूचना, वार्षिक विवरणी के साथ, विनिर्दिष्ट प्रारूप में अपनी आस्तियों और दायित्वों (assets & liabilities) की घोषणा करने सम्बन्धि नियम प्रतिपादित किए है।
- इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक लोक सेवक (जिसमें सभी रेलकर्मी सम्मिलित हैं) को प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च को यथाविद्यमान अपनी आस्तियों और दायित्वों (assets & liabilities) के विषय में यथास्थिति, घोषणा, सूचना या विवरणी (decalaration, information or return, as the case may be) सक्षम प्राधिकारी को निर्धारित प्रारूप में उस वर्ष की 31 जुलाई से पूर्व फाईल करनी होगी। परन्तु वह लोक सेवक जो उन पर लागू नियमों के अन्तर्गत सम्पति की घोषणा, सूचना और वार्षिक विवरणियॉ फाईल कर चुके हैं वे 15 सितम्बर 2014 या उसके पूर्व सक्षम प्राधिकारी को 01 अगस्त 2014 को यथाविद्यमान यथास्थिति, पुनरीक्षित घोषणाये, सूचना सम्बन्धी वार्षिक विवरणी फाईल करेगें।
- उपरोक्त समय सीमा को दिनांक 30.04.2015 तक बढ़ाते हुए निर्धारित किया गया कि प्रथम रिटर्न (as on 01.08.14) दिनांक 30.04.2015 तक तथा 31.03.2015 को समाप्त हुए वर्ष की रिटर्न 31.07.2015 तक फाईल की जायेगी। (RBE 26/15)
- रिटर्न फाईल करने की समय सीमा 15.10.2015 से बढ़ाकर 15.04.2016 की गई। (RBE 44/14)
- दिनांक 30.04.2015 की निर्धारित सीमा को पुनः बढ़ाते हुए 15.10.2015 निर्धारित की गई।
- सक्षम प्राधिकारी लोक सेवक को किसी आस्ति (asset) सम्बन्धी सूचना फाईल करने से छूट दे सकता हैं यदि ऐसी आस्ति का मूल्य लोक सेवक के चार माह के मूल वेतन या दो लाख रूपये, जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं हो। (रेल कर्मियो के रिटर्न फाईल करने हेतु RBE 26/15 व 36/15 के अन्तर्गत प्रसारित फार्म के अनुसार चल सम्पति के क्रम में यह सीमा दो माह का मूल वेतन या एक लाख रूपया निर्धारित है)
- इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक रेलकर्मी को यथाविद्यमान ऋणों और अन्य दायित्वों के विवरण सहित चल व अचल सम्पति की घोषणा का प्रावधान किया गया हैं। यह घोषणा प्रथम नियुक्ति व प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च की स्थिति अनुसार निर्धारित फार्म में की जायेगी। (फार्म RBE व 36/15 के अन्तर्गत प्रसारित किए गए हैं।) यह घोषणा स्वयं, पति या पत्नि तथा आश्रित बच्चों के सम्बन्ध में चल व अचल /जंगम व स्थावर सम्पति के सम्बन्ध में होगी जिसके अन्तर्गत सम्पति (भूमि/गृह/फ्लेट/दुकान/औद्योगिक आदि), हाथ में नगदी, बैंक खाते में जमा का ब्यौरा, फिक्स डिपोजिट, भोयर, बंधपत्र, डिबेंचर, बीमा पालिसी, भविष्य निधि /नई पेंशन स्कीम में जमा, व्यैक्तिक उधार/किसी व्यक्ति को दिया अग्रिम, मोटरयान, आभूषण, बुलियन, मूल्यवान वस्तुयें, सोना चॉदी, बहुमूल्य रत्न /धातू, फर्निचर, फिक्सचर, ऐण्टिक, इलेक्ट्रोनिक सामान, निवेश आदि का ब्यौरा दिया जाना है। लोकपाल अधिनियम की धारा 45 के अनुसार अगर कोई लोक सेवक जान बुझकर या अन्यायोचित कारणों से अपनी सम्पति सम्बन्धि घोषणा नहीं करता हैं या गलत सूचना देता हैं तो ऐसी सम्पति को, जब तक अन्यथा साबित नहीं कर दिया जाये, लोकसेवक से सम्बन्धित माना जायेगा तथा यह भी माना जायेगा कि ऐसी सम्पति भ्रष्ट तरीकों से प्राप्त की गई है। (RBE 98/15)
- लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के अन्तगत रिटर्न फाईल करने हेतु निर्धारित प्रफार्मा में रिटर्न दाखिल करने में आ रही कठिनाई के मद्देनजर यह निश्चित किया गया कि रेल सेवा (आचरण) नियम 1966 के अन्तर्गत सम्पति सम्बन्धी वार्षिक रिर्टन हेतु निर्धारित प्रोफार्मा में यह सूचना रेल विभाग के ग्रुप ''ए'', ''बी'', ''सी'' व पूर्ववृत्ति ग्रुप डी में कार्यरत सभी कर्मचारियों द्वारा भरी जाये। वर्ष–2015 की सूचना 30.01.2016 तक दाखिल की जायेगी। (RBE 150/15)

वेतन नियतिकरण

(Fixation of Pay)

(भारतीय रेल स्थापना संहिता–II के नियिम 1301 से 1330)

वेतन : वेतन से आशय सरकारी कर्मचारी द्वारा मासिक रूप से आहरित राशि से है, जैसेः– (नियम–1303)

i. विशेष वेतन से भिन्न वेतन, अथवा उसकी व्यक्तिगत योग्यता के सन्दर्भ में स्वीकृत वेतन जिसे उसके द्वारा मूल रूप से धारित पद के लिए स्वीकृत किया गया हो, अथवा किसी स्थानापन्न पद के लिए अथवा उस पद के लिए उसका उस संवर्ग में वह किसी कारण से हकदार है, और

ii. समुन्द्रपार वेतन (Overseas Pay) विशेष वेतनऔर वैयक्तिक वेतन, और

iii. अन्य कोई परिलाभ जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा वेतन के रूप में वगीकृत कर विनिर्दिष्ट किया है।

मूल वेतन : मूल वेतन से आशय उस वेतन से हैं जो विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन अथवा नियम 1303 (ii) के अधीन वेतन के रूप में वर्गीकृत परिलाभों से भिन्न वह वेतन अभिप्रेत हैं जिसके लिए रेल कर्मचारी मूल रूप से उस पद के लेखे पर नियुक्त होकर पाने का हकदार हैं अथवा संवर्ग में उसकी मूल स्थिति के कारण मिलने वाला वेतन। (नियम 1309)

नोट : राज्य सरकार के अधीन नियुक्त किसी ऐसे कर्मचारी जिसका स्थायी पद पर धारणाधिकार है, के मामलें में मूल वेतन से आशय सम्बन्धित राज्य सरकार के सम्बन्धित नियमों में वर्णित ''मूल वेतन'' से है।

कालिक वेतनमान (Time Scale Pay) : कालिक वेतनमान उस वेतन से आशय है जिसमें (नियम 1310)

(क) इन नियमों में निर्धारित शर्तों के अधीन आवधिक वेतन वृद्धि द्वारा न्यूनतम से अधिकतम तक बढ़ता है इसमें वेतन की वे श्रेणी भी शामिल है, जो पूर्व में प्रोग्रेसिव (उन्नति) के रूप में जानी जाती थी।

(ख) कालिक वेतनमान को समान (एकरूप) माना जायेगा यदि न्यूनतम, अधिकतम वेतन वृद्धि की अवधि तथा कालिक वेतनमान में वेतन वृद्धि की दर समान हो।

(ग) किसी पद को दूसरे पद के साथ समान कालिक वेतनमान वाला तभी माना जायेगा यदि दो कालिक वेतनमान समान हो तथा पद किसी एक संवर्ग के अन्तर्गत आते हो अथवा संवर्ग की एक श्रेणी के अन्तर्गत आते हो। ऐसे संवर्ग या श्रेणी के पदों को इस क्रम में सृजित किया गया हो कि किसी एक सेवा, संस्थान या संस्थान समूह में समान जिम्मेदारी से जुड़े सभी पदों पर भर्ती समान कार्य करने वाले उम्मीदवारों को हो। ताकि किसी पद विशेष के लिए उसके धारक के वेतनमान का निर्धारण संवर्ग या श्रेणी में उसकी स्थिति के अनुसार निर्धारित किया जा सके, उसके द्वारा धारित पद के तथ्यों के आधार पर नहीं।

प्रथम नियुक्ति के समय वेतन नियतिकरण : (पैरा 601 IREM-I)

कोई रेल कर्मचारी जो कालिक वेतनमान के किसी पद पर नियुक्त हुआ है, उसके प्रारम्भिक वेतनमान का निर्धारण निम्नानुसार अधिशासित होगाः–

रेलवे के किसी पद पर नये भर्ती व्यक्ति का वेतन उस पद के लिये जिस पर वह भर्ती हुआ है, के वेतनमान के न्यूनतम वेतन पर निर्धारित किया जायेगा। यह सक्षम प्राधिकारी का विवेकाधिकार होगा कि वह विशेष मामलों में पद के कालिक वेतनमान के उच्च स्तर पर उसके वेतन नियतम हेतु स्थायी पद का सृजन करें। इस प्रकार का वेतन नियतम रेल प्रशासन के सम्बन्धित वित्तीय सलाहकार की सलाह पर किया जा सकेगा।

रेल कर्मचारी का पदोन्नति पर प्रारम्भिक वेतन निर्धारण : (नियम 1313 IRCE-II)

(1) जब कोई रेल कर्मचारी किसी अन्य ऐसे पद पर मूल /अस्थायी /स्थानापन्न रूप से, जैसा भी मामला हो, पदोन्नत या नियुक्त होता है जिसकी ड्यूटी की जिम्मेदारियाँ ज्यादा महत्वपूर्ण हो तो उच्च /अन्य पद के कालिक वेतनमान में उसका प्रारम्भिक वेतन उसके द्वारा नियमित रूप से

धारित पद के वेतनमान में एक वेतन वृद्धि देकर (या 100 रूपये, जो भी अधिक हो, 01.01.96 से 31.12.05 तक) आये उस कल्पित वेतन से एक स्तर ऊपर पर निर्धारित किया जायेगा।

केवल ऐसे नियुक्ति मामलों को छोड़कर जहाँ नियुक्ति बाह्य पद या किसी पद (Deputation to an Ex-cadre Post) पर तदर्थ आधार पर हुई हो, ऐसे में रेल कर्मचारी के पास विकल्प होगा, जिसे वह पदोन्नति /नियुक्ति के एक माह के भीतर लिखकर देगा कि या तो वह इस पदोन्नति /नियुक्ति की तिथि से इन नियमों के अन्तर्गत निर्धारित वेतनमान में वेतन नियतीकरण कराये या निम्न वेतनमान में पड़ने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि लेकर वेतन निर्धारण करवायें। ऐसी स्थिति में उसके निम्न पद /वेतनमान में वृद्धि की तिथि से इन नियमों के अनुसार पुनः वेतन नियत किया जायेगा। ऐसे मामले में जहाँ तदर्थ पदोन्नति पश्चात बिना व्यवधान पदोन्नति दी गई हो, तब ऐसा विकल्प प्रारम्भिक नियुक्ति /पदोन्नति की तिथि में ही देय होगा तथा यह नियमित पदोन्नति से 01 माह के भीतर देना होगा।

जब रेल सेवक नियमित आधार पर उच्च पद पर नियुक्ति /पदोन्नति से तुरन्त पहले निचले पद के वेतनमान में अधिकतम वेतन आहरित कर रहा हो तो उच्च पद के वेतनमान में उसका आरम्भिक वेतन नियमित आधार पर उसके द्वारा धारित निम्न पद के वेतन को कल्पिद वेतन, जो निचले पद के वेतनमान में अन्तिम वेतन वृद्धि के बराबर राशि के आधार पर देय होगा।

(2) जब नए पद पर नियुक्ति होने पर ड्यूटी /जिम्मेदारी अधिक नहीं है तो नए पद पर कर्मचारी वही आरम्भिक वेतन आहरित करेगा जो नियमित आधार पर उसके द्वारा धारित पुराने पद की वेतन श्रृंखला में प्राप्त कर रहा था। लेकिन यदि वहाँ ऐसी कोई श्रृंखला (Stage) नहीं हो तो उसके द्वारा नियमित आधार पर धारित पुराने पद की श्रृंखला से अगली श्रृंखला (Next Stage) के समान होगी।

ऐसे मामले में जब नये पद के वेतनमान का न्यूनतम वेतन उसके द्वारा नियमित आधार पर धारित पद के वेतन से अधिक हो, वह नये पद के वेतनमान का प्रारम्भिक वेतन आहरित करेगा।

आगे, जब वेतन समान श्रृंखला में ही नियत किया गया हो, तो उसकी वेतन वृद्धि की तिथि वही रहेगी जो पूर्व वेतनमान में थी। लेकिन नये पद पर उसका वेतन अगली वेतन श्रृंखला (Next Stage) पर निर्धारित हुआ है तो उसे अगली वेतन वृद्धि इस श्रृंखला में निर्धारित अवधि (वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु) पूर्ण करने के पश्चात ही देय होगी। इस प्रकार नये पद पर नियमित आधार पर (प्रतिनियुक्ति पर बाह्य संवर्ग के पद को छोड़कर) नियुक्ति होने पर रेल सेवक के पास विकल्प होगा कि वह इस प्रकार की नियुक्ति की तिथि से एक माह के भीतर विकल्प देगा कि नये पद पर उसका वेतन नियतिकरण नये पद पर उसकी नियुक्ति की तिथि से या पुराने पद पर उसकी वेतन वृद्धि की तिथि से किया जाये।

(3) जब नये पद पर उसकी नियुक्ति स्वयं के अनुरोध पर की गई हो तथा नये पद के वेतनमान का अधिकतम वेतन उसके द्वारा नियमित आधार पर धारित पुराने पद के वेतन से कम है, तो वह नये वेतनमान का अधिकतम आहरित करेगा।

संवर्ग पद से बाह्य संवर्ग पद पर तैनातीः(Posting from Cadre Post of Ex-Cadre Post) (RBE-110/94)

(i) जब मूल संवर्ग के पद का वेतनमान और बाह्य संवर्ग पद का वेतनमान समान सारणी श्रृंखला (Same Index Level) के है तथा उसका महंगाई भत्ता भी समान है तो वेतन सामान्य आधार मूलभूत नियमों (Normal Fundamental Rules) के आधार पर नियत किया जायेगा।

(ii) यदि नियुक्ति ऐसे पद पर की गई है, जिसका वेतन ढांचा तथा महंगाई भत्ता अलग–अलग है तो वेतन नियतन कर्मचारी के नियमित मूल पद में एक वेतन वृद्धि जोड़ते हुये किया जायेगा तथा यदि वह वेतनमान का अधिकतम वेतन आहरण कर रहा है तो अन्तिम वेतनवृद्धि के बराबर जोड़ते हुये किया जायेगा। वेतन +मंहगाई भत्ता +अतिरिक्त महंगाई भत्ता, अंतरिम राहत इत्यादि, यदि कोई हो, के परिलाभ सहित, जो धारक संगठन में देय हो के अनुरूप वेतन का नियतिकरण बाह्य संवर्ग पद में देय वेतनमान की श्रृंखला पर किया जायेगा। यदि वहाँ ऐसी कोई श्रृंखला नहीं है तो वेतनमान अगले उच्चत्तर श्रृंखला (Next Stage) पर निर्धारित किया जायेगा।

नोट : उपर्युक्त (i) और (ii) के अधीन नियत वेतन बाह्य संवर्ग पदो के वेतनमान के न्यूनतम से कम तथा इस वेतनमान के अधिकतम से अधिक नहीं होगा।

एक बाह्य संवर्ग पद से दूसरे बाह्य संवर्ग पद पर तैनाती (Posting from one Ex-Cadre to another Ex-Cadre Post)) (RBE-110/94)

एक बाह्य संवर्ग पद से दूसरे बाह्य संवर्ग पद पर में नियुक्ति के मामले में जहाँ कर्मचारी ने बाह्य संवर्ग पद के वेतनमान के आहरण का विकल्प दिया है, वहाँ दूसरे और आगे के बाह्य संवर्ग पद पर वेतन सामान्य नियमों के अधीन संवर्ग पद के अनुसार ही निर्धारित किया जायेगा। सवंर्ग पद तथा बाह्य संवर्ग पद का वेतनमान समान होने के मामले में एफ.आर.–22 की शर्त–(iii) के अनुरूप लाभ देय होगा।

बाह्य संवर्ग पद से उच्च बाह्य संवर्ग पद पर तैनातीः (Posting from Ex-Cadre to Higher Ex-Cadre Post) (RBE-110/94)

पूर्व बाह्य संवर्ग पद से दूसरे या अगले उच्च वेतनमान के बाह्य संवर्ग पद पर नियुक्ति के मामले में वेतन संवर्ग पद में आहरित वेतन के सन्दर्भ में ही निर्धारित किया जायेगा। यदि इस प्रकार निर्धारित वेतन पूर्व बाह्य संवर्ग पद में आहरित वेतन से कम रहता है तो इस अंतर को भविष्य में वेतन में बढ़ोतरी तक वैयक्तिक वेतन के रूप में समायोजित किया जायेगा। यह इस शर्त के अधीन होगा कि कर्मचारी दोनों अवसरों पर बाह्य संवर्ग पदों से संलग्न वेतनमान का विकल्प चुने।

नोट :

(i) मूल पद वेतन की अवधारण का आशय मूल संगठन (Parent Organization) में नियमित आधार पर कार्यरत पद तथा इस प्रकार के पदों का आहरित वेतन से है।

(ii) कोई अधिकारी प्रतिनियुक्ति /विदेश सेवा पर जाते समय संवर्ग में तदर्थ आधार पर उच्च पद का धारक हो सकता है। प्रतिनियुक्ति /विदेश सेवा में जाते समय उसके द्वारा धारित तदर्थ पद को छोड़ते हुये नियमित पद से प्रतिनियुक्ति पर जाना समझा जायेगा। प्रतिनियुक्ति /विदेश सेवा के दौरान व अपने नियमित पद पर कल्पित वेतन वृद्धि (Notional Increment) अर्जित करेगा। उसके प्रत्यावर्तन के समय यदि वह नियमित अथवा तदर्थ आधार पर उच्च पद पर पुनः नियुक्त होता है तो उसका वेतन नियतिकरण उसके नियमित /मूल वेतन के सन्दर्भ में देय वेतन के आधार पर किया जायेगा।

ऐसे मामलों में यदि उसका वेतन नियतन एक ऐसी श्रृंखला (Stage) पर निर्धारित हो गया हो जो उसके कनिष्ठ से (जो संवर्ग में नियमित रूप से सेवा दे रहा है) कम हो तो केन्द्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू नियमों के अनुसार उसको वृद्धि (Stepping Up) देय नहीं होगी। किन्तु यदि इस प्रकार नियत वेतन पूर्व में तदर्थ आधार पर उसके द्वारा धारित पद के समय आहरित वेतन से कम हो जाता है तो इसे पूर्व में आहरित वेतन के समान रखा जायेगा।

बाह्य संवर्ग पद से संवर्ग पद में वापस तैनाती : (Posting back from Ex-Cadre Post to Cadre Post)

(नियम 1313 (3) (iv) IREC-ii)

जब कोई रेल सेवक किसी बाह्य संवर्ग पद से अपने संवर्ग में नियमित रूप से पदोन्नत /नियुक्त होता है तो संवर्ग पद पर सका वेतन केवल संवर्ग पद, जिस पर वह आसीन है, के प्रकल्पित वेतन (Presumptive Pay) के सन्दर्भ में ही निर्धारित किया जायेगा।

बाह्य संवर्ग पद से संवर्ग पद में वापसी पर कर्मचारी को बाह्य संवर्ग पद पर तदर्थ पदोन्नति के वेतन को Protect करने को लाभ देय नहीं होगा। (RBE 49/14)

पुनर्नियुक्ति पर वेतन नियतिकरण : (Fixation of pay on Re-appointment) (नियम 1314)

किसी रेल कर्मचारी का प्रारम्भिक मूल वेतन, जो कालिक वेतनमान के किसी पद पर मूल रूप से नियुक्त किया जाता है (जिसे ड्यूटी /पद में संलग्न जिम्मेदारियों में कमी के कारण के अलावा अन्य कारण से कम नहीं कर दिया गया हो) का प्रारम्भिक मूल वेतन इस प्रकार अधिशासित किया जायेगा कि वह इस प्रकार के अंतिम अवसर पर नियम 1313 (FR22) के अधीन आहरित वेतन से उसका प्रारम्भिक वेतन कम नहीं हो।

त्रुटि मूलक पदोन्नति पर वेतन नियतिकरण : (Fixation of pay on erroneous promotion) (पैरा 228 IREM-I)

कभी कभी प्रशासनिक त्रुटि के कारण कर्मचारी की पदोन्नति की अनदेखी हो जाती है। यह प्रशासनिक त्रुटि दो प्रकार की हो सकती हैः–

(i) जहाँ प्रशासनिक त्रुटि के कारण कर्मचारी को पदोन्नति हुई ही ना हो, और

(ii) जहाँ कर्मचारी को पदोन्नति तो दी गई है किन्तु प्रशासनिक त्रुटि के कारण उस तिथि से नहीं जिस तिथि से दी जाती थी। ऐसे कर्मचारी जिन्हें प्रशासनिक त्रुटि के कारण पदोन्नति नहीं दी गई हो, उन्हें पदोन्नति की तिथि को ध्यान में रखे बिना पूर्व में पदोन्नत उसके कनिष्ठ कर्मचारी की तुलना में सही वरिष्ठा के साथ पदोन्नत किया जायेगा। पदोन्नत होने पर उच्च ग्रेड में कर्मचारी का वेतन प्रोफार्मा आधार पर निर्धारित किया जायेगा। बढ़ा हुआ वेतन उसकी वास्तविक पदोन्नति की तिथि से देय होगा तथा इस लेखे कोई एरियर भुगतान देय नहीं होगा क्योंकि कर्मचारी ने वास्तव में उच्च पद की ड्यूटी की जिम्मेदारियों का वहन नहीं किया है।

किसी अन्य सेवा /संवर्ग में प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त तथाउसी सेवा /संवर्ग में स्थाई हो जाने पर रेल सेवक के वेतन को निम्नलिखित अनुसार अधिशासित किया जायेगाः (नियम 1315)

(1) (क) प्रशिक्षु अवधि के दौरान वह वेतनमान का न्यूनतम वेतन आहरित करेगा अथवा प्रशिक्षु स्तर अथवा सेवा या पद, जैसा भी मामला हो, के वेतनमान का वेतन आहरित करेगाः–

परन्तु, आवधिक पद को छोड़कर, यदि स्थायी पद का कल्पित वेतन (Prusumption Pay) अधिक है जिस पर उसका धारणाधिकार है तथा उसका यह धारणाधिकार निलम्बित नहीं किया गया है तो वह कर्मचारी स्थायी पद का प्रकल्पित वेतन प्राप्त करेगा।

(ख) सेवा या पद पर स्थायीकरण होने पर (प्रशिक्षु अवधि पूर्ण होने के बाद) रेल सेवक का वेतनमान सेवा अथवा पद के वेतनमान के अनुसार नियम 1313 या 1316, जैसा भी मामला हो, के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

(2) कोई रेल सेवक अन्य सेवा /संवर्ग में प्रशिक्षु के रूप में तैनात होने पर आहरित करेगाः–

(क) प्रशिक्षुता की अवधि के दौरान इस अवधि के लिये निर्धारित वृत्तिका /वेतन प्राप्त करेगा परन्तु आवधिक पद को छोड़कर, यदि स्थायी पद का कल्पित वेतन (Prusumption Pay) अधिक हैं जिस पर उसका धारणाधिकार है तथा उसका यह धारणाधिकार निलम्बित नहीं किया गया हैं तो वह कर्मचारी स्थायी पद का प्रकल्पित वेतन प्राप्त करेगा।

(ख) प्रशिक्षुता के संतोषप्रद पूर्ण होने पर तथा सेवा या संवर्ग के किसी पद पर नियमित नियुक्ति होने पर उसका वेतन सेवा या पद के वेतनमान में नियम 1313 के अधीन निर्धारित किया जायेगा।

कालिक वेतनमान में वेतन वृद्धि : (Increment in Time Scale) (नियम 1318)दक्षतारोधी से ऊपर की वेतन वृद्धि को छोड़कर अन्य वेतनवृद्धि सामान्यतः स्वभाविक क्रम में आहरित की जाती है जब तक की इसकों रोका नहीं गया हो। किसी रेल कर्मचारी की वेतनवृद्धि सक्षम प्राधिकारी द्वारा रोकी जा सकती है यदि उसका आचरण अच्छा नहीं है या उसका कार्य सन्तोषप्रद नहीं हो। किसी वेतनवृद्धि को रोकने के क्रम में सम्बन्धित प्राधिकारी वेतनवृद्धि रोकने की अवधि बतायेगा तथा यह भी अंकित करेगा कि क्या यह भविष्य की वेतनवृद्धि को भी प्रभावित करेगी या अन्यथा।

जब शास्ती के रूप में किसी विशेष समयावधि के लिये वेतनवृद्धि रोकी जाती है तो कर्मचारी को वेतनवृद्धि उस तिथि से दी जायेगी जिस तिथि को उस पर लागू शास्ती समाप्त हो जायें। आगे की वेतनवृद्धि समान्य नियमों के अनुसार जिस माह में देय हो उस माह की पहली तारीख से देय होगी। सेवा में व्यवधान आदि गैर कार्य दिवसों की अवधि को उसी प्रकार माना जायेगा जैसाकि बिना वेतन छुट्टि अवधि को माना जाता है। (दिनांक 01.01.06 पश्चात with holding of increments /reduction to lower stage सम्बन्धी शास्ती की समाप्ति पर वेतन वृद्धि तिथि के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण RBE 09/14 के अन्तर्गत जारी किया गया है।)

वेतनवृद्धि के लिये सेवा की गणना : (Reckoning of service for increments) (नियम 1320)

किसी वेतनमान में वेतनवृद्धि के लिये सेवा की गणना हेतु प्रावधान निम्नलिखित हैः–

क. कालिक वेतनमान के किसी पद पर की गई सभी प्रकार की ड्यूटी को उस वेतनमान में वेतनवृद्धि के लिये गणना में लिया जायेगा।

किन्तु वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि की तिथि के उद्देश्य हेतु वे सभी अवधियों जो वेतनमान में वेतन वृद्धि के लिये गणना नहीं की गई थी, वे वेतनवृद्धि की सामान्य तिथि में जोड़ दी जायेगी। अर्थात् वेतनवृद्धि तिथि आगे बढ़ा दी जायेगी।

ख. i. किसी अन्य पद पर में की गई सेवा (कम वेतन वाले पद को छोड़कर) चाहे मूल या स्थानापन्न क्षमता में भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर सेवा तथा असाधारण छुट्टियाँ, जो चिकित्सा प्रमाण–पत्र के अलावा ली गई हो को छोड़कर, ली जाने वाली छुट्टियों को रेल कर्मचारी को वेतनमान में देय वेतनवृद्धि के लिए गिना जायेगा। किन्तु किसी बाह्य संवर्ग (Ex-cadre) में दी गई सेवा को दूसरे बाह्य संवर्ग पद पर वेतन नियतिकरण के लिये नहीं गिना जायेगा। तथा आगामी /दूसरे बाह्य संवर्ग (Another Ex-cadre) पद पर वेतन निर्धारण संवर्ग पद के सन्दर्भ में सामान्य नियमों के अनुसार किया जायेगा।

ii. मेडिकल प्रमाण–पत्र के अलावा ली गई असाधारण छुट्टियों को छोड़कर सभी छुट्टियों को तथा भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति की अवधि को उस वेतनमान व पद पर वेतन वृद्धि के लिए गिना जायेगा जिस पर रेल कर्मचारी छुट्टी पर जाने के समय अथवा भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर जाने से पहले कार्यरत्त था अथवा नियमित रूप से स्थानापन्न कर रहा था।

किन्तु सक्षम प्राधिकारी किसी मामले में संतुष्ट होने पर ली गई असाधारण छुट्टियाँ जो कि रेल कर्मचारी के नियंत्रण से बाहर थी अथवा वैज्ञानिक व तकनीकी अध्ययन के लिये ली गई थी, उस असाधारण छुट्टी को उपरोक्त नियम (i) अथवा (ii) के अधीन वेतनवृद्धि के लिये गणना के निर्देश दे सकता है।

ग. i. रेल कर्मचारी द्वारा उच्च /अस्थायी पद पर की गई सेवा /स्थापन्न अवधि को निम्न पद पर उसकी पुनर्नियुक्ति के मामले में वेतनवृद्धि के लिये गणनामें लिया जायेगा।

ii. यदि किसी रेल कर्मचारी को बाह्य संवर्ग पद से संवर्ग पद पर प्रत्यावर्तित कर उस बाह्य संवर्ग वेतनमान से नीचे के किसी ऐसे वेतनमान में नियुक्त किया जाता है जो उसके बाह्य संवर्ग में स्थानान्तरण के समय धारित पद के वेतनमान से समान नहीं है, तो बाह्य संवर्ग के उच्च पद पर की गई उसकी सेवाओं को संवर्ग पद पर लागू वेतनमानों में वेतनवृद्धि के लिये उसी प्रकार गिना जायेगा जैसा कि एफ.आर.–22 के नियम 1313 के नियम–1 (iii) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में गिना जाता है।

घ. वेतनमान में वेतनवृद्धि के लिये विदेश सेवा को गणना में लिया जायेगा।

ड़. कार्यारम्भ काल (Joining Time) को वेतनवृद्धि के लिये गणना में लिया जायेगा।

च. प्रशिक्षुओं को देय वेतनवृद्धिः

बाहर माह से अधिक अवधि का प्रशिक्षुकाल खत्म होने पर यदि कोई प्रशिक्षु स्थायी हो जाता है तो वह प्रशिक्षु अवधि की गणना सहित भूतलक्षी वेतनवृद्धि का दावा करने का हकदार होगा।

समय पूर्व वेतनवृद्धि : (Premature Increment) (नियम–1321)

भारत के राष्ट्रपति की ओर से जारी किन्हीं सामान्य या विशेष आदेशों की शर्तों के अधीन कोई प्राधिकारी किसी रेल सेवक को वेतनमान में समय पूर्व वेतनवृद्धि स्वीकृत कर सकता है, यदि उसको उसी वेतनमान व उसी संवर्ग में किसी पद का सृजन करने की शक्तियाँ प्रदत्त है।

निचले पद पर पदावनति पर वेतनमान : (Pay on reduction to lower post) (नियम–1322)

शास्ती के रूप में किसी रेल सेवक को उच्च पद से निचले पद या वेतनमान में पदावनत करने के आदेश जारी करने वाला प्राधिकारी जितना उचित समझे उतना वेतन आहरित करने की अनुमति दे सकता है जो निचले वेतनमान के अधिकतम से अधिक नहीं हो।

किन्तु रेल सेवक को इन नियमों द्वारा आहरित करने वाला वेतन उस वेतन से अधिक नहीं होगा जो नियम–1313 की प्रक्रिया द्वारा आहरित किया जाये।

शास्ती के रूप में निचले वेतन /ग्रेड पर पदावन करने पर वेतन : (Pay on reduction to lower post or grade as a measure of penalty) (नियम–1323)

i. यदि किसी रेल सेवक को उसके वेतनमान में शास्ति के रूप में निचली स्टेज पर पदावनत किया गया हो तो इस प्रकार की पदावनति करने वाली प्राधिकारी को वह अवधि बतानी होगी जिसमें यह पदावनति आदेश लागू रहेगा एवं पुनः चालू होगा तथा साथ ही यह भी अंकित करना होगा कि पदावनति की अवधि भविष्य की वेतनवृद्धियों को प्रभावित करेगी या नहीं और अगर प्रभावित करेगी तो किस सीमा तक।

ii. यदि किसी रेल सेवक को शास्ती के परिणाम स्वरूप निचली सेवा, पद या वेतनमान में पदावनत किया जाता है तो सम्बन्धित प्राधिकारी ऐसी पदावनती की अवधि को अंकित कर भी सकता है और नहीं भी। अगर पदावनती की अवधि अंकित की जाती है तो उसमें यह भी अंकित किया जायेगा कि क्या यह भविष्य की वेतनवृद्धियों को प्रभावित करेगी या अन्यथा और अगर प्रभावित करेगी तो किस सीमा तक।

शास्ति के आदेशों को अपास्त या संशोधित करने पर वेतन : (Pay when order of penalty is set aside or modified) (नियम–1324)

जब शास्ति आदेशों द्वारा रेल कर्मचारी की रोकी गई वेतनवृद्धि अथवा निचली सेवा, ग्रेड या पद पर पदावनति की शास्ती को अपील या पुनर्विचार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपास्त या संशोधित किया जाता है, तो रेल कर्मचारी का वेतन निम्नानुसार अधिशासित होगाः–

क. यदि उपर्युक्त आदेश अपास्त किये जाते हैं तो उसे उस अवधि के लिये जिसमें ये आदेश प्रभावी है, वह वेतन जिसका वह हकदार होता यदि उपर्युक्त आदेश नहीं हुये होते तथा उसके द्वारा वास्तविक आहरित वेतन का अन्तर दिया जायेगा।

ख. यदि उपर्युक्त आदेश में संशोधन किया गया है तो वेतन भी इसी प्रकार अधिशासित किया जायेगा यदि इस प्रकार के संशोधित आदेश पहली बाहर जारी किये गये हों।

स्पष्टीकरणः–

यदि रेल कर्मचारी द्वारा, इस नियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित आदेश जारी करने से पूर्व वेतन आहरित किया गया है तो उस अवधि के दौरान उसको देय छुट्टी वेतन और भत्ते (यात्रा भत्ता को छोड़कर) भी संशोधित वेतन के अनुसार संशोधित होगें।

इन नियमों में दी गई व्यवस्था के अलावा किसी रेल कर्मचारी का जो किसी पद पर पदोन्नति /नियुक्ति पर हो तथा जिसका वेतन त्रुटिपूर्ण हो, तो उसका वेतन इस आशय में सक्षम प्राधिकारी के सामान्य व विशेष आदेशों के अनुसार अधिशासित होगा। (नियम–1327)

चिकित्सा विकोटिकृत कर्मचारियों का वैकल्पिक समायोजन पर वेतन नियतिकरण (पैरा–1313)
(Fixation of pay of Medially decategorised staff absorbed in alternative post)

अशक्त /चिकित्सीय रूप से विकोटिकृत रेल कर्मचारियों का वैकल्पिक पद पर समायोजन होने पर उनका वेतन अशक्त /चिकित्सीय रूप से विकोटिकृत होने से पूर्व उनके द्वारा धारित पद के अनुरूप पूर्व में आहरित वेतन की समान श्रृंखला पर (Corresponding Stage) ही निर्धारित किया जायेगा। रनिंग कर्मचारियों के लिये वेतन नियतिकरण उनके मूल वेतन+मूल वेतन का प्रतिशत (रनिंग भत्ते का वेतन तत्व) के आधार पर किया जायेगा।

यदि इस प्रकार निर्धारित मूलवेतन समायोजित ग्रेड की किसी भी श्रृंखला (Stage) में नहीं आता है तो उसका वेतन निचली श्रृंखला पर नियत किया जायेगा तथा व्यक्तिगत वेतन (PP) के रूप में देय अंतर को भविष्य में वेतनवृद्धि में समाहित कर लिया जायेगा। इस प्रकार निर्धारित हुआ वेतन यदि समायोजित ग्रेड के अधिकतम से अधिक है, तो वेतन को ग्रेड के अधिकतम पर निर्धारित करते हुए इसके अंतर को भविष्य की वेतनवृद्धि के साथ समाहित किया जायेगा।

समायोजित ग्रेड में देय जैसे, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, मकान किराया भत्ता आदि वेतन +व्यक्तिगत वेतन पर देय होगा। विकोटिकृत होने से वैकल्पिक पर पर समायोजित होने की तिथि तक अधिवार्षिकी पद पर रहने के दौरान रनिंग कर्मचारियों का, रनिंग भत्तों हेतु देय वेतन तत्व को

जोड़ते हुए समुचित वेतन निर्धारण किया जाना चाहिये। ऐसे वेतन निर्धारण पश्चात किलोमिटरेज की एवज में देय भत्ता देय नहीं होगा। (RBE 138/11)

मेडिकल विकोटिकृत रनिंग कोटि के कर्मचारी को स्थिर पद (Stationary Post) पर वैकल्पिक नियोजन पर वेतन निर्धारण के क्रम में उनके मूल वेतन में (पे बेण्ड में वेतन +ग्रेड पे) देय रनिंग एलाउंस के तत्व को जोड़ते हुये वेतन निर्धारण किया जायेगा तथा उनके मूल का ग्रेड पे ही उन्हें देय होगा अर्थात् ग्रेड पे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। (RBE 41/13, 39/15)

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता) अधिनियम 1995 के लागू होने अर्थात् (07.02.1996) से पूर्व यदि कोई वरिष्ठ रेल कर्मचारी जो चिकित्सा आधार पर विकोटिकृत हुआ हो और से ऐसे पद पर समायोजित किया गया हो जिसका वेतनमान उस पद के वेतनमान से कम हो, जिस पर वह चिकित्सीय रूप से विकोटिकृत होने से पूर्व नियमित रूप से कार्य कर रहा था तथा कोई कनिष्ठ रेल कर्मचारी जो इस अधिनियम के प्रभावी होने के पश्चात चिकित्सीय आधार पर विकोटिकृत होने के बाद वैकल्पिक पद पर समायोजित किया जाता है, जिसका वेतनमान उस वेतनमान के समान हो जिस पर वह पहले कार्य कर रहा था, तो यह स्थिति अव्यवस्था (Annomalous Situation) वाली होगी।

इस समस्या के समाधान हेतु रेलवे बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि महाप्रबन्धक वरिष्ठ कर्मचारियों द्वारा उनके कनिष्ठ कर्मचारियों को इस अधिनियम की व्यवस्थाओं के आधार पर समान वेतनमान में आमेलित करने के सन्दर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करें। किन्तु यह तभी होगा जब वरिष्ठ व कनिष्ठ कर्मचारी विकोटिकृत होने से पूर्व समान विभाग, संवर्ग, श्रेणी तथा ग्रेड में हो तथा विकोटिकृत होने के पश्चात उन्हें समान विभाग, संवर्ग, श्रेणी में आमेलित किया गया हो। ऐसे मामलों में वरिष्ठ कर्मचारी पर पुनर्विचार करते हुये उसे दिये जाने वाले वास्तविक वित्तिय लाभ उच्च ग्रेड में आमेलन की तिथि से दिया जायेगा तथा 07.02.1996 को या इसके बाद कनिष्ठ आमेलित किये जाने की तिथि से प्रोफार्मा लाभ दिया जायेगा। (RBE 104/06)

निचले ग्रेड में समायोजित अधिशेष कर्मचारियों का वेतन नियतिकरण (RBE 160/92)
(Fixation of pay of surplus staff being absorbed in lower grade)

निचले वैकल्पिक पद पर समायोजित होने पर अधिशेष कर्मचारी का वेतन उस श्रृंखला के समान निर्धारित किया जायेगा जिस पद से वह अधिशेष पूर्व वेतन आहरित कर रहा था। यदि उसके द्वारा धारित नये पद में ऐसी कोई वेतन श्रृंखला नहीं है तो उससे निचली श्रृंखला में निर्धारित किया जायेगा तथा उसका अन्तर वैयक्तिक वेतन के रूप में रहेगा जो भविष्य में मिलने वाली वेतनवृद्धि में समायोजित हो जायेगी। किन्तु इस प्रकार निर्धारण वेतन अधिशेष कर्मचारी के समायोजित पद के वेतनमान के अधीकतम से अधिक नहीं होगा। उपयुक्त वेतन संरक्षण वहाँ विस्तारित नहीं किया जायेगा, जहाँ समान वेतनमान में पदों की उपलब्धता होने के बावजूद कर्मचारी का समायोजन उसके अनुरोध पर कम वेतनमान वाले पद पर किया गया हो।

स्वयं अनुरोध स्थानान्तरण पर वेतन नियतीकरण (Fixation of pay in case of own request transfer in lower grade) [RBE 19/95, 188/99, 60/07, 143/07 & Bd' letter dt. 02.12.96 (P.No.:227 of RBO 96)]

किसी पद के नियमित धारक की नीचले वेतनमान /पद पर स्थानान्तरण के मामलें में वेतन निर्धारण उस कर्मचारी द्वारा उच्च वेतनमान में लिये जा रहे वेतन के बराबर stage पर ही किया जायेगा। अगर वह stage उस वेतनमान में उपलब्ध नहीं हैं तो नीचली stage पर वेतन निर्धारित करते हुये बकाया वेतन व्यक्तिगत वेतन (Personal pay) के रूप में रखा जायेगा जो कि भविष्य में मिलने वाले वेतन वृद्धियों में समायोजित होगा। अगर नीचले पद के वेतनमान का अधिकतम कर्मचारी द्वारा उच्च वेतनमान /पद में लिये जा रहे वेतन से कम हैं तो कर्मचारी का वेतन FR 22 (1) (a) (3) के अनुसार नीचले वेतनमान के अधिकतम पर निर्धारित होगा।

01.01.2006 से लागू संशोधित वेतन ढांचे, जिसमें रनिंग पे व ग्रेड पे शामिल है, में स्वयं के अनुरोध पर निचले पद पर स्थानान्तरण चाहने वाले कर्मचारी का वेतन उसी वेतन व वेतन श्रृंखला पर निर्धारित किया जायेगा, जिसे निचले पद पर नियुक्ति से पूर्व वह आहरित कर रहा था किन्तु

उसे ग्रेड पे नीचले पद की ही दी जायेगी। भविष्य में उसकी वेतनवृद्धि उसके समायोजित निचले वेतन +वेतन बैण्ड +ग्रेड पे के आधार पर देय होगी। (RBE 210/09 & 146/12)

जी.डी.सी.ई. कोटा के अन्तर्गत चयनित रनिंग कर्मचारियों का वेतन नियतिकरण (RBE 132/06)

रनिंग कर्मचारियों को जो डी.डी.सी.ई. कोटा के अधीन अन्य पदों पर नियुक्ति होने पर वेतन नियतिकरण के उद्धेश्य से वेतन तत्व (Pay element) की गणना का लाभ देय नहीं होगा।

चूंकि डी.डी.सी.ई. योजना स्वेच्छिक प्रकृति की है तथा सम्बन्धित कर्मचारी उपर्युक्त योजना के अधीन अन्य पदों पर नियुक्ति होने पर वेतन नियतिकरण के तरीकों के बारे में जागरूक होते है, इसलिये ऐसे मामलों में वेतन नियतिकरण, वेतन तत्व को लेखे में लिये बिना प्रभावी होगी।

छठे वेतन आयोग/रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम–2008 के अधीन वेतन नियतिकरण (RBE 103/08)

(i) संशोधित वेतन ढांचे में प्रारम्भिक वेतनका नियतिकरणः– (RBE 103/08 का नियम 07)

01 जनवरी 2006 से संशोधित वेतन ढांचे में विकल्प के आधार पर अधिशासित या माने गये (Deemed) रेल कर्मियों का प्रारम्भिक वेतनउसके स्थायी पद, जिस पर उसका धारणाधिकार है, के मूल वेतन के सन्दर्भ में तथा उसके द्वारा धारित स्थानापन्न पद के सम्बन्ध में अलग–अलग निम्न प्रकार से निर्धारित किया जायेगाः–

सभी कर्मचारियों के मामले मेंः–

(i) पे बैण्ड /वेतनमान में वेतन का निर्धारण करने हेतु 01.01.2006 को मूल वेतन को 1.86 के गुणक से गुणा करके परिणामी आँकड़े को अगलके 10 के गुणकों में पूर्ण (Round off) किया जायेगा।

नोटः– संशोधित वेतन ढाँचे में वेतनवृद्धि की गणना करने के मामले में पैसों को अनदेखा कर दिया जायेगा किन्तु एक रूपये या अधिक की किसी भी राशि को अगले 10 के गुणों में पूर्ण किया जायेगा। (RBE 28/09)

(ii) यदि संशोधित वेतन बैण्ड /वेतनमान का न्यूनतम उपर्युक्त (i) अन्तर्गत आयी राशि से अधिक है, तो संशोधित वेतन बैण्ड /वेतनमान के न्यूनतम पर वेतन निर्धारित किया जायेगा।

उपर्युक्त नियम के सन्दर्भ में रेलवे बोर्ड द्वारा यह स्पष्ट किया गया है किः– (RBE 160/08)

(क) वर्तमान समूह ''घ'' कर्मचारी प्रारम्भिक तौर पर उचित ग्रेड पे के साथ वेतन बैण्ड में नियत किये जायेगें। तत्पश्चात आवश्यक शर्ते पूरी करने के बाद पे बैण्ड पीबी–1 (रू 5200–20200) में ग्रेड पे रू 1800 पर रखे जायेगें। तद्नुसार वर्तमान समूह 'घ' पद जो ग्रेड पे रू 1300, रू 1400, रू1600 एवं रू 1650 जो कि वेतन बैण्ड IS (रूपये 4400–7400) (पूर्व संशोधित वेतनमान रू 2550–3200, रू 2610–3540, रू 2610–4000 और रू 2650–4000) में है, उनको सभी कार्यों सहित समाहित कर वेतन बैण्ड पीबी–1 (रू 5200–20200) में ग्रेड पे 1800 पर रखा जायेगा (पूर्व संशोधित वेतनमान रू 2750–4400 के अनुरूप)

(ख) उपर्युक्त के परिणाम स्वरूप वर्तमान नियमित समूह 'घ' कर्मचारियों के नियोजन (Placement) की आगे की कार्यवाही रेल सेवा संशोधित वेतन नियम 2008 की अधिसूचना की तिथि से पीबी–1 रू 5200–20200 ग्रेड पे रू 1800 में निम्न प्रकार अधिशासित की जायेगीः–

(i) ऐसे समूह 'घ' कर्मचारी जो 01.01.2006 को सेवा में थे तथा जिनके पास पहले से ही संशोधित, न्यूनतम योग्यता, या आई.टी.आई. अथवा मैट्रिक पास (आर.बी.ई.–160/08) है तथा ऐसे कर्मचारी जो पुनः प्रशिक्षित हो चुके है उन्हें उनकी वरिष्ठता के साथ पीबी–1 ग्रेड पे–1800 में रखा जायेगा तथा उनका वेतन, वेतन नियतिकरण तालिका के अनुसार 01.01.2006 से पीबी–1 में ग्रेड पे रू 1800 में पुनः नियत किया जायेगा।

(ग) इसी प्रकार समूह 'घ' कर्मचारी जो 01.01.2006 के बाद नियमित आधार पर भर्ती हुये है उनको भी संशोधित वेतन ढाँचा में 1S/ पीबी–1 का लाभ (उनकी भर्ती की तिथि से) उसी प्रकार किया जायेगा जिस प्रकार कि 01.01.2006 को सेवारत कर्मचारियों के मामले में दिया गया है। (यह जहाँ आवश्यक हो, पुनः प्रशिक्षण की शर्त पर आधारित होगा)।

(घ) छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप पदो ंके उन्नयन के मामलों में, पूर्व संशोधित वेतनमान की समकक्ष (Corresponding) फिटमेण्ट सारणी को वेतन बैण्ड में वेतन निर्धारण हेतु प्रयोग में लिया जायेगा। वेतन बैण्ड में इस प्रकार निर्धारित वेतन में उन्नयन पद की Corresponding चालू ग्रेड पे को जोड़ा जायेगा। यह उन रेल कर्मचारियों का संशोधित वेतन होगा जो छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अपग्रेड हो गये है। (RBE 172/08)

(ड़) समूह 'घ' के ऐसे रेल कर्मी जो न्यूनतम योग्यता नहीं रखते है तथा जो 01.01.2006 और संशोधित वेतन नियम की अधिसूचना तिथि अर्थात् 04.09.2008, के मध्य सेवानिवृत /सेवा के दौरान मृत्त हो गये है, उन्हें पे बैण्ड 1 एस में रखा जायेगा तथा उसके अनुरूप उन्हें रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2008 में अधिसूचित के अनुसार ग्रेड पे दी जायेगी।

उपरोक्त के क्रम में रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 08.11.2010 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो दसवी पास नहीं थे तथा जिनकी मृत्यु सेवा के दौरान हो गई थी या जो दिनांक 01.01.2006 व संशोधित वेतन नियम 2008 के प्रसारित होने की तिथि अर्थात् 04.09.2008 के मध्य सेवनिवृत्त हो गये हैं, उन्हें भी 01.01.2006 से ग्रेड पे 1800 सहित पीबी–1 में रखा जायेगा। (RBE 162/10)

(च) ऐसे रेल कर्मी जिन्हें ए.सी.पी. योजना के अधीन उच्च वेतनमान में वित्तीय उन्नयन मिला है उन्हें इसी के अनुरूप उनके चालू (Corresponding) उच्च वेतनमान के अनुसार ग्रेड पे दी जायेगी। हालांकि पूर्व समूह 'घ' कर्मचारियों को यह देखे बिना पीबी–1 में ग्रेड पे रू 1800 दिया जायेगा कि पूर्व संशोधित समूह 'घ' वेतनमानों में उन्हें नियमित नियुक्ति /पदोन्नति मिली है अथवा ए.सी.पी. के अन्तर्गत। (RBE 08/09)

(छ) निर्माण संगठन में बाह्य संवर्ग में तदर्थ आधार पर कार्यरत्त रेल कार्मियों के मामले में छठे वेतन आयोग में उनका वेतन संवर्ग पद तथा बाह्य संवर्ग पद पर अलग–अलग नियत किया जायेगा। (RBE 133/2010)

(ज) 01.01.2006 के पूर्व लोको निरीक्षक बने कर्मचारियों का 01.01.2006 के पश्चात लोको निरीक्षक बने कनिष्ठ कर्मचारियों से वेतन उन्नयन (Stepingup) तभी विचारणीय हैं जबकि दोनों कर्मचारी एक ही संवर्ग के हो तथा जिस पद पर पदोन्नति हुई हैं वह समान (Identical) हो तथा RS(RP)Rules,2008 के नियम 07 की शर्त पूर्ण होती हो। [Rly. Bd's letter No.: E(P&A)11/2008/RS-37 dt. 24.07.08 &28.11.11 (NWR PS 82/11]

2. संशोधित वेतन ढाँचे में 01.01.2006 को या उसके बाद नवनियुक्त कर्मचारियों का वेतन नियतिकरणः (RBE 103/08 का नियम 08)

किसी निर्दिष्ट ग्रेड पे में विशेष पद के लिये सीधी भर्ती वाले कर्मचारियों को 01.01.2006 को या उसके बाद वेतन निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगाः–

ग्रेड पे	वेतन बैण्ड में वेतन	कुल	ग्रेड पे	वेतन बैण्ड में वेतन	कुल
1800	5200	7000	2400	7510	9910
1900	5830	7730	2800	8560	11360
2000	6460	8460			

यह उन मामलों पर भी लागू होगा जहाँ कर्मचारी 01.01.2006 तथा रेलवे बोर्ड द्वारा अधिसूचना के जारी होने के दौरान भर्ती हुये है। ऐसे मामलों में जहाँ का कार्यग्रहण की तिथि को लागू पूर्व संशोधित वेतनमान में मूल वेतन +महंगाई वेतन +महंगाई भत्ता, संशोधित वेतन ढाँचे में नियत वेतन तथा इस पर देय महंगाई भत्ते के परिलाभों के योग से अधिक है, तो इनके अन्तर को वैयक्तिक वेतन के रूप में दिया जायेगा जो भविष्य की वेतनवृद्धि में समाहित हो जायेगा।

3. संशोधित वेतन ढाँचे में वेतनवृद्धि की दरः (RBE 103/08 का नियम 9)

संशोधित वेतन ढाँचे में वेतनवृद्धि की दर कर्मचारी की देय पे बैण्ड व ग्रेड पे में वेतन के योग का 03 प्रतिशत होगी जिसे अगले 10 के गणकों में पूर्ण किया जायेगा। (संशोधित वेतन ढाँचे में वेतन वृद्धि की गणना में पैसों को अनदेखा किया जायेगा तथा एक रूपया या अधिक किसी भी राशि

को अगले 10 के गणकों में पूर्ण किया जायेगा वेतनवृद्धि की राशि को वेतन बैण्ड के वर्तमान वेतन में जोड़ दिया जायेगा। (RBE 28/09)

4. संशोधित वेतन ढाँचे में अगली वेतनवृद्धि की तिथि (RBE 103/08 का नियम 10)

प्रत्येक वर्ष की पहली जुलाई वार्षिक वेतनवृद्धि की एक समान तिथि होगी। संशोधित वेतन ढाँचे में पहली जुलाई को छःमाह या अधिक पूर्ण करने पर कर्मचारी वेतनवृद्धि का हकदार होगा। संशोधित वेतन ढाँचे में 01.01.2006 को वेतन नियतीकरण के बाद, उन कर्मचारियों के लिये जिनकी अगली वेतनवृद्धि पहली जुलाई 2006 से पहली जनवरी 2007 के बीच पड़ती हो, उनको पहली वेतनवृद्धि 01.07.2006 को दी जायेगी। किन्तु ऐसे कर्मचारी जो 01.01.2006 को एक वर्ष से अधिक से वर्तमान वेतनमान में अधिकतम आहरित कर रहे थे, उन्हें संशोधित ढाँचे में अगली वेतनवृद्धि पहले 01.01.2006 को दी जायेगी तत्पश्चात नियम 10 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप वेतन निर्धारित किया जायेगा।

किन्तु यदि कोई कर्मचारी उसके वेतन बैण्ड के अधिकतम वेतन पर पहुँच जाता है, तो ऐसे अधिकतम पर पहुँचने के एक वर्ष बाद उसे अगले उच्च वेतन बैण्ड में रखा जायेगा तथा उसे एक वेतनवृद्धि का लाभ देय होगा। इसके बाद वह उच्च वेतन बैण्ड में तब तक आगे बढ़ता रहेगा जब तक कि वतन बैण्ड में उसका वेतन पीबी–4 के अधिकतम पर नहीं पहुँच जाता। इसके बाद आगे कोई वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।

ऐसी स्टेगनशन वेतनवृद्धि उन सभी कर्मचारियों कोदेय होगी जो 01.01.2006 को अपने वेतनमान के अधिकतम पर एक वर्ष से अधिक समय से थे या जो स्टेगनेशन वेतनवृद्धि प्राप्त कर रहे थे। एक साल की अवधि की गणना वेतनमान के अधिकतम पर वेतन प्राप्त करने की तिथि से की जायेगी ना कि स्टेगनेशन वेतनवृद्धि प्राप्त करने की तिथि से। (RBE 83/12)

अगली वेतनवृद्धि की तिथि : स्पष्टीकरणः (RBE 132/08)

1. संशोधित वेतन ढाँचा नियम 2008 के नियम 10 के अनुसार वार्षिक वेतनवृद्धि की एक समरूप तिथि होगी जो प्रत्येक वर्ष की पहली जुलाई होगी। संशोधित वेतन ढाँचे में पहली जुलाई को छःमाह या अधिक माह पूर्ण करने वाले कर्मचारी वेतनवृद्धि पाने के हकदार होगें। तदनुसार सभी रेल कर्मचारी जिन्होंने अपनी अन्तिम वेतनवृद्धि 02.01.2005 और 01.01.2006 के बीच ली हो वे अगली वेतनवृद्धि 01.07.2006 को प्राप्त करेगें।

2. उन कर्मचारियों के लिये जिनकी अगली वेतनवृद्धि की तिथि 01.01.2006 को पड़ती है, उनके लिये पूर्व में जारी अनुदेशों के अनुसार पूर्ण संशोधित वेतनमान 01.01.2006 को एक वेतनवृद्धि देने के बाद संशोधित वेतनमान में उनका वेतन नियत किया जायेगा। ऐसे रेलकर्मी अपनी अगली वेतनवृद्धि 01.07.2006 को भी प्राप्त करने के हकदार होगें।

3. नियम 10 के प्रावधानों में एक बार (one time measure) छूट देते हुये रेलवे बोर्ड द्वारा यह विनिश्चय किया गया हैं कि ऐसे रेलकर्मी जिनकी वार्षिक वेतनवृद्धि वर्ष 2006 में फरवरी से जून के दौरान थी, उन्हें पूर्व संशोधित वेतनमान में 01.01.2006 से एक वेतनवृद्धि देय होगी तत्पश्चात उन्हें अगली वेतनवृद्धि संशोधित वेतन ढाँचे में 01.07.2006 से देय होगी। (RBE 40/12)

नोटः– (i) ऐसे मामलों में जहाँ दो वेतन श्रृंखला, जिसमें से एक अन्य वेतनमान का पदोन्नति वेतनमान हो, समाहित (marged) हो गई है तथा एक कनिष्ठ रेल कर्मी जो पूर्व में अपने वरिष्ठ से वेतन श्रृंखला के नीचे के स्तर पर या समान स्तर पर वेतन ले रहा था लेकिन वह संशोधित ढाँचे के वेतन बैण्ड में अपने वरिष्ठ से अधिक वेतन आहरित करता है तो उससे वरिष्ठ रेल कर्मचारी का वेतन समान तिथि से उसके कनिष्ठ के बराबर बढ़ा दिया जायेगा तथा वह अगली वेतनवृद्धि नियम 10 के अनुसार आहरित करेगा।

(ii) रेल सेवक जिसने वर्ष की पहली जुलाई को 06 माह से कम की सेवा की है वे उस दिन वेतनवृद्धि के हकदार नहीं होगें तथा उनकी वेतनवृद्धि की तिथि 12 माह बाद अगली 01 जुलाई को पड़ेगी। तदनुसार सभी रेल कर्मी जिन्होंने पदोन्नति /नियुक्ति लेखे पर किसी विशेष ग्रेड में 01 जनवरी को कार्यभार ग्रहण किया है वे उस वर्ष की पहली जुलाई को वार्षिक वेतनवृद्धि आहरित करने के हकदार होगें। किन्तु जिन्होंने 02 जनवरी से 30 जून के बीच किसी पद पर

कार्यभार ग्रहण किया है, वह इसके हकदार नहीं होगें किन्तु ऐसे मामलों में जहाँ कर्मचारी को 01 जनवरी को कार्य ग्रहण करना था लेकिन 01 जनवरी को रविवार या राजपत्रित अवकाश होने के बारण वह कार्यग्रहण नहीं कर सका हो तथा वर्ष के पहले कार्य दिवस को किसी पद पर कार्यग्रहण करता है, तो उसे वार्षिक वेतनवृद्धि देने के उद्धेश्य से 01 जुलाई को छःमाह की सेवापूर्ण करनामाना जायेगा। (RBE 64/2009)

(iii) रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या दिनांक 09.01.1987 (P, No-450 of RBO 87) में निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत दी गई व्यवस्था को छोड़कर, पूर्व वर्ष की 01 जुलाई से विचाराधीन वर्ष की 30 जून के बीच असाधारण छुट्टी (चिकित्सा प्रमाण–पत्र के बिना) के लेखे में 06 महिने से कम की अर्हक सेवा के मामले में वेतनवृद्धि अगले वर्ष की 01 जुलाई से प्रभावी होगी। (RBE 110/2010)

4. 01 जनवरी 2006 के बाद संशोधित वेतन ढाँचे में वेतन नियतिकरण : (RBE 103/08 का नियम 11)

जब कोई रेलकर्मी वर्तमान वेतन श्रृंखला में लगातार वेतन आहरित करते हुए 01.01.2006 के बाद की तिथि में संशोधित वेतन ढाँचे में आता है तो संशोधित वेतन ढाँचे में उसका वेतन निम्न प्रकार से नियत किया जायेगाः– जिस तिथि को वेतन निर्धारित किया जा रहा है उस तिथि से लागू मूल वेतन, मंहगाई वेतन और मंहगाई भत्ता (01.01.2006 को लागू पूर्व संशोधित मंहगाई भत्ता) को जोड़ते हुये नियति किया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त आँकड़े को अगले 10 के गुणकों में पूर्ण (Round off) किया जायेगा तथा उसके बाद वेतन बैण्ड में वेतन लागू होगा। इसके अलावा संशोधित वेतनमान में देय ग्रेड पे भी दी जायेगी।

5. पूर्व धारित किसी पद पर 01.01.06 पश्चात पुनःनियुक्ति होने वेतन नियतिकरणः (RBE 103/08 का नियम 12)

कोई रेल सेवक जो पहली जनवरी 2006 से पूर्व किसी पद पर तैनात था लेकिन उक्त तिथि को उस पद पर नहीं था, किन्तु इसके बाद उक्त पद पर नियुक्त होकर संशोधित वेतन ढाँचे में वेतन आहरित करता हे तो उसे IRCE-II के मूल नियम–22 के नियम 1313 में दी गई व्यवस्था का लाभ देय होगा तथा यह मानते हुए उसका वेतन निर्धारित किया जायेगा कि अगर 01.01.2006 को वह उस पद का धारक होता तथा उस तिथि से संशोधित वेतन ढाँचे हेतु विकल्प देता तो उसका वेतन क्या निर्धारित होता।

6. 01.01.2006 या उसके बाद पदोन्नति पर वेतन नियतिकरणः(RBE 103/08 का नियम 13)

संशोधित वेतन ढाँचे में एक ग्रेड पे से दूसरी ग्रेड पे में पदोन्नति होने पर वेतन नियतिकरण निम्न प्रकार से किया जायेगा :–

वर्तमान वेतन बैण्ड में वेतन और वर्तमान ग्रेड पे के योग के 3 प्रतिशत के बराबर एक वेतनवृद्धि की गणना की जायेगी तथा उसे अगले 10 के गुणकों में पूर्ण किया जायेगा। इसे वेतन बैण्ड के वर्तमान वेतन में जोड़ा जायेगा। तथा उसके अतिरिक्त पदोन्नति पद सम्बन्धी ग्रेड पे भी उसमें सम्मिलित की जायेगी। यदि पदोन्नति में वेतन बैण्ड का बदलाव भी शामिल है तो समान प्रक्रिया ही अपनाई जायेगी किन्तु यदि वेतनवृद्धि जोड़ने के बाद वेतन बैण्ड में वेतन उच्च वेतन बैण्ड, जिस पर पदोन्नति होनी है, उसके न्यूनतम से कम है, तो वेतन बैण्ड में ऐसे वेतन को इस न्यूनतम तक बढ़ा दिया जायेगा।

वर्तमान ग्रेड पे और वेतन बैण्ड में वेतन जोड़कर 80,000 से अधिक नहीं होगा (वेतनमान का अधिकतम) तथा ऐसे रेलकर्मी जो NPA के हकदार है उनके मामले में वेतन +एनपीए 85000 से अधिक नहीं होगा।

उपरोक्त नियम के संबंध में रेलवे बोर्ड द्वारा निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किये गये हैः (RBE 132/08)

(i) 01.01.2006 के बाद पदोन्नति पर वेतन नियतिकरण की विधि :

एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नति /ए.सी.पी. के अन्तर्गत वित्तिय उन्नयन के मामले में रेल कर्मचारी आई आर ई सी भाग–ाा (छठा संस्करण 1987 दूसरा पुनःमुद्रण 2005) के मूलभूत नियम 22 (क) (क) (1) के नियम 1313 के अधीन या तो पदोन्नति की तिथि से या उसकी अगली

वेतनवृद्धि अर्थात् वर्ष की पहली जुलाई से उच्च पद पर अपने वेतन नियतिकरण का विकल्प दे सकता है ऐसे मामलों में संशोधित वेतन ढाँचे में उसका वेतन निम्न प्रकार से नियत किया जायेगाः–

(क) ऐसे मामले में जब रेल कर्मचारी अपना वेतन उसकी अगली वेतनवृद्धि की तिथि से नियत करने का विकल्प देता है तो पदोन्नति की तिथि को वेतन बैण्ड में उसका वेतन बिना बदलाव के जारी रहेगा लेकिन उच्च पद की ग्रेड पे दी जायेगी तथा अगली वेतनवृद्धि की तिथि अर्थात् 01 जुलाई को पुन+ वेतन नियतिकरण किया जायेगा। तथा उस तिथि को उसे दो वेतनवृद्धि दी जायेगी, एक वार्षिक वेतनवृद्धि तथा दूसरी पदोन्नति के लेखे वेतनवृद्धि। दोनों वेतनवृद्धियों की गणना हेतु पदोन्नति तिथि से पूर्व का मूल वेतन गणना में लिया जायेगा। उदाहरण के लिये यदि पदोन्नति तिथि से पूर्व मूल वेतन 100 रूपये था तो पहली वेतनवृद्धि की गणना 100 रूपये पर ताकि दूसरी की गणना 103 रूपये पर की जायेगी।

(ख) ऐसे मामले में जब रेल कर्मचारी अपना वेतन नियतिकरण पदोन्नति की तिथि से नियत करने का विकल्प देता है तो उच्च ग्रेड में उसे पहली वेतनवृद्धि अगली पहली जुलाई से दी जायेगी यदि वह 2 जुलाई से 1 जनवरी के बीच पदोन्नत हुआ है। किन्तु यदि वह वर्ष की 2 जनवरी व 30 जून के मध्य पदोन्नत हुआ है तो अगले वर्ष की पहली जुलाई को उसकी वेतनवृद्धि देय होगी।

(ग) 01.01.2006 के बाद पद पर पदोन्नत किये गये वरिष्ठ कर्मचारी के वेतन को अपने कनिष्ठ कर्मचारी, जिसकी बाद मेंउसी पद पर सीधी भर्ती की गई थी, की तुलना में स्टेप–अप किया जाये, बशर्ते कि वे सभी प्रयोजनों के लिए एक ही वरिष्ठता सूची में हो। (RBE 28/10 & 115/11)

(ii) वेतन नियतिकरण हेतु फिटमेण्ट टेबल का उपयोग :

रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम–2008 का नियम–11 को 01 जनवरी 2006 के बाद की तिथि से संशोधित वेतन ढाँचे में वेतन नियतिकरण के लिये उपलब्ध कराया गया है। 01 जनवरी 2006 के बाद की तिथि को जब नियम–11 के अन्तर्गत किसी रेल कर्मचारी का वेतन नियतिकरण किया जाता है तो रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 11.09.2008 (RBE 108/2008) के साथ संलग्न फिटमेण्ट टेबल का उपयोग किया जायेगा जो उपर्युक्त पत्र के पैरा–2 में वर्णित सम्बन्धित व्यवस्था के अनुसार होगा। ऐसे मामलों में गणना के लिये रेल कर्मचारी का पूर्व संशोधित वेतनमान में उस दिन का वेतन ही वेतन नियतिकरण का आधार होगा।

(iii) ऐसे सरकारी कर्मचारियों का वेतन नियतिकरण जो प्रति नियुक्ति पर थे, तथा बाद में प्रतिनियुक्ति के दौरान संवर्ग में पदोन्नत हुये है :–

(क) ऐसे मामलों में जब रेल कर्मचारी 01.01.2006 को प्रतिनियुक्ति पर थे तथा 01.01.2006 के बाद की तिथि से अपने संवर्ग में किसी उच्च पद पर पदोन्नत हुये किन्तु NBR नियम के तहत प्रोफार्मा पदोन्नति नहीं दी गई है तो उनका वेतन नियतिकरण 01.01.2006 को उस ग्रेड में किया जायेगा जिसमें वह 01.01.2006 को थे।

(ख) ऐसे मामलें में जब रेल कर्मचारी को NBR के अन्तर्गत प्रोफार्मा पदोन्नति दे दी गई हो तो उसका वेतन नीचे मद संख्या (ग) में स्पष्ट किये गये NBR में दी गई व्यवस्था का अनुसार नियत किया जायेगा।

(ग) NBR के अधीन प्रोफार्मा पदोन्नति देने पर रेल कर्मचारी का संशोधित वेतन ढाँचे में वेतन का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगाः–

(अ) ऐसे मामलें में जब रेल कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर है तथा अपने संवर्ग में उच्च पद पर पदोन्नत होता है तो वेतन बैण्ड में उसका वेतन उसके संवर्ग में उससे तुरन्त कनिष्ठ कर्मचारी के वेतन के सन्दर्भ में नियत किया जायेगा किन्तु प्रतिनियुक्ति की शेष अवधि के लिये वह प्रतिनियुक्ति पद से संलग्न ग्रेड पे को नियमित रूप से आहरित करता रहेगा।

(ब) ऐसे मामलें में जब रेल कर्मचारी वेतन बैण्ड–4 के पद पर प्रतिनियुक्ति पर है तथा अपने संवर्ग में उच्च प्रशासनिक ग्रेड में पदोन्नत होता है तो उसका मूल वेतन उसकी सेवा के संवर्ग के उससे तुरन्त कनिष्ठ कर्मचारी के मूल वेतन के सन्दर्भ में नियत किया जायेगा। किन्तु ऐसे

निर्धारित कुल वेतन और प्रतिनियुक्ति पद का ग्रेड पे मिलाकर रूपये 79,000 से अधिक नहीं होगा।

(स) ऐसे मामलें में जब रेल कर्मचारी वेतन बैण्ड–4 के पद पर प्रतिनियुक्ति पर है, तथा अपने संवर्ग में शीर्ष वेतन श्रृंखला के किसी पद पर पदोन्नत होता हे तो उसका मूल वेतन उसकी सेवा संवर्ग में उससे तुरन्त कनिष्ठ कर्मचारी के मूल वेतन के सन्दर्भ में नियत किया जायेगा। किन्तु वेतन बैण्ड में कुल वेतन और प्रतिनियुक्ति पद का ग्रेड पे मिलाकर रूपये 79,000 से अधिक नहीं होगा।

(iv) सरकारी कर्मचारी का वेतन नियतिकरण जो निचले पद पर प्रतिनियुक्ति पर जाता हैः–

(क) ऐसे मामलें में जब कोई रेल कर्मचारी निचले ग्रेड पे वाले पद पर प्रतिनियुक्ति पर जाता हे तो वेतन बैण्ड में उसका वेतन अपरिवर्तित रहेगा किन्तु उसे प्रतिनियुक्ति की सम्पूर्ण अवधि के लिये निचले पद की ग्रेड पे ही देय होगी।

(ख) किसी उच्च प्रशासनिक ग्रेड के रेल कर्मचारी द्वारा वेतन बैण्ड–4 के निचले पद पर प्रतिनियुक्ति पर जाने के मामले में उसकी सेवा संवर्ग में उसके मूल वेतन के समान स्तर के बराबर प्रतिनियुक्ति पद पर मूल वेतनदेय होगा। किन्तु प्रतिनियुक्ति पद पर वेतन और ग्रेड पे मिलाकर रूपये 79000 से अधिक नहीं होगा।

(ग) शीर्ष वेतन श्रृंखला के किसी रेल कर्मचारी का वेतन बैण्ड–4 के निचले पद पर प्रतिनियुक्ति पर जाने के मामले में वेतन बैण्ड–4 के अधिकतम रूपये 67000 पर वेतन नियत किया जायेगा तथा उसे प्रतिनियुक्ति पद के साथ संलग्न ग्रेड पे देय होगी। किन्तु वेतन बैण्ड और प्रतिनियुक्ति पद की ग्रेड पे मिलाकर उसका वेतन रूपये
79000 से अधिक नहीं होगा।

(v) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित उन्नयन /वेतनमानों के विलय के मामले में कर्मचारियों को उच्च वेतनमान में रखने की प्रक्रियाः–

(क) जब पूर्व संशोधित वेतनमानों के एक या अधिक पदों काउच्च पूर्व संशोधित वेतनमानों में विलय कर एक सामान्य परिवर्तित वेतनमान /ग्रेड पे दिया गया हो तो सम्बन्धित कर्मचारियों को परिवर्तित उच्च वेतनमान /ग्रेड पे देने के लिये उपयुक्ता जाँच आदि नहीं की जायेगी तथा उन्हें परिवर्तित वेतनमान /ग्रेड पे स्वतः ही दे दी जायेगी तथा उनका वेतन फिटमेण्ट टेबल के अनुसार नियत किया जायेगा।

(ख) इसी प्रकार, वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित उन्नयन अर्थात् जहाँ किसी विशेष ग्रेड के सभी पदों को उच्च परिवर्तित वेतनमान /ग्रेड पे दिया गया हो तो उच्च परिवर्तित वेतनमान /ग्रेड पे देने के लिये पदधारियों की उपयुक्तता की जाँच करना आवश्यक नहीं है तथा पदधारी परिवर्तित वेतनमान /ग्रेड पे प्राप्त करने के हकदार होगें। वेतन बैण्ड में इनका वेतन पूर्व संशोधित वेतनमान के फिटमेण्ट टेबल के अनुसार नियत किया जायेगा तथा उन्नयन पद पर लागू ग्रेड पे उन्हें देय होगी।

(ग) दिनांक 01.01.2006 व उसके पश्चात निम्नलिखित /मामलों में संशोधित वेतन ढाँचे में समान पे बैण्ड /ग्रेड पे में अन्य पद पर पदोन्नति होने पर नियम के अन्तर्गत वेतन निर्धारण देय होगा– (RBE 95/13)

SNo	Feeder Category	Promotional Category	Revised Pay Structure	
			Pay Band	Grade Pay
1.	Chief Matron	Assistant Nursingh Officer	PB3	GP Rs. 5400
2.	Sr. Technician	Jr. Engineer	PB2	GP Rs. 4200
3.	(i) Loco Pilots (Goods)	(i) Loco Pilots (Passenger)	PB2	GP Rs. 4200
	(ii) Loco Pilots (Passenger)	(ii) Loco Pilots (Mail /Express)	PB2	GP Rs. 4200
	(iii) Passenger Guard	(iii) Mail /Express Guard	PB2	GP Rs.

				4200
4.	Sr.P.W.Supervisor	Jr.Engineer	PB2	GP Rs. 4200

(vi) सभी मामलों में जहाँ 01 जनवरी 2005 के बाद किसी रेल कर्मचारी को वेतनवृद्धि दी गई है, (चाहे सामान्य वार्षिक वेतनवृद्धि हो या गतिरोध (Stagnation) वेतनवृद्धि) तो उन्हें 01.01.2006 को संशोधित वेतन ढाँचे में वेतन नियतिकरण के समय कोई वेतनवृद्धि देय नहीं होगी। (RBE 28/09)

नोटः– (क) रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम–2008 में ''मूल वेतन'' की परिभाषा के अन्तर्गत, संशोधित वेतन ढाँचे में आहरित वेतन तथा उस पर लागू ग्रेड पे के रूप में वर्णित किया गया है। किन्तु इसमें अन्य प्रकार के वेतन, जैसे व्यक्तिगत वेतन इत्यादि को शामिल नहीं किया गया है। उच्च प्रशासनित वेतनमान (HAG+) वाले रेल कर्मचारियों के मामलें में मूल वेतन का आशय निर्धारित वेतनमान में वेतन से है।

(ख) ऐसे रेल कर्मचारी जिनकी पदोन्नति /उन्नयन 01.01.2006 से 29.08.2008 के दौरान हुई हैं, उनके समक्ष विकल्प होगा कि संशोधित वेतनमान में वे अपना वेतन निर्धारण प्रथम /द्वितीय पदोन्नति की तिथि से करवा लें। (RBE 105/12)

(ग) दिनांक 01.01.2006 पश्चात पदोन्नत हुये रनिंग कर्मचारियों का संशोधित वेतनमान में वेतन निर्धारण सम्बन्धी स्पष्टीकरण। (RBE 30/14)

(घ) गार्ड वे लोको पायलट कोटि में (Functional & Non-functional) पदोन्नति पर वेतन निर्धारण पर वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण। (RBE 54/14)

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियां पे नियुक्तियां है जो रेल सेवकों के आश्रितों को परिवार की आर्थिक और अन्य स्थितियों के उचित और निरपेक्ष आंकलन के आधार पर दी जा सकती है। यदि मामला न्यायोचित है तो अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु परिवार के योग्य व्यक्ति पर विचार किया जा सकता है।

(1)परिस्थितियां जिनमें अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति दी जा सकती है :

(RBd's Letter No. E(NG)II/78/RC-III,Dt30.04.79 , 07.04.83)

(i) रेल कर्मचारी की कर्तव्य के दौरान दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाने पर ,

(ii) रेल कर्मचारी की सेवा के दौरान कार्य समय में रेल दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर,

(iii) रेल कर्मचारी की सेवा के दौरान कार्य समय में मृत्यु हो जाने पर,

(iv) रेल कर्मचारी की प्राधिकृत रेलवे चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सकीय आधार पर अयोग्य घोषित किए जाने पर तथा उसके द्वारा चिकित्सकीय आधार पर सेवानिवृति चुनने पर।

(v) कर्मचारी के सेवानिवृति से कुछ महीनों /दिनों पूर्व चिकित्सकीय आधार पर अयोग्य घोषित होने की स्थिति में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ संबंधित सक्षम अधिकारी के अनुमोदन पर कर्मचारी के पुत्र या पुत्री को भी दिया जा सकता है।

(RBd's Letter No. E(NG)II/78/RC-III,Dt30.04.79 , 07.04.83)

ऐसे रेल कर्मचारी जिन्हें गम्भीर बिमारी जैसे – कैन्सर,हृदय रोग आदि हो गया हो और चिकित्सकीय रूप से विकोटिकृत हो गए है तथा जिन्होनें चिकित्सकीय आधार पर स्वैच्छिक सेवानिवृति ले ली है जबकि उन्हें उसी पारिश्रमिक का अन्य वैकल्पिक कार्य दिया जा सकता था। ऐसे मामलों में उनके परिवार के योग्य सदस्यों को निम्न शर्तो के अधीन अनुकम्पा नियुक्ति दी जा सकती है :–

(क) नियुक्ति केवल समूह –घ की योग्य श्रेणी में दी जाएगी।

(ख) ऐसी नियुक्ति केवल उसी मामले में दी जाएगी जब आंशिक रूप से विकोटिकृत घोषित किये जाते समय कर्मचारी की कम से कम 05 वर्ष या अधिक की सेवा शेष हो।

(RBE 78/06, 22/14)

नोटः– अगर रेल कर्मचारी को मेडिकल मैनुअल के पैरा 512(ii) के अधीन सभी मेडिकल कोटियों में अयोग्य घोषित होने पर सेवानिवृत किया जाता है तो ऐसे मामले में अनुकम्पा नियुक्ति देय नही होगी।

(vi) खोए हुए/गायब रेल कर्मचारियों के मामले में अनुकम्पा नियुक्ति निम्न शर्तो के अधीन दी जा सकती है –

(क) रेल कर्मचारी के गायब होने के कम से कम 02 वर्ष बीत जाने के पश्चात् अनुकम्पा नियुक्ति की प्रार्थना पर विचार किया जा सकता है बशर्ते FIR दर्ज करा दी गई हो और गायब व्यक्ति का कोई अता–पता नहीं मिला है तथा सक्षम प्राधिकारी यह महसूस करता है कि मामला न्यायोचित है।

(ख) यह लाभ उन रेल कर्मचारी को देय नहीं होगा :–
जिनकी गायब होने की तिथि से सेवानिवृति में दो वर्ष से कम का समय शेष हो या
जिस कर्मचारी पर धोखाधडी या आंतकवादी संगठन में शामिल होने या विदेश चले जाने का संदेह हो।

(ग) ऐसे मामले में नियुक्ति को अधिकार नहीं समझा जा सकता और यह दी गई शर्तो के पूरा करने के अधीन रहेगी।

(घ) ऐसे आवेदन पर विचार करते समय पुलिस जांच के परिणाम /वर्तमान स्थिति को भी ध्यान में रखा जायेगा।

(ड़) इन सामान्य निर्देशों के अन्तर्गत अनुकम्पा नियुक्ति हेतु किसी प्रार्थना पर निर्णय सक्षम प्राधिकारी अर्थात् DRM/CWM/HOD द्वारा लिया जाना चाहिए। (RBE 3/2009)

(च) यदि गायब रेल कर्मचारी बाद में उपलब्ध हो जाता है तो अनुकम्पा पर नियुक्त संतान/विधवा की सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी।

(छ) समापन राशि के भुगतान से अनुकम्पा नियुक्ति को अलग रखा गया है। अर्थात् ऐसे मामले में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु मनाही या देरी केवल इस आधार पर नहीं की जा सकती की गायब कर्मचारी के समापन राशि का भुगतान अभी उन लोगों को किया जाना है जो इसे प्राप्त करने के हकदार है।

(ज) उपर्युक्त निर्देश उन अस्थायी ओहदा प्राप्त नैमेतिक श्रमिको की संतान /विधवाओं पर भी लागू होगें जो खो गए/गायब हो गए है। (RBE 137/97)

[नोट :– गुमशुदा व्यक्ति के मामले में अनुकम्पा नियुक्ति पर सामान्य किराये पर अधिकतम तीन वर्ष रेलवे आवास रोका जा सकता है। (1+1+1/2+1/2 yrs)] (RBE 137/97)

(2) वे व्यक्ति जो अनुकम्पा नियुक्ति हेतु योग्य हैः–

(i) पूर्व कर्मचारी का पुत्र/पुत्री /विधवा/विधुर और अविवाहित पुर्व कर्मचारी के आश्रित। (RBd's Letter No. E(NG)III/78/RC-III,Dt30.04.79 , 07.04.83)

(ii) अनुकम्पा नियुक्ति हेतु विवाहित पुत्री पर भी विचार किया जा सकता है यदि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट हो कि विवाहित पुत्री शोकसंतप्त वरिवार का भरण–पोषण करेगी। (RBd's Letter No. E(NG)III/78/RC-I/1 ,Dt-03.02.81)

(iii) कर्मचारी की मृत्यु /मेडिकल अयोग्य होने की तिथि को पूर्णरूप से उस पर आश्रित विधवा/तलाकशुदा पुत्री पर भी अनुकम्पा नियुक्ति हेतु विचार किया जा सकता है,यदि सक्षम प्राधिकारी परिस्थितियों से संतुष्ट है। (RBE 224/01&118/02)

(iv) जहां विधवा नौकरी नहीं कर सकती है और पुत्र /पुत्री अवयस्क है तो मामला उस समय तक लम्बित रखा जा सकता है जब तक पहला पुत्र /पुत्री वयस्क न हो जाए। वयस्क हो जाने के पश्चात् दो वर्ष की अवधि में विधवा/संतान अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकती है।

(v) दत्तक पुत्र /पुत्री भी अनुकम्पा नियुक्ति हेतु विचार किए जाने योग्य है यदि निम्न शर्ते पूरी होती है – (RBE 106/88)

(क) दत्तक ग्रहण का कानूनी वैद्य प्रमाण है।

(ख) ऐसे दत्तक ग्रहण को रेल कर्मचारी को शासित करने वाले वैयक्तिक कानून से कानूनी मान्यता प्राप्त हो।

(ग) कानूनी दत्तक ग्रहण प्रक्रिया कर्मचारी की मृत्यु /विकोटिकरण की तिथि से पहले पूर्ण/वैद्य हो चुकी हो।

(घ) इस प्रकार का दत्तक ग्रहण पास नियमों के प्रावधानों के अर्न्तगत सुविधा पास/ पीटीओ जारी करने हेतु स्वीकार किया जा चुका है। (RBd's Letter No. E 33/0 VII(CG),Dt-30.12.96)

(vi) ऐसे रेल कर्मचारी के मामले में जो चिकित्सकीय रूप से अपंग या विकोटिकृत हो गया है और सेवानिवृति हो जाता है और यदि अनुकम्पा नियुक्ति अन्यथा देय है तो ऐसी नियुक्ति रेल कर्मचारी की पत्नि को दी जा सकती है। RBd's Letter No. E(NG)II/84/RC-I/105 ,Dt-16.11.84)

(vii) अविवाहित रेल कर्मचारी जिनकी मृत्यु हो गई है या चिकित्सकीय रूप में विकोटिकृत हो गया है, के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति देने हेतु विचार कर सकती है। ऐसे मामलों में रेलवे को आश्रितों की नियुक्ति हेतु पास घोषणा में परिवार के सदस्यों के रूप में आश्रितों के नाम शामिल करना या राशन कार्ड इत्यादि दस्तावेजों के आधार पर आश्रितता के दावे में सच्चाई की पुष्टि करनी चाहिए। ऐसे प्रमाण देने वाले दस्तावेज न होने पर आश्रितता की वास्तविक स्थिति की पुष्टि करने हेतु कल्याण निरीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है जो परिस्थितियों की जांच करता है। (RBE. 79/96, 66/97,17/98 &165/99)

(viii) सामान्यतःपिता को परिवार का भरण–पोषण करने वाला माना जाता है। ऐसी स्थिति में जब पति और पत्नि दोनों रेल कर्मचारी है तो पति की मृत्यु पर एक संतान को नियुक्ति दी जा सकती है परन्तु पत्नि की मृत्यु पर नहीं। परन्तु अब, यदि पति और पत्नि दोनों सेवारत है तो अनुकम्पा नियुक्ति परिवार के सिर्फ एक योग्य सदस्य को पहले हुई मृत्यु पर दी जा सकती है ।(RBE 75/97)

ये नियम उस मामले में भी लागू है जब दोनों पति और पत्नि रेल सेवक है और एक चिकित्सकीय अयोग्यता के परिणाम स्वरूप सेवानिवृत हो जाता है तथा यह नियम गुमशुदा रेल कर्मचारी के मामले में भी लागू होगा। (RBE 44/01)

(ix) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त उम्मीदवार के रेलवे में नियमित नियुक्ति से पूर्व प्रशिक्षण के दौरान मृत्यु हो जाने /चिकित्सकीय रूप से अयोग्य हो जाने की स्थिति में मूल भूतपूर्व कर्मचारी /भूतपूर्व कर्मचारी की पत्नि जिसके अनुरोध पर प्रशासन द्वारा /अयोग्य प्रशिक्षु संतान को नियुक्ति दी गई, को दूसरा अवसर दिया जा सकता है। (RBE 87/07)

(x) यदि रेल कर्मचारी की मृत्यु सेवा के दौरान हो जाती है तथा जो अपने पीछे एक से अधिक विधवाएं छोड जाता है और दूसरी पत्नि से भी बच्चे है तो न्यायालय आदेश या अन्यथा प्रत्येक मामले की मेरिट के आधार पर समापन राशि में दोनों विधवाओं की हिस्सेदारी हो सकती है परन्तु अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु दूसरी विधवा और उसके बच्चों पर विचार नहीं किया जा सकता यदि प्रशासन ने वैयक्तिक कानून इत्यादि के आधार पर ,विशेष परिस्थितियों में ,दूसरे विवाह की इजाजत नहीं दी हो तो। (RBE 1/92)

(3) अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र को स्वीकार करने व नियुक्ति प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी :–

(i) जिन पदों की ग्रेड रू. 4200/– तक है व सीधी भर्ती कोटा 25% से अधिक है उन मामलों में अनुरोध करने पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु महाप्रबन्धक द्वारा विचार किया जायेगा तथा जिन पदों का ग्रेड पे रू. 4200/–से अधिक अथवा रूपये 4200/– है, लेकिन सीधी भर्ती का कोटा 25% या कम है वहां अनुरोध पर यथोचित औचित्य तथा महाप्रबन्धक की निजी सिफारिश पर मामला रेलवे बोर्ड को विचारार्थ भेजा जायेगा। (RBE 80/2010)

(ii) RBE 80/2010 के अन्तर्गत ग्रेड पे 4200/– व 4600/–के पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की जो शास्तियां रेलवे बोर्ड के पास थी वे अब महाप्रबन्धक को दे दी गई है। (RBE 77/11)

(iii) 4600/- ग्रेड पे में अनुकम्पा नियुक्ति पर विचार करने हेतु यह आवश्यक है कि अभ्यार्थी प्रथम श्रेणी सहित इंजीनियरिंग स्नातक हो तथा संबंधित पद हेतु निर्धारित योग्यताएं रखता हो।

(RBE 77/11 & Bd'sLetter No. E(NG)II/1998/RC-I/64 ,Dt-28.01.14)

(iv) स्टाफ नर्स ग्रेड पे 4600/– की कोटि में भी अनुकम्पा नियुक्ति पर आरबीई 77/11 में दी गई शर्तो के अन्तर्गत विचार किया जा सकता है।

(RBd'sLetter No. E(NG)11/2011/RP-1/SL/20 ,Dt-14.09.2011)

(v) अन्य मामले में मंडल/मंडलेत्तर कार्यालयों में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति देने की शक्तियां DRM/CWM और HOD स्तर –I के अधिकारियों में निहित है।

[जेई–II पद पर नियुक्ति सहित –
GM/NWR L.NO 740E(R&T)/2/2/CGA/Non Sefety Non Core/Vol.I dt.01.04.15]

(vi) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन घटना से 05 वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए और सामान्यतः अनुकम्पा आधार पर सभी नियुक्तियां घटना की तिथि से 05 वर्ष की अवधि के भीतर कर दी जानी चाहिए।

(vii) पुत्र/पुत्री के अवयस्क होने की स्थिति में, अनुकम्पा के आधार के पर नियुक्ति हेतु आवेदन पुत्र/पुत्री के वयस्क होने की तिथि से 02 वर्ष के भीतर प्रस्तुत कर देना चाहिए। (RBE 100/94&101/94)

(viii) वकोटिकृत या गुमशुदा कर्मचारी के परिवार के आश्रित सदस्यों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति घटना की तिथि से 05 वर्ष तक DRM/CWM देने में सक्षम है। (RBE 144/2000)

(ix) DRM/CWM और HOD स्तर–I के अधिकारी विधवा/विधुर या उसकी पसन्द की संतान के पक्ष में रेल कर्मचारी की मृत्यु की तिथि से 20 वर्ष की अवधि तक नियुक्ति देने में सक्षम है। (RBE 03/2009)

पूर्व के आदेशों में संशोधन करते हुए रेलवे बोर्ड द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि वैयक्तिक मामलों में जब कभी ऐसा माना जाता है कि कर्मचारी की मृत्यु /मेडिकल अयोग्य होने के 25 वर्ष तक के मामले को आगे बढाने का औचित्य है तो महाप्रबन्धक मेरिट आधार पर व्यक्तिगत स्तर पर ऐसे मामलों को निष्पादित कर सकेगें। (RBE 77/2011)

(x) निम्नलिखित मामलों में महाप्रबन्धक का अनुमोदन आवश्यक है :– (RBE 144/2000)

(क) चिकित्सकीय अयोग्यता की तिथि से 05 वर्ष बीत जाने के पश्चात् पुत्र/पुत्री की अनुकम्पा नियुक्ति हेतु की गई प्रार्थना पर।

(ख) मृत्यु की तिथि से 25 वर्ष बीत जाने के पश्चात् विधवा/विधुर या उसकी पसन्द की संतान की अनुकम्पा नियुक्ति हेतु की गई प्रार्थना पर रेलवे बोर्ड भेजने से पूर्व। (RBE 77/2011)

(ग) अभ्यर्थी के वयस्क होने से 02 वर्ष बीत जाने के पश्चात् प्रस्तुत किए गए आवेदन पर। उपर्युक्त निर्देश गुमशुदा हुए रेल कर्मचारी के मामले में भी लागू होगे। (RBE 44/2001)

उपर्युक्त शर्तो में निम्नलिखित शर्तो पर छूट दी जायेगी :–

(क) सक्षम प्राधिकारी द्वारा शक्ति का उपयोग व्यक्गित रूप से किया जाएगा।

(ख) मृत कर्मचारी की विधवा ने दुबारा विवाह न किया हो।

(ग) समय सीमा में छूट के कारणों का उल्लेख रिकार्ड किया गया हो।

(घ) मामले की जांच प्राथमिकता के आधार पर हो।

महाप्रबन्धक ऐसे मामलों में जहां रेल कर्मचारी को 57 वर्ष की आयु के बाद (जब सेवानिवृति की आयु 58 वर्ष थी)व जहां सेवाकाल एक वर्ष से कम शेष रहा हो,मुख्य

चिकित्सा अधिकारी की विशेषज्ञ सलाह पर अपने विशेषाधिकार के अन्तर्गत रेल कर्मचारी की अशक्तता स्वीकार करने में सक्षम है।

(RBd'sLetter No. 85/h/5/10 ,Dt-26.06.90)

(4) आयु में छूट :–

(i) निम्न आयु सीमा में एक वर्ष तक की छूट महाप्रबन्धक के व्यक्तिगत अनुमोदन पर दी जा सकती है। (RBd'sLetter No. E(NG)III/97/RCL/47 Dt.29.11.79)

(ii) निम्न आयु सीमा में एक वर्ष से अधिक की छूट हेतु रेलवे बोर्ड का अनुमोदन आवश्यक है। (RBd'sLetter No. E(NG)III/78/RC-III Dt.07.04.83)

(iii) निम्न आयु सीमा में छूट की गणना सेवानिवृति लाभों हेतु नहीं की जानी चाहिए। कर्मचारी का वेतन जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है,उसके द्वारा धारित पद के न्यूनतम स्तर पर निर्धारित की जाएगी और वह अपनी सामान्य वेतन वृद्वि यदि अन्यथा देय है, 12 महीनों की अर्हक सेवा पश्चात् प्राप्त करेगा। [RBd'sLetter No. 3(NG)II/80-RR 1/37 Dt.07.07.81 & RBd's O.M.No.78 c 3/68/4/1 (Comp.)dt 29.05.82& NR PS No.8424]

(iv) पूर्ववृति ग्रुप डी कोटि में अनुकम्पा नियुक्ति के क्रम में उपरी आयु सीमा में छुट हेतु मंडल रेल प्रबनधक सक्षम है।

(v) ग्रुप सी कोटियों में अनुकम्पा नियुक्ति के क्रम 07 वर्ष तक की में उपरी आयु सीमा में छुट DRM/CWM/HOD तथा 07 वर्ष से ज्यादा 10 वर्ष तक मुख्य कार्मिक अधिकारी तथा इससे अधिक की छुट देने हेतु महाप्रबन्धक सक्षम है।

[RBd'sLetter No. E(NG)11-80/RR-1/37 Dt.07.07.81 GM(P)NWR L.NO. 740E/R&T/0/Policy/Vol.I dt 19.05.05; 740 E(R&T) CGA/upper age relaxation /(loose 2009) dt. 25.11.09, 743 E/R&T/CGA/JU/DC/ 2013 /8 dt 01.08.13 & 740 E(R&T)2/2 CGA/Non safety /Non Core/Vol.I dt 01.04.15]

(5) शैक्षणिक योग्यता :–

(i) सामान्यतःसमूह ग पदों हेतु शैक्षणिक योग्यता में छूट नहीं दी जोयगी। इनकी शैक्षणिक योग्यता सीधी भर्ती कोटा की रिक्तियों हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के समान ही रहेगी।

(क) NTPC पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 50% अंकों की अनिवार्यता के बिना 12^{th} (+2 stage) उत्तीर्ण होगी। [RBE164/92, 145/14 & Bds Letter Dt.05.03.15 (NWR PS 08/15)]

(ख) गार्ड, सहा.स्टे.मा.,पूछताछ व आरक्षण लिपिक ,वरि.लिपिक इत्यादि पदों हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उत्तीर्ण होगी। (RBd'sLetter No. E(NG)11/81/RSC/25 Dt.06.05.82)

(ii) शैक्षणिक योग्यता में छूट हेतु रेलवे बोर्ड की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है और रेलवे बोर्ड निम्नलिखित शर्तो पर ऐसे मामले पर विचार करेगा :– ; (RBE56/89)

(क) आवश्यक योग्यता प्राप्त करने हेतु स्वीकृत अवधि 02 वर्ष होगी।

(ख) ऐसे व्यक्ति को उस समय तक सेवा में नियमित नहीं किया जाएगा जब तक वह आवश्यक योग्यता प्राप्त न कर लें।

(ग) आवश्यक योग्यता प्राप्त किए बिना वह आगे पदोन्नति के योग्य नहीं होगा।

(घ) यदि नियत समय में वह आवश्यक योग्यता प्राप्त नहीं करता है तो उसे समूह–घ में नियुक्ति दे दी जाएगी।

(iii) समूह–घ में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण होगी। (RBE 35/99)

लेकिन अनुकम्पा के आधार पर विधवाओं की समूह –घ के उन पदों पर नियुक्ति की जाए जो सिर्फ उनके लिए आरक्षित है । महाप्रबन्धक /विभागाध्यक्षों /मंडल रेल प्रबन्धको द्वारा समूह–घ के पदों पर विधवाओं/पत्नियों की अनुकम्पा के आधार पर भर्ती हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में छूट पर विचार किया जा सकता है। बशर्ते वे पद के कर्तव्यों का संतोषजनक ढ़ंग से निर्वहन आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के बिना कर सकती है तो शैक्षणिक योग्यता पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। (RBE 177/99)

(क) वेतन बैण्ड 5200–20200 में ग्रेड पे 1800/– (पूर्ववृति ग्रुप डी कोटि)में नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास या आई.टी.आई. या समकक्ष होगी।

(RBd'sLetter No.E(NG)11/2009/RR-I/10/Pt Dt.09.12.10)

यह निर्देश 01.04.2011 से प्रभावी होगें तथा दसवीं से कम शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यार्थियों के पूर्ववृति चतुर्थ श्रेणी में नियुक्ति हेतु लम्बित आवेदनों पर रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 09.12.2010 जारी होने के पूर्व के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाएगी।

[रे.बोर्ड का पत्र सं.E(NG)11/2009/RR-I/10/Pt Dt.05.01.11]

पूर्ववृति चतुर्थ श्रेणी में शैक्षणिक योग्यता संबंधी छूट की अवधि 31.03.11 से बढ़ाकर 31.07.2011 कर दी गई। [रे.बोर्ड का पत्र सं.E(NG)11/2009/RR-I/10/Pt Dt.27.04.11]

(ख) 1800/– ग्रेड पे में नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता में छूट देने संबंधी शक्तियां रेलवे बोर्ड में निहित होगी। (RBE 77/11)

(iv) अनुकम्पा आधार पर नियुक्त होने वाले अभ्यार्थी के पास डिग्री /डिप्लोमा /आईटीआई आदि रेलवे संबंधी योग्यता है और उसे स्कील्ड आर्टिजन की उसी कोटि में नियुक्त किया जाना है जिस संबंधी डिग्री /डिप्लोमा/आई.टी.आई.योग्यता उसके पास है तो उसे 06 माह का प्रशिक्षण ही प्राप्त करना होगा लेकिन उसकी योग्यता से अन्य ट्रेड में लगाया जाता हैं तो उसे 03 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

(v) विशेष परिस्थितियों में,जहॉ अनुकम्पा नियुक्ति, भूमि वंचित (Land Losers), दुर्घटना पीड़ित, LARSGESS तथा एवजी के मामले में किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने पर विचार किया जाता है जो संबंधित पद हेतु वांछित शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है,तो ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति /नियोजन प्रशिक्षार्थी (trainees) के रूप में किया जायेगा तथा उसे नियमित वेतन बैण्ड तथा ग्रेड पे ,इस पद संबंधी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने पर दिया जायेगा। प्रशिक्षण के दौरान तथा नियमित नियुक्ति पूर्व ऐसे प्रशिक्षार्थियों को – 1S पे बैण्ड का न्यूनतम ,बिना ग्रेड पे के परिलब्धियां (emoluments) देय होगी। भविष्य में नियुक्त होने वालों की 1S पे बैण्ड में व्यतीत अवधि को किसी भी उद्देश्य से सेवा के रूप में नहीं माना जायेगा, उनकी नियमित सेवा उस दिन से शुरू होगी जब उन्हें 1800/– ग्रेड पे सहित PB-1 रू. 5200–20200में रखा जायेगा।

उपरोक्त संबंध में रेलवे बोर्ड द्वारा स्पष्ट किया गया है कि :–

(क) 'प्रशिक्षार्थी' के रूप में नियुक्त व्यक्ति प्रथम दिवस से ही सरकारी कर्मचारी होगा तथा बालक शिक्षा भत्ता सहित सभी भत्तों का पात्र होगा।

(अ) ऐसे 'प्रशिक्षार्थी' को पांच वर्ष के भीतर न्यूनतम शैक्षणिक प्राप्त करनी होगी।

(ब) अनुकम्पा आधार पर नियुक्त 'प्रशिक्षार्थी' की परिवीक्षा अवधि (probation period) उसके द्वारा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने की तिथि से शुरू होगी।

(स) अनुकम्पा आधार पर नियुक्त 'प्रशिक्षार्थी' नियमित रेल कर्मचारी की तरह सभी प्रकार की छुट्टीयों का पात्र होगा लेकिन समयोपरि भत्ता (O.T.) देय नहीं होगा।

(द) अनुकम्पा आधार पर नियुक्त 'प्रशिक्षार्थी' के आश्रित अनुकम्पा नियुक्ति के पात्र होगें।

(य) अनुकम्पा आधार पर नियुक्त 'प्रशिक्षार्थी' न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने तक –1S पे स्केल में सामान्य दस से वेतन वृद्वि प्राप्त करेगा तथा मेडिकल सुविधा भी उसी अनुरूप प्राप्त करने का पात्र होगा जैसा कि पूर्व संशोधित वेतनमान 4400–7440 (बिना ग्रेड पे)के धारक को देय थी। (RBE 102/12)

(vi) पूर्व रेल कर्मचारियों की विधवायें भी अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आर.बी.ई. 166/11 में दिये गये निर्देशों से शासित होगी। (RBD's L.No. E(NG)11/2009/RC-I/NE/21 dt. 06.02.2012 NWR PS 05/12)

(vii) रेलवे बोर्ड द्वारा जारी RBE 166/2010 में ग्रेड 1800/– में भर्ती हेतु दिये गये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधित निर्देशों के कारण जो अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामले अस्वीकार कर दिये गये थे उन मामलों पर अब RBE 166/11 में दिये गये निर्देशानुसार पुनः विचार किया जाये।

[RBd'sLetter No.E(NG)-II/98/RC-I/139 Dt.24.02.12]

इन निर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुए रेलवे बोर्ड द्वारा विनिश्चित किया गया है कि विधवा /पत्नि की नियुक्ति के मामले में अगर वे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं रखती है तब भी उन्हें सीधे पे बैण्ड –1(रू. 5200–20200)+ ग्रेड पे रू.1800/– में रखा जायेगा बशर्त है कि नियुक्ति अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि जिस पद पर उसे लगाया जा रहा है उस संबंधी कार्य उसके द्वारा सेवा अन्तर्गत प्रशिक्षण (on job training) देकर करवाया जा सकता है। (RBE 102/12)

(viii) RBE 166/2010 द्वारा 1800 ग्रेड पे में नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता में दी गई छुट Substitute Bunglow Peon/TADK की नियुक्ति हेतु देय नहीं होगी। (RBE 128/13)

(ix) ग्रुप सी के प्रशिक्षुओं को केवल स्वयं का पास (तथा पी.टी.ओ.) उस पद के वेतनमान के न्यूनतम वेतन के अनुरूप देय होगा जिस पद पर प्रशिक्षण पश्चात् इन्हें लगाया जाना है। [RBd'sLetter No.E(W)2014/ps-5-6/1 Dt.21.02.14(NWR PS 13A/14)]

नोटः– इस प्रशिक्षण का उस प्रशिक्षण से कोई संबंध नहीं है जहां ग्रेड पे 1900 व उच्च में प्रशिक्षु को स्टाईपंड मिलता है ना कि वेतन । [RBd'sLetter No.E(NG)11/2015/RC-1/GENEL-2 Dt.23.04.15(NWR PS 22/15)]

उच्चतर योग्यता प्राप्त करना :–

अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन करते समय भूतपूर्व कर्मचारी की संतान/पति या पत्नि की शैक्षणिक योग्यता पर विचार किया जा सकता है। हालांकि अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन नियत समय में प्रस्तुत कर देना चाहिए। (RBE 88/07)

फिर भी ,वैयक्तिक मामले की प्राथमिकता के आधार पर यदि महाप्रबन्धक ऐसा सोचता है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में छूट अति–आवश्यक है,तो ऐसे मामलों को बोर्ड को भेजा जाना आवश्यक है। (RBE 35/99)

(6) श्रेणियां जिनमें अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति दी जा सकती है–(RBE 66/86&200/2k)

(i) अशिक्षित विधवाओं को समयोजित करने के लिए निम्नलिखित पद केवल विधवाओं /पत्नियों की नियुक्ति हेतु आरक्षित रखे जाने चाहिये :–

(A) पानी वाली
(B) हास्पिटल आया/परिचारिका (महिला
(C) सिंडर पिकिंग वूमेन (Cinder Picking Women)
(D) सफाईवाली
(E) सवारी व माल डिब्बा खलासी (केवल Waste Picking हेतु)
(F) विश्राम कक्ष परिचारिका
(G) रेलवे हॉस्पिटल और रेलवे स्कूलों में आया और सफाई करने वाली
(H) खान–पान विभाग में परोसने वाली
(I) उप मंडलीय अधिकारियों (अर्थात् AEN's PWI's इत्यादि)से संबंध खलासी
(J) कार्यालय चपरासियों की रिक्तियों का कुछ प्रतिशत।

(ii) वरि.मंडल इंजी0/सम0 की सहमति से महिलाओं को स्टेशन या यार्ड की सीमाओं में अवस्थित रेलपथ की गैंग में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त किया जा सकता है। (RBE 129/97)

(iii) उन श्रेणियों /पदों पर ही अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति दी जा सकती है जहां सीधी भर्ती कोटे का तत्व विद्यमान है।

(iv) अनुकम्पा आधार पर लिपिक के रूप में नियुक्ति हेतु महाप्रबन्धक का व्यक्तिगम अनुमोदन आवश्यक है। (RBE 210/91)

(v) अनुकम्पा आधार पर मंत्रायलिक कोटि (लिपिक /वरि.लिपिक)में नियुक्त अभ्यार्थी को नियुक्ति के दो वर्ष के भीतर टाईपिंग दक्षता प्राप्त करनी होगी (30 w.p.m. अंग्रेजी में या 25 w.p.m. हिन्दी में)ऐसा ना होने पर उस अभ्यार्थी को अमंत्रायलिक व अवाणिज्यक

संवर्ग (Non Ministerial and Non Commercial Cadre) में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा। (RBE 69/97&41/4)

(vi) अनुकम्पा नियुक्ति वेतनमान के न्यूनतम स्तर पर की जाती है ,लेकिन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी दुर्लभ और विशिष्ठ मामले में जहां परिस्थितियों विशेषतः प्रतिकूल है और मामले की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड की पूर्व स्वीकृति से वेतन का उच्च या अधिकतम स्तर पर निर्धारण कर सकता है।

[RBd'sLetter No.E(NG)11/83/RC-1/68 Dt.07.12.83]

उपरोक्त आदेशों में संशोधन करते हुए रेलवे बोर्ड द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि उच्च या अधिकतम स्तर पर वेतन निर्धारण संबंधी मामले FA&CAO की Concurence से महाप्रबन्धक के व्यक्तिगत स्तर पर ही निष्पादित किए जायेगें। (RBE 77/11)

(7) अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्राथमिकता :– (RBd'sLetter No. E(NG)III/78/RC-III Dt.07.04.83)

अनुकम्पा के आधारपर नियुक्ति करते समय निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम का पालन किया जाना चाहिए – रेल कर्मचारी जो कर्त्तव्य के दौरान रेल दुर्घटना में दिवंगत या स्थायी रूप से अपंग हो जाए ,के आश्रित को।

(i) रेल कर्मचारी की मृत्यु सेवा के दौरान रेल दुर्घटना में हो जाए,के आश्रित को ।

(ii) रेल कर्मचारी जिसकी मृत्यु सेवा के दौरान हो गई हो ,के आश्रित को।

(iii) रेल कर्मचारी जो सेवा के दौरान चिकित्सकीय रूप से पूर्णतः अयोग्य हो गया हो ,के आश्रित को। प्राथमिकता (i) मामलों में एक माह में तथा अन्य मामलों में तीन माह में नियुक्ति दे दी जानी चाहिए।

नैमेतिक श्रमिक हेतु :–

(i) अस्थायी ओहदा प्राप्त नैमेतिक श्रमिक जिनकी मृत्यु कार्य समय के दौरान हो जाती है उनकी संतान को नए नैमेतिक श्रमिक या एवजी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।(RBE 256/86)

(ii) नैमेतिक श्रमिक जिनकी मृत्यु कार्य समय में दुर्घटना के कारण हो जाती है उनकी संतान को नए नैमेतिक श्रमिक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

उपर्युक्त दोनों मामलों में महाप्रबन्धक नए नैमेतिक श्रमिक/एवजी के रूप में नियुक्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी है।

(iii) अस्थायी एवजी जिसकी मृत्यु कार्य समय में हो जाती है उसकी संतान को नए एवजी के रूप में नियुक्ति दी जा सकती है। (RBE 147/93)

(8) मेडिकल परीक्षा :– अनुकम्पा नियुक्ति हेतु अभ्यार्थी को जिस पद पर नियुक्त किया जाना है उस पद हेतु निर्धारित मेडिकल कोटि के अनुरूप मेडिकल परीक्षा होगी। अगर अभ्यार्थी निर्धारित मेडिकल परीक्षा में पास नहीं होता तो कार्मिक शाखा संबंधित शाखा से विचार कर ऐसे पद का निर्धारण करेगी जिस पर वह अभ्यार्थी अपनी उत्तीर्ण मेडिकल कोटि के अनुरूप ,मेडिकल में दर्शायी गई विकलांगता के बावजूद कार्य कर सके। (R.B. Letter No. 2013/H/5/5 Dt.20.10.15(NWR PS 95/15)

(9) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु प्रक्रिया :–

(i) कल्याण निरीक्षक को मृत कर्मचारी के परिवार से तत्काल सम्पर्क करके उन्हें नियमों की जानकारी व चैक लिस्ट प्रदान करनी होगी कि कौन–कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।

इसके अतिरिक्त कल्याण विंग अपने पास एक रजिस्टर रखेगी जिसमें मृत/चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत /लापता कर्मचारी व उसके परिवार की सम्पूर्ण जानकारी रहेगी। (RBE 101/94)

(ii) पारिवारिक विवरण,आर्थिक स्थिति ,नियुक्ति का आधार इत्यादि से संबंधित सम्पूर्ण जांच की जाएगी।

(iii) विधवा/विधुर तथा उम्मीदवार (नियुक्ति हेतु योग्य) से आवश्यक शपथ पत्र प्राप्त किये जायेगे।

(iv) सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ समेकित रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को सौंपी जाएगी।

(v) समूह ''ग'' में नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों को उपयुक्तता परख हेतु बुलाया जाएगा जिसे एक कार्मिक अधिकारी सहित तीन वरिष्ठ वेतनमान अधिकारियों की समिति तय करेगी।(RBE 274/89)

(vi) समूह ''ग'' पदों हेतु उपयुक्तता परख एक दिन में पूर्ण कर लेनी चाहिये अर्थात् लिखित परीक्षा और साक्षात्कार एक ही दिन में आयोजित किए जाने चाहिए। (RBE 158/98)

(vii) (a)अनुकम्पा आधार पर समूह ''ग'' में नियुक्ति हेतु उपयुक्तता परख में यदि अभ्यर्थी प्रथम प्रयास में अनफिट घोषित किया जाता है तो अभ्यर्थी को अतिरिक्त अवसर दिया जाना चाहिए।(RBE 84/99)

(b) ग्रुप–सी पद पर अनुकम्पा हेतु द्वितीय अवसर में भी उत्तीर्ण न होने की अवस्था में रेल कर्मचारी की विधवा को महाप्रबन्धक की स्वीकृति से तृतीय अवसर देय होगा। (RBE 192/01)

(c) ऐसे अभ्यार्थी जो सहायक स्टेशन मास्टर तथा सहायक लोको पायलेट के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति के क्रम में लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अंक प्राप्त कर लेते है उन्हें Aptitude Test हेतु एक दिन पूर्व बुलाया जायेगा तथा विशेष मामलों में रेलवे बोर्ड के अनुमोदन से छःमाह के अन्तराल से अतिरिक्त (दूसरा) अवसर भी देय होगा। (RBE 53/07)

(d) रेलवे बोर्ड द्वारा निर्णित किया गया है कि अनुकम्पा आधार पर सहायक स्टेशन मास्टर व सहायक लोको पायलट के पद पर नियुक्ति के क्रम में Aptitude Test हेतु विशेष मामलों में अतिरिक्त (दूसरा)अवसर छः माह के अन्तराल के स्थान पर तीन माह के अन्तराल पर दिया जा सकता है। (RBE 74/10)

(viii) समूह ''घ'' श्रेणी में नियुक्ति हेतु उपयुक्तता एक कार्मिक अधिकारी सहित तीन सहायक अधिकारियों द्वारा तय की जाएगी। स्क्रीनिंग समिति द्वारा पद विशेष हेतु उपयुक्त पाए जाने के पश्चात् अभ्यर्थी को आवश्यक चिकित्सकीय परीक्षण और पूर्व आवश्यक प्रशिक्षण से गुजरना होगा,यदि कोई है। (RBE 274/89)

(ix) मृत्यु के मामलों में अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति हेतु पहली बार परीक्षा/साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी को नजदीकी रेलवे स्टेशन से परीक्षा /साक्षात्कार के स्थान और वापसी हेतु द्वितीय श्रेणी का विशेष पास दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी प्रथम प्रयास में परीक्षा/साक्षात्कार में असफल रहता है और उसे दूसरे प्रयास हेतु बुलाए जाने पर इस प्रकार का कोई पास जारी नहीं किया जाएगा। (RBE 275/99)

(x) कोई भी व्यक्ति जिस पर अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति हेतु विचार किया जाता है उसे लिखित में एक वचन देना होगा कि वह परिवार के उन अन्य सदस्यों की उचित देखभाल करेगा जो रेल कर्मचारी पर आश्रित थे। यदि तत्पश्चात् यह प्रमाणित होता है कि उसके द्वारा परिवार के सदस्यों की अनदेखी की जा रही है या उचित देखभाल नहीं की जा रही है तो उसकी नियुक्ति क्षैत्रीय रेलवे के महाप्रबन्धकों और उत्पादन इकाईयों के महाप्रबन्धको/CAO's द्वारा खत्म/रश्र कर दी जाएगी। सचिव,रेलवे बोर्ड इस शक्ति का प्रयोग रेलवे बोर्ड कार्यालय में कार्यरत स्टाफ के संबंध में करेगा। उपर्युक्त शक्तियों का प्रयोग प्राधिकारी व्यक्तिगत रूप से करेगा और ये दूसरो को नहीं सौंपी /प्रत्यायोजित की

जाएगी। लेकिन सेवा समाप्ति से पूर्व संबंधित कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा ताकि वह स्थिति को स्पष्ट कर सके। (RBE 44/2002)

(xi) समूह ''ग'' पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु एक उम्मीदवार योग्य होता है और उसे उपयुक्त भी पाया जाता है ,लेकिन समूह ''ग'' में रिक्ति न होने पर उसे समूह ''घ'' का पद दिया जाता है और वह उसे स्वीकार कर लेता है तो जैसे ही समूह ''ग'' में उपयुक्त रिक्ति होती है,उसकी नियुक्ति समूह ''ग'' में करने पर विचार किया जा सकता है।
(RBd's. No. E(NG)11-84/RC-1/Policy Dt.31.03.84)

(xii) जो व्यक्ति रेलवे में किसी पद पर पहले से नियुक्त है उसकी नियुक्ति अनुकम्पा के आधार पर उच्चतर ग्रेड में अन्य पद पर नहीं की जानी चाहिए।
(RBd's. No. E(NG)11-83/RC-1/77 Dt.08.09.83)

(xiii) आरबीई 199/92 के संदर्भ में जब अनुकम्पा आधार संतान /विधवा इत्यादि की नियुक्ति किसी श्रेणी /ग्रेड विशेष में कर दी गई है ,तो इसके पश्चात् उसी आधार पर श्रेणी/ग्रेड में परिवर्तन की इजाजत नहीं है। लेकिन रेलवे बोर्ड के प.सं. E(NG)II/2001/RC-1/GENL/13 DT 07.08.09) द्वारा संशोधित कर स्पष्ट कर दिया गया है कि अनुकम्पा नियुक्ति के मामले में अभ्यर्थी को आंवटित श्रेणी में परिर्वतन पर अभ्यार्थी के नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार करने और चिकित्सकीय परीक्षण से गुजर जाता है तो श्रेणी में परिवर्तन चिकित्सकीय परीक्षण में अनफिट होने पर या श्रेणी आंवटित करने वाले प्राधिकारी से उच्चतर अधिकारी द्वारा किया जा सकता है।

(xiv) मंडल मुख्यालय के मृत कर्मचारी की संतान/ विधवाओं की कार्यशाला में नियुक्ति नहीं दी जानी चाहिए। हांलाकि जब कभी सम्भव हो,कार्यशाला के मृत कर्मचारियों की संतान /विधवाओं को मंडल मुख्यालय में समायोजित किया जा सकता है।
(RBE 26/03)

(xv) वे मामले जहां कर्मचारी 18.01.2000 से 14.06.2006 के बीच चिकित्सकीय रूप से विकोटिकृत हुए है और 14.06.2006. के पश्चात् हुए विकोटिकरण के मामलों पर उसी अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिए जैसे 18.01.2000 का पत्र जारी होने से पूर्व होती थी।
(RBE 165/06)

(xvi) आर.पी.एफ./आर.पी.एस.एफ कर्मचारियों की विधवा /संतान को अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी मामले सुरक्षा शाखा में ही मंत्रायलिक कोटि सहित अन्य कोटियों में नियुक्ति हेतु प्रोसेस किए जायेगें तथा यहां ऐसे मामले अन्तिम नहीं होने की अवस्था में अन्य विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु मामला महाप्रबन्धक (कार्मिक) को विचारार्थ भेजा जायेगा।
(RBd's. No. 88sec(E)/RC-3/43/ Pol. Pt.Dt.12.07.11(NWR PS 45/11)

(ii) ''अनुकम्पा नियुक्ति '' संबंधी बकाया मामलों के निष्पादन हेतु प्रथम अदालत भारतीय रेल पर दिनांक 10 नवम्बर 2005 को आयेाजित हुई । ऐसी अदालतें मंडल स्तर पर अपर मं.रे.प्र. व वरि.मं.का.अ. द्वारा तथा मुख्यालय स्तर पर अति महाप्रबन्धक व मुख्य कार्मिक अधिकारी द्वारा आयोजित की जाती है। (RBE 127/05)

(i) मंडल स्तर पर वरि.मं.का.अ.व मुख्यालय स्तर पर मुख्य कार्मिक अधिकारी द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी मामलों की मोनेटरिंग की जायेगी। (RBE 126/02)

(xvii) अनुकम्पा नियक्ति हेतु हित निरीक्षक द्वारा दी गई रिपोर्ट संबंधित अभ्यार्थी की सेवा –पुस्तिका में रखी जायेगी। (RBE 45/13)

<u>आरपीएफ/आरपीएसएफ में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति</u>

आरपीएफ/आरपीएसएफ में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करेन हेतु RBd's. Letter No. 88 sec(E)/RC-3/43/ Pol. Pt.Dt.12.07.11 & E(NG) II/2012/RC-I/GENE/12 dt 29.05.12 में नवीनतम निर्देश जारी किए है जिसके अनुसार– आरपीएफ/आरपीएसएफ में सर्वप्रथम इसी विभाग के कर्मियों के बच्चों/पति या पत्नि को रिक्त पद की एवज में सभी योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति देने हेतु विचार किया जायेगा। यदि वे आरपीएफ नियम –1987, जो कि समय–समय पर संशोधित होते रहे है,के अनुरूप योग्य पाये जाते है। यदि वे

आरपीएफ/आरपीएसएफ में नियुक्ति हेतु योग्य नहीं पाए जाते है तो मामला अन्यत्र विभाग में नियुक्ति हेतु संबंधित क्षैत्रीय रेलवे के महाप्रबन्धक (कार्मिक) को विचारार्थ प्रेषित किया जायेगा। उपरोक्त आदेशों में आशिंक संशोधन करते हुए रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 29.05.2012 द्वारा यह विनिश्चित किया गया है कि अनुकम्पा नियुक्ति हेतु अभ्यार्थी सुरक्षा शाखा (security Deptt.) सहित सभी विभागों की रिक्तियों पर विचार किए जाने के पात्र होगें।

आरपीएफ/आरपीएसएफ में इस विभाग के अलावा रेलवे के अन्य विभाग के उन उम्मीदवारों को भी अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्रदान की जा सकती है जो के अपनी इच्छानुसार यहां नियुक्ति चाहते है। नियुक्ति प्रदान करते समय सर्वप्रथम प्राथमिकता उस मामलों में दी जायेगी जहां आरपीएफ /आरपीएसएफ कर्मी ड्यूटी के दौरान एन्काउन्टर में मारे गए है। दूसरी प्राथमिकता ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मारे गए अथवा स्थायी रूप से अपंग हो गए है। तीसरी प्राथमिकता रेलवे अथवा अन्य दुर्घटना में मृत्यु होने पर जबकि वह ड्यूटी पर न हो तथा चौथी प्राथमिकता का कडाई से पालन किया जायेगा तथा जहां कहीं प्राथमिकता से हटकर ग्रेड पे 1800/– तथा ऊपर के किसी पद पर नियुक्ति देनी हो तो डायरेक्टर जनरल/आरपीएफ की स्वीकृति आवश्यक होगी। सुरक्षा शाखा (security Deptt) में 4200/– ग्रेड पे में अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति हेतु मह्यपबन्धक का व्यक्तिगत अनुमोदन आवश्यक होगा। (रेलवे बोर्ड का पत्र दिनांक 29.05.12) आरपीएफ /आरपीएसएफ में कान्सटेबल व उपनिरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु शारीरिक दक्षता लेने के मापदण्ड निम्नानुसार हैः– अगर कोई उम्मीदवार मधमेह रोग के कारण से चिकित्सा परीक्षण में फेल हो जाता है तो ऐसे मामलों को रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2008/एच/5/18 दिनांक 08.01.2016 के अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिए।

स्पर्धा	पुरूष	महिला	अवसर
1600मीटर	7 मिनिट	लागू नहीं	एक
800 मीटर	–	4 मिनिट 30 सैकण्ड	एक
उंची कूद	1.00मीटर	0.75मीटर	दो
लम्बी कूद	3.25मीटर	2.4 मीटर	दो
गोला फैंक(वजन16 Ibs)	4.00मीटर	–	दो

1600/800 मीटर की दौड़ में सफल होने वाले उम्मीदवार ही अगली स्पर्धा में भाग लेगें। दौड में सफल पाए जाने पर ही सिर्फ पुरूष उम्मीदवार की ऊचांई व सीने का नाप जोख किया जायेगा। प्रार्थी शारीरिक दक्षता की किसी भी स्पर्घा में या शारीरिक मापदण्ड अर्थात् ऊचांई व सीने में असफल पाया जाता है तो उसे असफल घोषित किया जायेगा।

कान्सटेबल व उपनिरीक्षक के पदो के अलावा अन्य पदों हेतु शारीरिक दक्षता जांच 1600मीटर की दौड ,लम्बी कूद व गोला फैंक की होगी,जैसा की ऊपर दर्शाया गया है। सर्वप्रथम 1600मीटर की दौड होगी तथा इसमें योग्य पाए गये उम्मीदवार को ही अन्य स्पर्घा में भाग लेने दिया जायेगा।

शारीरिक दक्षता जांच में उसी उम्मीदवार को योग्य मानाा जायेगा जो कि दौड और लम्बी कूद अथवा गोला फैंक स्पर्धा में सफल पाया जाता है।

<u>अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया :–</u>

संबंधित रेल प्रशासन द्वारा नामित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा भूतपूर्व आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मी के बच्चों /दम्पति की उपयुक्तता जांच (इसमें शारीरिक मापदण्ड,शारीरिक दक्षता जांच) रेलवे में अन्य विभागों के बच्चों /दम्पत्ति के साथ ही की जायेगी । इस हेतु आरपीएफ/आरपीएसएफ बच्चों /दम्पत्ति की उपयुक्तता जांच हेतु आरपीएफ/आरपीएसएफ के एक उपयुक्त स्तर के अधिकारी को भी स्क्रीनिंग कमेटी में शामिल किया जायेगा। आरपीएफ/आरपीएसएफ में किसी पद हेतु अन्तिम चयन,उपयुक्तता जांच (शारीरिक मापदण्डों व शारीरिक परीक्षा जांच)में दी गयी परफोरमेन्स पर आधारित होगा।

यदि कोई बच्चा/दम्पत्ति आरपीएफ/आरपीएसएफ में किसी पद हेतु अनुपयुक्त पाया जाता है तों स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश पर उन्हें रेलवे के किसी अन्य विभाग में लगाया जा सकता है।

उपयुक्तता जांच की सामान्य स्थिति :

आरपीएफ/आरपीएसएफ में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु उपयुक्तता जांच ,संबंधित रेलवे के कार्मिक विभाग द्वारा बनाई गई पद्धति अनुसार ही होगी।

नियुक्ति हेतु सक्षम अधिकारी :

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु संबंधित क्षैत्रीय रेलवे का चीफ सिक्यूरिटी कमिश्नर एवं चीफ सिक्यूरिटी कमिश्नर/आरपीएसएफ सक्षम होगे।

(इस संबंध में उ.प.रे.का संयुक्त प्रक्रिया आवेदन पत्र सं. 760 E/0/RC/2/Policy (PS-18/12)dt 29.03.12 के अन्तर्गत जारी किया गया।)

–अपने पूर्व कर्मचारियों के योग्य परिवार के सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति की कार्यवाही आरपीएफ/आरपीएसएफ विभाग द्वारा ही अपने विभाग में नियुक्ति हेतु की जायेगी तथा ऐसा संभव न होने पर अन्य विभाग में नियुक्ति हेतु मामला मह्यपबन्धक को अग्रेषित किया जायेगा।

(Rly Bd's. No. 88sec(E)/RC-3/43/ Pol. Pt.Dt.12.07.11(NWR PS 45/11)

–मेडिकल विकोटिकृत आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मचारी जिसने स्वैच्छिक सेवानिवृति ली है तथा जिसकी सेवा में पांच वर्ष या ज्यादा का समय बाकि है ,के योग्य बच्चों को अनुकम्पा नियुक्ति हेतु विचार किया जा सकता है । लेकिन ऐसी नियुक्ति 1800 ग्रेड पे में ही होगी।

–आरपीएफ/आरपीएसएफ के गुमशुदा कर्मचारियों के बच्चे/पत्नि के अनुकम्पा नियुक्ति हेतु विचार किया जा सकता है। (Rly Bd's. L.No.2014SEC(E)/RC-3(CG) Dt.16.03.15(NWR PS 09/15)

औद्योगिक सम्बन्ध
(Industrial Relation)

भारतीय रेल उत्पादन, विकास एवं लक्ष्यों की प्राप्ति की सतत् प्रक्रिया है जिसका कार्यक्रम निरन्तर चलता रहता है। रेलवे प्रशासन की निरन्तरता बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि प्रक्रिया में भाग लेने वाले सभी पक्षों के आपसी सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण तथा सद्भावना से ओत–प्रोत हो तथा सभी एक लक्ष्य/उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करें।
किसी संगठन में कार्यरत्त तत्वों के पारस्परिक व्यवहार से औद्योगिक विवाद उत्पन्न हो सकते हैं।

किसी संगठन के सफल संचालन हेतु आवश्यक है कि सम्पूर्ण उद्योग में उत्पन्न औद्योगिक विवादों का निपटारा भ्रांतिपूर्वक व विवके से सभी पक्षों को स्वीकार्य तरीके से किया जायें।

भारतीय रेलों में तीन स्तरीय प्रशासन कार्यरत है तथा कर्मचारियों के मसलों का निष्पादन विभिन्न स्तरों पर आवश्यकतानुसार किया जाता है।

मान्यता प्राप्त संगठन
मान्यता प्राप्त संगठन वह संगठन है जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत रजिस्टर्ड है व जिन्हें सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। भारतीय रेल पर स्थायी रूप से दो कर्मचारी संगठनों को मान्यता प्रदान की गयी है।
1. ऑल इण्डिया रेलवे मैन्स फेडरेशन यह संगठन राष्ट्रीय स्तर पर हिन्द मजदूर सभा से सम्बद्ध है।

2. नेशनल फेडरेशन ऑफ इण्डियन रेलवे मैन्स यह संगठन राष्ट्रीय स्तर पर इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस से सम्बद्ध है।

उपरोक्त दोनों संगठन समूह ''ग'' व ''घ'' में कार्यरत्त कर्मचारियों से सम्बन्धित है। रेलों के क्षेत्रिय स्तर पर यूनियनों को मान्यता प्रदान की हुई है, जो मंडल/कारखाना स्तर पर व क्षेत्रीय स्तर पर प्रबन्धक से विवादों का हल वार्ता के माध्यम से करवाते हैं तथा रेलवे बोर्ड स्तर पर इन संगठनों के सम्बन्धित फेडरेशन वार्ता करते हैं।

गैर मान्यता प्राप्त संगठनः
यह वह संगठन है जो इण्डियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, परन्तु इन्हें सरकार ने मान्यता प्रदान नहीं की है। ये संगठन भी कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में प्रतिवेदन दे सकते हैं। कर्मचारियों की शिकायतें या समस्यायें किसी भी स्त्रोत से प्राप्त हो उन पर विचार करना प्रशासन का कार्य है, लेकिन अमान्य संगठनों से पत्र व्यवहार नहीं किया जाना चाहिये व ना ही इनके साथ नियोजित बैठक की जानी चाहिये। इसके साथ ही अखिल भारतीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति कर्मचारी एसोसिएशन तथा अखिल भारतीय अन्य पिछड़ा वर्ग कमर्चारी एसोसिएशन और उनकी क्षेत्रीय भाषाओं को विशेष छूट दी गई है। वे कोई पत्र अपनी समस्याओं या शिकायतों के बारे में अगर लिखते हैं तो उस पर समूचित कार्यवाही की जाती है तथा उन्हें समुचित जवाब भी दिया जाना चाहिए। साथ ही इन ऐसोसिएशनों के साथ वर्ष में दो अनौपचारिक बैठकें भी आयोजित की जाती है तथा आवश्यकता होने पर अतिरिक्त बैठक आयोजित की जा सकती है। ADEN स्तर पर बैठक वर्ष में एक बार इंजी. विभाग की शिकायतों के लिये की जा सकती हैं।

एसोसिएशन को कम्प्यूटर मय इंटरनेट सुविधा के व कॉलोनी केयर कमेटी तथा एरिया हाउसिंग कमेटी में भी प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। [Rly. Bd. Letter No. 2011 E (SCT) I/22/3 dt. 07.06.11 (NR PS 38/11) & RBE 191/02, 208/02, 141/04, 153/04]

भारतीय रेलवे अ.जा./अ.ज.जा. एसोसियेशन व भारतीय रेलवे अन्य पिछड़ा वर्ग एसोसिएशन को अधिकारी विश्राम गृह की सुविधा उसी तरह देय होगी जैसी कि मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों को देय है। (R.Bd. letter No. 2012-E(ScT)I/7/11 dt. 12.10.12)

कर्मचारी समिति (Works Committee) :

कार्यशालाओं में जहॉ 100 या उससे अधिक कामगार वर्ष में किसी भी एक दिन कार्यरत हो वहॉ पर सरकार द्वारा सामान्य या विशेष निर्देशानुसार कर्मचारी समितियों का गठन किया जाता है। इस प्रकार की समिति में कर्मचारी व प्रबन्धन दोनों के समान सदस्य होते हैं जिसका उद्देश्य प्रबन्धन व कर्मचारियों के बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाए रखना है ।

राजपत्रित अधिकारियों की एसोसिएशन :

भारतीय रेल पर राजपत्रित अधिकारियों की निम्न दो एसोसिएशन भी कार्यरत्त है जिससे उस ग्रुप के अधिकारी सदस्य होते हैं :-

(i) ऑल इण्डिया रेलवे ऑफिसर्स फेडरेशन ।

(ii) ऑल इण्डिया प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन ।

इन फेडरेशनों से संबंधित अधिकरियों की क्षेत्रीय व मंडल स्तर पर भी एसोसिएशन है। रेलवे बोर्ड व महाप्रबन्धक स्तर पर प्रशासन इन फेडरेशन/एसोसिएशन के साथ अनौपचारिक बैठकें आयोजित करता है तथा PREM के तहत मिलने वाली सभी सुविधाऐं इनको देय है। हालांकि इन एसोसिएशनों को श्रम संगठन के रूप में मान्यता प्रदान नहीं की गई है।

मान्यता प्राप्त संगठनों व उनके पदाधिकारियों को देय सुविधायें :

मान्यता प्राप्त संगठनों व उनके पदाधिकारियों को निम्न सुविधायें देय है :–

(1) स्थानान्तरण सम्बन्धी : संगठन के पदाधिकारी को मंडल पर स्थानान्तरित करने से पूर्व संगठन के मंडल

सचिव की सहमति लेना अनिवार्य है, अगर मंडल सचिव व प्रशासन के बीच किसी स्थानान्तरण पर मतभेद है तो मामला महाप्रबन्धक को अग्रेषित किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में महाप्रबन्धक का निर्णय अन्तिम होगा।

(2) विशेष आकस्मिक अवकाश : संगठन के पदाधिकारियों को स्थाई वार्तातंत्र, अभुगतान, प्रबन्ध में कर्मचारियों को भागीदारी आदि विभिन्न बैठकों में सम्मिलित होने के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश देय होता है।

(3) विशेष पास व कार्ड पास : संगठन पदाधिकारियों को संगठन के कार्य हेतु, विशेष या विभिन्न बैठकों में

सम्मिलित होने हेतु विशेष चेक पास देय है। मंडल स्तर पर मान्यता प्राप्त रेल संगठनों और फेडरेशनों के पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों को संगठन कार्यक्रमों के लिए क्षेत्रीय रेल के स्तर पर 6 विशेष पास एक साल में मंडल सचिव के आग्रह पर दिये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त संगठन के पदाधिकारियों को मंडल स्तर पर संगठन के कार्य हेतु कार्ड पास भी स्वीकृत किये जाते हैं।

(4) स्थाई वार्तातंत्र की बैठक में भाग लेने आये पदाधिकारियों को रिटायरिंग रूम व विश्राम गृह में निःशुल्क

ठहरने की व्यवस्था की जाती है।

(5) संगठन के कार्य व बैठक आदि हेतु संगठन को कार्यालय उपलब्ध करवाया जाता है।

(6) संगठन कार्यालय हेतु व मंडल सचिव व मंडल अध्यक्ष को टेलीफोन की सुविधा निवास पर भी देय है।

(7) परिपत्रों, चयन व वरिष्ठता सूचियों आदि की प्रतियां संगठन को दी जाती है।

(8) रेलवे इन्सटीट्यूट, क्लब व खेलकूद के मैदान संगठनों को संगठन कार्य हेतु दिये जाते हैं।

धरने व प्रदर्शन का अधिकार :- रेल सेवकों/संगठनों को धरने व प्रदर्शन की अनुमति प्रदान करने हेतु निम्न प्रावधानों का विशेष ध्यान रखा जायेगाः-

कोई भी रेल सेवक कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा जो भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों, व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार और प्रतिकुल प्रभाव डालने वाले या जिसमें न्यायालय का अवमान अन्तवर्लित है या जिससे मानहानि हो या किसी अपराध का उदीयन हो ।

(पैरा - रेल सेवा आचरण नियम - 1966)

उक्त सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड द्वारा समय समय पर निम्न निर्देश भी जारी किये गये हैं :-

(परिशिष्ट–I का नियम 07 IREC-I)

(i) यदि भोजन अवकाश के दौरान किसी प्रकार के कार्यालय आने–जाने के मार्ग में किसी भी तरीके से व्यवधान डाले बिना भाांतिपूर्ण और व्यवस्थित बैठकों या प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं तो ऐसी बैठकों या प्रदर्शन करने में कोई आपत्ति नहीं होगी और ना ही उसमें भाग लेने वाले कर्मचारियों पर इस कारण से अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी। यही स्थिति कार्य समय के प्रारम्भ से पूर्व आधे घन्टे की मध्यावधि के दौरान और कार्य समय की समाप्ति के बाद आधे घन्टे की मध्यवाधियों के दौरान भाांतिपूर्ण और व्यवस्थित बैठक और प्रदर्शन में लागू होगी ।

(ii) प्रदर्शन, बैठके और जुलूस, जो व्यवस्थित और शान्तिपूर्ण हो और कार्यालय परिसरों से बाहर तथा कार्य समय से भिन्न आयोजित किए जाए, कार्यालय कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं डाला जाना चाहिए।

(iii) कार्य के समय बिल्ले पहनने में व्यवधान नहीं डालना चाहिये जब तक कि बिल्लों पर ऐसे लेख या नारे न हो जो भारत की प्रभुता और अखण्डता, राष्ट्र की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों, सार्वजनिक व्यवस्था, शालिनता या नैतिकता के प्रतिकूल हो या जिनके कारण न्यायालय की अवमानना या मानहानि या किसी अपराध के लिए प्रेरणा हो। किसी भी हालत में बिल्ले या भुज बंध के वर्ण पर विचार नहीं किया जाना चाहिए ।

(iv) कार्यालय के भीतर प्रदर्शन या नारे लगाने या अन्य ऐसे अव्यवस्थित आचरण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये और कार्यालय परिसरों के भीतर ऐसी कार्यवाही में संल्पित पाए जाने वालों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही शुरू की जानी चाहिये ।

(v) यदि कोई रेल सेवक चाहे ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता के रूप में, कहीं भी, चाहे कार्यालय परिसरों से बहुत दूर और किसी भी समय, चाहे छुट्टी के दिन किसी प्रदर्शन का आश्रय लेता है और यदि उस गतिविधियों का इस नियम में सूचीबद्ध निशिद्ध गतिविधियों के अन्तर्गत आना सिद्ध किया जा सके तो अनुशासनिक कार्यवाही करना ठीक होगा ।

(vi) भोजन अवकाश के दौरान या कार्य के समय के आरंभ होने से पूर्व आधे घंटे की मध्यावधि के दौरान या कार्य समय के समाप्त होने के बाद आधे घंटे की मध्यावधि के दौरान कार्यालय आने–जाने के मार्ग में किसी भी तरीके से व्यवधान डाले बिना आयोजित भाांतिपूर्ण और व्यवस्थित बैठके और प्रदर्शन इस नियम के अधीन उपबंधों का अतिलंघन नहीं करते ।

(vii) किसी भी प्रकार से ''काम नहीं तो दाम नहीं'' सिद्धान्त की उपेक्षा (प्रवर्चना) नहीं की जानी चाहिये जिसमें हड़ताल में भाग लेने के कारण हुई अनुपस्थिति की अवधि के लिये रेल सेवक को छुट्टी प्रदान करना भामिल है।

(viii) यदि किसी रेल सेवक द्वारा विशिष्ट रूप से किसी प्रदर्शन में भाग लेने के प्रयोजनार्थ नैमेतिक अवकाश के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी इस प्रयोजन के लिये नैमेतिक छुट्टी अस्वीकृत करने के लिए स्वतन्त्र है। यदि छुट्टी अस्वीकृत हो जाने के बावजूद कोई कर्मचारी ड्यूटी में अनुपस्थित रहता है तो उसे अप्राधिकृत अनुपस्थिति के सभी तत्संबद्ध परिणाम सहित अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित माना जा सकता है।

<u>भारतीय रेलवे में मान्यता प्राप्त संगठनों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार मतदान द्वारा मान्यता प्रदान करना (Modalities for conduction secret ballot)</u> : (Rly Bd No. ERB-1/2007/23/13 Dt. 03-04-07)

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्णयानुसार रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियनों को मान्यता प्रदान करने के क्रम में रेलवे में नवम्बर–07 में गोपनीय मतदान आयोजित किया गया । इसमें रेलवे के ग्रुप ''ग''

व ''घ'' कर्मचारियों के वह संगठन जो Trade Union Act. 1926 के तहत दिनांक 31.12.2006 को एक वर्ष पूर्व पंजीकृत थे, वे चुनाव हेतु पात्र थे ।

चुनाव के परिणाम स्वरूप मान्यता प्राप्त संगठन की मान्यता तब तक रहेगी जब तक कि सक्षम अधिकारी द्वारा विशेष परिस्थितियों में यह मान्यता रद्द न कर दी जाये। इसी क्रम में यूनियनों को मान्यता प्रदान करने हेतु भारतीय रेलवे पर द्वितीय चुनाव/गोपनीय मतदान दिनांक 25.04, 26.04 व 27.04.2013 को आयोजित किया गया।

मान्यता हेतु पात्रता :

इस चुनाव में संगठनों को मान्यता प्रदान करने हेतु निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किये गए :–

1. चुनाव में भाग लेने वाले सभी संगठन जो 3% या 30% उससे अधिक कुल मतदाता सूची का प्राप्त करेंगे, उन्हें मान्यता प्रदान की जायेगी।
2. यदि किसी संगठन को मतदान के कुल वैद्य मतों का 35% या अधिक मत प्राप्त होते हैं तो उसे भी मान्यता प्रदान की जायेगी।
3. यदि ऊपर मद सं0 01 व 02 में दर्शायी गई स्थिति नहीं रहती है तो ऐसे दो संगठन जिन्होंने अधिकतम वोट प्राप्त किये हैं, उन्हें मान्यता प्रदर्शन की जायेगी, बशर्त है कि दोनों संगठनों को अलग–अलग कुल वैद्य मतों को 35% से अधिक प्राप्त हुए हो ।
4. यदि ऊपर मद सं0 01 व 03 में दर्शायी गयी स्थिति नहीं रहती है तो ऐसा संगठन जिसने अधिकतम वैद्य मद प्राप्त किये हैं उसे मान्यता प्रदान की जायेगी बशर्त है कि उसने वैद्य मतों का कम से कम 20% प्राप्त किया हो । ऐसी स्थिति में सिर्फ एक संगठन को ही मान्यता प्रदान की जायेगी।
5. अगर किसी भी संगठन को 20% मत प्राप्त नहीं होते हैं तो किसी भी संगठन को मान्यता प्रदान नहीं की जायेगी।

   रेलवे द्वारा उपरोक्तानुसार चुनाव करवाकर योग्य संगठनों को विभिन्न जोनों हेतु मान्यता प्रदान की गई।

द्वितीय गोपनीय मतदान :- रेलवे के ग्रुप सी व पूर्ववृति ग्रुप डी कर्मचारियों के संगठन को मान्यता प्रदान करने के क्रम में दिनांक 25.04.13 से 27.04.13 तक द्वितीय गोपनीय मतदान रेलवे पर आयोजित हुआ तथा इसके परिणामस्वरूप रेलवे बोर्ड द्वारा दो फेडरेशनों यथा व को छः वर्ष के लिए रेलवे बोर्ड स्तर पर मान्यता प्रदान की गई । [R.B.L.No. 2012/E(LR)III/Misc./6(SB) dt. 31.05.13 & 01.11.13]

संयुक्त परामर्शदात्रा तंत्र (ज्वायन्ट कंस्लटेटिव मशीनरी JCM) :

इस तंत्र की भारूआत हिटले काउन्सिल स्कीम के अनुसार 1926 में हुई । इसका उद्देश्य सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच अच्छे सम्बन्ध और सहयोग का वातावरण बनाना है जिससे सार्वजनिक उपक्रमों की कार्यक्षमता बढ़ाई जा सके। इस तंत्र में मुख्यतः कर्मचारियों की सेवा शर्तों, काम की परिस्थितियों और कार्यकाल में सुधार आदि से संबंधित मसलों पर विचार किया जाता है। इसमें केवल सिद्धांतों की बात होती है, व्यक्तिगत मसलों पर नहीं । यह तंत्र विभिन्न मंत्रालयों में राष्ट्रीय, विभागीय और रीजनल तीन स्तरों पर काम करता है तथा रेलों पर इसके निम्नलिखित दो स्तर है :-

1. संयुक्त विभागीय काउन्सिल :- यह रेलवे बोर्ड स्तर पर आयोजित होती है। इसके अध्यक्ष सदस्य(कार्मिक) होते हैं। संयुक्त विभागी काउन्सिल में प्रशासन की ओर से 05 से 10 के मध्य सदस्य होते हैं जबकि कर्मचारी पक्ष में दोनों मान्यता प्राप्त फेडरेशनों में AIRF के 19 व NFIR के 11 यानि कुल 30 सदस्य होते हैं। काउन्सिल की बैठक चार माह में एक बार आयोजित होती है और इनमें विचाराधीन विषयों की कार्यसूची बैठक से कम से कम 30 दिन पूर्व जारी की जायेगी। अध्यक्ष की अनुमति से कार्यसूची के बाहर के विशयों पर भी चर्चा हो सकती है। तय कर लिये गये मामलों को अगले 12 माह में कार्यसूची पर नहीं लिया जा सकता। यदि किसी मामले पर सहमति नहीं हो पाती तो ऐसा मामला मध्यस्थता के लिये बोर्ड को सौंपा जा सकता है।

विभागीय परिषद/संयुक्त वार्तातंत्र [Departmental Council/Joint Consultative Mechinery (DC/JCM)		
i	बैठक की अवधि	कैलेण्डर वर्ष में दो बार
ii	कर्मचारियों की ओर से प्रतिभागियों की संख्या	कुल 30 (19 from AIRF & 11 from NFIR)
iii	प्रतिभागी	फेडरेशन के पदाधिकारी या मान्यता प्राप्त संगठनों के सदस्य
iv	ऐजेण्डा का आधार	30 नए मद प्रति बैठक । बैठक का ऐजेण्डा 'Agenda from staff side' कहलायेगा नहीं कि AIRF या NFIR
[Rly. Bd's L.No.- E(LR)III/2007/LRI-25 dt.18.07.2008 (P.No. 286 of RBO 2011)]		

2. संयुक्त राष्ट्रीय काउन्सिल :- यह केन्द्रीय सरकार के स्तर पर केबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में गठित है।

इसमें सरकारी पक्ष से विभिन्न मंत्रालयों के 25 सदस्य और कर्मचारी पक्ष से सभी मंत्रालयों के मान्यता प्राप्त फेडरेशनों के 60 सदस्य होते हैं, जिसमें रेलवे के दोनों फेडरेशनों के 24 सदस्य होते हैं।

पंच फैसला :

यदि उपरोक्त स्तरों पर कोई फैसला न हो तो मध्यस्थता की सीमा में आने विषयों को पंच फैसले के लिए दिया जाता है। पंचों के बोर्ड में तीन सदस्य होते हैं। एक सदस्य सरकारी पक्ष द्वारा प्रस्तुत 5 व्यक्तियों की नामिका से होगा और एक सदस्य राष्ट्रीय काउन्सिल के कर्मचारी पक्ष द्वारा प्रस्तुत 5 व्यक्तियों की नामिका से होगा। अध्यक्ष एक निष्पक्ष व्यक्ति होगा। केन्द्रीय श्रम मंत्री इन तीनों को नामित करेंगे। पंच फैसले की भार्तें सभी पर बाध्य होती है। केवल संसद को ही इस मामले में सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है।

क्षेत्रीय परिषद :

क्षेत्रीय परिष्सद के अध्यक्ष महाप्रबन्धक होते हैं व मान्यता प्राप्त संगठन की तरफ से प्रत्येक संगठन के समान प्रतिनिधि इस बैठक में भाग लेते हैं, जिनकी संख्या क्षेत्रीय आधार पर निश्चित की जाती है। इस परिषद द्वारा क्षेत्रीय समस्याओं पर विचार किया जाता है तथा इनके निर्णय उसी क्षेत्रीय रेलवे पर ही लागू होते हैं।

स्थायी वार्तातंत्र (पी एन एम) :

1951 में रॉयल कमीशन ऑन लेबर ने एक स्थाई वार्तातंत्र स्थापित करने की सिफारिश की थी जिसके तहत ऑल इण्डिया रेलवे मेन्स फेडरेशन के साथ एक स्थायी वार्तातंत्र स्थापित किया गया जिससे उनसे कार्मिक मसलों पर वार्ता की जाती थी। 01 जनवरी–1952 से भारतीय रेलवे पर स्थाई वार्तातंत्र प्रणाली (पी0एन0एम0) का शुभारम्भ किया गया। इस स्थाई वार्तातंत्र में कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी भार्तों तथा नीतिगत मसलों पर निर्णय लिये जाते हैं।

इस वार्तातंत्र की बैठक तीन स्तरों पर आयोजित होती है :-

(1) रेलों पर - (क) मंडल या कारखाना स्तर (ख) रेल मुख्यालय स्तर

(2) रेलवे बोर्ड

(3) तदर्थ ट्रिब्यूनल

स्थायी वार्तातंत्र की स्तरीय व्यवस्था निम्न प्रकार है :-

क्र. सं0	स्तर	वार्ता की अवधि	अध्यक्ष	संयोजक	संगठन प्रतिनिधि	संगठन को सुविधाएं
1	2	3	4	5	6	7
1	मंडल स्तर, कारखाना स्तर	दो माह में एक बार	मं0रे0प्रबन्धक कारखाना प्रमुख	वरि0मं0का0अ0 प्रवर का0 अधि0 या सहा0का0अधि0	20* 15* (+एक महिला कर्मचारी हेतु)*	1) कार्ड पास 2) रेलवे टेलीफोन 3) कार्यालय परिसर 4) विशेष आकस्मिक अवकाश 5)वार्ता अवधि में ठहराव हेतु विश्रामगृह 6) परिपत्रों की प्रतियां 7) स्थानान्तरण पूर्व संगठन की सहमति
2	क्षेत्रीय मुख्यालय	तीन माह में एक बार	महाप्रबन्धक	मु0का0अधि0 (आई.आर.)	20 (+दो महिला प्रतिनिधि)*	– वही –
3	रेलवे बोर्ड स्तर पर	मान्यता प्राप्त फेडरेशन के साथ प्रति वर्ष प्रति फेडरेशन दो बैठके।	सदस्य कार्मिक		25 (+दो महिला प्रतिनिधि)*	– वही –
4	स्टोर विभाग	दो माह में एक बार	वरि0मं0सा0प्रब0	स0का0अधि0	15	– वही –

नोट :- (i) प्रति पीएनएम AIRF 30 नए मद व NFIR 18 मद रख सकते हैं। (विभिन्न जोन/यूनिट में इनसे संबंधित संगठनों कही मान्यता के अनुपात में)

(ii) फेडरेशन इन बैठकों में उन जोनों से संबंधित मद रख सकती हैं जहॉ उनके संगठनों को मान्यता प्राप्त है अथवा ऐसे पॉलिसी मद जो पूर्ण भारतीय रेलवे को प्रभावित करते हो ।

(iii) PRESS of N.E. Rly, DREU of Southern Rly. & NRMS of S.W. Rly जैसे ऐसे संगठन जो न तो AIRF और न ही NFIR से संबंधित हैं और विभिन्न जोनल रेलवे पर मान्यता प्राप्त है, उनके मामले में जोनल स्तर पर आयोजित होने वाली पीएनएम बैठकों में से वर्ष में एक बार रेलवे बोर्ड के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे ताकि इन संगठनों के बोर्ड स्तरीय मामलों का निष्पादन हो सके ।

[*Rly. Bd letter No. E(LR)71/LR I-28 dt.15.03.71; 07.04.11, E(LR) 1/2010/PNM1-1 dt. 07.12.11 (P.No. 286 & 323 of RBO 2011)]

अध्यक्ष की अनुमति से किसी भी मद पर बिना सूचना के भी विचार किया जा सकता है।

यह बैठकें सभी स्तर पर दोनों मान्यता प्राप्त संगठनों के साथ अलग–अलग होती है। वार्ता का एजेण्डा एक माह पूर्व दिया जाता है, जबकि मंडल/कारखाना स्तर पर वार्ता का एजेण्डा दो/तीन सप्ताह पूर्व दिया जाता है। संगठन के प्रतिनिधियों को बैठक के एक दिन पूर्व भी विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाता है ताकि वे आपस में बैठक करके वार्ता हेतु पूर्व तैयारी कर सकें। विभिन्न स्तरों पर वे ही मद वार्ता तंत्र की बैठक में उठाये जाते हैं जिन पर उस स्तर पर निर्णय हो सके। यदि मंडल/कारखाना स्तर पर हुए निर्णय से संगठन संतुष्ट न हो तो मुख्यालय के स्तर पर वही मद संगठन उठा सकते हैं।

I. तदर्थ ट्रिब्युनल :

यदि किसी महत्वपूर्ण विषय पर रेलवे बोर्ड स्तर पर समाधान न हो सके तो उस विषय को उसी उद्देश्य से स्थापित तदर्थ ट्रिब्युनल के सामने रखा जा सकता है। ट्रिब्युनल के निर्णय को बोर्ड स्वीकार/अस्वीकार व परिवर्तित कर सकता है। इसका अध्यक्ष उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का सेवामुक्त न्यायाधीश सकता है। प्रशासन व कर्मचारियों के प्रतिनिधि इस ट्रिब्युनल में बराबर संख्या में होते हैं। इस स्तर पर जिन विषयों पर निर्णय हो जाये उसे संगठन दो वर्ष तक नहीं उठा सकता है, परन्तु जिन्हें बोर्ड अस्वीकार या परिवर्तित कर दे उन्हें एक वर्ष बाद फिर उठाया जा सकता है।

II. नॉन पेमेन्ट (अभुगतान प्रक्रिया) :

प्रत्येक प्रतिष्ठान में कर्मचारियों के परिवाद भांति–भांति प्रकार के होते हैं जिसमें सेवा से सम्बन्धित मुद्दे शामिल हैं जिनका पी.एन.एम के माध्यम से निपटान सम्भव है। किन्तु वे मसले जो कर्मचारियों को समय पर भुगतान से सम्बन्धित होते हैं उनका निपटान भी आवश्यक है, इसी को ध्यान में रखते हुए कारखाना/मंडलीय स्तर पर या शाखा स्तर पर नॉन–पेमेन्ट बैठकें आयोजित की जाती है।

इस मंच के माध्यम से शिकायत निवारण की प्रकिया दो प्रकार से सम्पन्न होती है :-

1. दोनों मान्यता प्राप्त संगठन प्रशासन को अपने यहॉ दर्ज कर्मचारियों की शिकायतें भेजते हैं तथा प्रशासन इसका समुचित निष्पादन करता है।
2. प्रशासन की ओर से कर्मचारियों की ''अ–भुगतान'' से सम्बन्धित शिकायतों को रजिस्टर में दर्ज किया जाता है तथा उन्हें समयबद्ध तरीके से निपटाया जाता है।

उक्त दोनों स्थितियों में शिकायतों के निपटान की सूचना ''अ–भुगतान''बैठकों में मान्यता प्राप्त संगठन के सदस्यों को बैठक के मिनट्स (कार्यवृत्त) से दी जाती है।

इन बैठकों में संगठन के प्रतिनिधियों को पास तथा विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधाएं देय होती है।

प्रेम (PREM)

1972 से 1994 तक भारतीय रेलों पर समवेत उद्यम समूह (CEG) के नाम से एक समूह कार्यरत्त था, जो रेलों की कार्यक्षमता और व्यवहार्यता में सुधार तथा मूल्यांकन का उद्देश्य रखता था।

सन् 1994 में एक नई विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी का नाम दिया गया। यह संविधान की धारा 43–ए के तहत् राज्य नीति के अन्तर्गत ही प्रजातांत्रिक व्यवस्था का एक अंग है।

इस समूह के मुख्य उद्देश्य निम्न है :-

1. रेलों की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन, आंकड़ों व विचारों का आदान–प्रदान करना ।
2. भारतीय रेलों के विनियोग कार्यक्रमों व कल्याण सेवाओं की समीक्षा करना ।
3. भारतीय रेलों की प्रबन्ध व्यवस्था में कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करना ।
4. संगठन कार्यों में भागीदारी की विचारधारा उत्पन्न करना ।
5. रेल सेवाओं में सुधार क्षेत्रों की खोज करना व रेल यात्री सुविधाओं व रेलवे सुरक्षा व्यवस्था पर विचार–विमर्श करना । यह व्यवस्था तीन होती है, जो निम्नप्रकार से है :-
   1) रेलवे बोर्ड स्तर
   2) महाप्रबन्धक स्तर
   3) मंडल रेल प्रबन्धक स्तर

इसकी बैठक तीन माह में एक बार व एक वर्ष में चार बैठकें आयोजित होती है। यह तीन स्तरीय व्यवस्था निम्न प्रकार से है :-

क्र0सं0	स्तर	अध्यक्षता	सदस्य	संयोजक
1	रेलवे बोर्ड स्तर	अध्यक्ष रेलवे बोर्ड	1. मान्यता प्राप्त प्रत्येक फेडरेशन से चार सदस्य 2. प्रत्येक अधिकारी एसोसिएशन के दो सदस्य 3. RPF एसोसिएशन के दो सदस्य 4. SC/ST एसोसिएशन के दो सदस्य * 5. OBC एसोसिएशन के दो सदस्य *	संयुक्त सचिव (स्थापना)
क्र0सं0	स्तर	अध्यक्षता	सदस्य	संयोजक
2	महाप्रबन्धक स्तर	महाप्रबन्धक	– वही –	अपर महाप्रबन्धक (जी.)/ मु0कार्मिक अधिकारी
3	मंडल रेल प्रबन्धक स्तर	मंडल रेल प्रबन्धक	– वही –	वरि0मं0कार्मिक अधि0

[*Rly. Bd's L.No.- 2013/E(HR)III/PREM/Misc./1 dt. 19.08.13]

इस समूह के तहत कई उप समितियॉ कार्यरत्त हैं, जैसे :-

(1) कैन्टीन समिति
(2) कर्मचारीहित निधि समिति
(3) कोलोनी केयर समिति
(4) अस्पताल भ्रमण समिति
(5) हस्तकला केन्द्र समिति एवं
(6) रेलवे आवास आवंटन समिति आदि ।

<u>सुविधाएं</u> :-

प्रेम कार्यालय, फैक्स व कम्प्यूटर, सचिव हेतु सहायता राशि, अखबार व पत्रिका हेतु अधिकतम 150/- रूपये प्रतिमाह देय है।

* * *

रेलवे कर्मचारी हित निधि

(Railway Servants Staff Benefit Fund)

(अध्याय VIII भारतीय रेल स्थापना संहिता नियम 801 से 812)

भारतीय रेलवे पर कर्मचारी हित निधि का गठन सन् 1931 में किया गया । प्रत्येक क्षैत्रिय रेलवे पर केन्द्रीय कर्मचारी हित निधि समिति द्वारा कर्मचारी हित निधि की देख रेख की जाती है।

निधि के उद्देश्य : (नियम 802)

1. कर्मचारियों और उनके बच्चों के मनोरंजन, खेल–कूद, स्काउटिंग, आमोद–प्रमोद एवं शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना, जहाँ नियमों के अन्तर्गत कोई अन्य सहायता देय नहीं है।
2. रेलवे कर्मचारी और उनके परिवार को विपत्ति में राहत देना।
3. यदि समिति किसी ऐसे अन्य मद पर खर्च करना चाहती है जो कि उनके विचार में कर्मचारियों के हित में है तो मामला महाप्रबन्धक को भेजा जाएगा व उनके द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा। इस निधि के किसी भी भाग का उपयोग राजपत्रित रेलवे सेवक हेतु नहीं लिया जाएगा।

निधि के स्त्रोत :

1. जुर्माने से प्राप्त समस्त राशि।
2. अराजपत्रित कर्मचारियों के जब्त (Forfeit) भविष्य निधि बोनस से प्राप्त समस्त राशि।
3. तीन वर्ष से अधिक समय से अद्त मजदूरी (Unpaid wages) (RBE 149/06)

उपर्युक्त बताए गए स्त्रोत के अलावा 31 मार्च को स्थाई और अस्थाई अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या के आधार पर, उन पदों को छोडकर जिनका खर्च पूजींगत लागत से किया जाता है,प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक अप्रैल को रेलवे राजस्व से प्रति व्यक्ति रू. 35/– की दर से (RBE NO.145/2009 के अनुसार वर्ष 2009–10 के लिए यह राशि रू. 350/–, आरबीई 62/2010 के अनुसार वर्ष 2010–11 के लिए यह राशि रू. 500/– तथा आरबीई 83/14 के अनुसार वर्ष 2014–15 के लिए यह राशि रूपये 800/– कर दी गई है) प्रत्येक वर्ष की एक अप्रैल को पिछले वर्ष की अंशदान की राशि के बराबर राशि, निधि में अनन्तिम रूप से जमा कर दी जाएगी तथा जैसे ही अंशदान की सही राशि निश्चित होगी आवश्यक समायोजन किया जाएगा। (नियम 805)

विभिन्न गतिविधियों हेतु रू. 350/– (वर्ष 2009–10), रू.500/– (वर्ष 2010–11)व रू. 800/– (वर्ष 2014–15)का वितरण निम्नानुसार है :– [RBE 145/09,62/10,73/11,83/14,136/14]

		(Yr.09-10)	(Yr.10-11	(Yr.14-1
1	Education (All Non-Gaz-employee)	72.75	72.75	116.00
2	Scholarship for higher education of girl children of staff in grade pay upto Rs. 2400/- @Rs.1500/- p.m.)*	50.00	100.00	110.00
3	Scholarship for higher technical /Professional education of Male children of staff in grade pay upto Rs. 2400/- @Rs. 1500/- PM)*	-	60.00	100.00
4	Women empowerment activities including seminar, camps ,training Programme and gender sensitization camps etc.	23.00	23.00	28.00
5	Recreation other than sports.	22.25	22.25	32.00

6	Recreation facilities at Institutes and Clubs etc.	-	-	36.00
7	Promotion of Cultural Activities .	10.50	10.50	16.00
8	Relief of distress, sickness,etc for staff in grade pay upto Rs. 4600/-	50.00	120.00	-
9	Sports activities.*	20.00	20.00	30.00
10	Scouts and Guide activities.	13.50	13.00	22.00
11	Indigenous system of medicine including Homoeopathy.	22.50	22.50	36.00
12	Immediate relief in the time of crises arise out due to natural calamity.	18.00	18.00	24.00
13	Developing occupational skills of mentally /physically challenged railway employees and their wards including purchase of wheel chairs, other aids ,special software etc. and organizing workshops, seminars,camps etc.	27.00	27.00	50.00
14	Miscellaneous.	10.50	10.50	80.00
	Total	350.00	500.00	800.00

[इन मदों के अन्तर्गत रेल कर्मचारियों के बच्चे ,जिन्होनें शिक्षा व खेलकूद के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रर्दशन किया है,के लिए शैक्षणिक वर्ष /वित्तीय वर्ष 2015–16 से नगद पुरस्कार योजना शुरू की गई है। (आरबीई 54/15)]

2. पिछले वर्ष के दौरान विभिन्न रेलों द्वारा अपने रेलवे कर्मचारियों के बच्चों को तकनीकी शिक्षा हेतु दी गई छात्रवृत्ति पर व्यय की गई राशि के 50% तक की राशि निधि में बढा दी जाएगी।

ग्रेड पे रू. 2400/– व कम प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृति योजना को लागू करने के संबंधी आदेश के मुख्य बिन्दु निम्न है :–

(i) ग्रेड पे रू. 2400/– व कम प्राप्त करने वाले सेवारत कर्मचारियों के बच्चे इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृति हेतु पात्र होगें।

(ii) उच्च शिक्षा का अर्थ सभी डिग्री एवं डिप्लोमा कार्यक्रमों से है, जो कि एक वर्ष से कम के न हो तथा मान्यता प्राप्त संस्थानों /विश्वविद्यालयों से हो।

(iii) प्रत्येक छात्रवृति की राशि रू. 1500/– प्रति माह होगी। (RBE83/14)

(iv) इस योजना के अन्तर्गत लाभ लेने वालों को कर्मचारी हित निधि से इसी प्रकार के मिलने वाले अन्य लाभ देय नहीं होगें।

(v) छात्रवृति की राशि का भुगतान तिमाही आधार पर किया जाएगा।

(vi) छात्रवृति की राशि का भुगतान बच्चे के नाम एकाउन्ट पेयी चैक के माध्यम से किया जाएगा।

(vii) 3. मद सं. (1)(2)(3) के संदर्भ में (मसलन छात्रवृतियां)– यद्यपि वर्तमान में रि–एपरोपिएशन का प्रावधान है तथापि केन्द्रीय कर्मचारी हित निधि समिति को यह शक्ति होगी कि वह मद सं.(2) व (3) की निधि को, मांग के आधार पर रि–एपरोपिएट कर सकेगी। जब कभी ऐसा किया जाए तो बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाए। छात्रवृत्तियों के संबंध में अन्य दिशा–निर्देश उपर्युक्तनुसार समान रूप से लागू होगें। (RBE 62/10, 83/14)

प्रति व्यक्ति कुल अंशदान के आधार पर खेल गतिविधियां, स्काउटिंग गतिविधियों और प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न विपति के समय तत्काल राहत के लिए क्रमशः रेलवे स्पोर्टस प्रमोशन बोर्ड, रेलवे स्काउट बोर्ड और कर्मचारी हित निधि आपदा राहत निधि से विचार विमर्श कर दिए जायेगें, जो कि रेल मंत्रालय के नियन्त्रण में होगें इसलिए रेलवे द्वारा कर्मचारी हित निधि का आंवटन केन्द्रीयकृत रूप से रेलवे मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा किया जायेगा। (RBE- 38/08)

कर्मचारी हित निधि आपदा राहत निधि का गठन रेलवे बोर्ड स्तर पर किया गया है। इस निधि पर प्रशासनिक नियन्त्रण एक समिति द्वारा किया जायेगा जो कि एडवाईजर (आई. आर), ई.डी.एफ.(ई), ई.डी.सी.ई.(जी) से मिलकर बनी है तथा जेडीई (डबल्यू) इसके सचिव के रूप में मदद करेंगे। इस समिति को एक क्षेत्रीय रेलवे को रू. 10/– लाख तक की राहत स्वीकृत करने की शक्ति है। समिति की अनुशंसा पर रूपये 10 लाख से ज्यादा ,लेकिन रूपये 20 लाख तक की राहत राशि द्वारा की जायेगी रेलवे बोर्ड (एम.एस) द्वारा स्वीकृत की जायेगी तथा 20 लाख व ज्यादा की स्वीकृति रेलमंत्री सक्षम प्राधिकारी है। (RBE- 150/07)

नोटः– केन्द्रीय कर्मचारी हित निधि समितियों को कर्मचारी हित निधि के अन्तर्गत विभिन्न शीर्षो की गतिविधियों में से शिक्षा, खेलकूद व स्काउट गतिविधियों की निधि को छोडकर अन्य निधि की 25% तक की राशि को रि–अपरोपिएट करने की शक्तियां है। (RBE- 18/09 Rule 806)

निधि से व्यय :–

कर्मचारी हित निधि से सभी खर्च नियमों के अन्तर्गत नियुक्त समिति या उप समिति द्वारा महाप्रबन्धक की सामान्य देखरेख में प्राधिकृत होगें।

स्टेशनरी की लागत, फार्मो के मुद्रण का प्रभार ,डाक प्रभार और निधि से संबंधित अन्य आकस्मिक खर्च, रेलवे राजस्व से किए जायेगें। कर्मचारी हित निधि समिति की बैठकों के दौरान मनोरंजन पर होने वाला खर्च इस निधि से ही किया जायेगा।

निधि का प्रबन्धन :– (नियम–807)

रेलवे मुख्यालयों पर मुख्य कार्मिक अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निधि का प्रबन्धन किया जायेगा। समिति का गठन अध्यक्ष के अलावा निम्न प्रकार से होगा :–

1	अध्यक्ष	– मुख्य कार्मिक अधिकारी
2	प्रशासन की ओर से	– 1. मुख्य चिकित्सा निदेशक 2. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता
3	सचिव	– महाप्रबन्धक द्वारा नामित एक कल्याण अधिकारी
4	कर्मचारियों की ओर से	– मान्यता प्राप्त संगठनों के 06 सदस्य जो कि उनमें समान रूप से विभाजित हो तथा AISC/STREA & AIOBCREA से 01–01 सदस्य (RBE- 57/14)

उत्पादन ईकाइयों में जहॉ स्टाफ परिषदें कार्यरत है, वहॉ केन्द्रीय स्टाफ परिषदों द्वारा चयनित सदस्य कर्मचारी हित निधि समिति का प्रतिनिधित्व करेगें।

मुख्यालय/मंडल और कार्यशाला स्तर पर कर्मचारी हित निधि समिति होगी जिनमें निम्नलिखित पदाधिकारी होगें :–

1	अध्यक्ष (पदेन)	Dy CPO /SPO	Sr.DPO/DPO	WM/ AWM/SPO
2	नामित सदस्य	एक अधिकारी CPO द्वारा	DRM द्वारा	CWM/DY CME द्वारा
3	सचिव	S&WI	S&WI	APO / S&WI

उपर्युक्त के अलावा मान्यता प्राप्त प्रत्येक यूनियनों से दो–दो सदस्य होगें। कार्यशाला में कर्मचारी हित निधि समिति होती है, इनका गठन भी उसी प्रकार का है जैसा मंडल के लिए निर्धारित है। यदि कार्यशाला में वरिष्ठ वेतनमान स्तर का कार्मिक अधिकारी नहीं है तो उसका स्थान कार्य प्रबन्धक लेगा और यदि कार्य प्रबन्धक भी नहीं हो तो यह कार्य सहायक कार्य प्रबन्धक करेगा।

समिति या उप समिति का सदस्य एक वर्ष के लिए होगा। इन्हें महाप्रबन्धक द्वारा हटाया जा सकता है या वह इस्तीफा दे सकता है लेकिन वह पुनः नामित या पुनः निर्वाचन के योग्य होगा। (नियम–809)

यदि अध्यक्ष निम्न मामलों पर समिति के बहुमत से असहमत हो तो :– (नियम–810)

1. निधि से होने वाले व्यय के आर्थिक औचित्य के बारे में।
2. क्या नियम 802 में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप सहायता दी जा सकती अथवा नहीं।
3. क्या इसका सरकार या रेलवे की मान्यता प्राप्त नीति से कोई विरोधाभाष है ?

तो वह मामले को महाप्रबन्धक के पास विचारार्थ भेजेगा और इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम होगा।

निधि की कार्य प्रणाली पर वार्षिक रिपोर्ट : (नियम–812)

महाप्रबन्धक पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान निधि की कार्य प्रणाली के संबंध में एक वार्षिक रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

कर्मचारी कल्याण गतिविधियॉ : (चेप्टर XXII,IREM II के नियम–2201 से 2241)

छात्रावास अनुदान :

रेलवे कर्मचारी अपना स्थानान्तरण होने पर अपने बच्चों को जहॉ वह पदस्थापित है या रह रहा है वहॉ से दूर किसी आवासीय विद्यालय के छात्रावास में रखने को विवश हो जाने के कारण दो बच्चों तक के लिए दिनांक 01.09.2008 से प्रति बालक अधिकतम रू.3000/– प्रतिमाह(विकलांग बच्चों के लिए 6000/– प्रतिमाह –आरबीई –135/10) अनुदान सहायता के लिए पात्र होगा। छात्रावास अनुदान कक्षा 12 तक देय है जिसमें शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालय से सम्बद्ध स्कूल और जूनियर कॉलेजों की कक्षा 11 और 12 शामिल है। जब महंगाई भत्ता 50% हो जायेगा तो उपर्युक्त सीमाऍ 25% तक बढ जायेगी।

तकनीकी शिक्षा हेतु छात्रवृति : (IREM Part-II Rule 2206)

रेलवे द्वारा कर्मचारियों के बच्चों ,आश्रित भाईयों और बहनों को छात्रवृति प्रदान की जाती है। अन्य विभागों के कर्मचारी जो रेलवे में प्रतिनियुक्ति पर हैं, के बच्चों को शिक्षा के लिए छात्रवृति की सहायता के योग्य नहीं समझा जायेगा।

तकनीकी शिक्षा का अर्थ शुद्व विज्ञान होगा (विज्ञान में डिग्री प्राप्त हो) या अनुप्रयुक्त विज्ञान में (चिकित्सा या इंजीनियरिंग की विभिन्न शाखाओं में डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त हो)। इसमें वे विषय शामिल नहीं होगें जो कॉलेजो या दूसरे शैक्षिक संस्थानों में सामान्यतः कला (आटर्स)पाठ्यक्रम में शामिल किए जाते है। जहॉ संदर्भित डिप्लोमा कोर्सेज आवश्यक रूप से वे नहीं होगें जो डिग्री के समान है। तकनीकी शिक्षा की विभिन्न शाखाओं में दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के डिप्लोमा इस योजना के कार्य क्षैत्र में शामिल होगें। इन छात्रवृतियों का खर्च कर्मचारी हित निधि द्वारा वहन किया जाएगा। तकनीकी छात्रवृति देने से पहले यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि वह विद्यार्थी जिसको छात्रवृति दी जा रही है वह जिस संस्थान में पढता है वहॉ से या अन्य किसी स्त्रोत से आर्थिक सहायता तो प्राप्त नहीं कर रहा है। इस उद्वेश्य के लिए रेलवे कर्मचारियों के बच्चों को रेलवे कर्मचारी हित निधि से छात्रवृति के दावे के प्रार्थना पत्र के साथ अपने स्कूल/संस्थान से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे अपने स्कूल /संस्थान या किसी अन्य स्त्रोत से किसी प्रकार की छात्रवृति प्राप्त नहीं कर रहे है।

छात्रवृति आबंटन तथा कर्मचारी हित निधि के मार्गदर्शन हेतु निम्नलिखित प्राथमिकताऍ तय की गई हैः–

वे आवेदक जो चिकित्सा के आयुर्वेदिक और होमियोपेथी सहित चिकित्सा में डिग्री कोर्स ,फार्मेसी और इंजीनियरिंग की विभिन्न शाखाओं, कम्प्यूटर साइंस, आर्किटेक्चर और पर्यावरण योजना, वेटरनरी साइंस और पशुपालन (एनिमल हसबेन्डरी) और विज्ञान (कृषि), बी.फार्मेसी में स्नातक में पढ़ रहे है, उनको सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

द्वितीय वरीयता चिकित्सा की आयुर्वेदिक और होमियोपेथी पद्वति सहित चिकित्सा, फार्मेसी और इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर साइंस, आर्किटेक्चर और पर्यावरण योजना में डिप्लोमा कोर्स को दी जाएगी।

यदि कोई रेलवे छात्रवृति का हिस्सा उपयुक्त श्रेणी में पूरी तरह काम में नहीं लेता है तो तीसरी वरीयता उन आवेदको को दी जाएगी जो शुद्व विज्ञान में डिग्री कोर्सेज में पढ़ रहे है।

छात्रवृति का निम्नलिखित प्रतिशत अ.जा. और अ.ज.जा. के बच्चों को देने हेतु क्रमशः 15% व 7.5 % आरक्षित रखा जाएगा। यदि अ.जा. और अ.ज.जा. कर्मचारियों के बच्चे पर्याप्त संख्या में

छात्रवृति के उपयुक्त प्रतिशत को प्राप्त करने के लिए नहीं आते है तो छात्रवृति दूसरे आवेदको को दे दी जाएगी और छात्रवृति नष्ट नहीं होने दी जाएगी। बाबा साहब डा.भीमराव अंबेडकर की शताब्दी वर्ष समारोह के अवसर पर अ.जा. व अ.ज.जा.हेतु छात्रवृति का प्रतिशत 12 1/2 व 5% से बढाकर क्रमशः 15% व 7½% किया गया।[रे.बो.का पत्र सं.E(W)90Fv-17 dt 09.11.90(N.R.PS 10273)]

एक सेवारत कर्मचारी के बच्चे के पक्ष में दी जाने वाली छात्रवृति जब तक बच्चा उस कोर्स को पूर्ण करेगा तब तक दी जाएगी और इस पर कर्मचारी की मृत्यु, विकलांगता और आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृति का कोई प्रभाव नहीं पडेगा। हालांकि जब रेलवे कर्मचारी सेवा से त्याग–पत्र दे देगा तब वह बच्चे की स्वीकृत छात्रवृति प्राप्त नहीं कर सकेगा।

एक अराजपत्रित रेलवे कर्मचारी के बच्चे की छात्रवृति बाद में रेलवे कर्मचारी की पदोन्नति राजपत्रित पद पर होने मात्र से तब तक नहीं रोकी जाएगी तब तक की उसका राजपत्रित पर स्थाईकरण नहीं हो जाता।

यदि इन नियमों के अन्तर्गत छात्रवृति प्राप्त करने वाले रेलवे कर्मचारी का स्थानान्तरण दूसरे रेलवे प्रशासन में हो जाता है तो तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र की छात्रवृति स्थानान्तरण करने वाले रेलवे के कर्मचारी हित निधि से मिलनी जारी रहेगी, जब तक कोर्स पूरा नहीं हो जाता, यदि यह अन्य किसी कारण से जब्त नहीं की जाती है। चिकित्सा या इंजीनियरिंग के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले रेलवे कर्मचारियों के बच्चों को भी छात्रवृति देय होगी। (RBE -57/07)

इंजीनियरिंग,मेडिसन इत्यादि डिग्री पाठ्यक्रमों हेतु हित निधि से दी जाने वाली छात्रवृति की सीमा 100/– रू. प्रतिमाह से बढ़ाकर 200/– रू. प्रतिमाह की गई। (RBE -140/07)

रेलवे संस्थान और क्लब

संस्थान रख–रखाव और प्रबन्धन पर व्यय का भार : (IREM भाग–II नियम–2208 से 2217)

क्षैत्रीय रेलवे का महाप्रबन्धक, क्षैत्र की सीमाओं/कार्यक्षैत्र में स्थित सभी रेलवे संस्थानों का संरक्षक होता है। मंडल रेल प्रबन्धक, मंडल के कार्यक्षेत्र में स्थित सभी रेलवे संस्थानों का उप संरक्षक होता है। कार्यशाला के कार्यक्षेत्र में स्थित रेलवे संस्थान का उप संरक्षक CWM/Dy CME होता है।

रेलवे संस्थान को रेलवे द्वारा अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए उपलब्ध कराये गए किराया रहित क्लब के रूप में देखना चाहिए। इस प्रकार एक सामान्य सिद्वान्त के रूप में रेलवे वह सब कुछ उपलब्ध कराएगा जो जो एक मकान मालिक सामान्यतः देता है। संस्थान उन सब की कीमत चुकाएगा जो सामान्यतः किराएदार को दिया जाना चाहिए।

रेल, प्रशासन वहन करेगा : बिजली के उपकरण (जिसमें बिजली के पंखे शामिल है) सहित निर्माण पर व्यय,आवश्यक फर्नीचर, सड़कें चारदीवारी/बाड़ और रख रखाव तथा फेर बदल का खर्च इत्यादि । जहॉ कहीं सम्भव हो बगीचा भी उपलब्ध कराया जाएगा।

संस्थान की निधि वहन करेगी :

(अ) इंजीनियरिंग मरम्मत के अलावा खेल के मैदान को समतल बनाना, पानी देना, घास काटना और अन्य रख–रखाव पर व्यय,

(ब) बिजली की खपत और मीटर किराए का व्यय। रेलवे भवनों को ऑफिसर्स क्लब के रूप में इस्तेमाल करने पर किसी प्रकार के किराए की वसूली नहीं होगी।

रेलवे संस्थान में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के स्टाफ को बिना किराए आवासीय सुविधा इस शर्त पर दी जा सकती है कि या तो ऐसा आवास संस्थान भवन या उसके आउट हाऊस का अभिन्न अंग है या रेलवे के अन्य उद्वेश्य के लिए उसकी आवश्यकता नहीं है या बाहरी व्यक्तियों को किराए पर नहीं दिया जा सकता और अन्यथा खाली पडा रहेगा।

संस्थान को एक सीनियर या जूनियर संस्थान के रूप में संगठित किया जा सकता है स्टाफ की जितनी विस्तृत संख्या समभव हो, रखी जाए।

सदस्यता ऐच्छिक होगी और सदस्यता हेतु मासिक अंशदान की दर संस्थान की आवश्यकता के अनुरूप स्टाफ की चयनित/नामित सभा द्वारा तय की जाएगी। प्रबन्धक समिति का गठन रेल कर्मचारियों के क्षैत्र विशेष अर्थात् कार्यशाला, स्टेशन इत्यादि के संस्थान के सदस्यों के अनुरूप किया जायेगा।

महाप्रबन्धक को निम्नलिखित प्रतिबंधों के साथ रेलवे प्रशासन की स्थानीय आवश्यकताओं और उस स्थान की अन्य परिस्थितियों के अनुरूप नियम बनाने की शक्ति है:–

1. रेलवे परिसर में मान्यता प्राप्त यूनियनों की मीटिंग के समय उस मीटिंग में किसी प्रकार के राजनीतिक विषय पर चर्चा न की जाएं,

2. रेलवे परिसर /भूमि पर गैर मान्यता प्राप्त यूनियनों को मीटिंग करने की इजाजत न दी जाए।

होली डे होम : (अवकाश गृह) (IREM भाग–II नियम–2219 से 2225)

होली डे होम देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए गए है जो कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों (जो पास नियमों के अनुसार हो) की सुविधा हेतु है ना कि उनके रिश्तेदारों के लिए । राजपत्रित अधिकारियों, ग्रुप सी, और ग्रुप डी हेतु तीन प्रकार के आवास है। होली डे होम्स सभी राजपत्रित अधिकारियों, ग्रुप सी और ग्रुप डी के साथ–साथ सेवानिवृत रेलवे अधिकारियों, सेवानिवृत ग्रुप सी और ग्रुप डी के स्टाफ को भी उपलब्ध कराए जाते है। आवश्यक सामान जैसे बर्तन, फर्नीचर और मनोरंजन सुविधाएं इत्यादि, होली डे होम में रहने के लिए वसूले जाने वाले नाम मात्र के किराए पर दी जाती है और इसे रेलवे बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार स्टेशन आय में जमा करा दिया जाता है।

किसी एक रेलवे द्वारा बनवाए गए होली डे होम में किसी दूसरे रेलवे के स्टाफ को रहने /काम में लेने की इजाजत देना घरेलु रेलवे के स्टाफ की मांग को पूरा करने के पश्चात् सम्भव है। वह स्टाफ जिसे होली डे होम में रहने की स्वीकृति मिल गई है उनकी छुट्टी, आपातकालीन मामले के अलावा निरस्त नहीं की जानी चाहिए। जहॉ ग्रुप डी हेतु आवास उपलब्ध नहीं है वहॉ पर वे ग्रुप डी हेतु निर्धारित दर पर उच्चतर प्रकार के आवास का अधिग्रहण कर सकते है। दिनांक 01.09.2012 से अधिकारियों और स्टाफ के लिए लागू दरें निम्नानुसार है :–

(पूरक परिपत्र सं. 01 मास्टर परिपत्र सं.2/90)

क्रम	कर्मचारी एवं अधिकारियो का स्तर	दर प्रति सुइट प्रतिदिन (दिनांक 01.09.12 से आरबीई नं 104/12)	
		सेवारत	सेवानिवृत
1	कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान से ऊपर के राजपत्रित अधिकारी	रू. 60/–	रू. 175/–
2	कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान सहित उससे नीचे के राजपत्रित अधिकारी	रू. 60/–	रू. 80/–
3	ग्रुप सी	रू. 30/–	रू. 60/–
4	ग्रुप डी	रू. 12/–	रू. 30/–

सेवानिवृत रेलवे कर्मचारियों को ग्रीष्मकालीन अवकाश,दशहरा,पूजा और क्रिसमस अवकाश के अलावा अधिग्रहण के सात दिन पहले होली डे होम में निश्चित बुकिंग दी जाएगी और सेवारत रेलवे कर्मचारी की वरीयता में निश्चित बुकिंग अधिग्रहण के सात दिन पहले तक रद्व नहीं की जाएगी । (RBE -140/02)

वे कर्मचारी जो सेवा क्षैत्र ईकाइयों /स्वायत्त निकायों में स्थायी रूप से समाहित होने के उद्वेश्य से रेल सेवा से तकनीकी रूप से सेवानिवृत होते है और सेवानिवृति पश्चात् मानार्थ पास के हकदार है वे भी होली डे होम की सुविधा का लाभ उठा सकते है। (RBE -96/07)

भारतीय रेलवे पर विभिन्न अवकाश गृहों की सूची ,मय सम्पर्क सूत्र आरबीई 69/12 में दी गई है।

चिकित्सा की प्राचीन पद्वति :

चिकित्सा की प्राचीन पद्वति के अन्तर्गत कर्मचारी हित निधि द्वारा आयुर्वेदिक/होमियोपेथिक औषधालय चलाए जा रहे है। दवाईयों का व्यय और चिकित्सकों /डिस्पेन्सरों को मानदेय सहित निम्नलिखित दरों पर (01.08.2010 से प्रभावी) कर्मचारी हित निधि द्वारा ऐसे औषधालयों को चलाया जा रहा है :–

(RBE -26/06,111/08,06/09,112/10)

चिकित्सक			डिस्पेंसर	दवाईया
	पूर्ण कालिक ड्यूटी	अंशकालिक ड्यूटी		
आयुर्वेद	रू. 21000/–प्र.मा.	रू. 12600/–प्र.मा.	7100/–	8000/–
होम्योपेथी	रू. 21000/–प्र.मा.	रू. 12600/–प्र.मा.	2000/–	3000/–

1. यदि होमियोपेथी डिस्पेंसर की आवश्यकता नहीं तो होमियोपेथी दवाईयों के लिए रू. 5000/– खर्च किए जा सकते है।
2. अंशकालिक से आशय है प्रतिदिन लगभग 04 घण्टे की ड्यूटी और पूर्णकालिक से आशय हो प्रतिदिन लगभग 08 घण्टे की ड्यूटी।
3. अंशकालिक होमियोपेथी/आयुर्वेदिक औषधालयों को पूर्णकालिक में बदलने हेतु महाप्रबन्धक सक्षम है। (RBE -30/13)
4. होम्योपेथी डॉक्टर की शैक्षणिक योग्यता बाबत्। (RBE -250/89, 13/14)

स्वास्थ्य लाभ गृह : (IREM भाग–II नियम–2226)

ग्रुप सी और ग्रुप डी का स्टाफ जो सामान्यतः स्वास्थ्य लाभ लेने हेतु अपने खर्चे पर जलवायु परिवर्तन के लिए नहीं जा सकते, उनके लिए रेलवे ने स्वास्थ्य लाभ गृह स्थापित किए है। यदि ऐसे स्थान पर होली डे होम अस्तित्व में है जो जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से स्वास्थ्य लाभ गृह के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते है तो होली डे होम पर्याप्त रूप से संरक्षित है तो इसको बढाए या फैलाए बिना स्वास्थ्य लाभ गृह के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उद्वेश्य यह है कि प्रत्येक रेलवे के पास स्वास्थ्य लाभ गृह होना चाहिए ताकि स्वास्थ्य लाभ लेने वाले के साथ छुट्टी बिताने वालों से अलग व्यवहार किया जा सके लेकिन साथ ही छुट्टी बिताने वालों को इस कारण से वंचित न किया जाए कि होली डे होम के एक भाग को स्वास्थ्य लाभ गृह के रूप में काम में लिया जा रहा है। जहॉ अलग से स्वास्थ्य लाभ गृह उपलब्ध करवाए जाने है वहॉ होली डे के लिए बनाए गए नियम लागू होगें सिवाय इसके कि स्वास्थ्य लाभ स्थापित करने के लिए रेलवे बोर्ड की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।

(ii) इन स्वास्थ्य लाभ गृहों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। ऐसे स्टेशन जहॉ पर रेलवे के डॉक्टर हैं, उनको स्वास्थ्य लाभ गृह में सेवाएं देने हेतु प्रतिनियुक्त किया जाना चाहिए। नजदीकी रेलवे डॉक्टर सप्ताह में दो बार स्वास्थ्य लाभ गृह जाएगा।

(iii) स्वास्थ्य लाभ गृह में रहने वालों से उसका वहीं किराया लिया जाएगा जो होली डे होम के लिए नियत है। हालांकि यदि रहने वाले को बिना किराए रहने की इजाजत दी जाती है और आवश्यक खर्च SBF से वसूला जाता है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

(iv) जहॉ अलग से स्वास्थ्य लाभ गृह स्थापित है वहॉ पर योजना की वित्तिय उलझनों पर निर्णय करने के लिए होली डे होम की तरह खर्चो का एक प्रोफार्मा अकाउण्ट रखना चाहिए।

स्काऊट और गाइड : (IREM भाग–II नियम–2227 व 2228)

रेलवे में स्काउटिंग संगठन प्रत्येक रेलवे पर एक अलग राज्य संघ ,भारत स्काऊटस और गाईड्स की एक शाखा के रूप में काम करता है और सीधे भारत स्काऊट्स और गाईड्स के अधीन है।

सांस्कृतिक कोटे के अन्तर्गत स्काऊट की नियुक्ति :

मंडल रेल प्रबन्धक मंडल स्तर पर प्रति वर्ष ग्रुप डी में अधिकतम दो व्यक्तियों की भर्ती कर सकते है और महाप्रबन्धक क्षैत्रीय स्तर पर प्रति वर्ष अधिकतम 02 ग्रुप सी की भर्ती इस शर्त पर कर सकते है कि आवेदक रेलवे प्रशासन द्वारा निर्धारित योग्यताओं को पूरा करते है। हांलाकि न्यूनतम योग्यता अन्य शैक्षिक /तकनीकी योग्यताओं और अनुभव ,यदि कोई हो ,के अलावा वरीयता में प्रेसिडेन्ट्स स्काऊट होना चाहिए। स्काऊट /गाइड इकाई में रिक्तियॉ भरते समय उन लोगों को वरीयता दी जानी चाहिए जिनको इस क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त हो।

यात्रा भत्ता ,दैनिक भत्ता,विशेष छुट्टीयॉ और पास :

(i) प्रशिक्षु और प्रशिक्षार्थियों सहित वे रेलवे कर्मचारी जो रेलवे राज्य संगठन के स्काउट /गाइड है उनको चाहे भारत में या बाहर, स्काउटिंग ड्यूटी पर एक कैलण्डर वर्ष में अधिकतम 30 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश, ट्रेनिंग कैम्प या रैलियों में भाग लेने के लिए या स्काउटिंग प्राधिकारियों के निर्देशों के अन्तर्गत कार्य करने पर दिया जा सकता है,परन्तु इस कार्य से रेलवे ड्यूटी में बाधा नहीं पहुॅचनी चाहिए। विशेष आकस्मिक अवकाश जब स्काउटिंग तिथियों पर स्वीकृत किया जाता है तो उसे आकस्मिक अवकाश या रिकार्डेड छुट्टी के साथ समाहित /जोडा जाए। हांलाकि, जब नियमित छुट्टी विशेष आकस्मिक अवकाश के साथ स्वीकृत की जाए तो आकस्मिक अवकाश के साथ स्वीकृत न की जाए।

(ii) उपर्युक्त संदर्भ में रेलवे कर्मचारियों, उनके पारिवारिक सदस्य जो रेलवे राज्य संगठन के ऑफिस बियरर के रूप में नियुक्त है या जिन्होंने अपना नाम कब–बुलबुल, स्काउट–गाइड, रोवर्स–रेंजर्स के रूप में लिखा रखा है, उनको विशेषपास जारी किए जाएगे।

(iii) ऊपर (i) और (ii) में संदर्भित विशेष आकस्मिक अवकाश और निःशुल्क पास की छूट उन रेलवे कर्मचारियों को दी जा सकती है जिन्होंने भूतपूर्व स्काउट और गाइड की राष्ट्रीय फैलोशिप की रेलवे शाखा को जोइन किया है या जब उन्हें स्काउटिंग कार्य हेतु बुलाया जाता है।

(iv) निम्नाकिंत गतिविधियों के लिए स्काउटर्स/गाइडर्स/एडल्ट लीडर/कमिशनर्स/रोवर्स/रेंजर्स को एक कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम 15 दिनों तक का यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता कर्मचारी को उनकी दर के अनुरूप दिया जा सकता है :–

(अ) जब राज्य/जिला स्काउट संगठनों द्वारा संचालित प्रशिक्षण केम्प/कोर्स,हिमालयन वुड बेज ट्रेनिंग कोर्स इत्यादि में बच्चों को स्काउट–गाइड, रोवर्स–रेजंर्स का प्रशिक्षण देने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाए।

(ब) जब मेला, त्यौहार, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, चक्रपात, उपद्रव इत्यादि के समय रेलवे के प्रयासों के पूरक के रूप में रेलवे प्रशासन की सहायता करने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है।

(स) जब स्काउट गाइड अधिकारियों को राज्य/राष्ट्रीय सभा की बैठक में भाग लेने हेतु प्रतिनियुक्त किया जाता है,और

(द) जब रेलवे कर्मचारियों को राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख स्काउट/गाइड आयोजन जैसे रैली,जम्बूरी,सम्मेलन इत्यादि के संचसलन या प्रशिक्षण देने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है। इत्यादि के संचालन या प्रशिक्षण देने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है।

स्काउटिंग गतिविधियों पर व्यय होने वाला यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता राजस्व से लिया जाएगा। चूंकि स्काउटिंग एक कल्याणकारी गतिविधि है, इस उद्वेश्य हेतु अनुदान कर्मचारी हित निधि से दिए जाते है। विशेष स्काउटिंग गतिविधियों के लिए 15 दिनों के यात्रा भत्ता /दैनिक भत्ता की

स्वीकृति 30 दिनों के विशेष आकस्मिक अवकाश के दायरे में है और इस प्रकार एक कर्मचारी द्वारा इस विषय में बिताया गया कुल समय 30 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए।

हस्तशिल्प केन्द्र : (Handi Craft Centre) (IREM भाग–II नियम–2239)

(i) रेल कर्मचारियों के लाभ हेतु हस्तशिल्प केन्द्र स्थापित किए जाने चाहिए जो रेल कर्मचारियों के परिवार की महिला सदस्यों को खाली समय में कुछ काम/हुनर सीख कर परिवार की आय को बढा सकने के उद्वेश्य से कताई,बुनाई, कपडों की सिलाई इत्यादि हस्तशिल्प सिखा सके।

(ii) इस योजना पर होने वाला व्यय कर्मचारी कल्याण निधि से लिया जाए।

(iii) हस्तशिल्प केन्द्र के लिए स्थान की व्यवस्था रेलवे भवन के खाली पडे स्थान में बिना किराए के की जानी चाहिए।

(iv) रेल भवन में अवस्थित हस्तशिल्प केन्द्र द्वारा उपभोग किए गए बिजली और पानी का व्यय रेलवे राजस्व द्वारा वहन किया जाना चाहिए। जहॉ पर हस्तशिल्प केन्द्र रेलवे संस्थान द्वारा वहन किए जाने चाहिए।

व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र : (Vocational training cantre) (IREM भाग–II नियम–2240)

व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र उपयुक्त स्थानों पर स्थापित किए जाए जहॉ सायंकाल में कक्षाएं लगाई जानी चाहिए जहॉ निम्न का प्रशिक्षण दिया जाए :–

(i) (a) अकुशल एवं अर्द्वकुशल कामगारों को ड्यूटी के पश्चात् के घण्टों में अपने भविष्य की संभावनाओं को सुधारने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, और

(b) रेल कर्मचारियों के बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण

(ii) रेल कर्मचारियों और उनके बच्चों के लिए साप्ताहिक दिनों में अलग–अलग कक्षाएं बारी–बारी से लगाई जाएगी।

(iii) प्रशिक्षण केन्द्रों में बाहरी व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए। रेल कर्मचारियों के आश्रित इस उद्वेश्य के लिए प्रवेश के योग्य होगें, रेल कर्मचारियों के परिवार के सदस्य भी पात्रता रखते है,जो सुविधा पास पाने का पात्र है।

(iv) प्रशिक्षण सरल कार्यो का ही दिया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को कारपेण्टर या फिटर के रूप में प्रशिक्षण दिया जाए। साथ ही साथ उनको आधारभूत तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाए जो उन्हें बाद में दिए जाने वाले अधिक कठिन कार्य के प्रशिक्षण के निर्देशों को ग्रहण करने योग्य बनाए, यदि बाद में जब उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षु के प्रशिक्षण हेतु भर्ती किया जाए या यदि सेवा में है तो साामन्य प्रकियानुसार जब उन्हें पदोन्नति योग्य समझा जाए। जो पढे लिखे है उन्हें अंकगठित ,क्षेत्रमिति और रेखाचित्र को पढने संबंधी सैद्वान्तिक शिक्षा भी दी जाए।

(v) प्रत्येक अभ्यार्थी से सामान्य फीस प्रति माह ली जाएगी।

(vi) इस केन्द्र में प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को नौकरी या पदोन्नति में कोई लाभ नहीं दिए जायेगें,क्योंकि ऐसा करना संविधान के विरूद्व होगा। इस केन्द्र का उद्वेश्य केन्द्र के विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा देना है जो उनके लिए एक पूंजी होगी और इसकी प्राप्ति उन्हें उन लोगों से अच्छी स्थिति में रखेगी जिनके पास यह पूंजी नहीं है और यह उन्हें तकनीकी रूप से निपुण भी बनाएगी।

(vii) प्रशिक्षण केन्द्र में प्रभावी संचालन हेतु सक्षम पर्यवेक्षक और कारीगर को उचित मानदेय के भुगतान पर निरीक्षक के रूप में लगाया जा सकता है। इस उद्वेश्य के लिए सेवानिवृत कर्मचारियों को लगाने पर भी कोई आपत्ति नहीं है।

(viii) उन रेलवे कर्मचारियों के बच्चों को प्रमाण पत्र दिए जा सकते है जो इन व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करते है।`

कैन्टीन : (IREM भाग–II नियम–2229 से 2238)

संवैधानिक बाध्यता के रूप में कैन्टीन का प्रावधान :

फैक्ट्री एक्ट 1948 के भाग 46 के प्रावधान रेलवे प्रशासन के उन रेलवे संस्थानों पर कैन्टीन स्थापित करने के लिए संवैधानिक बाध्यता लागू करते है जो फैक्ट्री एक्ट द्वारा शासित है जहॉ 250 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है।

संवैधानिक बाध्यता के रूप में कैन्टीन का प्रावधान :

फैक्ट्री एक्ट 1948 के अधीन कैन्टीन एक संवैधानिक बाध्यता के प्रावधान के अलावा रेलवे प्रशासन ,कर्मचारी कल्याण के रूप में आवश्यकतानुसार कैन्टीन उन संस्थानों में खोल सकता है जो इस एक्ट द्वारा शासित नहीं है।

कैन्टीन स्थापित करने के नियम :

कैन्टीन खोलने के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शी नियम दिए गए है :–

(i) कैन्टीन ऐसे स्थानों पर खोले जाने चाहिए जहॉ पर बडी संख्या में मजदूर कार्यरत है जैसे वर्कशाप, शैड्स, यार्डस्, बडे स्टेशन इत्यादि । ऐसे स्थान जहॉ स्टाफ संख्या 25 से अधिक परन्तु 100 से कम है वहॉ टिफिन रूम उपलब्ध कराए जा सकते है और जहॉ स्टाफ संख्या 100 या उससे अधिक है वहॉ रेगुलर कैन्टीन उपलब्ध कराए जा सकते है। यह स्तर केवल सामान्य मार्गदर्शन के लिए है। कैन्टीन आत्मनिर्भर होनी चाहिए तथा बिक्री की कीमतें समय–समय पर खरीद पर व्यय, कैन्टीन चलाने पर हुए व्यय के संदर्भ में पूरे वर्ष को एक मानते हुए, न फायदा न नुकसान के आधार पर तय की जानी चाहिए।

(ii) वहॉ कार्य घण्टों का नुकसान नहीं होना चाहिए अर्थात् हल्का नाश्ता होना चाहिए, जबकि खाने/भोजन का उपभोग कार्य घण्टों के अलावा किया जाना चाहिए।

(iii) बेची जाने वाली सामग्री पौष्टिक और सस्ती होनी चाहिए।

कैन्टीन का प्रबन्धन :

संविधान के अधीन उपलब्ध कराई गई कैन्टीन :

जिस स्टाफ को कैन्टीन की सेवाएं प्राप्त है उसे कैन्टीन प्रबन्धन से सक्रिय रूप से जुडे रहना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए कैन्टीन की दैनिक कार्यप्रणाली की सहायतार्थ संबंधित राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार स्टाफ प्रबन्धन की एक समिति बनाई जानी चाहिए। हालांकि यह परामर्शदायी समिति का कार्य करेगी। प्रशासन कैन्टीन प्रबन्धन हेतु एक स्टाफ समिति का गठन कर सकता है लेकिन उचित प्रबन्धक की कानूनी जिम्मेदारी समिति की नहीं होगी बल्कि केवल रेल प्रशासन की होगी।

सांविधिक प्रावधानों के अलावा उपलब्ध कराए गए कैन्टीन :

इस उद्देश्य हेतु गठित एक प्रबन्धन समिति इन कैन्टीनों को चलाएगी। इस समिति में उस स्टाफ के उचित रूप से चुने गए गतिनिधि होगें। जिसके लिए यह कैन्टीन चलाई जा रही है। इसके अलावा रेलवे प्रशासन की और से एक प्रतिनिधि सभापति, सचिव या समिति सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा। इस प्रकार गठित इस समिति के पास कैन्टीन को चलाने या किराये पर लेने या बेचने अथवा इसे रेल प्रशासन की स्वीकृति के बिना हटाने के पूरे अधिकार होगें। फिर भी, यदि समिति में रेल प्रशासन द्वारा नामित सभापति या सचिव या सदस्य ऐसा सोचता है कि समिति द्वारा लिया गया कोई निर्णय भवन फर्नीचर या उपकरणों के मालिक के रूप में रेल प्रशासन के हित में बाधक हो सकता है या स्टाफ को बहुत हानि पहुॅचा सकता है, तो वह इस आशय की सूचना समिति को देगा और इस स्थिति में समिति के उस निर्णय की क्रियान्विति तब तक नहीं होगी तब तक सक्षम प्राधिकारी इस पर अपना निर्णय नहीं देता।

व्यय भार :

ऊपर दिए निर्देशानुसार जब तक कैन्टीन खोलना प्रस्तावित हो तो व्यय भार निम्नानुसार रहेगा :– फैक्ट्री एक्ट 1948 के अलावा उपलब्ध कराई गई कैन्टीन हेतु रेलवे प्रशासन आवश्यक भवन, गैस, उपकरण, सफाई और बिजली उपस्कर, फर्नीचर और खाना बनाने के बर्तन, बिजली और पानी उपलब्ध करवा सकता है।

रेलवे प्रशासन द्वारा दिए गए उपकरणों /सामान की जॉच की जाएगी और कमी पाए जाने पर उसकी भरपाई करनी पडेगी। वे कैन्टीन की कार्य प्रणाली में सुधार हेतु खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और कीमत संबंधी जॉच भी कर सकते है।

वयस्क साक्षरता केन्द्र :

साक्षरता कार्यक्रम का 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए और निरक्षर वयस्कों में साक्षरता को बढावा देने के उद्देश्य से वयस्क साक्षरता केन्द्र कर्मचारी हित निधि समिति द्वारा भी चलाया जा सकता है।

सांस्कृतिक केन्द्र :

रेल कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के बीच सांस्कृतिक गतिविधियों अर्थात् नाटक, संगीत और नृत्य इत्यादि को बढावा देने के लिए कर्मचारी हित निधि सांस्कृतिक केन्द्र भी चला सकता है।

विपत्ति के समय सहायता :

यह सुविधा उन रेल कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने स्थायी या अस्थायी रूप में एक वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है। अनियत मजदूर जिन्हें अस्थायी औहदा दिया जा चुका है, वे भी इसके हकदार होगें लेकिन वे अनियत मजदूर जिन्हें अस्थायी औहदा नहीं दिया गया है, इस सुविधा के हकदार नहीं होंगे।

अंतिम संस्कार हेतु सहायता :

वह रेलवे कर्मचारी जिसकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है,उसके परिवार को यह सुविधा उपलब्ध होगी।

विधवाओं को सहायता :

किसी रेलवे कर्मचारी की अचानक मृत्यु की स्थिति में उसकी विधवा द्वारा आवेदन करने पर कर्मचारी हित निधि द्वारा उसके बच्चों (एक समय में 03 बच्चे) की शिक्षा हेतु सहायता उपलब्ध कराती है,लेकिन वे विधवाएं जिन्हें अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति मिल चुकी है, इस सहायता की हकदार नहीं होगी।

बीमारी लाभ :

यदि रेल कर्मचारी के परिवार को कोई सदस्य टी.बी./कैन्सर/पोलियो/कुष्ठ रोग/हृदय रोग से पीडित है तो रेलवे चिकित्सक के प्रमाण पत्र पर कर्मचारी हित निधि द्वारा बीमारी लाभ उपलब्ध कराया जाता है। यह सुविधा केवल उस स्टाफ को दी जाएगी जिन्होंने लगातार तीन वर्ष की न्यूनतम सेवा पूर्ण कर ली है। इनडोर गेम्स के लिए आवश्यक सुविधाएं, मनोरंजन सुविधा अर्थात् रेडियो, टी.वी., समाचार पत्र – पत्रिकाएँ इत्यादि रेलवे अस्पताल में केन्द्रीय कर्मचारी हित निधि समिति द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

चश्में की आंशिक कीमत का पुर्नभुगतान :

संरक्षा नियमों के अनुरूप जिन कर्मचारियों की समय–समय पर दृष्टि जॉच आवश्यक है, उनकी सेवा के दौरान चश्में की आंशिक कीमत का पुर्नभुगतान कर्मचारी हित निधि द्वारा किया जाएगा।

कृत्रिम दॉतों की आंशिक कीमत का पुर्नभुगतान :

ग्रुप सी और डी स्टाफ जो कृत्रिम दॉत खरीदते है उनको आर्थिक सहायता कराई जाएगी।

अन्य विविध कल्याण गतिविधियॉ :

कर्मचारियों का पुस्तकालय : मंडल और कार्यशाला कर्मचारियों के लिए पुस्तकालय खोल सकते है ताकि वे खाली समय का उपयोग ज्ञान बढाने के लिए कर सकें। इस मद पर किया गया खर्च SBF द्वारा वहन किया जाएगा।

सामाजिक कल्याण केन्द्र : रेलवे में सामाजिक कल्याण केन्द्र चलाने का प्रावधान है और इस मद पर किया गया व्यय SBF द्वारा वहन किया जाएगा। ऐसी रेलवे कॉलोनियां जहॉ 100 या अधिक परिवार रह रहे हैं, ये केन्द्र निम्न गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए चलाए जा सकते है :–

1. इन्डोर गेम्स
2. आउट डोर गेम्स
3. वयस्क साक्षरता और साक्षरता कक्षाएं
4. सिलाई और कताई कक्षाएं
5. नाटक और नृत्य के लिए कक्षाएं
6. संगीत कक्षाएं
7. राष्ट्रीय अवकाशों और पर्वो को मनाना।

बाल मन्दिर :

महिला समिति और समाज कल्याण केन्द्र के सहयोग से रेल कर्मचारियों के बच्चों के हित में रेलवे बाल मन्दिर भी चलाए जा सकते है। इन बाल मन्दिरों में 02 से 05 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को विभिन्न प्रकार के चित्र और चार्ट दिखाकर उपयोगी ज्ञान दिया जाता है।

सांस्कृतिक गतिविधियॉ :

सांस्कृतिक गतिविधियों को बढावा देने के लिए अर्थात् नाटक, गायन, समूह वादन (Orchestra), संगीत, नृत्य इत्यादि का आयोजन किया जाता है जिसमें कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य भाग ले सकते है। इन उद्देश्यों के लिए वाद्य यंत्र कर्मचारी हित निधि से खरीदे जा सकते है जिसके लिए कर्मचारी हित निधि द्वारा आवश्यक अनुदान देगा। उर्दू भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए रेलवे में समय– समय पर कवि सम्मेलन और मुशायरे जैसी सांस्कृतिक गतिविधियॉ आयोजित करवाई जा सकती है। इस उद्देश्य के लिए सांस्कृतिक गतिविधियों के अन्तर्गत कर्मचारी हित निधि से धन दिया जा सकता है। (RBE 08/08)

वैकल्पिक चिकित्सा पद्वति :

– आयुर्वेदिक /होम्योपेथी चिकित्सो को रखने संबंधी नीति में रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 23.07.2014 द्वारा निम्नानुसार संशोधन किया गया है :– (RBE 80/14)

(i) प्रत्येक जोनल रेलवे/उत्पादन इकाई में कुल आठ व दो औषधालय (Dispensaries) से अधिक नहीं होगें (आयुर्वेदिक /होम्योपेथी सहित)।

(ii) वर्तमान 08 घण्टे तथा 04 घण्टे औषधालय संबंधी व्यवस्था को सप्ताह में पांच दिन 04 घण्टे औषधालय की व्यवस्था में तबदील (replaced) किया जायेगा। भविष्य में कोई भी नया नियोजन (engegment) सिर्फ 04 घण्टे आधार पर ही होगा। अतः इस संबंध में महाप्रबन्धक को आर.बी.ई. 30/13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां समाप्त (annulled) मानी जायेगी।

(iii) आयुर्वेदिक /होम्योपेथी Practitioners अब आयुर्वेदिक /होम्योपेथी Consultant के रूप में आरबीई 177/89, 250/89 व 12/14 में दर्शायी गई योग्यता के आधार पर लगाए जायेगें।

(iv) यह Consultant (आयुर्वेदिक /होम्योपेथी) SBF run dispensaries में CSBF कमेटी द्वारा लगाए जायेगे जिसमें संबंधित जोनल रेलवे से एक डॉक्टर भी होगा।

(v) 04 घण्टे औषधालय के लिए लगाए गए Consultant का अनुबन्ध सिर्फ एक वर्ष के लिए मान्य होगा तथा कार्य की संतुष्टि के आधार पर इसे बढाया जा सकेगा।

(vi) Consultants/dispensers लगाने हेतु आयु सीमा 65 वर्ष निर्धारित की गइ है तथा वर्तमान में लगे हुए Consultants/dispensers की सेवाएं इस आयु पश्चात् समाप्त हो जायेगी।

(vii) रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 28.10.99 में दिये गये निर्देशानुसार 08 घंटे हेतु विनियोजित Consultants को ही पास/पी.टी.ओ.की सुविधा देय है। 04 घंटे हेतु विनियोजित Consultants को यह सुविधा देय नहीं होगी।

(viii) आयुर्वेदिक /होम्योपेथी Consultants/dispensers की संशोधित मान देय दरे निम्नानुसार होगी :–

	Revised Honorarium	
	8 hrs duration	4 hrs duration
Consultants (Ayurvedic /Homeopathic)	Rs.24000/-	Rs.17,500/-
Dispensers (Ayurvedic /Homeopathic)	Rs.7,200/-	Rs. 5,000/-

(ix) दवाईयों पर मासिक Subsidy निम्नानुसार होगी :–Ayurvedic/ Homeopathic Dispensaries- Rs.8,000/-रेलवे बोर्ड द्वारा मामले का पुनरावलोकन करने पश्चात् आरबीई 80/14 के अन्तर्गत जारी निर्देशों को निम्नानुसार संशोधित करने का निर्णय लिया गयाः– (RBE 47/15)

(i) RBE 80/14 के अन्तर्गत होम्योपेथी व आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरियों की संख्या संबंधी सीमा निर्धारण को वापस ले लिया गया है।

(ii) होम्योपेथी व आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरियों में वर्तमान में 08 घण्टे हेतु कार्यरत कंसलटेंट लगातार रहेंगे तथा भविष्य में इन डिस्पेन्सरियों में कंसलटेंट 04 घण्टे हेतु अनुबंधित किये जायेगे।

(iii) वर्तमान में 08 घण्टे व 04 घण्टे आधार पर कार्यरत आयुर्वेद डिसपेंसर को देय मासिक मानदेय में संशोधन करते हुए क्रमशः रू.9000/– व रू. 7000/–किया गया है।

(iv) आयुर्वेदिक डिस्पेरिन्स को देय मासिक अनुदान को संशोधित करते हुए रू.9800/– कर दिया गया है।

संविधान और राजभाषा नीति

राजभाषा : प्रशासन का कामकाम चलाने और क्षेत्र की जनता से सरकार का सीधा संप्रेषण बनाये रखने के लिये जिस भाषा को प्रयोग में लाया जाता हैं, उसे राजभाषा कहते हैं। राजकाज की भाषा अर्थात् शासन और जनता के बीच संवाद की भाषा सरकार की नीतियों को जनता तक पहुँचने का यह एक सशक्त माध्यम है। राजभाषा से तात्पर्य आम बोल चाल की भाषा है तथा सरल, सुबोध और सुग्राह्य शब्दों को प्रयोग राजभाषा की विशेषता है।

प्रस्तावना : स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में एक ऐसी भाषा की आवश्यकता थी जो यहाँ के निवासियों में भावनात्मक एकता स्थापित करने में सहायक सिद्ध हो सकें तथा अन्तरराज्य और केन्द्र सरकार के काम–काज के लिये अंग्रेजी का स्थान ले सकें। इस दृष्टि से हिन्दी भाषा को सर्वाधिक उपयुक्त समझकर भारतीय संविधान में इसे राजभाषा के पद पर सुशोभित किया गया। यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि हिन्दी के अलावा अन्य कोई भी भारतीय भाषा इसका स्थान नहीं ले सकती थी।

14 सितम्बर 1949 : को संविधान सभा द्वारा हिन्दी को संघ की राजभाषा स्वीकार करने के फलस्वरूप सम्पूर्ण भारत वर्ष में 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्री गोपाल स्वामी अयंगर द्वारा संविधान सभा में हिन्दी को राजभाषा बनाने सम्बन्धी प्रस्ताव रखा गया। 14 सितम्बर 1949 को संविधान सभा ने प्रबल बहुमत से हिन्दी को केन्द्र सरकार की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की। यही प्रस्ताव हमारे संविधान के भाग संग्रह में राजभाषा शीर्षक के अन्तर्गत विद्यमान है।

भारत वर्ष के संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के फलस्वरूप केन्द्र सरकार की राजभाषा हिन्दी है। भारतवर्ष के सन्दर्भ में अधिकांश राज्यों में बोली व समझी जाने वाली भाषा को राजभाषा की संज्ञा दी गई है और यह व्यवस्था की गई है कि राज्यों की विधान सभायें अपने राज्य की एक या अधिक क्षेत्रीय भाषाओं को अथवा हिन्दी को अपनी राजभाषा बना सकती है।

संविधान की अष्टम अनुसूची में इनका उल्लेख है और अभी तक इनकी संख्या 22 है। अष्टम अनुसूची के अनुसार 334/1 और 351 [Schedule VIII Art. 344 (I) 351] के अन्तर्गत सम्मिलित भाषाओं के नामः–

1. असमिया 2. उड़िया 3. उर्दू 4. कन्नड़ 5. कश्मीरी 6. गुजराती 7. तमिल 8. तेलगू 9. पंजाबी 10.बंगाली 11.मराठी 12.मलयालम 13.संस्कृत 14. सिंधी 15.हिन्दी 16.कोंकणी 17.नेपाली 18.मणिपुरी 19.डोगरी 20.मैथिली 21. संथाली 22.बोडो

(19 से 22 तक भाषायें दिसम्बर 2003 में शामिल की गई)

संघ की राजभाषा नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी

Official Language of the Union – Short Notes

राजभाषा के प्रयोग प्रसार के सम्बन्ध में भारत के संविधान में अलग–अलग उपबन्ध हैंः–

अनुच्छेद (Artical) 343/1 : में यह व्यवस्था है कि संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि (Script) देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिये प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अन्तरराष्ट्रीय रूप होगा।

अनुच्छेद 343/2 : में यह व्यवस्था है कि संविधान लागू होने के समय से 15 वर्ष की अवधि अर्थात् 1965 तक उन शासकीय प्रयोजनों के लिये अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिये संविधान लागू होने से पहले किया जाता रहा था। परन्तु राष्ट्रपति इस अवधि में अर्थात् 1965 से पहले भी आदेश निकाल कर किसी काम के लिये अंग्रेजी के अलावा हिन्दी का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगें।

राष्ट्रपति के आदेश 1952, 1955 एवं 1960 में जारी किये गये।

अनुच्छेद 343/3 : में संसद को अधिकार दिया गया कि वह अधिनियम पारित करके 26 जनवरी 1965 के बाद भी सरकारी काम काज में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने के बारे में व्यवस्था कर सकें, तदनुसार राजभाषा अधिनियम 1963 पारित किया गया।

अनुच्छेद 345 : में यह व्यवस्था है कि राज्य का विधान मण्डल राज्य में होने वाली भाषाओं में से किसी एक को या अधिक भाषाओं को या हिन्दी को अपनी सभी या किन्ही शासकीय प्रयोजनों के लिये प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप अंगीकार कर सकेगा।

अनुच्छेद 348 : में यह व्यवस्था है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करें तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में की गई कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी किन्तु इस अनुच्छेद के खण्ड 2 में यह व्यवस्था है कि राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से अपने राज्य में स्थित उच्च न्यायालय में हिन्दी भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकता है।

अनुच्छेद 351 : के अनुसार संघ का यह कर्त्तव्य होगा कि हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाये, उसका विकास करें, उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें। गृह मंत्रालय इसके लिये प्रतिवर्ष वार्षिक कार्यक्रम तैयार करता है जिसमें विभिन्न हिन्दी प्रयोग के लक्ष्य निर्धारित किये जाते है।

अनुच्छेद 120/1 : के अनुसार संसद में कार्य हिन्दी या अंग्रेजी में किया जायेगा परन्तु यथास्थिति राज्य सभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष किसी सदस्य को जो हिन्दी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकेगा।

राजभाषा अधिनियम – 1963 (The Official Language Act 1963)

संशोधित – 1967 (As Amended – 1967)

राजभाषा आयोग (Commission) और संसदीय समिति (Committee of Parliament) की सिफारिशों पर अमल करने की दृष्टि से 1963 में राजभाषा अधिनियम बनाया गया जिसमें 1967 में संशोधन किया गया। वस्तुतः देखा जायें तो केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक कार्यों में यह अधिनियम द्विभाषिकता की स्थिति का सूत्रपात करता है संशोधित राजभाषा अधिनियम के मुख्य उपबन्ध इस प्रकार हैंः–

राजभाषा अधिनियम की धारा–3 के अनुसार उन सभी प्रयोजनों के लिये जिनके लिये 26 जनवरी 1965 से पूर्व अंग्रेजी इस्तेमाल की जा रही थी। 26 जनवरी 1965 के बाद भी हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जा सकेगा। केन्द्र सरकार और हिन्दी को राजभाषा के रूप में न अपनाने वाले किसी राज्य के बीच पत्राचार अंग्रेजी में होगा, बशर्ते उस राज्य ने इसके लिये हिन्दी का प्रयोग करना स्वीकार न किया हो। इसी प्रकार हिन्दी भाषी राज्यों की सरकारें ऐसे राज्यों की सरकारों के साथ अंग्रेजी में पत्राचार करेगी और यदि वे ऐसे राज्यों को कोई पत्र हिन्दी में भेजती हैं तो साथ–साथ अंग्रेजी अनुवाद भी भेजेंगी। पारस्परिक समझौते से यदि कोई भी दो राज्य आपसी पत्राचार में हिन्दी का प्रयोग करें तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

केन्द्र सरकार के कार्यालयों आदि के बीच पत्र व्यवहार के लिये हिन्दी अथवा अंग्रेजी का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन जब तक सम्बन्धित कार्यालयों आदि के कर्मचारी हिन्दी का

कार्यसाथक ज्ञान प्राप्त न कर लें तब तक पत्रादि का दूसरी भाषा में अनुवाद उपलब्ध कराया जाता रहेगा।

राजभाषा अधिनियम की धारा (Section 3/3) के अनुसार निम्नलिखित के लिये हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का ही प्रयोग अनिवार्य हैं :–

संकल्प (Resolutions), सामान्य आदेश (General Orders), अधिसूचनायें (Notification), प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्तियाँ (Press Communiques), संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखी गई अन्य रिपोर्ट और अन्य सरकारी कागज पत्र, करार (Agreement), अनुज्ञप्ति (Licence) तथा अनुज्ञा पत्र (Permit) , निविदा सूचना (Tender forms) और इनके प्रारूप तथा आरक्षण चार्ट

अधिनियम की धारा 3/4 के अनुसार इस अधिनियम के बनाते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि हिन्दी या अंग्रेजी दोनों भाषाओं में से किसी एक भाषा में प्रवीण कर्मचारी प्रभावी रूप अपना काम कर सके और केवल इस आधार पर कि वे दोनों भाषाओं में प्रवीण नहीं हैं, उसका कोई अहित नहीं होना चाहिये।

संशोधित अधिनियम 1967 द्वारा धारा 3/5 के रूप में यह उपबन्ध किया गया है कि उपर्युक्त विभिन्न कार्यों के लिये अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने सम्बन्धी व्यवस्था जारी रहेगी तथा जब तक हिन्दी को राजभाषा के रूप में अपनाने वाले सभी राज्यों के विधान मण्डल अंग्रेजी का प्रयोग खत्म करने के लिये आवश्यक संकल्प पारित न करें और इन संकल्पों पर विचार करने के बाद संसद का प्रत्येक सदन भी इस आशय का संकल्प पारित न कर दें।

अधिनियम की धारा 7 के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा दिये अथवा पारित किसी निर्णय, डिक्री अथवा आदेश के लिये अंग्रेजी भाषा के अलावा हिन्दी अथवा राज्य की राजभाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकता है। तथापि कोई निर्णय, डिक्री या आदेश अंग्रेजी से किसी भिन्न भाषा में दिया या पारित किया जाता हैं तो उसके साथ–साथ सम्बन्धित उच्च न्यायालय के प्राधिकारी से अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी किया जायेगा। अब तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा बिहार के राज्यपालों ने अपने–अपने उच्च न्यायालयों में उपर्युक्त उद्देश्य के लिये हिन्दी प्रयोग की अनुमति दे दी है।

नियमों के पालन का उत्तरदायित्व (Responsibility for Compliance) :

इन नियमों की एक बड़ी विशेषता यह है कि इनमें पहली बार इनके उपबन्धों का सही अनुपालन करने की जिम्मेदारी प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान पर डाली गई है। उनका यह कर्त्तव्य है कि आवश्यक जाँच पड़ताल करें और इन नियमों के अनुपालन के लिये समय–समय पर यथा आवश्यक आदेश जारी करें।

नोटः– मूल नियम भारत सरकार के राजपत्र में सा.का.नि. 1052 के तारीख 17 जुलाई, 1976 द्वारा प्रकाशित किये गये और पश्चातवर्ती संशोधन अधिसूचना राजभाषा विभाग, नई दिल्ली 03.07.2007

(इनका विस्तार तमिलनाडू राज्य के अलावा सम्पूर्ण भारत में हैं)

The Official Language (Use for official purpose of the union) Rule, 1976 (As Amended, 1987)

संघ की राजभाषा से सम्बन्धित विभिन्न सांविधिक और कानूनी उपबन्धों को कार्यरूप देने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने 1976 में राजभाषा नियम बनाये थे। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 8 के अधीन बनाये गये ये नियम सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिये व्यापक मार्गदर्शक सिद्धान्तों की भूमिका का निर्वाह करते हैं।

नियम 3/1 : केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से पत्रादि हिन्दी भाषी राज्यों के लिये जिन्हें ''क'' क्षेत्र के राज्य कहा गया है या ऐसे राज्यों में किसी अन्य कार्यालयों या अन्य व्यक्ति को हिन्दी में भेजे जायेगें। यदि किसी खास मामलें में कोई पत्र इन्हें अंग्रेजी भाषा में भेजा जाता हे तो उसका अनुवाद भी साथ में भेजा जायेगा।

नियम 3/2 : (क) केन्द्रीय कार्यालयों से पत्रादि पंजाब, गुंजरात और महाराष्ट्र व चण्डीगढ़ क्षेत्रों के प्रशासनों को जिन्हें ''ख'' क्षेत्र में शामिल किया गया है, सामान्यतः हिन्दी में भेजे जायेगें। यदि उन्हें कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसका हिन्दी अनुवाद भी साथ में भेजा जायेगा, (ख) लेकिन इन राज्यों में किसी व्यक्ति को भेजे जाने वाले पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी दोनों में से किसी एक भाषा में भेजे जा सकते हैं।

नियम 3/3 : अन्य अहिन्दी भाषी राज्यों जिन्हें ''ग'' क्षेत्र कहा गया है, के कार्यालयों या व्यक्तियों को पत्र अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं।

नियम 3/4 : इन ''ग'' राज्यों में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों से ''क'' अथवा ''ख'' क्षेत्र की सरकारों उनके कार्यालयों आदि को पत्रादि हिन्दी अथवा अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं।

नियम 4 :

(क) केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्र व्यवहार हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकता है।

(ख) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग और दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्र व्यवस्थार हिन्दी या अंग्रेंजी में हो सकता है।

(ग) ''क'' क्षेत्र में स्थित अन्य केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्र व्यवस्थार हिन्दी में होगा।

नियम 5 : हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर हिन्दी में ही दिये जायेगें।

नियम 6 : राजभाषा अधिनियम की धारा 3/3 में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिये हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषायें प्रयोग में लाई जायेगी और सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले की होगी।

नियम 7 :

1. कोई कर्मचारी आवेदन (Application), अपील, अभ्यावेदन (Representation) हिन्दी /अंग्रेजी में कर सकता है।

2. हिन्दी में हस्ताक्षर किये गये आवेदन या अभ्यावेदन का उत्तर हिन्दी में दिया जायेगा।

3. यदि कोई कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियमों से सम्बन्धित कोई आदेश या सूचना यथा स्थिति हिन्दी /अंग्रेजी में चाहता है तो उसे उसी भाषा में दी जायेगी।

नियम 8 :

1. केन्द्रीय सरकार का कोई कर्मचारी फाईलों में हिन्दी या अंग्रेजी में टिप्पणी प्रारूप लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जायेगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करें।
2. विशिष्ट दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रतृति का है अथवा नहीं, इसका विनिश्चय विभाग या कार्यालय का प्रधान करेगा।
3. अधिसूचित कार्यालयों में से कुछ को पूरी तरह या उनके कार्य की कुछ मदों को विनिर्दिष्ट /स्पेसीफाईड /किया जा सकता है ताकि उनमें काम करने वाले हिन्दी में प्रवीण कर्मचारियों को नोटिंग /ड्राफ्टिंग आदि में केवल हिन्दी का इस्तेमाल करने के लिये कहा जा सके।
नियम 10 : जिन कार्यालयों में 80 या उससे अधिक लोगों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है उन्हें अधिसूचित किया जा सकता है।
नियम 11 : (1) केन्दीय सरकार के कार्यालयों में सम्बन्धित सभी नियमावली संहितायें और अन्य प्रक्रिया सम्बन्धी साहित्य हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में द्विभाषिक (डिगलट) रूप से तैयार किये जायेगें।
(2) व (3) : सभी फार्मों और रजिस्टरों के शीर्ष नामपट्ट, सूचनापट्ट, स्टेशनरी आदि की मदें यथा रबर की मोहरें, धातु सीले, पत्र शीर्ष, लेटर हैड, विजिटिंग कार्ड हिन्दी और अंग्रेजी (द्विभाषी) में होगें।
नियम 12 : प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिशिचित करें कि राजभाषा अधिनियम और नियमों का समुचित रूप से अनुपालन किया जाता है तथा इनके अनुपालन के लिये प्रभावी जाँच बिन्दु बनायें।
1. राजभाषा नियमों के अनुपालन की दृष्टि से राज्यों का विभाजन :–

''क'' क्षेत्र	''ख'' क्षेत्र	''ग'' क्षेत्र
(Region "A") पूर्णतः हिन्दी भाषी क्षेत्र	(Region "B") ऐसे राज्य जिन्होंने हिन्दी को विधिवत रूप से अपना लिया	ऐसे राज्य जिन्होंने अभी तक कानूनी रूप से हिन्दी को नहीं अपनाया
बिहार, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली तथा अण्डमान निकोबार द्वीप समूह /संघ शासित क्षेत्र	गुजरात, महाराष्ट्र, पँजाब तथा चण्डीगढ़, दमन व दीव, दादर नगर हवेली/संघ शासिल क्षेत्र (गृह मंत्रालय, भारत सरकार का प.सं. 1/14034/02/2010–रा. भा. (नीति –1 दिनांक 04.05.11)	क्षेत्र ''क'' व ''ख'' में उल्लिखित राज्यों को छोड़कर सभी राज्य व संघ शासित क्षेत्र।

परिभाषायें (Definitions) :
नियम 09 : हिन्दी में प्रवीणता (Proficiency in Hindi) :
यदि किसी कर्मचारी ने –
''क'' – मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिन्दी माध्यम से उत्तीर्ण की हैं, अथवा
''ख'' – स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा के समतुल्य या उससे उच्चतर अन्य किसी परीक्षा में हिन्दी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया था, अथवा
''ग'' यदि वह इन नियमों के उपाबद्ध प्रारूप में घोषणा करता है कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है तो उसके बारे में यह समझा जायेगा कि उसने हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है।
नियम 10/1 : हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त (Working Knowledge in Hindi)

''क'' – मैट्रिक या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण की हे या केन्द्रीय सरकार की हिन्दी प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, अथवा

''ख'' – यदि वह इन नियमों के उपाबद्ध प्रारूप में घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो यह समझा जायेगा कि उसने हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

जाँच बिन्दु (Check Points) :

1. रेलवे मुद्रणालय
2. रोनिया (साइक्लेस्टाइल)
3. टाईप व कम्प्यूटर अनुभाग
4. पत्र प्रेषण (डिस्पेच) अनुभाग
5. टाईप राईटरों (कम्प्यूटरों) इलेक्ट्रोनिक उपकरणों की खरीद
6. सेवा पुस्तिकाओं /रजिस्टरों में प्रविष्टियाँ
7. हिन्दी में प्राप्त पत्रों आदि का उत्तर हिन्दी में देना
8. आरक्षण कार्यालय

सरकारी काम काज में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग–प्रसार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड द्वारा लागू विभिन्न प्रोत्साहन /पुरस्कार योजनायें :–

(1) व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजनायें

क्रस	व्यक्तिगत नकद योजनाओं का विवरण
i.	रेलवे बोर्ड की व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजना : सरकारी कामकाज में हिन्दी का सराहनीय व प्रशंसनीय कार्य करने वाले प्रत्येक मण्डल /कारखाना से एक अधिकारी एक कर्मचारी को प्रतिवर्ष रूपये 1500 एवं प्रशस्ति–पत्र प्रदान किया जाता हैं। इसके लिये हिन्दी भाषी न्यूनतम 75% व अहिन्दी भाषी न्यूनतम 50% कार्य हिन्दी में होना चहिये। (प्राधिकारी – रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या हिन्दी–2007/प्र–7/6 दिनांक 26.06.2008)
ii.	महाप्रबन्धक की व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजना सरकारी कामकाज में हिन्दी का सराहनीय व प्रशंसनीय कार्य करने वाले प्रत्येक मण्डल /कारखाना से प्रति वर्ष एक अधिकारी और एक कर्मचारी को रूपये 1000 एवं प्रशस्ति–पत्र प्रदान किया जाता है।
iii.	मण्डल रेल प्रबन्धक की व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजना सरकारी कामकाज में हिन्दी का सराहनीय व प्रशंसनीय कार्य करने वाले चयनित कर्मचारियों को नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति–पत्र प्रदान किया जाता है।

(2) हिन्दी प्रतियोगितायें

i.	क्षैत्रिय स्तर पर हिन्दी निबंध, वाक तथा टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगितायें			
		हिन्दी निबंध	हिन्दी वाक	हिन्दी टिप्पण व प्रारूप लेखन
प्रथम पुरस्कार		रूपये 2000	रूपये 2000	रूपये 2000
द्वितीय पुरस्कार		रूपये 1600	रूपये 1600	रूपये 1600
तृतीय पुरस्कार		रूपये 1200	रूपये 1200	रूपये 1200
सांत्वाना पुरस्कार (तीन)		रूपये 800 (प्रत्येक)	रूपये 800 (प्रत्येक)	रूपये 800 (प्रत्येक)

(प्राधिकारी – रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या हिन्दी–2010/प्र–7/6 दिनांक 26.06.2008)

ii.	रेलवे बोर्ड स्तर पर अखिल हिन्दी निबंध, वाक तथा टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता			
	प्रथम पुरस्कार	रूपये 3000	रूपये 3000	रूपये 3000

	द्वितीय पुरस्कार	रूपये 2500	रूपये 2500	रूपये 2500
	तृतीय पुरस्कार	रूपये 2000	रूपये 2000	रूपये 2000
	सांत्वाना पुरस्कार(तीन)	रूपये 1500(प्रत्येक)	रूपये 1500(प्रत्येक)	रूपये 1500(प्रत्येक)

(प्राधिकारी – रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या हिन्दी–2010/प्र–7/6 दिनांक 26.06.2008)

iii.	रेल मंत्री हिन्दी निबंध प्रतियोगिता : रेल प्रबन्धक अथवा संचालन के किसी विषय पर हिन्दी निबन्ध लेखन		
		राजपत्रित	अराजपत्रित
	प्रथम पुरस्कार	रूपये 6,000	रूपये 4,000
	द्वितीय पुरस्कार	रूपये 6,000	रूपये 4,000

(प्राधिकारी – रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या हिन्दी–2007/प्र–7/6 दिनांक 26.06.2008)

(3) मौलिक हिन्दी पुस्तक लेखन पुरस्कार योजनायें :

i. लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार योजना

तकनीकी रेल विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने पर लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित पुरस्कार दिये जाते हैं :–

प्रथम पुरस्कार रू 15000/–
द्वितीय पुरस्कार रू 7000/–
तृतीय पुरस्कार रू 3300/–

(प्राधिकारी – रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या हिन्दी–2009/प्र–7/12 दिनांक 28.10.2009)

ii. इन्दिरा गाँधी राजभाषा पुरस्कार योजना :

इस योजना के अन्तर्गत सरकारी कार्य से सम्बन्धित विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लिखने पर इन्दिरा गाँधी राजभाषा पुरस्कार दिये जाते हैं :–

प्रथम पुरस्कार रूपये 60000/–
द्वितीय पुरस्कार रूपये 45000/–
तृतीय पुरस्कार रूपये 30000/–
प्रोत्साहन पुरस्कार रूपये 15000/–

[(प्राधिकारी–भारत सरकार गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग .07.05.14 का कार्यालय ज्ञापन 14011/01/2014–रा.भा.(नीति)]

iii. प्रेमचन्द पुरस्कार (कथा/कहानी/उपन्यास संग्रह)

प्रथम पुरस्कार रूपये 15000/–
द्वितीय पुरस्कार रूपये 7000/–
तृतीय पुरस्कार रूपये 3300/–

(प्राधिकारी – रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या हिन्दी–2007/प्र–7/6 दिनांक 26.06.08)

iv. मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार (काव्य/गजल संग्रह)

प्रथम पुरस्कार रूपये 15000/–
द्वितीय पुरस्कार रूपये 7000/–
तृतीय पुरस्कार रूपये 3300/–

(प्राधिकारी – रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या हिन्दी–2007/प्र–7/6 दिनांक 26.06.08)

v. रेल यात्रा वृतांत पुरस्कार योजना :

रेल यात्राओं सम्बन्धी अनुभव के आधार पर रेलों द्वारा अपनी छवि को और उजागर करने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड ने अखिल भारतीय स्तर पर रेल यात्रा वृतांत पुरस्कार योजना लागू की हैं। इसमें कोई भी नागरिक भाग ले सकता है।

प्रथम पुरस्कार रूपये 4000/–, द्वितीय पुरस्कार रूपये 3000/–, तृतीय पुरस्कार रूपये 2000/–

vi. राजीव गाँधी राष्ट्रीय ज्ञान–विज्ञान तकनीकी मौलिक लेखन प्रतियोगिता

प्रथम पुरस्कार	रूपये 2,00,000	प्रमाण–पत्र व स्मृति चिह्न
द्वितीय पुरस्कार	रूपये 1,25,000	प्रमाण–पत्र व स्मृति चिह्न
तृतीय पुरस्कार	रूपये 75,000	प्रमाण–पत्र व स्मृति चिह्न
सांत्वना पुरस्कार (दस)	रूपये 10,000	प्रमाण–पत्र व स्मृति चिह्न

(4) हिन्दी प्रोत्साहन योजनायें :

i. हिन्दी में मूल टिप्पण व आलेखन पुरस्कार योजना :
इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान टिप्पण आलेखन में हिन्दी भाषी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कम से कम 20,000 शब्द तथा अहिन्दी भाषी द्वारा कम से कम 10,000 शब्द हिन्दी में लिखने के लिये एक यूनिट में 10 पुरस्कार प्रदान करने का प्रावधान हैं। इस योजना के अन्तर्गत पुरस्कार निम्न हैं:–

	रेलवे बोर्ड /प्रधान कार्यालय	मण्डल स्तर पर
प्रथम पुरस्कार (दो)	रूपये 2000	रूपये 1600
द्वितीय पुरस्कार (तीन)	रूपये 1200	रूपये 800
तृतीय पुरस्कार (पाँच)	रूपये 600	रूपये 600

ii. अधिकाधिक डिक्टेशन देने पर अधिकारियों के लिये हिन्दी डिक्टेशन पुरस्कार :
इस योजना के अन्तर्गत हिन्दी भाषी अधिकारी के लिये 20,000 शब्द व अहिन्दी भाषी अधिकारी के लिये 10,000 शब्द डिक्टेशन देने वाले अधिकारियों के लिये क्रमशः रूपये 2000/– प्रति अधिकारी अनुसार दो पुरस्कार दिये जाते है। (प्राधिकारी – रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या हिन्दी–2013/प्र–7/4 दिनांक 20.02.2013)

iii. रेलों पर सामूहिक रूप से हिन्दी के सर्वाधिक प्रयोग करने वाले विभागों के लिये सामूहिक पुरस्कार योजना :

प्रथम पुरस्कार	रूपये 9000	मुख्यालय के लिये	कुल छः कर्मचारी, प्रति कर्मचारी रूपये 1500
द्वितीय पुरस्कार	रूपये 6000	मण्डलों के लिये	कुल पाँच कर्मचारी, प्रति कर्मचारी रूपये 1200
तृतीय पुरस्कार	रूपये 4000	कारखानों के लिये	कुल पाँच कर्मचारी, प्रति कर्मचारी रूपये 800

iv. अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी में आशुलिपि एवं टाईपिंग कार्य करने के लिये प्रोत्साहन भत्ताः
आशुलिपिक रूपये 240 प्रतिमाह
टंकक रूपये 160 प्रतिमाह
(प्राधिकारी – रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या हिन्दी–2012/प्र–10/5 दिनांक 20.06.2014)

v. हिन्दी टाईपिंग एवं आशुलिपिक की परीक्षायें पास करने पर पुरस्कार :
इस योजना के अन्तर्गत हिन्दी भाषा, टाईपिंग और हिन्दी आशुलिपि की परीक्षायें पास करने पर प्राप्त अंकों के आधार पर एक मुश्त पुरस्कार के अतिरिक्त वेतन वृद्धियों के बराबर एक वर्ष के लिये वैयक्तिक वेतन देय है।

vi.

हिन्दी परीक्षायें पास करने पर नकद पुरस्कार :			
प्राप्तांक प्रतिशत	55%	60%	70%
प्रबोध	रूपये 400	रूपये 800	रूपये 1600
प्रवीण	रूपये 600	रूपये 1200	रूपये 1800
प्राज्ञ	रूपये 800	रूपये 1600	रूपये 2400

निजी प्रयत्नों से हिन्दी शिक्षण योजना की निम्निलिखित परीक्षा पास करने पर एक मुश्त

राशि
प्रबोध रूपये 1600, प्रवीण रूपये 1500, प्राज्ञ 2400
वैयक्तिक वेतन :
केन्द्र सरकार के अधिकारियों /कर्मचारियों को हिन्दी भाषा की प्रबोध /प्रवीण /प्राज्ञ परीक्षा में से जो भी परीक्षा सम्बन्धित प्रशिक्षार्थी के लिये अन्तिम परीक्षा निर्धारित की गई हैं उस परीक्षा को उत्तीर्ण करने पर 12 महीने की अवधि के लिये एक वेतन वृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन दिया जाता है।

vii हिन्दी शब्द संसाधन /टंकण परीक्षा पास करने पर नकद पुरस्कार योजना :
अ. 97% या इससे अधिक अंक प्राप्त करनें पर रूपये 2400
ब. 95% या इससे अधिक परन्तु 97% से कम अंक प्राप्त करने पर रूपये 1600
स. 90% या इससे अधिक परन्तु 95% से कम अंक प्राप्त करने पर रूपये 800

हिन्दी शब्द संसाधन /टंकण परीक्षा पास करने पर वित्तीय प्रोत्साहन योजनाः–
इस प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को निर्धारित शर्तें पूरी करने पर 12 महीने की अवधि के लिये एक वेतनवृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन प्रदान किया जाता है।

(5) राजभाषा शील्ड /ट्राफी योजनाओं का विवरण :

i. रेल मंत्री राजभाषा शील्ड एवं नकद पुरस्कार
हिन्दी का सर्वाधिक प्रयोग करने वाले आदर्श स्टेशन /कार्यालय /कारखाना के लिये राजभाषा शील्ड एवं पुरस्कार रूपये 7000/– नकद दिये जाते हैं

ii. कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक :
हिन्दी का प्रयोग – प्रसार में प्रशंसनीय योगदान के लिये रेलों /उत्पादन कारखानों के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के ऊपर के अधिकारियों के लिये – एक पुरस्कार

iii. रेल मंत्री राजभाष पदक :
हिन्दी के प्रयोग – प्रसार में प्रशंसनीय योगदान के लिये रेलों /उत्पादन कारखानों के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों के लिये – 10 पुरस्कार

iv. महाप्रबन्धक राजभाषा शील्ड :
हिन्दी के प्रयोग प्रसार में प्रशंसनीय योगदान के लिये मुख्यालय /मण्डल /कारखाना के लिये महाप्रबन्धक राजभाषा शील्ड प्रदान की जाती है।

राजभाषा सम्बन्धी विभिन्न समितियाँ (Various Committees on Official Language) :

1. केन्द्रीय हिन्दी समिति : अध्यक्ष – प्रधानमंत्री

यह समिति राजभाषा नीति के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा – निर्देश देने वाली सर्वोच्च समिति हैं। इनमें प्रधानमंत्री के अलावा कुछ प्रमुख केन्द्रीय मंत्री, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री, संसद सदस्य तथा हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के विशिष्ट विद्वान सदस्य होते हैं। राजभाषा विभाग के सचिव एवं भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार इस समिति का सदस्य सचिव हैं। सवंधिान, राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976 में किये गये उपबन्धों और सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों /अनुदेशों की पृष्ठ भूमि में हिन्दी के प्रचार–प्रसार तथा सरकारी काम काज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के सम्बन्ध में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों द्वारा बनाये गये कार्यक्रमों और किये गये कार्यों का समन्वय करती हैं।

2. संसदीय राजभाषा समिति : अध्यक्ष – गृहमंत्री

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के तहत यह समिति गठित की गई हैं। इसमें 20 लोकसभा तथा 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। जिनका चुनाव एकल संक्रमणी तरीके से किया जाता हैं।

इस समिति में 10–10 सदस्यों वाली 03 उपसमितियाँ बनाई गई हैं। प्रत्येक उप समिति का एक समन्वयक होता हैं। यह समिति के अधीन आने वाली सरकार द्वारा वित्त घोषित सभी संस्थानों का समय–समय पर निरीक्षण करती है और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन में रखवाते हैं और राज्य सरकारों को भिजवाते हैं। राजभाषा के क्षैत्र में यह सर्वोच्च अधिकार प्राप्त समिति हैं।

3. हिन्दी सलाहकार समितियाँ (Hindi Advsary Committees) :

जनता से सम्पर्क रखने के लिये सम्बन्धित मंत्रियों की अध्यक्षता में हिन्दी सलाहकार समितियों का गठन किया गया हैं। ये समितियाँ अपने–अपने मंत्रालयों, विभागों उपक्रमों में हिन्दी की प्रगति की समीक्षा करती है। विभाग में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिये ठोस कदम उठाती हैं। नियमानुसार इनकी बैठकें तीन महीने में एक बार अवश्य होनी चाहिये।

4. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ (Town Official Language Implementation Committees) :

बड़े–बड़े नगरों में जहाँ केन्द्रीय सरकार के 10 या उससे अधिक कार्यालय हैं वहाँ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ को गठन किया गया है। इनकी अध्यक्षता नगर के वरिष्ठतम अधिकारी करते है। इन समितियों की बैठकों में स्थित सभी केन्द्रीय कार्यालय तथा उपक्रमों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। अपने–अपने कार्यालयों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करते हैं और हिन्दी के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिये सुझाव देते हैं। नियमानुसार इन समितियों की बैठकें वर्ष में दो बार अवश्य होनी चाहिये।

5. केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति (Central Official Language Implementation Committees) :

यह समिति राजभाषा अधिनियम 1963 और राजभाषा नियम 1976 के उपलब्धों के अनुसार सरकारी प्रयोजनों के लिये हिन्दी के अधिकारिक प्रयोग, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के हिन्दी प्रशिक्षण और उपर्युक्त के सम्बन्ध में राजभाषा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये अनुदेशों के कार्यान्वयन का पुनरीक्षण करती है और उनके अनुपालन में पाई गई कमियों और कठिनाईयों को दूर करने के लिये उपायों के बारे में विचार करती है। राजभाषा विभाग के सचिव इस समिति के अध्यक्ष व विभिन्न समितियों के सदस्य होते हैं।

6. राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ (Official Language Implementation Committees):

हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करने के लिये मंत्रालय /विभाग एक–एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति बनाई गई है। इनकी अध्यक्षता साधारणतया संयुक्त सचिव, विभाग प्रमुख्य तथा कहीं–कहीं पर अपर सचिव स्तर के अधिकारी करते हैं। सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में भी राजभाषा कार्यान्वयन समिति बनाई गई हैं। इनकी बैठकें हर तिमाही में एक बार बुलाई जानी अपेक्षित हैं। समिति की बैठकों में राजभाषा अधिनियम 1963 और उनके अन्तर्गत बने राजभाषा नियम 1976 तथा अन्य आदेशों के अनुसार हिन्दी के प्रयोग की स्थिति की समीक्षा की जाती हे और कमियों को दूर करने के उपाय किये जाते हैं। इन समितियों में सम्बन्धित विभाग का कार्यालय के ही अधिकारी होते हैं जो वहाँ होने वाले कार्यों और वहाँ की कठिनाईयों आदि से परिचित हाते हैं और उनका हल अच्छी तरह सोच सकते हैं।

राष्ट्रपति का आदेश – 1952

राष्ट्रपति जी ने अपने 27 मई 1952 के आदेश द्वारा राज्यों के राज्यपालों, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधिशों की नियुक्ति के अधिपन्नों में अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी भाषा का प्रयोग प्राधिकृत किया है।

राष्ट्रपति का आदेश – 1955

राष्ट्रपति ने यह आदेश दिया कि संघ के निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी का प्रयोग किया जायेगाः–

1. जनता के साथ पत्र व्यवहार।
2. प्रशासनिक रिपोर्ट, राजकीय पत्रिकायें और संसद को दी जाने वाली रिपोर्ट।
3. सरकारी संकल्प, गैर विधायी अधिनियम।
4. संविदा एवं करार।
5. जिन राज्य सरकारों ने अपनी राजभाषा के रूप में हिन्दी को अपना लिया है उनसे पत्र व्यवहार।
6. अन्य देशों का सरकारी और दूतों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारतीय।
7. प्रतिनिधियों के नाम जारी किये जाने वाले औपचारिक दस्तावेज।
8. राजभाषा आयोग की स्थापना 1955 को हुई।

राष्ट्रपति का आदेश – 1960

1. विज्ञान और तकनीकी शब्दावली के विकास के लिये एक स्थायी आयोग की स्थापना।
2. अनुवाद में एकरूपता लाने के लिये एक अधिकरण की स्थापना।
3. विधि शब्दावली तैयार करने के लिये एक स्थायी आयोग की स्थापना।
4. हिन्दी, हिन्दी टाईपिंग और हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण की व्यवस्था।
5. हिन्दी के प्रचार के लिये, गैर सरकारी संस्थाओं के लिये वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता।
6. हिन्दी भाषी क्षेत्रों के केंद्रीय सरकारी विभागों के स्थानीय कार्यालय अपने अतिरिक्त कामकाज में हिन्दी प्रयोग करें।
7. शिक्षा सम्बन्धी कुछ या आयोजनों के लिये माध्यम के रूप में हिन्दी का प्रयोग शुरू करने के लिये उचित कदम उठाये जायें।
8. अखिल भारतीय सेवाओं और उच्चतर केन्द्रीय सेवाओं में वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिन्दी का प्रयोग।
9. वैज्ञानित, औद्योगिक और सांख्यकीय प्रयोजनों में अन्तर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग।
10.हिन्दी के उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग के लिये योजना।

विधिक मामलें

(Legal Cases)

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण :

संसद द्वारा संविधान में 42वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 323ए के अन्तर्गत 27 फरवरी 1985, को अधिकरण की स्थापना की गई। केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित इन अधिकरणों ने 02 अक्टूबर 1985 से अपना कार्य प्रारम्भ किया।

(RBE 275/85)

धारा 323 (ए) में संसद को प्रशासनिक अधिकरण द्वारा भर्ती व लोक सेवा में नियुक्त किसी व्यक्ति की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में या संघ या किसी स्तर पर पदो ंके सम्बन्ध में या भारत सरकार के क्षेत्राधिकार में कोई स्थानिय या अन्य प्राधिकारी या भारत सरकार के नियंत्रणाधीन या सरकार द्वारा शासित या नियंत्रित किसी निगम में विवाद एवं शिकायतों के निपटारे हेतु निर्णय एवं मुकदमा चलाने का कानूनी अधिकार प्रदत्त है। केन्द्र सरकार द्वारा प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना पश्चात अन्य न्यायालयों में लम्बित न्यायिक मामले, जो सेवा से सम्बन्धित थे तथा अधिकरण के क्षेत्राधिकार में आते थे, उन्हें अधिकरण में स्थानान्तरित कर दिया गया।

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के उद्देश्य :

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को उनकी भर्ती एवं सेवा शर्तों के सम्बन्ध में उत्पन्न विवाद व शिकायतों का शीध्र एवं सस्ता न्याय दिलाना।

इस अधिनियम के अधीन कौन शामिल है :

अखिल भारतीय सेवाओं के सभी कर्मचारी, संघ की लोक सेवाओं के सदस्य, संघ के अधीन सिविल पद धाक व्यक्ति, सुरक्षा से जुड़े पदो ंके धारक व्यक्ति अथवा रक्षा सेवा से जुड़े व्यक्ति।

इस अधिनियम में कौन शामिल नहीं है :

सशस्त सशस्त्र बल यथा थल, जल व वायु सेनाओं के सभी सदस्य, उच्चतम एवं न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी, संसद के सचिवालयिक कर्मचारी, औद्योगिक विवाद अधिनियम से अधिशासित व्यक्ति।

केन्दीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन :

केन्दीय प्रशासनिक अधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है जिसे मृख्य पीठ कहा जाता है तथा अन्य पीठ सम्पूर्ण भारत में, जहाँ उच्च न्यायालय की पीठ है, वहाँ स्थित है। मुख्य पीठ का प्रधान अध्यक्ष होता है (जो पदस्थ या अन्य न्यायाधीश होना चाहिये) तथा उसके चार सहायक सदस्य जिनमें से दो न्यायिक व दो प्रशासनिक सदस्य होते हैं। अधिकरण की अन्य पीठ /शाखाओं में उपाध्यक्ष प्रधान होता है तथा अन्य सदस्यों में से कम एक न्यायिक सदस्य होता है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष 65 वर्ष की उम्र में सेवनिवृत्त होते हैं, वहीं सदस्यगण 62 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं।

पीठ और क्षेत्राधिकार : (RBE 275/85, 72/86)

02 सितम्बर 1985 को केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की मुख्य पीठ दिल्ली में स्थापित की गई तथा प्रारम्भ में 04 अन्य स्थानों पर सर्किट बैंच स्थापित की गई। इसके बाद सर्किट बैंचों की संख्या बढ़ाई गई। वर्तमान में भारतवर्ष में 17 सर्किट बैंच कर्ा कर रही है। बैंचों का उनके क्षेत्राधिकार के साथ विवरण निम्नांकित हैं :–

क्रस	बैंच	बैंच का क्षेत्राधिकार
1	मुख्य पीठ (नई दिल्ली)	संघ शासित क्षेत्र दिल्ली
2	अहमदाबाद बैंच	गुजरात राज्य
3	इलाहाबाद बैंच	उत्तर प्रदेश राज्य, नीचे क्रमांक 04 में दर्शाये गये 12 जिलों को छोड़कर, जो लखनऊ बैंच के क्षेत्राधिकार में है।
4	लखनऊ बैंच	लखनऊ, हरदोई, खेड़ी, रायबरेली, सीतापुर उन्नाव, फैजाबाद, बहराईच, बाराबंकी, गोण्डा, प्रतापगढ़ और सुलतानपुर
5	बैंगलूर बैंच	कर्नाटक राज्य
6	कोलकाता बैंच	सिक्किम राज्य और पश्चिमी बंगाल तथा संघ शासित क्षेत्र अण्डमाल व निकोबाद द्वीप
7	चण्डीगढ़ बैंच	जम्मू व कश्मीर राज्य, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब तथा संघ शासित क्षेत्र, चण्डीगढ़
8	कटक बैंच	उड़ीसा राज्य
9	एर्नाकुलम बैंच	केरल राज्य व संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप
10	गुवाहटी बैंच	असम, मणिपुर, मेघालय, नागालेण्ड, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य
11	हैदराबाद बैंच	आन्ध्र प्रदेश राज्य
12	जबलपुर बैंच	मध्य प्रदेश राज्य
13	जोधपुर बैंच	राजस्थान राज्य क्रमांक 14 पर दर्शायें गये जिले, जो जयपुर बैंच के क्षेत्राधिकार के अधीन है को छोड़कर
14	जयपुर बैंच	अजमेर, अलवर, भरतपुर, बूंदी, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, कोटा, सवाईमाधोपुर, सीकर एवं टोंक
15	मद्रास बैंच	तमिलनाडु राज्य व संघ शासित क्षेत्र पाण्डिचेरी
16	मुम्बई बैंच	महाराष्ट्र व गोवा राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र दादरा व नगर हवेली
17	पटना बैंच	बिहार राज्य

अधिकरण की शक्तियाँ :

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकारण अधिनियम की धारा 22 के अधीन यह सभी न्यायालयों (धारा 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय को छोड़कर) को प्रदत्त शक्तियों के समान शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। इसे इसकी अवमानना के सम्बन्ध में भी शक्तियाँ प्रदत्त है। यह भारतीय दण्ड संहित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है, किन्तु सिविल न्यायालय की भाँति इसे गवाह को बुलाने, दस्तावेजों की जाँच, शपथ–पत्र पर साक्ष्य तथा इसके स्वयं के निर्णयों की पुनरीक्षा करने के समान अधिकार प्राप्त है।

अधिकरण की भाषा :

अधिकरण की भाषा अंग्रेजी है किन्तु यदि पार्टियों की इच्छा है तो वे अपने दस्तावेजों हिन्दी में प्रस्तुत कर सकती है। बैंच अपने विवेकाधिकार से कार्यवाही में हिन्दी प्रयोग करने की अनुमति दे सकती है, किन्तु अन्तिम निर्णय अंग्रेजी में ही होगा।

अवहेलना के लिए दण्ड देने के लिये अधिकरण की शक्तियाँ :

अधिनियम 1985 की धारा 17 के अन्तर्गत अधिकरण को उसके क्षेत्राधिकार में अवहेलना के सम्बन्ध वहीं शक्तियाँ एवं प्राधिकार प्रयोग करने की शक्तियाँ प्रदत्त है, जो न्यायालय की अवहेलना अधिनियम 1971 के तहत् उच्च न्यायालय को प्रदत्त है। आदेशों की पालना यदि समय

सीमा हेतु निर्देश जारी न किये जाये तो, 06 माह में पूर्ण करना आवश्यक हैं अन्यथा अवमानना का वाद दायर किया जा सकता हैं।

अधिकरणों में आवेदन देना :

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की धारा 19 के अधीन अधिकरण के क्षेत्राधिकार में किसी मामलें के सम्बन्ध में जारी आदेश से पीड़ित कोई व्यक्ति अपनी शिकायत के निस्तारण हेतु अधिकरण में आवेदन दें सकता है। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम की धारा 20 के अधीन किसी व्यक्ति को उसकी शिकायतों के निस्तारण हेतु सेवा नियमों के अधीन उपलब्ध विभागीय सहायता लेनी होगी। प्राधिकरण सामान्यतयः किसी आवेदन को तब तक स्वीकार नहीं करता जब तक कि वह संतुष्ट न हो जाये कि कर्मचारी ने शिकायत के निवारण हेतु सेवा नियमों के अधीन उसको देय सभी सहायता प्राप्त कर ली हो। आवेदन छः सेट में मय फाईल साइज लिफाफे के जिस पर प्रतिवादी का नाम लिखा हो जमा कराया जायेगा यदि प्रतिवादी एक से ज्यादा हो तो प्रत्येक के लिये अलग से प्रति उपलब्ध करायी जायेगी।

रजिस्ट्रार द्वारा प्रत्येक आवेदन पर प्रस्तुत करने की तिथि अंकित की जायेगी, यदि आवेदन में कोई कमी पायी जायेगी तो रजिस्ट्रार उसे पूर्ण करायेगा तथा आवेदन पर लिखेगा कि आवेदन स्वीकार किया गया या नहीं।

रजिस्ट्रार के निर्णय के विरूद्ध अपील Presiding Officer को 15 दिन में कीजा सकती हैं व Presiding Officer का निर्णय अन्तिम होगा।

आवेदन फीस : आवेदन के साथ रजिस्ट्रार के पक्ष में 50/– DD /IPO भी जमा कराना होगा। आवेदन–पत्र डबल स्पेस में एक तरफ टाईप किया होना चाहिये।

आवेदन पर सुनवाई : प्राधिकरण द्वारा दोनों पक्षों को सुनवाई हेतु तिथि व स्थान हेतु नोटिस जारी कर सूचना उपलब्ध करायी जायेगी, प्राधिकरण मौखिक पक्ष रखने हेतु दोनों पक्षों को अवसर देगा व सभी तथ्यों का दस्तावेजों के आधार पर अपना निर्णय देगा।

प्राधिकरण के प्रत्येक आदेशों पर सदस्यों के हस्ताक्षर व सील होगें।

आदेशों की सूचना : प्राधिकरण के आदेशों की सूचना दोनों पक्षों को रजिस्टर डाक द्वारा निःशुल्क भेजी जायेगी।

सीमायें : केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम की धारा 21 के अधीन कोई व्यक्ति अधिकरण में प्रार्थना पत्र दायर कर सकता हैः–

i अन्तिम आदेश (जिसमें प्रार्थी पीड़ित है) जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर

ii विभाग को दिये गये अभ्यावेदन /अपील के निस्तारण के लिए छः माह इंतजार करने के बाद एक वर्ष के भीतर। एक वर्ष की सीमा अभ्यावेदन देने के छः माह तक उसके निस्तारण न होने के बाद शुरू होगी।

अंतरिम आदेशं : केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम की धारा 24 के तहत् निम्नलिखित शर्तों के आधार पर आवेदक को अंतरिम राहत प्रदान करने की शक्तियाँ प्रदत्त है :–

i इस प्रकार के अंतरिम आदेश के लिये आवेदन तथा तथ्य के पक्ष में प्रस्तुत सभी दस्तावेजों की प्रतियाँ उस पार्टी को देनी होगी जिसके विरूद्ध इस प्रकार आवेदन किया गया हो या प्रस्तावित हो, और

ii मामले के सुनवाई के किये पार्टी को मौका दिया गया है

अधिकरण उपर्युक्त आवश्यकताओं को हटा सकता है एवं विशेष मामलों में यदि वह दस्तावेजों में दर्ज लिखित कारणों से संतुष्ट हो तो अंतरिम आदेश जारी कर सकता है।

पुनर्विचार याचिका :

अधिकरण को अपने फैसलों पर सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन सिविल न्यायालयों को प्रदत्त अधिकारों की भाँति ही पुनर्विचार की शक्तियाँ प्रदत्त है। पुनर्विचार याचिका आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर दायर की जा सकती है। पुनर्विचार याचिका केवल तभी स्वीकार की जाती है जब निर्णय में कोई तथ्यात्मक भूल, प्रत्यक्ष गलती या गम्भीर चूक हुई हो। तथा इस मामले का निपटारा उसी बैंच द्वारा जिसने आदेश पारित किया है द्वारा या तो प्रसारण या पार्टियों की सुनवाई करने के बाद पारित किया जायेगा।

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेश के विरूद्ध अपील :

जब व्यक्ति केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय से संतुष्ट नहीं हो तो वह केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के फैसले जिनसे वह पीड़ित है, के विरूद्ध सम्बन्धित उच्च न्यायालय की डिवीजनल बैंच में अपील कर सकता है। अपील के साथ उसे केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के फैसले के क्रियान्वयन को रोकने के लिए एक रोक याचिका भी दायर करनी होगी। यह अपील निर्धारित समय में करनी होगी। सामान्यतः यह आदेश पारित होने के तीन माह (90) दिन के अन्दर करनी होती है। (इससे पहले केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के फैसलों के विरूद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में की जाती थी। किन्तु श्री एस.कुमार के मामलें में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अपील उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है)।

विशेष अनुमति याचिका : Special leave petition (SLP)

यह याचिका किसी व्यक्ति /प्रशासन, जो उच्च न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, के द्वाराउच्च न्यायालय का आदेश प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर इस निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में दायर की जाती है। यह उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक के आवेदन के साथ दायर की जायेगी। रेलवे मे विशेष अनुमति याचिका दायर करने की शक्तियाँ रेलवे बोर्ड को प्रदत्त है। मण्डल के मण्डल अधिकारी द्वारा विशेष अनुमति याचिका का प्रस्ताव उनके मुख्यालय को अग्रेषित किया जायेगा तथा यदि मुख्यालय प्रस्ताव पर सहमत होगा तो वे विशेष अनुमति याचिका दायर करने के लिए रेलवे बोर्ड जायेगें।

विभिन्न श्रमिक कल्याण अधिनियमों के अधीन न्यायालयीन मामलें:

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष सेवा मामलों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा दायर मामलों के अलावा, रेलवे प्रशासन को कर्मचारियों द्वारा दायर अन्य मामलों पर भी जवाब देह रहना पड़ता है।

विभिन्न श्रमिक कल्याण अधिनियमों के अधीन विभिन्न न्यायालयों में मामलें दायर किये जाते हैं। जेसेः– रेल अधिनियम के अधीन रेलवे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत मामलें, मजदूरी भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत मजदूरी के भुगतान से सम्बन्धित मामलें, कामगार क्षतिपूर्ति आयुक्त के समक्ष कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत मामलें, रोजगार के दौरान कर्मचारी के घायर होने या मृत्यु हाने के मामलों में क्षतिपूर्ति के लिए प्रस्तुत मामलें इत्यादि।

औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन मामलों को सहायक श्रम आयुक्त और सक्षम श्रमिक अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

विभिन्न न्यायालय :

निम्नलिखित विभिन्न न्यायालय है, जिनमें लम्बित मामलों पर रेलवे प्रशासन को बचाव करना पड़ता है :–

i उच्चतम न्यायालय
ii उच्च न्यायालय
iii केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण

iv जिला एवं मुंसिफ न्यायालय
v रेल दावा अधिकरण
vi श्रम न्यायालय
vii पंचाट (पंच निर्णय)
viii सम्पत्ति अधिकारी न्यायालय
ix आयकर और बिक्रीकर प्राधिकारी
x वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण

प्रक्रिया :
किसी भी न्यायालय में नोटिस मिलने के बाद, मामले में प्रभावी रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है :–

i रेलवे वकील की नियुक्तिः यह कोर्ट के नोटिस के बाद संवर्ग अधिकारी द्वारा तुरन्त नियुक्त किया जायेगा
ii रेलवे के पक्ष में सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित वकालतनामा रेलवे वकील को दिया जायेगा ताकि वह रेलवे के पक्ष में जिरह कर सकें।
iii रेलवे वकील द्वारा सम्बन्धित मामलें का लिखित दस्तावेज उपलब्ध कराया जायेगा, ताकि न्यायालय मामलें के प्रत्युत्तर का प्रारूप तैयार किया जा सकें, इसे लिखित विवरणों में दिये गये सन्दर्भ से सम्बन्धित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।
iv रेलवे वकील द्वारा प्रारूपित प्रत्युत्तर प्राप्त होने के बाद प्रत्युत्तर को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाँच कर हस्ताक्षर किये जायेगें। यही सुनिश्चित किया जायेगा कि न्यायालय मामलें का प्रत्युत्तर समय पर प्रस्तुत किया जाये जहाँ तक सम्भव हो यह पहली सुनवाई के समय ही प्रस्तुत हो जायें।

श्रम प्रवर्तन अधिकारी : (Labour enforcement Officer
श्रम प्रवर्तन अधिकारी की नियुक्ति क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, केन्द्रीय के अधीन की जाती है तथा यह सहायक श्रम आयुक्त, केन्द्रीय के दिशा निर्देशों के अधीन कार्य करता है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी की ड्यूटी व मुख्य कार्य उन स्थानों का निरीक्षण करना है, जहाँ श्रमिक नियोजित किये जाये हैं। वह श्रम आयुक्त की और से यह सुनिश्चित करेगा कि अधिनियम के अधीन दी गई व्यवस्था के अनुसार जो श्रमिक भर्ती किये गये है या हटाये गये है, वे विभिन्न श्रमिक कानूनों व श्रम कानून के अंशों (PWA, MWA, HOER & I.D. Act.) व इनके अधीन दिये गये प्रावधानों के अनुसार है। निरीक्षण के दौरान उसके द्वारा देखी गई अनियमितताओं से सम्बन्धित पदााधिकारियों को सूचित किया जायेगा।
विभिन्न उच्च न्यायालयों और केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की विभिन्न बैंचों के समक्ष सरकारी सलाहकार को देय फीस, का विवरण निम्नानुसार है। (मुम्बई और कोलकात्ता उच्च न्यायालय को छोड़कर) 10 जुलाई 2009 से प्रभावी :–

क्रस		कार्य का मद	संशोधित फीस
1	विभिन्न न्यायालयों में भारत के सहायक सॉलीसिटर जनरल और दिल्ली उच्च न्यायालय में केन्द्र सरकार के स्थायी सलाहकार	सहचन फीस (Retainer Fee) विभिन्न उच्च न्यायालयों के सहायक सॉलीसीटर जनरल (मुम्बई व कोलकात्ता उच्च न्यायालय को छोड़कर) दिल्ली उच्च न्यायालय में केन्द्र सरकार के स्थायी सलाहकार	3000/– रूपये प्रतिमाह

2	विभिन्न उच्च न्यायालयों में भारत के सहायक सॉलीसीटर जनरल दिल्ली उच्च न्यायालय में केन्द्रीय सरकार के स्थायी सलाहकार /विभिन्न उच्च न्यायालयों में केन्द्र सरकार के स्थायी सलाहकार /लीडर	1. संविधान की धारा 226 व 227 के अधीन सिविल और आपराधिक कानूनी याचिका, अवमानना याचिका, आपराधिक /सिविल संशोधित /सिविल संशोधित याचिका /बिक्रीकर अधिनियम के अधीन उच्च न्यायालय के सन्दर्भ तथा बैंकिंग कम्पनी याचिका।	प्रत्येक प्रभावी सुनवाई के लिये 1500 रूपये, प्रत्सेक गैर प्रभावी सुनवाई के लिये 300 रूपये (एक मामले में अधिकतम पाँच सुनवाई की शर्त पर)।
		2. सिविल और आपराधिक मामले में संविधान की धारा 132 व 133 के अधीन याचिका।	प्रत्येक प्रभावी सुनवाई के लिये 1500 रू (एक मामले में अधिकतम 3000 रू की शर्त पर)।
		3. मूलवाद, वाद में डिक्री से सिविल अपील, और दूसरी अपील व भूमि अधिग्रहण अपील में दूसरी सुनवाई सहित, संविधान की धारा 226 व 227 के अधीन (ड्राफ्टिंग फीस सहित) एल.पी.ए. को छोड़कर।	अतिरिक्त वैलोराम /अधिनियम फीस (एक मामले में अधिकतम 30,000 रू की शर्त पर)।
		4. कम्पनी याचिका	कोर्ट(कम्पनी) नियम1959 के परिशिष्ट (iii) में दिये गये नियमों द्वारा अधिशासित
		5. बहस का मसौदा /काउण्टर शपथ–पत्र रिटर्नस /कानूनी याचिका के उत्तर /अपील का आधार /उच्चतम न्यायालय को अपील की अनुमति के लिए आवेदन और अपील का आधार	प्रत्येक बहस के लिए 900 रूपये
		6. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन दायर याचिकाओं के विविध सिविल मसौदे तैयार करना, न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही तथा मूल प्रकृति की अन्य कार्यवार्ही	प्रत्येक याचिका के लिए 750 रूपये
		7. सिविल विविध याचिकायें, गरीबों के फार्म, स्थानान्तरण याचिकायें तथा अन्य दैनिक प्रकृति की सिविल विविध याचिकायें।	प्रत्येक याचिका के लिए 300 रूपये
		8. सलाह /सम्मेलन फीस	300 रूपये प्रति सम्मेलन (एक मामले में अधिकतम 04 सम्मेलन)।
		9. पंच निर्णय और सांत्वना अधिनियम 1996 की धारा 34 व	प्रत्येक प्रभावी सुनवाई के लिये 1500 रूपये

		37 के अधीन उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन करना।	
		10. पंच /मध्यस्थ इत्यादि के समक्ष प्रस्तुति	प्रत्येक गैर प्रभावी सुनवाई के लिये 300 रूपये (एक मामले में अधिकतम 05 सुनवाई तक की शर्त पर)

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2007 /एलसी /17 /2 दिनांक 10.07.2009 केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में रेलवे के वकील को देय फीसः		
1	संविधान की धारा 226 व 227 के अधीन सिविल व क्रिमिनल कानूनी याचिका अथवा इस प्रकार की याचिका में दिये गये आदेशों के लिये विशेष अपील कानूनी याचिका पर सुनवाई यदि 03 दिन से अधिक चलती हो	प्रत्येक मामले में 2250 रूपये। प्रत्येक मामले में 375 रूपये प्रतिदिन किन्तु रिफ्रेशरफीस से अधिक नहीं
2	सिविल और क्रिमिनल मामलों में संविधान की धारा 132 और 133 के अधीन दायर याचिका	300 रूपये प्रति मामला
3	सिविल और क्रिमिनल संशोधित याचिका	1050 रूपये प्रति याचिका
4	सिविल विविध आवेदन अथवा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन याचिका, अवमानना	750 रूपये प्रति मामला
5	बिक्रीकर अधिनियम और बैंकिंग कम्पनी याचिका के अधीन उच्च न्यायालय के सन्दर्भ	1050 रूपये प्रति मामला या न्यायालय द्वारा निर्धारित राशि, जो भी अधिक हो
6	टाईटल डीड का परीक्षण	राशि का 2% या न्यूनतम 120 रूपये व अधिकतम 1200 रूपये
7	सिविल विविध याचिकायें	300 रूपये प्रति याचिका
8	लिखित अवधारणा	450 रूपये प्रति याचिका
9	मसौदा मुकदमें में बहस का लिखित विवरण और काउण्टर शपथ–पत्र /रिटर्नस –कानूनी याचिका के उत्तर	750 रूपये प्रति बहस
10	विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1998 के अधीन अपील	1800 रूपये प्रति अपील
11	रेलवे के मुख्यालयों पर पंच निर्णय मामलों में उपस्थिति हेतु सलाहकार सुनवाई के पहले घण्टे में 240 रूपये प्रति घण्टा और अगले आधे घण्टे के लिए 120 रूपये किन्तु जब मामला उसका व्यक्तिगत कारण से अथवा उसे अग्रिम नोटिस देकर आगे किया गया हो तो कोई फीस देय नहीं होगी।	प्रधान कार्यालय के किसी अधीनस्थ न्यायालय में केस दायर करने के लिये पहले दिन 750 रूपये तथा अगले दिनों के लिये 450 रूपये प्रतिदिन। मुख्यालय से बाहर– जब सलाहकार को रेलवे मुकदमें के सम्बन्ध में मुख्यालय से बाहर जाना पड़े तो वह दैनिक 1200 रूपये का हकदार होगा। यात्रा /होटल खर्च– वाहन प्रभार हेतु एक मुश्त रकम 300 रूपये और होटल के लिए अधिकतम 600 रूपये प्रतिदिन या वास्तविक खर्च।

Formate of form (1) & (2) (Page 298 to 300 RBO 289/85)

CONSTITUTIONAL PROVISION OF D&AR

भारतीय संविधान में कार्यरत, कर्मचारियों के मूल अधिकारों से सम्बन्धित प्रमुख धारायें अनुच्छेद 14, 15, 16 व 21 है। इसी प्रकार सवंधिान की धारा 311 किसी संघ या राज्य के सेवक के बर्खास्तगी या पदच्यूति के विरूद्ध संरक्षण प्रदान करती है धारा 309 व 310 के अन्तर्गत राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की सेवाओं को शासित करने के नियम बना सकते है।

अनुशासन व अपील नियमों के तहत रेल कर्मचारी पर कार्यवाही के दौरान भी सभी कर्मचारियों को संवैधानिक अधिकारों के तहत अपने बचाव का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है।

A ARTICLE 14 समानान्तर का अधिकार

इस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समानता का अधिकार है न्याय के समक्ष सभी समान है एक ही परिस्थिति के आरोपियों के लिए पृथक–पृथक न्याय व्यवस्था नहीं हो सकती अतः कर्मचारी उन सभी सुविधाओं की वैधानिक माँग कर सकता है जो समान परिस्थितियों में अन्य लोगों को प्राप्त है।

B ARTICLE 15 धर्म जाति लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक

किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, जाति, वर्ण, लिंग जन्मस्थान के आधार पर नौकरी पाने या जीविकोपार्जन के मामले में भेदभाव नहीं किया जायेगा। सभी व्यक्तियों के जो सम्बन्धित शर्तें पूर्ण करते हो, को नोकरी का अवसर प्राप्त करने का समान अधिकार है।

परन्तु सरकार चाहे तो महिलाआं एवं बच्चों के विकास के लिए विशेष नियम बना सकती है तथा संविधान की धारा 21 की उपधारा (2) के तहत सामाजिक रूप से पिछली जातियों अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को आगे बढ़ाने के लिये विशेष प्रावधान करना चाहती है तो धारा 15 बाधक नहीं होगी।

C ARTICLE 16 सरकार नौकरी पाने में समानता

1 सरकारी नौकरी एवं नियोजन के लिए सभी निगरिकों को समान्नता का अधिकार प्राप्त होगें।
2 सरकारी पद अथवा नौकरी के मामले में केवल धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्मस्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जायेगा।
3 परन्तु इस अनुच्छेद का कोई भी प्रावधान संसद के द्वारा किसी जाति विशेष अथवा स्थान विशेष के आधार पर भारत सरकार के अधीनस्थ पदों और नौकरियों को सुरक्षित रखने मे यह नियम बाधक नहीं होगा।
4 परन्तु यदि सरकार के विचार में राज्य के किसी पिछड़े वर्ग के सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है तो वह उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देने के लिये विशेष नियम बना सकती है।
5 किसी धार्मिक संस्थान के अधीन किसी पद अथवा संचालन के पद को विशेष धर्म को मानने वाले के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है।

भारतीय संविधान एक कल्याणकारी राज्य की कल्पना करता है जहाँ प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर सभी को समानता का अधिकार प्रदान करता है वही जाति विशेष या आर्थिक दृष्टि से पिछड़ों के उत्थान के लिये विशेष प्रावधान भी किया है।

D ARTICLE 311

यह प्रावधान सरकारी नौकरियों में सेवा के संरक्षण की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है जो किसी प्राईवेट नौकरी में नहीं है। सरकारी पद पर नियुक्त किसी भी कर्मचारी को बिना एक निर्धारित प्रक्रिया अपनायें नौकरी से अलग नहीं किया जा सकता है।

1 किसी भी सरकारी कर्मचारी को उसके नियुक्त करने वाले अधिकारी (Appoienting Authority) से कम पद के अधिकारी के द्वारा बर्खास्त अथवा पदच्यूत नहीं किया जा सकता है।
2 किसी भी व्यक्ति को बर्खास्त, पदच्यूत अथवा पदावन्नत नहीं किया जा सकता जब तक उसे

अपना पक्ष रखने का युक्ति संगत अवसर (Resonable Opportunity) नहीं दी जाये
परन्तु यदि कर्मचारी के विरूद्ध की गई जाँच के आधार पर इसे उपरोक्त में से कोई दण्ड देने का निर्णय लिया गया हो तो ऐसा दण्ड देने से पूर्व प्रस्तावित दण्ड की सूचना देना अथवा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना आवश्यक नहीं है।

निम्न परिस्थितियों में धारा 311 का प्रभाव नहीं पड़ेगा D&AR (नियम 14)

14.1 जब रेल सेवक ने ऐसा कार्य किया हो जिसके कारण उसे न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो।

14.11 जब अनुशासनिक अधिकारी इस बात से सन्तुष्ट हो कि इन कारणों से जिनका उल्लेख किया गया है इन नियमों के अन्तर्गत जाँच कार्यवाही करना युक्ति संगत नहीं है अर्थात् जाँच करना सम्भव नहीं।

14.111 जब राष्ट्रपति इस बात से सन्तुष्ट हो कि राज्य की सुरक्षा के हित में इन नियमों के अन्तर्गत जाँच करना उचित नहीं है। यदि कभी यह प्रश्न उठता हे कि उपनियम (2) के अन्तर्गत जाँच करना तर्क संगत तरीके से सम्भव है अथवा नहीं तो दण्ड देने हेतु अधिकृत अधिकारी की सन्तुष्टि अन्तिम मानी जायेगी।

रेल सेवा (पेंशन) नियम

(Rail Service Pension Rules)

पेंशन योजना रेलवे में 01.4.1957 से लागू की गई तथा यह पेंशन योजना उन सभी रेल कर्मियों पर लागू होती है जो 16.11.1957 को या उसके बाद रेल सेवा में शामिल हुए ।

(रेलवे बोर्ड का पत्र सं. एफ (ई)/आर.टी.आई./6 दिनांक 16.11.1957)

रेलवे बोर्ड द्वारा अंशदायी भविष्य निधि के लाभार्थियों के लिए पेंशन विकल्प हेतु अंतिम आदेश दिनांक 08.05.87 को जारी किए गऐ जिसमें कहा गया कि जो कर्मचारी दिनांक 01.01.1986 को उसके पश्चात् इस पत्र के जारी होने के समय तक निरन्तर सेवा में थे यद्यपि वे स्वतः ही पेंशन योजना के अन्तर्गत आ जाते है,उन्हें छोड़कर जिन्होनें विशेष रूप से अंशदायी भविष्य निधि योजना में निरन्तर बने रहने का विकल्प दिया हो। विकल्प देने की अंतिम तिथि 30.09.87 थी ।

यदि कोई रेल कर्मचारी जो 01.01.1986 से 29.09.1987 के बीच सेवानिवृत/मृत हो गया हो, मृत कर्मचारी का परिवार, उनके द्वारा सेवानिवृति/मृत्यु के समय प्राप्त की गई सम्पूर्ण राशि को जमा कराने के बाद इस पेंशन योजना का विकल्प दे सकते थे ।

(रेलवे बोर्ड का पत्र सं. पी.सी–IV/87/आई.एम.पी./पी.एन.I/ दि.08.05.87)

नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस)–2004 (RBE 225/03 & RBA 05/04, 16/13, 21/13 & 130/15)

यह प्रणाली उन सभी रेल कर्मियों पर अनिवार्य रूप से लागू है जिन्होनें दि. 01.01.2004 को या उसके बाद नियमित आधार पर रेल सेवा में कार्यग्रहण किया है इसके अन्तर्गत रेल मंत्रालय के अधीन कार्यरत विभिन्न स्वायतशासी संस्थाएँ (Autonomous Bodies) भी सम्मिलित है। (RBE 53/12 & 89/12)

इस योजना के दो टीयर है – टीयर–I और टीयर–II

टीयर–I : में सरकारी सेवक को अनिवार्य रूप से मूल वेतन + मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान करना है। इसमें इसी के समान अंशदान सरकार द्वारा किया जाएगा । अंशंदान और निवेश से प्राप्त धन को गैर निकासी वाले पेंशन टीयर–I खाते में डाला जाएगा । वर्तमान में इस निधि का 85% Debt instruments में तथा 15% तक equity & equity linked mutual fund में लगाया गया है।

केन्द्रीय सरकारी सेवा में 01.01.2004 को या उसके बाद नई भर्ती पर कार्यग्रहण करने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभ, एस आर पी एफ (राज्य रेलवे भविष्य निधि), (राजकीय भविष्य निधि) सम्बन्धी लाभ उपलब्ध नहीं होगें । ये निर्देश उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू है, जिन्होनें सरकारी सेवा में 01.01.2004 को व उसके पश्चात् कार्यग्रहण किया है तथा ये उसी तिथि अर्थात् 01.01.2004 से ही प्रभावी है। (RBA 31/09)

इस योजना के टीयर–। में अंशदान की वसूली रेल कर्मचारी के सेवा में कार्यग्रहण करने के माह से अगले माह की पहली तारीख से लागू होगी । सेवा में कार्यग्रहण के माह के दौरान उसके द्वाराअर्जित वेतन से कोई कटौती नहीं की जाएगी । इस योजना के टीयर–। में रेल सेवक द्वारा दिये जाने वाले अंशदान की कटौती कर्मचारी की वेतन तालिका से हर माह की जाएगी ।

01.01.2004 को या उसके बाद सेवा में कार्यग्रहण करने वाले रेल सेवकों से एस.आर.पी.एफ./जी. पी.एफ. के अंशदान की कोई कटौती नहीं की जाएगी क्योंकि यह योजना उन पर लागू नहीं है।

नियुक्ति के समय रेल सेवक द्वारा यह विवरण जैसे – कर्मचारी का नाम, पदनाम, वेतनमान, जन्मतिथि तथा निधि के लिए नामित व्यक्ति का नाम इत्यादि निर्धारित फार्म में दिया जाएगा । निर्धारित फार्म को कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में रखा जाएगा । सह बिल पास करने वाला लेखाधिकारी निम्नानुसार 16 अंकों वाली एक स्थायी पेंशन खाता संख्या (PPAN) आवंटित करेगा ।

पहले से चौथे अंक तक : कलेण्डर वर्ष जिसमें खाता खोला गया है। (रेलवे द्वारा आंवटित)

पॉचवा अंक : सी.जी.ए. द्वारा आवंटित मंत्रालय कोड (सी.जी.ए. द्वारा रेलवे को कोड नं. ''5'' आवंटित किया गया है।

छठे से आठवा अंक : क्षेत्रीय/उत्पादन ईकाई कोड

(वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा एफ.आई.एम.एस. को दिए गए प्रोग्राम के अनुसार रेलवे के वर्तमान दो अंकों के सामने ''0'' शून्य लगाया गया है) (उदाहरण के लिए पूर्व मध्य रेलवे का 3 अंक का कोड 030 होगा)

09 से 11वां अंक : सह लेखा ईकाई कोड जो उन्हें वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा 001 से शुरू करते हुए आवंटित किया गया है।

12वें से 16वां अंक : कर्मचारी संख्या (संबंधित लेखा कार्यालय द्वारा 00001 से शुरू करते हुए जनवरी से दिसम्बर तक किया जाएगा।)

टीयर–। : में जमा की गई राशि पर ब्याज की दर वर्ष, 2007–08, 2008–09 के दौरान 8% रहेगी । यदि कोई सरकारी कर्मचारी एक लेखा ईकाई से दूसरी लेखा ईकाई में स्थानान्तरित हो जाता है, जो बकाया राशि को भी वहॉ स्थानान्तरित कर दिया जाएगा । फिर भी आहरण अधिकारी द्वारा जारी अंतिम वेतन प्रमाण पत्र (LPC) में कर्मचारी का एकल लेखा संख्या, माह जिस तिथि तक रेल सेवक ने अंशदान और सरकारी अंशदान जो पेंशन निधि में जमा किया गया है, दर्शाया जाएगा । कर्मचारी को यूनिक "PPAN" एक बार आंवटित हो जाने के बाद बदला नहीं जाएगा । नई पेंशन योजना के अधीन शासित सरकारी कर्मचारी इस योजना के टीयर–। से 60 वर्ष की उम्र या उसके बाद ही मुक्त हो सकेगें । इस योजना से मुक्त हो समय संबंधित व्यक्ति के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह पेंशन धन के 40% राशि को बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) द्वारा निगमित बीमा कम्पनी में वार्षिक रूप में निवेश करेगा एवं वह बीमा कम्पनी जीवन भर के लिए कर्मचारी के सेवानिवृति पर उसे पेंशन व सेवानिवृति के समय उसके आश्रित माता/पिता, पत्नि को पेंशन उपलब्ध करायेगी । किसी सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृति की आयु

60 वर्ष की उम्र से पहले इस योजना को छोड़ने के मामले में पेंशन/रा ि ा का 80% धन जमा करवाना अनिवार्य होगा । इस योजना के कार्यान्वयन के लिए एक केन्द्रीय रिकार्ड रख रखाव एजेन्सी (CRA) तथा कई पेंशन निधि मैनेजर होगें । एक स्वतंत्र पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) पेंशन मार्केट का विनियम तथा विकास करेगी ।

नई पेंशन प्रणाली अंशदाताओं के अपने खाते को नियोजित करने हेतु दो विकल्प देती है (RBA31/10)

1. क्रियाशील विकल्प निर्धारण (Active Choice – Indiuidual Funds)

2. स्वतः विकल्प निर्धारण (Auto Choice-Lifecycle Fund)

1. क्रियाशील विकल्प निर्धारण – पृथक निधि
नई पेंशन प्रणाली अंशदाता के समक्ष अपनी NPS पेंशन निधि को निवेश करने हेतु निम्न विकल्प है :–
ई –'उच्च लाभ – उच्च जोखिम' – बाजार में अधिक इक्विटी उपकरणों में नियोजित करना ।
सी–'मध्यम लाभ – मध्यम जोखिम – निश्चित आय उपकरणों में नियोजित करना ।
जी –'निम्न लाभ – निम्न जोखिम – शुद्ध रूप से निश्चित आय उपकरणों में नियोजित करना ।
अंशदाता यह चुन सकता है कि वह अपनी समस्त पेंशन राशि को उपर्युक्त 'सी' या 'जी' धरोहर वर्ग में, और अधिकतम 50% निधि इक्विटी (धरोहर वर्ग 'ई') नियोजित करें । अंशदाता अपनी पेंशन राशि के हिस्से धरोहर वर्ग 'ई', सी'' व 'जी' में पेंशन फण्ड रैग्युलेटरी डवलपमेन्ट ऑथरिटी द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुरूप कर सकते है।

यदि अंशदाता क्रियाशील विकल्प निर्धारण के अन्तर्गत नियोजन का विकल्प देता है, तो अंशदाता को पेंशन फण्ड रेगुलेटरी डवलपमेन्ट आथोरिटी द्वारा नियक्त 06 पेंशन निधियों में से कोई भी पेशन निधि अनिवार्य रूप से दर्शानी होगी ।

2. स्वतः विकल्प निर्धारण – जीवन चक्र निधि

नई पेंशन प्रणाली उन प्रतिभागियों को एक सुविधाजनक विकल्प देती है जिन्होनें कि नई पेंशन प्रणाली के नियोजन के संबंध में अपनी कोई इच्छा प्रकट नही की हो । ऐसे मामलों में जहॉ अंशदाता किसी भी विकल्प के लिए अपनी इच्छा प्रकट नहीं करता है तो उसकी निधि 'स्वतः विकल्प निर्धारण' के अनुसार नियोजित की जायेगी। यद्यपि अंशदाता आवश्यकता अनुरूप पेंशन फण्ड मैनेजर दर्शायेगा ।

इस विकल्प में नियोजन जीवन चक्र निधि में किया जायेगा जहॉ इस निधि को पूर्व निर्धारित पोर्टफोलियों द्वारा तीनों धरोहर वर्गो में निश्चित किया जायेगा । प्रवेश की न्यूनतम आयु (18 वर्ष) जो कि स्वतः विकल्प निर्धारण के अन्तर्गत निधि का 50% पेंशन निधि 'ई' वर्ग, 30% 'सी' वर्ग तथा 20% 'जी' वर्ग में नियोजित की जायेगी। जब तक प्रतिभागी की आयु 36 वर्ष तक न हो जाय तब तक सभी वर्गो में नियोजन का यही अनुपात रहेगा । 36 वर्ष की आयु व उसके बाद 55 वर्ष की आयु तक प्रतिभागी 'ई'– व 'सी' वर्ग के भार में कमी आयेगी तथा 'जी' वर्ग के भार में वार्षिक वृद्धि होगी जो कि 'ई' व 'सी' वर्गो के 10% – 10% व 'जी' वर्ग के 80% तक पहुॅचेगी।

01.01.2004 को या उसके बाद सरकारी सेवा में कार्यग्रहण करने वाले सरकारी कर्मचारी को भी रेलवे छुट्टी नियम के अन्तर्गत छुट्टियों के नकदीकरण का लाभ देय होगा तथा सरकारी कर्मचारियों/उनके परिवारों को सेवानिवृति/मृत्यु आदि के समय देय छुट्टी नकदीकरण का लाभी भी देय होगा । (RBA 19/04)
अंशदान, मूल वेतन +मंहगाई भत्ता का 10% होगा और रनिंग कर्मचारियों के मामले में यह मूल वेतन+ वेतन तत्व (मूल वेतन का 30%) + मंहगाई भत्ता के योग होगा । जब कभी माह के मध्य के दौरान सरकारी कर्मचारी की परिलब्धियों में कमी या बढ़ोतरी होती है तो दरों में बदलाव आगामी माह की पहली तारीख को देय दर से ही होगा ।

टीयर–। में सरकारी कर्मचारी तथा सरकार द्वारा देय अंशदान को अगले नजदीकी रूपये के गणकों में पूर्णांकित (round off) कर दिया जाएगा । (RBA 19/04)

वह कार्यालय जो अधिकतम अवधि के लिए कर्मचारी का वेतन आहरण करता है, वहीं कार्यालय एनपीएस (नई पेंशन प्रणाली) में पूरे माह के लिए अंशदान की कटौती करेगा। (RBA 19/04)

सभी सेवा लाभों के लिए NPA को चूँकि वेतन माना जाता है, इसलिए NPS के अंशदान की गणना के लिए भी लेखे में लिया जाएगा ।

ऐसे सरकारी सेवक जो 01.01.2004 से पहले सरकारी सेवा में थे तथा तकनीकी त्याग पत्र (Technical resignation) देने के बाद भारत सरकार के अधीन किसी दूसरे पद पर नियक्ति होते है तो वे पेंशन नियम द्वारा शासित होगें। (RBA 19/04)

NPS में चूँकि अर्हक सेवा का कोई संबंध नहीं है इसलिए कर्मचारी अगर तकनीकी त्याग पत्र देकर अन्य सरकारी सेवा ग्रहण करता है तो उसका PPAN संख्या वहीं रहेगी तथा इसमें जमा राशि भी उसमें रहेगी । (Rly. Bd's (Director Finanace/CCA) L No. 2009/AC 11/21/9 dt. 1012.09)

टीयर–। में बर्हिगमन (Exit) केवल तभी होगा जब कोई सरकारी सेवक सरकारी सेवा छोड़ देगा ।

चूँकि एनपीएस एक निश्चित अंशदान पर आधारित है इसलिए सेवानिवृति लाभों के लिए कुल अर्हक सेवा (Q.S) की सुसंगतता नहीं हैं, परिणाम स्वरूप अनियत मजदूरी सेवाए अर्थात् 01.01. 2004 को या उसके बाद समूह घ के पद पर नियमित होने के बाद अस्थायी औहदे के रूप में उसके द्वारा की गई सेवाओं की गणना सेवानिवृति परिलाभों के लिए नहीं की जाएगी । (RBA 205/04)

ऐसे कर्मचारी जो 01.01.2004 से पूर्व नियमित रोजगार में रखने से पूर्व सेवा से संबंधित विभागीय प्रशिक्षण में थे तथा वे प्रशिक्षणाधीन वृत्तिका भी प्राप्त कर रहे थे, वे भी रेल सेवा पेंशन नियम 1993 से शासित होगें, बशर्ते है कि इस व्यवस्था में प्रशिक्षण के अधीन बिताई गई अवधि भी रेल सेवा पेंशन नियम 1993 के अधीन अर्हक सेवा की गणना करने के योग्य हो । (RBE 47/08)

ऐसे एवजी (substtutes) जिन्हें 01.01.2004 के पूर्व अस्थायी ओहदा (Temp. status) मिल गया था लेकिन नियमित /समायोजित (regularçed@absorbed) 01.01.2004 के बाद हुए है तथा नियमित होने के पश्चात उनकी नियुक्ति तिथि 01.01.204 के पूर्व की है तो वे पुरानी पेंशन योजना से शासित होगें । (RBE 121/14)

प्रत्येक अभिदाता (कर्मचारी) ड्यूटी पर रहने या विदेश सेवा में रहने के दौरान एनपीएस में मासिक अभिदान (अंशदान) करेगा, किन्तु निलम्बन अवधि में नही करेगा । निलम्बन पश्चात् माफी या अन्य कारण होने पर उसके ड्यूटी पर आने के बाद पहले दिन से परिलब्धियॉ जिसका वह हकदार है, के लिए अंशदान देना होगा । यदि कोई कर्मचारी (अभिदाता) निलम्बन अवधि के अंशदान का बकाया भुगतान करना चाहे तो पुनः बहाली पर रहने के दौरान परिलब्धियों के रूप में माना जायेगा । (RBA 11/09)

यदि कर्मचारी अर्द्धवेतन छुट्टी पर है तो कर्मचारी तथा सरकार का अंशदान छुट्टी वेतन के समानुपाती रहेगा । (RBA 11/09)

यदि कोई अभिदाता अति असाधारण छुट्टी पर है तथा इस अवधि में वेतन का भुगतान नहीं किया गया है तो न तो कर्मचारी की ओर से और न ही सरकार की तरफ से अंशदान का भुगतान किया जाएगा। (RBA 11/09)

सभी नये प्रवेशी जिन्होनें 01.'01.2004 को व उसके बाद सेवा में कार्यग्रहण किया है उनको स्थायी सेवानिवृति लेखा संख्या (PPRAN) आवंटन के लिए आवेदन भरकर आहरण अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा । आहरण अधिकारी इस आवेदन को नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (NSDL) को स्थायी सेवानिवृति खाता संख्या आवंटित एवं इसे चालू करने तथा PRAN किट प्रेषण हेतु अग्रेषित करेगा । PRAN किट प्राप्त होने पर अभिदाता को सौंप दी जाएगी तथा PRAN संख्या को सेवा पुस्तिका तथा स्थानान्तरण के मामले में अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में दर्शाया जाएगा । (RBA 30/09)

टीयर – ।। खाता (RBA 31/10)

(i) नई पेंशन प्रणाली का कोई भी अंशदाता जिसका एक क्रियाशील टीयर–। में खाता है को यह विकल्प है कि वह एक नियोजित व चलित खाता (investment & trading account) खोल सकते है जिसे टीयर–।। खाता कहा जायेगी ।

(ii) टियर–।। एक पेंशन बचत खाता है जिसमें वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निकासी की सुविधा है।

(iii) टियर–।। खाते हेतु पेंशन फण्ड रेगुलेटरी डवलपमेन्ट आथोरिटी द्वारा विभिन्न बैंकों व वित्तीय संस्थानों को उपस्थिति बिन्दु (Point of presence – POP) (जो कि टियर–। के POP जैसा ही है।) नियुक्त किये गये है। पोईन्ट ऑफ प्रजेन्स हेतु पंजीकृत शाखाऍ ही पाईन्ट ऑफ प्रजेन्स व सर्विस प्रोवाईडर है। उपस्थिति बिन्दु सेवादाता की सूची व उनके सम्पर्क की जानकारी सैन्ट्रल रिकार्ड किपींग एजेन्सी की वेब साईट www.npscra.nsdl.com.in पर उपलब्ध है।

(iv) टियर–।। खाता को खोलनाः टियर–।। एक स्वेच्छिक बचत सुविधा है जिसमें अंशदाता द्वारा अपनी इच्छानुसार निकासी का प्रावधान है। नई पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत आने से कोई भी सरकारी कर्मचारी जो कि अनिवार्य रूप से नई पेंशन प्रणाली से शासित होता है वह टियर–।। खाता चालू करवा सकता है। इस हेतु उसे फार्म UOS-SIO फार्म "PRAN" CARD की प्रति प्रस्तुत करनी होगी व किसी भी POP-SP के पास प्रारम्भिक अंश दान रू. 1000/– अंश दाता द्वारा देने होगें तथा अपनी आवश्यकतानुरूप बिना किसी सीमा संख्या के निकासी की जा सकती है। केवल यह शर्त होगी कि वित्तीय वर्ष के अन्त अर्थात् 31 मार्च को अंश दाता को अपने खातें में न्यूनतम राशि रू. 2000/– शेष रहे ।

इसके अन्तर्गत एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम अंशदान रू. 250/– व न्यूनतम चार बार अंशदान करना होगा। टियर–।। के लिए अलग से नामांकन, जानकारी व प्रदर्शन योजना लागू की गई है।

टियर–।। खाते की वार्षिक खाता रख रखाव के लिए सेन्ट्रल रिकार्ड मिसन एजेन्सी द्वारा कोई अतिरिक्त प्रीमियम नहीं है।

नई पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत 01.01.2004 व उसके पश्चात् नियुक्त हुए ऐसे कर्मचारियों को जिन्हें अशक्तता/अपंगता के कारण सेवामुक्त कर दिया गया या 01.01.2004 के बाद जिन कर्मचारियों व उनके पात्र सदस्यों का निधन हो गया है, ऐसे कर्मचारी व उनके पात्र परिवार सदस्यों को निम्नलिखित लाभ अनन्तिम आधार पर अगले आदेशों तक देय होगेंः– (RBA 31/09, 18/10, 21/13 & 96/14)

1. सरकारी कर्त्तव्य के अलावा किसी कारण से हुई अशक्तता स्वरूप सरकारी सेवा से सेवानिवृत (RBA 31/10)
   (i) सीसीएस (पेंशन) नियम–1972 के नियम 38 व 49 के अनुरूप अशक्तता पेंशन की गणना।
   (ii) सीसीएस (पेंशन) नियम–1972 के नियम 50 के अनुरूप सेवानिवृति उपदान की गणना ।
2. सरकारी कर्त्तव्य के अलावा किसी अन्य कारण से सेवाकाल में निधन –
   (i) सीसीएस (पेंशन) नियम–1972 के नियम 54 के अनुरूप परिवार पेंशन (जिसमें बढ़ी दर पर परिवार पेंशन शामिल है) की गणना ।
   (ii) सीसीएस (पेंशन) नियम–1972 के नियम 50 के अनुरूप मृत्यु उपदान की गणना ।
3. सरकारी कर्त्तव्य पर बीमारी/चोट के कारण सरकारी सेवा से मुक्त करना –
   (i) सीसीएस (एक्स्ट्रा ओर्डीनरी पेंशन) नियम के अनुरूप अपंगता पेंशन की गणना ।
   मृत्यु उपदान की गणना ।
   (ii) सीसीएस (एक्स्ट्रा ओर्डीनरी पेंशन) नियम के साथ सीसीएस (पेंशन) नियम–1972 के नियम 50 के अनुरूप सेवानिवृति उपदान की गणना ।
4. सरकारी कर्त्तव्य के कारण सेवाकाल में निधन –
   (i) सीसीएस (एक्स्ट्रा ओर्डीनरी पेंशन) नियम और उदारीकृत पेंशनरी अवार्डस के अनुरूप असाधारण परिवार पेंशन की गणना ।
   (ii) सीसीएस (पेंशन) नियम–1972 के नियम 50 के अनुरूप मृत्यु उपदान की गणना ।

   कर्मचारी व उनके परिवार को उक्त लाभों के अतिरिक्त समय समय पर बढ़ने वाली मंहगाई पेंशन/मंहगाई राहत भी अनन्तिम रूप से देय होगी ।

उक्त अनन्तिम भुगतान को उच्चस्तरीय समिति (HLTF) द्वारा की जाने वाली अनुशंसा के आधार पर बनाए जाने वाले नियम के अन्तर्गत होने वाले भुगतान से समायोजित किया जायेगा तथा यदि कोई कटौती बनती है तो वह इन नियमों के आधार पर भविष्य में देय भुगतान में से की जायेगी ।

ये निर्देश उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू है, जिन्होनें सरकारी सेवा में दिनांक 01.01.2004 को व उसके पश्चात् कार्यग्रहण किया है तथा ये उसी तिथि अर्थात् दि. 01.01.2004 से ही प्रभावी होगें।

(RBA 31/09) (Master circular on Product design and exit from NPS) (RBA 16/13 & RBA 96/14)

पेंशन हित लाभ : (01.01.2004 से पूर्व भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए)
इसमें मुख्यतः निम्नलिखित शामिल है :–
1. पेंशन एवं सेवानिवृति उपदान 2. परिवार पेंशन एवं मृत्यु उपदान
साधारण शर्ते :
पेंशन/परिवार पेंशन हेतु दावा करने के लिए विनिमयः (आरएस (पी) आर का नियम–6)
जब कोई रेल सेवक सेवानिवृति होता है या किया जाता है या डिस्चार्ज किया जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तब इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन या परिवार पेंशन हेतु दावा किया जा सकता है।
जिस तिथि को कोई कर्मचारी सेवानिवृत होता है, किया जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह उसका अंतिम कार्य दिवस माना जाएगा, लेकिन स्वेच्छिक सेवानिवृति जो कि समय से पूर्व सेवानिवृति है, के मामलों में सेवानिवृति की तिथि को अकार्य दिवस माना जाएगा ।

पेंशन की संख्या की सीमाएं :– (नियम–7)
कोई रेल सेवक एक ही सेवा में या पद पर एक ही समय पर या एक ही सतत् सेवा द्वारा दो पेंशन प्राप्त नहीं करेगा।
पेंशन का भविष्य में अच्छे आचरण के अधीन होना : (नियम–8)
यदि पेंशनर पर गम्भीर अपराध का दोष सिद्ध हो जाता है या घोर अपचार का दोषी पाया जाता है तो नियुक्ति प्राधिकारी पेंशनर की पेंशन के किसी भाग को स्थाई तौर पर या अवधि विशेष के लिए रोक सकता है अथवा वापिस भी ले सकता है। लेकिन जहॉ पेंशन का कोई भाग रोक या वापिस ले लिया जाता है वहॉ ऐसी पेंशन की रकम 1.01.2006 को या उसके बाद 3500/– रू. (न्यूनतम पेंशन) से कम नहीं होगी ।
अनन्तिम पेंशन : (नियम–10)
जब किसी रेल सेवक की सेवानिवृति के समय उसके विरूद्ध कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाही लम्बित हो तो सेवानिवृति पर उसे अनन्तिम पेंशन स्वीकृत की जाए जो अधिकतम देय पेंशन से अधिक न हो। जब तक उक्त मामलों का निर्णय नहीं आ जाता, तब तक सेवा उपादान का भी भुगतान नहीं किया जाएगा। (RBE 127/14)
छोटी शास्तियों के मामले में पेंशन/ग्रेच्युटी में से कटौती करना, वापिस लेना/रोक लेना आदि की प्रक्रिया को वापिस ले लिया गया है। (RBE 106/09)
सेवानिवृति के बाद वाणिज्यिक नियोजन : (नियम–11)
समूह–ए के अधिकारी को सेवानिवृति के एक वर्ष की अवधि से पूर्व वाणिज्यिक नियोजन हेतु सरकार की पूर्ण अनुमति लेनी होगी। समूह ''ए'' के सेवानिवृत अधिकारी भारत से बाहर नियोजन तभी स्वीकार कर सकते है, जबकि रेल मंत्रालय से पूर्ण अनुमति ले ली गई हो ।
अर्हक सेवा : (नियम–20 से 48)
रेल सेवक की अर्हक सेवा की गणना उस तिथि से होगी, जब से कोई रेल सेवक उस पद पर कार्यभार ग्रहण करता है, जिसके लिऐ वह पहली बार या तो मूल रूप से या स्थानापन्न क्षमता पर नियक्त हुआ है, किन्तु इसके बाद सेवा में व्यवधान न हुआ हो ।
पेंशन या अन्य सेवानिवृति लाभ की गणना हेतु अर्हक सेवा में जोडे जाने वाले वर्षो के आदेश दि. 01.01.2006 से वापस ले लिये जाने के कारण अब सभी सेवानिवृति लाभों की गणना वास्तविक अर्हक सेवा पर ही की जायेगी । समापन भुगतान के उददेश्य से सम्पूर्ण अर्हक सेवा 33 वर्ष से अधिक सेवा गणना में नहीं ली जायेगी । (RBE 38/09, 112/09 & 222/09)
पेंशन नियमों के तहत बकाया सेवा/अतिरिक्त सेवा के लाभ के संबंध में दी गई वर्तमान व्यवस्था को भी इस इस उपरोक्त विस्तार अनुसार संशोधित कर दिया गया है क्योंकि संशोंधित नियमों के अनुसार पेंशन, परिलब्धियों अथवा परिलब्धियों के औसत जो भी अधिक हो के 50% की दर से भुगतान किया जाएगा, जो 10/20 वर्ष जैसी भी गणना हो या अधिक किन्तु 33 वर्ष की अर्हक सेवा के आधार पर होगा । (RBE 112/08)

अर्हक सेवा के रूप में नहीं माने जाने वाली अवधिः (नियम–14)

निम्नलिखित अवधियों को पेंशनरी फायदों के लिए सेवा नहीं माना जाएगा :

1. अंशकालीन रूप से की गई सेवा ।
2. नैमित्तिक बाजार या दैनिक दरों पर ।
3. गैर पेंशनीय पद पर
4. वे पद जहॉ पर भुगतान आकस्मिकताओं (Contingencies) से किए जाते है।
5. जहॉ करार के अन्तर्गत कार्य किया गया है।
6. जहॉ कार्य फीस या मानदेय के आधार पर किया गया है।
7. सेवा से हटाए जाने या बर्खास्त किए जाने पर ।
8. सेवा से पद त्याग ।
9. अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि ।
10. ''अकार्य'' (Dies Non) के रूप में मानी गयी सेवा अवधि ।
11. विदेश सेवा जिसके लिए विदेश सेवा अंशदान का भुगतान नहीं किया गया है जब तक कि राश्ट्रपति विशेष रूप से भुगतान में छूट न दी हो ।
12. 18 वर्ष की आयु से पूर्व की गई सेवा । (नियम–20 और RBE 100/2K½
13. विशेष श्रेणी रेल प्रशिक्षु की प्रशिक्षुता अवधि । (RBE 100/2000)
14. ठेका आधार पर की गई सेवा ।
15. शैक्षिक अवकाश की अवधि जो बाद में असाधारण अवकाश मानी गई हो।(RBE 33/11)
16. प्रसूति अवकाश के क्रम में चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना मिलने वाली असाधारण छुट्टी अवधि। (RBE 242/01; 72/14)

सेवा जिसे अर्हक सेवा के रूप में माना जाएगा :

1. भारतीय रेलवे, पूर्व राज्य रेलवे, पूर्व कम्पनी रेलवे में लगातार की गई सेवा। (नियम–22)
2. मिलिट्री या युद्ध सेवा । (नियम–22)
3. सेवा जिसमें प्रशिक्षु अवधि एवं प्रशिक्षण में बिताई गई अवधि शामिल है, को अर्हक सेवा के रूप में गिना जायेगा । (नियम–23 और 38 तथा रेलवे बोर्ड का पत्र सं. एफ(ई) ।।।/79/पीएन/1/20 दि. 17.04.87, 31.10.86 और एफ(एनजी) 1/90/आई.सी.आई./। दिनांक 02.06.92)

जब कभी प्रशिक्षु प्रशिक्षण अवधि को प्रथम प्रयास में पूर्ण करने में असफल रह जाता है तो उसकी प्रारंभिक प्रशिक्षण अवधि को पेंशन परिलाभ के लिए अर्हक माना जायेगा, यदि वह रिपीट कोर्स में सफल रहता है। ऐसे मामलों में प्रारंभिक प्रशिक्षण अवधि व रिपीट कोर्स के बीच की व्यवधान अवधि को अकार्य दिस (Dies non) के रूप में माना जायेगा। (RBE 41/2000)

4. रेलवे में स्थानान्तरण से पूर्व केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन की गई अर्हक सेवा। (नियम–28)
5. एवजी के रूप में नियुक्ति के चार माह के बाद की सेवा (एवजी अध्यापक के मामले में तीन माह बाद की सेवा)बशर्ते है कि बिना किसी व्यवधान के वह समूह ''घ'' या ''ग'' के पद पर आमेलित (Absorption) हो जाए। (नियम–32)
6. अस्थाई औहदा प्राप्त नैमेतिक श्रमिक के मामले में अस्थाई ओहदा प्राप्ति की तिथि से नियमित नियुक्ति की तिथि तक की गई कुल सेवा का 50% भाग अर्हक सेवा माना जाएगा । (रेलवे बोर्ड का पत्र सं. एफ(ई)।।।/79/पीएन/1/10 दि. 25.08.83, और एफ(ई)।।।/86/पीएन–।/02 दिनांक 09.01.87, एफ(ई)।।।/79/पीएन–।/20 दि. 17.04.84 व 31.10.86 और एफ(ई)।।।/88/ पीएन–।/15 दि. 25.01.95)
7. मेडिकल आधार पर स्वीकृत की गई असाधारण छुट्टी (EOL) की अवधि को भी अर्हक सेवा में गिना जायेगा । चिकित्सा प्रमाण पत्र के अलावा स्वीकृत की गई असाधारण छुट्टियों की अवधि को नियुक्ति प्राधिकारी अर्हक सेवा के रूप में गिन सकता है, यदि इस प्रकार की छुट्टियॉ रेल सेवक को निम्नलिखित कारणों से स्वीकृत की गई हो :–
   (i) उच्च विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए ।
   (ii) गडबड़ी या प्राकृतिक आपता के कारण कार्य पर न आने के कारण ली गई हो ।
   यह रियायत किसी रेल कर्मचारी को तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसकी वास्तविक अर्हक सेवा, उस समय, जब वह रेल सेवा छोड़ता हो, 10 वर्ष से कम न हो । (नियम–36)
8. सेवानिवृति के समय 09 वर्ष 09 माह की अर्हक सेवा को पेशन और डी.सी.आर.जी. के उददेश्य से 10 वर्ष की सेवा माना जाएगा । (RBE 41/2000)

परिलाभों का सत्यापन :

रेल सेवकों की परिलब्धियों का सत्यापन क्षेत्रीय रेलों के कार्मिक एवं लेखा विभागों द्वारा नियमित अंतरालों पर किया जाना चाहिये और ऐसी एक पुनःरीक्षा कर्मचारी की सेवानिवृति की तारीख से पहले के तीसरे वर्ष के शुरू में की जानी चाहिए ताकि वेतन एवं भत्तों में कोई अनियमितता, यदि कोई हो तो, को सेवानिवृति से पर्याप्त समय पहले सही किया जा सके और कोई वसूली बनती है तो रेल सेवक के वेतन से समय रहते की जा सकें । (RBE 27/09)

परिलब्धियॉ (नियम–49 (RBE 112/08)

परिलब्धि से तात्पर्य विभिन्न सेवानिवृत/मृत्यु उपदान के अलावा सेवानिवृति लाभों की गणना हेतु स्थापना संहिता के नियम 1303(1) परिभाषित वेतन से है जो कर्मचारी सेवानिवृत/मृत्यु से पूर्व ले रहा था ।

(ए) रेल सेवक यदि अधिकतम 120 दिन के अर्जित अवकाश पर हो, जिसके लिए उसे छुट्टी वेतन देय हो तथा इस अवधि में उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि देय हो तथा जो कि वास्तविक रूप से देय न होने के बावजूद परिलब्धियों हेतु उसे आहरित वेतन माना जाएगा ।

(बी) रेलवे बोर्ड द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप रनिंग कर्मचारियों, लोको निरीक्षकों, डॉक्टरों को देय ''वेतन तत्व'' भी जो कि मूल वेतन का क्रमशः 55%, 30% व 25% होगा, परिलब्धियों की गणना हेतु लिया जायेगा ।

(सी) RBE-112/08 के अनुसार संशोधित वेतन ढांचे में मूल वेतन से आशय निर्धारित वेतन बैंड/वेतन+लागू ग्रेड पे से है, किन्तु इसमें अन्य प्रकार का कोई वेतन जैसे– विशेष वेतन इत्यादि शामिल नहीं है। (RBE 14/15)

सभी प्रकार के उपादानों के मामले में सेवानिवृति/मृत्यु की तिथि को देय मंहगाई भत्ता परिलब्धियों के रूप में माना जाएगा ।

पेशनरी लाभों की गणना हेतु NPA व मूल वेतन का योग रू. 85,000/– से अधिक नहीं हो सकता है। (RBE 122/08)

निर्माण संगठन में कर्मचारी द्वारा तदर्थ पदोन्नति पर किया गलया गया वेतन पैरा 1303 IREC-II के अन्तर्गत वेतन की श्रेणी में रहेगा तथा RS (Pension) Rules के नियम 49 के अन्तर्गत परिलब्धियों के अन्तर्गत माना जायेगा । (RBE 124/10 & 85/11)

औसत परिलब्धियॉ : (नियम–50)

औसत परिलब्धियॉ का निर्धारण किसी रेल सेवक की सेवानिवृति की तिथि से पहले अंतिम 10 माह में आहरित वेतन से किया जाता है। रनिंग कर्मचारियों, लोको निरीक्षकों, डाक्टरों की औसत परिलब्धियों की गणना के लिये मूल वेतन का क्रमशः 55%, 30% व 25% शामिल किया जाता है।

यदि रेल कर्मचारी अपनी सेवा के 10 माह में निलम्बन के अधीन है तो उपर्युक्त निलम्बन की अवधि को औसत परिलब्धियों की गणना में शामिल नहीं किया जायेगा तथा 10 माह से पर्व की समान अवधि को शामिल किया जाएगा ।

नोटः पेंशन, ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण के उददेश्य हेतु चार्ज भत्तों (Charge allowance) को 01.01.86 से वेतन के रूप में माना जायेगा। (RBE 64/97)

2. 01.01.96 से सेवानिवृति के समय कर्मचारी द्वारा धारित पद और वेतनमान का न्यूनतम की तुलना औसत परिलब्धियों के साथ की जाएगी, यदि पद और वेतनमान का न्यूनतम वेतन औसत परिलब्धियों से अधिक है तो इस प्रकार आई हुई राशि को पेंशन की गणना के लिए लिया जाएगा ।

3. लोको पायलट (मेल, पैसेन्जर) और मेल गार्ड को 01.01.2006 से स्वीकृत अतिरिक्त भत्तों को उनकी सेवानिवृति लाभों की गणना हेतु लेखे में नहीं लिया जाएगा । (हालांकि ऐसे अतिरिक्त भत्तों पर मंहगाई भत्ता देय होगा। (RBE 43/09)

पेंशन की श्रेणियॉ :

पेंशन निम्न प्रकार की है :–

1. अधिवार्षिता पेंशन ।
2. सेवानिवृति पेंशन ।
3. अशक्तता पेंशन।
4. प्रतिकर पेंशन ।
5. अनिवार्य सेवानिवृत पेंशन ।
6. अनुकम्पा भत्ता ।

पेंशन की रकम :

सरकारी सेवक 20/10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद पेंशन पाने का हकदार होता है। उसे उसकी सेवानिवृति की तिथि से पूर्व के अंतिम 10 माह के दौरान प्राप्त औसत परिलब्धियॉ/अंतिम परिलब्धियॉ, जो भी उसको लाभकारी हो, उसका 50% पेंशन के रूप में भुगतान किया जाएगा । (01.01.2006 से लागू)

पेंशन फार्मूला : (01.01.2006 से पूर्व के सेवानिवृतियों के लिए)

पेंशनः

सेवानिवृति के समय प्राप्त औसत परिलब्धियों का 50% X अर्हक सेवा / 33 वर्ष

अथवा

सेवानिवृति के समय वेतनमान में न्यूनतम वेतन का 50% X अर्हक सेवा / 33 वर्ष

पेंशन फार्मूला : (01.01.2006 को या उसके बाद सेवानिवृतियों होने वालों के लिए)

पेंशनः

औसत परिलब्धियों का 50% अथवा सेवानिवृति के समय अंतिम मूल वेतन (पे बेण्ड में वेतन+ ग्रेड पे)का 50% x अर्हक सेवा/(न्यूनतम 10 वर्ष से अधिक की अर्हक सेवा किन्तु अधिकतम 33 वर्ष तक – केवल ऐसे सेवानिवृति पेंशन के मामलों को छोड़कर जिनमें न्यूनतम 20 वर्ष की अर्हक सेवा आवश्यक है।)

अथवा

सेवानिवृति के समय न्यूनतम पे इन बेण्ड+ग्रेड पे का 50% x अर्हक सेवा/(अर्हक सेवा के न्यूनतम 10 वर्ष या अधिक किन्तु अधिकतम 33 वर्ष तक की अर्हक सेवा – केवल ऐसे सेवानिवृति पेंशन के मामलों को छोड़कर जिनमें न्यूनतम 20 वर्ष की अर्हक सेवा आवश्यक है।)

लेकिन उपरोक्त शर्त अनिवार्य सेवानिवृति पेंशन व अनुकम्पा भत्ता के मामले में लागू नहीं होगी। (RBE 120/11)

01. अधिवार्षिता पेंशन : (IRCA Vol. II Para 1801, 1802 (नियम -51)

अधिवार्षिता पेंशन ऐसे रेल सेवक को प्रदान की जाती है जो कि निर्धारित आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत होता है।01.11.73 से समूह बी, सी और डी सेवाओं तथा 01.04.74 से समूह क सेवाओं में कार्यरत रेल सेवक उस माह की अंतिम तारीख की अपरान्ह सेवानिवृत होगें, लेकिन यदि जन्म तिथि माह की पहली तारीख है तो वह रेल सेवक पिछले माह की अंतिम तारीख को सेवानिवृत हो जाएगें, जबकि जन्मतिथि माह की पहली तारीख के अलावा कोई और तारीख होने पर वे रेल सेवक उसी माह की अंतिम तारीख को सेवानिवृत होगें । न्यूनतम 10 वर्ष (09 वर्ष09 माह) की अर्हक सेवा पूर्ण होने पर अधिवार्षिता पेंशन देय होगी अन्यथा अधिवार्षिता पेंशन देय नहीं होगी , उन्हें इसके एवज में सविर्स ग्रेच्युटी (सेवा उपादान) जो कि प्रत्येक 06 माह पर 1/2 माह की परिलब्धिता के बराबर की राशि होगी वह देय होगी ।

02. सेवानिवृति पेंशनः (नियम -52)

यह पेंशन निम्नलिखित मामलों में स्वीकृत की जाती है :–

(ए) जब कोई रेल सेवक 20 वर्ष की अर्हक सेवा के बाद स्वयं के अनुरोध पर रेल सेवा से स्वेच्छिक सेवानिवृत होता है।

(बी) जब कोई रेल सेवक 55 वर्ष की आयु अथवा 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद प्रशासनिक हित में सेवानिवृत किया जाता है।

20 वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण करने के बाद रेल सेवक स्वेच्छिक सेवानिवृति के लिए 03 माह का लिखित नोटिस दे सकता है। वह इस नोटिस अवधि को माफ करने के लिए भी आवेदन दे सकता है। नियुक्ति प्राधिकारी सेवानिवृति के अनुरोध को स्वीकार या उचित व पर्याप्त कारण होने पर अस्वीकार कर सकता है। अस्वीकार करने का कारण रिकार्ड किया जाएगा एवं संबंधित कर्मचारी को निर्धारित समयावधि में इस बाबत सूचित किया जाएगा । यदि नियुक्ति प्राधिकारी स्वेच्छिक सेवानिवृति को नोटिस अवधि के खत्म होने से पूर्व अस्वीकार नहीं करता है तो स्वेच्छिक सेवानिवृति नोटिस अवधि के पूर्ण होने की तिथि से प्रभावी होगी । रेल सेवक नोटिस अवधि में अपना स्वेच्छिक सेवानिवृति आवेदन वापस ले सकता है। (रेलवे बोर्ड का पत्र सं. ई(पी एण्ड ए)–1–2007/आर.टी7। दि0 26.05.08) (नियम-52)

03. अशक्तता पेंशनः (नियम-55)

अशक्तता पेंशन ऐसे रेल सेवक के लिए स्वीकृत की जाती है जो चिकित्सा आधार पर या सभी चिकित्सा श्रेणियों के लिए अयोग्य घोंषित हो गया हो या विकोटिकृत (अर्थात उस पद/चिकित्सा श्रेणी के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया हो, जिसमें वह चिकित्सा परीक्षा से पूर्व था) होने के कारण सेवानिवृत हो गया हो ।

अशक्तता पेंशन के लिए 10 वर्ष या अधिक की अर्हक सेवा होना आवश्यक है।

04. प्रतिकर पेंशनः (नियम-63)

यदि किसी रेल सेवक को उसके द्वारा धारित स्थायी पद के समाप्त होने के कारण सेवा से डिस्चार्ज करने हेतु चुना जाता है, तो जब तक उसे दूसरे पद पर तैनात नहीं किया जाता है, जब तक प्रतिकर पेंशन दी जाएगी । उसके स्थायी पद के समापन के कारण उसे डिस्चार्ज करने से 03 महीने पहले उसे नोटिस देना आवश्क है।

05. अनिवार्य सेवानिवृति पेंशन (नियम-64)

शास्ति के रूप में अनिवार्य सेवानिवृत किए गए रेल सेवक को इस प्रकार की शास्ति आरोपित करने में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनिवार्य सेवानिवृति की तिथि को उसको देय प्रतिकर पेंशन (Compensation Pension) अथवा उपादान अथवा दोनों, जो कि इसके 2/3 भाग से कम नहीं हो व देय पूर्ण पेंशन तथा उपादान से अधिक न हो, स्वीकार कर सकता है। अनिवार्य सेवानिवृति पेंशन के लिए न्यूनतम 10 वर्ष या अधिक की अर्हक सेवा आवश्यक है

01.01.2006 से पूर्व सेवानिवृत कर्मचारियों को सेवानिवृति के समय के वेतनमान के समकक्ष नए वेतनमान (छठे वेतन आयोग) का न्यूनतम 50% पेंशन देने संबंधी नियम अनिवार्य सेवानिवृति पेंशन के मामले में लागू नहीं होगा । (RBE 120/11)

06. अनुकम्पा भत्ता : (नियम –65)

ऐसे रेल सेवक को जिसे सेवा से पदच्युत (Dismissed) किया गया है या हटा दिया गया (removed) है, उन्हें पेंशन या उपादान देय नहीं होता है। किन्तु यदि यह मामला ऐसा हो, कि उस पर विशेष विचार किया जाए तो रेल सेवा से पदच्युत या हटाने वाला सक्षम प्राधिकारी यह लाभ स्वीकृत कर सकता है, लेकिन यह इस शर्त के अधीन होगा कि राशि कमचारी को प्रतिकर पेंशन (Compensationate Pension) के रूप में अगर राशि स्वीकृत की जाती तो उसके 2/3 से अधिक नहीं होगी । लेकिन 01.01.06 से यह 3500/– रू. से कम भी नहीं होगी।

01.01.06 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय के वेतनमान के समकक्ष नए वेतनमान (छठे वेतन आयोग) का न्यूनतम 50% पेंशन देने सम्बन्धी नियम अनुकम्पा भत्ता के मामले में लागू नहीं होगा। (RBE 120/11)

ऐसे पुराने मामलों में जहॉ अनुशासनिक प्राधिकारी ने अनुकम्पा भत्ता के लिए या उसके विरूद्ध कोई विशेष आदेश पारित नहीं किये है तथा पदच्युत/हटा दिए गए कर्मचारी अथवा मृत कर्मचारी के परिवार के सदस्यों से प्रतिवेदन के माध्यम से यदि कोई उचित मामला विचार के लिए आता है तो संबंधित अनुशासनिक अधिकारी उस पर निम्नलिखित शर्तो के आधार पर पुनः विचार कर सकता हैः– (RBE 164/08)

(i) अनुशासनिक और अपील कार्रवाई संबंधी दस्तावेज तथा सेवा रिकार्ड उपलब्ध हो ताकि दोषों की गम्भीरता एवं इसमें शामिल अन्य पहलुओं पर विचार करते हुए उचित निर्णय लिया जा

सकें तथा यह सुनिश्चित किया जा सकें कि किसी भी स्तर पर अनुकम्पा भत्ता स्वीकृत पर विचार नहीं किया गया है। पदच्युत/हटाए गये कर्मचारी का सेवा अभिलेख इसलिए भी आवश्यक है ताकि उसके द्वारा की गई सेवाओं के प्रकार का अध्ययन किया जा सकें तथा अनुकम्पा भत्ता स्वीकृति के संबंध में अर्हक सेवा की गणना की जा सकें ।

(ii) मामले पर विचार करते समय केवल उन तथ्यों पर विचार नहीं किया जायेगा जिनके आधार पर रेल सेवक को पदच्युत/हटाया गया हो, बल्कि उसके द्वारा की गई सेवाओं का प्रकार भी ध्यार में रखा जायेगा । यदि रेल सेवक को बेईमानी के आधार पर पदच्युत/हटाया गया हो तो अनुकम्पा भत्ता स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए ।

(iii) यद्यपि अनुकम्पा भत्ता देने के लिए गरीबी/आर्थिक स्थिति को मिसाल देना कोई आवश्यक शर्त नहीं है फिर भी मामले पर विचार करते समय इस कारण को व व्यक्ति विशेष पर आश्रित पत्नि और बच्चों की स्थिति पर विचार किया जाना चाहिए ।

(iv) इस प्रकार के मामलों की समीक्षा करने पर यदि सक्षम प्राधिकारी पदच्युत/हटाए गए रेल कर्मचारी को अनुकम्पा भत्ता स्वीकृत करता है तो यह उसे पदच्युत/हटाने की तिथि से लागू होगा ।

(v) यदि सक्षम प्राधिकारी मृत रेल कर्मचारी की पत्नि या योग्य पारिवारिक सदस्य को परिवार पेंशन स्वीकृत करने का निर्णय करता है तो अनुकम्पा भत्ता कर्मचारी के पदच्युत/हटाने की तिथि से कल्पित (notinally) रूप में स्वीकृत किया जाएगा, ताकि परिवार को परिवार पेंशन के लिए योग्य बनाया जा सकें और इस प्रकार के मामलों में देय परिवार पेंशन पदच्युत/हटाए गए रेल कर्मचारी की मृत्यु की तिथि से अगली तिथि से शुरू होगी।

नोटः अनुकम्पा भत्ता पेंशन की श्रेणियों में से एक है। अतः इस हेतु न्यूनतम अर्हक सेवा 10 वर्ष आवश्यक है। (RBE 79/05)

वृद्ध पेंशनरों को बढ़ी दर पर पेंशनः

पेंशन/वृद्ध पेंशनरों को प्राप्त पेंशन की मात्रा 001.01.2006 से निम्नानुसार बढ़ाई गई है :–

पेंशनर की आयु	अतिरिक्त पेंशन की मात्रा
80 वर्ष से 85 वर्ष के बीच	मूल पेंशन का 20%
85 वर्ष से 90 वर्ष के बीच	मूल पेंशन का 30%
90 वर्ष से 95 वर्ष के बीच	मूल पेंशन का 40%
95 वर्ष से 100 वर्ष के बीच	मूल पेंशन का 50%
100 वर्ष और अधिक	मूल पेंशन का 100%

उदाहरणः किसी मामले में जहॉ पेंशनर की आयु 80 वर्ष से अधिक है और उसकी पेंशन 10,000 रू. प्रतिमाह है तो पेंशन को इस प्रकार दर्शाया जाएगा :–

1) मूल पेंशन = 10,000/– रूपये और
2) अतिरिक्त पेंशन = 20,000/– रूपये प्रतिमाह

अतिरिक्त पेंशन की राशि को पेंशन भुगतान आदेश में अलग से दर्शाया जाएगा। 80 वर्ष या अधिक की आयु हो जाने पर अतिरिक्त पेंशन की मात्रा माह के प्रथम दिन से जिसमें उसकी जन्म तिथि है, देय होगी । पेंशन की अतिरिक्त मात्रा पर मंहगाई राहत भी देय होगी। (RBE 146/08)

उदाहरणः यदि किसी पेंशनर/परिवार पेंशनर को जन्म तिथि 26.10.1930 है, तो वह पेंशन की अतिरिक्त मात्रा/परिवार पेंशन के लिए 80 वर्ष की आयु होने पर 01.10.2010 से देय होगी। (RBE 146/09)

पेंशनर/परिवार पेंशनर की जन्म तिथि में बदलाव – वृद्ध पेंशनर/परिवार पेंशनर को अतिरिक्त पेंशन संबंधी निर्देश । (RBE 127/15)

वृद्ध पेंशनर/परिवार पेंशनर को 80 वर्ष या अधिक आयु प्राप्त करने पर अतिरिक्त पेंशन की स्वीकृति पी.पी.ओ. में उपलब्ध जन्म तिथि के आधार पर । (RBE 152/15)

सेवानिवृति/मृत्यु उपादान : (नियम–69/1 & 70) रेल सेवक को सेवानिवृति उपादान उसके द्वारा 05 वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण करने पर देय होता है।यह राशि प्रत्येक आधे वर्ष पर 1/4 माह की परिलब्धि के बराबर लेकिन किसी भी स्थिति में 16 1/2 माह की परिलब्धि से अधिक देय नहीं होगी । देय सेवानिवृति/मृत्यु उपादान 10 लाख रूपये से अधिक नहीं होगा, (01.01.2006 से लागू)

जिन रेल सेवकों की सेवानिवृति के समय अर्हक सेवा 09 वर्ष 09 माह से कम रहती है उन्हें सेवा उपादान का भुगतान प्रत्येक छः माह की अवधि की अर्हक सेवा पर आधे माह की परिलब्धि के बराबर देय होगा ।

डी.सी.आर.जी के लिए अंतिम रूप से गणना की गई राशि को अगले उच्च रूपये के गुणकों में पूर्णांकित (rount off) कर दिया जाएगा ।

सेवानिवृति उपादान का सूत्रः परिलब्धि X $\frac{\text{अर्हक सेवा}}{2}$

नैमेतिक श्रमिकों को उपादान :

रेलवे में कारखाना स्थापना, चालू लाईन तथा परियोजना में नियोजित नैमेतिक श्रमिकों को भी निम्न सूत्रानुसार उपादान का भुगतान देय है।

सूत्र = $\frac{\text{मासिक वेतन}}{25}$ X 15 X अर्हक सेवा

मृत्यु उपादान का सूत्र (जहॉ अर्हक सेवा 20 वर्ष या ज्यादा हो)

मृत्यु उपादान = परिलब्धि x अर्हक सेवा (अधिकतम 33 वर्ष)

यदि किसी रेल सेवक की सेवा में रहने के दौरान मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु उपादान निम्नानुसार देय होगाः

01	एक वर्ष से कम सेवा	परिलब्धि का दुगना
02.	एक वर्ष व अधिक किन्तु 05 वर्ष से के सेवा	परिलब्धि का छः गुना
03	पॉच वर्ष व अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम	परिलब्धि का बारह गुना
04	20 वर्ष व उससे अधिक सेवा	प्रत्येक छः माह पर आधे माह की परिलब्धि लेकिन अधिकतम 33 माह की परिलब्धि तक जिसकी अधिकतम राशि 10 लाख रूपये है।

सेवानिवृति/मृत्यु उपादान के मामलें में अधिकतम 33 वर्ष की अर्हक सेवा को लाभ ही गणना में लिया जाता है।

सेवानिवृति/मृत्यु उपदान का देरी से भुगतानः

यदि सेवानिवृत होने वाले रेल कर्मचारी, जो कि अधिवार्षिता सेवानिवृति के अलावा सेवानिवृत होते है, की कोई त्रुटि न होने तथा प्रशासनिक देरी के कारण ग्रेच्युटी का विलम्ब से भुगतान किया जाता है तो विलम्ब से किये गये भुगतानपर ब्याज निम्न प्रकार से देय होगा । (RBE 76/91, 72/12 & 65/13)

(अ) ऐसे रेल सेवकों के मामलों में जहाँ सेवानिवृति के दिन उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक/न्यायिक प्रक्रिया अनिर्णित हो तथा उपदान उनके अंतिम निर्णय तक रोक लिया गया हो–

(i) जहॉ ऐसी प्रक्रिया के निर्णयानुसार रेल सेवक को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया है तथा उपदान का भुगतान कर दिया गया है,प्रकार के मामलों में उपदान की राशि का भुगतान सेवानिवति की अगली तारीख से देय हुआ माना जायेगा तथा यदि यह भुगतान इसके तीन माह पश्चात् किया गया है तो ब्याज का भुगतान सेवानिवृति की तिथि से तीन माह पश्चात् किया गया है तो ब्याज का भुगतान सेवानिवृति की तिथी से तीन माह पश्चात् से अनुमेय देय होगा ।

(ii) ऐसे रेल सेवकों के मामलों में जहॉ अनुशासनात्मक/न्यायिक प्रक्रिया के चलते उनकी मृत्यु हो जाने पर प्रक्रिया समाप्त कर दी जाती है, ऐसे मामलों में उपदान का भुगतान मृत्यु के

बाद की तिथि से देय माना जायेगा। यदि मृत्यु तिथि से तीन माह के बाद भुगतान किया जाता है तो ब्याज का भुगतान मृत्यु से तीन माह के बाद से देय होगा ।

(iii) ऐसे मामलों में जहॉ रेल सेवकों को अनुशासनात्मक/न्यायिक प्रक्रिया के निष्कर्ष पर उसे पूर्ण रूप से दोष मुक्त नहीं माना जाता है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाता है कि उपदान का भुगतान कर दिया जाए, ऐसे मामलों में उपदान की राशि का भुगतान इस प्रकार के निर्णय जारी होने की तिथि से देय होंगे यदि उपदान की राशि का भुगतान निर्णय जारी होने के तीन माह के बाद किया जाता है जो ब्याज का भुगतान देय होगा ।

(ब) फौजदारी अदालतों द्वारा दोषी ठहराए गए कर्मचारीः

मात्र अपील दायर करने और/अथवा सजा के कार्यान्वयन पर स्थनग आदेश दे दिये जाने से दोषी ठहराए जाने का प्रभाव समाप्त नहीं हो जाता अतः तब तक कि अपीलीय अदालत द्वारा अपील को मान नहीं लिया जाता अथवा दोष सिद्धि रद्ध नहीं हो जाती, इस तथ्य के बावजूद कि संबंधित रेल कर्मचारी द्वारा दायर की गई 'सजा' के संबंध में स्थगन आदेश जारी किया हो तो भी सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी फोजदारी अदालत की दोष सिद्धि के आधार पर कार्यवाही कर सकते है। ऐसे मामलों के समापन भुगतान मामलों में इस तथ्य को ध्यान में रखा जाये । (RBE 65/13)

(स) अधिवार्षिता सेवानिवृत्ति के अलावा सेवानिवृत्ति एवं सेवाकाल में मृत्यु के मामलों में :

ऐसे मामले जो कि रेल सेवकों की अधिवार्षिता सेवानिवृति के अलावा सेवानिवृति के हो एवं सेवाकाल में मृत्यु के हो, सेवानिवृत कर्मचारी/मृत कर्मचारी के पेंशन पेपर्स तैयार करने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए।

जहॉ ऐसे मामलों में उपदान भुगतान में सेवानिवृति की तिथि/मृत्यु की तिथि से 06 माह से ज्यादा का विलम्ब होता है तो 06 माह से ज्यादा के विलम्ब भुगतान पर ब्याज देय होगा ।

यदि किसी मामले में मृत्यु उपदान को इस कारण से रोक लिया गया है कि उसके लिए एक से अधिक लोगों ने दावेदारी की है, ऐसे मामलों में इन आदेशों के अनुसार बयाज के भुगतान हेतु स्वतः ही/पात्र नहीं मान लिया जायेगा । ऐसे प्रत्येक मामलों में अलग से विचार विमर्श तथा जॉच के बाद गुणदोष के आधार पर निर्णय लिया जायेगा । जहॉ कहीं ब्याज का भुगतान किया जाता है वह उस महीने की अंतिम दिन तक का किया जाना चाहिये, जिस महीने उपदान का भुगतान किया जा रहा है।

इस बात का इन्तजार किये बिना कि दोषी कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही का नतीजा क्या रहा, ब्याज अगर देय है तो उसका भुगतान कर दिया जाना चाहिए । (RBE 76/91 & 72/12)

नाबालिग के रू. 10,000/– तक के मृत्यु/सेवा उपदान के हिस्से का भुगतान उसके संरक्षक को संरक्षकता प्रमाण पत्र दिये बिना भी किया जा सकता है। (RBE 262/89)

उपरोक्त निर्देशों में संशोधन करते हुए निर्णित किया गया कि नाबालिग के DCRG के हिस्से का 20% या रूपये 1.50 लाख, जो भी कम हो, का भुगतान उसके संरक्षक को संरक्षकता प्रमाण पत्र दिये बिना किया जा सकता है। (RBE 07/15)

रेल सेवक (पेंशन सारांशीकरण) Commutation of Penbsion नियम 1993 व पेंशन सारांशीकरण नियम2013 (अध्याय IV नियम 19 & RBE 151/12)

यह उन रेल सेवकों पर लागू होगा जो किसी भी श्रेणी की पेंशन के हकदार हो। पेंशन के कम्यूटेशन का भुगतान रेल सेवक के लिखित अनुरोध के आधार पर ही किया जा सकता है। यदि पेंशनर पें ान के कम्यूटे ान के लिए फार्म नहीं भरता है तो पेंशन के कम्यूटेशन का भुगतान नहीं किया जायेगा ।

रेल सेवक पेंशन के अधिकतम 40% तक के अंश के कम्युटेशन का हकदार होगा । यदि पेंशन के अंक को कम्यूटेड करते समय गणना में रूपये का कोई अंश (Fraction) आए तो इस प्रकार के अंश को कम्यूटेशन के उद्देश्य हेतु अनदेखा कर दिया जायेगा ।

कम्यूटेशन की गणना मूल्य सूची (table of values) के अनुसार की जाती है। कर्मचारी द्वारा प्राप्त किसी प्रकार की पेंशन, केवल अशक्तता पेंशन, अनिवार्य सेवानिवृति पेंशन तथा अनुकम्पा भत्ता को छोड़कर अन्य पेंशन को वह बिना चिकित्सा परीक्षा के कम्यूट कराना चाहे तो उसे सेवानिवृति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में आवेदन देना चाहिए

यदि कर्मचारी के विरूद्ध कोई विभागीय/न्यायिक कार्यवाही चल रही है तो इस एक वर्ष की गणना इस प्रकार की कार्यवाही के निपटारे के आदेश जारी होने की तिथि से की जाएगी ।

निम्नलिखित मामलों में पेंशन के कम्यूटेशन का भुगतान चिकित्सा परीक्षा के बाद ही किया जाएगा, यदि रेल कर्मचारीः

1. अशक्तता पेंशन पर सेवानिवृत्त हुआ हो ।
2. शास्ति के रूप में सेवा से अनिवार्य सेवानिवृति दी गई हो तथा पेंशन स्वीकृत की गई है।
3. यदि अनुकम्पा भत्ता ले रहा हो ।
4. सेवा से सेवानिवृत हो चुका है किन्तु कम्यूटेशन के लिए उसका आवेदन उसकी सेवानिवृति से एक वर्ष की अवधि में कार्यालय प्रधान को प्राप्त नहीं हुआ हो ।

पेंशनर की पेंशन से भुगतान के अगले माह से केवल पेंशन के कम्यूटेड अंश को ही घटाया जाएगा ।

पेंशन के कम्यूटेड अंश को कम्यूटेशन राशि के भुगतान की तिथि से 15 वर्ष के बाद पुनः स्थापित किया जाएगा

कम्यूटेशन की गणना के लिए सूत्र

पेंशन का अंश x 12 x आयु समूह के अनुसार कम्यूटेड मूल्य = कम्यूटेशन राशि

कम्यूटेशन राशि के लिए उपादान की भॉति कोई न्यूनतम और अधिकतम सीमा नहीं है।

विभागीय/न्यायिक प्रक्रिया के निर्णित होने पर कम्यूटेशन की गणना :

(i) सेवानिवृत रेल सेवक विभागीय/न्यायिक प्रक्रिया के निर्णित होने पर यदि दोष मुक्त हो जाता है तो उसे सेवानिवृति की अगली तिथि से पेंशन की कम्युटेशन राशि देय मानी जायेगी, बशर्ते उसने सेवानिवृति के समय कम्युटेशन के भुगतान हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया हो । यदि रेल सेवक द्वारा पेंशन के कम्युटेशन हेतु पूर्व में आवेदन नहीं किया गया था तथा दोष मुक्त होने के अंतिम आदेशों के एक वर्ष गुजरने से पूर्व ऐसा आवेदन कर दिया है तो ऐसे मामलों में उन्हें बिना किसी चिकित्सा जॉच के पेंशन कम्युटेशन का भुगतान देय होगा तथा जिस तिथी से कम्यूटेशन देय है वही कम्यूटेशन फेक्टर गणना में लिया जायेगा । इस प्रकार के सभी मामलों में सेवानिवृत रेल सेवक को चिकित्सा परीक्षा से नहीं गुजरना पड़ेगा ।

(ii) जिन मामलों में सेवानिवृत रेल सेवक विभागीय/न्यायिक प्रक्रिया में दोष मुक्त नहीं ठहराया जाता है तथा दण्ड आरोपित करते हुए पेंशन के भाग को रोका जाता है या सरकारी अप्रसन्नता से अवगत करवाया जाता है तो कम्युटेशन उस दिन से देय होगा जिस दिन अंतिम निर्णय लिया गया बशर्ते है कि संबंधित कर्मचारी द्वारा ऐसे निर्णय की तिथि या उससे पूर्व कम्यूटेशन हेतु आवेदन किया हो। ऐसे मामले में कम्युटेशन मूल्य की गणना हेतु वही कम्यूटेशन फेक्टर लिया जायेगा, जिस दिन कम्युटेशन देय बनता है।

यदि कम्युटेशन हेतु आवेदन अंतिम निर्णय के आदेशों के बाद लेकिन एक वर्ष की अवधि के भीतर दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में कम्युटेशन, आवेदन करने की तिथि से देय होगा तथा कम्युटेशन मूल्य की गणना हेतु जिस तिथि से कम्युटेशन देयच है वही कम्युटेशन फेक्टर लिया जायेगा ।

(iii) सेवानिवृत रेल सेवकों को जिन्हें दोष मुक्त कर दिया गया है अथवा नहीं, यदि कम्युटेशन का आवेदन अंतिम निर्णय की तिथि से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् दिया गया हो तो कम्युटेशन चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तिथी से देय होगा तथा कम्युटेशन मूल्य की गणना हेतु कम्युटेशन फेक्टर वही लिया जायेगा जिस दिन कम्युटेशन देय है।

परिवार पेंशन योजना 1964: (नियम -75)

परिवार पेंशन नियम निम्न पर लागू होगें :–

1. दि. 01.01.1964 व उसके पश्चात् पेंशनरी सीापनाओं संबंधी सेवा में आने वाले रेल सेवकों पर ।

2. ऐसे रेल सेवक जो पेंशन योग्य सेवा में थे तथा 01.01.1964 से पूर्व सेवानिवृत या मृत हो गये तथा उन पेंशनरों पर भी लागू होगें जिन्होनें पहले परिवार पेंशन हेतु विकल्प नहीं दिया हो ।

3. मूल रूप में परिवार पेंशन योजना अंशदायी (contributary) थी तथा इस योजना के अन्तर्गत आने वाले रेल कर्मियों की मृत्यु एवं सेवानिवृति उपदान (DCRG) में से दो माह की परिलब्धियॉ (emoluments) की कटौती होती थी । दिनांक 22.09.77 से यह योजना गैर अंशदायी हो गई तथा यह निर्णित किया गया कि परिवार पेंशन योजना हेतु कोई अंशदान नहीं लिया जायेगा । (RBd's. letter No. F(E)III 76PN 1/23 dt. 06.10.77 (NR PS 6855)

तिथि जब से परिवार पेशन देय होगी:

1. किसी रेल सेवक को नियमित नियुक्ति से पूर्व चिकित्सा अधिकारी द्वारा रेल सेवा में नियुक्ति हेतु मेडिकल रूप से उपयक्त घोषित करने के बाद मृत्यु हो जाने के अगले दिन से ।

2. नियमित रेल सेवक की मृत्यु की तिथि के अगले दिन से ।

3. पेंशनर की मृत्यु होने पर उसकी मृत्यु की तिथि के अगले दिन से ।

परिवार पेंशन प्राप्त करने हेतु पात्रता :

परिवार पेंशन की स्वीकृति के लिए परिवार को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :

श्रेणी–।

1. अथवा विधुर को मृत्यु अथवा पुनर्विवाह की तिथि तक, जो भी पहले हो

2. पुत्र/पुत्री (विधवा पुत्री भी शामिल)को, उसकी शादी अथवा पुनर्विवाह अथवा उस तिथि तक जब तक अर्जन शुरू करता/करती है अथवा 25 वर्ष की आयु होने तक, जो भी पहले हो।

2(A) मानसिक/शारीरिक असक्षम बच्चे विवाह पश्चात्भी परिवार पेंशन के पात्र होगें । (RBE 12/13)

श्रेणी–।।

1. अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री (जो उपुर्यक्त श्रेणी–। में शामिल नहीं हो) उसके विवाह/पुनर्विवाह अथवा उस तिथि तक जब तक वह अर्जन शुरू नहीं करती अथवा उसकी मृत्यु की तिथि तक, जो भी पहले हो, 25 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित पुत्री भी दिनांक 06.09.07 से (RBE 116/07) विधवा/तलाकशुदा पुत्री जो 25 वर्ष से कम आयु की थी उन्हें दिनांक 01.01.98 से परिवार पेंशन शुरू की गई थी तथा दिनांक 25.08.04 से 25 वर्ष की उम्र पश्चात् भी परिवार पेंशन की पात्र होगी, की भॉति अन्य शर्तो को पूरा करने पर परिवार पेंशन की हकदार होगी । (इसे RBE 99/13 द्वारा आगे स्पष्ट किया गया है विधवा/तलाकशुदा पुत्री, अन्य शर्ते पूर्ण करने पर उस तिथि सें पेंशन प्राप्त करने की हकदार होगी जिस तिथि से इस हेतु उसकी बारी/नम्बर आता है।) परिवार पेंशन की स्वीकृति अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री को उनकी जन्म तिथि से क्रम में देय होगी। उनमें से उम्रे में छोटी परिवार पेंशन के लिए योग्य तब तक नहीं होगी जब तक की उससे अगली बड़ी पुत्री परिवार पेंशन के लिए अयोग्य नहीं हो जाती ।

25 वर्ष की आयु से बड़ी अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री को परिवार पेंशन केवल तभी दी जाएगी, जब 25 वर्ष से कम आयु के अन्य योग्य बच्चे को परिवार पेंशन प्राप्त करने से रोक दिया गया हो तथा परिवार पेंशन प्राप्त करने के लिए कोई अशक्त बच्चा नहीं हो । (RBE 152/06, 116/07 & 99/13)

विधवा/तलाकशुदा पुत्री अगर पिता/माता के स्वर्गवास के समय (जिसकी भी बाद में मृत्यु हुई हो) अगर वैवाहित जीवन व्यतीत कर रही थी तो परिवार पेंशन प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी। (RBE 109/14)

यदि बड़ी पुत्री ऐसे समय विधवा अथवा तलाकशुदा होती है जब उसकी छोटी विधवा/तलाकशुदा बहन पहले से ही परिवार पेंशन प्राप्त कर रही हो, तो इस स्थिति में छोटी विधवा/तलाकशुदा

पुत्री लगातार जीवन भर के लिए परिवार पेंशन प्राप्त करती रहेगी । बड़ी विधवा/तलाकभुदा पुत्री केवल तभी परिवार पेंशन की हकदार होगी जब परिवार पेंशन प्राप्त कर रही छोटी पुत्री नियमों के अनुसार आय व अन्य मानदण्डों के कारण अयोग्य हो गई है या उसकी मृत्यु हो गई है। (RBE 98/08)

किसी भी उम्र की विधवा/तलाकशुदा पुत्री परिवार पेंशन की पात्र होगी इस हेतु विधवा/तलाकशुदा पुत्री का अपने पिता के निवास पर रहना आवश्यक नहीं है तथा चाहे उसके बच्चे रोजगार में भी क्यों न हो । (RBE 44/05, 98/08)

2- माता–पिता जो रेल सेवक के जीवित रहते समय उस पर पूर्ण रूपेण आश्रित थे वे भी परिवार पेभान के पात्र है।कि यदि मृत कर्मचारी या तो अविवाहित अथवा उसके पीछे न तो उसकी विधवा और न ही बच्चे हो। आश्रित अविवाहित/तलाकशुदा/विधवा पुत्री को उनकी मृत्यु/पुनर्विववाह न करने तक परिवार पेंशन जारी रहेगी

मृत रेल कर्मचारी के माता–पिता भी मूल वेतन के 30% की दर से परिवार पेंशन प्राप्त करने के हकदार होगें, (01.01.98 से लागू) यदि वे रेल सेवक की सेवा के दौरान उस पर पूर्ण रूपेण आश्रित हो तथा उनकी किसी भी स्त्रोत से मासिक आय 3500/– रू. + वर्तमान मंहगाई राहत से अधिक नहीं होनी चाहिये (01.01.2006 से लागू) उन्हें पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी को प्रति वर्ष आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । यदि माता व पिता दोनों जीवित हो तो परिवार पेंशन पहले मृत रेल सेवक की मॉ को देय होगी । परिवार पेंशन केवल तभी स्वीकृत होगी जब मृत कर्मचारी के अपने पीछे विधवा/विधुर/योग्य पुत्र और पुत्री न हो (RBE 195/99, 128/11)

अविवाहित/तलाकशुदा/विधवा पुत्रियॉ जो श्रेणी–।। में है तथा आश्रित माता–पिता को परिवार पेंशन केवल तभी देय होगी जब श्रेणी–। के अन्य योग्य परिवार सदस्यों को परिवार पेंशन के हकदार होने से रोका गया हो तथा परिवार पेंशन प्राप्त करने के लिए कोई अशक्त बच्चा भी नहीं हो। सम्बन्धित श्रेणीयों में बच्चों को परिवार पेंशन की स्वीकृति उनकी जन्म तिथि के क्रम अनुसार देय होगी तथा उनमें से छोट को परिवार पेंशन के योग्य तब तक नहीं माना जाएगा जब तक की उससे अगली बड़ा बच्चा इस श्रेणी में परिवार पेंशन की स्वीकृति के लिए अयोग्य नहीं हो जाता ।

इस संबंध में DOPT द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि जहॉ मृत रेल कर्मचारी की विधवा व बच्चे न हो तो आश्रित माता – पिता सीधे ही परिवार पेंशन के हकदार हो जायेगें । लेकिन जहा विधवा या बच्चे है वहा माता –पिता को परिवार पेंशन विधवा/बच्चों की हकदारी/योग्यता समाप्त होने पर ही देय होगी (आय संबंधी भार्त पूर्ण करने पर) (RBE 128/11)

रेल सेवक/पेंशनर के आश्रित अशक्त भाई बहन को भी परिवार की परिभाषा में शामिल किया गया है तथा वे भी दिनांक 07.08.09 या हकदारी की तिथि, जो भी बाद में हो, से परिवार पेंशन के हकदार है। (RBE 159/09)

पेंशनर/परिवार पेंशनर की मृत्यु पश्चात् बुर्जुग माता/पिता व विकलांग बच्चों/सहोदर भाई या बहन (sibiling) को संशोधित PPO's को जारी कराने हेतु होने वाली दिक्कतों के मददेनजर यह निश्चित किया गया है कि कर्मचारी/पेंशनर/परिवार पेंशनर द्वारा सेवानिवृति पूर्व या पश्चात्/कर्मचारी की मृत्यु पश्चात् किसी भी समय इस में आवेदन दिया जा सकता है तथा ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित प्राधिकारी ऐसे विकलांग बच्चे/सहोदर भाई या बहन/माता–पिता के पक्ष में, सभी शर्त पूर्ण करने पर, स्वीकृति आदेभा जारी करेगें तथा यथोचित समय इस आधार पर इन्है परिवार पेंशन देय होगी तथा कोई अन्य आदेश/Authorization की आवश्यकता नही होंगी। (RBE 26/13)

ऐसे माता (विधवा) व पिता (विधुर) जो अपने पति /पत्नि की मृत्यु के कारण 3500/– प्रतिमाह से अधिक परिवार पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, वे अपने सेवारत पुत्र/पुत्री के स्वर्गवास के कारण दूसरी परिवार पेंशन निम्न शर्तों सहित प्राप्त करने के हकदार होगें:–

1. आश्रित मानकों के निर्धारण हेतु पेंशन/परिवार पेंशन में देय मंहगाई राहत को 3500/– रूपये की सीमा से बाहर रखा जायेगा।

2. माँ (विधवा) पिता (विधुर) जो अपने मृत पति/पत्नि के लेखे पर पेंशन/परिवार पेंशन 3500/– रू प्रतिमाह से अधिक प्राप्त कर रहे हों (लागू मंहगाई राहत के बिना) उन्हें भी उसकी/उसके पुत्र/पुत्री की मृत्यु के परिणाम स्वरूप परिवार पेंशन/द्वितीय परिवार पेंशन मृत्यु की तिथि या पुनर्विवाह जो भी पहले हो, तक देय होगी। (RBE 50/07 & 112/08)
नोटः आश्रित पेंशन लाभार्थी को पूर्व के एक मृत कर्मचारी/पेंशनर के कारण देय परिवार पेंशन को आश्रित मानकों के निर्धारण हेतु गणना में नहीं किया जायेगा। (RBE 05/12)

उपर्युक्त परिवार पेंशन की स्वीकृति अन्य सभी शर्तों को पूरा करने पर आधारित होगी।
3. 01.01.2006 से परिवार पेंशन के लिये आश्रितता मानक न्यूनतम परिवार पेंशन तथा उस पर देय मंहगाई राहत के साथ होगी। (RBE 112/08)
4. मृत रेल कर्मचारी की ऐसी विधवा जिसके संतान नहीं हो, उसकी पुनर्विवाह के बाद भी इस शर्त के साथ परिवार पेंशन का भुगतान तब तक जारी रहेगा जब तक कि सकी स्वतंत्र आय अन्य सभी स्त्रोतों से केन्द्र सरकार द्वारा देय निर्धारित न्यूनतम परिवार पेंशन के बराबर या अधिक न हो जायें। ऐसे मामलों में परिवार पेंशनर द्वारा पेंशन वितरण प्राधिकारी को प्रत्येक छः माह से उसकी अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय के सम्बन्ध में घोषणा देनी आवश्यक होगी। (RBE 112/08 & 48/11)
इस सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड/DOPT के पत्र दिनांक 11.04.2011 द्वारा स्पष्ट किया गया हैं कि 01.01. 2006 से पूर्व मृत रेल कर्मी की संतान विहिन विधवा परिवार पेंशन की पात्र होगी चाहे उस विधवा का पुर्न विवाह 01.01.2006 के पूर्व हुआहो या बाद में। हालांकि ऐसे मामलों में वित्तीय लाभ दिनांक 01.01.2006 से ही उपार्जित (accrue) होगा। (RBE 48/11)
5. यदि रेल कर्मचारी का पुत्र/पुत्री मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त, जिसमें मंदबुद्धि, शारीरिक रूप से अपंग, नेत्रहीन या निःशक्ता सम्मिलित है, जिस कारण वह 25 वर्ष की आयु होने के बाद भी आजीविका उपार्जन करने में अशक्त है, तो ऐसे पुत्र/पुत्री को आजीवन परिवार पेंशन देय होगी। [(नियम 75(6)]
6. (i) अशक्त/मंद बुद्धि बच्चों को परिवार पेंशन देने से पूर्व मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण–पत्र आवश्यक है। मेडिकल बोर्ड में चिकित्सा निदेशक या मुख्य चिकित्सा अधीक्षक या क्षेत्रीय अस्पताल या मण्डल प्रभारी तथा दो अन्य सदस्य होगें जिनमें से एक सदस्य मनोरोग/शारीरिक अपंगता क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा। अशक्त/मंदबुद्धि बच्चे की परिवार पेंशन प्राप्त करने वाले अभिभावक द्वारा, यदि अपंगता स्थाई तो एक बार व यदि अपंगता अस्थाई हो तो पाँच वर्ष में एक बार चिकित्सा बोर्ड का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। (RBE 157/08, 118/14)
(ii) मानसिक विकार से ग्रस्त पुत्र/पुत्री के मामलें में परिवार पेंशन रेल सेवक अथवा पेंशनर द्वारा नामित व्यक्ति को देय होगी। रेल कर्मचारी अथवा पेंशनर द्वारा अगर अपने जीवन के दौरान ऐसा कोई नामांकन कार्यालय को प्रस्तुत नहीं कियाहो, तो बाद में पति/पत्नि पेंशनर द्वारा नामित व्यक्ति को, मानसिक विकार से ग्रस्त पुत्र/पुत्री के सम्बन्ध में परिवार पेंशन संरक्षक के तौर पर देय होगी। यदि वह अवयस्क है तो न्यायालय द्वारा जारी संरक्षकता प्रमाण–पत्र के आधार पर संरक्षक के माध्यम से देय होगी। (RBE 100/2000)
(iii) शारीरिक/मानसिक विकार ग्रस्तता के सम्बन्ध में प्रशासन को सूचना न देना मात्र सम्बन्धित व्यक्ति को परिवार पेंशन से अपात्र नहीं कर सकता। (RBE 12/10 & 120/12)
(iv) संरक्षक का नामांकन नहीं होने के मामले में स्थानीय स्तर समिति (राष्ट्रीय न्यास अधिनियम–1999 के अधीन गठित प्राधिकृत निकाय) द्वारा जारी कानूनी संरक्षकता प्रमाण–पत्र को भी न्यायालय से जारी संरक्षकता प्रमाण–पत्र की बाध्यता के बिना स्वीकार किया जा सकता है। (RBE 197/05)

नोटः अभिभावक/पुत्र/पुत्री का यह कर्त्तव्य होगा कि वे प्रति वर्ष कोषालय/बैंक में एक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगें किः–
(i) उसने आजीविका कमाना शुरू नहीं किया हैं।

(ii) पुत्री के मामले में उसकी अभी तक शादी नहीं हुई हैं। (RBE 73/09)
(मानसिक/शारीरिक असक्षम बच्चे विवाह पश्चात भी परिवार पेंशन के पात्र होगें।) (RBE 12/13)

7. परिवार पेंशन के ऐसे मामलों में जहाँ कर्मचारी/पेंशनर द्वारा विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत विवरण/दस्तावेजों में परिवार के सदस्यों (यथा विधवा/तलाकशुदा/अविवाहित पुत्री तथा आश्रित विकलांग भाई या बहन (dependent disabled sibbing) का नाम नहीं दिया गया हैं, के सम्बन्ध में DOPT/रेल मंत्रालय द्वारा स्पष्ट किया गया हैं कि कर्मचारी/पेंशनर की विधवा/तलाकशुदा/अविवाहित पुत्री तथा आश्रित विकलांग भाई या बहन सम्बन्धित आदेश जारी होने की तिथि से परिवार पेंशन प्राप्त करने के पात्र यह देखे बिना होगें कि कर्मचारी/पेंशनर की मृत्यु तिथि क्या हैं। ऐसे मामलों में वित्तीय लाभ सम्बन्धित आदेश जारी होने की तिथि से देय होगें। (RBE 69/11)

8. जब परिवार पेंशन एक से अधिक विधवाओं को दी जानी हो तो सभी को बराबर हिस्सों में दी जायेगी तथा किसी विधवा की मृत्यु हो जाने पर परिवार पेंशन का उसका हिस्सा उसके योग्य बच्चे को देय होगा। लेकिन यदि उसे विधवा के कोई बच्चा नहीं है तो परिवार पेंशन का उसका हिस्सा समाप्त नहीं होगा बल्कि दूसरी विधवाओं में बराबर हिस्सों में तथा जहाँ एक ही विधवा हो तो उसे ही पूरा हिस्सा देय होगा।

9. जहाँ रेल कर्मचारी के जुड़वा बच्चे हो तो परिवार पेंशन इस प्रकार के जुड़वा बच्चों को समान हिस्सों में देय होगी। यदि इनमें से कोई बच्चा परिवार पेंशन प्राप्त करने के अयोग्य हो जाता है तो परिवार पेंशन का उसका हिस्सा समाप्त नहीं होगा तथा दूसरे जुड़वा बच्चे को देय होगा किन्तु यदि दोनों बच्चे अयोग्य हो जाते है तो परिवार पेंशन अगले योग्य अकेले/जुड़वा (जैसा भी मामला हो) बच्चे को देय होगी।

अवयस्क बच्चे की परिवार पेंशन संरक्षकता प्रमाण के आधार पर संरक्षक को अथवा न्यायालय द्वारा नियक्त संरक्षक के माध्यम से दी जायेगी। (RBE 71/04)

10. सौतेली माँ परिवार पेंशन के लिये परिवार की परिभाषा में नहीं आती हैं।

11. सेवानिवृत्ति के बाद के पति/पत्नी भी पेंशनर्स की मृत्यु की तिथि के अगले दिन से परिवार पेंशन के हकदार हैं (RBE 13/91) ऐसे मामलों में निम्न प्रक्रिया अपनाई जानी चाहियेः–

(i) जैसे ही पेंशनर्स द्वारा विवाह/पुनर्विवाह किया गया है तो वह इस घटना से (विवाह प्रमाण–पत्र की प्रति के साथ) उस कार्यालय प्रधान को अवगत करवायें जिसके द्वारा उसका पेंशन प्रकरण तैयार किया गया था।

(ii) कार्यालय प्रधान, सत्यापन के पश्चात पेंशन भुगतान आदेशों में शुद्धिकरण हेतु कागजात लेखा कार्यालय को भेजेगा।

जहाँ पूर्व विवाह से पेंशनर्स के कोई बच्चा नहीं है तो सेवानिवृत्ति पश्चात के पति/पत्नी पूरी परिवार पेंशन के पात्र हैं तथा जहाँ पूर्व विवाह से पेंशनर्स के कोई बच्चा है तो ऐसे मामलें में MRPR के पेरा 801(10) के अनुरूप परिवार पेंशन देय होगी।

(iii) लेखा कार्यालय द्वारा शुद्धिकृत पेंशन भुगतान आदेश की प्रति सम्बन्धित पेंशन वितरण एजेन्सी के साथ एक प्रति पेंशनर्स को भेजी जायेगी।

(iv) बच्चे, जिसमें सेवानिवृत्ति पश्चात पैदा हुये बच्चे भी सम्मिलित हैं, के मामलें में उस समय लेखा विभाग द्वारा नया पेंशन भुगतान आदेश जारी किया जायेगा जबकि उन बच्चों की परिवार पेंशन प्राप्त करने की बारी आयेगी। [RBd's L.No.: 87AC II/33 dt. 29.09.93 (P.No.: 360 of RBO 93)]

12. यदि कोई रेल सेवक गुम/खो जाता है एवं उसका पता नहीं चलता है तो उसके बकाया निपटान का भुगतान उसके नामित/वारिस को गायब होने के अगले माह से सात वर्ष की समाप्ति पर इस शर्त पर किया जायेगा कि दावेदार द्वारा कर्मचारी की मृत्यु के उचित व अविवादित साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हो अथवा न्यायालय का निर्णय/आदेश प्रस्तुत किया गया हो कि सम्बन्धित कर्मचारी को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के अनुसार मृत मान लिया गया हो। [RBd L.No.:F(E)III/86/PN-I/17 dt.19.09.86 (RBE 63/91,3/94,8/92,190/02 & 68/13)]

इस हेतु निम्न प्रक्रिया शर्तों की पूर्ति आवश्यक हैः–

(i) यदि कोई रेल सेवक गुम हो जाता है एवं उसका पता नहीं लगता हो, तो उसके परिवार द्वारा सम्बन्धित पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिये एवं एक रिपोर्ट प्राप्त करनी चाहिये की कर्मचारी को पुलिस द्वारा पूर्ण प्रयास करने के बाद भी खोजा नहीं जा सका है।
(ii) कर्मचारी के परिवार सदस्य/आश्रित से एक क्षतिपूर्ति बाण्ड लिया जायेगा कि यदि वह (कर्मचारी) मिल जाता है या उपस्थित होकर दावा करता है तो ऐसे सभी भुगतान कर्मचारी को देय भुगतान में से समायोजित कर दिये जायेगें।
(iii) प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर परिवार के पात्र सदस्य को बकाया अंतिम वेतन, भविष्य निधि, छुट्टी वेतन का भुगतान कर दिया जायेगा।
(iv) प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के छः माह बाद परिवार पेंशन (RBE 98/10 & 24/12) एक साल बाद समूह बीमा योजना की बचत निधि, सेवानिवृत उपादान, का भुगतान किया जायेगा, तथा
(v) सात वर्ष बाद समूह बीमा योजना की पॉलिसी राशि उपादान का अंतर अर्थात् मृत्यु उपादान (–) सेवानिवृत्ति उपादान गुम कर्मचारी के नामिनी/वारिस को उपर्युक्त शर्तों को पूर्ण करने पर देय होगा फिर चाहे गायब कर्मचारी की अधिवार्षिता सेवानिवृत्ति गायब होने के अगले माह से सात वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले ही क्यों न पड़ती हो।
13. सरकारी सेवक का विद्रोही/आतंकवादियों द्वारा अपहरण कर लिये जाने पर परिवार के योग्य सदस्य को पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के छः माह बाद परिवार पेंशन देय होगी तथा सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु उपादान के भुगतान/स्वीकृति के सम्बन्ध में वहीं प्रक्रिया व नियम लागू होगें जो गुम व्यक्ति के मामलें में लागू होते हैं। (RBE 75/09)
14. यदि पत्नि और पति दोनों रेलवे/सरकारी कर्मचारी हो, तथा पेंशन नियम व्यवस्था द्वारा शासित हो तथा उनमें से एक की मृत्यु सेवा के दौरान या सेवानिवृत्ति के बाद हो जाती है तो मृत कर्मचारी के सम्बन्ध में परिवार पेंशन जीवित पति/पत्नि को देय होगी तथा पति/पत्नि दोनों की मृत्यु हो जाने के मामले में जीवित बच्चे/बच्चों को यह देय होगी। मृत माता–पिता के सम्बन्ध में दो परिवार पेंशन, नीचे दी गई सीमा के आधार पर देय होगीः– (RBE 132/05)
(i) यदि जीवित बच्चा/बच्चे बढ़ी हुई दर पर दो परिवार पेंशन पाने के हकदार हो तो दोनों मिलाकर 15000/– रूपये मासिक तक सीमित रहेगी।
(ii) यदि जीवित बच्चा/बच्चे दो परिवार पेंशन, एक सामान्य दर पर तथा दूसरी बढ़ी हुई दर पर, पाने के हकदार है तो दोनों की राशि 15000/– रूपये मासिक तक सीमित रहेगी।
(iii) यदि जीवित बच्चा/बच्चे सामान्य दर पर दो परिवार पेंशन पाने के हकदार है तो दोनों की राशि मिलाकर 9000/– रूपये मासिक पर सीमित रहेगी।
उपर्युक्त परिवार पेंशन की स्वीकृति अन्य शर्तों को पूरा करने पर आधारित होगी।
15. मृत सरकारी कर्मचारी/पेंशनर के अमान्य विवाह से हुये बच्चे भी अपनी बारी आने पर पेशनरी लाभों के हकदार होगें हालांकि ये बच्चे तब तक परिवार पेंशन के पात्र नहीं होगें जब तक विधिक विवाहित पत्नि परिवार पेंशन प्राप्त कर रही हैं। (RBE 30/97)
परन्तु उपरोक्त निर्देशों में संशोधन करते हुये विनिश्चित किया गया हैं कि मृत सरकारी कर्मचारी/पेंशनर के अमान्य विवाह से हुये बच्चे भी विधिक विवाहित पत्नि के साथ–साथ परिवार पेंशन के पात्र होगें। (RBE 150/12)
01.01.1996 से परिवार पेंशन अंतिम वेतन का 30% के आधार पर निकाली जायेगी, जो कि न्यूनतम 1275/– रूपये (01.04.2004 से 1913/– रूपये) होगी और सरकार में उसके उच्चतम वेतन का अधिकतम 30% से अधिक नहीं होगी। यदि इस प्रकार गणना करते समय कोई राशि 1913/– रूपये से कम आये तो परिवार पेंशन को 31.12.2005 तक 1913/– रूपये पर निर्धारित की जायेगी एवं 01.01.2006 को या उससे आगे न्यूनतम 3500/– रूपये रहेगी। (RBE 149/08)
16. पति/पत्नि के अतिरिक्त परिवार के ऐसे सदस्य द्वारा परिवार पेंशन आवेदन करने पर जिसका नाम/विवरण कार्यालय रिकार्ड में उपलब्ध नहीं हैं, उसके द्वारा पीपीओ की प्रति ही उपलब्ध करवाई गई हैं तो ऐसी स्थिति में फार्म 14 अनुसार दिया गया प्रमाण–पत्र स्वीकार किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त पेन कार्ड, दसवीं का प्रमाण–पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, CGHS भी स्वीकार किये जाने चाहिये। (RBE 22/12)

बढ़ी हुई दर पर परिवार पेंशन : (नियम 75)

ऐसे रेल सेवक जो कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 द्वारा शासित नहीं है उनकी 7 साल व उससे अधिक की लगातार सेवा किये जाने के बाद सेवानिवृत्ति/बर्खास्तगी/नौकरी से हटाये जाने के बाद मृत्यु हो जाती है तथा वह किसी भी प्रकार की पेंशन प्राप्त करने के योग्य/हकदार था तो उनके परिवार को परिवार पेंशन कर्मचारी द्वारा आहरित अन्तिम वेतन के 50% के समान अथवा दुगनी दर पर परिवार पेंशन, (जो भी कम हो) देय होगी। यह लाभ अधिकतम 07 वर्ष की अवधि तक, उस तिथि तक जबकि रेल सेवक की आयु 67 वर्ष हो, इनमें से जो भी पहले हो, तक देय होगी। (RBE 49/99)

जब कोई रेल सेवक कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 द्वारा शासित हो तथा 07 वर्ष व उससे अधिक की सेवा करने के बाद सेवानिवृत्ति/बर्खास्तगी/नौकरी से हटाये जाने के बाद मृत्यु हो जाती हैं तथा वह किसी भी प्रकार की पेंशन प्राप्त करने के योग्य/हकदार था तो उसके परिवार को मिलने वाली परिवार पेंशन की दर उसके द्वारा अंतिम आहरित वेतन के 50% के बराबर या परिवार पेंशन का डेढ़ गुना, दोनों में से जो भी कम हो, देय होगी।

उपर्युक्त अनुबन्धों में देय परिवार पेंशन की राशि किसी भी मामलें में कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर उसको स्वीकृत पेंशन की राशि से अधिक नहीं होगी।

उपरोक्त नियमों में आंशिक संशोधन हो गया है तथा अब किसी रेल सेवक की के दौरान मृत्यु हो जाने पर रेल सेवक की मृत्यु की तिथि के अगले दिन से 10 वर्ष तक, बिना ऊपरी आयु सीमा की शर्त के, बढ़ी हुई दर पर नियमों के अधीन उसके परिवार को परिवार पेंशन देय होगी, लेकिन किसी पेंशनर की मृत्यु के मामले में उसके परिवार को बढ़ी हुई दर पर देय परिवार पेंशन की अवधि में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

फिर भी ये आदेश उस मामले में लागू नहीं होगें, जहाँ बढ़ी हुई दर पर देय परिवार पेंशन की 07 वर्ष की अवधि 01.01.2006 को पूरी हो चुकी हो तथा उसका परिवार इस तिथि को सामान्य परिवार पेंशन प्राप्त कर रहा हो। (RBE 149/08)

योग्य विधवा/तलाकशुदा/कुवारी पुत्रियाँ 25 वर्ष की आयु के पश्चात भी बढ़ी हुई दर से परिवार पेंशन प्राप्त करने की हकदार रहेगी। (RBE 150/11)

पुरानी परिवार पेंशनरों के लिये :

पुराने परिवार पेंशनरों के लिये उपलब्ध परिवार पेंशन की मात्रा निम्नानुसार बढ़ाई गई है:–

परिवार पेंशन की आयु	परिवार पेंशन की अतिरिक्त मात्रा
80 से 85 वर्ष के बीच	परिवार पेंशन का 20%
85 से 90 वर्ष के बीच	परिवार पेंशन का 30%
90 से 95 वर्ष के बीच	परिवार पेंशन का 40%
95 से 100 वर्ष के बीच	परिवार पेंशन का 50%
100 वर्ष और अधिक	परिवार पेंशन का 100%

परिवार पेंशन की अतिरिक्त मात्रा राशि पेंशन भुगतान आदेश में अलग से दर्शायी जायेगी। (RBE 146/08)

80 वर्ष और अधिक की आयु पूर्ण होने पर परिवार पेंशन की अतिरिक्त मात्रा उस माह के प्रथम दिन से देय होगी जिसमें कर्मचारी की जन्मतिथि पड़ती हो, पेंशन की अतिरिक्त मात्रा पर मंहगाई राहत भी देय होगी।

यदि पेंशनर/परिवार पेंशनर की सही जन्मतिथि कार्यालय रिकार्ड में नहीं हो किन्तु उसकी आयु के सम्बन्ध में कोई संकेत/जानकारी उपलब्ध हो तो अतिरिक्त पेंशन/परिवार पेंशन पेंशनर/परिवार पेंशनर की आयु 80 वर्ष, 85 वर्ष आदि होने के अगले वर्ष की पहली जनवरी से देय होगी। यदि पेंशन भुगतान आदेश या कार्यालय रिकार्ड में सही जन्मतिथि/उम्र उपलब्ध नहीं हो तो पेंशन/परिवार पेंशनर को उसकी जन्मतिथि/आयु के सम्बन्ध में सूचना नहीं होने के सम्बन्ध में सूचित किया जायेगा तथा उसे निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक की राजपत्रित

अधिकारी/विधानसभा सदस्य द्वारा सत्यापित प्रमाणित चार प्रतियाँ पेंशन वितरण प्राधिकारी के पास जमा करानी होगीः–

1.पेन कार्ड, 2.पासपोर्ट, 3.केन्द्रीय समूह स्वास्थ्य योजना कार्ड (CGHS Card)] 4. दसवीं का प्रमाण–पत्र अथवा ड्राईविंग लाइसेंस (जिसमें जन्मतिथि के बारे में सूचना दी गई हो) (RBE 190/08)

वोटर पहचान पत्र व unique identification Authority of India (UDAI) को भी आये/जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते पेंशनर/परिवार पेंशनर यह प्रमाणित करें कि वह दसवीं पास नहीं हैं तथा उसके पास उपर्युक्त उल्लिखित दस्तावेों में से कोई भी नहीं हैं। (RBE 146/09 & 124/11)

सेवानिवृत्त परिचय पत्र, विधवा पास परिचय पत्र, रेलवे मेडिकल आईकार्ड को भी आयु/जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता हैं। (RBE 169/2000)

पेंशन से सम्बन्धी कुछ महत्वपूर्ण :

1. भारतीय रेरलवे में उत्तर रेलवे द्वारा 01.08.1986 को पहली पेंशन अदालत आयोजित की गई।
2. पेंशनर की संतुष्टि हेतु उसे विस्तृत पेंशन गणना शीट दी जानी चाहिये।
[(RBd's L.No.: 92AC-II/21/121 dt. 26.10.1992 (P.S.No. 633 of RBO 92)]
3. अशक्तता पेंशन की राशि सामान्य परिवार पेंशन से कम नहीं होगी।
(रेल सेवक पेंशन नियम 1993 का नियम 69 सी)
4. सेवानिवृत्ति के समय पेंशन योग्य अर्हक सेवा वाले रेल सेवक की सम्बन्धित वेतनमान में न्यूनतम वेतन का 50% से कम पेंशन की राशि नहीं होगी। (RBE 112/08)
5. बढ़ी हुई परिवार पेंशनर की मूल पेंशन से अधिक नहीं होगी।
(रेल सेवक पेंशन नियम 1993 का नियम 75 (4) (बी))
6. अन्तिम निर्धारण के बाद एक बार स्वीकृत पेंशन को पेंशनर का अहित करने हेतु संशोधित नहीं किया जा सकता है, यह संशोधन तब ही किया जायेगा जब कि लिपिकीय त्रुटि के कारण ऐसा हुआ हो।
(रेल सेवक पेंशन नियम 1993 का नियम 90)
7. यदि कोई रेल कर्मचारी अथवा मृत रेल कर्मचारी का परिवार किसी भी श्रेणी की पेंशन/परिवार पेंशन का हकदार है तो वे प्रतिमाह 3500/– रूपये से कम प्राप्त नहीं करेगें। (RBE 112/08)
8. रेलवे में अधिकतम पेंशन, अधिकतम वेतन की 50 होगी किन्तु न्यूनतम पेंशन 3500/– रूपये मासिक। (RBE 112/08)
9. सेवानिवृत के बाद के पति/पत्नी भी पेंशनर की मृत्यु की तिथि की अगली तिथि से परिवार पेंशन के हकदार होगें। (RBE 13/09 & 41/2000)
10. मृत सरकारी कर्मचारी/पेंशनर के अमान्य विवाह से उत्पन्न बच्चों को भी पेंशनरी परिलाभ उनकी बारी आने पर देय होगा किन्तु वे कानूनी शादी शुदा पत्नी के पेंशन प्राप्त करने के दौरान इसके लिये दावा नहीं कर सकते है।
(RBd's L.No.: F (E) III/07/PN 1/3 dt. 14.02.1997, NRPS 11355/97 & RBE 30/97)

परन्तु उपरोक्त निर्देशों में संधोधन करते हुये यह विनिश्चित किया गया हैं कि मृत सरकारी कर्मचारी/पेंशनर के अमान्य विवाह से हुये बच्चे भी विधिक विवाहित पत्नी के साथ–साथ परिवार पेंशन के पात्र होगें। (RBE 150/12)

11.''विवाहित'' पुत्र या पुत्री जो किसी व्याधि जैसे मानसिक अशक्तता, जिसमें मानसिक/शारीरिक निःशक्तता या अशक्तता भी सम्मिलित हैं, वे परिवार पेंशन के हकदार नहीं होगें। (RBE 133/05)

लेकिन इस प्रावधान में संशोधन कर दिया गया हैं तथा अब मानसिक/शारीरिक असक्षम बच्चे ''विवाह पश्चात'' भी परिवार पेंशन के पात्र होगें। (RBE 12/13)

12. समूह बीमा योजना तथा छुट्टी वेतन (Leave encashment) का देरी से भगुतान होने पर इन पर ब्याज देय नहीं हो, क्योंकि ये सेवानिवृत्ति परिलाभों की प्रकृति में नहीं आते हैं। (RBE 15/2000 & 72/12)

13. 01.01.2006 से पूर्व सेवानिवृत कर्मचारी जो कि 6500–10500 के पूर्व संशोधित वेतनमान में थे, वे इस वेतनमान की वेतन आयोग पश्चात संशोधित ग्रेड पे 4600/– के अनुरूप अपनी पेंशन/परिवार पेंशन के उन्नयन (Stepping up) के पात्र नहीं होगें। (RBE 141/11)
14. 01.01.1996 के पूर्व का पेंशनर/परिवार पेंशनर अगर पेंशन/परिवार संशोधन हेतु आवेदन करता हैं उस पर समय सीमा सम्बन्धी दबाव दिये बिना यथोचित कार्यवाही की जानी चाहिये। (RBE 01/12)
15. फौज तथा/या सिविल सेवा के मामले में दो परिवार पेंशन देय होगी। (RBE 12/13)
16. उचित नामांकन (Valid nomiknation) न होने की अवस्था में पेंशन भुगतान। (RBE 06/96, 80/13)
17. Extra Ordinary Pension हेतु नोटिफिकेशन जारी किया गया। (RBE 96/13)
18. The Railway Service (Pension) amendment Rules 2013 सम्बन्धी नोटिफिकेशन जारी किया (RBE 97/13)

अनुग्रह अदायगी (Ex-gratia Payment) %

ऐसे एस आर पी एफ (अंशदायी) विकल्प वाले कर्मचारियों (जो दिनाक 01.04.1957 से 31.12.1985 के बीच मृत्यु /सेवानिवृत्त हुये हो) की विधवा /बच्चें भी अनुग्रही अदायगी के 01.01.1986 से हकदार होगें। यह कर्मचारी की मृत्य की अगली तिथि से रूपये 150 + मंहगाई राहत प्रतिमाह की दर से देय होगी, यदि वे इस सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड द्वारा समय–समय पर जारी शर्तों को पूरा करते हो।

एसआरपीएफ (अंशदायी) योजना वाले ऐसे रेल कर्मचारी जिन्हें जो सेवा से बर्खास्त, निष्कासित किया गया हो या जिन्होंने इस्तीफा दिया है, उनकी विधवा /बच्चे अनुग्रही अदायगी के हकदार नहीं होगें।

01.11.1997 से अनुग्रही अदायगी की दर रूपये 605 + लागू मंहगाई राहत के रूप में बढ़ा दी गई हैं।

1986 से पूर्व सेवानिवृत/मृत एसआरपीएफ अंशदायी योजना के लाभार्थियों की विधवा /तलाकशुदा पुत्रियों को उनकी 25 वर्ष की उम्र होने के बाद अनुग्रही अदायगी का लाभ नहीं दिया जायेगा जैसा कि अविवाहित पुत्री के मामलें में होता है। (RBE 13/09)

एसआरपीएफ (अंशदायी) लाभार्थियों को अनुग्रही अदायगी : (RBE 170/06)

एसआरपीएफ (अंशदायी) लाभार्थियों को निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर दिनांक 01.11.1997 से रूपये 600/– तथा दिनांक 04.06.13 से रूपये 645/– + मंहगाई राहत प्रतिमाह की दर से अनुग्रही अदायगी का हकदार माना गया है। (RBE 75/13)

अनुग्रही अदायगी की संशोधित दरें दिनांक 01.11.2006 से निम्नानुसार रहेगीः–

समूह ''ए'' रूपये 3000 + मंहगाई राहत /प्रतिमाह
समूह ''बी'' रूपये 1000 + मंहगाई राहत /प्रतिमाह
समूह ''सी'' रूपये 750 + मंहगाई राहत /प्रतिमाह
समूह ''डी'' रूपये 650 + मंहगाई राहत /प्रतिमाह

अनुग्रही अदायगी उन जीवित सेवानिवृत एसआरपीएफ (अंशदायी) विकल्प कर्त्ताओं के लिये हो जो :–

1. दिनांक 01.04.1957 से 31.12.1985 के बीच सेवानिवृत्त हुये हों, बशर्त है कि उन्होंने अधिवार्षिता सेवानिवृत्ति से पूर्व लगातार कम से कम 20 वर्ष की सेवा की हो।
2. इन अनुदेशों के अधीन जिन्हें अनुग्रही अदायगी स्वीकृत की गई उन्हें भी समय–समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार मंहगाई अनुग्रही तथा मंहगाई राहत देय होगी।
3. एस आर पी एफ (अंशदायी) योजना के किसी भी समूह के जीवित सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी जो दिनांक 01.11.2006 से अनुग्रही राशि ले रहे थे तथा बाद में मृत हो गये तो उनके

उत्तराधिकारी को रूपये 605 + डियरनेस एक्सग्रेसिया + डियरनेस रिलीफ की अदायगी की जायेगी। (RBE 170/06)

4. ऐसे एस आर पी एफ (अंशदायी) के कर्मचारी जो दिनांक 01.01.1986 से पूर्व 20 वर्ष की लगातार सेवा पश्चात स्वेच्छिक सेवानिवृत्त या मेडिकल अयोग्य होने के कारण सेवानिवृत्त हुये हैं, वे भी अनुग्रह अदायगी के हकदार होगें। (RBE 69/13)

भविष्य निधि :

रेल कर्मचारी सेवानिवृत्ति, मृत्यु, इस्तीफा, निष्कासन, बर्खास्तगी की तिथि को उसके भविष्य निधि खाते में कुल शेष राशि तथा उस पर प्रचलित दरों से ब्याज पाने का हकदार होगा।

अधिवार्षिता की आयु पर सेवानिवृत्त होने वाले रेले कर्मचारी सेवानिवृत्ति की तिथि से पहले के एक वर्ष में जमा राशि मय ब्याज की राशि के 90% तक की राशि अन्तिम निकाकसी के रूप में आहरित कर सकते हैं।

सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु की दशा में भविष्य निधि की जमा राशि मय ब्याज का भुगतान नामांकन के आधार पर कर दिया जायेगा। यदि नामांकन उपलबध नहीं है तो राशि का वितरण परिवार में दर्शाये गये सदस्यों को बराबर हिस्सों में कर दिया जायेगा। यदि परिवार में कोई सदस्य नहीं हैं। तो सक्षम न्यायालय द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र के आधार पर भुगतान किया जायेगा।

यदि मृत कर्मचारी के परिवार में केवल अवयस्क बच्चा ही हो तो, भुगतान कानूनी संरक्षक को कर दिया जायेगा। हिन्दु धर्म में माँ व मुसलमानों में पिता को प्रकृतिक संरक्षक माना गया है। ईसाई एवं अन्य भारतीय, संरक्षकता अधिनियम 1925 से शासित है तथा इस लेखे भुगतान, कानूनी संरक्षक को संरक्षकता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर दिया जायेगा।

[(वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु भविष्य निधि पर ब्याज दर 8.7 रहेगी – (RBE 37/13)]

भविष्य निधि में जमा सम्बद्ध बीमा
(Deposit linked Insurance scheme) - (RBE 238/98)

यह योजना कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु के समय उसके भविष्य निधि खाते में जमा राशि से सम्बन्धित है तथा इस हेतु अलग से कोई अंशदान नहीं करना होता है। इस योजना के लाभ हेतु कम से कम 5 वर्ष की सेवा आवश्यक है तथा इस योजना के अन्तर्गत अधिकतम रूपये 60000/– का भुगतान किया जाता सकता है।

इस हेतु आवश्यक है कि अंशधारक की जमा शेष कर्मचारी की मृत्यु के माह से पिछले तीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित सीमा से कम नहीं होना चाहियेः– (यह आदेश दिनांक 06.06.2009 से प्रभावी हैं।) (RBE 221/09)

1. रेलवे सेवा (संशोधित वेतन नियम 2008) के अनुसार अंशदाता जिस पद को धारण करता है वह पे बैण्ड–02 (रूपये 9300–34800) या ऊपर के हो तथा ग्रेड पे रूपये 4800/– प्रतिमाह या अधिक प्राप्त कर रहे हों, उनके लिये रूपये 25000/–

2. रेलवे सेवा (संशोधित वेतन नियम 2008) के अनुसार अंशदाता जिस पद को धारण करता है वह पे बैण्ड–02 (रूपये 9300–34800) या ऊपर के हो तथा ग्रेड पे रूपये 4200/– प्रतिमाह या अधिक लेकिन रूपये 4800/– से नीचे हो, उनके लिये रूपये 15000/–

3. रेलवे सेवा (संशोधित वेतन नियम 2008) के अनुसार अंशदाता जिस पद को धारण करता है वह पे बैण्ड–02, 01 या पे बैण्ड 1–एस (रूपये 4400–7440) या ऊपर के हो तथा ग्रेड पे रूपये 1400/– प्रतिमाह या अधिक लेकिन ग्रेड पे रूपये 4200/– से नीचे हो, उनके लिये रूपये 10000/–

4. रेलवे सेवा (संशोधित वेतन नियम 2008) के अनुसार अंशदाता जिस पद को धारण करता है वह पे बैण्ड 1–एस (रूपये 4400–7440) के हो तथा ग्रेड पे रूपये 1300/– प्रतिमाह या उससे अधिक लेकिन ग्रेड पे रूपये 1400/– से नीचे हो, उनके लिये रूपये 6000/–

सूत्र : भविष्य निधि शेष + जिस माह में कर्मचारी की मृत्यु हुई उससे पूर्व के 36 माह की जमा पर ब्याज /36

क. इस योजना का लाभ केवल परिवार के सदस्यों को ही देय है।

ख. इस योजना के तहत प्राप्त अतिरिक्त राशि कोर्ट अटेचमेण्ट से मुक्त नहीं है।

ग. इस योजना के तहत प्राप्त राशि कर मुक्त है।

घ. इस योजना के तहत प्राप्त राशि में से सरकारी बकाया की वसूली की जा सकती है।

ड़ इस योजना के तहत लाभ अंशधारक के आत्म हत्या करने पर भी देय है।

च अंशधारक के गुम /खो जाने पर भुगतान सात वर्ष की समयावधि के बाद, पर्याप्त सबूत के बिना भी यह मानते हुये कि उसका /उसकी मृत्यु हो गई हो, कर दिया जायेगा।

(रे.बो. प.स. ई(डब्ल्यू)97/डब्ल्यू.ई.–1/13 दिनांक 01.04.1998, पृष्ठ संख्या 340 RBO 98½

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना (CGEGIS) (RBE 234/89)

प्रभावी : यह योजना दिनांक 01.11.1980 को अधिसूचित की गई तथा 01.01.1982 (अपरान्ह) से प्रभावी हुई।

उद्धेश्य : इस योजना का उद्धेश्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी को कम लागत तथा पूर्णतः अंशदान एवं स्ववित्त पोषण के आधार पर सेवा में रहते हुये कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उनके परिवार को बीमा रक्षण का लाभ प्रदान करना तथा सेवानिवृत्ति पर उनकी आय संवर्धन हेतु एक मुश्त राशि प्रदान करना है।

किन पर लागू : यह योजना रेल सेवा सहित केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों पर लागू है लेकिन इस योजना में अनियत मजदूर, अंशकालिक तथा तदर्थ आधार पर सेवा करने वाले कर्मचारी शामिल नहीं होगा यह योजना उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगी जो 50 वर्ष की आयु के पश्चात केन्द्रीय सरकार के अधीन भर्ती किये गये हों।

सदस्यता : दिनांक 01.11.1980 के पश्चात केन्द्रीय सरकारी सेवा में आने वाले कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से यह योजना लागू होगी। जो कर्मचारी 01.11.1980 को केन्द्रीय सरकारी सेवा में थे। उनको यह विकल्प दिया गया कि वे 31.10.1981 तक इस योजना से बाहर रहने हेतु विकल्प दे सकते हैं। जिन कर्मचारियों ने उक्त तिथि तक इस योजना से बाहर रहने का विकल्प नहीं दिया, उन्हें इस योजना के प्रभावी होने की तिथि से उसका सदस्य मान लिया गया, किन्तु जिन कर्मचारियों ने इस योजना से बाहर रहने का विकल्प दिया था, उन्हें इस योजना में सदस्य बनने हेतु अन्तिम अवसर दिनांक 27.10.1986 को दिया गया तथा इसके आगे कोई अवसर नहीं दिया गया। योजना के प्रभावी होने के बाद किसी भी वर्ष दो जनवरी अथवा इसके बाद सेवा में आने वाले सभी कर्मचारियों को योजना की अगली वर्षगांठ पर योजना के सदस्य के रूप में शामिल कर लिया जाता है।

सदस्यों के लिये अंशदान :

दिनांक 31.12.1989 तक योजना के लिये 10 रूपये प्रतिमाह की यूनिटों में अंशदान निर्धारित था तथा दिनांक 01.01.1990 से योजना के लिये अंशदान रूपये 15 प्रतिमाह की यूनिटों में निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:–

समूह ''घ'' कर्मचारी एक यूनिट	15 x 1 = 15/-	रूपये प्रतिमाह
समूह ''ग'' कर्मचारी एक यूनिट	15 x 2 = 30/-	रूपये प्रतिमाह
समूह ''ख'' कर्मचारी एक यूनिट	15 x 4 = 60/-	रूपये प्रतिमाह
समूह ''क'' कर्मचारी एक यूनिट	15 x 8 = 120/-	रूपये प्रतिमाह

किसी कर्मचारी की एक समूह से दूसरे समूह में नियमित पदोन्नति होने पर उस कर्मचारी का अंशदान इस योजना की अगली वर्षगांठ से उस समूह के स्तर के अनुरूप बढ़ा दिया जायेगा। जिसमें उसकी पदोन्नति हुई है। लेकिन अगली वर्षगांठ तक ऐसा कर्मचारी उसी राशि का बीमा रक्षण प्राप्त करेगा, जिसके लिये वह ऐसी पदोन्नति से पूर्व पात्र था। एक बार यदि कोई कर्मचारी किसी उच्चतर समूह में शामिल कर लिया गया हो तो उसके अंशदान की दर उसी स्तर पर जारी

रहेगी भले ही वह कर्मचारी बाद में किसी भी कारण से निचले समूह के पद पर प्रत्यावर्तित क्यों न हो जायें।

नोट :–

(i) यदि कोई समूह ''बी'' कर्मचारी वरिष्ठ वेतनमान में तदर्थ आधार पर लगाया गया हो तो उसकी तदर्थ आधार पर की गई व्यवस्था को इस उद्धेश्य के लिये नियमित आधार पर पदोन्नति के समान ही माना जायेगा ताकि उसे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा रक्षण का लाभ दिया जा सके, जैसा कि समूह ''ए'' कर्मचारियों को दिया जाता है। (RBE 109/2003)

(ii) पूर्व ग्रुप ''डी'' कर्मचारी जिन्हें पीबी–1 में ग्रेड पे 1800/– में रखते हुये RBE 05/2010 द्वारा ग्रुप ''सी'' वर्गीकृत किया गया हैं उनके समूह बीमा के अन्तर्गत 01.01.2011 से 30/– प्रतिमाह काटे जायेगें।(RBE 145/10)

गैर सदस्यों के लिये बीमा अंशदान एवं बीमा रक्षण :

किसी भी वर्ष 02 जनवरी को या उसके बाद सेवा में आये कर्मचारियों उनके द्वारा सरकारी सेवा शुरू करने की तिथि से उनके इस योजना में सदस्य बनने की तिथि तक बीमा रक्षण के प्रतयेक 15000/, 30000/–, 60000/– व 120000/– के लिये बीमा अंशदान के रूप में क्रमशः रूपये 05/–, 10/–, 20/– व 40/– प्रतिमाह अंशदान का भुगतान करने पर उन्हें समुचित बीमा रक्षण का लाभ दिया जायेगा। वे इस योजना की वर्षगांठ की तारीख से इस योजना के सदस्य बन जायेगें तथा उपर्युक्त दर्शायें गये समूह के अनुसार अंशदान करेगें।

सदस्यों के लिये बीमा निधि तथा बीमा राशि : (RBE 276/89)

योजना के प्रत्येक सदस्य को बीमा रक्षण प्रदान करने के लिये कुल अंशदान का 30 भाग बीमा निधि के खाते में डाला जाता है, जो कि रूपये 15 अंशदान प्रतिमाह को यूनिट के लिये रूपये 15000/– होगा। यह उन कर्मचारियों के परिवारों को देय होगा, जिनकी सेवा के दौरान दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है, जिसमें आत्महत्या भी शामिल है।

बचत निधि :

अंशदान की शेष राशि बचत निधि में डाली जाती है। इस राशि पर ब्याज सहित पूर्ण राशि सेवानिवृति के समय या रेल सेवा समाप्ति पर कर्मचारी को स्वयं अथवा सेवा के दौरान मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को देय होगी, यह राशि बीमा रक्षण के अतिरिक्त होगी।

अंशदान की वसूली :

अंशदान प्रत्येक माह, उस माह सहित जिसमें कर्मचारी सेवानिवृत्ति, मृत्यु, त्याग–पत्र, बर्खास्तगी इत्यादि के कारण सेवा से अलग हुआ है, वसूल किया जायेगा।

अंशदान बीमा रक्षण की किश्त के रूप में सेवा में कार्यग्रहण करने की तिथि से योजना की सदस्यता लेने की तिथि तक। प्रत्येक माह की पहली तारीख को वसूल किया जोयगा।

यह अंशदान निलम्बित कर्मचारी से भी वसूला जायेगा।

वेतन /मजदरी के भुगतान पर विलम्ब के कारण अंशदान की वसूली नहीं की जा सकने पर अंशदान की बकाया राशि पर ब्याज नहीं लिया जायेगा।

कर्मचारी के लम्बे समय तक असाधारण छुट्टी पर रहने के कारण किसी माह वेतन /मजदूरी के भुगतान न होने के कारण अंशदान नहीं कर पाने की स्थिति में कर्मचारी के भविष्य में बनने वाले वेतन में से अंशदान की राशि तथा उस पर बचत निधि की ब्याज दर से ब्याज की कटौती एकमुश्त या अधिकतम तीन किश्तों में की जायेगी। यदि असाधारण छुट्टी की अवधि में ही कर्मचारी की मृत्यु हो जाये तो शेष राशि परिवार को किये जाने वाले भुगतान में से काट ली जायेगी।

बीमा निधि /बचत निधि में से भुगतान :

यदि सरकारी कर्मचारी की सेवायें समाप्त हो गई हो तो बचत निधि का भुगतान एक साधारण आवेदन देने पर ही कर दिया जायेगा।

कर्मचारी की मृत्यु के मामले में बचत निधि में जमा राशि मय ब्याज के अलावा कर्मचारी जिस समूह का सदस्य था, उस समूह बीमा रक्षण राशि का भुगतान मृत कर्मचारी के नामित व्यक्ति द्वारा निर्धारित फार्म में आवेदन करने पर दिया जायेगा।

कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में यदि किसी ऐसे व्यक्ति पर जो बीमा राशि प्राप्त करने का पात्र हो, योजना के सदस्य कर्मचारी की हत्या करने अथवा ऐसा अपराध करने के लिये उकसाने का आरोप हो तो दण्डित कार्यवाही के दौरान उसके भुगतान के दावे को निलम्बित रखा जायेगा। दण्डित कार्यवाही में दोषी पाये जाने पर उसके हिस्से की बीमा राशि का भुगतान परिवार के अन्य सदस्यों को बराबर बाँट दिया जायेगा ताकि दोषी नहीं पाये जाने पर उसके हिस्से की राशि का भुगतान उसे कर दिया जायेगा। लेकिन इस राशि पर ब्याज नहीं दिया जायेगा।

यदि इस योजना का कोई सदस्य लापता है तथा उसे खोजा नहीं जा सका है तो बीमा रक्षण लापता व्यक्ति के नामित /वारिस को उसके लापता होने के अगले माह से 07 वर्ष की अवधि के बाद बीमा रक्षण का भुगतान कर दिया जायेगा लेकिन दावाकर्त्ता द्वारा इस हेतु लापता व्यक्ति की मृत्यु के सम्बन्ध में सही एवं अविवादित साक्ष्य अथवा न्यायालय का आदेश प्रस्तुत करना होगा, जिसमें दर्शाया गया हो कि सम्बन्धित कर्मचारी को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के अधीन मृत मान लिया गया है साथ ही इस हेतु निम्नलिखित शर्तों /प्रक्रिया को पूरा होना आवश्यक है :–

(i) यदि योजना का कोई सदस्य लापता हो जाता है तथा उसे खोजा नहीं जा सका हो तो उसके परिवार को सम्बन्धित पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिये तथा वहाँ से एक रिपोर्ट प्राप्त करनी चाहिये कि पुलिस द्वारा सभी प्रयास करने के बावजूद लापता कर्मचारी को खोजा नहीं जा सकता है।

(ii) सदस्य /कर्मचारी के वारिस से एक क्षतिपूर्ति बाण्ड लेना होगा कि यदि कर्मचारी मिल जाता है व योजना में दुबारा शामिल हो जाता है एवं इस हेतु किसी प्रकार का दावा करता है तो इस सम्बन्ध में किये गये भुगतान को कर्मचारी को भविष्य में मिलने वाले भुगतान में समायोजित कर दिया जायेगा।

(iii) बचत निधि में जमा राशि का भुगतान कर्मचारी के लापता होने के माह के, एक माह बाद से एक वर्ष की अवधि के बाद कर्मचारी के नामित /वारिस को कर दिया जायेगा। बीमा राशि का भुगतान लापता कर्मचारी के नामित /वारिस को उपर्युक्त उल्लिखित शर्तों को पूरा करने के बाद ही किया जायेगा, चाहे कर्मचारी की सामान्य सेवानिवृत्ति इस अवधि के बीच में ही क्यों न हो।

(iv) लापता कर्मचारी की गुमशुदगी के माह के अलग माह से एक वर्ष की अवधि पश्चात 06 वर्षों तक अथवा उस माह तक जिस तक बीमा रक्षण का भुगतान किया गया हो, जो भी बाद में हो, तब तक रूपये 15000/– की बीमा रक्षण राशि के लिये रूपये 4.50 प्रतिमाह की दर से अंशदान की कटौती की जायेगी।

नामांकन (Nomination) :

(i) यदि नामांकन करने वाला सदस्य अवयस्क हैं तो उसे वयस्कता प्राप्त करने पर नामांकन करना आवश्यक है। यदि सदस्य का परिवार है तो नामांकन केवल अपने परिवार के सदस्य /सदस्यों के पक्ष में करेगा।

(ii) नामांकन करते समय अगर उसका परिवार है तो नामांकन परिवार के सदस्य /सदस्यों का ही किया जाना चाहिये। इस उद्देश्य हेतु परिवार से वही तात्पर्य है जो सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवायें) नियम–1960 से हैं

(iii) महिला सदस्य कार्यालय अध्यक्ष को अगर लिखित में अपने पति को परिवार से अलग (Exclude) करने बाबत सूचित करती है तो उसी समय से उसके पति को सम्बन्धित योजना के लिये परिवार का सदस्य तब तक नहीं समझा जायेगा जब तक की वह महिला इस प्रकार की सूचना को लिखित में रद्द न कर दें।

(iv) परिवार सदस्य के नामांकन में जहाँ अवयस्क भाई वयस्क हो जाये, अविवाहित बहन का विवाह हो जाये, विधवा बहन का पुनर्विवाह हो जाये तो ऐसे सदस्यों के पक्ष में किया गया नामांकन अवैद्य /अमान्य हो जायेगा।

(v) यदि इस योजना के अन्तर्गत कर्मचारी द्वारा नामांकन नहीं किया गया हे तो भविष्य निधि नियम के अनुसार, भविष्य निधि में किया गया नामांकन इस सन्दर्भ हेतु स्वीकार किया जा सकता है।

(vi) यदि नामांकन नहीं किया गया हे तो तथा पी.एफ. में भी नामांकन नहीं हे तो राशि का भुगतान परिवार के सदस्यों जिनमें विधवा /विधवाओं /अवयस्क पुत्र /पुत्रों, अविवाहित पुत्री /पुत्रियों में बराबर हिस्सों में कर दिया जायेगा। अवयस्क बच्चों का हिस्सा, मुस्लिम महिला के मामले को छोड़कर, अवयस्क बच्चों की माँ को किया जायेगा। मुस्लिम महिला के मामलें में अवयस्क बच्चों द्वारा संरक्षक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(vii) उचित नामांकन न होने की अवस्था में पेंशन बकाया का भुगतान – पात्र सदस्य /सदस्यों के न होने की अवस्था में कानूनी उत्तराधिकारी को सक्षम न्यायालय का उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा। (RBE 06/96, 80/13)

(vii) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना ताकि छुट्टी वेतन का देरी से भुगतान होने पर इन पर ब्याज देय नहीं होगा क्योंकि ये सेवानिवृत्ति परिलाभों की प्रकृति में नहीं आते है। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामान्य बीमा योजना के भुगतान को रोका नहीं जा सकता है तथा किसी वित्तीय संस्थान से गृह निर्माण हेतु लिये गये ऋण की देनदारियों के दावे को छोड़कर, इसमें से अन्य सरकारी बकायों की राशि की वसूली नहीं की जा सकी है। (RBE 15/2000 & 72/12)

न्यूनतम मजदूरी कानून, 1948

1. उद्देश्य :
   कुछ रोजगारों में मजदूरी की न्यूनतम दर नियत करने के लिए यह कानून 1948 में बनाया गया। इसका प्रयोजन यह है कि जिन रोजगारों में मजदूरी की दरें बहुत कम है उनमें असंगठित और बिखरे हुए मजदूरों का शोषण न हो, इसलिए उनकी मजदूरी की कम से कम क्या दर रहेगी यह तय कर दिया जाए। यह कानून इन मजदूरों के काम के समय मजदूरी के भुगतान, समयोपरि (ओवर टाइम) भत्ता, समय से भुगतान, मजदूरी से कटौती आदि के बारे में कार्य प्रणाली तय करता है।

2. लागू होने की सीमाएं :
   इन कानून में उन रोजगारों की सूची (शेडयूल) दे दी गई है जिनमें काम करने वाले मजदूरी पर यह कानून लागू होता है। रेलों पर सड़क निर्माण और मरम्मत, भवन निर्माण और रखरखाव, पत्थर तोड़ने के कम में लगे मजदूरों पर यह कानून लागू होता है। सड़क निर्माण में नये निर्माण या मरम्मत या रखरखावत के काम सम्मिलित है और सड़कों में गोंदी (डॉक) जहाजघाट (व्हार्फ), जेट्टी, पूल, सुरंगे, छत्तो पर लगे टैंक अन्य मालगोदाम, भण्डार गृहों आदि में लदान तथा उतराई प्रचालन आदि शामिल है। पहले रेलपथ को सड़क नहीं मानते थे किन्तु महाराष्ट्र हाई कोर्ट के एक निर्णय के बाद से अब रेलपथ पर काम करने वाले वरि.अनु. अभि./पी.वे. के आकस्मिक कर्मचारी इस कानून के अधीन भुगतान के लिए शामिल माने जायेंगे। वे सभी मजदूर भी शामिल होंगे जो विभागीय हो या ठेकेदार के आदमी हो। माल गोदामों और राख की सफाई में लगे मजदूरों पर भी यह लागू होता है।

3. मजदूरी :
   धारा 2 एच के अधीन मजदूरी की परिभाषा दी गई है। मजदूरी में वे सारे मेहताने शामिल है जो रूपयों में अभिव्यक्त किये जा सकत हो। मकान किराया भत्ता इसमें शामिल हैं किन्तु रोशनी, पानी, चिकित्सा सुविधा, मकान सुविधा आदि का खर्च शामिल नहीं हैं अगर उसे सरकारी आदेश के अधीन दिया गया हो।

4. मजदूरी का निर्धारण :
   धारा 3 में मजदूरी की दरें नियत करने के बारे में व्यवस्था की गई है। ये दरें समय या काम के लिहाज से हो सकती है। सरकार इन्हे नियत करती है। ये दरें रेल अधिकारियों को रीजनल लेबर कमिश्नर, सहायक लेबर कमिश्नर या लेबर इनफोर्समेन्ट अफसर से प्राप्त की जा सकती है।

   इस कानून में दी गई अनुसूची के बाहर के रोजगारों के लिए एक न्यूनतम दर जिलाधीश द्वारा दी जाती है। अगर किसी क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा नियत दर अधिक है, तो उसी को स्वीकार कर लेना चाहिए।

   धारा 8 के अधीन एक केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड होता है। इसमें मालिकों, यूनियनों के प्रतिनिधियों के अलावा अर्थशास्त्री भी होते है। ये बोर्ड दर के बारे में अपनी सिफारिश करता है। आजकल पूरे देश को पॉच क्षेत्रों में बांटा गया है : ए, बी–1, बी–2 और सी व डी। सारे नगर इन क्षेत्रों अधीन बांट दिये गये है। समय–समय पर दरों की समीक्षा होती रहती है। महाप्रबन्धक और मंडल रेल प्रबन्धक श्रम मंत्रालय की दरों पर क्रमशः 33–1/3 प्रतिशत और 20 प्रतिशत बढ़ा सकते है।

5. कुछ महत्वपूर्ण बातें :
   इस कानून के अन्तर्गत आने वाले आकस्मिक मजदूरों पर कार्यकाल नियम तब तक लागू नहीं होते जब तक उनको अस्थायी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिल जाता।

कानून के अनुसार काम के दिनों, अवकाश (रेस्ट) का दिन आदि नियत करने की व्यवस्था है (धारा 3)।

मजदूरी के भुगतान के तरीके, मजदूरी से की जाने वाली कटौतियों, समयोपरि भत्ता आदि के बारे में व्यवस्था की गई है (धारा 11, 12, 14)।

6. भुगतान विधि :
   1. मजदूरी के भुगतान के लिए मजदूरी अवधि निर्धारित की जानी चाहिए जो एक माह अथवा इससे लम्बी विनिर्दिष्ट अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए।
   2. मजदूरी का भुगतान काम के दिनों में और मजदूरी अवधि समाप्त होने के 7 दिन या 10 दिन के भीतर किया जाना चाहिए। जहां क्रमशः 1000 तक या उससे अधिक श्रमिक कार्यरत हो।

   3. कार्यमुक्त कर दिये गये व्यक्ति को कार्यमुक्ति के अगले काम के दिन तक मजदूरी का भुगतान कर दिया जाना चाहिए।
   4. मजदूरी भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत अधिकृत कटौतियों के सिवाय कोई अन्य कटौती किये बिना मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए।
   5. दैनिक मजदूरी की सामान्य दर से दुगुनी के लिए 26 दिनों को एक मास के बराबर मानना चाहिए।

7. काम के घण्टे का विश्राम :
   वयस्कों के लिए काम के घण्टो की सीमा दिन भर में 9 घण्टे और जहां काम का समय फैला हुआ हो, 12 घण्टे है। बच्चों के लिए यह सीमा साढ़े चार घण्टे की है। एक सप्ताह में यह अवधि 48 घण्टे से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि निर्धारित अधिकतम से अधिक समय तक कर्मचारी काम करता है तो उसे मजदूरी की सामान्य दर से दुगुनी दर पर अतिरिक्त भुगतान किया जाना चाहिए।

   अनुसूचित नियोजन अधीन कर्मचारी को प्रति सप्ताह एक दिन का विश्राम दिया जाएगा जो सामान्यतः इतवार को होगा परन्तु नियोक्ता सप्ताह का कोई दूसरा दिन भी विश्राम के लिए निर्धारित कर सकता है और कर्मचारी विश्राम का तभी अधिकारी होगा जब उसने छः दिन निरन्तर उसी नियोक्ता के अधीन काम किया होगा।

8. निरीक्षण :
   इस उद्देश्य से नियुक्त निरीक्षक किसी भी परिसर में प्रविष्ट होकर अभिलेखों की जाँच कर सकता है तथा दस्तावेजों के निरीक्षण के अतिरिक्त गवाहियां भी ले सकता है।

9. दावे तथा शिकायतें :
   नियुक्ति अधिकारी के सन्मुख दावे तथा शिकायतें छः मास बे अंदर प्रस्तुत किये जा सकते है। प्राधिकारी देय मजदूरी तथा वास्तविकता में दी गई मजदूरी के अंतर के भुगतान का आदेश देने के साथ–साथ क्षतिपूर्ति का देश भी दे सकता है। क्षतिपूर्ति इस राशि का दस गुना अथवा यदि न्यायालय में आवेदन के निर्णय के पूर्व ही नियोक्ता राशि का भुतान करने को तैयार हो तो 10 रू0 से अधिक नहीं होगी।

10. नोटिस और रजिस्टर :
    इस कानून के अधीन बनाये गये नियमों में इलाके मतें समझी जाने वाली भाषा, हिन्दी व अंग्रेजी में एक नोटिस गाने का प्रावधान है, जिनमें मजदूरी की दर और कानून का सार आदि शामिल हो। मजदूरी का रजिस्टर, ओवर टाइम रजिस्टर कुछ कटौतियों का विवरण आदि रखने होते है। फार्म नं. 89 में एक वार्षिक रिटर्न देना होता है।

11. दण्ड आदि :

कानून के अनुसार एक इन्स्पेक्टर की नियुक्ति होती है जो अपने आप निरीक्षण करता है। कानून का पालन न करने पर दण्ड का प्रावधान भी हैं, जो इस प्रकार है :–

(क) न्यूनतम मजदूरी, सामान्य काम–काज तथा अथवा साप्ताहिक छुट्टियों के बारे में अपराध।	छः मास तक का कारावास अथवा 500 रू0 तक जुर्माना अथवा दोनों।
(ख) रजिस्टर तथा अभिलेख रखने के बारे में अपराध।	500 रू0 तक जुर्माना।

मजदूरी भुगतान अधिनियम – 1936

उद्देश्य : इस अधिनियम का उद्देश्य कुछ निश्चित श्रेणी के कर्मचारियों को, जिनमें रेलवे कर्मचारी भी शामिल है तथा जो सीधे तौर पर भर्ती व निविदा द्वारा भर्ती किये गये हैं, को भुगतान की व्यवस्था शीघ्र एवं बिना किसी अनाधिकृत कटौती के करना है इनमें उन्हीं कर्मचारियों को शामिल (सम्मिलित) किया गया हैं। जिनकी मजदूरी रूपये 6500/– प्रतिमाह है। (RBE 216/05)

मजदूरी/पारिश्रमिक : पारिश्रमिक से आशय उन सभी प्रकार के पारिश्रमिक से है चाहे वह मासिक वेतन हो अथवा और कोई भत्ता, जो धन (money) के रूप में अभिव्यक्त किये जा सकें। यह उन सभी कामगारों को देय होगा जो ठीक प्रकार से नियोजन संविदा की सभी शर्तें पूरी करता है (चाहे वह लिखित है या अन्यथा)। इसमें किसी प्रकार के यात्रा–भत्ते, मकान से सम्बन्धित सुख सुविधाओं की रियायत व भविष्य निधि में किया गया अंशदान तथा ग्रेचूटी आदि जो कर्मचारियों को सेवा करने पर देय हे को शामिल नहीं किया गया है।

नियोक्ता पारिश्रमिक/मजदूरी भुगतान की अवधि निश्चित करेगा, जो किसी भी प्रकार से एक माह से अधिक नहीं होगी।

मजदूरी के भुगतान का तरीका निम्न प्रकार से होगाः–

a. मजदूरी का भुगतान केवल कार्य दिवस को ही किया जायेगा।
b. मजदूरी का भुगतान केवल चालू मुद्रा में ही किया जायेगा ना कि किसी प्रकार की वस्तु (kind) में।
c. मजदूरी /वेतन का भुगतान निम्नानुसार होगाः–
   i. जहाँ 1000 से कम कामगार कार्यरत्त हैं वहाँ वेतन का भुगतान वेतन अवधि समाप्ति के 07 दिन के भीतर करना होगा, तथा
   ii. जहाँ 1000 से अधिक कामगार कार्यरत्त हो वहाँ वेतन का भुगतान, भुगतान अवधि के समाप्ति के 10 दिन के भीतर करना होगा।
d. जहाँ कामगार की सेवायें नियोक्ता द्वारा समाप्ति कर दी गई हो तो मजदूरी का भुगतान सेवा समाप्ति के दूसरे दिन की समाप्ति से पूर्व अर्थात् 48 घण्टे के भीतर किया जायेगा।

जुर्माने : (धारा 08)

i जुर्माना ऐसी भूल–चूक अथवा आचार, जिन्हें प्रदर्शित किया गया है, के उल्लंघन पर ही किया जा सकता है
ii कर्मचारी को बिना कारण बताये अथवा बिना नोटिस दिये और उससे स्पष्टिकरण लिये बगैर जुर्माना नहीं लगाया जा सकता।
iii घटना घटित होने के 90 दिन के बाद जुर्माना नहीं लगाया जा सकेगा व जुर्माना किस्तों में वसूल नहीं किया जा सकता।
iv कर्मचारी पर किसी एक भुगतान अवधि में प्राप्त पारिश्रमिक के 3% से अधिक का जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है।
v जुर्माना किसी ऐसे कामगार पर नहीं लगाया जा सकता जिसकी उम्र 15 वर्ष से कम हो।
vi जुर्माने से प्राप्त पूर्ण राशि कर्मचारियों के लाभ, समृद्धि व सुविधाओं पर खर्च होगी तथा SBF में जमा होगी।

आचार एवं भूल–चूक की सूची : जिन कारणों से जुर्माने किये जा सकते है

i. आदेशों की अवहेलना व अवज्ञा,
ii. अनुशासन भंग करना,
iii. देरी से अथवा अनियमित उपस्थिति,

iv. अनुचित व्यवहार (मदिरा सेवन, झगड़ा, ड्यूटी पर सोना आदि)
v. जन साधारण को असुविधा उत्पन्न करना,
vi. झूठा व भ्रामक वक्तव्य देना,
vii दोषपूर्ण कार्य (malingering) बहाने बनाना,
viii दिशा निर्देशों व नियमों का पालन न करना जिसमें कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही वाँछित नहीं हो,
ix. रेल सम्पत्ति को नुकसान

मजदूरी से की जा सकने वाली कटौतियाँ : (धारा 07)

मजदूरी से किसी प्रकार की अनाधिकृत कटौतियाँ नहीं की जायेगी। मजदूरी से निम्न कटौतियाँ की जा सकेगीः–

a. जुर्माने,
b. काम से अनुपस्थित रहने के कारण कटौतियाँ,
c. ऐसी कटौतियाँ जो सीधे तौर पर कर्मचारियों के लापरवाही पूर्ण कार्य व भूल के कारण उसके अधीन सामान व धन के ऐसे नुकसान के कारण, जिसके लिये उसे दोषी या उत्तरदायी ठहराया गया हो, की जायेगी,
d. नियोक्ता द्वारा दी गई सेवाओं व सुविधाओं के बदले कटौती,
e. मकान सम्बन्धी प्रदान की गई सुविधा के लिये कटौती,
f. मजदूरी से अधिक भुगतान करने व अग्रीम ली गई राशि का समायोजन करने हेतु कटौतियाँ,
g. आयकर वसूलने हेतु कटौतियाँ,
h. कोर्ट के आदेशानुसार कटौतियाँ,
i. भविष्य निधि हेतु अंशदान की राशि व भविष्य निधि से लिया गया अग्रिम की वसूली हेतु कटौतियाँ,
j. राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित जमा समितियाँ व सहकारी समितियाँ को किया जाने वाला भुगतान,
k. कर्मचारी से सम्बन्धित अधिकारी के लिखित आदेश द्वारा दी गई अन्य कटौतियाँ जैसेः– जीवन बीमा का प्रिमियम, खरीदी गई प्रतिभूतियाँ, डाक घर, बचत खाता आदि।

कटौतियों की सीमा :

नोट : सभी प्रकार की कटौतियाँ 50% से अधिक नहीं होगी लेकिन जहाँ कटौतियाँ किसी सहकारी समितियों के भुगतान से सम्बन्धित है तो यह कटौतियाँ 75% से अधिक नहीं होगी।

निरीक्षक : (धारा 14)

फेक्ट्री एक्ट 1948 की धारा 14 के अन्तर्गत नियुक्त व इस एक्ट के उद्देश्य के लिये नियुक्त व्यक्ति ही निरीक्षक होगा तथा वह निम्न हेतु अधिकृत होगाः–

a. किसी प्रकार का परीक्षण या परीक्षा और पूछताछ कर सकता है, जैसा कि वह उसके लिये उचित या ठीक समझाता हो,
b. किसी भी उचित समय में रेलवे की परिधि में आने वाले क्षेत्र, फेक्ट्री या अन्य उद्योगों में प्रवेश कर सकता है, निरीक्षण व तलाशी कर सकता है,
c. रेलवे, फेक्ट्री या अन्य संस्थानों में कार्यरत्त व्यक्तियों के मजदूरी भुगतान सम्बन्धी कार्यों का पर्यवेक्षण कर सकता है,
d. लिखित आदेश के द्वारा इस एक्ट से सम्बन्धित रखे गये रजिस्टरों व दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की माँग कर सकता है,
e. वह ऐसे रजिस्टर व दस्तावेजों की कॉपियॉ ले सकता है या उन्हें जब्त कर सकता है, जो

इस एक्ट के तहत अपराध बोध के लिये ससंगत प्रतीत होते है,

f. ऐसी अन्य शक्तियों को प्रयोग में ले सकता हे जो उसे अधिकारिक रूप से प्राप्त है।

इस नियम के उल्लंघन पर सजा : (धारा 20)

a. इस नियम के तहत भुगतान में देरी, अभुगतान व अनाधिकृत कटौती करने पर जुर्माना रूपये 3750/– हो सकता है।
b. अन्य मामलों में जैसेः– नोटिस नहीं लगाने पर, जुर्माना रजिस्टर का रख–रखाव न रखने आदि पर नियोक्ता पर कम से कम रूपये 1500/– जुर्माना हो सकता है व इसे रूपये 7500/– तक बढ़ाया जा सकता है।

सूचनायें जो प्रदर्शित की जानी अनिवार्य है : (धारा 25, 25 ए)

a. अधिनियम का सार,
b. वेतन अवधि,
c. भुगतान तिथि, तथा
d. भूल एवं चूक की सूची – हिन्दी, अंग्रेजी व क्षेत्रीय भाषाओं में प्रदर्शित हो।

कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923

(कर्मकार प्रतिकर अधिनियम (संशोधन) एक्ट 2009 (RBE 61/11) द्वारा यथा संशोधित)

1.	यह अधिनियम कर्मकार प्रतिकर अधिनियम (अब कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम), 1923 कहलाता है तथा सम्पूर्ण भारत में 01 जुलाई 1924 से लागू हुआ।	
2.	परिभाषाऐं :–	
i	आयुक्त (Commissioner) : आयुक्त शब्द से अभिप्राय कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त से होगा जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।	
ii	नियोजक (Employer) : के अन्तर्गत कोई व्यक्ति या निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं और नियोजक का कोई प्रबन्ध अभिकर्त्ता (Manager) और मृत नियोजक का विधिक प्रतिनिधि आता है और जबकि कर्मचारी की सेवायें उस व्यक्ति द्वारा जिसके साथ कर्मचारी ने सेवा या शिक्षुता (Apprenticeship) की कोई संविदा (Contract) की है, अन्य व्यक्ति को अस्थायी तौर पर उधार दे दी गई है या भाड़े पर दी गई है वहॉ नियोजक से (जब तक वह कर्मचारी उसके लिए काम करता रहता है) तात्पर्य वह अन्य व्यक्ति है।	
iii	अप्राप्तवय अवयस्क (Minor) : अवयस्क से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अट्ठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है।	
iv	आंशिक निःशक्तता (Partial Disablement) : जहॉ निःशक्तता अस्थायी प्रकार की है वहॉ ऐसी निःशक्तता से तात्पर्य है, जिससे कर्मचारी उस नियोजन में उपार्जन सामार्थ्य (Earning Capacity) कम हो जाती है, जिसमे वह उस दुर्घटना के समय (जिसके परिणामस्वरूप निःशक्तता हुई) लगा हुआ था और जहॉ कि निःशक्तता स्थायी प्रकार की है वहॉ ऐसी निःशक्तता से तात्पर्य है, जिससे हर ऐसे नियोजन में उसकी उपार्जन सामार्थ्य कम हो जाती है, जिसे ग्रहण करने के लिए वह उस समय समर्थ था।	
v	पूर्ण निःशक्तता (Total Disablement) : से ऐसी निःशक्तता से तात्पर्य है, चाहे वह अस्थायी प्रकार की हो या स्थायी प्रकार की, जो किसी कर्मचारी को ऐसे सब काम के लिए असमर्थ कर देती है, जिसे वह उस दुर्घटना के समय (जिसके परिणामस्वरूप ऐसी निःशक्तता हुई थी) करने में समर्थ था।	
vi	मजदूरी (Wages) : के अन्तर्गत किसी यात्रा भत्ते से या किसी यात्रा सम्बन्धी रियायत के मूल्य से या कर्मचारी के नियोजन द्वारा किसी पेंशन या भविष्य निधि में दिये गये अंशदान से या कर्मचारी के नियोजन की प्रकृति के कारण उस पर हुए किन्हीं विशेष व्ययों को पूरा करने के लिए उसे दी गई किसी राशि से भिन्न ऐसा विशेषधिकार या फायदा आता है, जो धन के रूप में प्रॉकलित (Estimated) किया जा सकता है।	
vii	कर्मचारी (Employee) : से (रेलवे के संदर्भ में) कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो–	
	i	भारतीय रेल अधिनियम 1989 की धारा 2 की उपधारा (34) में यथा परिभाषित ऐसा रेल सेवक है, जो किसी रेल के किसी प्रशासनिक जिला या उपखण्ड कार्यालय में स्थायी रूप से नियोजित नहीं है और किसी ऐसी हैसियत में नियोजित नहीं है, जो अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट है। भारतीय रेल अधिनियम 1989 की धारा 2 की उपधारा (34) रेल सेवक से रेल सेवा के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी रेल प्रशासन द्वारा नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, (इसमें रेल सुरक्षा बल अधिनियम 1957 (1957 का 23) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (स) के अन्तर्गत नियुक्त रेल सुरक्षा बल के सदस्य सम्मिलित हैं
	ii	किसी संविदा के तहत यदि कार्य करते समय दुर्घटनाग्रस्त होने पर मजदूर को प्रतिकर देने की जिम्मेदारी उस नियोक्ता की होगी जिसके नियोजन में वह कार्य कर रहा था । (रेलवे में ठेकेदार द्वारा प्रतिकर दिया जाना चाहिये, परन्तु यदि वह ऐसा नहीं करता है तो , रेलवे द्वारा प्रतिकर राशि का भुगतान किया जायेगा व वह राशि ठेकेदार से वसूल कर ली जायेगी।

3.	प्रतिकर के लिए नियोजन का दायित्व (Employer's liability for compensation)	
	1)	यदि कर्मचारी को अपने नियोजन से और उनके अनुक्रम में (Arising out of and in the course of his employment) दुर्घटना द्वारा वैयक्तिक क्षति कारित होती है तो उसका नियोजक इस अधिनियम के अनुसार प्रतिकर का देनदार होगा। परन्तु निम्न अवस्थाओं में नियोजक का कोई दायित्व नहीं होगा–
	क	किसी ऐसी क्षति के बारे में जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी को तीन दिन से अधिक की कालावधि के लिए पूर्ण या आंशिक निःशक्तता नहीं रहती।
	ख	दुर्घटना द्वारा हुई किसी क्षति के बारे में, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु या स्थायी रूप से पूर्णरूपेण अशक्तता नहीं हुई है और जो प्रत्यक्षतः इस कारण से हुई मानी जा सकती हो–
	i	उसके होने के समय कर्मकार पर मदिरा या औषधियों का असर था अथवा
	ii	कर्मकार की संरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त रूप से दिए गए किसी नियम की अवज्ञा कर्मचारी द्वारा जानबूझकर की गई थी, अथवा
	iii	कोई ऐसा रक्षा सम्बन्धी उपाय या अन्य युक्ति जिसके बारे मे वह जानता था कि वह कर्मचारी की संरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयोजन से उपबन्धित की गई है, कर्मचारी द्वारा जानबूझकर हटाई गई थी या उसकी अवहेलना की गई थी।
	2)	यदि अनुसूची 3 के भाग क में विनिर्दिष्ट किसी नियोजन में नियोजित कर्मचारी को कोई ऐसा रोग लग जाता है कि उस नियोजन में विशिष्टतः होने वाले उपजीविकाजन्य रोग (Occupational disease peculiar to that employment) के रूप में उस भाग में विनिर्दिष्ट है या जिस नियोजक की सेवा में कर्मचारी अनुसूची 3 के भाग ख में विनिर्दिष्ट किसी नियोजन में छह मास की निरन्तर कालावधि के लिए (जिस कालावधि में) किसी अन्य नियोजिक के अधीन उसी ढंग के नियोजन मे सेवा की कालावधि सम्मिलित नहीं होगी, नियोजित रहा है और उस नियोजक की सेवा में रहने के समय यदि उसे कोई ऐसा रोग लग जाता है जो उस नियोजन में विशिष्टतः होने वाले उपजहीविकाजन्य रोग के रूप मे उस भाग में विनिर्दिष्ट है। या अनुसूची 3 के भाग ग में विनिर्दिष्ट किसी नियोजन में कर्मचारी को एक या अधिक नियोजनों की सेवा में ऐसी निरन्तर कालावधि के लिए जैसे ऐसे हर एक नियोजन के बारे में केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करें, रहने के समय यदि कोई ऐसा रोग लग जाता है जो उस नियोजन में विशिष्टतः होने वाले उपजीविकाजन्य रोग मे उस भाग में विनिर्दिष्ट है तो उस रोग के लगने के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस धारा के अर्थ के अंदर दुर्घटना द्वारा हुई क्षति है और जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित नहीं (Unless the contrary is proved) कर दिया जाता तब तक दुर्घटना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उस नियोजन से और उसके अनुक्रम में उद्भूत/घटित हुई है। परन्तु यदि यह साबित हो जाता है कि –

(क) किसी कर्मचारी को अनुसूची 3 के भाग ग में विनिर्दिष्ट किसी नियोजन में एक या अधिक नियोजकों की सेवा में रहने के समय कोई ऐसा रोग, जो उस नियोजन में विशिष्टतः होने वाले उपजीविकाजन्य रोग के रूप में उस भाग में विनिर्दिष्ट है, ऐसी निरन्तर कालावधि के दौरान लग गया है जो उस नियोजन के लिए इस उपधारा के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि से कम है, तथा

(ख) वह रोग उस नियोजन से और उसके अनुक्रम में उद्भूत हुआ है, तो ऐसे रोग के लगने के बारे मे यह समझा जाएगा कि वह इस धारा के अर्थ के अंदर दुर्घटना द्वारा हुई क्षति है।

परन्तु यह भी साबित हो जाता है कि कोई कर्मचारी जिसने अनुसूची 3 के भाग ख में विनिर्दिष्ट किसी नियोजन में किसी नियोजक के अधीन या उस अनुसूची के भाग ग में विनिर्दिष्ट किसी नियोजन में एक या अधिक नियोजकों के अधीन उस नियोजन के लिए इस उपधारा के अधीन विनिर्दिष्ट निरन्तर कालावधि के लिए सेवा की है और उस ऐसी सेवा की समाप्ति के पश्चात कोई ऐसा रोग लग गया है जो उस नियोजन में विशिष्टतः होने वाले उपजीविकाजन्य रोग के रूप में

,यथास्थिति (As the case may be) उक्त भाग ख या उक्त भाग ग में विनिर्दिष्ट है और यह कि ऐसा रोग उस नियोजन से उद्भूत हुआ था तो उस रोग के लगने के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस धारा के अर्थ के अंदर दुघर्टना द्वारा हुई क्षति है।

(2क) यदि अनुसूची 3 के भाग ग में विनिर्दिष्ट किसी नियोजन में नियोजित किसी कर्मचारी को उस नियोजन में विशिष्टतः होने वाला कोई ऐसा उपजीविकाजन्य रोग लग जाता है जिसके लगने के बारे में यह समझा जाता है कि वह इस धारा के अर्थ के अंदर दुर्घटना द्वारा हुई क्षति है और ऐसा नियोजन एक से अधिक नियोजकों के अधीन था तो ऐसे सब नियोजक प्रतिकर का ऐसे अनुपात में संदाय करने के दायी होंगे जैसा आयुक्त उन परिस्थितियों में न्यायसंगत समझे।

4- प्रतिकर की रकमः– (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन प्रतिकर की रकम निम्नलिखित होगी अर्थात –

(क) मृत्यु के मामले में – यदि किसी कर्मचारी की कार्य के दौरान घटित दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु हो जाती है तो कर्मकार के मासिक वेतन का 50 प्रतिशत गुणा आयु गुणाक अथवा 120,000 जो भी अधिक हो भुगतान किया जायेगा।

सूत्र = मासिक वेतन x $\frac{50}{100}$ x आयु गुणक = न्यूनतम 120,000/– रू या जो भी अधिक हो

(RBE No 61/2011 Letter Dated 11.05.2011)

(ख) स्थायी पूर्ण अशक्तता (Permanent total disablement): यदि किसी कर्मचारी की काम के दौरान घटित दुघर्टना के फलस्वरूप स्थायी पूर्ण अशक्तता (अर्थात उपार्जन क्षमता में 100% कमी) हो जाती है तो मुआवजे की राशि निम्न प्रकार दी जायेगी –

मासिक वेतन x $\frac{60}{100}$ x आयु गुणक = न्यूनतम 140,000/– रू या जो भी अधिक हो

(RBE No 61/2011 Letter Dated 11.05.2011)

(ग) स्थायी आंशिक अशक्तता (Permanent Partial Disablement): किसी कर्मचारी की काम के दौरान घटित दुर्घटना के फलस्वरूप स्थायी आंशिक अशक्तता होने पर अनुसूची–1 के भाग–ाा में दर्शायी उपार्जन क्षमता में कमी के प्रतिशत के अनुसार मुआवजा दिया जायेगा। यदि किसी दुर्घटना के दौरान कई चोट आती है तो गणना हेतु सभी मिलकर 100% से अधिक नहीं मानी जायेगी। मुआवजे हेतु चोट की क्षति से उपार्जन की क्षमता में कमी का आंकलन चिकित्सा अधिकारी द्वारा निश्चित किया जायेगा।

सूत्र = कर्मचारी का मासिक औसत वेतन x $\frac{60}{100}$ x आयु गुणक x क्षति का प्रतिशत

जहॉ किसी कर्मचारी की मासिक मजदूरी आठ हजार रूपये से अधिक है, वहॉ खण्ड (क)(ख) और खण्ड (ग) के प्रयोजनों के लिए उसकी मासिक मजदूरी केवल आठ हजार रूपये समझी जाएगी।

(भारत सरकार असाधारण राजपत्र दिनांक 31/5/2010)

अस्थायी अशक्तता (Temporary Disablement): यदि किसी कर्मचारी की कार्य के दौरान घटित दुर्घटना के फलस्वरूप पूर्ण अथवा आंशिक अस्थायी अशक्तता हो जाती है तो मुआवजे का भुगतान निम्न प्रकार से किया जायेगा –

(4) यदि क्षति तीन दिन से कम रहे तो कोई मुआवजा देय नहीं होगा।

(5) यदि क्षति 28 दिन से कम रहे तो तीन दिन की प्रतीक्षा कालावधि को छोड़कर 16वें दिन से भुगतान किया जायेगा।

(6) यदि क्षति 28 दिन से अधिक रहती है तो चोट लगने की तिथि से पॉच वर्ष तक देय है।

(RBE No E(LL)98/AT/WC/ATWC/1-2 Dt. 28/1/97 (NR PS 11357)

(घ) जहॉ कि क्षति के परिणामस्वरूप ,चाहे पूर्ण चाहे आंशिक अस्थायी निःशक्तता हो जाती है– कर्मकार की मासिक मजदूरी के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य रकम का अर्द्ध मासिक भुगतान जाएगा।

किन्तु अस्थायी अशक्तता के मामले में रेल प्रशासन अपने कर्मचारी को उदारीकृत छुट्टी नियमों के अन्तर्गत पूर्ण दर पर अस्पताली अवकाश प्रदान कर भुगतान करता है, ऐसी स्थिति में कर्मचारी के अस्पताली अवकाश पंजिका में दो लेखा शीर्ष दर्शाये जाने चाहिये।

(ii) अर्द्ध मासिक मुआवजा प्रतिकर (ii) अस्पताली अवकाश की छुट्टी वेतन शीर्ष

(RBE No (F&A)1-89/JCM/DC Dt. 14/1/93 (NR PS 10792)

(1क) भारतवर्ष के बाहर हुई दुर्घटना के संदर्भ में एक कर्मचारी को देय प्रतिकर की धनराशि को नियत करते समय इस नियम उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी आयुक्त ,प्रतिकर की उस धनराशि को भी हिसाब में लेगा जो किसी अन्य देश के कानून के अनुसार ऐसे कर्मचारी को प्रदान की गयी हो तथा वह राशि नियत की गयी प्रतिकर धनराशि में से कम करेगें।

4(अ) यदि क्षति से कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो नियोजक देय प्रतिकर के अतिरिक्त कर्मकार अत्येष्ठि के खर्च के लिए कर्मकार के जीवित सबसे बड़े आश्रित को देने हेतु पॉच हजार 5000/- आयुक्त के पास जमा करवायेगा।

4(ब) देय होने पर प्रतिकर का दिया जाना और विलम्ब /त्रुटि के लिए शास्ति –

(4) इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन प्रतिकर देय होते ही दे दिया जाना चाहिये।

(5) क्षतिपूर्ति हेतु जितना दावा किया गया है वह स्वीकार न करने की अवस्था में नियोक्ता का यह दायित्व होगा कि जितनी क्षतिपूर्ति राशि वह स्वीकार करता है वह आयुक्त के पास जमा करावे। यह कर्मचारी के दावे पर प्रतिकूल असर डाले बिना होगी जो कि बाद में अन्तिम तौर पर नियमानुसार निर्धारित किया जाना है।

(6) जहॉ कोई भी नियोजक, क्षतिपूर्ति देय होने की तिथि से एक महिन के अंदर इसका भुगतान नहीं करता है तो आयुक्त –

(क) निर्देश देगा कि नियोजक बकाया धनराशि के साथ–साथ बारह प्रतिशत की दर से उसपर या केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी भी अनुसूचित बैंक की उधार देने वाली दरों के अधिकतम से अधिक न होने वाली ऐसी उच्चतर दर से साधारण ब्याज का भुगतान भी करेगा, और

(ख) यदि उसकी राय में विलम्ब का कोई न्यायोचित कारण नहीं है तो यह निर्देशित करेगा कि नियोजक बकाया धनराशि के साथ–साथ उस पर जुर्माने भी अदा करे जो कि ऐसी धनराशि के पचास प्रतिशत अधिक नहीं होगा।

परन्तु शास्ति सम्बन्धी आदेश, कारण बताने के लिए नियोजक को युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये बिना पारित नहीं किया जायेगा।

5- मजदूरी का हिसाब करने की पद्धति :– मासिक मजदूरी से तात्पर्य एक मास की सेवा के लिए संदेय (Deemed) समझी जाने वाली मजदूरी की रकम से अभिप्रेत है (चाहे वह मजदूरी मास के हिसाब से या किसी भी अन्य कालावधि के हिसाब से संदेय हो) और जिसका हिसाब निम्नलिखित रूप से किया जाएगा, अर्थात

(क) जहॉ कि कर्मचारी उस नियोजक की, जो प्रतिकर का देनदार है, सेवा में दुर्घटना से ठीक पहले के बारह मास के अन्यून की निरन्तर कालावधि के दौरान रहा है, वहॉ कर्मकार की मासिक मजदूरी उस कुल मजदूरी का बारहवा भाग होगी, जो उस कालावधि

के अन्तिम बारह मासों में नियोजक द्वारा उसे संदाय के लिए शोध्य (Deemed to be Payable) हो गई है।

(ख) जहाँ कि दुर्घटना से ठीक पहले की उस सेवा का सम्पूर्ण निरन्तर कालावधि (Whole Continnuos Period of Service) उस नियोजक की सेवा में था जो प्रतिकर का देनदार है, एक मास से कम थी, वहॉ कर्मचारी की मासिक मजदूरी वह औसत मासिक रकम होगी जिसे उसी नियोजक द्वारा उसी काम में नियोजित कोई अन्य कर्मचारी , या यदि कोई कर्मचारी इस प्रकार नियोजित नहीं था, तो उसी परिक्षैत्र (Same Locality) में किसी वैसे ही काम में नियोजित कोई अन्य कर्मचारी दुर्घटना से ठीक पहले के बारह मास के दौरान उपार्जित कर रहा था।

(ग) अन्य दशाओं में जिनके अन्तर्गत वे दशाऐं आती है, जिनमें कि आवश्यक जानकारी के अभाव में ऊपर खण्ड (ख) के अधीन दर्शायी मासिक मजदूरी का हिसाब करना सम्भव नहीं है। ऐसी अवस्था में मासिक मजदूरी उस नियोजक से, जो प्रतिकर का देनदार है, दुर्घटना से ठीक पहले की सेवा की अन्तिम निरन्तर कालावधि के लिए उपार्जित (Earned) कुल मजदूरी को ऐसी कालावधि में समाविष्ट दिनों की संख्या में विभाजित करने पर प्राप्त भजनफल की तीस गुनी होगी।

(The monthly wages shall be thirty times the total wages earned in respect of the last continuous period of service devided by the number of days comprising such period)

स्पष्टीकरण – सेवा की ऐसी अवधि जिसमें काम पर से चौदह दिन से अधिक की अनुपस्थिति कालावधि के लिए विच्छेद (Interruption) नहीं हुआ है, इस धारा के प्रयोजनों के लिए निरन्तर कालावधि समझी जाएगी।

11- प्रतिकर का वितरण – (1) किसी ऐसे कर्मचारी के बारे मे, जिनकी मृत्यु क्षति के परिणामस्वरूप हो गई है, प्रतिकर का कोई भी भुगतान और किसी स्त्री को या विधिक निर्योग्यता के अधीन व्यक्ति को प्रतिकर के रूप में एक मुश्त राशि का कोई भी भुगतान आयुक्त के पास जमा करने से अन्यथा नहीं किया जाएगा और सीधे नियोजक द्वारा कर दिये गए किसी ऐसे भुगतान के बारे में यह न समझा जाएगा कि वह प्रतिकर का भुगतान है।

12- प्रतिकर का समनुदिष्ट, कुर्क या भारित न किया जाना (Compensation not to be assigned attached or charged)

इस अधिनियम के अधीन देय कोई भी एकमुश्त राशि या अर्द्धमासिक देय राशि इस अधिनियम द्वारा यथ उपबंधित के सिवाय किसी भी प्रकार समनुदिष्ट (Assigned) या भारित (Charged) किए जाने के योग्य या कुर्की के दायित्व के अधीन नहीं होगा और न कर्मकार के भिन्न किसी व्यक्ति को विधि की क्रिया द्वारा सक्रांत (Pass) होगा और न कोई दावा उसके विरूद्ध मुजरा (Set off) किया जाएगा।

13- प्राणांतक दुर्घटनाओं और गम्भीर शारीरिक क्षतियों की रिपोर्ट :–

जहॉ कि किसी तत्समय प्रचलित विधि द्वारा यह अपेक्षित है कि नियोजक के परिसर में घटित किसी ऐसी दुर्घटना की, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु या गम्भीर क्षति हो गई है, सूचना किसी प्राधिकारी को नियोजक द्वारा या उसकी ओर से दी जाए वहॉ वह व्यक्ति जो सूचना देने के लिए अपेक्षितहै, मृत्यु या गम्भीर शारीरिक क्षति के सात दिन भीतर आयुक्त को एक रिपोर्ट भेजेगा जिसमें वे परिस्थितियॉ बताई जाएगी जिनमें मृत्यु या गम्भीर शारीरिक क्षति हुई है।

18 क शास्तियॉ

(1) जो कोई –

(क) वह सूचना– पुस्तक रखने में असफल रहेगा जिसे रखने के लिए वह धारा10 की उपधारा (3) के अधीन अपेक्षित है, अथवा

(ख) आयुक्त को वह विवरण भेजने में असफल रहेगा जिसे रखने के लिए वह धारा10क की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित है, अथवा

(ग) वह रिपोर्ट भेजने में असफल रहेगा जिसे भेजने के लिए वह धारा 10 ख के अधीन अपेक्षित है, अथवा

(घ) वह विवरणी देने में असफल रहेगा जिसे देने के लिए वह धारा 16 के अधीन अपेक्षित है तो वह जुर्माने से, जो पॉच हजार रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2) इस धारा के अधीन कोई भी अभियोजन (Prosecution) आयुक्त के द्वारा या उसकी पूर्व मंजूरी से स्थित किए जाने के सिवाय, संस्थित (Instituted) नहीं किया जाएगा, और कोई भी न्यायालय इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान (Cognizance) तब तक नहीं करेगा जब तक कि अपराध के लिए परिवाद उस तारीख से छह मास के भीतर नहीं किया जाता जिस तारीख को अभिकथित अपराध का किया जाना आयुक्त को ज्ञात हुआ था।

आयुक्त : आयुक्तों को निर्देश –

3. यदि प्रतिकर देने के किसी व्यक्ति के दायित्व के विषय में कोई प्रश्न (जिसके अन्तर्गत यह प्रश्न आता है कि क्षत व्यक्ति कर्मचारीहै या नहीं) या प्रतिकर की रकम या अवधि के विषय में कोई प्रश्न (जिसके अन्तर्गत निःशक्तता के प्रकार या विस्तार विषयक प्रश्न आता है) इस अधिनियम के अधीन की किन्हीं कार्यवाहियों में उठता है तो वह प्रश्न करार के अभाव में आयुक्त द्वारा तय किया जाएगा।
4. किसी भी सिविल न्यायालय को किसी ऐसे प्रश्न को जिसके लिए इस अधिनियम के द्वारा या अधीन यह अपेक्षित है कि वह आयुक्त द्वारा तय किया जाए या विनिश्चिय किया जाए या उसके बारे में कार्यवाही आयुक्त द्वारा की जाए तय करने, विनिश्चिय करने या उसके बारे में कार्रवाई करने की या इस अधिनियम के अधीन उपगत किसी दायित्व को प्रवर्तित कराने की अधिकारिता न होगी।

कार्यवाहियों का स्थान और अंतरण (Venue of Proceedings and Transfer) :

1. जहॉ इस अधिनियम के अधीन किसी भी मुद्दे का निस्तारण एक आयुक्त के समक्ष या द्वारा किया जाना होता है, वहॉ इस अधिनियम के उपबन्धों एवं इसके अधीन निर्मित किसी भी नियमों के विषय का निस्तारण उस क्षैत्र के लिए आयुक्त के समक्ष या द्वारा किया जायेगा जिसमें :–

(क) दुर्घटना हुई जिससे क्षति हुई या

(ख) कर्मचारी या उसके मृत्यु के मामलें में साधारण तौर पर प्रतिकर का दावा करने वाला आश्रित निवास करता है या

(ग) नियोजक का अपना रजिस्टर्ड कार्यालय होता है।

अपीले : (1) आयुक्त के आदेशों विरूद्ध अपील उच्च न्यायालय में होगी।

अनुसूची–इस अधिनियम के अन्तर्गत अशक्तता के फलस्वरूप उपार्जन क्षमता में कमी, कर्मचारी की परिभाषा, उपजीविकाजन्य रोग व मुआवजें की राशि हेतु आयु गुणक निर्धारण हेतु निम्न अनुसूचियॉ बनायी गयी है।

अनुसूची–I	पार्ट–ा	स्थायी पूर्ण अशक्तता (PTD)
	पार्ट–ाा	स्थायी आंशिक अशक्तता (PPD)
अनुसूची–II	–	कर्मचारी की परिभाषा
अनुसूची–III	–	उपजीविकाजन्य रोगों की सूची (List of Occupational Diseases)
अनुसूची–IV	–	आयु गुणक (Age Factor) जिससे मुआवजे की राशि की गणना की जाए

दुर्घटना के समय पर्यवेक्षक का कर्त्तव्य (Duty of Superviser in Case of Injury):

कार्य के दौरान अथवा रोजगार के सिलसिले में कर्मचारी की दुर्घटना के फलस्वरूप व्यक्तिगत क्षति होती है तो एक पर्यवेक्षक के निमन कर्तव्य होगें –

1.	कर्मचारी की प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करवाते हुए चिकित्सक को बुलायेगें।
2.	48 घंटों के भीतर सभी संबंधितों को सूचना देगें।
3.	दो चश्मदीद गवाहों के बयान/विवरण लेगें, जहॉ तक सम्भव है।
4.	दुर्घटना का रेखाचित्र व सम्पूर्ण रिपोर्ट तैयार करेंगे।
5.	पिछले बारह माह के दौरान उस कर्मकार के आय के विवरण, अवकाश सहित तैयार करवायेगें।
6.	क्षतिग्रस्त कर्मचारी की चिकित्सा रिपोर्ट प्राप्त करेगें।
7.	दुर्घटना की पूर्ण जाँच करवायेंगें।

नोट – RBE No B(LL)99/AT/WC Dt. 12/3/99 के तहत Notional Extension of Duty के मामलों का स्पष्टीकरण व विवरण दिया गया है। रेल कार्य के दौरान किसी

रेल कर्मचारी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर उसकी विधवा/परिवार के योग्य सदस्य को अनुग्रह राशि का (Ex-Gratia) का भुगतान निम्न प्रकार किया जायेगा :–

(RBE 285/99, 136/08,4/11)

1.	रेल कार्य करते समय दुर्घटना में मृत्यु के मामले में	रू. 10 लाख
2.	रेल कार्य करते समय आंतकी हिंसा या असामाजिक तत्वों द्वारा हिंसा के कारण मृत्यु होने पर,	रू. 10 लाख
3.	यदि मृत्यु का कारण	
	a पड़ौसी देश से लड़ाई (War) या देश की सीमा पर मुठभेड़	रू. 15 लाख
	b युद्ध के दौरान आंतकी हमला, उग्रवादी हमला	
4.	मृत्यु कार्य के दौरान– सीमा पर दुश्मन चौकी द्वारा हमला, प्राकृतिक आपदा व अत्यन्त खराब मौसम के कारण होने पर	रू. 15 लाख
5.	एक मुश्त (Lump-Sum) अनुग्रह की कोई अधिकतम सीमा (Ceilling Limit) नहीं होगी।	
	(RBE 04/11 & 146/11)	
	यह आदेश 1/1/2006 के बाद उपरोक्त कारणों से मृत्यु के मामलों में ही लागू होगें।	
6.	प्रतिकर के रूप में अनुग्रह राशि की स्वीकृत हेतु महाप्रबन्धक सक्षम है। (RBE 285/99 & 31/09)	
7.	प्रतिकर के रूप में अनुग्रह राशि के मामलों का निष्पादन 03 माह में किया जाना चाहिये।	
	(RB's Letter No E(W)2008/CP-1/1 Dt. 10/6/2008) P.No 313 of RBO-99)	
8.	प्रतिकर के रूप में अनुग्रह राशि का प्रस्ताव वि.सं. व मु.ले.अ. (FA&CAO) को निम्न दस्तावेजों के साथ भेजना चाहिये –	
	(क) प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति	
	(ख) कर्मचारी की मृत्यु सूचना	
	(ग) पोस्टमार्टम रिपोर्ट (RB's Letter No W/2000/CP/1/4 Dt. 6/12/2000)	
9.	अनुग्रह राशि के तत्काल भुगतान हेतु यह ECS के माध्यम से किया जायेगा तथा कुछ विशेष मामलों में जहॉ यह सम्भव नहीं हो वहॉ चैक के माध्यम से यह भुगतान होगा। (RBA 33/10)	
10	अनुग्रह राशि पर आयकर नहीं लगेगा। (RBE 152/10)	

कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति भुगतान प्रक्रिया

1.	दुर्घटना की अवस्था में संबंधित कर्मचारी को तुरन्त मेडिकल सहायता उपलब्ध करवायी जानी चाहिये तथा अधिकृत चिकित्सा अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिये साथ ही दुर्घटना कारित होते ही निर्धारित प्रफोर्मा WCA-4 फार्म नम्बर 20 में वाँछित सूचना भरी जानी चाहिये।
2.	निर्धारित फार्म में सही व पूर्ण सूचना भरी जानी चाहिये साथ ही जहॉ तक सम्भव हो दुर्घटना स्थल पर ही गवाहों के बयान भी लिये जाने चाहिये।
3.	शाखा अधिकारी द्वारा घायल कर्मचारी को शीघ्र मेडिकल सहायता उपलब्धता सम्बन्धी व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिये तथा WCA-4 फार्म नम्बर 20 नहीं भरा गया है तो भरवाना चाहिये। गम्भीर दुर्घटना के मामले में संबंधित स्थानीय पुलिस मं एफआईआर दर्ज की जानी चाहिये और अगर 24 घण्टे के भीतर ऐसी एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो इसकी सूचना अधिकारी स्तर पर दी जानी चाहिये साथ ही इस घटना सम्बन्धी सूचना संबंधितों को भिजवाई जानी चाहिये जिसमें दुर्घटना स्थल का नक्शा, दुर्घटना सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी सम्मिलित हो तथा समुचित संख्या में गवाहों आदि के बयान 24 घंटे के भीतर ले लिये जाने चाहिये। दुर्घटना में मृत्यु के मामले में पोस्टमार्टम करवाकर उसकी रिपोर्ट प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में खण्ड कल्याण निरीक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। दुर्घटना कारित होने के 15 दिन के भीतर इस सम्बन्धी जॉच पूर्ण हो जानी चाहिये।
4.	घायल कर्मचारी सम्बन्धी जानकारी जैसे समय,स्थान तथा ड्यूटी घण्टे/रोस्टर इत्यादि के साथ ही दुर्घटना के कारणों का संक्षिप्त विवरण स्पष्ट रूप से रिकार्ड कर लिया जाना चाहिये साथ ही इस सम्बन्धी पूर्ण सूचना निर्धारित प्रफोर्मा में दुर्घटना के दिन ही भर ली जानी चाहिये।
5.	संबंधित विभाग तथा कार्मिक विभाग में इस सम्बन्धी रजिस्टर खोला जाना चाहिये, जिसमें ऐसे मामलों सम्बन्धी पूर्ण जानकारी रहेगी तथा संबंधित सभी मामले इसमें दर्ज किए जायेगें। कार्मिक शाखा का रजिस्टर कल्याण सम्बन्धी मामले देखने वाले सहायक कार्मिक अधिकारी के पास रहेगा जिसमें संबंधित सभी प्रविष्टियॉ दुर्घटना के तीन दिन के भीतर–भीतर कर दी जानी चाहिये।
6.	हित निरीक्षक द्वारा वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी को मासिक तौर पर दिये जाने वाले पीसीडीओ में ऐसी सभी दुर्घटनाओं सम्बन्धी सूचना दी जायेगी जिसमं अस्पताली छुट्टी स्वीकृति की जानी है या क्षतिपूर्ति भुगतान किया जाना है, विशेष रूप से मृत्यु के मामले में आईओडी के ऐसे मामले जिनके निष्पादन में अत्यधिक विलम्ब हो रहा है, वहॉ कार्मिक अधिकारी/कार्यरत इंचार्ज द्वारा मंडल रेल प्रबन्धक/यूनिट प्रधान के संज्ञान में लाया जाना चाहिये। ऐसे मामलों मे क्षतिपूर्ति भुगतान हेतु कार्मिक शाखा की सामंजस्य सम्बन्धी मुख्य भूमिका रहेगी। (Kay Roll of Co-Ordination)
7.	संबंधित हित /कार्मिक निरीक्षक मामलों को अन्तिम भुगतान (Ex Gratia भुगतान सहित) होने तक निगरानी में रखेंगे व चेज करेगें तथा मामले की प्रगति से संबंधित अधिकारी को नियमित रूप से अवगत करवाएगें।
8.	संबंधित कर्मचारी को वांछित मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवायी जानी चाहिये तथा किसी भी कठिनाई की अवस्था में हित निरीक्षक द्वारा मंडल रेल प्रबन्धक/यूनिट प्रधान की जानकारी में मामला लाया जाना चाहिये।
9.	क्षतिपूर्ति भुगतान की गणना निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप कर्मचारी के वेतन की सीलिंग लिमिट तथा न्यूनतम क्षतिपूर्ति भुगतान को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिये, साथ ही कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 2009 के पैरा 4 (4) के तहत भुगतान तथा दाहसंस्कार सम्बन्धी भुगतान भीसुनिश्चित किया जाना चाहिये।
10	जहॉ वांछित हो वहॉ अस्पतालीय छुट्टी स्वीकृत कराने सम्बन्धी कार्यवाही दुर्घटना के एक सप्ताह के भीतर–भीतर सुनिश्चित की जानी चाहिये तथा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि भुगतान निर्धारित शैडयूल के अनुसार हो।
11	एक्स ग्रेसिया भुगतान– संबंधित कर्मचारी के योग्य उत्तराधिकारी (Next of Kin) को एक्स ग्रेसिया भुगतान की मंडल रेल प्रबन्धक/मुख्य कारखाना प्रबन्धक से स्वीकृति सम्बन्धी कार्यवाही मृत्यु तिथि से 30 दिन के भीतर–भीतर पूर्ण कर ली जानी चाहिये तद्पश्चात मामला कार्मिक अधिकारी द्वारा महाप्रबन्धक की स्वीकृति हेतु मुख्यालय भेजा जायेगा।
12	इस संबंधी सभी मामलों की सूचना संबंधितकार्मिक अधिकारी को प्रत्येक 15 दिन में प्रस्तुत की जानी चाहिये। (संदर्भ GM(P)NWR L.No 999-E/o/W.C.Act/33Dt. 21/7/2015)
13	एक मुश्त एक्स ग्रेसिया भुगतान के सम्बन्ध में अवधि निर्धारण इत्यादि हेतु संयुक्त प्रक्रिया आदेश उत्तर पश्चिम रेलवे हेतु जारी किया गया। (GM(P)NWR L.450E/Ex-Gratia/Position Dt. 20/10/2015)

औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947
(Industrial Dispute Act 1947)

औद्योगिक विवाद अधिनियम सम्पूर्ण भारत में 01 अप्रेल, 1947 से लागू हुआ। यह नियम सामाजिक सुरक्षा व न्याय के सिद्धान्त पर औद्योगिर विवादों का निपटान करने के उद्देश्य से बनाया गया है।

महत्वपूर्ण परिभाषाएं :

(1) औद्योगिक विवाद : औद्योगिक विवाद से नियोजकों और नियोजकों के बीच या नियोजकों और कर्मचारियों के बीच तथा कर्मचारियों एवं कर्मचारियों के बीच कोई ऐसा विवाद या मदभेद अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति के नियोजन या अनियोजन या नियोजन के निबंधनों या श्रम शर्तो से सम्बन्धित है।

(2) कर्मकार (Workman) : कर्मकार से ऐसा कोई व्यक्ति (प्रशिक्षु समेत) अभिप्रेत है जो कि किसी उद्योग में कोई कौशलपूर्ण या कौशल रहित शारीरिक, पर्यवेक्षणीय, प्राविधिक या लिपिक सम्बन्धी कार्य अवक्रय या पुरस्कार (Hire or reward) पर करने के लिए नियोजित है, चाहे नियोजन की शर्ते अभिव्यक्त या प्रलक्षित हो और इस अधिनियम के अधीन औद्योगिक विवाद के संबंध में किसी कार्यवाही के लिए ऐसा कोई व्यक्ति इसके अन्तर्गत आता है जो ऐसे विवाद के संबंध में या ऐसे विवाद के परिणाम स्वरूप पदच्युत किया गया, अलग किया गया या छांट दिया गया है अथवा जिसकी पदच्युति, अलहदगी या छंटनी होने के कारण ऐसा विवाद उत्पन्न हुआ हो। किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति नहीं आता है :–
   (अ) जो स्थल सेना अधिनियम 1950 अथवा वायु सेना अधिनियम 1950 अथवा सेना अधिनियम 1957 के अध्याधीन हो अथवा
   (ब) जो पुलिस सेवा में या कारावास के पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी के रूप में नियुक्त हो अथवा
   (स) जो प्रबन्धक या प्रशासकीय सामार्थ्य में मुख्य रूप से नियुक्त हो, अथवा
   (द) जो पर्यवेक्षणीय स्थिति में नियुक्त होकर एक हजार छः सौ रूपये प्रति माह से अधिक वेतन प्राप्त करता हो।

(3) काम बिना रहने देना (Lay off) : किसी नियोजक द्वारा ऐसे कर्मकार को जिसका नाम उसके औद्योगिक संस्थान के मास्टर रोल में दर्ज है और जिसकी छंटनी नहीं हुई है उसे कोयले, विद्युत, शक्ति या कच्ची सामग्री की कमी या स्टाक जमा हो जाने या तंत्र भंग के कारण नियोजन देने में असफल होना, इन्कार करना या असमर्थ होना अभिप्रेत है।

(4) कारखाना बन्दी (Lock out) : कारखाना बन्दी से अस्थायी रूप में नियोजन स्थान को बन्द कर देना या काम का निलम्बन या अपने द्वारा नियोजित किसी संख्या में व्यक्तियों को नियोजन में लगाये रखने से नियोजक द्वारा इन्कार किया जाना अभिप्रेत है।

(5) हड़ताल (Strike) : हड़ताल से आशय किसी उद्योग में नियोजित व्यक्तियों के निकाय द्वारा मिलकर कार्य करते हुए काम बन्द कर देना या किसी संख्या में ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो नियोजित है या ऐसे नियोजन में लगे रहे, काम करते रहने से या नियोजन प्रतिग्रहित करने से समन्त्रित इन्कार करना या सामान्य करार के अधीन इन्कार अभिप्रेत है।

(6) उद्योग (Industry) : उद्योग का अर्थ है कोई क्रमबद्ध कार्य जो नियोजक और उसके नियोजितीगण द्वारा निष्पादित किया जाता है। ऐसे नियोजितीगण सीधे ऐसे नियोजक द्वारा अथवा किसी अभिकरण जिसके अन्तर्गत ठेकेदार है, के द्वारा या माध्यम से नियुघ किये गये हो, के बीच सहयोग द्वारा मानवीय आवश्यकताओं या

इच्छाओं की पूर्ति करने की दृष्टि से (ऐसी आवश्यकताओं या इच्छाएं नहीं जो केवल आध्यात्मिक या धार्मिक प्रकृति की हो) वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन, आपूर्ति या वितरण के लिए संचालित किया जाता हो चाहे,

(1) ऐसा कार्य करने के लिए पूंजी लगाई गई हो या न लगाई गई हो

अथवा तथा इसके अन्तर्गत आता है :–

(क) गोदी श्रमिक (सेवा विनियमन) अधिनियम 1948 के अन्तर्गत स्थापित गोदी श्रमिक परिषद का कोई कार्य,

(ख) किसी व्यवस्थापन द्वारा विक्रय या व्यापार या दोनों के प्रवर्तन से सम्बन्धित कोई कार्य, किन्तु इसके अन्तर्गत नहीं आता है :–

(i) कोई कृषि कार्य सिवाय जहाँ ऐसे कृषि कार्य किसी अन्य कार्य से समन्वित रूप में चलाया जाता हो (ऐसा कार्य होते हुए भी जो इस खण्ड में पूर्व के उपबन्धों में निर्देशित हो और ऐसे अन्य प्रचलित कार्य हो)

(ii) चिकित्सालय या औषधालय, अथवा

(iii) शिक्षा सम्बन्धी, विज्ञापन सम्बन्धी अनुसंधान अथवा प्रशिक्षण संस्थाएं, अथवा

(iv) संगठनों के स्वामित्व अथवा प्रबन्ध वाली संस्थाएं जो पूर्णतः या स्थायी रूप से धर्मार्थ समाज या परोपकारी सेवा में लगी हो, अथवा

(v) खादी अथवा ग्रामीण उद्योग, अथवा

(vi) सरकार का कोई कार्य जो सरकार के सम्प्रभु कार्यो से सम्बन्धित हो, अथवा

(vii) कोई घरेलू सेवा, अथवा

(viii) कोई कार्य जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय द्वारा व्यवसाय के रूप में किया जाता हो जबकि ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय द्वारा नियोजित व्यक्तियों की संख्या ऐसे व्यवसाय के संबंध में दस से कम हो, अथवा

(ix) कोई कार्य जो ऐसा कार्य हो जिसे कोई सहकारी संस्था या क्लब अथवा तत्सहश व्यक्तियों या समूह करता हो जबकि ऐसे कार्य के संबंध में ऐसी सहकारी संस्था, क्लब या व्यक्तियों के निकाय द्वारा नियोजित व्यक्तियों की संख्या दस से कम हो।

(7) छंटनी : छटनी से नियोजक द्वारा कर्मकार की सेवा का ऐसा पर्यवसान अभिप्रेत है, जो अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही के रूप में दिये गये दण्ड से भिन्न किसी अन्य कारण से किया गया है, किन्तु इसके अन्तर्गत निम्न सम्मिलित नहीं है :–

(क) कर्मकार की स्वैच्छापूर्ण निवृत्ति, या

(ख) अधिवार्षिकी आयु का हो जाने पर कर्मकार की उस दशा में निवृत्ति जिसमें नियोजक और कर्मकार के बीच हुई किसी नियोजन संविदा में उस निमित कोई अनुबन्ध अन्तर्विष्ट हो, अथवा

(खख) नियोजक और कर्मकार के बीच हुई नियोजन संविदा के समाप्त हो जाने पर उसका नवीकरण न किए जाने या नियोजन संविदा में उस निमित अन्तर्विष्ट किसी अनुबन्ध के अधीन ऐसी संविदा का पर्यवसान किए जाने के फलस्वरूप किसी कर्मकार की सेवा का पर्यवसान, या

(ग) इस आधार पर कर्मकार की सेवा का पर्यवसान (Termination) कि उसका स्वास्थ्य बराबर खराब रहा है।

(8) मजदूरी (Wages) : काम की शर्तो को पूरा करने पर काम के बदले में दी जाने वाली वह राशि जो मुद्रा में भुगतान की जाये, जिसमें सभी प्रकार के भत्ते, मकान किराये की राशि, पानी, बिजली, चिकित्सा व यात्रा कन्सेशन शामिल है।

परन्तु मजदूरी में बोनस, भविष्य निधि या पेंशन में नियोजक द्वारा दिया अंशदान या उपदान शामिल नहीं है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन प्राधिकारीगण :–

(1) कार्य समिति (Works Committee) : ऐसे किसी औद्योगिक संस्थापन की अवस्था में, जिसमें एक सौ या उससे अधिक कर्मकार नियोजित है या पिछले बारह मास में किसी दिन नियोजित रहे हैं, समुचित सरकार नियोजक से साधारण या विशेष आदेश द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगी कि यह नियोजकों के और उस संस्थापन में लगे हुए कर्मकारों के प्रतिनिधियों की एक कार्य समिति विहित रीति में इस प्रकार गठित करं कि समिति के कर्मकारों के प्रतिनिधियों की संख्या नियोजक के प्रतिनिधियों की संख्या से कम न हो। कार्य समिति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह नियोजकों के बीच सौहार्द और अच्छे संबंध बनाने के उपाय करें।

(2) समझौता पदाधिकारी (Concillation Officer) : समुचित सरकार ऐसी संख्या में, जैसी कि वह उचित समझे, ऐसे व्यक्तियों को, जिन पर औद्योगिक विवाद में बीच बचाव करने और उनका निबटान करा देने का कर्त्तव्य भार रखा गया हैं, समझौता अधिकारी होने के लिए राजकीय गजट के अधिसूचना द्वारा नियुक्त कर सकेगी। कोई समझौता पदाधिकारी किसी उल्लिखित क्षेत्र के लिए या उस क्षेत्र में उल्लिखित उद्योग के लिए मर्यादित कालावधि के लिए नियुक्त किया जा सकेगा।

(3) समझौता बोर्ड (Concillation Board) : समुचित सरकार जब भी अवसर पैदा हो, औद्योगिक विवाद का निपटारा कराने के लिए समझौता बोर्ड राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा गठित कर सकेगी। बोर्ड के अन्तर्गत सभापति और दा या चार अन्य सदस्यों से, जैसा कि समुचित सरकार उचित समझे गठित होगा। सभापति स्वतंत्र होगा व बोर्ड के अन्य सदस्य विवाद के पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बराबर संख्या में नियुक्त किये जायेंगे।

(4) जाँच न्यायालय (Court of Inquiry) : राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा सरकार किसी विवाहित मामले की जांच करने के लिए जांच न्यायालय का गठन कर सकेगी। न्यायालय एक स्वतंत्र व्यक्ति से या इतने स्वतंत्र व्यक्तियों में से मिलकर गठित हो सकेगा जैसा सरकार उचित समझे। दो या दो से अधिक सदस्यों के नियुक्त होने पर एक सभापति नियुक्त किया जाएगा।

(5) श्रम न्यायालय (Labour Court) : समुचित सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा दूसरी अनुसूची में उल्लेखित किसी विषय से सम्बन्धित औद्योगिक विवादों के न्याय निर्णय करने के लिए तथा ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए जो कि उनको अधिनियम के अधीन सौंपे जाये, एक या अधिक श्रम न्यायालय का गठन कर सकेगी जो कि औद्योगिक विवादों पर अधिनिर्णय होने के लिए स्वतंत्र होगा।

जैसा कि :–

(अ) नियोक्ता द्वारा पारित आदेश की वैधानिकता।
(ब) किसी स्टेण्डिंग आदेश की व्याख्या।
(स) कर्मकार की बेदखली अथवा छंटनी सम्बन्धी आदेश की न्यायिक वैद्यता।
(द) किसी भी पारस्परिक सुविधा पर रोक के आदेश के संदर्भ में।
(य) हड़ताल एवं तालाबन्दी की वैद्यता।
(र) अनुसूची में दर्शाया गए किसी भी मामले के संवर्ग में।

(6) अधिकरण (Tribunel) : समुचित सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा किसी विषय में सम्बन्धित औद्योगिक विवाद के न्याय निर्णय करने के लिए, चाहे वे दूसरी

अनुसूची या तीसरी अनुसूची में उल्लिखित हो, एक या अधिक औद्योगिक अधिकरण गठित कर सकती है। अधिकरण निम्न मामलों में अधिनिर्णित कर सकते :–

(अ) मजदूरी जिसमें अवधि एवं भुगतान सम्मिलित है।
(ब) अनुकम्पा एवं अन्य भत्ते।
(स) विश्राम के घण्टे।
(द) बोनस लाभ।
(य) छुट्टी के साथ मजदूरी छुट्टी।
(र) शिफ्ट कार्य।

(7) राष्ट्रीय अधिकरण (National Tribunel) : केन्द्रीय सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे औद्योगिक विवादों के न्याय निर्णय करने के लिए जो कि केन्द्रीय सरकार की राय में राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न उठाते हैं अथवा ऐसी प्रकृति के हैं कि एक से अधिक राज्यों में स्थित औद्योगिक संस्थान ऐसे विवादों में हित रखते हुए प्रकट होते हो अथवा प्रभावी होते हो तो एक या अधिक राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण गठित कर सकती है।

<u>प्राधिकारियों की प्रक्रिया, शक्तियाँ और कर्त्तव्य</u> :

(1) इन नियमों के अध्याधीन रहते हुए जो इस निमित बनाए जाएं, मध्यस्थ, बोर्ड, न्यायालय, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण, ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे जैसा कि मध्यस्थ या अन्य प्राधिकारी उचित व ठीक समझे।

(2) सभी सुलह अधिकारी, प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी किसी विद्यमान या आंशकित औद्योगिक विवाद की जांच के प्रयोजन के लिए, युक्तियुक्त सूचना देने के पश्चात, किसी ऐसे परिसर में प्रवेश कर सकेंगे, जो किसी ऐसे स्थापन के अधिभोग में हो, जिससे वह विवाद सम्बन्धित हों।

(3) सुलह अधिकारी, प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी को किसी व्यक्ति को हाजिर कराने, शपथ पत्र देने, दस्तावेज के लिए विवश करने व साक्षी के लिए आयोग बैठाने सम्बन्धित सभी शधियां होगी जो सिविल न्यायालय की होती है।

(4) सुलह अधिकारी, न्यायालय, प्राधिकरण के सदस्यों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–21 के अर्थ के अन्दर लोक सेवक समझा जायेगा।

<u>सुलह अधिकारी के कर्त्तव्य</u> :

(1) जहाँ पर औद्योगिक विवाद विद्यमान है या उसके होने की आंशका है वहां सुलह अधिकारी विहित रीति से सुलह कार्यवाही कर सकेगा या जहाँ कि विवाद किसी लोक उपयोगी सेवा के संबंध में है और धारा–22 के अधीन सूचना दे दी गई है, वहां ऐसी कार्यवाहियां विहित रीति से कर सकेगा।

(2) सुलह अधिकारी विवाद का समझौता कराने के प्रयोजन के लिए विवाद का तथा उसके गुणावगुण और उसके ठीक समझौता होने पर प्रभाव डालने वाले सभी मामलों का अन्वेषण अविलम्ब करेगा व समझौता कराने के लिए पक्षकारों से बात करेगा, जिसे वह ठीक समझे।

(3) यदि विवाद का या विवादग्रस्त मामलों में से किसी का भी समझौता सुलह कार्यवाहियों के द्वारा हो जाता है तो सुलह अधिकारी सरकार या समुचित सरकार द्वारा निमित किसी अधिकारी को उसकी रिपोर्ट, विवाद के पक्षकारों द्वारा हस्तारक्षित समझौता ज्ञापन सहित भेजेगा।

(4) यदि समझौता नहीं हो पता है तो भी सुलह अधिकारी अन्वेषण समाप्त होने के पश्चात यथा साध्य शीघ्रता से समुचित सरकार को पूरी रिपोर्ट भेजेगा जिसमें

विवाद से सम्बन्धित तथ्यों, परिस्थितियों, समझोते के लिए उठाये गये कदम, आदि का पूर्ण विवरण व वे कारण जिसके कारण समझौता नहीं हुआ, उपवर्णित करेगा।

(5) इस धारा के अधीन रिपोर्ट, सुलह कार्यवाहियां प्रारम्भ होने के चौदह दिन के भीतर या ऐसी अल्पतर कालावधि के भीतर जैसी समुचित सरकार द्वारा नियत की जाये, भेजी जायेगी।

बोर्ड के कर्त्तव्य (Duties of Board) :

(1) जहाँ कि कोई विवाद इस अधिनियम के अधीन बोर्ड को निर्देशित किया गया है, वहां बोर्ड का यह कर्त्तव्य होगा कि वह उसका समझौता कराने का प्रयास करें और बोर्ड इस प्रयोजन के लिए विवाद व समझौता होने पर प्रभाव डालने वाले सभी मामलों का अन्वेषण अविलम्ब ऐसी रीति से, जैसा वह उचित समझे करेगा।

(2) यदि विवाद का या विवादग्रस्त मामलों में से किसी का भी समझौता सुलह कार्यवाही के अनुक्रम में हो जाता है तो उसकी रिपोर्ट विवाद के पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन सहित भेजेगा। (दो माह में या समुचित सरकार द्वारा निश्चित समय अनुसार)

(3) रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात समुचित सरकार मामले को किसी न्यायालय या प्राधिकरण को नहीं भेजेगी व सम्बन्धित पक्षकारों को निर्णय से अवगत कराया जायेगा।

न्यायालय के कर्त्तव्य (Duties of Courts) :

न्यायालय अपने को निर्देशित मामलों की जांच करेगा और उन पर अपनी रिपोर्ट समुचित सरकार को जांच प्रारम्भ होने के छः माह की अवधि के भीतर देगा।

श्रम न्यायालयों, अधिकरणों और राष्ट्रीय अधिकरणों के कर्त्तव्य :

जहाँ कोई औद्योगिक विवाद, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को निर्णय के लिए निर्देशित किया जाता है तो वह अपनी कार्यवाही शीघ्र व निर्देशित कालावधि में पूरा करेंगे व रिपोर्ट समुचित सरकार को निवेदित करेंगे।

रिपोर्टो और अधिनिर्णयों का प्रकाशन :

समुचित सरकार द्वारा किसी बोर्ड, न्यायालय या अधिकरण की रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर प्रकाशित की जानी चाहिए।

अधिनिर्णय का प्रारम्भ :

अधिनिर्णय (जिसके अन्तर्गत पंचाट आता है) धारा–17 के अधीन प्रकाशन की तारीख से तीन दिन की समाप्ति पर लागू हो जायेगा, जब तक समुचित सरकार अपने गजट में इसका प्रकाशन नहीं कराये, वह लागू नहीं होगा।

लोक उपयोगी सेवा में हड़ताल :

अधिनिर्णय (जिसके अन्तर्गत पंचाट आता है) धारा–17 के अधीन प्रकाशन की तारीख से तीन दिन की समाप्ति पर लागू हो जायेगा, जब तक समुचित सरकार अपने गजट में इसका प्रकाशन नहीं कराये, वह लागू नहीं होगा।

अवैध हड़ताल व तालाबन्दी :

कोई भी सरकार या समुह जो जन उपयोगी सेवा में कार्यरत है। "हड़ताल" पर नहीं जा सकते है तथा वे नियोक्ता जो जन उपयोगी सेवा से सम्बन्धित है, इस अधिनियम की धारा 22 व 23 की अवहेलना कर यदि हड़ताल या तालाबन्दी करते है तो उसे अवैध माना जायेगा।

यदि निम्न शर्तो को पूरा नहीं किया जाए तो हड़ताल व तालाबन्दी अवैध होगी :

(1) हड़ताल पर जाने से पूर्व छः सप्ताह का नोटिस नहीं देना।
(2) नोटिस देने के 14 दिनों में हड़ताल या तालाबन्दी करना।
(3) नोटिस में दर्शायी तिथि से पूर्व हड़ताल पर जाना।
(4) सुलह अधिकारी के पास लम्बित विवाद के दौरान अथवा सुलह प्रक्रिया की समाप्ति के 07 दिनों के अन्दर।
(5) अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण में लम्बित विवाद के दौरान या सुलह प्रक्रिया समाप्ति के 02 माह के पश्चात जहाँ विवाद नोटिस जारी कर दिया गया है।
(6) "पंचाट" प्रक्रिया में लम्बित विवाद के दौरान अथवा के पूर्व अथवा सुलह प्रक्रिया समाप्ति के 02 माह पश्चात जहाँ विवाद नोटिस जारी कर दिया गया हो।
(7) उस दौरान जब सुलह प्रक्रिया चल रही हो।

अवैध हड़ताल व तालाबन्दी :

(1) जो कर्मकार ऐसी हड़ताल, जो इस अधिनियम के अधीन अवैध है, प्रारम्भ करेगा, चालू रखेगा या अग्रसर करने में अन्यथा कोई कार्य करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि एक माह तक की हो सकती है या जुर्माने से, जो पचास रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।
(2) जो नियोजक ऐसी तालाबन्दी, जो इस अधिनियम के तहत अवैध है, प्रारम्भ करेगा, चालू रखेगा या अग्रसर करने में अन्यथा कोई कार्य करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि एक माह तक की या जुर्माना जो एक हजार रूपये तक या दोनों से दण्डनीय होगा।

उकसाने आदि के लिए शास्ति :

जो व्यक्ति हड़ताल या तालाबन्दी जो इस अधिनियम के तहत अवैध है, भाग लेने के लिए दूसरों को उकसायेगा उसे छःमाह का कारावास या एक हजार रूपये जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा।

अवैध हड़तालों और तालाबन्दी के वित्तीय सहायता देने के लिए शास्ति :

जो व्यक्ति किसी अवैध हड़ताल या तालाबन्दी के समर्थन में जानते हुए वित्तीय सहायता देगा उसे छःमाह की कारावास या एक हजार रूपये जुर्माना या दोनों से दण्डनीय किया जा सकेगा।

समझौता या अधिनिर्णय के भंग के लिए शास्ति :

जो व्यक्ति किसी ऐसे समझौते या अधिनिर्णय के जो इस अधिनियम के तहत समझौते या अधिनिर्णय को भंग करेगा उसे छःमाह के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। जहाँ भंग लगातार हो वहां प्रत्येक दिन के दो सौ रूपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

कारखाना अधिनियम – 1948

(Factory Act 1948)

कारखाना अधिनियम (23 सितम्बर 1948) को पारित करें सम्पूर्ण भारत में 01 अप्रैल 1949 को लागू किया गया। इस अधिनियम में कारखाना मजदूर व मालिक के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा व कल्याण तथा कार्य के घण्टों, छुट्टी, समयोपरि भत्ता, विश्राम आदि हेतु प्रावधान किये गये हैं। यह अधिनियम रेलवे के सभी कारखानों व उत्पादन इकाईयों पर लागू हैं, परन्तु लोको शैड व कैरेज डिपो पर यह लागू नहीं होगा।

(1) ''कारखाना'' से कोई ऐसा परिसर अभिप्रेत है जिसमें :–

i दस या अधिक कर्मकार काम कर रहे हैं या पूर्ववर्ती बारह मास के किसी दिन काम करते रहे थे और जिसके किसी भाग में विनिर्माण प्रक्रिया शक्ति (बिजली) की सहायता से की जा रही है या आमतौर से इस तरह की जाती है, या

ii बीस या अधिक कर्मकार काम कर रहे हैं या पूर्ववर्ती बारह मास के किसी दिन काम करते रहे थे और जिसके किसी भाग में विनिर्माण प्रक्रिया शक्ति (बिजली) की सहायता के बिना जा रही है, या आमतौर से ऐसे की जाती है।

(2) ''कर्मकार'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत हे जो किसी विनिर्माण प्रक्रिया में, या मशीनरी अथवा विनिर्माण प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त परिसर के किसी भाग की सफाई में या विनिर्माण प्रक्रिया अथवा विनिर्माण प्रक्रियाधीन विषयवस्तु के प्रासंगिक या उससे सम्बन्धित किसी अन्य प्रकार के काम में मुख्य नियोजक की जानकारी में या उसके बिना चाहे सीधे या किसी अभिकरण (जिसके अन्तर्गत ठेकेदार भी सम्मिलित है) द्वारा या उसके मार्फत् और चाहे पारिश्रमिक पर या उसके बिना नियोजित हो, किन्तु संघ के सशस्त्र बल का कोई सदस्य इसके अन्तर्गत नहीं है।

(3) ''विनिर्माण प्रक्रिया'' से अभिप्रेत है :–

i किसी वस्तु या पदार्थ के प्रयोग, विक्रय, परिवहन, परिदान या व्ययन की दृष्टि से उसका निर्माण, परिवर्तन, मरम्मत, अलंकरण, परिष्करण, पैकिंग, स्नेहन, धुलाई, सफाई, विघटन, उन्मूलन या अन्यथा अभिक्रियान्वयन या अनुकूलन करने के लिए कोई प्रक्रिया, या

ii तेल, जल, मल या कोई अन्य पदार्थ उद्वहित करने के लिए कोई प्रक्रिया, या

iii शक्ति का उत्पादन, रूपान्तरण या संचारण करने के लिए कोई प्रक्रिया, या

iv मुद्रण के लिए टाइप कम्पोज करने, लैटर–प्रेस, अश्म–मुद्रण, प्रकाशोत्कीर्ण या अन्य वैसी ही प्रक्रिया द्वारा मुद्रण या जिल्द–बन्दी करने के लिए कोई प्रक्रिया, या

v पोतों या जलयानों को सन्निर्मित करने, पुनःसनिर्मित करने, मरम्मत करने, पुनः फिट करने, परिष्कृत करने या विघटित करने के लिए कोई प्रक्रिया, या

vi शीतागार में किसी वस्तु के परिक्षण या भण्डारकरण के लिए कोई प्रक्रिया,

(4) कारखाने के अधिष्ठाता (Occupier) से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे कारखाने के कामकाज पर अन्तिम नियंत्रण प्राप्त है।

i परन्तु– किसी फर्म की दशा में, उसका कोई एक व्यष्टिक भागीदार या सदस्य अधिष्ठाता समझा जायेगा,

ii परन्तु– किसी कम्पनी की दशा में, निदेशकों में से कोई एक अधिष्ठाता समझा जायेगा,

iii परन्तु– केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कारखाने की दशा में, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कारखाने के कामकाज के प्रबन्ध के लिए नियुक्त किये गये व्यक्ति या व्यक्तियों को अधिष्ठाता समझा जायेगा।

(5) अधिष्ठाता (Occupier) के साधारण कर्त्तव्य– प्रत्येक अधिष्ठाता, जहाँ तक युक्तियुक्त रूप से साध्य है, कारखाने के सभी कर्मकारों का कारखानें में उनके काम के समय, स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करेगा।

(6) निरीक्षक (Inspector)– राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे व्यक्तियों

को, जिनके पास विहित अर्हतायें हो, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निरीक्षक नियुक्त कर सकेगी और उन्हें ऐसी स्थानीय सीमायें सौंप सकेगी जैसी वह ठीक समझें।

(7) निरीक्षक की शक्तियाँ (Power of the Inspector)– उक्त अधिनियम के तहत प्रदत्त नियमों के आधार पर स्थानीय सीमाओं सहित, जिसके लिये उसे नियुक्त किया गया है, निम्न अधिकार होगें:–

i उस स्थान पर प्रवेश कर सकता है जिसका फैक्ट्री की तरह प्रयोग हो रहा है।

ii किसी प्रांगण, मशीन, प्लाण्ट का परीक्षण कर सकेगा।

iii किसी भी दुर्घटना की जाँच कर सकेगा तथा उचित समझेगा तो सम्बन्धित पक्षों के बयान ले सकेगा।

iv फैक्ट्री से सम्बन्धित किसी भी रजिस्टर या दस्तावेजों की माँग कर सकेगा।

v फैक्ट्री से सम्बन्धित किसी रजिस्टर या रिकार्ड की प्रति लेना या जब्त कर सकेगा।

vi नियोक्ता को फैक्ट्री में किसी स्थान या जगह को परिवर्तित न करने का निर्देश दे सकेगा।

vii अधिनियम के तहत निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।

viii उचित समझे तों रिकार्डिंग, फोटो आदि ले सकेगा।

स्वास्थ्य (Health)

i सफाई (Cleanliness) (Sec.-11)

प्रत्येक कारखाना साफ व दुर्गन्ध से दूर रखा जायेगा, कार्यस्थल का फर्श कम से कम एक बार प्रति सप्ताह साफ किया जायेगा।

दीवारें, विभाजक, छतें, रास्तों की छतें, सीढ़ियाँ पाँच वर्ष में एक बार अवश्य रंग रोगन की जायेगी, जहाँ पर सफेदी की आवश्यकता है, वह 14 माह में एक बार अवश्य की जानी चाहियें।

दरवाजें, खिड़कियाँ पाँच वर्ष में क बार अवश्य रंगे जायेगें।

ii कचरे और बहिःस्त्राव का व्ययन (Disposal of waste and effluents) (Sec.-12)

प्रत्येक कारखाने में विनिर्माण प्रक्रिया के चलाये जाने से निकलने वाले कचरे और बहिःस्त्राव की अभिक्रिया के लिए, जिससे कि वे हानिकारक न रह जायें, और उनके व्ययन के लिए कारगर प्रबन्ध किये जायेगें।

iii संवातन और तापमान (Ventilation & temperature) (Sec.-13)

प्रत्येक काम करने के कमरे में निम्नलिखित को सुनिश्चित करने और बनाये रखे के लिये प्रत्येक कारखाने में प्रभावपूर्ण और यथोचित व्यवस्था की जायेगीः–

क स्वच्छ वायु के परिसंचारण के लिए पर्याप्त संवातन (Ventilation), और

ख ऐसा तापमान जिससे कर्मकारों को वहाँ युक्तियुक्त सुखद दशा महसूस किया जाये।

iv धूल और धूआँ (Dust & fume) (Sec.-14)

प्रत्येक कारखाने में, जिसमें वहाँ पर चलाई जाने वाली विनिर्माण प्रक्रिया के कारण कोई धूल या धूम या अन्य अपद्रव्य, जो इस प्रकार का और इतना हो जिसका वहाँ पर नियोजित कर्मकारों के लिए क्षतिकारक प्रभाव होना सम्भाव्य हो, अथवा पर्याप्त मात्रा में कोई धूल निकलती हो, किसी काम करने के कमरे में उसके संचयन को रोकने के लिए प्रभावपूर्ण उपाय किये जायेगें।

v कृत्रिम नमीकरण (Artifical Humidification) (Sec.-15)

उन सब कारखानों के सम्बन्ध में जिनमें वायु की नमी कृत्रिम रूप से बढ़ाई जाती है, राज्य सरकारः–

क नमीकरण का मान विहित करने वाले,

ख वायु की नमी कृत्रिम रूप से बढ़ाने के तरीकों को विनियमित करने वाले,

ग वायु की नमी अवधारित करने के लिए विहित परीक्षणों का ठीक तौर से किया जाना और अभिलिखित किया जाना,,

घ ऐसे किसी कारखाने में जिसमें वायु की नमी को कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है, इस

प्रयोजन के लिए प्रयुक्त जल सार्वजनिक प्रदाय से लिया जायेगा अथवा पीने के जल के अन्य स्त्रोत से लिया जायेगा।

vi अतिभीड़ (Over crowding) (Sec.-16)

किसी कारखाने में किसी कमरे में इतनी अधिक भीड़ नहीं होगी कि वहाँ नियोजित कर्मकारों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को विद्यमान कारखाने के प्रत्येक काम करने के कमरे में कम से कम 9.9 घनमीटर और इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात बने कारखाने के प्रत्येक काम करने के कमरे में कम से कम 14.2 घनमीटर जगह वहाँ नियोजित कर्मकार के लिए होगी।

vii रोशनी (Lighting) (Sec.-17)

कारखाने के हर एक भाग में जहाँ कर्मकार काम करते हैं या जहाँ से गुजरते हैं, प्राकृतिक, कृत्रिम अथवा दोनों प्रकार की पर्याप्त और यथोचित रोशनी की व्यवस्था की जायेगी और बनाई रखी जायेगी।

viii पीने का जल (Drinking water) (Sec.-18)

हर कारखाने में ऐसे यथोचित स्थलों पर जो वहाँ नियोजित सब कर्मकारों के लिये सुविधाजनक रूप से स्थित हो, स्वच्छ पीने के जल के पर्याप्त प्रदाय की व्यवस्था करने और उसे बनायें रखने के लिए प्रभावपूर्ण प्रबन्ध किये जायेगें।

ix शौचालय और मूत्रालय (Latrines & Urinals) (Sec.-19)

क हर कारखाने में– विहित प्रकार के पर्याप्त शौचालय और मूत्रालय स्थान की व्यवस्था की जायेगी जो सुविधाजनक रूप से नजदीक स्थित होगें और जिन तक कर्मकारों की, सब समयों पर जब से कारखाने में काम पर हो, पहुॅच होगी,

ख पुरूष और स्त्री कर्मकारों के लिए पृथक–पृथक बन्द शौचालयों की व्यवस्था की जायेगी,

ग ऐसे स्थानों में पर्याप्त रोशनी और संवातन (Ventilation) होगा तथा किसी भी शौचालय या मूत्रालय के लिए, जब तक कि मुख्य निरीक्षक द्वारा लिखकर विशिष्टतः छूट न दी गई हो, किसी काम करने के कमरे से पहुॅच, बीच में खुली जगह से अन्यथा नहीं होगी,

घ ऐसे सब स्थान हर समय साफ और स्वच्छ स्थिति में रखे जायेगें,

ड़ सफाईकर्मी नियोजित किये जायेगें जिनका प्राथमिक कर्त्तव्य शौचालयों, मूत्रालयों और धुलाई स्थानों को साफ रखना होगा

x थूकदान (Spittoons) (Sec.-20)

हर कारखाने में सुविधाजनक स्थानों पर पर्याप्त संख्या में थूकदानों की व्यवस्था की जायेगी और इन्हें साफ और स्वास्थ्यकर दशा में रखा जायेगा।

xi सुरक्षा (Safety) -

i मशीनों पर बाड़ लगाना (Fencing of machinery) (Sec.-21)

प्रत्येक कारखानें में धूरी पर घूमने वाले सभी उपकरण जिससे दुर्घटना की सम्भावना हो उन्हें बाढ़ (Fencing)लगाकर सुरक्षित किया जाना चाहिये

ii मशीनरी के गति में होने पर उस पर या उसके निकट काम
(Work on or near machinery in motion) (Sec.-22)

जहाँ किसी कारखाने में मशीनरी के किसी भाग का उस मशीनरी के गति में होते हुए परीक्षा करना आवश्यक हो वहाँ ऐसी परीक्षा या संक्रिया चुस्त कपड़े पहने (जो अधिष्ठाता द्वारा दिए जायेगें) विशेष रूप से शिक्षित उस वयस्क पुरूष कर्मकार द्वारा ही की जायेगी जिसका नाम इस निमित विहित रजिस्टर में अधिलिखित है और जिसे उसकी नियुक्ति का प्रमाण–पत्र दे दिया गया है।

iii खतरनाम मशीनों पर अल्पवय व्यक्तियों का नियोजन
(Employment of young persons on dangerous machines) (Sec.-23)

किसी अल्पवय व्यक्ति से किसी ऐसी मशीनरी पर, जिस को यह धारा लागू होती

है, काम करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी या उसे अनुज्ञा नहीं दी जायेगी जब तक कि उसको उस मशीन से पैदा होने वाले खतरों तथा अनुपालन की जाने वाली पूर्व सावधानियों के बारे में पूर्णतः अवगत न करा दिया गया हो।

iv बिजली काटने के लिए आघात–गियर और युक्तियाँः–
(Striking gear & Devices for cutting of power) (Sec.-24)
हर एक कारखाने में आपात के समय चालू मशीनरी से बिजली काटने के लिए उपयुक्त युक्तियों की व्यवस्था की जायेगी और उन्हें प्रत्येक काम करने के कमरे में रखा जायेगा।

v स्वचलित मशीन व नई मशीन का आवेष्टनः–
(Self acting machines & casing of new machines) (Sec.-25, 26)

क किसी स्वचलित मशीन का कोई भाग अगर घूमता है व वहाँ से कर्मकारों को कार्य के दौरान गुजरना पड़ता है तो उन्हें मशीन से 45cm के या उस स्थान से गुजरने नहीं दिया जायेगा।

ख मशीन के नट–बोल्ट, कीलों, चक्र आदि को हर प्रकार धंसाया जायेगा ताकि कर्मकारों को क्षति न पहुँचे।

vi रूई धुनकियों के पास स्त्रियों और बच्चों के नियोजन का प्रतिषेधः–(Probhition of employment of women & children near cotton openers) (Sec.-27)
रूई दबाने के कारखाने के किसी ऐसे भाग में जिसमें रूई धुनकी चल रही हो, किसी स्त्री या बालक को नियोजित नहीं किया जायेगा।
परन्तु यदि रूई धुनकी का भराई–सिरा एसे कमरे में हो जो निकासी सिरे से ऐसे विभाजक द्वारा पृथक किया गया है जिसका विस्तार छत तक हो या जिसकी ऊँचाई इतनी हो जितनी निरीक्षक किसी विशिष्ट मामले में लिखकर विनिर्दिष्ट करें तो स्त्रियों और बालकों को विभाजक के उस और नियोजित किया जा सकेगा जहाँ भराई–सिरा स्थित हो।

vii उत्तोलक और उत्थापक (Hoists and lifts) (Sec.-28)
प्रत्येक कारखाने में :–

क हर उत्तोलक और उत्थापक–

ii समुचित याँत्रिक निर्माण, ठोक सामग्री और पर्याप्त सामर्थ्य का होगा।

iii उचित रूप से अनुरक्षित होगा और प्रत्येक छःमाह की कालावधि में कम से कम एक बार सक्षम व्यक्ति द्वारा पूर्णरूप से परीक्षित किया जायेगा और प्रत्येक ऐसी परीक्षा की विहित विशिष्टियाँ एक रजिस्टर में रखी जायेगी।

viii उत्थापक यंत्र, जंजीरें, रस्सियाँ और उत्थापक टैकलः–
(Lifting machines, chains, ropes & lifting tackles) (Sec.-29)
किसी भी कारखानें में, व्यक्तियों या सामग्रियों को ऊपर या नीचे ले जाने के प्रयोजन के लिए (उत्तोलक या उत्थापक से भिन्न) प्रत्येक उत्थापक यंत्र और प्रत्येक जंजीर, रस्सी और उत्थापक टैकल के सम्बन्ध में निम्नलिखित उपबन्धों का पालन किया जायेगाः–

क प्रत्येक बारह मास की कालावधि में कम से कम एक बार या ऐसे अन्तरालों में जैसे मुख्य निरीक्षक लिखकर विनिर्दिष्ट करें, सक्षम व्यक्ति द्वारा पूर्ण रूप से, परीक्षित किये जायेगें, और प्रत्येक ऐसी परीक्षा की विहित विशिष्टयाँ एक रजिस्टर में रखी जायेगी।

ख परख करने के प्रयोजन के अन्यथा कभी भी किसी उत्थापक यंत्र और जंजीर, रस्सी या उत्थापक टैकल पर उस सुबहनीय भार से अधिक भार से अधिक भार नहीं लादा जायेगा जो पहचान चिन्ह सहित उस पर स्पष्टतः अंकित होगा, और विहित रजिस्टर में सम्यक् रूप से दर्ज होगा, और जहाँ यह साक्ष्य न हो वहाँ उपयोग में लाये जा रहे हर प्रकार और आकार के उत्थापक यंत्र या जंजीर, रस्सी

या उत्थापक टैकल के सुबहनीय भारों को दर्शित करने वाली सारणी परिसर के प्रमुख स्थानों पर सम्प्रदर्शित होगी।

ix परिक्रमी मशीनरी (Revolving machinery) (Sec.-30)
प्रत्येक फैक्ट्री में विशेष कर जहाँ पर घिसाई (Grinding) प्रक्रिया चलती हो, यह सुनिश्चित करने के उपाय किये जाये कि प्रत्येक पात्र, गतिचालक चक्र या डिस्क अपनी परिधि से अधिक न चले ताकि कार्यरत कर्मकारों को नुकसान से बचाया जा सके।

x दाब संयंत्र (Pressure Plant) (Sec.-31)
प्रेशर प्लाट का उपयोग करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि अत्यधिक दाब से कोई दुर्घटना घटित न हो।

xi फर्श, सीड़ियाँ और पहुँच के साधन (Sec.-32, 33)
फर्श, सीड़ियाँ और पहुँच के साधन, बाधा रहित हो व सुरक्षा की दृष्टि से रेलिंग लगायी जाये कारखाने के फर्श, टंकी या भूतल पर यदि गहरी जगह हो तो उसे ढककर रखा जाये या पक्की बाड़ लगा दी जानी चाहिये।

xii अत्यधिक वजन (Excessive Weight) (Sec.-34)
फैक्ट्री में कोई भी व्यक्ति इतने भारी बोझ को उठाने, ले जाने या खिसकाने के लिए नियोजित नहीं किया जाये, जिससे उसे क्षति पहुँचने की सम्भावना हो।

xiii आँखों का बचाव (Protection of Eye) (Sec.-35)
जहाँ पर कर्मकार को कार्य करते समय अत्यधिक रोशनी से आँखों पर बुरा प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, आँखों के बचाव के सभी प्रबन्ध किये जाने चाहिये।

xiv खतरनाक धूम, गैसों आदि के प्रति पूर्वावधानियाँ–
(Precautions against dangerous fumes, gases etc.) (Sec.-36)
किसी व्यक्ति से किसी कारखाने में किसी ऐसे कोष्ठ, टंकी, कुण्ड, गर्त, पाईप, फ्ल्यू या अन्य परिरूद्ध स्थान में, जिसमें किसी गैस, धूम वाष्प या धूल के इतनी अधिक मात्रा में विद्यमान होने की सम्भावना हे जिससे व्यक्ति के अभिभूत हो जाने का खतरा है, तब तक प्रवेश करने के अपेक्षा नहीं की जायेगी या उसे अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जब तक उसमें उपयुक्त आकार के मैनहोल या बाहर जाने के अन्य प्रभावी साधनों की व्यवस्था न हो।

xv वहनीय विद्युत प्रकाश के प्रयोग की बाबत् पूर्वावधानियाँ
(Precautions regarding the use of portable electric light) (Sec.-36A)
किसी कारखाने में:–

क किसी ऐसे कोष्ठ, तालाब, कुण्ड, गर्त, नलिका, धूमवाहिका या अन्य परिरूद्ध स्थान (Confined space) के भीतर चौबीस वोल्ट से अधिक वोल्टता वाले वहनीय (Portable) विद्युत प्रकाश या अन्य विद्युत साधित्र (Appliance) का उपयोग करने की अनुज्ञा जब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि पर्याप्त सुरक्षा युक्तियों की व्यवस्था नहीं कर दी जाती है, और

ख यदि ऐसे किसी कोष्ठ, तालाब, कुण्ड, गर्त, नलिका, धूमवाहिका या अन्य परिरूद्ध स्थान के भीतर किसी ज्वलनशील गैस, धूम या धूल के विद्यमान होने की सम्भाव्यता है तो वहाँ ज्वालासह सन्निर्माण वाले लैम्प या प्रकाश से भिन्न किसी लैम्प या प्रकाश से भिन्न किसी लैम्प या प्रकाश का उपयोग करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

xvi विस्फोटक या ज्वलनशील धूल, गैस आदि
(Explosive or imflammable dust, gas etc.) (Sec.-37)
किसी फैक्ट्री में निर्माण प्रक्रिया के दौरान यदि विस्फोटाक या ज्वलनशील धूल, गैस आदि पैरा होती है तो कर्मकारों की सुरक्षा के प्रबन्ध किये जायें व ऐसी गैसे धूल व बाधा आदि को पाइप के द्वारा खुले स्थान पर छोड़ा जाये ताकि उससे

किसी को नुकसान न हो।

xvii आग लगने की दशा में पूर्वावधानियाँ (Precautions in case of fire) (Sec.-38)

क प्रत्येक कारखाने में, भीतर और बाहर दोनों जगह, आग लगने और उसके फैलने से रोकने के लिए सभी साध्य उपाय किये जायेगें, और

ख यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय किये जायेगें कि प्रत्येक कारखाने में सभी कर्मकार आग लगने की दशा में बच निकलने के साधनों से परिचित हों और ऐसी दशाओं में अपनाई जाने वाली विधि से पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हों।

सुरक्षा अधिकारी (Safety officer) (Sec.-40 B)

प्रत्येक कारखाने में जिसमें राज्य सरकार की राय में कोई विनिर्माण प्रक्रिया या संक्रिया की जाती है जो ऐसी प्रक्रिया या संक्रिया है जिसमें कारखाने में नियोजित व्यक्तियों को शारीरिक क्षति, विष या बीमारी की जोखिम या स्वास्थ्य के लिए कोई अन्य खतरा है वहाँ सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया जायेगा तथा सुरक्षा अधिकारियों के कर्त्तव्य, अर्हतायें और सेवा की शर्तें ऐसी होगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जायें।

कल्याण (Welfare)

i धुलाई की सुविधायें (Washing facility) (Sec.-42)
प्रत्येक फैक्ट्री में महिला व पुरूषों के लिये पृथक पर्दायुक्त सुविधायें धुलाई हेतु उपलब्ध करानी चाहिये तथा उनके कार्य स्थल के पास होनी चाहिये एवं उनकी सफाई की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिये।

ii वस्त्रों को रखने और सुखाने के लिए सुविधायें (Facility for storing & drying cloths) Sec.-43)
राज्य सरकार किसी कारखाने या किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों के बारे में काम के घण्टों के दौरान न पहने जाने वाले वस्त्रों को रखने और गीले कपड़ों को सुखाने के लिये समुचित स्थानों की व्यवस्था अपेक्षित करने वाले नियम बना सकेगी।

iii बैठने की सुविधायें (Facilities for sitting) (Sec.-44)
प्रत्येक कारखाने में खड़े होकर काम करने के लिए बाध्य सभी कर्मकारों के बैठने के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जायेगी तथा उसे बनाये रखी जायेगी जिससे वे अपने काम के दौरान उपलब्ध विश्राम अवसरों का लाभ उठा सकें।

iv प्राथमिक उपचार उपकरण (First Aid applicances) (Sec.-45)
प्रत्येक कारखाने में विहित अन्तवस्तुओं से युक्त प्राथमिक उपचार–बक्से या कबर्ड उपलब्ध होगें और रखे रहेगें जिससे वे सारे काम के घण्टों के दौरान आसानी से प्राप्य हो और इस प्रकार उपलब्ध और रखे हुए बक्सों या कबर्डों की संख्या कारखाने में किसी एक समय पर मामूली तौर से नियोजित हर डेढ़ सौ कर्मचारी के लिए एक से कम नहीं होगी।

v कैन्टीन (Canteens) (Sec.-46)
कारखाने में, जिसमें ढ़ाई सौ से अधिक कर्मकार नियोजित किये जाते हैं, वहाँ कर्मकारों के उपयोग के लिए अधिष्ठाता द्वारा कैन्टीन की व्यवस्था की जायेगी और उन्हें बनाये रखा जायेगा।

vi आश्रम, विश्राम कक्ष और भोजन कक्ष (Shelters, Rest Room & Lunch Room) (Sec.-47)
प्रत्येक ऐसे कारखाने में, जिसमें डेढ़ सौ से अधिक कर्मकार मामूली तौर पर नियोजित हो, पर्याप्त और उपयुक्त आश्रम या विश्राम कक्ष और पीने के पानी की व्यवस्था सहित ऐसे उपुयक्त भोजन कक्ष, जहाँ कर्मकार अपने द्वारा लाया खाना खा सकें, कर्मकारों के उपयोग के लिए उपलब्ध होगें और अनुरक्षित रखे जायेगें।

vii शिशु कक्ष (Creches) (Sec.-48)
प्रत्येक ऐसे कारखाने में जिसमें पचास से अधिक स्त्री कर्मकार (26.04.76) मामूली तौर पर नियोजित है वहाँ ऐसी स्त्रियों के छःवर्ष से कम आयु के बच्चों के उपयोग के लिए उपयुक्त

कमरा या कमरे उपलब्ध होगें और अनुरक्षित रखे जायेगें।
ऐसे कमरों में पर्याप्त जगह होगी, पर्याप्त रोशनी और पर्याप्त संवातन होगा, वे साफ और स्वच्छतर दशा में रखे जायेगें और बालकों और शिशुओं की देख–रेख प्रशिक्षित स्त्रियों द्वारा की जायेगी।

viii कल्याण अधिकारी (Welfare Officers) (Sec.-49)
प्रत्येक कारखाने में, जिसमें पाँच सौ या उससे अधिक कर्मकार मामूली तौर पर नियोजित किये जाते हैं, अधिष्ठाता कारखाने में इतने कल्याण अधिकारी नियोजित करेगा जितने विहित किये जाये जो कर्मकारों के कल्याण व हितों का ध्यान रखेगें।

वयस्कों के कार्य घण्टेः–

i कार्य के घण्टे (Hours of work) (Sec.-51)किसी भी व्यस्क को एक सप्ताह में 48 घण्टे एक दिन में 09 घण्टे व लगातार 05 घण्टे से ज्यादा कार्य नहीं लिया जायेगा, कम से कम 30 मिनट का विश्राम लगातार कार्य के बाद दिया जाना चाहिये।

ii साप्ताहिक विश्राम का दिन (Rest day) (Sec.-52)
फैक्ट्री में प्रत्येक कर्मकार को सप्ताह में एक दिन विश्राम अवश्य दिया जाना चाहिये, विशेष परिस्थितियों में विश्राम तीन दिन पहले अथवा बाद में भी दिया जा सकता है।

नोटिस जो प्रदर्शित किये जायेः–

i अधिकतम कर्मकारों की संख्या
ii विश्राम का दिन
iii अवकाश की सूचना या रद्द करने की सूचना
iv ड्यूटी रोस्टर
v श्रम कानूनों का सार
vi भुगतान दिवस की सूचना
vii निरीक्षक व डॉक्टर का नाम व पता

वार्षिक अवकाश मय वेतन (Annual leave with wages) (Sec.-78)

प्रत्येक कर्मकार जिसने 240 दिन या अधिक समय तक फैक्ट्री में एक वर्ष में कार्य किया हो उन्हें 20 दिन के हिसाब से एक अवकाश वेतन सहित दिया जायेगा।

नियमों के उल्लंघन पर शास्ति (General penalty for offence) (Sec.-92)

फैक्ट्री एक्ट के नियमों के उल्लंघन करने पर फैक्ट्री के मैनेजर या नियोक्ता को दो वर्ष का कारावास या एक लाख रूपये या आर्थिक दण्ड या दोनों से दण्डित किया जा सकता है, यदि अपराध लगातार किया जाये तो 1000 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से और दण्ड लगाया जा सकता है।

ट्रेड यूनियन कानून – 1926

(Trade Union Act. – 1926)

(1) संक्षिप्त पृष्ठभूमि :

भारत में ट्रेड यूनियनों की शुरूआत उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में हो गई थी। सन् 1875 में मुम्बई में सोहराज जी शापुर जी ने उद्योगों में श्रमिकों की दुर्दशा – विशेषकर स्त्रियों और बच्चों की स्थिति से प्रभावित होकर श्रमिक आन्दोलन शुरू किया। सन् 1882 से 1890 के बीच केवल चेन्नई और मुम्बई में 25 हड़तालें दर्ज की गई। सन् 1890 में एन.एम.लोखाण्डे ने ''मुम्बई मिलहैण्ड संस्था'' गठित की। सन् 1891 में कारखाना कानून बना। किन्तु श्रमिकों को अपना संगठन बनाने और उनके हितों की रक्षा के लिये कोई कानून नहीं था।

1918 में पी.बी.वाडिया ने चेन्नई के निकट चूली में श्रमिकों के लिये काम किया। उन्हें मालिकों और सरकार ने बहुत प्रताड़ित किया। उसने चेन्नई लेबर यूनियर बनाई जिसकी एक वर्ष में चार शाखायें और 20,000 सदस्य हो गये। इसी अवधि में 1917 में अहमदाबाद में कु.अनुसुइसा साराभाई ने श्रमिकों को संगठित करके हड़ताल करवाई। सन् 1920 में महात्मा गाँधी ने अहमदाबाद में स्पिनिंग एण्ड वीवर्स एसोसिएशन बनाया। इस बीच रेलों पर भी 1897 से कई यूनियनें बन चुकी थी। सन् 1925 में रेलवे में आल इण्डिया रेलवे मेन्स फेडरेशन भी बन गया था। यह पर्याप्त शक्तिशाली संगठन था।

1920 में अखिल भारतीय स्तर पर आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का उदय हुआ। यह अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से सम्बद्ध थी। महात्मा गाँधी के अलावा उस समय लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, सी.एफ.एण्ड्रयूज जैसे महापुरूषों का सहयोग और आशीर्वाद यूनियनों को प्राप्त था। अतः लाचार होकर ब्रिटिश सरकार को 1926 में ट्रेड यूनियनों के लिये एक कानून बनाना पड़ा। उससे पहले ट्रेड यूनियन नेताओं को दूसरे अपराध कानूनों के अन्तर्गत यातनायें दी जाती थीं।

इस कानून में अधिक परिवर्तन नहीं हुये। सन् 1947 में संशोधन किया गया जो गवर्नर जनरल की स्वीकृति के बावजूद लागू नहीं हो सका। सन् 1982 के बिल द्वारा फिर एक नाकाम कोशिश हुई। वर्तमान कानून की मुख्य बातें यहाँ दी जा रही हैं।

(2) उद्देश्य :

इस कानून का उद्देश्य ट्रेड यूनियनों की रजिस्टरी करने की व्यवस्था करना है और रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियनों के बारे में किसी हद तक कानून स्पष्ट करना है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में एसोसिएशन बनाने का अधिकार दिया गया है। इस कानून से यूनियनों को बल मिलता है और कुछ कायदे पालन करने की सीमा भी।

(3) यूनियन की रजिस्टरी (धारा 4) :

कुल 07 कर्मचारी मिलकर यूनियन के पंजिकरण के लिये अर्जी दे सकते हैं। उनमें से आधे बाद में नाम वापिस ले लें तो भी अर्जी निरस्त नहीं होती। कोई भी यूनियन तभी रजिस्टर्ड रह सकती है जब हर समय दस प्रतिशत या 100 कर्मचारी, जो भी कम हो, इस यूनियन के सदस्य हों।

(4) ट्रेड यूनियन की अपनी नियम व्यवस्था (धारा 6) :

रजिस्टरी के पहले यूनियन को अपने नियम बना लेने होते हैं। जिनमें ये बातें होना जरूरी हैं– नाम, उद्देश्य, किन कामों पर फण्ड खर्च होगा, सदस्यों की सूची, सदस्यों के द्वारा निरीक्षण की सुविधा, साधारण सदस्यों को प्रवेश – जो उसी उद्योग से होंगे, कार्यकारिणी के 50 प्रतिशत सदस्य से अधिक बाहर के नहीं हो सकते, यूनियन का चंदा (जो बारह रूपये प्रतिवर्ष से कम नहीं हो सकता) वे शर्तें जिनमें सदस्य को सुविधायें मिलती या समाप्त होती हैं, कार्यकारिणी की नियुक्ति या बर्खास्तगी, फण्ड की सुरक्षा, यूनियन समाप्त होने के प्रकार।

(5) ट्रेड यूनियन की सामान्य सुविधायें :

रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन एक संस्था हैं, जो सम्पत्ति खरीद सकती है, चलती रहती है, मुकदमे कर सकती है, किन्हीं मुकदमों से बच सकती है (धारा 17, 18) राजनीतिक उद्देश्यों के लिये अलग से फण्ड बना सकती है (धारा 16) इत्यादि।

(6) वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना :

धारा 28 के अनुसार हर यूनियन को अपनी प्राप्ति और खर्च का वार्षिक विवरण, पदाधिकारियों की सूची, नियमों में परिवर्तन आदि रजिस्ट्रार को देने होते हैं।

(7) यूनियनों की सदस्यता की जाँच :

यूनियनों को निम्नलिखित सुविधायें मिलती हैं :

1. मैनेजमेण्ट द्वारा मान्यता,
2. विभिन्न बोर्डों का समितियों में प्रतिनिधित्व,
3. भारतीय श्रम सम्मेलन में प्रतिनिधित्व, और
4. अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में प्रतिनिधित्व।

इन कारणों से यह और भी जरूरी हो जाता है कि उनकी सदस्य सीमा की जाँच होती रहे। पिछली जाँच 31 दिसम्बर 1980 की सदस्यता के आधार पर की गई थी। इस जाँच में 10 प्रतिशत रसीदों के अधपन्ने ऐसे चेक किये जाते हैं और सदस्यता यदि जाली पाई गई तो एक जाली सदस्यता के लिये 10 सदस्य कम कर दिये हैं। इसके बाद 2 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक सदस्यों से काम की जगह जाकर पूछा जाता है कि वे सदस्य हैं या नहीं उनके मना करने पर भी अनुपात में सदस्यता घटाकर जोड़ी जाती है।

(8) अखिल भारतीय स्तर पर यूनियनें :

अखिल भारतीय स्तर की यूनियन वह मानी जाती है जिसमें चार उद्योगों और 4 राज्यों में कम से कम पाँच लाख सदस्य हों। 31.12.1980 की जाँच के बाद अखिल भारतीय स्तर पर इस सीमा में कुल चार यूनियनें आती हैं। इनके विवरण इस प्रकार है –

नाम		जाँच के बाद सम्बद्ध यूनियनें	सदस्य
1.	इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस	1604	22,36,128
2.	भारतीय मजदूर संघ	1333	12,11,345
3.	हिन्द मजदूर संघ	426	7,62,882
4.	यूनाइटेड यूनियन कांग्रेस (लेनिन सारिणी)	134	6,21,359

एक लाख से अधिक सदस्यों वाली अन्य यूनियनें : नेश्नल लेबर आर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ट्रेड यूनियन कोआर्डिनेशनल कमेटी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियंस, ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सेण्टर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियंस।

(9) रेलवे द्वारा यूनियनों को दी जाने वाली सुविधायें :

1. स्थायी वार्ता तंत्र के माध्यम से,
2. संयुक्त सलाहकार तंत्र के माध्यम से,
3. कर्मचारी कल्याण निध (सदस्यता या प्रतिनिधित्व),
4. श्रमिक मंत्रणा कमेटी (लेबर एडवाइजरी कमेटी) के माध्यम से भागीदारी,
5. स्टॉफ कमेटी (कुछ महत्त्वपूर्ण स्टेशनों पर),
6. यूनियन को कार्ड पास,
7. बैठकों में शामिल होने के लिये पास तथा विशेष आकस्मिक छुट्टी,
8. भवन निर्माण के लिये भूमि अथवा किराये पर कार्यालय के लिये स्थान तथा टेलीफोन,
9. पूर्व अनुमति के साथ रेलवे मैदान पर सभाओं की स्वीकृति,
10. रेलवे परिसर पर नोटिस बोर्ड का स्थान,
11. रेलवे बोर्ड के पत्रों की प्रतिलिपियाँ,
12. वेतन काउण्टर से 20 गज दूर रहकर वेतन वाले दिन चन्दा एकत्रित करना,
13. दो मास का नोटिस दिये बिना यूनियन पदाधिकारी का स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता,
14. पेंशन/भविष्य निधि/अनुदान से सम्बन्धित रेल इतर सेवा शुल्क मान्यता प्राप्त यूनियनों से इनके लिये नहीं काटा जायेगा–

(क) प्रत्येक मान्यता प्राप्त परिसंघ के मामलें में दो व्यक्ति,

(ख) क्षेत्रीय स्तर पर प्रत्येक मान्यता प्राप्त यूनियन के मामलें में दो व्यक्ति,

(ग) प्रत्येक मण्डल पर प्रत्येक मान्यता प्राप्त यूनियन के मामलें में एक व्यक्ति।

(10) रेल यूनियनों को मान्यता प्रदान करना :

रेल यूनियनों को मान्यता प्रदान तथा उसे जारी रहने देना सरकार के विवेक पर निर्भर है। परन्तु जब एक बार मान्यता दे दी जाये तो उसे उचित कारण के बिना और यूनियन को ''कारा बताओं'' का अवसर दिये बिना वापिस नहीं लिया जा सकता। सामान्यतः किसी यूनियन को मान्यता देना और उसे जारी रखना तभी स्वीकार्य होगा यदि वह निम्नलिखित शतों को पूरा करें :–

i. यह रेलवे कर्मचारियों की एक विलग श्रेणी के लिये गठित किया गया हो और किसी जाति, जनजाति या धार्मिक समुदाय पर आधारित न हो न ही किसी ऐसी जाति, धर्म आदि के किसी एक ग्रुप का प्रतिनिधित्व करता हो।
ii. एक ही श्रेणी के सभी रेलवे कर्मचारी इसके सदस्य बन सकते हों।
iii. इसका पंजीकरण ट्रेड यूनियन कानून के अन्तर्गत हुआ हो।

शर्तें :

1. यूनियन भारतीय ट्रेड यूनियन कानून, 1926 के अधीन पंजीकृत हो।
2. यूनियन इस बात से सहमत हो कि उनके सभी अभ्यावेदन केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के द्वारा महाप्रबन्धक को प्रस्तुत होंगे तथा यूनियन की शाखाओं से प्राप्त अभ्यावेदन भी केन्द्रीय कार्यकारिणी के माध्यम से प्रस्तुत होंगे।
3. यूनियन इस बात से सहमत हो कि उन्हें यूनियन की बैठकों में भाग लेने तथा यूनियन के काम–काज करने के लिये रेलवे कर्मचारियों को देय छुट्टी, पास अधिनियम पर ही प्रदान किये जायेगें। प्रशासन के प्रमुख्य से भेंट के लिये बुनायें जाने वाले यूनियन कार्यकर्ता को

विशेष छुट्टी तथा विशेष पास दिये जायेगें जो उसकी आकस्मिक छुट्टी अथवा सुविधा पासों में गिने नहीं जायेगें। इन पासों की संख्या रेलवे प्रशासन तय करेगा।

4. रेलवे प्रशासन तथा यूनियन के आपसी समझौते के आधार पर उचित संशोाधनों को छोड़ यूनियन के नियम निम्न प्रकार से होगें :–
   i. यूनियन का नाम ..... है।
   ii. यूनियन का मुख्यालय ..... पर स्थित है।
   iii. यूनियन के उद्देश्य भारतीय ट्रेड यूनियन कानून 1926 के अन्तर्गत परिभाषित अथवा स्वीकार्य हैं।
   iv. यूनियन की सर्वोच्च शक्ति उनके सदस्यों की आम सभा के पास होगी और इसका प्रयोग निर्धारित तरीके से होगा।
   v. सदस्यों की सामान्य समिति की गतिविधियाँ इस प्रकार होगी–
      a. वार्षिक सामान्य बैठक,
      b. वार्षिक सामान्य बैठक के लिये निर्धारित तरीके बुलाई गई कोई अन्य बैठक।

(11) जुर्माना :

कानून के अनुसार नोटिस, विवरण, कागजात आदि नहीं भेजने पर सभी पदाधिकारी या जिम्मेदार व्यक्ति या कार्यकारिणी सदस्य दोषी होगें और उन पर जुर्माना किया जायेगा जो प्रति व्यक्ति अधिकतम 50 रूपये होगा। जानबूझकर गलत विवरण रजिस्ट्रार को देने पर 500 रूपये तक जुर्माना होगा। अपने सदस्यों को या सदस्य बनने के इच्छुक व्यक्ति को गलत सूचनायें देने पर 200 रूपये तक जुर्माना होगा। (धारा 31, 32)

लेखा विभाग की संरचना

वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी (सामान्य)

वि.स.एवं मु.ले.अ. (बजट और व्यय) उप.मु.वि.स.एवं मु.ले.अ.	वि.स.एवं मु.ले.अ. (वर्कशॉप,स्टोर व यातायात) उप मु.वि.स.मु.अ.	वि.स.एवं मु.ले.अ. (निर्माण) उप मु.वि.स.मु.अ.

मंडल स्तर पर

वरिष्ठ मं.ले.अधि./मंडल लेखा अधिकारी

सहा.मं.ले.अ.	कार्य.ले.अ.	यातायात ले.अधि.	मं.खजांची (अराजपत्रित)

लेखा कार्यालय की संरचना

1. वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी
2. अनुभाग अधिकारी
3. लेखा सहायक
4. कनिष्ठ लेखा सहायक
5. लेखा लिपिक
6. रिकार्ड लिफ्टर
7. दफ्तरी
8. पानीवाला
9. चपरासी
10. फराश

लेखा कार्यालय में अनुभाग

1. प्रशासन
2. बजट व खाता
3. भविष्य निधि
4. पेन्शन
5. स्थापना
6. व्यय
7. ईंधन
8. निरीक्षण और कार्यकुशलता
9. वित्त

1.प्रशासन अनुभाग

सी.ओ.–6

जब कभी भी बिल कार्यकारी कार्यालय से पारित होने के लिए लेखा कार्यालय में आता है तब प्रशासन अनुभाग में यह एक रजिस्टर में प्रतिपारित होता है। इसमें इसका इन्द्राज कर इसको लेखा बिल संख्या आंवटन करने में काम लिया जाता है। इसे केश ओर्डर नं.– 6 भी कहते है। जिस बिल पर यह नम्बर इन्द्राज हो जाता है उसका आशय यह होता है कि लेखा विभाग में बिल पहुॅच गया है और इस बिल को अधिकतम 10 दिन में पास करना होता है।

सी.ओ.–7

जब बिल लेखा कार्यालय में आ जाता है और उस पर CO-6 इन्द्राज हो जाता है तब बिल की स्थिति देखकर संबंधित अनुभाग को उसे पारित होने के लिए भेज दिया जाता है। वहां संबंधित लिपिक द्वारा उसे पारित कर अधिकारी से हस्ताक्षर करवाकर उसका सी.ओ.–7 बनाकर खाता अनुभाग में चैक बनाने के लिए भेज दिया जायेगा। इस सी.ओ.–7 की मदद से मासिक लेखा बनाया जाता है जिससे वह आवंटित बजट को आंवटित बजट को प्रभावित करता है।

10 दिनों की रिपोर्ट

जब बिल लेखा कार्यालय में पारित होने के लिए आता है और उस पर CO-6 नम्बर लग जाता है तो लेखा लिपिक को अधिकतम 10 दिन में वह बिल पास करना होगा तथा सी.ओ. –7 बनाना होगा। जो बिल 10 दिन में पारित नहीं होते उनकी एक रिपोर्ट बनाकर लेखा अधिकारी को हर 10 दिन के बाद प्रस्तुत की जाती है तथा संबंधित विभागों से इसका कारण पूछा जाता है। अगर इस बीच कोई बिल किन्हीं कारणों से लौटाये जाते है तो वे बिल 10 दिनों की रिपोर्ट में शामिल नहीं किये जाते है।

2.बजट व खाता अनुभाग

भारतीय रेलों का बजट बनाने का कार्य वैसे तो अभियांत्रिक विभाग का होता है और अभियांत्रिक विभाग को ही बजट कन्ट्रोलिंग ब्रान्च करते है ,परन्तु बजट को नियन्त्रित करने का कार्य अभियांत्रिक विभाग के साथ–साथ लेखा विभाग का भी होता है। अतः लेखा विभाग बजट को नियन्त्रित करने के लिए कई उपाय करती है। जैसे –अगस्त समीक्षा,प्रथम आशोधन,द्वितीय आशोधन व अन्तिम आशोधन। साथ ही खाता अनुभाग माह के अन्त में उस माह का लेखा बनाता है तथा वर्ष के अन्त में वार्षिक लेखा बनाकर मुख्यालय को भेजता है जिसके अन्तर्गत आंवटन बजट की तुलना वास्तविक खर्च से करते हुए एक विनियोग लेखा बनाकर लेखा समिति को भेजा जाता है।
प्रतिदिन जो बिल पास होते है तथा जो सी.ओ. –7 बनते है उन सभी के चैक बनाकर मंडल खंजाची के पास भुगतान हेतु भेज दिये जाते है।

भविष्य निधि :– प्रत्येक रेल कर्मचारी की स्थायी नियुक्ति के एक वर्ष पश्चात् उसके मूल वेतन का 1/12 वां भाग भविष्य निधि के रूप में काटा जाता है। रेलकर्मी के सुरक्षित भविष्य के मद्देनजर रेल विभाग द्वारा यह कटौती की जाती है। दिनांक 01.01.2004 के बाद नियुक्त कर्मचारी के मूल वेतन का 10 प्रतिशत भविष्य निधि रूप में काटा जाता है।

Civil Grant :– रेलवे कर्मचारी को दिये जाने वाले ब्याज सहित अग्रिम को सिविल ग्रान्ट कहते है। जैसेः– साईकिल ,स्कूटर,कार,भवन निर्माण अग्रिम आदि। यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा मंजूर किया जाता है तथा इसमें स्वीकृत बजट से अधिक खर्च नहीं हो सकता है। अग्रिम लेने वाले को सारे पेपर राष्ट्रपति के पक्ष में गिरवी रखने होते है।

Leave Not Due :– अगर किसी कर्मचारी के खाते में किसी प्रकार की छुट्टी बकाया नहीं है और कर्मचारी बीमार हो जाए तो डॉक्टर की सिफारिश पर यह छुट्टी मंजूर हो सकती है। यह छुट्टी अर्द्ध औसत वेतन अवकाश के रूप में होती है तथा इस अवकाश में कर्मचारी को इसी के अनुरूप वेतन (1/2 वेतन) देय होता है। लेकिन भविष्य में उसे मिलने वाली देय अर्द्ध औसत वेतन अवकाश में इसको समायोजित कर लिया जाता है। यह पूरे सेवाकाल में 360 दिन से अधिक नहीं हो सकती है।

Cadre Register :– लेखा कार्यालय में उस मंडल पर जितने अधिकारी व कर्मचारियों के पदों की स्वीकृति है उन सबका ब्यौरा केडर रजिस्टर में दर्शाया जाता है। इसमें स्थायी तथा अस्थायी पद का विवरण भी होता है तथा प्रत्येक माह भुगतान करते समय स्वीकृत पद तथा कार्यरत कर्मचारियों की तुलना करते हुए भुगतान किया जाता है तथा केडर से अधिक या कम कर्मचारी होने पर उसका स्पष्ट कारण दर्शाया जाता है।

NDA :– रेलवे प्रशासन 24 घण्टे अपना कार्य करता है तथा कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विभिन्न कोटियों के कर्मचारियों को अलग –अलग पारियों में ड्यूटी लगाया जाता है।
रात्रि के 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक रात्रि ड्यूटी मानी जाती है तथा प्रत्येक एक घण्टे के लिए 10 मिनट रात्रि भत्ते के रूप में दिया जाता है। इन मिनटो को घण्टों में बदलकर रेलवे बोर्ड द्वारा समय–समय पर निर्धारित दर से रात्रि ड्यूटी भत्ते का भुगतान किया जाता है।

NHA राष्ट्रीय आवकाश भत्ता :– लाईन पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रति वर्ष बारह (12) राष्ट्रीय अवकाश देय होते है। यह अरापत्रित कर्मचारियों को ही निर्धारित दर से दिया जाता है। किसी कर्मचारी का राष्ट्रीय अवकाश के दिन सामयिक विश्राम पडता है तो उसे यह देय होगा।

P.F.&DLI :– जिस तारीख से रेल कर्मचारी सेवानिवृत होता है उस तारीख को कर्मचारी के खाते में बकाया तथा उस पर जारी निर्देशों के अनुसार ब्याज लाभ देकर कर्मचारी को भुगतान किया जाता है। DLI योजना कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु के समय उसके भविष्य निधि खाते में जमा राशि से संबंधित है तथा इस हेतु अलग से कोई अंशदान नहीं करना होता है। इस योजना के लाभ हेतु कम से कम 05 वर्ष की सेवा आवश्यक है तथा इस योजना के अन्तर्गत अधिकतम रू.60000/– का भुगतान किया जा सकता है।
इस हेतु आवश्यक है कि अंशधारक की जमा शेष कर्मचारी की मृत्यु के माह से पिछले तीन वर्ष के दौरान निम्न लिखित सीमा (दनामक 01.01.2009 से) कम नहीं होना चाहिए :– (RBE No.221/09)

1. रेलवे सेवा (संशोधित वेतन नियम 2008) के अनुसार अंशदाता जिस पद को धारण करता है वह पे बैण्ड –02 (रू. 9300–34800)या उपर के हो तथा ग्रेड पे रू.4800/– प्रतिमाह या अधिक प्राप्त कर रहे हो,उनके लिए रू. 25000/–
2. रेलवे सेवा (संशोधित वेतन नियम 2008) के अनुसार अंशदाता जिस पद को धारण करता है वह पे बैण्ड –02 (रू. 9300–34800) या उपर के हो तथा ग्रेड पे रू. 4200/– प्रतिमाह या अधिक लेकिन रू. 4800/– से नीचे हो, उनके लिए रू. 15000/–
3. रेलवे सेवा (संशोधित वेतन नियम 2008) के अनुसार अंशदाता जिस पद को धारण करता है वह पे बैण्ड –02 ,01 या पे बैण्ड 1–एस(रू.4400–7440)या उपर के हो तथा ग्रेड पे

रू.1400/–प्रतिमाह या अधिक लेकिन ग्रेड पे रू. 4200/– से नीचे हो,उनके लिए रू. 10000/–

4. रेलवे सेवा (संशोधित वेतन नियम 2008) के अनुसार अंशदाता जिस पद को धारण करता है वह पे बैण्ड 1 –एस (रू.4400–7440)के हो तथा ग्रेड पे रू.1300/– प्रतिमाह या उससे अधिक लेकिन ग्रेड पे रू.1400/– से नीचे हो, उनके लिए रू.6000/–

GIS :– रेल विभाग द्वारा अपने कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के अन्तर्गत सामूहिक बीमा योजना वर्ष 1982 से शुरू की गई। इसके तहत् कर्मचारियों से उनकी श्रेणी /वर्ग के अनुसार कटौती तथा मृत्यु की अवस्था में किये जाने वाले भुगतान का विवरण निम्नानुसार है :–

			मृत्यु की अवस्था में देय राशि
(i)	ग्रुप –ए –	120/– रूपये प्रतिमाह –	1,20,000/– रू.
(ii)	ग्रुप –बी –	60/– रूपये प्रतिमाह –	60,000/– रू.
(iii)	ग्रुप –सी –	30/– रूपये प्रतिमाह –	30,000/– रू.
(iv)	ग्रुप –डी –	15/– रूपये प्रतिमाह –	15,000/– रू.

Leave Salary :– प्रत्येक कर्मचारी को सेवाकाल के दौरान वर्ष में 30 (15+15) दिन का अर्जित अवकाश मिलता है। एक समय में किसी भी कर्मचारी के खाते में अधिकतम 300 (+15) छुट्टीयां (अर्जित अवकाश)जमा हो सकती है। कर्मचारी की सेवानिवृति या मृत्यु की अवस्था में उसके खाते में जमा अर्जित अवकाश के बराबर (अधिकतम 300 दिन) भुगतान लीव सेलेरी के रूप में किया जाता है। इस भुगतान के अन्तर्गत अंतिम वेतन +30% रनिंग भत्ता+ महंगाई भत्ते के रूप में दिया जाता है। त्याग पत्र के मामले में कर्मचारी के खाते में बकाया अर्जित अवकाश के आधे (अधिकतम 150 दिन) के बराबर छुट्टीयों का भुगतान लीव सेलेरी के रूप में किया जाता है।

Approximate Accounts (अनुमानित लेखा):– लेखा विभाग का दायित्व भारतीय रेलों पर अर्जित हुई आय तथा खर्च का लेखा जोखा रखना है। इसलिए प्रत्येक माह की समाप्ति पर उस माह के दौरान जो भी गतिविधियां /खर्च व आय हुई है उसका विवरण रखना होता है। परन्तु इसका पूरा ब्यौरा संबंधित माह समाप्ति के एक माह बाद Monthly Account के रूप में बनाया जाता है। जब तक Monthly Account नहीं बनता तब तक सीओ–7 की मदद से एक अन्दाज से जो बुकिंग विभिन्न मदों से आई है उनके आंकडे हजारों में लेकर अनुमानित लेखा बनाया जाता है जिससे कि मौटे तौर पर अंदाज लगाया जा सके।

Appropration (विनियोग लेखा):– प्रत्येक वर्ष विभिन्न जोनल रेलवे को उनकी मांग के अनुसार खर्च करने के लिए बजट का आंवटन होता है तथा यह खर्च रेलवे के विभिन्न मंडलों पर किया जाता है। वर्ष के दौरान प्रत्येक माह का लेखा तैयार किया जाता है तथा उसे मुख्यालय को भेजा जाता है। उसका पूरा विवरण (History) उसमें नहीं दर्शायी जाती है।

वर्ष के समाप्ति के बाद जब (March Account) बनाया जाता है तो उसके साथ ही एक पूरी रिपोर्ट भी मुख्यालय को भेजी जाती है जिसमें यह दर्शाया जाता है कि कितना पैसा मंजूर हुआ और कितना खर्च हुआ। पैसा अगर कम रहा तो उसे किस विधि से पूरा किया गया तथा जिस उद्देश्य के लिए पैसा दिया गया था ,वह उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं । तथा इसके साथ एक (Dead Head) रिपोर्ट भी भेजी जाती है जिसके अन्तर्गत यह प्रमाण पत्र भी देना होता है कि जितना भी अग्रिम मंजूर किया गया था,वह प्रत्येक कर्मचारियों में वितरित कर दिया गया है ,उनकी वसूलियां चालू हो गई है तथा भविष्य निधि खातों में कर्मचारियों को ब्याज दे दिया गया है आदि। इस रिपोर्ट को आडिट विभाग द्वारा सत्यापित करवाया जाता है तथा यह

Approximate account committee के सामने पेश किया जाता है तथा अगले वर्ष के लिए मंजूर किया जाता है।

बजट की परिभाषा :– आने वाले वित्तीय वर्ष में होने वाले सम्भावित खर्चे के प्रस्ताव (रूप रेखा) को हम बजट कहते है। बजट अनुमानित आय व खर्चे का एक वार्षिक वित्तिय विवरण है जो कि आने वाले वर्ष की प्रत्येक मांग के लिए ,सब हैड के लिए,डिस्पैल हैड या प्राइमरी युनिट के लिए संबंधित वर्ष के आरम्भ होने से पहले ही बना लिया जाता है।

आवश्यकता :– संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया को ध्यान में रखकर आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए संसद तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है क्योंकि कोई भी खर्चा संसद की सहमति अथवा राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना नहीं किया जा सकता। बजट के निम्नलिखित सात प्रकार होते है :–

1- कन्वेशनल या इन्करिमेटल बजट
2- रेवेन्यू बजट
3- केपीटल बजट
4- वर्क्स बजट
5- इन्टिग्रेटेड बजट
6- परफोरमेन्स
7- 0 बेश बजट

तैयार करने की विधि :– रेलवे में अभियांत्रिक शाखा बजट नियंत्रक शाखा कहलाती है। यह शाखा सभी शाखाओं को प्रस्तावित बजट सम्मिलित करके उसे मंडल बजट के रूप में मुख्यालय भेजती है। मंजूरी के लिए इंजीनियरिंग शाखा Pink Book के प्रोफार्मा पर भेजती है इसमें रेवेन्यु का अलग तथा वर्क्स प्रोग्राम का अलग–अलग हवाला दिया जाता है।
मुख्यालय सभी मंडलों/कारखानों व भण्डारों से प्राप्त प्रस्ताव को सम्मिलित करके इसे रेलवे बोर्ड भेजता है। रेल मंत्रालय सभी रेलवे से प्राप्त बजट को सम्मिलित करके उसे दो हिस्सों में बनाता है :–

1- Voted
2- Charged

(1) Voted :- यह प्रस्ताव लोक सभा में स्वीकृति हेतु भेजे जाते है तथा इसे लोक सभा द्वारा विचार–विमर्श करके पास किया जाता है तथा यह आवश्यक नहीं है कि जितनी राशि मांगी गयी है वह पूर्ण रूप में मिले। लोक सभ उसमें वांछित संशोधन कर राशि कम भी कर सकती है।

(2) Charged :- यह प्रस्ताव भारत के राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी के लिए भेजा जाता है जिसके अन्तर्गत Civil Grant LADU के होते है।
जब तक यह लोक सभा व राष्ट्रपति द्वारा मंजूर नहीं होते है जब तक बजट Demand grant कहलाता है और स्वीकृति के बाद Grant में परिवर्तन हो जाता है। ग्रान्ट के पारित होने के पश्चात् इसे रेलवे बोर्ड को भेजा जाता है तथा रेलवे बोर्ड अपने अधीन सभी क्षैत्रिय रेलों को दनके आनुपातिक प्रस्ताव के अनुसार वापस भेज देगा। उसे हम Budget order कहते है।
कभी–कभी ऐसी स्थिति होती है कि बजट के समय लोक सभा बनी हुई होती है तथा विभाग का खर्चा चलाने के लिए बजट की आवश्यकता होती है ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति से मंजूरी लेकर Voted को काम में लिया जाता है। इसे On Account बजट कहते है तथा जैसे भी लोक सभा का गठन हो जाता है उस पूरी अवधि के बजट को वापस लोक सभा से मंजूर करवाना होता है।

व्यय की प्रारम्भिक ईकाई :– 01 ,02 के अंक प्रायः व्यय की प्रारम्भिक इकाई को इंगित करते है और खर्चे का उद्देश्य बताते है। जैसे कि 01 वेतन ,02 डीए,03 बोनस ,04 एचआरए, 05 सीसीए आदि।

वित्तीय औचितय मानक (फ़ाइनेशिल जस्टीफिकेशन) :– लेखा कार्यालय में किसी प्रकार की जांच करने से पहले (चाहे वो आंकलन हो या किसी का भुगतान या कोई नये पदों का सृजन करना हो) वित्तीय औचित्य नियम के अन्तर्गत उनकी जांच की जाती है तथा इन नियमों को वित्तीय औचित्य मानक कहते है। अगर वह कार्य इन सिद्वान्तों पर खरा उतरे तो उसको सत्यापित या भुगतान कर दिया जाता है। वे मानक निम्नलिखित है :–

1- खर्च करने से पहले खर्च करने वाला अधिकारी यह सोचे कि पैसा उसकी जेब से खर्च हो रहा है।
2- जो कार्य किया जा रहा है वह कार्य किसी जाति विशेष/धर्म के लिए नहीं होना चाहिए वह कार्य आम जनता के लिए होना चाहिये।
3- कार्य करवाने वाले अधिकारी को उस कार्य को करवाने से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी प्रकार से लाभ नहीं होना चाहिये।
4- बजट का आवंटन नियमानुसार (वैद्विक)रूप से स्वीकृत होना चाहिये।
5- यात्रा भत्ते का आय के साधन के रूप में उपार्जन कतई नहीं होना चाहिये।

रेलवे के राजस्व संचालन व्यय 13 उप मुख्य शीर्षो के अन्तर्गत वर्गीकृत है और प्रत्येक उप मुख्य शीर्ष के लिए एक पृथक् सार है,अर्थात् :–

1.	सार ए	– सामान्य अधीक्षण एवं सेवाएँ
2.	सार बी	– रेल पथ और निर्माण की मरम्मत और अनुरक्षण
3.	सार सी	– मोटिव पावर की मरम्मत और अनुरक्षण
4.	सार डी	– सवारी डिब्बों और माल डिब्बों की मरम्मत
5.	सार ई	– संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण
6.	सार एफ	– परिचालन व्यय चन स्टॉक और उपस्कर
7.	सार जी	– परिचालन व्यय – यातायात
8.	सार एच	– परिचालन व्यय –ईंधन
9.	सार जे	– कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं
10.	सार के	– विविध ,संचालन व्यय
11.	सार एल	– भविष्य निधि पेन्शन और अन्य सेवानिवृति लाभ
12.	सार एम	– निधियों में विनियोग
13.	सार एन	– उन्यत्त